दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जून, 2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 11

- पीएम स्वनिधि योजना 11
- सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है पीएम-केयर्स फंड 12
- चैंपियंस पोर्टल 13
- फैवीपिराविर एंटीवायरल टेबलेट्स 15
- मीडिया नीति-2020 15
- COVID-19 प्रबंधन सूचकांक 16
- ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन 17
- इनर लाइन परमिट तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 19
- मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2020 20
- COVID-19 के प्रसार को रोकने में 'सोशल बबल्स' की भूमिका 22
- ऑनलाइन विवाद समाधान' को बढ़ावा देना 23
- क्यू.एस. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग- 2021 जारी 24
- कृष्णा तथा गोदावरी नदी जल विवाद 26
- वंशधारा नदी जल विवाद 27
- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2019-20 28
- इंडिया रैंकिंग्स , 2020 30
- नेचर इंडेक्स- 2020 32
- आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय 33
- संविधान की नौवीं अनुसूची 34
- सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना 36
- मेघालय का व्यवहार परिवर्तन संबंधी मॉडल 36
- न्यायालयों की आधिकारिक भाषा 38
- 21 जून: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्यों? 39
- गुप्त मतदान प्रणाली 40
- सांसद आदर्श ग्राम योजना 42
- राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया 43
- मुख्यमंत्री श्रमिक योजना 44

नोट :

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ब्याज सब्सिडी 46
- वरियामकुननाथ कुंजाहम्मद हाजी 47
- ग्रामीण स्थानीय निकायों का वित्तपोषण 49
- COVID-19 महामारी के कारण बढ़ता शिक्षा अंतराल 51
- OBC उप-श्रेणीकरण आयोग के कार्यकाल का विस्तार 52
- नशा मुक्त भारत अभियान 54
- नरसिम्हा राव: आर्थिक सुधारों के अग्रदूत 54
- भारतनेट परियोजना 56

आर्थिक घटनाक्रम **58**

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज 58
- मूडीज़ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग घटाई 59
- खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि 60
- ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉसपेक्ट्स 62
- चांगपा समुदाय 63
- विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक में अल्प वृद्धि 64
- आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता 65
- ग्रामीण भारत के विकास हेतु प्रमुख निर्णय 66
- भारत के डिजिटल कर की जाँच 69
- वास्तविक समय में विद्युत की खरीद-बिक्री 70
- द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम-ट्यूलिप 71
- तीन नई कोयला खदानों की शुरुआत 72
- कर सुधार 73
- सीमा समायोजन कर 75
- राइट्स इश्यू' और महामारी का संकट 76
- राजस्व गिरावट एवं जीएसटी परिषद 77
- निजी बैंकों की समीक्षा 78
- अन्य देशों में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली 79
- विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति 80
- भारत का पहला गैस एक्सचेंज 82
- भारतीय परिवारों की शुद्ध वित्तीय संपत्ति 83
- अर्थव्यवस्था के संकुचन की संभावना: एशियाई विकास बैंक 84
- चीनी आयात पर अंकुश लगाने के लिये एक नई ई-कॉमर्स नीति 86
- चीनी के लिये न्यूनतम विक्रय मूल्य 86
- व्यापार परिदृश्य में सुधार के लिये आवश्यक कदम 88

नोट :

- सबसे बड़े आईपीओ लॉन्च की तैयारी 90
- इस्पात उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क 91
- क्रय शक्ति समता एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 92
- आईएमएफ: वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट 94
- गौधन न्याय योजना 95
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को उधार देने की समय सीमा का विस्तार 96
- भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत सहकारी बैंक 97
- पुलिस सुधार: आवश्यकता और प्रयास 98
- PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना 99

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **101**

- G-7 समूह और भारत 101
- यूरोपीय संघ का आर्थिक राहत पैकेज 102
- उत्तर और दक्षिण कोरिया द्वारा कोरियाई युद्धविराम समझौते का उल्लंघन 103
- चीन द्वारा 'थाड' का विरोध 105
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) और भारत 106
- संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंसक विरोध प्रदर्शन 108
- मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने पर विचार 110
- भारत-चीन मैराथन बैठक 111
- लियोपोल्ड द्वितीय: औपनिवेशिक हिंसा का प्रतीक 112
- भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 113
- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 115
- सऊदी अरब ने की तेल की कीमतों में वृद्धि 117
- ई-कूटनीति 118
- दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी रोड 120
- भारत-लाओस संबंध 121
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अमेरिका 123
- नेपाल के नए मानचित्र को लेकर संविधान संशोधन पारित 124
- ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित चिंताएँ 126
- परमाणु हथियारों में वृद्धि 127
- एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक और भारत 128
- मेडागास्कर तथा अबू धाबी में नौसैनिक संपर्क पहल 129
- द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड 131
- रूस-भारत-चीन समूह की आभासी बैठक 132
- चीन द्वारा बांग्लादेश को टैरिफ छूट की घोषणा 133

नोट :

- वैश्विक शरणार्थी संकट 135
- मुक्त व्यापार समझौता: भारत और यूरोपीय संघ 136
- शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होगा चीन 137
- अमेरिकी वीज़ा नियमों पर प्रतिबंध 139
- कोरियाई युद्ध के 70 वर्ष 140
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल 141
- आसियान देशों की दक्षिण चीन सागर पर चेतावनी 142
- चीन पर पूर्ण प्रतिबंध: भारत पर प्रभाव 144
- खोलोंगछु जलविद्युत परियोजना 145

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **147**

- SpaceX का अंतरिक्ष कैप्सूल ISS पहुंचा 147
- मिसाइल पार्क 148
- लेज़र लेखन प्रक्रिया 149
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण प्रोत्साहन हेतु योजनाएँ 150
- वरित प्रतिक्रिया नियामक सक्षम तंत्र 151
- अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट 152
- भारत में कोरोना वायरस के अद्वितीय लक्षण (A3i) 153
- 163348(2002 NN4) क्षुद्रग्रह 154
- लॉकडाउन में पुरातत्त्वविदों द्वारा कार्य 155
- एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आईसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन 156
- आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों का विरोध 157
- अमीबायसिस की नई दवा 159
- ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 160
- आँत के सूक्ष्मजीवों में उपापचय 161
- डेक्सामेथासोन दवा के प्रयोग से COVID-19 के रोगियों में सुधार 162
- नासा का गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट 163
- क्वांटम उपग्रह आधारित संचार प्रणाली 164
- उमीफेनोविर औषधि 165
- पेपर आधारित माइक्रोस्कोप: फोल्डस्कोप 166
- विभिन्न आयु के तारों का सह-अस्तित्त्व 167
- समुद्र तल की मैपिंग 168
- एक्सट्रीम हीलियम तारा 169
- COVID-19 दवा के मानवीय परीक्षण को मंज़ूरी 171

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 172

- बैंड-टेल स्कॉर्पियन फिश 172
- लॉकडाउन के दौरान अवैध शिकार में वृद्धि 173
- भारत में प्राकृतिक आपदा से विस्थापन 174
- आर्कटिक क्षेत्र में तेल रिसाव 175
- बाघ संरक्षण: चुनौती और प्रयास 176
- पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक- 2020 178
- नगर वन योजना 180
- जीभ की कैंसर कोशिकाएँ 181
- एयरोसोल लक्षण तथा विकिरण प्रभाव 182
- उत्तराखंड में जैव विविधता उद्यान 183
- राइन नदी के जल स्तर में कमी 184
- गहरे महासागरीय भागों में माइक्रोप्लास्टिक 185
- एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि 187
- प्रथम अनुमानित 'गौर' जनसंख्या अभ्यास 189
- चक्रवात अम्फान का सुंदरबन पर प्रभाव 190
- यूनाइटेड किंगडम की 'जेट ज़ीरो ' योजना 191
- पर्माफ्रॉस्ट व जलवायु परिवर्तन 193
- भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन का आकलन 194
- भूमि उपयोग परिवर्तन 196
- विश्व मगरमच्छ दिवस 198
- इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे 199
- वन्यजीव तस्करी 200
- आर्कटिक सागर में तेज़ी से पिघलती बर्फ 201
- ओज़ोन प्रदूषण और लॉकडाउन 203
- कोकोलिथोफोरस 204
- एंथ्रोपॉज़ काल 205
- परागणक सप्ताह 206
- ड्रैगनफ्लाई में दुर्लभ जैविक घटना 207
- कार्बन उत्सर्जन से चेन्नई में भारी वर्षा की आशंका 208
- REDD+ कार्यक्रम 209

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 211

- अरब सागर में चक्रवात निसर्ग 211
- उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल 212

नोट :

- असम गैस रिसाव की दुर्घटना 214
- अथिरापल्ली जल विद्युत' परियोजना: समग्र विश्लेषण 215
- जल जीवन मिशन और प्रवासी श्रमिक 217
- सूर्य ग्रहण का विज्ञान 218
- जापान तथा चीन के बीच विवादित द्वीप 219

सामाजिक न्याय **221**

- छत्तीसगढ़ और झारखंड में संस्थागत प्रसवों की स्थिति 221
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 222
- आदिवासी छात्रों के लिये 'मेगा शैक्षणिक परिसर' 223
- विश्व बाल श्रम निषेध दिवस- 2020 225
- एडिप योजना 227
- पूर्वोत्तर भारत एवं एक्सोन 228
- गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 229
- गरीब कल्याण रोज़गार अभियान 230
- विश्व सिकल सेल दिवस 231
- लघु वनोत्पाद (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना 233
- पोखरण में कुम्हारों के सशक्तीकरण का प्रयास 234
- स्पिक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 235

कला एवं संस्कृति **237**

- कोडुमानल महापाषाण कालीन स्थल 237

आंतरिक सुरक्षा **239**

- खालिस्तान आंदोलन और ऑपरेशन ब्लूस्टार 239
- क्रिप्टो-जैकिंग 240

चर्चा में **242**

- विश्व तंबाकू निषेध दिवस 242
- भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल 242
- कांगड़ा चाय 243
- नंबर-18- फ्लाइंग बुलेट्स 243
- राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार-2020 243
- मेरा जीवन मेरा योग 245
- लोकसभा के नियम 266 एवं 267 245

नोट :

- राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना 246
- केंद्रीय रोज़गार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक 246
- नई राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2020 247
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 247
- तेलंगाना का स्थापना दिवस 248
- भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिये औषधिकोश आयोग 249
- स्वदेस 249
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट 250
- एफएएसटी 250
- मराठी भाषा 251
- इबोला प्रकोप 252
- विश्व पर्यावरण दिवस 2020 252
- एंटिफा 254
- ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म 254
- #आईकोमिट पहल # 254
- 'हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स' पहल 255
- सालभर60 अभियान 256
- त्रिपोली 256
- ऑनलाइन नैमिषा-2020 256
- G-20 देशों द्वारा $21 बिलियन का फंड 257
- पेट्रापोल एकीकृत चेकपोस्ट 257
- सुंदरबन में सौर माइक्रो-ग्रिड 258
- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 258
- इंटरनेट-नियंत्रित रोबोट 259
- स्पंदन अभियान 259
- मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री 259
- विश्व महासागरीय दिवस 260
- चैलेंजर गर्त 260
- डेक्कन क्वीन 260
- देहिंग पटकाई एलीफेंट रिज़र्व 261
- केमैन द्वीप 261
- किसान उत्पादक संगठन 262
- सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ 262
- विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 263
- तुरंत कस्टम्स 265

नोट :

- आईफ्लोस-मुंबई 265
- रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर 266
- लोनार झील 266
- ऑपरेशन डेज़र्ट चेज़ 267
- वर्ष 1890 का सिक्किम-तिब्बत अभिसमय 267
- भारत- तंज़ानिया संबंध 268
- लघु कृषक कृषि व्यापार संघ 269
- एंटी-वायरल विरोब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 269
- आरोग्य पथ 270
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान 271
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 271
- वारकरी संप्रदाय 272
- अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 272
- कैप्टन अर्जुन 273
- जूनटींथ 273
- मंकी पार्क 274
- फर्स्ट बेल पहल 274
- रज-पर्व 275
- मैलाथियान 275
- ताल-मद्दले 276
- मैगल्लानोडॉन बैकाश्केनके 277
- बेबी ड्रैगन 277
- सिज़ोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस 278
- विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 278
- मोबाइल आई-लैब 279
- सलामी-स्लाइसिंग रणनीति 279
- हॉग बैजर 280
- ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट 280
- सत्यभामा 281
- उर्जित पटेल 281
- सिविल सेवा बोर्ड 282
- नेर्विलिया सिंगापोरेंसिस 282
- गोल्डन लंगूर 283
- छोलुंग सुकफा 284
- 'नेशनल टेस्ट अभ्यास' मोबाइल एप 284

नोट :

- नेशनल पीपल्स पार्टी 284
- माउंट मेरापी 285
- कोविफोर 285
- प्रेसेना ग्लेशियर 286
- स्वाभिमान अंचल 286
- यूनिसेफ किड पावर 287
- युक्ति 2.0 287
- तुरंत कस्टम्स के तहत पेपरलेस एक्सपोर्ट्स 288
- उत्पादों से संबंधित मूल देश का सूचीकरण 288
- आषाढ़ी बीज 289
- फिशिंग कैट 289
- श्वे तेल एवं गैस परियोजना 290
- कालाज़ार 291
- गैया परिकल्पना 291
- ई-ब्लड सर्विसेज़ 291
- उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र 292
- नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल 293
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने की 75वीं वर्षगाँठ 293
- ऑर्डर ऑफ द नाइन एंगल्स 294
- ड्रग्स के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस-2020 295
- मारीच 295
- 'आयुध निर्माणी बोर्ड' का निगमीकरण 296
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 296
- संकल्प पर्व 297
- डॉ. जोसफ मार थोमा मेट्रोपोलिटन 297
- राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस-2020 297
- एचएएम रेडियो 298
- सांस्कृतिक सद्भाव मंडप 298
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 299
- गगनयान 299
- प्लेसबो 299
- मिशन सागर 300

विविध **301**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

पीएम स्वनिधि योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय' (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (The Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi- PM SVANidhi) या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकेंगे।
- ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की ज़मानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाएगा, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे।
- साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिये गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले ही करते हैं तो उन्हें 7% (वार्षिक) की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- पीएम स्वनिधि के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लागू होगा।
- इस योजना के तहत ऋण जारी करने की प्रक्रिया जुलाई माह से शुरू की जाएगी।
- इस योजना के लिये सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंज़ूर की गई है, यह योजना मार्च 2022 तक लागू रहेगी।
- यह पहली बार है जब सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (Micro finance Institutions- MFI)/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non Banking Financial Company- NBFC)/स्वयं सहायता समूह (Self Help Group-SHG), बैंकों को शहरी क्षेत्र की गरीब आबादी से जुड़ी किसी योजना में शामिल किया गया है।
- इन संस्थानों को ज़मीनी स्तर पर उनकी उपस्थिति और छोटे व्यापारियों व शहरों की गरीब आबादी के साथ निकटता के कारण इस योजना में शामिल किया गया है।

तकनीकी का प्रयोग और पारदर्शिता:

- इस योजना के प्रभावी वितरण और इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिये वेब पोर्टल और मोबाइल एप युक्त एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया जा रहा है।
- यह प्लेटफॉर्म क्रेडिट प्रबंधन के लिये वेब पोर्टल और मोबाइल एप को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के 'उद्यम मित्र' पोर्टल से तथा ब्याज सब्सिडी के स्वचालित प्रबंधन हेतु MoHUA के 'पैसा पोर्टल' (PAiSA Portal) से जोड़ेगा।

लाभ:

- इस योजना के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रो और पृष्ठभूमि के 50 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना को विशेष रूप से छोटे दुकानदारों (ठेले और रेहड़ी-पटरी वाले) के लिये तैयार किया गया है, इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारी COVID-19 के कारण प्रभावित हुए अपने व्यापार को पुन: शुरू कर सकेंगे।

नोट :

- डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा:
  - इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।
  - इसके तहत ऋण चुकाने के लिये डिजिटल भुगतान करने वाले लाभार्थियों को हर माह कैश-बैक प्रदान कर उन्हें अधिक-से-अधिक डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
- क्षमता विकास:
  - इस योजना के तहत MoHUA द्वारा जून माह में पूरे देश में राज्य सरकारों, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojna - National Urban Livelihood Mission or DAY-NULM) के राज्य कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, शहरी स्थानीय निकायों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट और अन्य हितधारकों के सहयोग से क्षमता विकास और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।

निष्कर्ष:

COVID-19 महामारी के कारण देश की औद्योगिक इकाइयों और संगठित क्षेत्र के अन्य व्यवसायों के अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र और छोटे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। देश में बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र के प्रमाणिक आँकड़े उपलब्ध न होने से इससे जुड़े लोगों को सहायता पहुँचाना एक बड़ी चुनौती रही है। साथ ही इस क्षेत्र के लिये किसी विशेष आर्थिक तंत्र के अभाव में छोटे व्यापारियों को स्थानीय कर्ज़दारों से महँगी दरों पर ऋण लेना पड़ता है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करा कर ऐसे लोगों को COVID-19 के कारण हुए नुकसान से उबरने में सहायता प्रदान की जा सकेगी।

सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है पीएम-केयर्स फंड

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office-PMO) ने पीएम-केयर्स फंड (PM-CARES Fund) के संबंध में RTI अधिनियम के तहत दायर आवेदन में मांगी गई सूचना को देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पीएम-केयर्स फंड एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' (Public Authority) नहीं है।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund)' अर्थात् 'पीएम-केयर्स फंड' (PM-CARES Fund) की स्थापना की थी।
- इस फंड की घोषणा के बाद याचिकाकर्त्ता ने अपने RTI आवेदन में 'पीएम-केयर्स फंड' की ट्रस्ट डीड और इसके निर्माण तथा संचालन से संबंधित सभी सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों की प्रतियाँ मांगी थीं।
  - ट्रस्ट डीड (Trust Deed) के तहत ट्रस्ट का व्यवस्थापक ट्रस्ट की संपत्ति को ट्रस्ट के संरक्षकों अर्थात ट्रस्टियों (Trustees) को हस्तांतरित करता है और ट्रस्टियों को ट्रस्ट डीड में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार कार्य कार्य करना अनिवार्य बनाता है।
  - ट्रस्ट डीड में मुख्यत: निम्नलिखित तथ्य शामिल होते हैं- (1) ट्रस्ट के गठन का उद्देश्य (2) फंड कहाँ से लिया जा सकता है और कहाँ से नहीं (3) ट्रस्टी की शक्तियाँ।
- इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दिये गए जवाब के अनुसार, 'RTI अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के दायरे में 'पीएम-केयर्स फंड' एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है। हालाँकि इस फंड से जुड़ी प्रासंगिक जानकारियाँ संबंधित वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं।
- उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी कई अवसरों पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने 'पीएम-केयर्स फंड' के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था।

नोट :

RTI अधिनियम, 2005 की धारा 2(h)

- ज्ञातव्य है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण से तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से है:
  - जो संविधान या इसके अधीन बनाई गए किसी अन्य विधान द्वारा निर्मित हो;
  - राज्य विधानमंडल द्वारा या इसके अधीन बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा निर्मित हो;
  - केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना या आदेश द्वारा निर्मित हो;
  - पूर्णत: या अल्पत: सरकारी सहायता प्राप्त हो।

RTI आवेदक का पक्ष

- आवेदक के अनुसार, यदि देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister's National Relief Fund) है तो फिर एक अन्य फंड का गठन क्यों किया गया।
- आवेदक के मुताबिक इस फंड में ऐसे विभिन्न तथ्य हैं जो इसे एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' बनाते हैं, उदाहरण के लिये पीएम-केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट (Public Charitable Trust) है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं।
  - साथ ही रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसमें पदेन ट्रस्टीयों के रूप में शामिल हैं, जो कि स्पष्ट तौर पर इसके सार्वजनिक प्राधिकरण होने का संकेत देता है।
- इस प्रकार ट्रस्ट की संरचना यह दर्शाने के लिये पर्याप्त है कि सरकार का ट्रस्ट पर अत्यधिक नियंत्रण है, जिससे यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण बन जाता है।
- विदित हो कि इस फंड के संबंध में जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों में भी यह काफी अस्पष्ट है कि पीएम-केयर्स फंड सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आता है अथवा नहीं?

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister's National Relief Fund)

- पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिये जनवरी, 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचाने के लिये किया जाता है।
- प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किये गये अंशदान को आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) के तहत कर योग्य आय से पूरी तरह छूट हेतु अधिसूचित किया जाता है।

चैंपियंस पोर्टल

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून, 2020 को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' (Micro, Small & Medium Enterprises-MSME) की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु 'चैंपियंस' (CHAMPIONS) नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'चैंपियंस' (CHAMPIONS) का विस्तृत रूप 'उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने हेतु आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और उनका सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग' (Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength) है।
- यह 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी' (Information and Communications Technology - ICT) पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है।
- इस प्रणाली को 'राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र' (National Informatics Centre- NIC) की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी द्वारा तैयार किया गया है।

नोट :

- टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे ICT उपकरणों के अलावा इस प्रणाली को 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence- AI), 'डेटा विश्लेषण' (Data Analytics) और मशीन लर्निंग (Machine Learning) जैसी नवीन तकनीकों से भी जोड़ा गया है।
- साथ ही इसे केंद्र सरकार की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievances Redress and Monitoring System- CPGRAMS) को भी जोड़ा गया है।
- इस प्रणाली के तहत 'हब और स्पोक मॉडल' (Hub & Spoke model) के आधार पर नियंत्रण कक्षों के एक तंत्र की स्थापना की गई है।
  - इसके तहत किसी पहिये की धुरी की तरह इस प्रणाली का केंद्र (Hub) राजधानी दिल्ली में स्थित है।
  - जबकि पहिये की तीलियों (Spokes) की तरह ही विभिन्न राज्यों में स्थित एमएसएमई मंत्रालय के अलग-अलग कार्यालयों और संस्थानों में इसके नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गए हैं।
  - वर्तमान में इस प्रणाली के तहत 66 राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उबरने में MSME क्षेत्र के उद्यमों की सहायता करना है।
- साथ ही इस पोर्टल का उद्देश्य MSMEs को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मज़बूत बनाने में सहयोग करना है।

MSME क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियाँ:

- पिछले कुछ वर्षों में देश में सक्रिय MSME श्रेणी के उद्यमों की निगरानी करने, उनकी समस्याओं को समझने और इसके निवारण हेतु एक सक्रिय तंत्र का अभाव रहा है।
- MSME श्रेणी के अधिकांश उद्यमों का पंजीकरण भी नहीं किया गया है जिससे उनकी चुनौतियों की पहचान करना और उन्हें समय पर सहायता पहुँचाना बहुत ही कठिन होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation- IFC) द्वारा वर्ष 2018 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, MSMEs को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से उनकी आवश्यकता का एक-तिहाई ऋण ही प्राप्त हो पाता है। जबकि बैंकों द्वारा यह ऋण बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है।
- औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से न जुड़े होने के कारण अधिकांश MSMEs को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पता है।

लाभ:

- केंद्र सरकार के अनुसार, यह प्रणाली MSMEs की आर्थिक, श्रमिक, कच्चे माल और नियमकीय अनुमतियों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक होगी।
- यह पोर्टल MSMEs को उनकी क्षमता की पहचान करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने में सहायता करेगा।
- यह पोर्टल MSMEs को बाज़ार में उपलब्ध नए अवसरों की पहचान करने, उसके उत्पादन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसकी आपूर्ति करने में सहयोग करेगा। जैसे वर्तमान में चिकित्सीय उपकरणों एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की मांग आदि।

निष्कर्ष:

हाल के वर्षों में MSME क्षेत्र के उद्यमों से जुड़ी समस्याओं के निवारण हेतु किसी विशेष सहयोग के अभाव में इन उद्यमों की चुनौतियों में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले दो महीनों से देश में लागू लॉकडाउन से MSMEs को गंभीर आर्थिक क्षति हुई है। चैंपियंस पोर्टल के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित MSMEs को एक प्रणाली से जोड़कर निवेश से लेकर बाज़ार में उत्पादों की पहुँच से जुड़ी समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। साथ ही इस प्रणाली के माध्यम से हाल ही में सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करा कर, MSMEs को वर्तमान संकट से उबरने में सहायता प्राप्त होगी।

नोट :

फैवीपिराविर एंटीवायरल टेबलेट्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drug Controller General of India-DCGI) द्वारा वैश्विक महामारी COVID-19 से पीड़ित मरीज़ों पर फैवीपिराविर एंटीवायरल टेबलेट्स (Favipiravir Antiviral Tablets) के चिकित्सीय परीक्षण करने की अनुमति दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स के अनुसार, फैवीपिराविर एंटीवायरल टेबलेट्स के चिकित्सीय परीक्षण से COVID-19 रोगियों पर इसकी प्रभावकारिता का पता लगाया जाएगा।

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया

- ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारतीय दवा नियामक संस्था केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization-CDSCO) का प्रमुख होता है।
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (NRA) है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- देश भर में इसके छह ज़ोनल कार्यालय, चार सब-ज़ोनल कार्यालय, तेरह पोर्ट ऑफिस और सात प्रयोगशालाएँ हैं।
- फैवीपिराविर एंटीवायरल टेबलेट्स जापान की फार्मास्युटिकल कंपनी फुजीफिल्म टोयामा (Fujifilm Toyama) द्वारा निर्मित एविगन ड्रग (Avigan Drug) के फार्मुलेशन पर आधारित जेनेरिक दवा है।

क्या हैं जेनेरिक दवाएँ ?

- अनुसंधान एवं नवाचार के पश्चात् दवाओं का निर्माण किया जाता है जिसका दवा निर्माता कंपनी द्वारा ट्रिप्स पद्धति के अंतर्गत पेटेंट कराया जाता है। पेटेंट द्वारा दवा का निर्माण तथा विक्रय संबंधित कंपनी के लिये अनन्य हो जाता है तथा किसी अन्य संस्था के लिये उस दवा का निर्माण करना प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
- यह पेटेंट 20 वर्षों के लिये ही संभव होता है। इस पेटेंट के नवीनीकरण के लिये दवा निर्माता को दवा में मौलिक परिवर्तन करना होता है। इसके बिना दवा का पेटेंट समाप्त हो जाता है।
- पेटेंट समाप्ति के पश्चात् कोई भी कंपनी अथवा देश उस दवा का निर्माण कर सकने में सक्षम होता है। ऐसी दवाओं को जेनेरिक दवाएँ कहा जाता है। प्राय: यह दवाएँ ब्राण्ड के नाम के बिना या किसी अन्य नाम से बेची जाती हैं।
- फैवीपिराविर एंटीवायरल टेबलेट्स इन्फ्लुएंज़ा वायरस के विरुद्ध प्रभावी साबित हुई हैं।
- चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में COVID-19 रोगियों पर इन टेबलेट्स का चिकित्सीय परीक्षण किया जा रहा है।
- इन देशों में फेविपिराविर टेबलेट्स ने COVID-19 रोगियों पर कई अध्ययनों में सकारात्मक परिणामों का प्रदर्शन किया है। जिसमें COVID-19 के संक्रमण की अवधि में कमी और रोगियों के फेफड़ों की स्थिति में सुधार आदि शामिल है।

मीडिया नीति-2020

चर्चा में क्यों ?

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक 'मीडिया नीति-2020' (Media Policy-2020) को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में लोगों तक पहुँचने के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करना है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह नीति न केवल प्रदेश में फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने का कार्य करेगी, बल्कि यह देश की सार्वजनिक शांति, संप्रभुता और अखंडता को समाप्त करने के लिये मीडिया के दुरुपयोग को भी कम करेगी।
- उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कई पत्रकारों पर उनके द्वारा की गई रिपोर्टिंग को लेकर FIR दर्ज की है।
- हाल ही में राज्य प्रशासन ने राज्य के दो पत्रकारों पर आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act-UAPA) के तहत मामला दर्ज किया था।
- मीडिया नीति के अनुमोदन के साथ ही सरकार और अधिक प्रभावी तरीके से आम लोगों तक कल्याण, विकास और प्रगति के संदेश को आसानी से पहुँचा सकेगी।
- यह नीति जम्मू-कश्मीर के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को एक पेशेवर संगठन के रूप में स्थापित करने और प्रदेश की मीडिया की मांगों के साथ तालमेल रखने में मदद करेगा।

'मीडिया नीति-2020' संबंधी प्रमुख बिंदु

- मीडिया नीति-2020 में प्रदेश में भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) जैसे संस्थानों में मीडिया अकादमी, संस्थान व पीठ की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो कि प्रदेश में पत्रकारिता के उच्चतम स्तर को बढ़ावा देगा और इस क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान का समन्वय करेगा।
- नई मीडिया नीति में प्रत्येक वर्ष दो मीडिया कर्मियों को इस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिये सम्मानित करने का प्रावधान भी है।
- नीति के अनुसार, प्रदेश के सभी विभाग जम्मू-कश्मीर के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साथ संपर्क करने के लिये एक नोडल अधिकारी को नामित करेंगे।
- आम जनता के साथ ऑनलाइन तथा सोशल मीडिया पर संपर्क सुनिश्चित करने के लिये यह नीति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में एक सोशल मीडिया सेल की स्थापना का प्रावधान करती है।

नई मीडिया नीति के निहितार्थ

- इस नीति की सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें आम जनता तक सरकार की पहुँच को बढ़ाने के लिये मीडिया के सभी प्रकारों के प्रयोग की बात की गई है।
- साथ ही यह विभिन्न हितधारकों के मध्य संबंध को मज़बूत करने का प्रयास करती है।
- नई नीति में प्रदेश में मौजूद पूर्ववर्ती विज्ञापन संबंधी नीति की अस्पष्टताओं को भी संबोधित किया गया है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान समय की बदलती मांगों के साथ अधिक-से-अधिक तालमेल स्थापित किया जाए।

COVID-19 प्रबंधन सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार द्वारा 'COVID-19 प्रबंधन सूचकांक' (COVID-19 Management Index) के तहत 10 राज्यों के लिये किये गए विश्लेषण में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 महामारी का 'डबलिंग टाइम' (पॉज़िटिव रोगियों की संख्या के दोगुने होने का समय) जहाँ देश में 12 दिन है, वहीं राजस्थान में यह 18 दिन का है।
- 'COVID-19 प्रबंधन सूचकांक' में COVID-19 के पॉज़िटिव मामले, सही हो चुके मरीज़, मृत्यु-दर जैसे पैरामीटरों के आधार पर राज्यों का विश्लेषण किया गया है।

नोट :

राजस्थान की COVID-19 के संदर्भ में वर्तमान स्थिति:

- हालाँकि राजस्थान में COVID-19 पॉज़िटिव मामलों की संख्या 10,000 होने वाली है लेकिन सक्रिय मामलों (Active Cases) का ग्राफ लगातार घट रहा है। अब राज्य में केवल 2,699 सक्रिय मामले हैं।
- राजस्थान में COVID-19 महामारी के कारण होने वाली मृत्यु-दर 2.16% रही जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम थी। वही मरीज़ों का 'रिकवरी रेट' 67.59% है।

राजस्थान सरकार द्वारा किये गए प्रयास:

- राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन 18,250 परीक्षण किये जा रहे हैं तथा शीघ्र ही 25,000 परीक्षण प्रतिदिन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।
- राज्य में विभिन्न शहरों से 11 लाख प्रवासियों की वापसी के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी का व्यापक प्रसार नहीं हुआ क्योंकि महामारी के प्रसार को रोकने के लिये ग्रामों तथा उपखंड स्तर पर 'सूक्ष्म नियोजन' प्रणाली को अपनाया गया था।

राजस्थान सरकार की आगे की रणनीति:

- राज्य का 'चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग' वर्तमान में अन्य स्वास्थ्य सेवाओं, जैसे कि टीकाकरण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि राज्य का बुनियादी स्वास्थ्य ढाँचा तथा 'स्वास्थ्य सूचकांक' COVID-19 महामारी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।
- राज्य सरकार 15 ज़िलों के 21 केंद्रों पर शीघ्र ही नैदानिक परीक्षण भी शुरू करेगी। इनमें वे ज़िले भी शामिल हैं, जहाँ अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा प्रवासी वापस आए हैं।
- प्रत्येक ग्राम में 'स्वास्थ्य जागरूकता' बढ़ाने के लिये दो स्वास्थ्य मित्र प्रशिक्षित तथा नियुक्त किये जाएंगे।

निष्कर्ष:

- COVID-19 महामारी का बेहतर प्रबंधन ही इस महामारी से बचाव का एकमात्र तरीका है। अत: सभी राज्य सरकारों को संस्थानों, संगठनों, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ मिलकर महामारी प्रबंधन की योजनाओं को वास्तविक धरातल पर लागू करना चाहिये।

ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन द्वारा आयोजित आभासी 'ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन' (Global Vaccine Summit) को संबोधित करते हुए कहा कि COVID-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में भारत दुनिया के साथ एकजुट होकर खड़ा है।

प्रमुख बिंदु:

- आभासी सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के शीर्ष व्यापारियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं ने भाग लिया।
- भारत ने 'अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन' (International Vaccine Alliance), ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्युनाइज़ेशन ' (Global Alliance for Vaccines and Immunisation- GAVI) को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है।

टीकाकरण (Vaccination):

- टीकाकरण या वैक्सीनैशन वह प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति को प्रतिरक्षित या संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता को विकसित किया जाता है।
- टीकाकरण बच्चे को जान लेवा रोगों से बचाने में मदद करता है। यह दूसरे व्यक्तियों में रोग के प्रसारण को कम करने में भी मदद करता है।

नोट :

'ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्युनाइजेशन '
(Global Alliance for Vaccines and Immunisation- GAVI):

- 1990 के दशक के अंत तक 'अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों' की प्रगति रुक गई थी जिससे विकासशील देशों में लगभग 30 मिलियन बच्चों का घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण नहीं हो पाया था।
- यद्यपि प्रभावी वैक्सीन बाज़ार में उपलब्ध थे परंतु विकासशील देश इन वैक्सीन की लागत वहन नहीं कर सकते थे।
- बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill and Melinda Gates Foundation) और संस्थापक सहयोगियों के एक समूह ने विकासशील देशों में लागत प्रभावी वैक्सीन निर्माण की दिशा में कार्य किया।
- तथा वर्ष 2000 में इसके द्वारा 'ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्युनाइज़ेशन' (Global Alliance for Vaccines and Immunisation- GAVI) की स्थापना की गई।

मान्यता प्राप्त वैक्सीन मॉडल:

- GAVI वर्तमान में दुनिया के लगभग आधे बच्चों को टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराता है। GAVI के वैक्सीन कार्यक्रम के माध्यम से वैक्सीन कार्यक्रम के साथ जुड़े वाणिज्यिक जोखिमों (वाणिज्यिक लाभ) को दूर किया गया है ताकि वैक्सीन निर्माण की दिशा में निवेश को बढ़ावा मिले।
- GAVI के प्रयासों के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुशंसित 11 वैक्सीनों की लागत जहाँ अमेरिका में 1,100 डॉलर है वहीं GAVI में इनकी लागत 28 डॉलर है।

भारत का वैक्सीन कार्यक्रम:

- भारत में 'सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम' (Universal Immunisation Programme- UIP) की शुरुआत वर्ष 1985 में चरणबद्ध तरीके से की गई थी, जो कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक था।
- UIP के तहत निम्नलिखित टीके उपलब्ध हैं:
- BCG:
  - BCG का तात्पर्य बेसिल कालमेट-ग्युरिन (Basil Calumet-Guerin- BCG) वैक्सीन है। यह शिशुओं को ट्यूबरक्युलर मेनिंगजाइटिस (Tubercular Meningitis) और संचारित टीबी से बचाने के लिये दिया जाता है।
- OPV:
  - OPV का तात्पर्य ओरल पोलियो वैक्सीन (Oral Polio Vaccine) है। यह बच्चों को पोलियोमेलाइटिस (Poliomyelitis) से बचाता है।
- हेपेटाइटिस B:
  - हेपेटाइटिस B का टीका हेपेटाइटिस- B वायरस संक्रमण से बचाता है।
- पेंटावैलेंट वैक्सीन:
  - पेंटावैलेंट वैक्सीन पाँच रोगों- डिप्थीरिया, टिटेनस, पर्टुसिस (काली खांसी), हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप- B, हेपेटाइटिस B से बच्चों को बचाने वाली संयुक्त वैक्सीन है।
- रोटावायरस वैक्सीन:
  - रोटावायरस वैक्सीन (RVV) डायरिया के खिलाफ शिशुओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह वर्तमान में चुनिंदा राज्यों में दिया जाता है।
- PCV:
  - PCV अर्थात न्यूमोकोकल संयुग्म टीकाकरण (Pneumococcal Conjugate Vaccination- PCV) शिशुओं तथा छोटे बच्चों को बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया (Streptococcus Pneumoniae) के कारण होने वाली रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है।

नोट :

- IPV:
  - निष्क्रिय पोलियो टीकाकरण (Inactivated poliovirus vaccine- IPV) का उपयोग पोलियोमेलाइटिस के खिलाफ़ सुरक्षा बढ़ाने के लिये किया जाता है।
- मीज़ल्स (Measles):
  - बच्चों को मीज़ल्स से बचाने के लिये मीज़ल्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। कुछ राज्यों में मीज़ल्स और रूबेला संक्रमण से बचाव के लिये संयुक्त वैक्सीन दी जाती है।
- जापानी इन्सेफेलाइटिस (Japanese Encephalitis):
  - यह जापानी इन्सेफेलाइटिस रोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- DPT:
  - DPT एक संयुक्त वैक्सीन है, जो बच्चों को डिप्थीरिया, टिटेनस और काली खाँसी (पर्टुसिस) से बचाती है।
- टेटनस टोक्सॉयड (Tetanus Toxoid- TT):
  - TT वैक्सीन का उपयोग टिटेनस के खिलाफ़ सुरक्षा प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2014 को 'मिशन इन्द्रधनुष' की शुरुआत की थी। जिसका उद्देश्य दुर्गम इलाकों सहित पूरे देश के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना था।
- भारत ने वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला का पूरी तरह डिजिटलीकरण कर दिया है तथा वैक्सीन कार्यक्रम की निगरानी के लिये एक 'इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क' (electronic Vaccine Intelligence Network- eVIN) प्रणाली विकसित किया है।

निष्कर्ष:

- भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को विश्व में सफलतम अभियानों में से एक माना जाता है। भारत ने कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं एवं टीकों का उत्पादन करने की अपनी क्षमता सिद्ध की है।

इनर लाइन परमिट तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन' (Bengal Eastern Frontier Regulation- BEFR), 1873 में संशोधन करने वाले राष्ट्रपति के आदेश; जो असम के ज़िलों को 'इनर लाइन परमिट' (Inner Line Permit) से बाहर रखता है, पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- याचिकाकर्ता ने BEFR का हवाला देते हुए कहा है कि असम के अधिकांश ज़िले मूलत: ILP प्रणाली के भाग थे, अत: राज्य में CAA को लागू नहीं किया जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले पर दो सप्ताह में प्रतिक्रिया मांगी है।

इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit):

- भारत में यह अवधारणा औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनाई गई थी जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों को मैदानी भागों से अलग करना था। इस अवधारणा की उत्पति 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट (BEFR), 1873 से हुई है।
- ILP वाले पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश करने तथा निवास करने के लिये अन्य क्षेत्रों के भारतीय नागरिकों को इनर लाइन परमिट (ILP) की आवश्यकता होती है।
- इस अवधारणा के तहत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम को संरक्षण प्रदान किया गया था जिसमें हाल ही में मणिपुर को जोड़ा गया है।

नोट :

- BEFR बाहरी नागरिकों (ब्रिटिश विषयों) के न केवल ILP क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है अपितु यह उनके वहाँ ज़मीन खरीदने पर भी प्रतिबंध लगाता है।
- ILP प्रणाली के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा आदिवासी समुदायों से साथ की जाने वाले व्यावसाय हितों को भी संरक्षित किया गया था।
- स्वतंत्रता के बाद 'इनर लाइन परमिट' प्रणाली में भारत सरकार द्वारा संशोधन किया गया था 'ब्रिटिश विषयों' पद को 'भारत के नागरिक' से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- वर्तमान में ILP प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, ILP के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अन्य भारतीय नागरिकों को बसने से रोकना है ताकि स्थानीय आदिवासी समुदायों की रक्षा की जा सके।

ILP तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम:

- नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act- CAA) में 'इनर लाइन प्रणाली' सहित कुछ अन्य श्रेणियों में छूट प्रदान की गई है।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों तथा इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा।
- CAA अधिनियम के पूर्वोत्तर भारत में विरोध के बाद राष्ट्रपति द्वारा कानून में (संशोधन) आदेश, 2019 जारी किया गया जो BEFR, 1873 में संशोधन का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से ILP को मणिपुर तथा नगालैंड के कुछ हिस्सों में विस्तारित किया गया था।

याचिका में की गई मांग:

- मूल BEFR में असम के कामरूप, दारंग, नोगोंग (अब नागांव), सिबसागर, लखीमपुर और कछार ज़िले शामिल थे।
- याचिका में कहा गया है राष्ट्रपति के आदेश के बाद ILP को लागू करने की असम सरकार की शक्ति समाप्त हो गई है।
- अगर 'इनर लाइन परमिट' को असम राज्य में विस्तारित किया जाता है तो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (Citizenship Amendment Act- CAA) राज्य में प्रभावी नहीं होगा। जिससे असम के लोगों के हितों का बेहतर तरीके से संरक्षण किया जा सकेगा।

असम पर प्रभाव:

- यदि असम में यदि ILP को लागू किया जाता है तो असम के अवैध आप्रवासियों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत नागरिकता नहीं मिलेगी।
- अवैध आप्रवासियों को असम में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

आगे की राह:

- असम राज्य कई वर्षों से अवैध प्रवास का सामना कर रहा है। केंद्र तथा राज्य सरकार के राजनीतिक स्वार्थों के कारण अभी तक असम में अभी अवैध प्रवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अत: केंद्र सरकार को चाहिये कि वह असम के संबंध में केंद्र सरकर की ILP नीति को स्पष्ट करे ताकि राज्य के हितों का बेहतर तरीके से समाधान किया जा सके।

मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने मसौदा 'मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2020' [Unmanned Aircraft System (UAS) Rules, 2020] को अधिसूचित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा मानव रहित विमान के उत्पादन, आयात, व्यापार, स्वामित्व और संचालन को विनियमित करने हेतु नियम अधिसूचित किया गया है।

नोट :

- नागर विमानन मंत्रालय ने 30 दिनों के भीतर मसौदा 'मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2020' पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं जिसके बाद अंतिम नियम जारी किये जाएंगे।

मसौदा नियम:

- नागर विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation- DGCA) द्वारा अधिकृत किसी संस्था या व्यक्ति को ही किसी अधिकृत विनिर्माता से उपकरणों के खरीद की अनुमति होगी।
- मसौदा नियम के तहत केवल नैनो ड्रोन को ही भारत में संचालित करने की अनुमति है।
- मसौदा नियम के अनुसार, केवल योग्य पायलट द्वारा ही भारी ड्रोन को संचालित करने की अनुमति होगी।
- वैध बीमा पॉलिसी होने की स्थिति में ही मानव रहित विमान प्रणाली से कार्य लिया जाएगा।
- ड्रोन का पेलोड नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप ही होना चाहिये।
- किसी भी व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति के अलावा ड्रोन से किसी भी वस्तु को लैंड किये बिना डिलीवरी की अनुमति नहीं होगी।
- ड्रोन से हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक वस्तुएँ, इत्यादि को ले जाने की अनुमति नहीं है।
- स्वामित्व:
  - ड्रोन के मालिक और ड्रोन को संचालित कर रहे व्यक्ति की आयु कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहिये।
  - ड्रोन से संबंधित किसी भी तरह की कंपनी भारत में स्थापित होनी चाहिये एवं अध्यक्ष और कम-से-कम दो तिहाई निदेशक भारतीय नागरिक होने चाहिये।

ड्रोन (Drone):

- ड्रोन एक प्रकार का फ्लाइंग रोबोट (Flying Robot) होता है, जिसे मनुष्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसकी खोज मनुष्यों ने अपने दैनिक कार्यों के संपादन के लिये की थी, परंतु वर्तमान में इसका प्रयोग खुफिया जानकारी प्राप्त करने हेतु भी काफी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है।
- ड्रोन को मानव रहित विमान (Unmanned Aerial Vehicle-UAV) भी कहा जाता है।
- ड्रोन के प्रकार:
  - नैनो ड्रोन- वे ड्रोन जिनका वजन 250 ग्राम तक होता है।
  - सूक्ष्म ड्रोन- वे ड्रोन जिनका वजन 250 ग्राम से अधिक लेकिन 2 किलो ग्राम से कम होता है।
  - लघु ड्रोन- वे ड्रोन जिनका वजन 2 किलोग्राम से अधिक लेकिन 25 किलोग्राम से कम होता है।
  - मध्यम ड्रोन: वे ड्रोन जिनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक लेकिन 150 किलोग्राम से कम होता है।
  - विशाल ड्रोन: वे ड्रोन जिनका वजन 150 किलो ग्राम से अधिक होता है।

ड्रोन के इस्तेमाल के लाभ:

- ड्रोन, आधुनिक युग की तकनीक का एक नया आयाम है जिसे आसानी से किसी भी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है
- ड्रोन उन स्थानों पर भी आसानी से पहुँच सकता है, जहाँ जाना इंसानों के लिये अपेक्षाकृत मुश्किल होता है या पूर्णत: असंभव होता है, अत: ड्रोन की यह विशेषता उसे आपदा प्रबंधन में प्रयोग करने के लिये भी एक अच्छा विकल्प बनाती है।
- ड्रोन के प्रयोग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे न केवल लागत में कमी आती है, बल्कि समय की भी काफी बचत होती है, क्योंकि इसे सामान्यत: ट्रैफिक अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता, साथ ही इसके प्रयोग से कंपनियों की श्रम लागत भी काफी कम हो जाती है।

ड्रोन के इस्तेमाल से नुकसान:

- ड्रोन एक मशीन है और अन्य मशीनों की तरह इस पर भी यही खतरा बना रहता है कि इसे आसानी से हैक (Hack) किया जा सकता है। हैकर आसानी से इसकी नियंत्रण प्रणाली (Control System) पर हमला कर ड्रोन को नुकसान पहुँचा सकता है एवं गोपनीय जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है।

नोट :

- यदि ड्रोन जैसी तकनीक असामाजिक या आपराधिक तत्त्वों के पास पहुँच जाती है तो वह काफी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ड्रोन के सहारे न सिर्फ जासूसी की जा सकती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इसके सहारे हमला भी किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त ड्रोन के उड़ान भरते समय पक्षियों से टकराने का भी खतरा रहता है।

COVID-19 के प्रसार को रोकने में 'सोशल बबल्स' की भूमिका

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'नेचर ह्यूमन विहेवियर' (Nature Human Behaviour) नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, COVID-19 संक्रमण के वक्र (Curve) को सपाट रखने के लिये 'सोशल बबल्स' (Social Bubbles) का विकल्प एक बेहतर रणनीति हो सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु विश्व के विभिन्न देशों में लागू लॉकडाउन के बीच अपने घरों तक सीमित लोगों के आर्थिक और मनोवैज्ञानिक बोझ को कम करने के लिये सरकारों पर प्रतिबंधों को कम करने का दबाव बढ़ा है।
- विश्व के कई देशों में COVID-19 के मामलों में हो रही वृद्धि के बावजूद भी सरकारों ने प्रतिबंधों में कुछ छूट देनी शुरू कर दी है।
- ऐसे में प्रतिबंधों में छूट के दौरान COVID-19 संक्रमण की दूसरी लहर से बचने की अनेक रणनीतियों में से एक 'सोशल बबल' के विकल्प को प्रभावी बताया गया है

क्या है 'सोशल बबल' ?

- यह विचार न्यूज़ीलैंड में अपनाए गए घरों के 'बबल्स' (Bubbles) अर्थात बुलबुलों के मॉडल पर आधारित है, जहाँ इन 'बबल्स' से आशय ऐसे विशेष सामाजिक समूहों से है जिन्हें इस महामारी के दौरान एक-दूसरे से मिलने की अनुमति दी गई है।
- मूल रूप से न्यूज़ीलैंड के मॉडल के तहत एक 'बबल' से आशय एक परिवार के लोगों से है जो एक साथ रहते हैं।
- इसके तहत अलर्ट के तीसरे चरण में लोगों को अपने 'बबल' के दायरे में थोड़ी वृद्धि करने की अनुमति है, जिसमें वे देखभाल करने वाले सहायकों या साझा देखभाल में रह रहे बच्चों को अपने समूह में शामिल कर सकते हैं।
- साथ ही यह उन लोगों पर भी लागू होगा जो अकेले रहते हैं अथवा ऐसे लोग जो किसी एक या दो लोगों के संपर्क में रहना चाहते हैं।
  - ऐसे लोगों का एक ही घर में रहना अनिवार्य ही नहीं है परंतु उनका एक ही इलाके का होना अनिवार्य है।
  - इस मॉडल के तहत यदि किसी व्यक्ति में COVID-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उस स्थिति में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये समूह के सभी लोगों को क्वारंटीन (Quarantine) कर दिया जाएगा।
- इस छूट का उद्देश्य COVID-19 संक्रमण की श्रृंखला के खतरे को सीमित रखते हुए लोगों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभावों को कम करना था।
- पिछले माह यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom- UK) में लॉकडाउन को समाप्त करने की रणनीति के तहत लोगों को अपने अलावा एक और परिवार के लोगों को अपने समूह में जोड़ने की अनुमति दी गई।

प्रभाव:

- 'लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस' (London School of Economics and Political Science) द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार, सोशल बबल्स की अवधारणा न्यूज़ीलैंड के मामले में प्रभावी साबित हुई, क्योंकि इसके माध्यम से अलग-थलग, कमज़ोर या किसी परेशानी में रह रहे लोगों को आवश्यक देखभाल और सहायता उपलब्ध कराई जा सकी।
- इसके अतिरिक्त यह नीति विश्व के अन्य देशों में भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिये प्रेरित करते हुए उन्हें आवश्यक देखभाल और सहायता उपलब्ध कराने में प्रभावी हो सकती है।

नोट :

लाभ:

- इस प्रक्रिया के माध्यम से COVID-19 या किसी अन्य संक्रामक बीमारी के प्रसार की संभावनाओं को सीमित करते हुए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को कम करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- साथ ही इसके माध्यम से प्रतिबंधों में अधिक सख्ती रखे बगैर संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है।
- 'सोशल बबल' को नियोक्ताओं द्वारा विभागों या कार्य इकाइयों में कर्मचारियों के समूह बनाकर लागू किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये- अस्पतालों और अतिआवश्यक कर्मचारियों के मामलों में अलग-अलग पाली/सिफ्ट (Sift) में एक ही समूह के लोगों को तैनात कर संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है।
- इस अध्ययन के लेखकों के अनुसार, ऐसे छोटे समूहों में संक्रमण का खतरा बहुत ही कम होगा और यदि समूह का कोई व्यक्ति संक्रमित भी हो जाता है तो इसका प्रसार अन्य समूहों में नहीं होगा।

निष्कर्ष: वर्तमान में COVID-19 के किसी प्रमाणिक उपचार के अभाव में इस बीमारी के प्रसार को रोकना अति महत्त्वपूर्ण है। COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये विश्व के विभिन्न देशों में लागू लॉकडाउन के दौरान लोगों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में 'सोशल बबल' के माध्यम से इस बीमारी के प्रसार के खतरों को सीमित करते हुए लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

ऑनलाइन विवाद समाधान' को बढ़ावा देना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग (National Institution for Transforming India- NITI Aayog) ने 'आगामी और ओमिदयार नेटवर्क इंडिया' (Agami and Omidyar Network India) के साथ मिलकर 'ऑनलाइन विवाद समाधान' (Online Dispute Resolution- ODR) को आगे बढ़ाने हेतु वर्चुअल बैठक आयोजित की गई ।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि वर्चुअल बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रमुख सरकारी मंत्रालयों के सचिव, उद्योगजगत के अग्रणी लोग, कानून के विशेषज्ञ और प्रमुख उद्यमियों ने भाग लिया।
- इस बैठक का सामान्य विषय भारत में 'ऑनलाइन विवाद समाधान' को आगे बढ़ाने के प्रयास सुनिश्चित करने के लिये सहयोगपूर्ण रूप से कार्य करने की दिशा में बहु-हितधारक सहमति कायम करना था।
- 'ऑनलाइन विवाद समाधान' (Online Dispute Resolution- ODR):
  - ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र से तात्पर्य वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternate Dispute Resolution- ADR) की डिजिटल तकनीक का उपयोग कर विशेष रूप से छोटे और मध्यम किस्म के विवादों का बातचीत, बीच-बचाव और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करना है।
  - इस विधि में विवादों के समाधान की सुविधा के लिये सभी पक्षों द्वारा ऑनलाइन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है।
  - ऑनलाइन विवाद समाधान विवादों को कुशलतापूर्वक और किफायती तरीके से सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है।
  - 'ऑनलाइन विवाद समाधान' सुविधाजनक, सटीक, समय की बचत करने वाला और किफायती है।

ऑनलाइन विवाद समाधान की आवश्यकता क्यों ?

- भारतीय न्यायपालिका देश में लंबित मामलों में हो रही वृद्धि की समस्या से जूझ रही है तथा जजों की कमी से नागरिकों को भी समय पर न्याय नहीं मिल पाता है।
- इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय को भी सामान्य मामलों से मुक्ति की ज़रूरत है ताकि वह अपने संविधान के आदर्शों को बनाए रखने के कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके।
- न्यायालय की प्रक्रिया आम आदमी हेतु आर्थिक दृष्टि से वहनीय नहीं होती तथा सुनवाई हेतु कई बार न्यायालय में उपस्थित होने से इनकी आजीविका भी प्रभावित होती है।

नोट :

ऑनलाइन विवाद समाधान के लाभ:

- न्यायालय के लंबित मामलों में कमी आएगी।
- नागरिकों की न्याय तक सुलभ और सस्ती पहुँच सुनिश्चित होगी।
- 'ऑनलाइन विवाद समाधान' से मुकदमों को हल करने में तेज़ी आएगी तथा नागरिकों को त्वरित न्याय की प्राप्ति होगी।
- न्यायालयों की अवसंरचना संबंधी खर्च में कमी आएगी।
- सुविधाजनक, सटीक, समय की बचत और लागत-बचत।

ऑनलाइन विवाद समाधान के चुनौतियाँ:

- देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुँच एक बड़ी समस्या है, जिसका समाधान किये बिना ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र के विस्तार की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
- भारत में ऑनलाइन मध्यस्थता के कार्यान्वयन की राह में शिक्षा की कमी और प्रौद्योगिकी तक पहुँच न होना एक और बड़ी समस्या है।
- तकनीक का असमान वितरण अर्थात् सभी तक तकनीक की एक जैसी पहुँच न होना भी 'ऑनलाइन विवाद समाधान' के राह की एक अन्य बड़ी बाधा है।
- विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और ई-कॉमर्स के अवसरों का असमान वितरण इस तंत्र की स्वीकृति और मान्यता को बाधित करता है।

वर्तमान परिदृश्य में महत्त्व:

- COVID-19 महामारी के पश्चात् नागिरिकों को न्याय तक कुशल और किफायती पहुँच उपलब्ध कराने हेतु 'ऑनलाइन विवाद समाधान' के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।
- COVID-19 महामारी के दौरान ODR के माध्यम से COVID-19-संबंधी विवादों (विशेष रूप से ऋण, ऋण, संपत्ति, वाणिज्य और खुदरा क्षेत्र में) का निपटारा करना जो आर्थिक पुनरुद्धार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आगे की राह:

- भविष्य में न्यायपालिका के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये उचित उपाय किये जाने चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान केवल एक सिद्धांत बनकर रह जाएगा।
- नागरिकों को सूचना एवं तकनीक से जोड़ने हेतु उन्हें प्रशिक्षित करने के प्रयास किये जाने चाहिये।
- भविष्य एक हाइब्रिड मॉडल होगा जो वास्तविक और आभासी दुनिया का सबसे अच्छा संयोजन होगा। हाइब्रिड सिस्टम के क्रियान्वयन हेतु न्याय वितरण की पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से तैयार करना होगा।

क्यू.एस. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग- 2021 जारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (QS World University Rankings) सूची जारी की गई जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (Indian Institute of Technology-IIT Bombay) ने 172वाँ स्थान प्राप्त कर लगातार तीसरे वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना रहा।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि 'क्यू.एस. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' की 1000 वैश्विक संस्थानों की सूची में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या घटकर 21 हो गई है।
- इस सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (Indian Institute of Technology-IIT Bombay) की रैंकिंग में 20 स्थान की गिरावट हुई है।

नोट :

- केवल IIT- गुवाहाटी और IIT- हैदराबाद की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
- भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्रों के अनुपात के संदर्भ में छह मापदंडों में से शून्य अंक प्राप्त हुए हैं।
- IIT- दिल्ली की रैंक 10 स्थान की कमी के साथ 193 हो गई, जबकि IIT- मद्रास की रैंक 275 रही।
- IIT- खड़गपुर और IIT-कानपुर दोनों शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों से बाहर हो गए हैं। IIT-रुड़की ने 383 पर अपनी रैंकिंग बनाए रखी, जबकि IIT- गुवाहाटी का स्थान 491 से घटकर 470 पर आ गया है।
- गौरतलब है कि IIT- हैदराबाद 'क्यू.एस. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' की शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में पहली बार प्रवेश किया है।
- BITS पिलानी और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची से बाहर हो गए हैं।
- ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (OP Jindal Global University) की रैंकिंग 650-700 के बीच है, जो कि पिछले वर्ष ही 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल हुआ था।
- शीर्ष 500 में शामिल विश्वविद्यालयों में अन्य भारतीय संस्थान इस प्रकार हैं-

संस्थान	क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग
IIT-बॉम्बे	172
भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc)	185
IIT- दिल्ली	193
IIT-मद्रास	275
IIT-खड़गपुर	314
IIT-कानपुर	350
IIT-रुड़की	383
IIT-गुवाहाटी	470

संस्थानों का पक्ष:

- कुछ संस्थानों की रैंकिंग में मामूली गिरावट कठोर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कारण आई है।
- भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्रों के अनुपात के संदर्भ में छह मापदंडों में से शून्य अंक इसलिये प्राप्त हुए हैं क्योंकि भारत में इसकी गणना में केवल पूर्णकालिक शिक्षकों को ही शामिल किया गया है, जबकि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पी.एच.डी. छात्रों और अनुसंधान सहायकर्त्ताओं की भी गणना की गई है।

क्यू.एस. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (QS World University Rankings)

- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी।
- QS महत्त्वाकांक्षी पेशेवरों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रमुख वैश्विक कैरियर तथा शैक्षणिक नेटवर्क है।
- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग का प्रकाशन करता है।

आगे की राह:

- एक समिति का गठन कर संस्थानों के प्रदर्शन का आंकलन करने के साथ ही इनके रैंकिंग में सुधार हेतु उचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।
- भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण क्षमता बढ़ाने हेतु और दुनिया भर के अधिक प्रतिभाशाली छात्रों और शिक्षकों को आकर्षित करने के तरीके खोजने होंगे।

नोट :

कृष्णा तथा गोदावरी नदी जल विवाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'जल संसाधन विभाग' (Department of Water Resources) ने कृष्णा तथा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्डों (Krishna and Godavari River Management Boards) के अध्यक्षों को महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का विवरण एक माह में केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश द्वारा कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के जल उपयोग को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के बाद केंद्र सरकार ने इन नदियों के जल उपयोग का जायजा लेने का निर्णय लिया है।
- इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि क्या भविष्य में इन नदियों पर जल परियोजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिये अथवा या नहीं।
- कृष्णा और गोदावरी नदी पर अधिकतर बड़ी परियोजनाएँ महाराष्ट्र एवं कर्नाटक सरकार द्वारा बनाई जा गई है जबकि तेलंगाना ने भी इन नदियों पर कई लघु परियोजनाओं को शुरू किया हैं।
- आंध्र प्रदेश में वर्तमान में किसी नवीन परियोजना पर कार्य नहीं किया जा रहा है यद्यपि राज्य मंर इन नदियों के जल का अधिकतम उपयोग करने के लिये पुरानी कई अधूरी परियोजनाओं पर तेज़ी से कार्य किया जा रहा है।

विवाद समाधान के प्रयास:

- कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु अब तक 2 न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है जबकि गोदावरी नदी विवाद को सुलझाने के लिये एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया था।

कृष्णा नदी जल विवाद:

- कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में 'कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण' (Krishna Water Disputes Tribunal- KWDT) की स्थापना की गई थी।
  - KWDT ने कृष्णा नदी के 2060 हजार मिलियन घन फीट (Thousand Million Cubic Feet-TMC) जल में से महाराष्ट्र के लिये 560 TMC, कर्नाटक के लिये 700 TMC और आंध्र प्रदेश के लिये 800 TMC निर्धारित किया था।
- वर्ष 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई जिसने वर्ष 2010 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2010 में दिये गए निर्णय में अधिशेष जल का 81 TMC महाराष्ट्र को, 177 TMC कर्नाटक को तथा 190 TMC आंध्र प्रदेश के लिये आवंटित किया गया था।
- जबकि आंध्र प्रदेश का मानना है कि संपूर्ण अधिशेष 448 TMC जल पर उसका अधिकार था। अत: आंध्र प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की गई।

कृष्णा नदी तंत्र:

- कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी (गोदावरी के बाद) प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्रि में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है।
- इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है।
- कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।
- इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश (संयुक्त) में पड़ता है।

गोदावरी नदी जल विवाद:

- 'गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण' (Godavari Water Disputes Tribunal) का गठन अप्रैल, 1969 में किया गया था तथा न्यायाधिकरण ने जुलाई, 1980 में अपना निर्णय दिया।
- गोदावरी नदी विवाद में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य शामिल थे।

नोट :

गोदावरी नदी:

- गोदावरी प्रायद्वीपीय भाग का सबसे बड़ा नदी तंत्र है।
- यह महाराष्ट्र में नासिक ज़िले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है।
- इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में 20% भाग मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्रप्रदेश में पड़ता है।
- पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच नदी विवाद का कारण:

- कृष्णा और गोदावरी तथा उनकी कुछ सहायक नदियाँ तेलंगाना तथा आंध्रप्रदेश से होकर बहती हैं। इन राज्यों द्वारा 'नदी जल प्रबंधन बोर्ड' तथा 'केंद्रीय जल आयोग' (Central Water Commission) की मंज़ूरी के बिना अनेक नवीन जल परियोजनाओं को शुरू किया गया है।
- उदाहरण के लिये आंध्र प्रदेश द्वारा कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध की क्षमता में वृद्धि की गई है। इसके चलते तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
- इसके बाद आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना की कृष्णा नदी पर पलामुरू-रंगारेड्डी (Palamuru-Rangareddy) और दिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं (Dindi Lift Irrigation Schemes) तथा गोदावरी नदी पर प्रस्तावित बांधों यथा कालेश्वरम, तुपकुलगुडेम की शिकायत की है।
- आंध्र प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय में एक 'विशेष अनुमति याचिका' (Special Leave Petition- SLP) भी दायर की है, जो अभी लंबित है।

केंद्र सरकार के निर्णय का महत्त्व:

- प्रत्येक राज्य में चलाई जा रही परियोजनाओं के आँकड़ों के आधार पर यह विश्लेषण किया जा सकेगा कि कौन-से राज्यों द्वारा न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन किया जा रहा है।
- आंध्र प्रदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मे दायर की गई SLP में यह की मांग की गई थी कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण में तेलंगाना को एक अन्य पक्ष के रूप में शामिल किया जाए और कृष्णा नदी के जल को तीन के बजाय चार राज्यों में पुन: आवंटित किया जाए। अत: सरकार इस मांग पर भी पुनर्विचार कर सकती है।

वंशधारा नदी जल विवाद

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2009 से आंध्रप्रदेश तथा ओडिशा राज्य के मध्य उत्पन्न 'वंशधारा जल विवाद' (Vamsadhara Water Dispute) के समाधान को लेकर शीघ्र ही आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा ओडिशा सरकार से वार्ता की बात की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्तमान आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र ही वंशधारा और नागावल्ली नदी की इंटर-लिंकिंग को भी पूरा किया जाना तथा 'मड्डुवालासा परियोजना' (Madduvalasa Project) का भी विस्तार किये जाने की योजना बनायी जा रही है।
- मड्डुवालासा परियोजना आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले में एक मध्यम सिंचाई परियोजना है।
- इस परियोजना का जलग्रहण क्षेत्र श्रीकाकुलम और विजयनगरम दो ज़िलों में फैला हुआ है।
- इस परियोजना के जलाशय के लिये पानी का मुख्य स्रोत सुवर्णमुखी नदी की सहायक नदी नागवल्ली नदी में एक इंटरलिंक बनाकर की जा रही है।

नोट :

विवाद की पृष्ठभूमि:

- ओडिशा राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2009 में 'अंतरराज्यीय नदी जल विवाद' (ISRWD) अधिनियम,1956 की धारा 3 के अंतर्गत वंशधारा नदी जल विवाद के समाधान के लिये अतंर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण के गठन के लिये केंद्र सरकार को एक शिकायत दर्ज़ की गई थी।
- ओडिशा सरकार का पक्ष था कि आंध्र प्रदेश के कटरागार में वंशधारा नदी पर निर्मित तेज़ बहाव वाली नहर के निर्माण के कारण नदी का विद्यमान तल सूख जाएगा जिसके परिणामस्वरूप भूजल और नदी का बहाव प्रभावित होगा।
- दोनों राज्यों के मध्य उत्पन्न इस विवाद को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में केंद्र सरकार को जल विवाद अधिकरण को गठित करने के निर्देश दिया अत: सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 में एक 'जल विवाद अधिकरण' का गठन किया गया।
- अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय के विरुद्ध वर्ष 2013 ओडिशा सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई जो अभी लंबित है।

नदी जल विवाद संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- सविधान का अनुच्छेद- 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है।
- इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा दो कानून पारित किये गए हैं-
- नदी बोर्ड अधिनयम (1956) तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनयम(1956)
- अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनयम, केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बँटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित दो अथवा दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी विवाद के न्यायनिर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायाधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान करता है। गठित न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा जो सभी पक्षों के लिये मान्य होगा।

वंशधारा नदी:

- यह नदी ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच प्रवाहित होती है।
- नदी का उद्गम ओडिशा के कालाहांडी ज़िले के थुआमुल रामपुर से होता है।
- लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह आंध्र प्रदेश के कालापटनम ज़िले से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है।
- इस नदी के बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र लगभग 10,830 वर्ग किलोमीटर है।

आगे की राह:

- विवाद के समाधान के लिये दोनों ही राज्यों को पहल करनी होगी तथा गठित जल विवाद न्यायाधिकरण एवं सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय को स्वीकार करना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त दोनों ही पक्षों को वंशधारा परियोजना के चरण-II के लाभ को भी समझना होगा जिसके चलते कम-से-कम दो लाख एकड़ भूमि को सिंचित किया गया है। राज्यों के आर्थिक विकास को पर्यावरण एवं किसानों के हित से भी जोड़ा जाना आवश्यक है।

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2019-20

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण' (Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) द्वारा 'राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2019-20' (State Food Safety Index, 2019-20) जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देश के बड़े राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे।
- इस सूचकांक में छोटे राज्यों में गोवा पहले जबकि मणिपुर और मेघालय क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ जबकि इसी श्रेणी में दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह को क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।

नोट :

- इस सूचकांक को 7 जून, 2020 को 'विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस' के अवसर पर एक वेबिनार के माध्यम से जारी किया गया था।
- इस आयोजन का विषय 'खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार' (Food Safety is Everyone's Business) रखा गया था।

खाद्य सुरक्षा पर FSSAI के प्रयास:

- इस अवसर पर FSSAI द्वारा 'ईट राइट ड्यूरिंग COVID-19' (Eat Right during COVID-19) शीर्षक से एक हैंडबुक जारी की गई।
- इसमें नियमित रूप से पालन की जाने वाली खाद्य सुरक्षा की आदतों को रेखांकित किया गया है और स्वास्थ्य तथा पोषण के संबंध में आवश्यक सुझाव भी दिये गए हैं।
- वर्तमान में COVID-19 महामारी के बीच खाद्य पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये FSSAI द्वारा महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
- इस वेबिनार के माध्यम से FSSAI द्वारा 'COVID-19 महामारी के दौरान खाद्य व्यवसायों के लिये खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा दिशा-निर्देश' (Food Hygiene and Safety Guidelines for Food Businesses during the COVID-19 pandemic) नामक एक अद्यतन विस्तृत मार्गदर्शन नोट जारी किया गया।
- इस दस्तावेज़ में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये स्वच्छता और सफाई की आवश्यकताओं, प्रबंधन की ज़िम्मेदारी और क्षेत्र विशिष्ट की ज़रूरतों को रेखांकित किया गया है।

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक:

- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण' द्वारा जारी किया जाता है।
- इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के पाँच मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है:
  1. मानव संसाधन और संस्थागत डेटा
  2. अनुपालन
  3. खाद्य परीक्षण सुविधा
  4. प्रशिक्षण
  5. उपभोक्ता संरक्षण के लिये क्षमता निर्माण
- 'राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2019-20' FSSAI के द्वारा दूसरी बार जारी किया गया है।
  - ध्यातव्य है कि इस सूचकांक की शरुआत वर्ष 2019 में पहले 'विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस' के अवसर पर की गई थी।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण' (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI):

- FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के तहत वर्ष 2008 में की गई थी।
- FSSAI की स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- FSSAI पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का कार्य करता है।
- साथ ही FSSAI खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

नोट :

इंडिया रैंकिंग्स , 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development-MHRD) द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework-NIRF) के तहत जारी 'इंडिया रैंकिंग्स 2020' (India Rankings 2020) में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT-Madras) को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के रैंकिंग फ्रेमवर्क में देश भर के कुल 3,771 संस्थान पंजीकृत किये गए हैं, जो कि बीते वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक हैं।
- यह भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग का लगातार पाँचवाँ संस्करण है। वर्ष 2020 में पहले की नौ रैंकिंग के अलावा 'डेंटल' (Dental) श्रेणी को पहली बार शामिल किया गया, जिससे इस वर्ष कुल श्रेणियों की संख्या दस हो गई है।

इस प्रकार की रैंकिंग का महत्त्व

- इस प्रकार की रैंकिंग से छात्रों को कुछ मापदंडों के आधार पर विश्वविद्यालयों का चयन करने में सहायता मिलती है।
- इस रैंकिंग के माध्यम से विश्वविद्यालयों को विभिन्न रैंकिंग मापदंडों पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अनुसंधान तथा सुधार के क्षेत्रों में खामियों की पहचान करने में मदद मिलती है।
- राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों की रैंकिंग संस्थानों के बीच बेहतर प्रदर्शन करने और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में उच्च रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिये प्रतिस्पर्द्धात्मक भावना पैदा करती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यह रैंकिंग निम्नलिखित श्रेणियों में जारी की गई है-

समग्र

- पहला स्थान: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (IIT-Madras)
- दूसरा स्थान: भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु (IISc-Bengaluru)
- तीसरा स्थान: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT-Delhi)

विश्वविद्यालय

- पहला स्थान: भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु (Indian Institute of Science, Bengaluru)
- दूसरा स्थान: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (Jawaharlal Nehru University)
- तीसरा स्थान: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी (Banaras Hindu University)

इंजीनियरिंग

- पहला स्थान: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (Indian Institute of Technology Madras)
- दूसरा स्थान: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (Indian Institute of Technology Delhi)
- तीसरा स्थान: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (Indian Institute of Technology Bombay)

प्रबंधन

- पहला स्थान: भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (Indian Institute of Management Ahmedabad)
- दूसरा स्थान: भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर (Indian Institute of Management Bangalore)
- तीसरा स्थान: भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता (Indian Institute of Management Calcutta)

नोट :

कॉलेज

- पहला स्थान: मिरांडा हाउस, दिल्ली (Miranda House, Delhi)
- दूसरा स्थान: लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, नई दिल्ली (Lady Shri Ram College for Women, New Delhi)
- तीसरा स्थान: हिंदू कॉलेज, दिल्ली (Hindu College, Delhi)

फार्मेसी (Pharmacy)

- पहला स्थान: जामिया हमदर्द, नई दिल्ली (Jamia Hamdard, New Delhi)
- दूसरा स्थान: पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ (Panjab University, Chandigarh)
- तीसरा स्थान: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली (National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Mohali)

मेडिकल

- पहला स्थान: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (All India Institute of Medical Sciences, New Delhi)
- दूसरा स्थान: पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh)
- तीसरा स्थान: क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर (Christian Medical College, Vellore)

वास्तुकला

- पहला स्थान: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (Indian Institute of Technology Kharagpur)
- दूसरा स्थान: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की (Indian Institute of Technology Roorkee)
- तीसरा स्थान: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट (National Institute of Technology Calicut)

कानून

- पहला स्थान: नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलुरु (National Law School of India University, Bengaluru)
- दूसरा स्थान: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली (National Law University, New Delhi)
- तीसरा स्थान: नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद (Nalsar University of Law, Hyderabad)

डेंटल

- पहला स्थान: मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज़, दिल्ली (Maulana Azad Institute of Dental Sciences, Delhi)
- दूसरा स्थान: मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज़, उडुपी (Manipal College of Dental Sciences, Udupi)
- तीसरा स्थान: डॉ डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, पुणे (Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Pune)

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework-NIRF)

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework - NIRF) को सितंबर, 2015 में शुरू किया गया था।
- इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत देशभर के शैक्षणिक संस्थानों को उनकी गुणवत्ता एवं प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिये एक पद्धति की रूपरेखा तैयार की जाती है।
- शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करने के लिये कुछ विशेष मानक तय किये गए हैं। इन मानकों में आम तौर पर 'शिक्षण, शिक्षा और संसाधन' (Teaching, Learning and Resources), 'अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (Research and Professional Practices), 'स्नातक परिणाम' (Graduation Outcomes), 'आउटरीच और समावेशिता' (Outreach and Inclusivity) और 'अनुभूति' (Perception) आदि को शामिल किया जाता हैं।

नोट :

नेचर इंडेक्स- 2020

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार के 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science & Technology) के तीन स्वायत्त संस्थानों सहित भारत के शीर्ष 30 संस्थानों को 'नेचर इंडेक्स- 2020' (Nature Index- 2020) में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'नेचर इंडेक्स', 82 उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित शोधलेखों के आधार पर तैयार किया जाने वाला डेटाबेस है।
- ये डेटाबेस 'नेचर रिसर्च' (Nature Research) द्वारा संकलित किया गया है।
- 'नेचर रिसर्च' अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी 'स्प्रिंगर नेचर' (Springer Nature) का एक प्रभाग है।
- 'नेचर इंडेक्स' में विभिन्न संस्थाओं की वैश्विक, क्षेत्रीय तथा देशों के अनुसार रैंकिंग जारी की जाती है।

नेचर इंडेक्स-2020 में शामिल भारतीय संस्थान:

- नेचर इंडेक्स-2020 में विभिन्न विश्वविद्यालयों, 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों' (Indian Institutes of Technology- IITs), 'भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों' (Indian Institutes of Science Education and Research- IISERs), अनुसंधान संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं सहित 30 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है।
- सूचकांक में DST के तीन स्वायत संस्थान 'विज्ञान आधारित कृषि के लिये भारतीय संघ' (Indian Association for the Cultivation of Science- IACS), कोलकाता 7वें स्थान पर, 'जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र' (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research- JNCASR), बंगलौर 14 वें स्थान पर और 'एस. एन. बोस बुनियादी विज्ञान के लिये राष्ट्रीय केंद्र' (S. N. Bose National Centre for Basic Sciences), कोलकाता 30 वें स्थान पर हैं।
- वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो 'वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद' (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR), 160 वें स्थान तथा 'भारतीय विज्ञान संस्थान' (Indian Institute of Science- IISc), बंगलौर 184वें स्थान के साथ शीर्ष 500 रैंकिंग में शामिल होने वाले अग्रणी भारतीय संस्थान हैं।

'नेचर इंडेक्स' के आधार:

- नेचर इंडेक्स तैयार करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है:
  - किसी संस्थान द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य;
  - संस्थान का विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान;
  - संस्थान का उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान में एक-दूसरे के साथ सहयोग तथा समय के साथ किया जाने वाला बदलाव;

भारत में शोध की खराब स्थिति का कारण:

- भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली पिछले कुछ दशकों से यथास्थिति में बनी हुई है। अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता तथा उस तक छात्रों की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में कोई क्रांतिकारी प्रयास नहीं किये गए हैं।
- भारत की 1.3 बिलियन आबादी में से वर्ष 2015 में प्रति मिलियन जनसंख्या पर केवल 216 शोधकर्त्ता थे। भारत में अनुसंधान पर निवेश सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.62 प्रतिशत है। चीन, सकल घरेलू उत्पाद का 2.11 प्रतिशत से अधिक अनुसंधान पर निवेश करता है तथा प्रति मिलियन जनसंख्या पर 1,200 शोधकर्त्ता हैं।
- वर्ष 2018 में PhD कार्यक्रमों के नामांकित छात्रों की संख्या 161,412 थी जो देश में उच्च शिक्षा में कुल छात्र नामांकन का 0.5 प्रतिशत से भी कम है।

नोट :

सरकार द्वारा किये गए प्रयास:

- भारत सरकार ने वर्ष 2013 में शोधकर्त्ताओं की संख्या को बढ़ावा देने के लिये 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan) शुरू किया गया था।
- वर्ष में 2015 में 'राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क' (National Institutional Ranking Framework- NIRF) विभिन्न मापदंडों के आधार विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों की रैंकिंग निर्धारित करने के लिये प्रारंभ किया गया था।
- भारत सरकार ने 'इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस' (Institutes of Eminence- IoE) योजना के तहत विश्व स्तर के विश्वविद्यालय बनने के लिये 20 संस्थानों का समर्थन करने का निर्णय लिया है।
- वर्ष 2018 के वार्षिक बजट में 16.5 बिलियन रुपए के प्रारंभिक बजट आवंटन के साथ 'प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता' (Prime Ministers Research Fellowship) योजना की घोषणा की गई।

आगे की राह:

- स्नातक से पूर्व शोध कार्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। क्योंकि इससे छात्र अधिगम, स्नातक शिक्षा में नामांकन, रचनात्मकता, समस्या समाधान कौशल, बौद्धिक स्वतंत्रता आदि में वृद्धि होती है।
- शोध कार्यक्रमों की प्रकृति को बहुअनुशासित बनाए जाने की आवश्यकता है। ताकि विषयों का चुनाव, परिसरों तथा बाहरी संगठनों के बीच छात्रों की गतिशीलता की अनुमति मिल सके।
- विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यों को केंद्र में रखा जाना चाहिये तथा शोध प्रकाशन को बढ़ावा देना चाहिये।

निष्कर्ष:

- भारत वर्तमान में 'इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ', 'स्टडी इन इंडिया' जैसे कार्यक्रमों के साथ ही एक 'नई शिक्षा नीति' तैयार करके वैश्विक स्तर पर शिक्षा में स्थति को सुधारने की दिशा में कार्य कर रहा है। भारत एक समृद्ध 'जनसांख्यिकीय लाभांश' वाला देश है, यदि इसका सदुपयोग किया गया तो यह देश को 'ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था' बनाने में योगदान कर सकता है।

आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद-32 के तहत दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है।

प्रमुख बिंदु:

- याचिका में तमिलनाडु में मेडिकल पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण नहीं देने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
- याचिका में तमिलनाडु के शीर्ष नेताओं द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' (National Eligibility Cum Entrance Test- NEET) में राज्य के लिये आरक्षित सीटों में से 50% सीटें 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (OBC) हेतु आरक्षित करने के लिये केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत एक याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में दायर की जा सकती है।
- आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अत: आरक्षण नहीं देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्ताओं को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान करते हुए याचिका वापस लेने को कहा है।

नोट :

आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान:

- यद्यपि भारतीय संविधान के भाग-III के अंतर्गत अनुच्छेद 15 तथा 16 में आरक्षण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया हैं।
  - परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनुच्छेदों की प्रकृति के आधार पर इन्हे मौलिक अधिकार नहीं माना है। इसलिये इन्हें लागू करना राज्य के लिये बाध्यकारी नहीं हैं।
- आरक्षण की अवधारणा आनुपातिक नहीं, बल्कि पर्याप्त (Not Proportionate but Adequate) प्रतिनिधित्व पर आधारित है, अर्थात् आरक्षण का लाभ जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध कराने की बजाय पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये है।

विभिन्न वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्था:

- वर्तमान में सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (SC) के लिये 15%, अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये 7.5%, अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिये 27% तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के लिये 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है ।

रिट की व्यवस्था:

- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश में न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों तथा संविधान के संरक्षण का दायित्व प्रदान किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता प्रदान की गई है ।
- इन अनुच्छेदों के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार-प्रच्छा (Quo-Warranto) आदि रिट जारी की जा सकती है।

उच्च न्यायालय में रिट की अनुमति क्यों?

- उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट की सुनवाई से मना नहीं कर सकता जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सुनवाई के लिये याचिका स्वीकार करने से मना कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है।

निर्णय का महत्त्व:

- चूँकि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है अत: आरक्षण के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है।
- निर्णय के बाद आरक्षण संबंधी मामलों में रिट याचिका सीधे सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालयों में लगानी होगी क्योंकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामले भी शामिल होते हैं।

संविधान की नौवीं अनुसूची

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद-32 के तहत दायर याचिका पर कार्यवाही करने से इंकार करते हुए स्पष्ट किया कि 'आरक्षण एक मौलिक अधिकार' नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के साथ ही आरक्षण संबंधी कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार पुन: चर्चा में आ गई है।

पृष्ठभूमि

- ध्यातव्य है कि तमिलनाडु के तमाम राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर राज्य के मेडिकल पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत आरक्षण ने देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। साथ ही याचिका में संबंधित अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण की मांग भी की गई थी।

नोट :

- सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद-32 का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किया जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने प्रश्न किया कि मौजूदा मामले में किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है?
- सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद आरक्षण संबंधी प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित मांग की जा रही है, ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान किया जा सके।

संविधान की 9वीं अनुसूची

- 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं, जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह पहली बार था, जब संविधान में संशोधन किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त होता है।
- ध्यातव्य है कि नौवीं अनुसूची प्रकृति में पूर्वव्यापी (Retrospective) है, अर्थात न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि किसी कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा।
- पहले संविधान संशोधन के माध्यम से नौवीं अनुसूची में कुल 13 कानून शामिल किये गए थे, जिसके पश्चात् विभिन्न संविधान संशोधन किये गए और अब कानूनों की संख्या 284 हो गई है।

9वीं अनुसूची की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची ऐतिहासिक रूप से भारत में हुए भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है। भूमि सुधार का तात्पर्य भूमि के स्थायित्त्व और प्रबंधन के मौजूदा पैटर्न को बदलने हेतु किये गए संस्थागत सुधारों से है।
- जब भारत में भूमि सुधार शुरू हुए तो उन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के न्यायालयों में चुनौती दी गई, जिसमें से बिहार में न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया था।
- इस विषय परिस्थिति से बचने और भूमि सुधारों को जारी रखने के लिये सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन करने का फैसला किया।
- 8 मई, 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने अनंतिम संसद में प्रथम संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात् 16 मई, 1951 को यह विधेयक चयन समिति को भेज दिया गया।
- चयन समिति की रिपोर्ट के बाद 18 जून, 1951 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी के साथ ही यह विधेयक अधिनियम बन गया।

समीक्षा के दायरे में नौवीं अनुसूची

- 24 अप्रैल, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए निर्णय के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किये गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
  - न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि नौवीं अनुसूची के तहत कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी।
- इस संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि किसी भी कानून को बनाने और इसकी वैधानिकता तय करने की शक्ति किसी एक संस्था पर नहीं छोड़ी जा सकती।
- संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या न्यायपालिका को करनी है और उनकी वैधानिकता की जाँच संसद के बजाय न्यायालय ही करेगा।
- हालाँकि न्यायिक समीक्षा तभी संभव है जब कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा या फिर संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता हो।

नोट :

सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना

चर्चा में क्यों:

हाल ही में 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) द्वारा 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम' (National Cooperative Development Corporation- NCDC) की पहल 'सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना' (Sahakar Mitra: Scheme on Internship Programme) का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- देश को 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान के तहत स्वदेशी उत्पादों के प्रचार से संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 'सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया गया है।
- गौरतलब है कि 'सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना' के तहत 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)' ने क्षमता विकास, युवाओं को सवेतन इंटर्नशिप और स्टार्ट-अप मोड में युवा सहकारी कार्यकर्त्ताओं को उदार शर्तों पर सुनिश्चित परियोजना ऋणों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र संबंधी उद्यमिता विकास परिवेश में अनेक पहलें की हैं।
- 'सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना' शैक्षणिक संस्थानों के पेशेवरों को 'किसान उत्पादक संगठनों' (Farmers Producers Organizations- FPO) के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्त्व और उद्यमशीलता की भूमिकाओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करेगी।
- सहकार मित्र योजना युवा पेशेवरों के नवीन विचारों तक सहकारी संस्थाओं की पहुँच बनाने में मददगार साबित हो सकती है। इसके साथ ही युवाओं को 'फिल्ड वर्क' (क्षेत्र में कार्य करना) का अनुभव प्राप्त होगा जो उन्हें आत्मनिर्भर होने का विश्वास दिलाएगा।
- NCDC ने सहकार मित्र सवेतन इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु अलग से धनराशि आवंटित की है जिसके तहत प्रत्येक इंटर्न को 4 माह की इंटर्नशिप अवधि के दौरान वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- NCDC ने स्टार्ट-अप सहकारी उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिये एक पूरक योजना की भी शुरुआत की है।

पात्रता:

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और आईटी जैसे विषयों के पेशेवर स्नातक 'इंटर्नशिप' के लिये पात्र होंगे।
- कृषि-व्यवसाय, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन, इत्यादि में एमबीए की डिग्री के लिये पढ़ाई कर रहे या अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके युवा भी इसके लिये पात्र होंगे।

उद्देश्य:

- NCDC और सहकारी समितियों के कामकाज से युवाओं को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं सीखने का अवसर मिलेगा।
- युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 'सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना' का शुभारंभ किया गया है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation- NCDC)

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निगम के रुप में की गई थी।
- एनसीडीसी का उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन और सहकारी सिद्धांतों पर उत्पादित कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात तथा इससे संबंधित या आकस्मिक मामलों के लिये कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्द्धन करना है।

मेघालय का व्यवहार परिवर्तन संबंधी मॉडल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मेघालय के स्वास्थ्य विभाग ने एक नया स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जारी करते हुए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस (COVID-19) का एक स्पर्शोन्मुख वाहक (Asymptomatic Carrier) मान लेने की घोषणा की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार, इस प्रकार का निर्णय विभिन्न क्षेत्रों से मेघालय में वापस लौटने वाले हजारों प्रवासियों के कारण सामुदायिक प्रसारण (Community Transmission) के खतरे को रोकने के लिये सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है।
- नए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के मुताबिक, राज्य सरकार को स्वयं को इस दृष्टिकोण के साथ तैयार करना चाहिये कि राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) का सामुदायिक प्रसारण हो चुका है।

स्पर्शोन्मुख वाहक (Asymptomatic Carrier)

- स्पर्शोन्मुख वाहक (Asymptomatic Carrier) का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है, जो वायरस से संक्रमित तो हो चुका है, किंतु उसमें रोग से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है।
- ध्यातव्य है कि कई स्थानों पर ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहाँ एक व्यक्ति के SARs-CoV-2 (COVID-19) से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन वायरस से संबंधित कोई भी लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई नहीं दे रहा है।

इस प्रकार के दृष्टिकोण के पीछे की अवधारणा

- उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण आम लोगों में मुख्य रूप से दो प्रकार के भय उत्पन्न हुए हैं- (1) जीवन के नुकसान का भय (2) आजीविका के नुकसान का भय।
- इस प्रकार मेघालय सरकार एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करना चाहती है, जिसके माध्यम से लोग अपनी सुरक्षा कर सकें और साथ ही साथ अपनी आजीविका चला सकें, क्योंकि हमें यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि कोरोना वायरस (COVID-19) अभी लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा।
- राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जब एक बार लोग यह स्वीकार कर लेंगे कि वे कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित हैं तो उनके संपूर्ण व्यवहार में बदलाव आ जाएगा और वे अधिक सतर्क रहेंगे तथा अपने कार्यों के प्रति ज़िम्मेदार महसूस करेंगे, जिससे सामुदायिक प्रसारण के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।

कैसे लागू होगा मेघालय का यह मॉडल ?

- स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार, राज्य के सभी नागरिकों को तब तक 'A' श्रेणी का संक्रमित रोगी माना जाएगा जब तक कि निरंतर आधार पर उनका परीक्षण न किया जाए।
- 'A' श्रेणी के संक्रमित रोगी को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित तीन प्रथाओं का पालन करना होगा: (1) मास्क (Mask) का प्रयोग करना, समय-समय पर हाथों को स्वच्छ करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना।
- इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य की आबादी को मुख्यत: तीन वर्गों में विभाजित कर प्रशिक्षण मॉडल की एक श्रृंखला तैयार की है।
  - पहले वर्ग में 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को शामिल किया गया है।
  - दूसरे वर्ग में उन लोगों को शामिल किया गया है जो एक से अधिक विकार से प्रभावित हैं।
  - तीसरे वर्ग में उन लोगों को शामिल किया गया है जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे हैं, जैसे- विद्यार्थी और पेशेवर।
- राज्य सरकार द्वारा उक्त सभी वर्गों को प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण के अंत में, उन सभी लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
- वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो इस मॉडल के तहत राज्य के अन्य लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, इसमें सरकारी विभागों के अधिकार, गाँव के मुखिया, स्कूलों के शिक्षक और बाज़ारों संघों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं।
- ध्यातव्य है कि प्रशिक्षण में प्रत्येक सेक्टर से संबंधित नियम उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के आधार पर अलग-अलग होंगे।
- प्रशिक्षण के अतिरिक्त सभी वर्ग के लोगों को हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी जैसे विषयों से संबंधित मॉडल प्रश्नों का सेट भी प्रदान किया जाएगा।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि मॉडल प्रश्नों के सेट को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दैनिक गतिविधियों के आधार पर स्वयं को जाँच सकता है।

आगे की राह

- उल्लेखनीय है कि लोगों को डरा कर या भय के माध्यम से उनका व्यवहार परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, संभवत: मेघालय के स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिज़ाइन किया गया यह मॉडल भी इसी विचार पर आधारित है।
- इस मॉडल के अंतर्गत आम लोगों के दैनिक जीवन में कुछ सामान्य परिवर्तन कर उनके व्यवहार परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है।
- आवश्यक है कि आगामी समय में मेघालय के मॉडल की सफलता का आकलन किया जाए और व्यवहार परिवर्तन से संबंधित इस मॉडल में यथासंभव परिवर्तन कर इसे देश के अन्य क्षेत्रों में लागू करने पर भी विचार किया जाए।

न्यायालयों की आधिकारिक भाषा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 'हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम' (Haryana Official Language (Amendment) Act)- 2020 को चुनौती देने वाले याचिकाकर्त्ताओं को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील करने को कहा है।

प्रमुख बिंदु:

- याचिका में 'हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम' को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यह अधिनियम हिंदी को राज्य की निचली अदालतों में प्रयोग की जाने वाली एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करता है।

अधिनियम के मुख्य प्रवधान:

- 'हरियाणा राजभाषा अधिनियम' में आवश्यक परिवर्तन के लिये अधिनियम में एक नवीन उप-धारा 3(a) जोड़ी गई है।
- यह उप-धारा हरियाणा में, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल, आपराधिक तथा राजस्व न्यायालयों, किराया न्यायाधिकरणों तथा राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य न्यायाधिकरणों में केवल हिंदी भाषा में कार्य करने का प्रावधान करती है।
- अधिनियम की धारा-3 के अनुसार, हरियाणा राज्य के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिये हिंदी का उपयोग किया जाएगा केवल उन अपवादित कार्यों को छोड़कर, जिन्हें हरियाणा सरकार अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट करती है।

अनुच्छेद-345 तथा कार्यालयी भाषा:

- संविधान का अनुच्छेद-345 किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य एक या अधिक भाषाओं को कार्यालयों में अपनाने का अधिकार देता है।
- हरियाणा सरकार द्वारा, 'हरियाणा राजभाषा अधिनियम' को अनुच्छेद- 345 में की गई व्यवस्था के तहत बनाया गया है।

संशोधन का महत्त्व:

- निचली अदालतों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण हरियाणा राज्य में वादकारों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों को शिकायतों या अन्य दस्तावेज़ों की समझ के लिये पूरी तरह से वकीलों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण गवाहों को भी परेशान होना पड़ता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश को अंग्रेजी भाषा की अच्छी समझ नहीं होती है।

संशोधन के विपक्ष में तर्क:

- वकीलों का मानना है कि हिंदी को एकमात्र भाषा के रूप में लागू करने से वकीलों के दो स्पष्ट वर्ग बन जाएंगे।
  - प्रथम वे जो हिंदी भाषा में बहुत सहज हैं।
  - दूसरे वे जो हिंदी में सहज महसूस नहीं करते हैं।

नोट :

- याचिककर्त्ताओं का मानना है कि किसी भी मामले में बहस करने के लिये भाषा प्रवणता का किसी भाषा के सामान्य उपयोग की तुलना में बहुत अधिक महत्त्व है।
- यह संशोधन कानून समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) तथा किसी भी पेशे को चुनने की स्वतंत्रता, गरिमा तथा आजीविका के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- हाल ही में किये संशोधन के पीछे सरकार का यह तर्क था कि राज्य की निचली अदालतों में कानून की प्रैक्टिस करने वाले अधिकांश व्यक्ति हिंदी में दक्ष हैं जबकि वास्तविकता इससे काफी अलग है।
- हरियाणा में अनेक औद्योगिक केंद्र है तथा औद्योगिक विवाद के मामलों में हिंदी में बहस करना अनेक वकीलों के लिये आसान नहीं होगा। इससे वकीलों के व्यवसाय पर संकट मंडरा सकता है।

निष्कर्ष:

- हरियाणा मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्य है, जिसकी लगभग 100% आबादी हिंदी बोलती या समझती है। यह समझना उचित होगा कि न्यायपालिका का उद्देश्य लोगों क कल्याण है, न कि संस्थाओं के स्वार्थों की पूर्ति करना।

न्यायपालिका की भाषा संबंधी प्रावधान:

- संविधान में न्यायपालिका की भाषा के संबंध में अनुच्छेद- 348 में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं:

1. जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्था को न अपनाया जाए, उच्चतम व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही, केवल अंग्रेजी भाषा में होंगी।

2. हालाँकि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है।

  - परंतु न्यायालय के निर्णय,आज्ञा अथवा आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था न दे।

- राजभाषा अधिनियम- 1963 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायलय द्वारा दिये गए निर्णयों, पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न करना होगा।

21 जून: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्यों ?

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'ग्रीष्मकालीन संक्रांति' (Summer Solstice) के साथ 21 जून, 2020 को विश्व स्तर पर 6 वें 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'(International Yoga Day) का आयोजन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शरुआत कब से ?
  - विश्व स्तर पर सर्वप्रथम वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। इस वर्ष यह छठा अवसर है जब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है।
  - 11 दिसंबर 2014 को 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' के 69 वें सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस/ विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिये मान्यता दी गई थी।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व में योग को पहचान दिलाने एवं योग की महत्ता से विश्व को अवगत कराते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र में विश्व योग दिवस घोषित किये जाने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
  - प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 123 सदस्यों की इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को रखा गया जिसमे 177 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर इस प्रस्ताव को मज़ूरी दी गई थी।

नोट :

- 21 जून ही क्यों ?
  - भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार, ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, जिसके बाद 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है।
  - 21 जून को सूर्य कुछ शीघ्र उगता है तथा देर से डूबता है।
  - भारतीय परंपरा में दक्षिणायन के समय को आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिये बेहद अनुकूल समय माना जाता है।
  - 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस/विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने को मान्यता दी थी।
- वर्ष 2020 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम ?
  - वर्ष 2020 के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वास्थ्य के लिये योग- घर पर योग' (Yoga for Health-Yoga at Home) दी गई।
  - इस वर्ष COVID-19 महामारी के चलते लोगों को ऐसी थीम दी गई है, जो सेहत और स्वास्थय को बढ़ावा दे।
- क्या है योग ?स्वास्थ
  - 'योग' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है इसके अर्थ है- किसी व्यक्ति के शरीर एवं चेतना का मिलन या एकजुट होना।
  - योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी।
- आयुष मंत्रालय एवं योग:
  - वर्ष 2019 में 'आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी' (आयुष) (Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy- AYUSH) मंत्रालय द्वारा अपने 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' में, यम, नियमा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बन्ध और मुद्रा, सत्कर्म, युक्ताहार, मंत्र-जाप, युक्ता-कर्म जैसे लोकप्रिय योग 'साधना' को सूचीबद्ध किया गया है।
  - आयुष प्रोटोकॉल योग दिवस को 'फोल्डिंग हैंड लोगो' (Folding-Hands Logo) के साथ वर्णित करता है
  - हाथों की यह मुद्रा सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन, मन एवं शरीर, मनुष्य एवं प्रकृति के बीच एक परिपूर्ण सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिये एक समग्र दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है।
  - लोगो में प्रयुक्त भूरे रंग के पत्ते पृथ्वी तत्व, हरे पत्ते-अग्नि तत्व के तथा नीला रंग सूर्य की ऊर्जा एवं प्रेरणा के स्रोत का प्रतीक है।
- योग का महत्त्व:
  - योग को प्राचीन भारतीय कला के एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
  - जीवन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखने में योग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - वर्तमान समय में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से संपूर्ण विश्व त्रस्त है ऐसे समय में भी लोग अनुलोम-विलोम, प्राणायाम जैसी योग-विधियों के माध्यम से अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं।
  - इसके अलावा शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो या फिर मानसिक तनाव इन सभी को बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के ठीक करने में योग एक बहेतर विकल्प है, जिसे संपूर्ण विश्व विश्व द्वारा स्वीकारा जा रहा है।

गुप्त मतदान प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि गुप्त मतदान का सिद्धांत (Principle of Secret Ballot) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, किसी भी लोकतंत्र में गुप्त मतदान प्रणाली यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि मतदाता का चुनाव पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो।

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद आया है, जिसमें 25 अक्तूबर, 2018 को प्रयागराज ज़िला पंचायत की बैठक के निर्णय को रद्द कर दिया था, जिसमें पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था।
  - इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध हुए मतदान के दौरान निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हुई थी।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी जाँच में पाया था कि पंचायत के कुछ सदस्यों ने मतदान की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन किया था।

उच्च न्यायालय के विरुद्ध याचिकाकर्त्ताओं का तर्क

- सर्वोच्च न्यायालय में अपीलकर्त्ताओं ने तर्क दिया था कि मतपत्रों की गोपनीयता का सिद्धांत एक पूर्ण सिद्धांत नहीं है और इस विशेषाधिकार की स्वैच्छिक छूट अनुज्ञेय है।
- याचिकाकर्त्ताओं ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 94 का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदाता स्वैच्छिक रूप से मतपत्र की गोपनीयता के विशेषाधिकार को छोड़ सकता है, इस प्रकार मतदाता को इस सिद्धांत का पालन करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- मतपत्रों की गोपनीयता का सिद्धांत संवैधानिक लोकतंत्र की एक महत्त्वपूर्ण शर्त है, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के उद्देश्यों की प्राप्ति में काफी लाभदायक है।
- न्यायालय के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 94 मतदाता के पक्ष में एक विशेषाधिकार का प्रावधान करती है, जिसके तहत कोई भी उसे यह खुलासा करने के लिये मज़बूर नहीं कर सकता है कि उसने किसके पक्ष में मतदान किया था, किंतु तब यह विशेषाधिकार समाप्त हो जाता है जब मतदाता विशेषाधिकार का प्रयोग न करने का फैसला करता है और स्वयं ही इस बात का खुलासा करता है कि उसने किसके पक्ष में मतदान किया है।

गुप्त मतदान प्रणाली

- गुप्त मतदान प्रणाली का अभिप्राय मतदान की उस विधि से होता है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी मत गुप्त रूप से डाले जाएँ, ताकि मतदाता किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित न हो और मतदान के समय किसी को भी यह ज्ञात न हो कि विशिष्ट मतदाता ने किसे वोट दिया है।
- सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि गुप्त मतदान वह मतदान पद्धति है जिसमें मतदाता की पसंद गोपनीय होती है।
- भारत में गुप्त मतदान की शुरुआत वर्ष 1951 में पेपर बैलेट के साथ हुई थी।

गुप्त मतदान प्रणाली का महत्त्व

- भारतीय राजनीतिक प्रणाली, जिसमें चुनाव अभियानों के दौरान धन और 'बाहुबल' का प्रयोग एक आम बात हो गई है, में गुप्त मतदान प्रणाली उन लोगों के लिये एक मात्र रास्ता होता है, जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक हैं।
- गुप्त मतदान धन और बल की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है, ध्यातव्य है कि कई बार राजनेताओं द्वारा एक विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में मतदान करने के लिये मतदाताओं को मज़बूर किया जाता है और उन्हें धमकी दी जाती है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- इस प्रकार मतपत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक मतदाता किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग न करे।

नोट :

भारत में गुप्त मतदान प्रणाली से संबंधित समस्याएँ

- चुनाव संचालन नियम-1961 के नियम 59A में यह निर्धारित किया गया था मतगणना शुरू होने से पूर्व विभिन्न बूथों से आए पेपर मतपत्र मतगणना केंद्रों पर बड़े पैमाने पर एक साथ मिला दिये जाएंगे, जिससे किसी एक विशिष्ट बूथ से संबंधी सूचना प्राप्त करना संभव नहीं था।
- किंतु वर्ष 2008 से EVM की शुरुआत के साथ ही इस तरह का भौतिक मिश्रण संभव नहीं था अत: बूथ-स्तरीय डेटा प्राप्त करना अपेक्षाकृत काफी आसान हो गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर चुनाव में 'टोटलाइज़र' (Totaliser) मशीन के उपयोग का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था जिससे मतपत्र की गोपनीयता बनी रहती, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बिना सुनवाई किये ही इस याचिका को खारिज कर दिया।
  - ध्यातव्य है कि 'टोटलाइज़र' (Totaliser) मशीन मतगणना के समय एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी EVMs से प्राप्त मतों को एक साथ मिला देती है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

चर्चा में क्यों ?

'ग्रामीण विकास मंत्रालय' (Ministry of Rural Development) द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार, 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' (Sansad Adarsh Gram Yojana- SAGY) सांसदों की पर्याप्त रुचि के अभाव तथा धन की कमी से प्रभावित हो रही है।

प्रमुख बिंदु:

- यह अध्ययन पाँचवें 'सामान्य समीक्षा मिशन' (Common Review Mission- CRM) के एक भाग के रूप में किया गया है।
- 'सामान्य समीक्षा मिशन' ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करने का कार्य करता है।
- इस अध्ययन टीम में सेवानिवृत्त नौकरशाह, शिक्षाविद, और विभिन्न अनुसंधान संगठनों के सदस्य शामिल होते हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (Saansad Adarsh Gram Yojana- SAGY):

- वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र-निर्माण के हिस्से के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की गई थी।
- इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना है तत्पश्चात वर्ष 2019 तक तीन और वर्ष 2024 तक पाँच आदर्श ग्रामों का निर्माण करना था।

योजना के उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ज़िले में न्यूनतम एक आदर्श ग्राम का विकास करना था ताकि निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को उन उपायों को अपनाने के लिये प्रेरित कर सके।
- इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामों को कृषि, स्वास्थ्य, साफ-सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सशक्त बनाना था।

योजना के तहत गतिविधियाँ:

योजना की प्रगति:

- इस योजना में शुरुआत के कुछ महीनों के बाद से ही संसद के सदस्यों की भागीदारी में कमी देखी गई है। अब तक योजना के पाँच चरणों के तहत केवल 1,855 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जिसमें पाँचवें चरणों में केवल सात ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- अध्ययन के अनुसार, योजना का वर्तमान प्रारूप वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है तथा ग्रामीण अवसंरचना पर इस योजना का कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव दिखाई नहीं दिया है।

नोट :

- अनेक क्षेत्रों में 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' (Members of Parliament Local Area Development Scheme- MPLADS) योजना के तहत आवंटित निधि का बहुत कम उपयोग किया गया है।
- अनेक ग्राम पंचायतों में अवसंरचना कार्य धन की कमी से जूझ रहे हैं।
- यह विडंबना है कि अभी तक अनेक ग्राम जिनका आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया है, उन्हें अभी तक 'खुले में शौच मुक्त' (Open Defication Free- ODF) घोषित नहीं किया गया है।
- कुछ क्षेत्रों में MPLAD तथा मनरेगा योजना का अभिसरण SAGY योजना के साथ किया गया है जबकि अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार का अभिसरण देखने को नहीं मिलता है।

आगे की राह:

- योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिये योजना की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना न केवल ग्रामीण विकास के अवसर प्रदान करती है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है, इसलिये वर्तमान समय में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि ग्रामीण विकास की नवीन योजनाओं की परिकल्पना के साथ ही उनके क्रियान्वन पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए।

राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। ध्यातव्य है कि कुछ समय पूर्व कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के प्रकोप के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए कुछ सीटों पर मतदान स्थगित कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- जिन 19 सीटों पर मतदान का आयोजन किया गया, उनमें से लगभग सभी में मतदान का परिणाम काफी स्पष्ट रहा, हालाँकि मणिपुर में इस तथ्य को लेकर विवाद हुआ कि किसे चुनाव में मतदान की अनुमति दी जानी चाहिये तथा किसे नहीं।
- इस प्रकार के विवाद मुख्य रूप राज्यसभा चुनावों से संबंधित नियमों की अलग-अलग व्याख्या के कारण उत्पन्न होते हैं।
- ध्यातव्य है कि ऐसी कई विशेषताएँ हैं जो आम चुनावों और राज्यसभा के चुनावों को अलग करती हैं।

राज्यसभा सदस्यों के चयन की प्रक्रिया

- नियमों के अनुसार, केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। राज्य के विधायक प्रत्येक दो वर्ष में छह वर्ष के कार्यकाल के लिये राज्यसभा हेतु सदस्यों का चयन करते हैं।
- उल्लेखनीय है कि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
- इसके अतिरिक्त इस्तीफे, मृत्यु या अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उपचुनावों के माध्यम से भर जाता है, जिसके पश्चात् चुने गए लोग अपने पूर्ववर्तियों के शेष कार्यकाल को पूरा करते हैं।
- नियमों के अनुसार, राज्यसभा चुनाव के लिये नामांकन दाखिल करने हेतु न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है।
  - अन्य शब्दों में कहें तो एक या एक से अधिक दलों से संबंधित सांसदों का एक दल अपनी पसंद के सदस्य का चुनाव कर सकता है, यदि उनके पास अपेक्षित संख्याएँ हों तो।
- एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता एक ही वोट देता है, किंतु वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। अर्थात् वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली वरीयता कौन है और दूसरी तथा तीसरी वरीयता कौन है।

नोट :

- एक उम्मीदवार को जीतने के लिये पहली वरीयता के वोटों की एक निर्दिष्ट संख्या की आवश्यकता होती है।
- यदि पहले दौर की मतगणना में एक से अधिक उम्मीदवार निर्दिष्ट संख्या प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो दूसरे दौर की मतगणना की जाती है।

राज्यसभा में नहीं होता गुप्त मतदान

- राज्यसभा चुनावों के लिये खुली मतपत्र प्रणाली (Open Ballot System) होती है, किंतु इसके अंतर्गत खुलापन काफी सीमित रूप में होता है।
- क्रॉस-वोटिंग की जाँच करने के लिये एक ऐसी व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें प्रत्येक दल के विधायक को मतपेटिका में अपना मत डालने से पूर्व दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है।
- नियमों के अनुसार, यदि एक विधायक द्वारा स्वयं के दल के अधिकृत एजेंट के अतिरिक्त किसी अन्य दल के एजेंट को मतपत्र दिखाया जाता है तो वह मत अमान्य हो जाएगा। वहीं अधिकृत एजेंट को मतपत्र न दिखाना भी मत को अमान्य कर देगा।

राज्यसभा और NOTA

- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा 24 जनवरी, 2014 और 12 नवंबर, 2015 को दो परिपत्र जारी किये गए थे, जिसमें राज्यसभा चुनावों में नोटा (None of the Above- NOTA) के विकल्प के प्रयोग की बात की थी।
- हालाँकि 21 अगस्त, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जस्टिस ए.एम. खानविलकर तथा जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड की पीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि नोटा डीफेक्शन (Defection) को बढ़ावा देगा और इससे भ्रष्टाचार के लिये दरवाज़े खुलेंगे।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, नोटा को सिर्फ प्रत्यक्ष चुनावों में ही लागू किया जाना चाहिये।

राज्यसभा

- राज्यसभा अपने नाम के अनुरूप ही राज्यों का एक सदन होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्त्व करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं।
- राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है।
- राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता
  - व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
  - 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
  - किसी लाभ के पद पर न हो।
  - विकृत मस्तिष्क का न हो।
  - यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएँ निर्धारित करे तो यह ज़रूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करे।
- ध्यातव्य है कि राज्यसभा, लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्तापक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है।

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार के सामाजिक विकास कार्यक्रम मनरेगा (MGNREGA) के आधार पर झारखंड सरकार शहरी अकुशल श्रमिकों के लिये रोज़गार गारंटी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- झारखंड सरकार की इस योजना के तहत शहरी श्रमिक कम-से-कम 100 दिन का रोज़गार प्राप्त कर सकेंगे।
- ध्यातव्य है कि झारखंड सरकार की यह योजना अपने मूल उद्देश्य में भारत सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा कार्यक्रम से पूरी तरह विपरीत है।
  - जहाँ एक ओर केंद्र सरकार के मनरेगा कार्यक्रम में मुख्य रूप से अकुशल श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण वयस्कों को लक्षित किया गया है, वहीं झारखंड सरकार की इस योजना में राज्य के शहरी श्रमिकों को लक्षित किया गया है।
- झारखंड के शहरी गरीबों को मौजूद संकट के दौर में आजीविका का एक साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक (SHRAMIK- Shahri Rozgar Manjuri For Kamgar) योजना रखा जाएगा।
- गौरतलब है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली मज़दूरी राज्य में मनरेगा (MGNREGA) कार्यक्रम के तहत दी जा रही मज़दूरी से लगभग 40 प्रतिशत अधिक होगी। विदित हो कि झारखंड में मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन 194 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाता है।
- इस संबंध में तैयार किये गए मसौदे के अनुसार, योजना के तहत काम, मांग के आधार पर प्रदान किया जाएगा और इसमें काम को स्वच्छता, जल संचयन, वृक्षारोपण, सार्वजनिक निर्माण या मरम्मत और आश्रय गृहों के प्रबंधन जैसी विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।
- मनरेगा की तरह झारखंड सरकार की योजना में भी बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान किया गया है, योजना के तहत बेरोज़गारी भत्ता तभी प्रदान किया जाएगा, जब कोई शहरी स्थानीय निकाय रोज़गार की मांग करने वाले व्यक्ति को 15 दिन के भीतर रोज़गार उपलब्ध कराने में विफल रहता है।
- ध्यातव्य है कि इस कार्य के लिये शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies-ULBs) को अलग से फंड प्रदान किया जाएगा।
- कार्य पूरा होने के सात दिनों के भीतर राशि श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी, जिससे योजना के तहत मज़दूरी के भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
- योजना के मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में कार्य पूरा होने के पश्चात् 15 दिनों के भीतर मज़दूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

इससे पूर्व केरल ने शुरू की थी योजना

- इस योजना के कार्यान्वयन के साथ ही शहरी गरीबों के लिये रोज़गार गारंटी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का दूसरा राज्य बन जाएगा, जबकि इससे पूर्व केवल केरल सरकार द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी।
- ध्यातव्य है कि केरल में 'अय्यनकाली शहरी रोज़गार गारंटी योजना' (Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- केरल सरकार की यह योजना भी मनरेगा (MGNREGA) के ही समान है, किंतु इसमें ग्रामीण श्रमिकों के स्थान पर शहरी गरीबों को लक्षित किया गया है।
- केरल सरकार की इस योजना में महिलाओं को खास प्राथमिकता दी गई है, योजना से संबंधित नियमों के अनुसार, योजना के कुल लाभार्थियों में से लगभग 50 प्रतिशत महिलाएँ होंगी।

योजना की आवश्यकता

- भारत में यह एक बहुप्रचलित धारणा है कि गरीब का मतलब ग्रामीण होता है, जो कि आंशिक रूप से भले ही सही हो सकता है, किंतु पूर्ण रूप से सही नहीं है।
- इस धारणा के कारण देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये तो काफी योजनाएँ बनाई गई हैं, किंतु शहरी क्षेत्रों को केंद्र में रखकर को कोई भी योजना नहीं बनाई है।
- ऐसे में जब भी कोई संकट आता है, तो इसके कारण देश की शहरी आबादी काफी अधिक प्रभावित होती है।

नोट :

महत्त्व

- एक अनुमान के अनुसार, राज्य के लगभग 13-14 लाख परिवार शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जिसमें से तकरीबन 15 प्रतिशत लोग आकस्मिक मज़दूर के रूप में कार्य करते हैं।
- आँकड़ों के मुताबिक, कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के मद्देनज़र लागू किये गए लॉकडाउन के कारण झारखंड के शहरी क्षेत्रों के तकरीबन 25 प्रतिशत परिवार काफी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।
- वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के 1 मई से अब तक झारखंड में लगभग पाँच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक अन्य क्षेत्रों से वापस लौट कर आए हैं, जिन्हें आजीविका उपलब्ध कराना राज्य सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती बन गया है।
- झारखंड समेत देश के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने राज्य सरकार के इस कदम की सराहना की है। विशेषज्ञों के अनुसार, झारखंड सरकार की इस नई योजना के कार्यान्वयन से कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के प्रकोप के बाद शहरी क्षेत्रों लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को काफी मदद मिलेगी।
  - उल्लेखनीय है कि झारखंड के राज्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अब तक 2.5 लाख प्रवासी श्रमिकों का कौशल सर्वेक्षण किया गया है और इस सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न राज्यों से लौटे 30 प्रतिशत श्रमिक अकुशल श्रमिक हैं।

निष्कर्ष

झारखंड सरकार द्वारा शुरू की जा रही यह योजना मौजूदा परिस्थितियों के संदर्भ में एक सराहनीय कदम है, आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गए मसौदे पर सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाए और सभी उपयुक्त सुझावों के साथ इसमें सुधार कर इसे जल्द-से-जल्द लागू किया जाए, ताकि महामारी से प्रभावित गरीब श्रमिक को तत्काल इस योजना से लाभ प्राप्त हो सके।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ब्याज सब्सिडी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' (Pradhan Mantri Mudra Yojana- PMMY) के तहत सभी शिशु ऋण (Shishu Loan) खातों पर 12 माह की अवधि के लिये 2% की 'ब्याज सब्सिडी योजना' (Scheme of Interest Subvention) को मंज़ूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु:

- ऋण सब्सिडी योजना का उद्देश्य COVID- 19 महामारी के कारण छोटे व्यापारियों को हुए नुकसान से राहत प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किये जाने वाले शिशु (Shishu) ऋण का उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की आर्थिक मदद करना है।

ब्याज सब्सिडी योजना के मानदंड:

- योजना उन ऋणों पर लागू की जाएगी जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
  - प्रथम, जिन ऋणों का भुगतान 31 मार्च, 2020 तक बकाया था।
  - द्वितीय, 31 मार्च, 2020 को तथा योजना की परिचालन अवधि के दौरान ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो।
  - इसमें वे ऋण भी शामिल किये जाएंगे जिन्हे पूर्व में 'गैर-निष्पादन परिसंपत्ति' (Non Performing Assets- NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया था परंतु बाद में उन्हे निष्पादित परिसंपत्ति के रूप शामिल किया गया हो।
- योजना की अनुमानित लागत लगभग 1,542 करोड़ रुपए होगी जिसे भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' (Pradhan Mantri Mudra Yojana- PMMY):

- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु / सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

नोट :

- PMMY के तहत ऋणों को MUDRA ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान किये जाते हैं।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन प्रकार के ऋणों की व्यवस्था की गई:
  - शिशु (Shishu) - 50,000 रुपए तक के ऋण,
  - किशोर (Kishor) - 50,001 से 5 लाख रुपए तक के ऋण,
  - तरुण (Tarun) - 500,001 से 10 लाख रुपए तक के ऋण।
- मुद्रा कंपनी को 100% पूंजी का योगदान के साथ 'भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक' (Small Industries Development bank of India- SIDBI) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। वर्तमान में मुद्रा कंपनी की अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ है और भुगतान की गई पूंजी (Paid Up Capital) 750 करोड़ है।

'शिशु' ऋण राहत योजना की आवश्यकता:

- COVID-19 महामारी के तहत लगाए गए लॉकडाउन के कारण 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों' का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे इन उद्यमों की ऋण अदायगी क्षमता बहुत प्रभावित हैं । अत: इन कारोबारियों के ऋण के डिफॉल्ट होने तथा NPA में बदलने की बहुत अधिक संभावना है। इसके परिणामस्वरूप भविष्य में संस्थागत ऋणों तक उनकी पहुँच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार, PMMY के तहत कुल 9.37 करोड़ रुपए की ऋण राशि बकाया थी।

योजना की रणनीति:

- योजना का क्रियान्वयन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से किया जाएगा जिसकी परिचालन अवधि 12 माह होगी।
- जिन ऋणों को RBI के 'COVID-19 विनियामक पैकेज' के तहत प्रदान किया गया है, उनके लिये योजना की परिचालन अवधि 01 सितंबर, 2020 से 31 अगस्त, 2021 तक होगी। जबकि अन्य उधारकर्त्ताओं के लिये योजना की परिचालन अवधि 01 जून, 2020 से 31 मई, 2021 तक होगी।

योजना का महत्त्व:

- योजना के क्रियान्वयन से सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय परेशानियों से निपटने में मदद मिलेगी।
- छोटे कारोबारियों को महामारी के समय धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है अत: उनके द्वारा कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। योजना छोटे कारोबारियों को कर्मचारियों की छंटनी किये बिना ही अपना कामकाज निरंतर जारी रखने में मदद करेगी।

निष्कर्ष:

- COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट के समय मुद्रा योजना के तहत प्रदान की जाने वाली ऋण राहत योजना MSMEs को अपना कामकाज निरंतर जारी रखने में मदद करेगा जिससे अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा देश के आर्थिक पुनरुत्थान को बल मिलेगा।

वरियामकुननाथ कुंजाहम्मद हाजी

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2021 को मोपला विद्रोह की 100 वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- केरल के मालाबार क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी वरियामकुननाथ कुंजाहम्मद हाजी (Variyamkunnath Kunjahammed Haji) ने अंग्रेजों के खिलाफ मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था।
- मोपला केरल के मालाबार तट पर खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ने वाला प्रमुख किसान आंदोलन था।

नोट :

वरियामकुननाथ कुंजामहम्मद हाजी:

- प्रारंभिक जीवन:
  - वरियामकुननाथ कुंजामहम्मद हाजी का जन्म एक संपन्न मुस्लिम परिवार में 1870 के दशक में हुआ था।
  - उनके पिता मोइदेंकुट्टी हाजी को अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह में भाग लेने के लिये अंडमान द्वीप में निर्वासित कर जेल भेज दिया गया।
  - कुंजामहम्मद के प्रारंभिक जीवन में इस तरह की व्यक्तिगत घटनाओं ने उसके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध की ज्वाला जलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - हाजी ने पारंपरिक संगीत-आधारित कला रूपों जैसे कि दफुमुट तथा मलप्पुरम पदप्पट्टु 'और बद्र पदप्पट्टु' जैसी कविताओं का उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ स्थानीय लोगों को रैली करने के लिये एक उपकरण के रूप में उपयोग किया।
- खिलाफत आंदोलन में भूमिका:
  - खिलाफत आंदोलन के नेताओं तथा भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस ने उनको भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रणेता के रूप में पेश किया।
  - हालाँकि उनका मानना था कि यह एक तुर्की का आंतरिक मामला है परंतु उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ उनके साथ जुड़ने का वादा किया।
  - उन्होंने कालीकट तथा दक्षिण मालाबार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्त्व किया।
  - हाजी ने खिलाफत आंदोलन की धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित किया तथा आंदोलन में हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया एवं अन्य धर्मों के लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया।
  - अंग्रेजों ने उन्हें धार्मिक कट्टरपंथी नेता के रूप में पेश किया ताकि आंदोलन को धार्मिक रंग देकर समाप्त किया जा सके।

स्वतंत्र राज्य की स्थापना:

- मालाबार में मोपला विद्रोह फैल गया तथा शीघ्र ही स्थानीय विद्रोहियों के नियंत्रण में विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।
- अगस्त, 1921 में हाजी मोपला क्षेत्र को 'स्वतंत्र राज्य' घोषित कर वहाँ का निर्विवाद शासक बना। जनवरी, 1922 में अंग्रेजों ने हाजी को गिरफ्तार कर मौत की सजा सुनाई।
- मुस्लिम होने के बावजूद उनके शव का दाह संस्कार किया गया क्योंकि उनकी कब्र विद्रोहियों के लिये प्रेरणा स्थल बन सकती थी। उनके खिलाफत राज से जुड़े सभी रिकॉर्ड जला दिये गए ताकि लोग उनके शासन को भूल सकें।

मोपला या मालाबार विद्रोह:

- केरल के मालाबार तट पर अगस्त, 1921 में अवैध कारणों से प्रेरित होकर स्थानीय मोपला किसानों ने विद्रोह कर दिया।
- मोपला केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे जहाँ जमीदारी के अधिकार मुख्यत: हिंदुओं के हाथों में थे।
- 19वीं शताब्दी में भी जमीदारों के अत्याचारों से पीड़ित होकर मोपलाओं ने कई बार विद्रोह किया था।
- मोपला विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:
  - लगान की उच्च दर;
  - नज़राना एवं अन्य दमनकारी तौर तरीके;
  - राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध।
- खिलाफत आंदोलन में किसानों की मांग का समर्थन किया गया, बदले में किसानों ने भी आंदोलन में अपनी पूरी शक्ति के साथ भाग लिया।
- फरवरी, 1921 में सरकार ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
- मोपला विद्रोह के हिंसक रूप लेने के साथ ही कई राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग हो गए तथा शीघ्र ही आंदोलन समाप्त हो गया।

नोट :

ग्रामीण स्थानीय निकायों का वित्तपोषण

चर्चा में क्यों ?

25 जून 2020 को पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) ने वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2025-26 तक के लिये अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिये 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) के साथ एक विस्तृत बैठक की। इस बैठक में मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों (Rural Local Bodies- RLB) के वित्तपोषण में वृद्धि की सिफारिश की गई।

प्रमुख बिंदु:

- मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग से वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिये पंचायती राज संस्थानों को 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की सिफारिश की है।
  - 14वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institution- PRI) को 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए थे। उल्लेखनीय है कि 13वें से 14वें वित्त आयोग के बीच आवंटन की राशि तीन गुना थी, जबकि इस बार यह राशि पिछले वित्त आयोग की तुलना में 5 गुना करने की सिफारिश की गई है।
- समाचार पत्र द हिंदू के अनुसार, मंत्रालय द्वारा आयोग को प्रस्तुत एक मूल्यांकन अध्ययन में वर्ष 2015 और 2019 के बीच वित्त आयोग द्वारा दिये गए अनुदानों के उपयोग की दर 78% प्रदर्शित की गई है।
  - वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से पूरी की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं में सड़क निर्माण और रखरखाव के साथ-साथ पीने के पानी की आपूर्ति शामिल है।
  - संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार, देश भर की 2.63 लाख पंचायतों के लिये 29 विषयों का प्रावधान किया गया है।

11वीं अनूसूची में शामिल विषय

1. कृषि (कृषि विस्तार शामिल)।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल-विभाजक क्षेत्र का विकास।
4. पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल हैं।
9. खादी, ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवासन।
11. पेयजल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।

नोट :

22. बाज़ार और मेले।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता (अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय)।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला और बाल विकास।
26. समाज कल्याण (दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण)।
27. दुर्बल वर्गों का तथा विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

- मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि महामारी और लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी चुनौती यह थी कि अधिकांश पंचायतें अल्प सूचना पर पका हुआ भोजन उपलब्ध नहीं करा सकती थीं। इसलिये यह प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक पंचायत में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित होने वाली सामुदायिक रसोई स्थापित की जाए।

RLBs के संदर्भ में 15वें वित्त आयोग का उत्तरदायित्त्व

- 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में इसे 'राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों के पूरक के तौर पर काम आने के लिये संबंधित राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के लिये आवश्यक उपायों' की सिफारिश करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
  - आयोग ने इस पर विचार करते हुए वर्ष 2020-21 के लिये अपनी रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के लिये अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी तथा इसके साथ ही अपनी शेष अनुदान अवधि के लिये एक व्यापक रोडमैप का संकेत भी दिया था।
  - उल्लेखनीय है कि इस अवधि के लिये ग्रामीण स्थानीय निकायों को 60,750 करोड़ रुपए दो किस्तों में आवंटित किये गए थे:

1. 50% मूल अनुदान (Basic Grants) के रूप में
2. 50% अंतिम अनुदान (Final Grants) के रूप में

पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिशें:

- पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के अनुसार, 15वां वित्त आयोग 2021-2026 की संशोधित अवधि के लिये पंचायती राज संस्थानों (PRI) के लिये अपने अनुदान को 10 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर रखने पर विचार कर सकता है। मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई हैं कि-
  - वर्ष 2020-21 के लिये 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के प्रावधानों के अनुरूप अनुदान अवधि के प्रारंभिक 4 वर्षों अर्थात वर्ष 2021-25 के लिये PRI को अनुदान अंतरण की बुनियादी सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिये 50% मुक्त राशि (Untied Fund) के रूप में और पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिये 50% सहबद्ध राशि (Tied Fund) के रूप में रखा जा सकता है।
  - इसके बाद ग्रामीण निकायों में पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता में अनुमानित प्रगतिशील परिपूर्णता स्तरों को ध्यान में रखते हुए इसे वर्ष 2025-26 के लिये पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिये 25% सहबद्ध राशि के रूप में और 75% को मुक्त राशि के रूप में रखा जा सकता है।
  - मुक्त अनुदानों में से PRI को आउटसोर्सिंग के विभिन्न तरीकों, अनुबंध या स्व-सहभागिता के माध्यम से बुनियादी सेवाएँ मुहैया कराने की अनुमति दी जा सकती है।
  - वे विभिन्न राजस्व/आवर्ती व्यय (Revenue/Recurring expenditure) जैसे कि परिचालन, रखरखाव, पारिश्रमिक भुगतान, इंटरनेट एवं टेलीफोन व्यय, ईंधन खर्च, किराया, आपदाओं के दौरान आकस्मिक व्यय इत्यादि के लिये भी अनुदान का उपयोग कर सकते हैं।
- इसने पाँच वर्ष की अवधि 2021-26 के लिये 12,000 करोड़ रुपए के अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को भी रेखांकित किया है, ताकि राज्यों को उन सभी ग्राम पंचायतों में समयबद्ध तरीके से ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिये सक्षम बनाया जा सके जहाँ इस तरह के भवन नहीं हैं।

नोट :

- इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये एक आवश्यक ग्रामीण अवसंरचना के रूप में सभी ग्राम पंचायतों में बहुउद्देश्यीय सामुदायिक हॉल/केंद्र बनाने की ज़रूरत को महसूस किया गया है।

आगे की राह:

- पर्याप्त धन की कमी पंचायतों के लिये समस्या का एक विषय रही है ऐसे में वित्त आयोग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि इनके सशक्तीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- सामुदायिक, सरकारी और अन्य विकासात्मक एजेंसियों के माध्यम से प्रभावी संयोजन/सहलग्नता द्वारा सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार किया जा सकता है।
- इसके अलावा स्थानीय सरकारों के पास वित्त के स्पष्ट एवं स्वतंत्र स्रोत होने चाहिये।

COVID-19 महामारी के कारण बढ़ता शिक्षा अंतराल

चर्चा में क्यों ?

'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन' (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) द्वारा जारी की जाने वाली 'वैश्विक शिक्षा निगरानी' (Global Education Monitoring-GEM) रिपोर्ट- 2020 के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक शिक्षा अंतराल में वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- 'वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट' एक स्वतंत्र वार्षिक प्रकाशन है।
- GEM रिपोर्ट को सरकारों, बहुपक्षीय एजेंसियों और निजी संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और यूनेस्को द्वारा इसे सुविधा और समर्थन दिया जाता है।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट संबंधी प्रमुख निष्कर्ष:

- विकासशील देशों में बढ़ता शिक्षा अंतराल:
  - COVID-19 महामारी के दौरान निम्न तथा निम्न-मध्यम-आय वाले लगभग 40% देशों में गरीब, भाषाई अल्पसंख्यक और विकलांग लोगों को सीखने संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
  - अप्रैल, 2020 में विश्व में अधिकांश विद्यालय बंद रहे इस कारण विश्व के लगभग 91% छात्र स्कूल नहीं जा पाए।
- दूरस्थ शिक्षा संबंधी बाधा:
  - रिपोर्ट के अनुसार, महामारी के दौरान विश्व में दूरस्थ शिक्षा (Distance Learning) उपायों को अपनाया गया जो कक्षा आधारित प्रणालियों की तुलना में कम प्रभावी तथा अपूर्ण विकल्प है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, निम्न-आय वाले 55%, निम्न-मध्यम-आय वाले 73% और ऊपरी-मध्यम-आय वाले 93% देशों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिये ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों को अपनाया गया है।
- बढ़ता डिजिटल शिक्षा अंतराल:
  - सरकार तेज़ी से प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्रणालियों को अपना रही है, लेकिन डिजिटल डिवाइड के कारण सरकार का यह दृष्टिकोण भी अधिक सफल नहीं रहा है।
  - सरकार सभी छात्रों और शिक्षकों को उपलब्ध डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाने के लिये पर्याप्त इंटरनेट कनेक्शन, उपकरण, कौशल प्रदान करने में सक्षम नहीं रही।
- दिव्यांगजनों के लिये बाधाएँ:
  - शिक्षा संबंधी कुछ सुविधाएँ केवल विद्यालय परिसर में उपलब्ध हो सकती हैं यथा दृष्टिबाधित तथा श्रवणबाधित छात्रों के लिये संसाधन स्कूलों के बाहर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।
  - ऐसे छात्रों को कंप्यूटर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

नोट :

- छात्रों का पोषण तथा सुरक्षा:
  - गरीब छात्र; जो मुफ्त भोजन या मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के लिये स्कूल पर निर्भर हैं, को विद्यालय बंद होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत सहित कई देशों में परीक्षाओं को रद्द करने से शिक्षकों पर निर्भरता बढ़ सकती है।
- स्कूल ड्रॉप-आउट दर का बढ़ना:
  - स्कूल ड्रॉप-आउट दर का बढ़ना भी एक चिंता का विषय हैं। अफ्रीका में इबोला महामारी के दौरान जो छात्राएँ विद्यालय नहीं जा सकी वे संकट खत्म होने के बाद कभी स्कूल नहीं गई।

विकासशील देशों द्वारा उठाए गए कदम:

- रिपोर्ट के अनुसार, निम्न और मध्यम आय वाले 17% देश अधिक शिक्षकों की भर्ती करने की योजना बना रहे हैं, 22% कक्षा के समय को बढ़ाने को योजना बना रहे हैं और 68% सुधारात्मक कक्षाओं (Remedial Classes) को शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

निष्कर्ष:

- ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन में कक्षा प्रबंधन एक प्रमुख मुद्दा है, अत: विद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन की दिशा में व्यापक रणनीति तथा मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है।

OBC उप-श्रेणीकरण आयोग के कार्यकाल का विस्तार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes-OBC) के उप-श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण हेतु गठित आयोग के कार्यकाल विस्तार को स्वीकृति दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता में गठित आयोग के कार्यकाल को 6 माह के लिये विस्तृत कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि आयोग के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये 31 जनवरी, 2021 तक का समय है।

कार्यकाल विस्तार का कारण

- इस संबंध में आयोग ने कहा है कि वर्तमान OBC की केंद्रीय सूची में आ रहे दोहराव, अस्पष्टताओं, विसंगतियों, भाषाई त्रुटियों को दूर किये जाने की आवश्यकता है, जिसके कारण उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कुछ अधिक समय लगेगा।
  - इसलिये आयोग ने अपने कार्यकाल को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाने की मांग की थी।
- हालाँकि COVID-19 महामारी के चलते देश भर में लागू किये गए लॉकडाउन और यात्रा पर प्रतिबंधों के कारण आयोग अपने कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिये आयोग के कार्यकाल में 6 महीने यानी 31 जनवरी, 2021 तक विस्तार किया जा रहा है।

OBC का उप-श्रेणीकरण

- मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने OBC आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई, किंतु OBC के ही अंतर्गत आने वाले अत्यधिक कमज़ोर वर्ग के लिये कुछ विशेष व्यवस्था नहीं की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि OBC आरक्षण का अधिकांश लाभ OBC वर्ग से संबंधित कुछ ताकतवर जातियों के पास ही सिमटकर रह गया।
  - दरअसल भारतीय सामाजिक व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि OBC के तहत आने वाली कुछ जातियाँ इसी श्रेणी के तहत आने वाली कुछ अन्य जातियों से सामाजिक और आर्थिक ही आधार पर बेहतर स्थिति में हैं।
- इसी स्थिति के मद्देनज़र OBC वर्ग के ही अंदर श्रेणीकरण की मांग कई वर्षों से की जा रही है। ध्यातव्य है कि देश में ऐसे कई राज्य हैं, जहाँ श्रेणीकरण की इस व्यवस्था को लागू भी कर दिया गया है, हालाँकि OBC आरक्षण से संबंधित केंद्रीय सूची में इस प्रकार के वर्गीकरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

नोट :

आयोग का गठन

- ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' (National Commission for Backward Classes-NCBC) ने OBC को अत्यंत पिछड़े वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों जैसी तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने की सिफारिश की थी।
- इसी को ध्यान में रखते हुए 2 अक्तूबर, 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था।
  - इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग (OBC) के अंतर्गत सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था।
- इस आयोग का गठन केंद्रीय OBC सूची में मौजूद 5000 जातियों को उप-वर्गीकृत करने के कार्य को पूरा करने हेतु किया गया था, ताकि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसरों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित किया जा सके।
- इस आयोग में OBC के तहत आने वाली जातियों, उप-जातियों और समुदायों की पहचान करने तथा उन्हें उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिये तंत्र और मापदंड विकसित करने का कार्य भी सौंपा गया था।

आयोग के गठन से लाभ

- OBC की वर्तमान केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे समुदाय जिन्हें केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्ति और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण योजना का उचित लाभ नहीं मिला है, उनको आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से लाभ मिलने का अनुमान है।
- ध्यातव्य है कि ऐसी जातियों और ऐसे समुदायों के पास आरक्षण व्यवस्था होने के बावजूद भी उनका उत्थान नहीं हो पाया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार, भारतीय राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच करने के लिये तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान के लिये एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग संदर्भित मामलों की जाँच करेगा और उनके द्वारा पाए गए तथ्यों तथा अपनी सिफारिशों समेत अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

भारत में OBC आरक्षण का इतिहास

- ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम वर्ष 1953 में गठित कालेलकर आयोग (Kalelkar Commission) ने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान की थी।
- गौरतलब है कि वर्ष 1979 में 'सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान' के उद्देश्य से मंडल आयोग का गठन किया गया, आयोग ने समूहों के पिछड़ेपन का निर्धारण के लिये ग्यारह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों का इस्तेमाल किया गया और वर्ष 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के लिये सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की।
- वर्ष 1990 में सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक बदलाव आया। हालाँकि कई जगह सरकार के इस निर्णय का व्यापक विरोध होने लगा, किंतु इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय पर मुहर लगा दी।
- वर्ष 1993 में संसद में पारित कानून के तहत 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' (NCBC) का गठन एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया, जिसे 1993 से वर्ष 2016 के बीच कुल 7 बार पुनर्गठित किया गया।
- इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं में सुधार करना था।
- अगस्त 2018 में 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' (NCBC) को संवैधानिक दर्ज़ा प्रदान कर दिया गया और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338B शामिल किया गया।

नोट :

नशा मुक्त भारत अभियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय' (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा 'नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' (Nternational Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) के अवसर पर देश के 272 ज़िलों के लिये एक नशीली दवा-रोधी कार्य योजना/'नशा मुक्त भारत' (Drug-Free India Campaign) अभियान की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- नशा मुक्त भारत अभियान वर्ष 2020-21 के लिये देश के 272 ज़िलों में शुरू किया गया है।
- यह अभियान न केवल संस्थागत सहयोग पर, बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान के लिये पहचाने गए ज़िलों में सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों (community outreach programmes) पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
- इस अभियान के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशा मुक्ति में कार्यरत संस्थानों के लिये धन जुटाने तथा युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिये स्कूलों और कॉलेजों में नशा मुक्ति अभियान को संचालित करेगा।
- इस अभियान में जागरूकता सृजन कार्यक्रम, समुदाय की आउटरीच और दवा पर निर्भर आबादी की पहचान, उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ सेवा-प्रदाताओं के लिये क्षमता-निर्माण कार्यक्रम को शामिल किया गया हैं।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के अवसर पर 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय' द्वारा नशा मुक्ति अभियान का लोगो व टैग लाइन 'नशा मुक्त भारत-सशक्त भारत' भी जारी किया गया।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय:

- नशीली दवा की माँग में कमी लाने के लिये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।
- यह मंत्रालय नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के सभी पहलुओं पर निगरानी का कार्य करता है।
- सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशे की समस्या का विस्तार से मूल्यांकन करने, नशे के आदी व्यक्ति का उपचार एवं उनका पुनर्वास करने, लोगों में नशे की प्रति जागरुकता सृजित करने के साथ-साथ देशभर में नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिये एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस:

- विश्व स्तर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी को रोकने के लिये 26 जून को 'नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' मनाया जाता है।
- यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय समाज को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त करने के लिये कार्रवाई करने और इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र के दृढ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है।
- वर्ष 2020 में इस दिवस की थीम 'Better Knowledge for Better Care' है।

नरसिम्हा राव: आर्थिक सुधारों के अग्रदूत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तेलंगाना सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव (PV Narashima Rao) की जन्मशती के अवसर पर वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- समारोह की शुरुआत करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (K Chandrasekhar Rao) ने कहा कि नरसिम्हा राव बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे और यह समारोह नरसिम्हा राव के संपूर्ण व्यक्तित्व को उजागर करने में मदद करेगा।
- इसी के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री ने पीवी नरसिम्हा राव के लिये भारत रत्न की भी मांग की।
- ध्यातव्य है कि नरसिम्हा राव की कांस्य प्रतिमाओं को तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल और हैदराबाद में तथा नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में स्थापित किया जाएगा।

पीवी नरसिम्हा राव- प्रारंभिक जीवन

- पामुलापति वेंकट नरसिंह राव का जन्म 28 जून, 1921 को तत्कालीन आंध्रप्रदेश के करीमनगर ज़िले के एक गाँव में हुआ था, जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य का एक क्षेत्र है।
- नरसिम्हा राव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करीमनगर ज़िले के स्थानीय विद्यालय से पूरी की, जिसके पश्चात् उन्होंने हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय (Osmania University) में दाखिला लिया और वहाँ से स्नातक की डिग्री प्राप्त की।
- स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, नरसिम्हा राव उच्च अध्ययन की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने हिसलोप कॉलेज (Hislop Colleg) से विधि में मास्टर डिग्री पूरी की।
- पीवी नरसिम्हा राव को एक सक्रिय छात्र नेता के रूप में भी जाना जाता था, जहाँ उन्होंने पूर्ववर्ती आंध्रप्रदेश के विभिन्न इलाकों में कई सत्याग्रह आंदोलनों की अगुवाई की। नरसिम्हा राव हैदराबाद में 1930 के दशक में हुए 'वंदे मातरम आंदोलन' (Vande Mataram Movement) के एक सक्रिय भागीदार भी थे।
- नरसिम्हा राव को उनके अभूतपूर्व भाषाई कौशल के लिये भी जाना जाता था, उन्हें 10 भारतीय भाषाओं के साथ-साथ 6 विदेशी भाषाओं महारत हासिल थी।

नरसिम्हा राव की राजनीतिक यात्रा

- नरसिम्हा राव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने छात्र जीवन के दौरान ही की थी, बहुभाषी के रूप में उनकी क्षमताओं ने उन्हें स्थानीय जनता के साथ जुड़ने में काफी मदद की।
- वर्ष 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद, नरसिम्हा राव आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस से जुड़ गए।
- नरसिम्हा राव ने वर्ष 1962 से वर्ष 1971 के दौरान आंध्र सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य किया, इसके पश्चात् उन्होंने वर्ष 1971 से वर्ष 1973 तक तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी संभाली।
- पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्त्व में आंध्र प्रदेश में कई भूमि सुधार किये गए, विशेष रूप से मौजूदा तेलंगाना के क्षेत्र में।
- वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने वर्ष 1996 तक देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएँ दीं।
- पीवी नरसिम्हा राव का 9 दिसंबर, 2004 को हार्टअटैक के कारण निधन हो गया।

प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव

- प्रधानमंत्री के तौर पर नरसिम्हा राव को मुख्य रूप से उनके द्वारा किये गए सुधारों के रूप में पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव के सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णयों में से एक वित्त मंत्री के रूप में एक गैर-राजनीतिक उम्मीदवार की नियुक्ति को माना जाता है।
- डॉ. मनमोहन सिंह की विशेषज्ञता के तहत पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्णय लिये:
  - सेबी अधिनियम 1992 (Securities and Exchange Board of India Act, 1992) और प्रतिभूति कानून (संशोधन) की शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से SEBI को सभी प्रतिभूति बाज़ार मध्यस्थों को पंजीकृत और विनियमित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ।
  - वर्ष 1992 में पूंजी निर्गम नियंत्रक (Controller of Capital Issues) निकाय को समाप्त कर दिया गया, जो कि कंपनियों द्वारा जारी किये जा सकने वाले शेयरों की कीमतें और संख्या तय किया करता था।

नोट :

- वर्ष 1992 में ही विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिये भारत के इक्विटी बाज़ारों को खोल दिया गया, साथ ही भारतीय कंपनियों को ग्लोबल डिपॉज़िटरी रिसिप्ट (Global Depository Receipts-GDRs) जारी करके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से पूंजी जुटाने की अनुमति देना।
- वर्ष 1994 में कंप्यूटर आधारित व्यापार प्रणाली के रूप में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange-NSE) की शुरुआत की गई। ध्यातव्य है कि NSE वर्ष 1996 तक भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज के रूप में उभरने लगा।
- संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजी की हिस्सेदारी पर अधिकतम सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment - FDI) को प्रोत्साहित किया गया।
- नई आर्थिक नीति के अलावा पीवी नरसिम्हा राव ने शीत युद्ध के बाद देश की कूटनीतिक नीति (Diplomacy Policy) को एक नया आकार देने में भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
- नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही भारत की 'लुक ईस्ट' नीति (Look East' Policy) की भी शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से भारत के व्यापार की दिशा को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की ओर किया गया।

भारतनेट परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा तमिलनाडु में 'भारतनेट परियोजना' (Bharat Net project) की 1,950 करोड़ रूपए की निविदाओं को रद्द करने का आदेश दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- चेन्नई की एंटी करप्शन गैर सरकारी संगठन 'अय्यक्कम'द्वारा निविदा में अनियमितताओं को उजागर किया गया, जिसके चलते केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में 1,950 करोड़ रुपए की भारत नेट प्रोजेक्ट की निविदाओं को रद्द कर दिया गया है।
- तमिलनाडु में इस परियोजना को तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन (Tamil Nadu FiberNet Corporation-TANFINET) के माध्यम से संचालित किया जाना है।
- गैर सरकारी संगठन द्वारा आरोप लगाया गया कि TANFINET द्वारा जारी निविदाओं की शर्तों के कारण केवल कुछ ही कंपनियाँ आवदेन की पात्र हैं।

भारत नेट परियोजना:

- भारत नेट परियोजना का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fiber) के माध्यम से भारतीय गाँवों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना है।
- तमिलनाडु में इस परियोजना के माध्यम से राज्य के सभी 12,524 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना थी।

परियोजना के चरण:

- प्रथम चरण में, अंडरग्राउंड ऑप्टिक फाइबर केबल लाइनों के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को एक लाख ग्राम पंचायतों तक उपलब्ध कराया गया है।
- इस चरण को दिसंबर, 2017 तक पूरा कर लिया गया है।
- द्वितीय चरण में , भूमिगत फाइबर, पावर लाइनों, रेडियो और उपग्रह मीडिया पर फाइबर के इष्टतम मिश्रण का उपयोग करके देश में सभी 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
- चरण-2 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये , बिजली के ध्रुवों/खंभों पर ऑप्टिक फाइबर केबल को भी लगाया गया है।
- इस परियोजना का तीसरा चरण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक पूर्ण होना है।

नोट :

- इस चरण में अत्याधुनिक, फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क, ज़िलों एवं ब्लॉकस के बीच फाइबर समेत, अवरोध को समाप्त करने के लिये नेटवर्क को रिंग टोपोलॉजी के आधार पर स्थापित किया जाना है।

ऑप्टिकल फाइबर:

- ऑप्टिकल फाइबर मुख्यत: सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएँ होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं।
- ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का उपयोग कर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है।ऑप्टिकल फाइबर में बिजली का संचार नहीं बल्कि प्रकाश का संचार होता है। अत: इनमें प्रकाश के रूप में जानकारी का प्रवाह होता है।
- ऑप्टिकल फाइबर में जहाँ डेटा को रिसीव किया जाता है वहाँ एक ट्रांसमीटर लगा होता है।
- यह ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक पल्स इनफार्मेशन को सुलझाता है तथा इसको प्रोसेस करके लाइट पल्स के रूप में ऑप्टिकल फाइबर लाइन में ट्रांसमिट कर देता है।

भारतनेट परियोजना का महत्त्व:

- भारतनेट परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क परियोजना है।
- इस परियोजना को 'मेक इन इंडिया' के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है अत: देश में ही रोज़गार के नए अवसर विकसित होंगे।
- इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संचरण सुविधा बिना किसी नेटवर्क बाँधा के उपलब्ध कराई जा रही है।
- परियोजना में राज्य और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी करके अब ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में नागरिकों/लोगों को सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्राप्त हो सकेगी।

The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

सोशल स्टॉक एक्सचेंज

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) द्वारा गठित कार्यकारी समूह ने गैर-लाभकारी संगठनों (Non-Profit Organisations) को बॉण्ड जारी करके सीधे सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchanges-SSE) पर सीधे सूचीबद्ध होने की अनुमति देने की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने सामाजिक उद्यम और स्वैच्छिक संगठनों (Voluntary Organisations) को सूचीबद्ध करने के लिये SEBI के विनियामक दायरे के तहत एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) गठित करने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव दिया था।
- वित्त मंत्री के निर्देशानुसार, SEBI सितंबर, 2019 में इशरात हुसैन की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchanges-SSE) पर एक कार्यकारी समूह का गठन किया था, जिसमें सामाजिक कल्याण (Social Welfare) की दिशा में सक्रिय हितधारक तथा वित्त मंत्रालय, स्टॉक एक्सचेंज और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।
- इस कार्यकारी समूह ने देश में सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के निर्माण के लिये निम्नलिखित सिफारिशें की हैं-
  - गैर-लाभकारी संगठन सीधे बॉण्ड जारी करने के माध्यम से SSE पर सूचीबद्ध हो सकते हैं।
  - वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds) के तहत कुछ मौजूदा तंत्रों जैसे कि सामाजिक उद्यम निधि (Social Venture Funds-SVFs) समेत विभिन्न फंडिंग तंत्रों की सिफारिश की गई है।
  - उन संगठनों के लिये एक नया न्यूनतम रिपोर्टिंग मानक प्रस्तावित किया गया है जो SSE के तहत धन एकत्रित करेंगे।
  - इसके अतिरिक्त कार्यकारी समूह ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ कर प्रोत्साहन देने की भी सिफारिश की है।
  - कार्यकारी समूह ने प्रतिभूति लेन-देन कर (Securities Transaction Tax-STT) और पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax-CGT) को समाप्त करने की सिफारिश की है।
  - साथ ही परोपकारी दानकर्त्ताओं (Philanthropic Donors) को 100 प्रतिशत कर छूट देने की भी सिफारिश की गई है।
  - कार्यकारी समूह के अनुसार, लाभ कमाने वाले सामाजिक संगठन भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर सूचीबद्ध हो सकेंगे, किंतु उन्हें कुछ अधिक रिपोर्टिंग मानकों का पालन करना होगा।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) की अवधारणा

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को सामाजिक उद्यमों में शेयर खरीदने की अनुमति देता है।
- केंद्रीय बजट-2019 में भारत में अपनी तरह के पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था।
- इस संबंध में घोषणा करते हुए वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 'यह समय पूंजी बाज़ार को आम जनता के और अधिक करीब ले जाने और समावेशी विकास तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न सामाजिक कल्याण उद्देश्यों को पूरा करने का समय है।
- अपने गठन के बाद सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करेगा जहाँ सामाजिक उद्यम आम जनता और निवेशकों से धन जुटा सकते हैं।
- यह देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आदि की तर्ज पर ही कार्य करेगा, हालाँकि सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर सामाजिक कल्याण करना होगा।

नोट :

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) की आवश्यकता

- संयुक्त राष्ट्र जैसे विभिन्न वैश्विक निकायों द्वारा निर्धारित मानव विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिये आगामी वर्षों में भारत को बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी और यह केवल सरकारी व्यय अथवा निवेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।
- सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले निजी उद्यमों को भी अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
- वर्तमान में, भारत में सामाजिक उद्यम बहुत सक्रिय हैं, हालाँकि उन्हें धन जुटाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है आम निवेशकों में विश्वास की कमी।
- इस विषय पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एक संपन्न सामाजिक उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र है, हालाँकि देश में कई संगठनों को अपनी ज़रूरत की पूंजी प्राप्त करने के लिये संघर्ष का सामना करना पड़ता है।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) एक ऐसा मंच प्रदान करने का प्रयास करेगा जहाँ निवेशक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अधिकृत सामाजिक उद्यमों में निवेश कर सकेंगे, जिससे निवेशकों में विश्वास पैदा होगा।
  - ऐसे सामाजिक उद्यमों को अपनी गतिविधियों और निवेशों का विवरण पारदर्शी तरीके से आम जनता के साथ साझा करना होगा।

आगे की राह

- आँकड़ों के अनुसार, भारत में दो मिलियन से भी अधिक सामाजिक उद्यम हैं। इसलिये सामाजिक उद्यमों हेतु सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) का निर्माण करते समय काफी सावधानीपूर्वक योजना के निर्माण की आवश्यकता है।
- इस संबंध में विश्व के अन्य देशों द्वारा प्रयोग किये जा रहे मॉडल का भी अध्ययन किया जा सकता है और उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है।

मूडीज़ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग घटाई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (Credit Rating Agency) मूडीज़ ने भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को 'Baa2' से घटाकर 'Baa3' कर दिया है, साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश की सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) दर में गिरावट का भी अनुमान लगाया है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि मूडीज़ ने भारत के लिये विदेशी मुद्रा (Foreign-Currency) और स्थानीय मुद्रा दीर्घकालिक जारीकर्त्ता (Local-Currency Long-Term Issuer Rating) रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 करने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु 'निगेटिव आउटलुक' (Negative Outlook) दृष्टिकोण बनाए रखा है।
  - किसी भी देश के 'नेगेटिव आउटलुक' से यह पता चलता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली बुरे दौर से गुजर रही है और आने वाले समय में राजकोषीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है।
  - मूडीज़ की रेटिंग प्रणाली में Baa3 निवेश ग्रेड में सबसे खराब स्तर की श्रेणी है।
  - मूडीज़ ने नवंबर 2017 में भारत की रेटिंग को Baa3 से अद्यतन कर Baa2 किया था किंतु तीन वर्ष बाद वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इसे घटा दिया है।
  - मूडीज़ के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते जोखिमों और आर्थिक विकास दर पहले की तुलना में कम रहने के कारण ऐसा किया गया है।
- मूडीज़ ने मेक्सिको के लिये 'निगेटिव आउटलुक' दृष्टिकोण बनाए रखा है, जबकि सऊदी अरब को 'स्थिर से निगेटिव आउटलुक' में परिवर्तित कर दिया है। सऊदी अरब के मामले में वैश्विक तेल की मांग और कीमतों को देखते हुए ऐसा किया गया है।

नोट :

मूडीज़ का अनुमान:

- देशभर में COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु लागू लॉकडाउन से वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश की सकल घरेलू उत्पाद दर में 4% की गिरावट का अनुमान है।
- ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 11 वर्ष के निचले स्तर पर थी, जबकि राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानित 3.8% से बढ़कर 4.6% हो गया था।
- मूडीज़ के अनुसार, COVID-19 से पहले एवं हाल ही में जारी आर्थिक पैकेज आगामी दिनों में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर को 8% करने में सहायक साबित नहीं हो सकते हैं।
- बैंकिंग और गैर-बैंक वित्तीय संस्थान उपभोग तथा निवेशकर्त्ताओं के लिये ऋण की आपूर्ति के माध्यम से संचालित होते हैं या उनका विकास होता है। लेकिन वर्तमान दौर की हालत को देखते हुए इनकी समस्या का समाधान शीघ्रता से होने की उम्मीद नहीं है।
- भारत की कम आय वाली आबादी सरकार के कर राजस्व आधार को सीमित कर देगी। साथ ही धीमा आर्थिक विकास सरकार के ऊपर ऋण के बोझ को कम करने की क्षमता को कम कर देगा। महामारी के कारण चालू वित्तीय वर्ष में सरकार के ऊपर कर्ज़ का बोझ सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 74% से बढ़कर 84% हो जाएगा।

गिरावट के कारण:

- देशभर में लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियाँ बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।
- शिक्षा, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को प्रतिबंधित करना भी अर्थव्यवस्था की गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक हैं।
- निज़ी क्षेत्रों में निरंतर निवेश की कमी।
- नौकरियों का सृजन न हो पाना।

निष्कर्ष:

भारत के सामने गंभीर आर्थिक सुस्ती का खतरा है जिसके कारण राजकोषीय लक्ष्य पर दबाव बढ़ रहा है। नीति निर्माताओं के समक्ष आने वाले समय में निम्न आर्थिक वृद्धि, बिगड़ती वित्तीय स्थिति और वित्तीय क्षेत्र के जोखिम को कम करना चुनौतीपूर्ण होगा। लंबी अवधि तक वृद्धि दर में कमी से लोगों का जीवन स्तर (Living Standard) भी प्रभावित होगा।

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति' (Cabinet Committee on Economic Affair- CCEA) द्वारा विपणन वर्ष 2020-21 के लिये खरीफ फसलों के 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (Minimum Support Prices- MSPs) में वृद्धि को मंज़ूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु:

- बजट 2018-19 में MSP को बढ़ाकर भारित औसत उत्पादन लागत (Cost of Production- CoP) का कम-से-कम 1.5 गुना निर्धारित करने की घोषणा की गई थी।
- CCEA द्वारा कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के 3 लाख रुपए तक के मानक अल्पकालिक ऋणों (Standard Short-Term) के पुनर्भुगतान की तारीख को 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):

- 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' कृषि मूल्य में किसी भी प्रकार की तीव्र गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली बाज़ार हस्तक्षेप की एक प्रणाली है।
- 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों की बुवाई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।

नोट :

अधिदिष्ट फसल (Mandated Crops):

- सरकार 22 अधिदिष्ट फसलों (Mandated Crops) के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' की घोषणा करती है। अधिदिष्ट फसलों में 14 खरीफ की फसल, 6 रबी फसल और दो अन्य वाणिज्यिक फसल शामिल हैं। सरकार इस सूची में समय-समय पर वृद्धि करती है।

अधिदिष्ट फसलों के MSP में वृद्धि:

- धान की फसल के लिये MSP को 1,815 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,868 रुपए कर दिया गया है।
- कपास की मध्यम रेशे वाली फसल के लिये MSP को 5,255 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,515 कर दिया गया है।
- जबकि कपास की लंबे रेशे वाली फसल के लिये MSP को 5,550 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,825 कर दिया गया है।
- MSP में अधिकतम वृद्धि नाइजरसीड (काला तिल) (755 रुपए प्रति क्विंटल), तिल (370 रुपए प्रति क्विंटल) तथा उड़द (300 रुपए प्रति क्विंटल) में की गई।
- उच्चतम प्रतिशत वृद्धि बाजरा (83%), उड़द (64%), तूर (58%) मक्का (53%) आदि में की गई है।

कुछ फसलों का MSP:

क्र.सं	फसल	संभावित लागत	MSP	MSP में वृद्धि	लागत पर प्रतिफल (%)
1.	धान	1,245	1,868	53	50
2.	बाजरा	1,175	2,150	150	83
3.	मक्का	1,213	1,850	90	53
4.	उड़द	3,660	6,000	300	64
5.	तिल	4,570	6,855	370	50

MSP निर्धारण का महत्त्व:

- देश में कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप फसल प्रतिरूप पद्धतियों को अपनाने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करना।
- जैव विविधता का संरक्षण करते हुए सतत् कृषि प्रणालियों को अपनाना।
- कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना।
- किसानों की आय सुरक्षा की दिशा में नीतियों को अपनाना।
- 'उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण' (Production-Centric Approach) के स्थान पर 'आय-केंद्रित दृष्टिकोण' (Income-Focused Approach) को अपनाना।
- तिलहन, दलहन, मोटे अनाज जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देकर मांग-आपूर्ति के मध्य असंतुलन में सुधार करना।
- क्षेत्र की भूजल स्थिति को ध्यान में रखकर विशिष्ट फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये विशिष्ट फसलों जैसे मोटे अनाज की कृषि को बढ़ावा देना।

MSP वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- MSP में वृद्धि के परिणामस्वरूप 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे लोगों को महँगाई का सामना करना पड़ सकता है।
- MSP में वृद्धि का देश की राजकोषीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि COVID-19 महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पहले ही खराब स्थिति में है।

नोट :

किसानों की आय सुरक्षा की दिशा में अन्य पहल:

- 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan-PM-AASHA) योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिये उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई है। यह योजना किसानों को उनकी उपज का उचित प्रतिफल प्रदान करने में मदद करेगी।
- 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) योजना की शुरुआत लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। COVID- 19 महामारी के तहत लगाए गए लॉकडॉउन अवधि के दौरान 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के तहत लगभग 8.89 करोड़ किसान परिवारों को मई 2020 तक 17,793 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।
- 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत पात्र परिवारों को लगभग 1,07,077.85 मीट्रिक टन दाल की आपूर्ति की गई है।

निष्कर्ष:

- न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। पोषक अनाजों का न्यूनतम मूल्य वृद्धि से पोषण सुरक्षा और किसानों की आय में सुधार होगा। किसानों की आय बढ़ाने में फसलों की विविधता, पशुधन और बागवानी क्षेत्र सर्वाधिक लाभप्रद साबित हो सकते हैं।

ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉसपेक्ट्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व बैंक (World Bank) ने 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉसपेक्ट्स' (Global Economic Prospects-GEP) रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

- 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉसपेक्ट्स' के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण आर्थिक विकास पर अल्पवधि और दीर्घकालिक दृष्टि से गंभीर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- वर्तमान मंदी की गंभीरता का इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले आठ दशकों में इतनी भयावह स्थिति कभी नहीं देखी गई।
- COVID-19 के बढ़ते प्रसार और तबाह होती अर्थव्यवस्था के कारण प्रभावित हो रहे लोगों की स्थिति का आकलन करने पर पता चलता है कि वर्ष 2020 में लगभग 60 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आ सकते हैं।
- ध्यातव्य है कि G-20 देशों और वाणिज्यिक ऋणदाताओं ने इस वर्ष के अंत तक कम आय वाले देशों को ऋण भुगतान न करने संबंधी मुद्दों पर सहमति व्यक्त की थी। हालाँकि इन वाणिज्यिक ऋणदाताओं ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है।
- वाणिज्यिक ऋणदाताओं द्वारा की जा रही देरी से कम आय वाले देश गरीबी की दलदल में फसतें जा रहे हैं। अधिकांश वाणिज्यिक ऋणदाता अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और खाड़ी के देशों जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित हैं।

विकासशील देशों की स्थिति:

- रिपोर्ट के अनुसार, उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्था (Emerging Market and Developing Economies-EMDEs) वाले देश स्वास्थ्य संकट, प्रतिबंध, व्यापार, निर्यात और पर्यटन में गिरावट इत्यादि जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
- पूर्व में आई महामारियों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन देशों में अल्पावधि के दौरान उत्पादन में 3-8% की कमी आने की संभावना है।
- वर्ष 2021 के अंत तक अमेरिका और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं में महामारी से पूर्व की स्थिति में लौटने की संभावना नहीं है। इन देशों की खराब अर्थव्यवस्था का प्रभाव EMDEs वाले देशों पर भी पड़ेगा।
- आयात करने वाले देशों की तुलना में निर्यात करने वाले देशों की संवृद्धि दर धीमी होने की संभावना है।
- आगामी पाँच वर्षों के दौरान औसत EMDEs वाले देश वित्तीय संकट के साथ ही उत्पादन में लगभग 8% तक की गिरावट दर्ज कर सकते हैं, जबकि औसत EMDEs ऊर्जा निर्यातक देशों में तेल की कीमत में गिरावट के कारण उत्पादन में 11% की कमी आने की संभावना है।

नोट :

नीतिगत बदलाव:

- वर्तमान में किये गए नीतिगत बदलाव COVID-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के साथ ही बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इन नीतिगत बदलावों में नए निवेश को आमंत्रित करने के लिये अधिक से अधिक ऋण पारदर्शिता, डिजिटल कनेक्टिविटी की सहायता से तेज़ प्रगति, गरीबों के लिये नकदी का प्रावधान, इत्यादि शामिल हैं।
- COVID-19 महामारी के बाद आधारिक संरचना का निर्माण और इनका वित्तपोषण जैसी समस्याओं का समाधान सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। सब्सिडी, एकाधिकार, सार्वजनिक उपक्रम (जिन्होंने विकास की गति धीमी की है), इत्यादि क्षेत्रों में सरकारों द्वारा वैधानिक तरीके से नीतिगत बदलाव और सुधार करने की आवश्यकता है।
- देशों को उन नीतियों को भी लागू करना होगा जो COVID-19 महामारी के बाद दुनिया में नए प्रकार के व्यवसायों और नौकरियों को प्रोत्साहित करते हैं।

ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स (Global Economic Prospects-GEP):

- ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, विश्व बैंक समूह की एक रिपोर्ट है जिसमें वैश्विक आर्थिक विकास एवं संभावनाओं की जाँच की जाती है, इसमें उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- यह वर्ष में दो बार जनवरी और जून में जारी की जाती है।

चांगपा समुदाय

चर्चा में क्यों ?

लद्दाख के चुमूर (Chumur) और डेमचोक (Demchok) क्षेत्र में चीनी सेना के अतिक्रमण ने लद्दाख के घुमंतू चरवाहा चांगपा समुदाय (Changpa Community) को ग्रीष्मकालीन चरागाहों के बड़े हिस्से से अलग-थलग कर दिया है। जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके बकरी पालन व्यवसाय पर पड़ रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- चीन की 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी'(People's Liberation Army) द्वारा चुमूर में 16 कनाल (दो एकड़) की कृषि योग्य भूमि पर कब्ज़ा कर लिया गया है जो डेमचोक क्षेत्र के अंदर लगभग 15 किमी. की दूरी पर स्थित है।
- यह एक पारंपरिक चराई वाले चरागाहों और खेती योग्य भूमि वाला क्षेत्र है।
- इसका प्रतिकूल प्रभाव लद्दाख के चांगथांग पठार (Changthang Plateau) के कोरज़ोक-चुमूर बेल्ट (Korzok-Chumur Belt) में नवज़ात पश्मीना बकरियों की संख्या पर देखा जा रहा है।
- पर्याप्त चरागाहों के अभाव में युवा पश्मीना बकरियों की मौतों में वृद्धि देखी गई है जिसमें पश्मीना बकरियों के साथ-साथ याक भी शामिल हैं।
- चांगपा समुदाय के लोगों का मानना है कि इस तरह की गतिविधियों के चलते इस वर्ष (वर्ष 2020 में) 70-80% नवज़ात पश्मीना बकरियों को जीवित रख पाना मुश्किल हो रहा है।
- चीनी सेना द्वारा इन चरागाह क्षेत्रों पर सतर्कता बनाए रखने के लिये हेलीकॉप्टरों द्वारा निगरानी की जा रही है।

चांगपा समुदाय (Changpa Community):

- चांगपा जनजाति एक बंजारा समुदाय है जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख़ क्षेत्र के चांगथंग इलाके में निवास करती हैं।
- चांगपा जनजाति खानाबदोश जीवन पसंद करती हैं।
- इनकी आजीविका का मुख्य आधार मवेशी और पश्मीना बकरियाँ हैं।

चुशूल-डेमचोक-चुमूर बेल्ट (Chushol-Demchok-Chumur belt):

- यह पश्मीना बकरियों की अधिकतम आबादी वाला क्षेत्र है, जो 13,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है।

नोट :

- लद्दाख में सालाना 45-50 टन बेहतरीन किस्म की ऊन का उत्पादन होता है जिसमें से 25 से 30 टन ऊन का उत्पादन चुशूल-डेमचोक-चुमूर बेल्ट में होता है।

पश्मीना बकरियाँ (Pashmina Goats):

- पश्मीना बकरियाँ को चांगथांगी बकरियों के नाम से भी जाना जाता है।
- इन्हें पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा के निकट चांगथांग क्षेत्र (तिब्बत के पठार के एक पश्चिमी विस्तार) में घुमंतू चरवाहा समुदाय चांगपा द्वारा पाला जाता है।
- ये बकरियाँ -40 डिग्री तापमान पर भी स्वयं को जीवित रखने की क्षमता रखती हैं।
- चांगथांगी बकरी के बाल बहुत मोटे होते हैं और इनसे विश्व का बेहतरीन पश्मीना प्राप्त होता है जिसकी मोटाई 12-15 माइक्रोन के बीच होती है।

पश्मीना उत्पाद (Pashmina Products):

- लद्दाख विश्व में सर्वाधिक (लगभग 50 मीट्रिक टन) और सबसे उन्नत किस्म के पश्मीना का उत्पादन करता है।
- असली पश्मीना उत्पादों को चांगथांगी या पश्मीना बकरी के बालों से बनाया जाता है।
- कश्मीर में बुने गए सुप्रसिद्ध पश्मीना शॉलों का निर्माण लद्दाख की इन बकरियों से प्राप्त ऊन से किया जाता है।
- ये शाल अपनी गुणवत्ता एवं अपने जटिल कलाकृति के लिये प्रसिद्ध हैं।
- चांगथांगी बकरियों की बदौलत ही छांगथांग, लेह और लद्दाख क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बहाल हुई है।
- भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards-BIS) ने पश्मीना उत्पादों की शुद्धता प्रमाणित करने के उद्देश्य से उसकी पहचान और लेबलिंग की प्रक्रिया को भारतीय मानक (Indian Standards) के दायरे में रख दिया है।

विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक में अल्प वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

आईएचएस मार्किट इंडिया (IHS Markit India) द्वारा जारी मासिक सर्वेक्षण के अनुसार, मई, 2020 में विनिर्माण क्षेत्र के 'क्रय प्रबंधक सूचकांक' (Purchasing Manager's Index- PMI) में अल्प वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि मई, 2020 में विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक 30.8 दर्ज किया गया, जबकि अप्रैल, 2020 में यह 20.7 अंक पर था।
- आईएचएस मार्किट की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल, 2020 में पूर्ण लॉकडाउन से बाज़ार में वस्तुओं की मांग एवं उत्पादन में कमी के कारण कई कंपनियों ने कर्मचारियों की छंटनी की है और व्यवसायों को इस संकट से उबरने में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2020 में 'स्टैंडर्ड एंड पूअर्स' (Standard and Poors- S&P) और 'क्रिसिल' (Crisil) जैसी रेटिंग एजेंसियों ने सकल घरेलू उत्पाद में 5% तक की गिरावट का अनुमान लगाया है।
- विभिन्न विशेषज्ञों का मत है कि सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आर्थिक पैकेज वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक साबित नहीं होगा।
- विनिर्माण सूचकांक को आईएचएस मार्किट इंडिया द्वारा 15 वर्ष पहले शुरू किया गया था। हालिया विनिर्माण सूचकांक अब तक का दूसरा न्यूनतम सूचकांक है।
- आईएचएस मार्किट इंडिया ने विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक को लगभग 400 विनिर्मिताओं के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया है। इस सर्वेक्षण में नए कॉन्ट्रैक्ट, फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता, कर्मचारियों की संख्या, कच्चा माल या उत्पादित वस्तुओं के आवागमन का समय, इत्यादि को शामिल किया गया है।

नोट :

क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Manager's Index- PMI)

- क्रय प्रबंधक सूचकांक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। यह एक सर्वेक्षण-आधारित प्रणाली है।
- PMI की गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों हेतु अलग-अलग की जाती है जिसके पश्चात् एक समग्र सूचकांक का तैयार किया जाता है।
- PMI में 0 से 100 तक की संख्या होती है।
- 50 से ऊपर का आँकड़ा व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार या विकास को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का आँकड़ा संकुचन (गिरावट) को दर्शाता है।
- क्रय प्रबंधक सूचकांक की तुलना पिछले माह के आँकड़ो से करके भी विकास या संकुचन का पता लगाया जा सकता है।
- क्रय प्रबंधक सूचकांक हर महीने की शुरुआत में जारी किया जाता है। यह आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख संकेतक माना जाता है।
- क्रय प्रबंधक सूचकांक 'औद्योगिक उत्पादन सूचकांक' (Index of Industrial Production-IIP) से भिन्न होता है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक में हालिया गिरावट के कारण:

- मांग में कमी के कारण व्यापार में गिरावट को देखते हुए विभिन्न औद्योगिक संस्थानों को अपने कर्मचारियों की संख्या में भी कमी करनी पड़ी है।
- देशभर में लॉकडाउन से अप्रैल, 2020 में गिरावट के बाद भी मई, 2020 में फैक्ट्री को बाज़ार से प्राप्त होने वाले नए कॉन्ट्रैक्ट (उत्पाद निर्माण से संबंधित), फैक्ट्री में निर्मित कुल उत्पाद, इत्यादि की संख्या में भारी कमी आई है।
- लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण आर्थिक गतिविधियाँ बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में नए उत्पाद की मांग में कमी क्रय प्रबंधक सूचकांक में गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक है।

आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता

चर्चा में क्यों:

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 'भारतीय उद्योग परिसंघ' (Confederation of Indian Industry) वार्षिक सत्र- 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए 'आत्मनिर्भर भारत के निर्माण' की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रमुख बिंदु:

- हाल ही में भारत से दुनिया की उम्मीदें बढ़ी हैं, क्योंकि COVID-19 महामारी संकट के दौरान भारत ने दुनिया भर में विश्वास जीता है, अत: कॉर्पोरेट सेक्टर को इन अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहिये।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' के लिये स्थानीय उद्यमों के विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

आत्मनिर्भर भारत:

- भारत 'वसुधैव कुटुंबकम्' की संकल्पना में विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अत: भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है।
- 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।
- आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा के प्रथम चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा द्वितीय चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

आयात में कटौती के लिये 10 क्षेत्रों की पहचान:

- सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने इन 10 क्षेत्रों के आयात में कटौती का भी निर्णय किया है।
- इसमें फर्नीचर, फूट वेयर और एयर कंडीशनर, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल आदि शामिल हैं।

नोट :

भारत का आयात बिल:

- वाणिज्य मंत्रालय ने अनुसार, भारत का कमोडिटी आयात बिल, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच 467.2 बिलियन डॉलर रहा।
- इसमें चमड़े तथा चमड़े से निर्मित उत्पाद 1.01 बिलियन डॉलर, कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थर लगभग 22.4 बिलियन डॉलर, इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल मशीनरी 37.7 बिलियन डॉलर तथा मशीन टूल्स का आयात लगभग 4.2 बिलियन डॉलर रहा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में प्रमुख घोषणा:

- 12 मई, 2020 को प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' का आह्वान करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने 'आत्मनिर्भर भारत' के पाँच स्तंभों यथा अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग को भी रेखांकित किया था।
- आत्मनिर्भर राहत पैकेज के माध्यम से न केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises-MSMEs) क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की गई, अपितु इसमें दीर्घकालिक सुधारों; जिनमें कोयला और खनन क्षेत्र जैसे क्षेत्र शामिल है, की घोषणा की गई थी।

अभियान के समक्ष संभावित चुनौतियाँ:

- 'अत्मनिर्भार भारत के निर्माण' के साथ अनेक जोखिम जुड़े हैं, क्योंकि इसके लिये बहुत अधिक वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होगी।
- भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा के अनुकूल नहीं है।
- 'विश्व व्यापार संगठन' में भारत द्वारा आयात में कटौती की दिशा में अपनाए जाने वाले उपायों को चुनौती दी जा सकती है।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उठाए जाने वाले कदम :

- भारत को व्यापार में वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा बनाने के लिये उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- भारत को इच्छाशक्ति (Intent), समावेशन (Inclusion), निवेश (Investment), बुनियादी ढाँचा (InfraMstructure), और नवाचार (Innovation) पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
- 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने की दिशा में भारत को भविष्य में और अधिक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता हो सकती है।

निष्कर्ष:

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियों के होने के बावजूद, भारत को औद्योगिक क्षेत्र में मज़बूती के लिये उन उद्यमों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनमें भारत के वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की संभावना है।
- देश के नागरिकों का सशक्तीकरण करने की आवश्यकता है ताकि वे देश से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सके तथा बेहतर भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सके।

ग्रामीण भारत के विकास हेतु प्रमुख निर्णय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ग्रामीण भारत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय ग्रामीण किसानों की मदद के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने हेतु कई महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- देश भर में COVID-19 महामारी के तीव्र प्रसार के कारण भारत समेत विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएँ काफी तनाव का सामना कर रही हैं, पहले से ही सुस्त पड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था अब और अधिक संकट की स्थिति में आ गई है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि COVID-19 महामारी से पूर्व भी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारी तनाव का सामना कर रही थी और ग्रामीण मांग काफी न्यूनतम स्तर पर आ गई थी, इसके कारण न केवल भारतीय किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुन: जीवित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- ऐसे में मंदी की स्थिति से निपटने के लिये सरकार द्वारा तमाम तरह के प्रयास किये जा रहे हैं, इन्ही प्रयासों की एक कड़ी के तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं।

प्रमुख निर्णय

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन

- निर्णय: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में ऐतिहासिक संशोधन को मंज़ूरी दी है, जो कि कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है।
  - आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया जाएगा। इस व्यवस्था से निजी निवेशक अत्यधिक नियामकीय हस्तक्षेप के भय से मुक्त हो जाएंगे।
  - वहीं सरकार ने नियामकीय व्यवस्था को उदार बनाने के साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित की है। संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई है कि अकाल, युद्ध, कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।
- आवश्यकता: यद्यपि भारत में अधिकतर कृषि वस्तुओं के उत्पादन में अधिशेष की स्थिति है, किंतु इसके बावजूद कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश के अभाव में किसान अपनी उपज की सही कीमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के भय के कारण उनकी उद्यमशीलता हतोत्साहित होती है।
  - जब भी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली कृषि उपज की अधिक पैदावार होती है, तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में यदि पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाएँ उपलब्ध हों तो व्यापक पैमाने पर इस प्रकार की बर्बादी को रोका जा सकता है।
- लाभ: उत्पादन, भंडारण, ढुलाई, वितरण और आपूर्ति करने की आज़ादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव हो जाएगा और इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment-FDI) को आकर्षित किया जा सकेगा। इससे कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी।
  - यह संशोधन किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिये ही मददगार साबित होगा। इसके साथ ही भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण होने वाली कृषि उपज की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा।

कृषि उपज का बाधा मुक्त व्यापार

- निर्णय: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्द्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020' को मंज़ूरी दी है। इस अध्यादेश का मूल उद्देश्य 'कृषि उत्पाद विपणन समिति' (APMC) की सीमाओं से बाहर किसानों को कारोबार के अतिरिक्त अवसर मुहैया कराना है जिससे कि उन्हें प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल में अपने उत्पादों की अच्छी कीमतें मिल सकें।
- आवश्यकता: कई प्रकार के नियामक प्रतिबंधों के कारण देश के किसानों को अपने उत्पाद बेचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) वाले बाज़ार क्षेत्र के बाहर किसानों पर उत्पाद बेचने पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। उन्हें अपने उत्पाद सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त खरीदारों को ही बेचने की बाध्यता है।
- लाभ: अध्यादेश के लागू होने से किसानों के लिये एक सुगम और मुक्त व्यापार वातावरण निर्मित हो सकेगा जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता होगी।
  - इससे किसानों को अधिक विकल्प मिल सकेंगे, बाज़ार की लागत कम होगी और किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। इसके अलावा अतिरिक्त उपज वाले क्षेत्रों में भी किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सकेगा और साथ ही कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को भी अधिक कीमतें नहीं चुकानी पड़ेंगी।
  - अध्यादेश में कृषि उत्पादों का सुगम व्यापार सुनिश्चित करने के लिये एक ई-प्लेटफॉर्म निर्मित किये जाने का भी प्रस्ताव है।

नोट :

- यह अध्यादेश निश्चित रूप से भारत में 'एक देश, एक कृषि बाज़ार' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा और कठोर परिश्रम करने वाले हमारे किसानों के लिये सही कीमत सुनिश्चित करेगा।

किसानों को विभिन्न हितधारकों से जोड़कर सशक्त बनाना

- निर्णय: प्रधानमंत्री नरेंद्र की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020' को भी स्वीकृति दी है। यह अध्यादेश किसानों की उपज की वैश्विक बाज़ारों में आपूर्ति के लिये आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने का कार्य करेगा। किसानों की ऊँचे मूल्य वाली कृषि हेतु तकनीक और परामर्श तक पहुँच सुनिश्चित होगी, साथ ही उन्हें ऐसी फसलों के लिये तैयार बाज़ार भी मिलेगा।
- आवश्यकता: भारतीय कृषि को खेतों के छोटे आकार के कारण विखंडित खेती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा मौसम पर निर्भरता, उत्पादन की अनिश्चितता और बाज़ार अनिश्चितता इसकी कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं। इसके चलते कृषि में काफी अधिक जोखिम है और इनपुट (Input) तथा आउटपुट (Output) प्रबंधन के मामले में कृषि काफी अप्रभावी है।
- लाभ: यह अध्यादेश ग्रामीण किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर प्रसंस्करणकर्त्ताओं, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इससे किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स (Inputs) तक पहुँच भी सुनिश्चित होगी। इससे विपणन की लागत में कमी आएगी और किसानों की आय भी सुधरेगी।
  - किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा।

किसानों के कल्याण के लिये सरकार की प्रतिबद्धता

- सरकार द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न लोगों को बढ़ावा देने के लिये 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के हिस्से के तौर पर कई कदमों की घोषणा की गई हैं।
- इनमें किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) के ज़रिये रिआयती ऋण देना, कृषि-ढाँचा संबंधी परियोजनाओं के लिये वित्तीय सुविधा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मछलीपालन को मज़बूत करने हेतु उपाय, विभिन्न बिमारियों के विरुद्ध टीकाकरण अभियान, हर्बल खेती (Herbal Cultivation) को प्रोत्साहन, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा और ऑपरेशन ग्रीन (Operation Green) आदि शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi-PM-KISAN) योजना के माध्यम से 9.54 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ हुआ है और लॉकडाउन अवधि के दौरान अब तक 19,515 करोड़ रुपए वितरित किये गए हैं। लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana-PMFBY) के तहत 8,090 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

COVID-19 और भारतीय अर्थव्यवस्था

- देश में कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप को रोकने के लिये देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया है, ऐसे में सभी प्रकार की विनिर्माण और गैर-विनिर्माण गतिविधियाँ रुक गई हैं।
- COVID-19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को काफी गंभीर रूप से प्रभावित किया है और भारत इसका कोई अपवाद नहीं है।
- पहले से ही संकट का सामना कर रही भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक संकट की स्थिति में आ गई है। विभिन्न विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन का भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा।
- ग्रामीण क्षेत्र में COVID-19 का सबसे अधिक प्रभाव कृषि आपूर्ति-श्रृंखला पर देखने को मिला है, यद्यपि सरकार ने परमिट व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक फल और अनाज के आवागमन को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, किंतु इस व्यवस्था का सफल कार्यान्वयन नहीं हो सका और अधिकांश लोगों को इस प्रकार का परमिट नहीं मिल सका।
  - इससे राज्यों के कई किसानों को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।
- लॉकडाउन के कारण देश का कृषि निर्यात पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आँकड़ों के अनुसार, भारत फसलों का एक प्रमुख निर्यातक है और वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का कुल कृषि निर्यात 685 अरब रुपए था।

नोट :

भारत के डिजिटल कर की जाँच

चर्चा में क्यों ?

अमेरिकी वाणिज्य मामलों की एजेंसी 'यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेज़ेंटेटिव' (United States Trade Representative-USTR) नेटफ्लिक्स (Netflix), उबर (Uber), लिंक्डइन (LinkedIn) और स्पॉटिफाई (Spotify) जैसी अमेरिकी डिजिटल सेवा कंपनियों के राजस्व पर भारत सहित 10 देशों द्वारा अपनाए गए या विचाराधीन करों की जाँच शुरू करने पर विचार कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिकी एजेंसी के अनुसार, बीते दो वर्षों में विभिन्न सरकारों ने उस प्रकार के राजस्वों पर कर अधिरोपित किया है अथवा करने पर विचार कर रही हैं, जिसे कंपनियों द्वारा उस देश की सीमा में मौजूदा उपयोगकर्त्ताओं को कुछ डिजिटल सेवाएँ प्रदान करके अथवा उन्हें लक्षित करके उत्पन्न किया गया है।
- इन्हें डिजिटल कर के रूप में लागू किया जा रहा है। जिनके कारण कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
- उल्लेखनीय है कि बीते दिनों भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 1 अप्रैल, 2020 से देश में प्रदान की जाने वाली डिजिटल सेवाओं के लिये सभी विदेशी बिलों पर 2 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।
- यह कर ई-कॉमर्स सेवाएँ प्रदान करने वाली कंपनियों पर भी देय होगा। साथ ही यह कर उन कंपनियों पर भी लागू होगा जो ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को लक्षित करती हैं। यह कर केवल उन गैर-निवासी कंपनियों पर लागू होता है, जिनकी वार्षिक आय 2, 67,000 डॉलर से अधिक है।

भारत का पक्ष

- उम्मीद है कि जल्द ही भारत इस संबंध में USTR को अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएगा। भारत सरकार द्वारा यह तर्क दिया जा सकता है कि भारत सरकार का यह निर्णय वर्ष 1995 के 'सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते' (General Agreement on Trade in Services-GATS) के अनुरूप है।
- साथ ही इस प्रकार के कर के अधिरोपण का निर्णय विश्व की सभी कंपनियों पर लागू होगा, न कि केवल अमेरिकी कंपनियों पर।

इस निर्णय के निहितार्थ

- अमेरिका इस तथ्य को लेकर चिंतित है कि उसके कुछ व्यापारिक भागीदार अमेरिकी कंपनियों को अनुचित रूप से लक्षित करने के लिये विशेष रूप से योजनाएँ डिज़ाइन कर रहे हैं।
- भारतीय परिदृश्य में यह निर्णय संभावित रूप से भारत और अमेरिका के मध्य आगामी समय में होने वाले एक द्विपक्षीय व्यापार सौदे के परिणाम को प्रभावित कर सकता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी वाणिज्य मामलों की एजेंसी का यह निर्णय विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) की असमर्थता की पृष्ठभूमि में अमेरिकी प्रशासन के एकपक्षीय रवैये की शुरुआत का संकेत देता है।

संबंधित अमेरिकी कानून

- अमेरिका के व्यापार अधिनियम, 1974 (Trade Act of 1974) की धारा 301 यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेज़ेंटेटिव (USTR) को किसी भी अन्य देश द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई की जाँच करने का अधिकार देता है जो अनुचित अथवा भेदभावपूर्ण है और जिससे अमेरिकी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेज़ेंटेटिव (United States Trade Representative-USTR)

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में अमेरिका के एक विशेष व्यापार प्रतिनिधि के रूप में हुई थी।
- यह एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये व्यापार नीति विकसित करने और इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति से सिफारिश करने के लिये उत्तरदायी है तथा इसके द्वारा ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर व्यापार वार्ता आयोजित की जाती है ।

नोट :

निष्कर्ष

- विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी भविष्य में इस प्रकार की जाँच और अधिक बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे बहुपक्षीय संगठनों को लगभग निरर्थक बनाने के पश्चात् एकपक्षीय मार्ग अपनाने की अमेरिकी रणनीति का एक हिस्सा बन गया है।
- वैश्विक व्यापार में इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए, यह जाँच अमेरिका द्वारा इस तरह की कार्रवाई के लिये मंच निर्धारित कर सकती है।

वास्तविक समय में विद्युत की खरीद-बिक्री

चर्चा में क्यों ?

विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) ने 3 जून, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर में वास्तविक समय (Real Time) में विद्युत की खरीद-बिक्री हेतु बाज़ार की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि विद्युत् मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम से भारतीय विद्युत बाज़ार भी विश्व में संचालित 'रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट' की श्रेणी में शामिल हो गया है।
- रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट (Real Time Electricity Market-RTEM) एक संगठित बाज़ार है जहाँ भारत के क्रेताओं एवं विक्रेताओं द्वारा वास्तविक समय में आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत की खरीद-बिक्री की जाएगी।
- रियल टाइम मार्केट लागू किये जाने से वास्तविक समय में विद्युत बाज़ार में अपेक्षित लचीलापन आएगा साथ ही बाज़ार में उपलब्ध अधिशेष विद्युत का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- रियल टाइम मार्केट में एक दिन में कुल 48 नीलामी सत्र (Auction Sessions) आयोजित किये जाएंगे अर्थात् प्रत्येक 30 मिनट पर विद्युत की नीलामी की जाएगी और सत्र बंद होने के एक घंटे के भीतर विद्युत का वितरण किया जाएगा।
- रियल टाइम मार्केट के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्काम) को प्रतिस्पर्द्धा मूल्य पर बाज़ार में पहुँचने के लिये एक वैकल्पिक तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- लंबी अवधि के अनुबंध एवं रियल टाइम मार्केट में सहभागिता करने के लिये विद्युत उत्पादक कंपनियों के लिये विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ लाभ साझा करने हेतु एक तंत्र उपलब्ध कराया गया है।
- गौरतलब है कि रियल टाइम मार्केट से वर्ष 2022 तक भारत सरकार के 175 गीगावाट (Gigawatt- GW) नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy-RE) के लक्ष्य को प्राप्त करने मंन मज़बूती मिलेगी।
- राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (National Load Despatch Centre)-पोसोको (POSOCO) बिजली एक्सचेंज के बीच समन्वय में स्वचालन को लेकर ज़रूरी सुविधा उपलब्ध करा रहा है ताकि रियल टाइम मार्केट के तहत तेज़ी से व्यापार किया जा सके।

पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (Power System Operation Corporation Limited-POSOCO):

- 'पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड' भारत सरकार का उपक्रम है जो क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों (Regional Load Despatch Centres-RLDCs) और राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (National Load Despatch Centre-NLDC) के संचालन और जनशक्ति की आवश्यकता से संबंधित सभी पहलुओं का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करता है।
- इसमें 5 क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और एक राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र शामिल है।
- 'राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र और क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र' विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत कार्य करते हैं।

नोट :

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के कार्य:

- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग एवं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए दिशा-निर्देशों या नियमों के अनुसार प्रेषण प्रणाली के संचालन से संबंधित जानकारी का प्रसार करना।
- राष्ट्रीय ग्रिड का संचालन एवं उनकी सुरक्षा करना।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा के विनिमय हेतु समन्वय करना

उद्देश्य:

- विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को अपनी विद्युत आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना।
- डिस्कॉम को अपनी विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की निरंतर या परिवर्तनशील प्रकृति के कारण ग्रिड प्रबंधन की चुनौतियों को रियल टाइम मार्केट की साहयता से कम करना।
- बोली लगाने के अल्प समय और परिभाषित प्रक्रियाओं के कारण क्रेता अपनी ज़रूरत के हिसाब से विद्युत की खरीद कर सकेंगे।
- विद्युत उत्पादक कंपनियों को भी अपनी गैर-आवश्यक क्षमता को बेचने का अवसर प्राप्त होगा जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।
- विद्युत खरीद की लागत को कम किया जा सकेगा साथ ही विद्युत की ज़रूरत पड़ने पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट से खरीदा भी जा सकता है।

द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम-ट्यूलिप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में अपनी तरह का पहला 'द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम-ट्यूलिप' (The Urban Learning Internship Program-TULIP) लॉन्च किया है।

कार्यक्रम संबंधी प्रमुख बिंदु

- अपनी तरह के इस पहले कार्यक्रम में स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी कर चुके छात्रों को देश भर के शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies-ULBs) एवं स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं में इंटर्नशिप (Internship) करने का अवसर मिलेगा।
- इंटर्नशिप की अवधि आठ सप्ताह से एक वर्ष तक की हो सकती है, हालाँकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस दौरान छात्रों को किसी प्रकार का भुगतान किया जाएगा अथवा नहीं।
- कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही इससे संबंधित पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।
- ट्यूलिप कार्यक्रम 4400 शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के माध्यम से भारत में इंटर्नशिप का बड़ा अवसर प्रदान करेगा।
  - इस कार्यक्रम का कोई भी विशिष्ट बजट निर्धारित नहीं किया गया है, किंतु शहरी स्थानीय निकाय और स्मार्ट सिटी चाहें तो वेतन अथवा भत्तों का भुगतान करने के लिये केंद्र द्वारा आवंटित प्रशासनिक खर्चों का उपयोग कर सकते हैं। इस संबंध में वे अपनी स्वयं की चयन प्रक्रिया भी निर्धारित कर सकते हैं।
- यह योजना आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education-AICTE) के मध्य 5 वर्ष का संयुक्त उपक्रम है।
- इस संबंध में जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिये जिसने बीते 18 महीनों के भीतर कॉलेज का अंतिम वर्ष पूरा किया हो।

कार्यक्रम के लाभ

- अनुमान के अनुसार, पहले वर्ष में इस कार्यक्रम के तहत 25000 छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा, इससे न केवल अधिक-से-अधिक युवाओं को शहरी स्थानीय निकायों की विस्तृत कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा, बल्कि इसके ज़रिये देश में एक ऐसा मानव संसाधन पूल भी तैयार होगा जिसे उद्योग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य के लिये अनुबंधित कर सकेंगे।

नोट :

- इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक परिस्थितियों में कार्य करने का अनुभव मिलेगा, जिससे वे बाज़ार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकेंगे। इस प्रकार छात्रों के लिये उपलब्ध विकल्पों की संख्या में भी वृद्धि होगी।
- इसके ज़रिये राष्ट्र-निर्माण में युवाओं की क्षमता का यथासंभव प्रयोग हो सकेगा।
- यह कार्यक्रम भारत की शहरी चुनौतियों के समाधान के लिये सह-निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं को जोड़ने के साथ ही नए विचारों और ऊर्जा के प्रसार को बढ़ावा देगा।

आगे की राह

- ट्यूलिप कार्यक्रम 'न्यू इंडिया' की नींव रखने में मददगार होगा क्योंकि यह छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देने के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के कामकाज में नए विचारों और नवीन सोच को भी बढ़ावा देगा।
- यह कार्यक्रम युवाओं को नई सोच और अभिनव तौर तरीकों से स्थानीय शहरी निकायों के काम काज में सुधार लाने का अवसर प्रदान करेगा।

तीन नई कोयला खदानों की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited- CIL) की सहायक कंपनी 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' (Western Coalfields Ltd- WCL) ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' द्वारा 'संवाद' (SAMVAAD) नामक एक एप भी लॉन्च किया गया है।
- इसके साथ ही 'डब्ल्यूसीएल आई' (WCL EYE) और 'मिशन 100 डेज़' (Mission 100 Days) की भी शुरुआत की गई है।
- 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' द्वारा शुरू की गईं इन खदानों की संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.9 MT (मिलियन टन) होगी।
- 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' कंपनी इन खदानों पर कुल 849 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करेगी जिससे 647 लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' ने 20 नई परियोजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिनमें से 14 परियोजनाएँ महाराष्ट्र और 6 परियोजनाएँ मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी।
- इन परियोजनाओं पर कुल 12753 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया जाएगा जिससे 14000 से भी अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' द्वारा इन नए कोयला खदानों की शुरुआत 20 नई परियोजनाओं का हिस्सा हैं।
- गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' ने 57.64 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8% से भी अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

नए कोयला खदान:

1. अदसा खदान (महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में), जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.5 मिलियन टन होगी।
2. शारदा भूमिगत खदान (मध्य प्रदेश के कन्हान क्षेत्र में), जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 0.4 मिलियन टन होगी।
3. धनकसा भूमिगत खदान (मध्य प्रदेश के पेंच क्षेत्र में), जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 1 मिलियन टन होगी।

उद्देश्य:

- वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' द्वारा 75 MT (मिलियन टन) कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 'कोल इंडिया लिमिटेड' द्वारा 1 बिलियन टन उत्पादन करने का लक्ष्य है।

नोट :

संवाद एप (SAMVAAD App):

- 'संवाद' एप कर्मचारियों और हितधारकों के लिये एक मोबाइल और डेस्कटॉप एप है, जो सुझाव/प्रतिक्रिया/अनुभव साझा करने के लिये एक आभासी या वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।
- त्वरित प्रतिक्रिया टीमें 7 दिनों की निर्धारित अवधि में प्रश्नों और फीडबैक का जवाब देंगी।

डब्ल्यूसीएल आई (WCL EYE):

- 'डब्ल्यूसीएल आई' एक निगरानी प्रणाली है जिसके माध्यम से 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' की 15 प्रमुख खदानों के परिचालन की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी।
- 15 प्रमुख खदानों की हिस्सेदारी 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' के कुल कोयला उत्पादन में 70% है।
- 'डब्ल्यूसीएल आई' कोल स्टॉक की निगरानी और कार्यस्थल पर कोयले की उपलब्धता एवं रेलवे के पास कोयले की रैक और लोडिंग की निगरानी तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी।

मिशन 100 डेज़ (Mission 100 Days):

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' ने 62 मिलियन टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 'मिशन 100 डेज़' के नाम से एक रोडमैप लॉन्च किया है।
- 'मिशन 100 डेज़' कंपनी के मध्यमकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (Western Coalfields Ltd- WCL)

- 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' 'कोल इंडिया लिमिटेड' की आठ सहायक कंपनियों में से एक है। यह कंपनी कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) के प्रशासनिक नियंत्रण में है ।
- 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है। इसका पंजीकृत कार्यालय नागपुर में स्थित है।
- मार्च 2007 में 'वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' को 'मिनीरत्न' (Miniratna) का दर्जा प्रदान किया गया था।

कर सुधार

चर्चा में क्यों ?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में हुए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी हुई है, किंतु प्रत्यक्ष करों के संग्रह में हुई यह गिरावट संभावनाओं के अनुरूप ही है।

प्रमुख बिंदु

- वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकार द्वारा लागू किये गए ऐतिहासिक कर सुधारों के साथ-साथ वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान काफी अधिक रिफंड जारी किये जाने के कारण यह गिरावट अस्थायी है।
- उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 1.84 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया था, जो कि वित्त वर्ष 2018-19 में किये गए 1.61 लाख करोड़ रुपए के रिफंड की तुलना में काफी अधिक है।

प्रमुख कर सुधार

- निगम कर की दर में कमी
  - विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से एक ऐतिहासिक कर सुधार लागू किया है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2019-20 से सभी मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिये 22 प्रतिशत की रियायती कर व्यवस्था प्रदान की गई, बशर्ते कि वे किसी भी निर्दिष्ट छूट या प्रोत्साहन का लाभ न उठाएँ।
  - इसके अलावा, इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax-MAT) के भुगतान से भी छूट दे दी गई है।

नोट :

- नई विनिर्माण घरेलू कंपनियों हेतु प्रोत्साहन
  - विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 के माध्यम से नई विनिर्माण घरेलू कंपनी के लिये कर की दर को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है, बशर्ते कि इस तरह की कंपनी किसी भी निर्दिष्ट छूट या प्रोत्साहन का लाभ न उठाए। इन कंपनियों को भी न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) के भुगतान से छूट दी गई है।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर में कटौती
  - सरकार ने कंपनियों को राहत प्रदान करने के लिये न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax-MAT) की दर भी 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है।
- आयकर में छूट
  - 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को आयकर के भुगतान से पूरी तरह राहत प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम, 2019 के माध्यम से 100 प्रतिशत कर छूट प्रदान की गई है।
  - इसके अलावा, वेतनभोगी करदाताओं को राहत देने के लिये वित्त अधिनियम, 2019 के माध्यम से मानक कटौती (Standard Deduction) को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है।

उपरोक्त सुधारों का राजस्व प्रभाव निगम कर के लिये 1.45 लाख करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर के 23,200 करोड़ रुपए आंका गया है।

- लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax-DDT) की समाप्ति
  - सरकार ने भारतीय इक्विटी बाज़ार का आकर्षण बढ़ाने और निवेशकों के एक बड़े वर्ग को राहत देने के लिये वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से लाभांश वितरण कर (DDT) को समाप्त कर दिया है, जिसके तहत कंपनियों को 01.04.2020 से डीडीटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- विवाद से विश्वास
  - वर्तमान समय में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष करों से संबंधित विवाद अधिनिर्णय के विभिन्न स्तरों पर में लंबित हैं। इन कर विवादों में सरकार के साथ-साथ करदाताओं के संसाधनों का भी एक बड़ा हिस्सा लग जाता है और इसके साथ ही ये विवाद सरकार को समय पर राजस्व संग्रह से वंचित कर देते हैं।
  - इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लंबित कर विवादों के त्वरित समाधान की नितांत आवश्यकता महसूस की गई, जो न केवल समय पर राजस्व सृजित करके सरकार को लाभांवित करेगा, बल्कि करदाताओं को भी लाभांवित करेगा। 'प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020' को 17 मार्च, 2020 को कानून का रूप दिया गया जिसके तहत फिलहाल विवादों को निपटाने के लिये घोषणाएँ दाखिल की जा रही हैं।
- डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना
  - अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को सुगम बनाने और बेहिसाब लेन-देन को कम करने के लिये विभिन्न उपाय किये गए हैं, जिनमें डिजिटल टर्नओवर पर अनुमानित लाभ की दर में कमी करना, लेन- देन के निर्दिष्ट तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate-MDR) को हटाना, नकद लेन-देन के लिये प्रारंभिक सीमा को कम करना, कुछ विशेष नकदी लेन-देन पर रोक लगाना आदि शामिल हैं।
- अपील दाखिल करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाना
  - करदाताओं की शिकायतों/मुकदमेबाजी में प्रभावकारी रूप से कमी लाने और मुख्यत: जटिल कानूनी मुद्दों एवं अधिक कर अदायगी वाले मुकदमों पर ही आयकर विभाग का ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिये विभागीय अपील दाखिल करने हेतु आरंभिक मौद्रिक सीमा को आयकर अपील अधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) में अपील करने के लिये 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए, उच्च न्यायालय में अपील करने के लिये 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

नोट :

सीमा समायोजन कर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'नीति आयोग' (The National Institution for Transforming India-NITI Aayog) के एक सदस्य द्वारा घरेलू उद्योगों को संरक्षण/एक समान स्तर प्रदान करने के लिये आयात पर 'सीमा समायोजन कर' (Border Adjustment Tax- BAT) लगाने का समर्थन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह सुझाव संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के मध्य चल रहे व्यापार तनाव को ध्यान में रखते हुए दिया गया है जिसे देखकर आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह व्यापार तनाव COVID-19 महामारी के बाद भी जारी रह सकता है।
- 'सीमा समायोजन कर' एक ऐसा कर है जो बाहर से आयातित सामान पर बंदरगाह पर लेवी शुल्क के अलावा लगाया जाता है।
- यह एक राजकोषीय उपाय है जिसे 'कर के गंतव्य सिद्धांत' (Destination Principle of Taxation) के अनुसार वस्तुओं या सेवाओं पर लगाया जाता है।
  - इस सिद्धांत के अनुसार, सरकारी कर उत्पादों को, अंतिम उपभोक्ता के लिये उनके उत्पादन या उत्पत्ति के स्थान के बजाय उनकी बिक्री के स्थान के आधार पर तैयार किया जाता है।
- इस प्रकार, इस कर के माध्यम से एक देश के व्यापार को एक निश्चित 'कर सीमा पर' (At The Border) समायोजित करने के लिये-
  - आयातित उत्पादों और घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पादों को उसी आधार पर और उसी दर पर बेचा जाता है।
  - विदेशी उपभोक्ताओं को निर्यात किये गए उत्पादों पर कर से छूट दी जाती है।
- सामान्यत: यह कर अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पादों या सेवाओं की आपूर्ति करने वाली विदेशी और घरेलू कंपनियों के लिये 'प्रतिस्पर्धा की समान स्थिति' (Equal Conditions of Competition) को बढ़ावा देता है।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों एवं मुख्य शर्तों के तहत कुछ विशेष प्रकार के आंतरिक करों के समायोजन की अनुमति हैं। ये शर्तें इस प्रकार हैं-
  - घरेलू उत्पाद के समान ही आयात पर भी कर समान रूप से लागू होना चाहिये।
  - कर उत्पाद पर लिया जाना चाहिये और यह 'प्रत्यक्ष' नहीं होना चाहिये ।
  - 'अनुमत सीमा कर समायोजन' को निर्यात पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिये ।

'सीमा समायोजन कर' का व्यापारिक भागीदारों पर पड़ने वाला प्रभाव:

- वृहद स्तर पर, आयात कम होने और निर्यात बढ़ने के साथ, एक देश अपने व्यापार घाटे में कटौती कर सकता है।
  - यदि कोई देश कई अन्य विकासशील देशों के लिये एक प्रमुख निर्यात बाज़ार है, तो कर योजना के कार्यान्वयन के कारण उन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
  - मूल्य वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये घरेलू सामानों पर बिजली शुल्क, मंडी कर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर और रॉयल्टी जैसे विभिन्न करों को लगाया जाता है। इसके कारण भारत में आयातित वस्तुओं को मूल्य लाभ (Price Advantage) प्राप्त होता है।
- भारतीय उद्योगों द्वारा हमेशा ऐसे घरेलू करों के बारे में शिकायतें की जाती रही हैं जो घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर वसूल किये जाते हैं क्योंकि ये कर उत्पाद में अंतर्निहित होते हैं।
- कई प्रकार के आयातित सामान अपने मूल देश में इस तरह की लेवी के साथ लोड नहीं किये जाते हैं जिससे भारत में ऐसे उत्पादों को मूल्य लाभ मिलता है।

नोट :

राइट्स इश्यू' और महामारी का संकट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (Reliance Industries Limited) ने 'राइट्स इश्यू' (Rights Issue) तंत्र का प्रयोग करते हुए 53,124 करोड़ रुपए की पूंजी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त महिंद्रा फाइनेंस और टाटा पॉवर जैसी कई अन्य कंपनियाँ भी 'राइट्स इश्यू' के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी जुटाने का विचार कर रही हैं।

'राइट्स इश्यू' का अर्थ

- 'राइट्स इश्यू' का अभिप्राय एक ऐसे तंत्र से होता है जिसके द्वारा कंपनियाँ अपने मौजूदा शेयरधारकों से अतिरिक्त पूंजी जुटा सकती हैं।
- इस तंत्र का प्रयोग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किया जाता है और इसके ज़रिये कंपनी अपने शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती हैं।
- विशेषज्ञ के अनुसार, 'राइट्स इश्यू' तंत्र फंड जुटाने के लिये एक अधिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है क्योंकि यह मौजूदा शेयरधारकों को कंपनी में पहले निवेश करने का अधिकार देता है।
- 'राइट्स इश्यू' के लिये एक तारीख निर्धारित की जाती है, जिसकी घोषणा स्वयं कंपनी द्वारा की जाती है, इस निश्चित तारीख पर ही अतिरिक्त शेयर खरीदने का अवसर दिया जाता है।

मौजूदा समय में 'राइट्स इश्यू' का महत्त्व

- नियमों के अनुसार, किसी भी कंपनी को 'राइट्स इश्यू' तंत्र का प्रयोग कर धन जुटाने के लिये शेयरधारकों की बैठक की आवश्यकता नहीं होती है और केवल निदेशक मंडल (Board of Directors) से अनुमोदन प्राप्त करना ही काफी होता है।
- इसीलिये इस तंत्र के माध्यम से पूंजी जुटाना अपेक्षाकृत काफी आसान होता है और इसमें अधिक समय भी नहीं लगता है, जो कि मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल है, जबकि पूंजी जुटाने के अन्य माध्यमों के अंतर्गत शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिसके लिये काफी समय की आवश्यकता होती है।
- इस प्रकार हम 'राइट्स इश्यू' को पूंजी जुटाने का एक अधिक कुशल तंत्र कह सकते हैं।

'राइट्स इश्यू' से संबंधित सुधार

- गौरतलब है कि बीते एक वर्ष में SEBI ने 'राइट्स इश्यू' प्रक्रिया में सुधार के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जहाँ एक ओर SEBI द्वारा इस तंत्र को लेकर कुछ स्थायी सुधार किये गए हैं, वहीं कुछ सुधार मौजूदा COVID-19 महामारी के कारण किये गए हैं, जो कि अस्थायी हैं।
- COVID-19 के मद्देनज़र लिये गए निर्णय
  - कंपनियों के लिये मौजूदा संकट के दौरान धन जुटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से SEBI ने 31 मार्च, 2021 या उससे पूर्व 'राइट्स इश्यू' प्रक्रिया को शुरू करने वाली कंपनियों के लिये दिशा-निर्देशों को कुछ शिथिल किया है।
  - सार्वजनिक शेयरधारिता के औसत बाज़ार पूंजीकरण की पात्रता आवश्यकता को 250 करोड़ रुपए से घटाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
  - इसके अतिरिक्त 'राइट्स इश्यू' के माध्यम से 25 करोड़ रुपए तक की धनराशि एकत्रित करने वाली सूचीबद्ध संस्थाओं को अब SEBI के समक्ष ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (Draft Offer Document) को दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
  - 'ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट' का अभिप्राय उस पहले दस्तावेज़ से होता है, जो 'राइट्स इश्यू' अथवा किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से धन जुटाने के लिये किसी कंपनी द्वारा SEBI तथा स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाता है। इस दस्तावेज़ में इस प्रक्रिया का विवरण शामिल होता है।
- 'राइट्स इश्यू' के संबंध में स्थायी सुधार
  - बीते वर्ष नवंबर माह में SEBI ने 'राइट्स इश्यू' की प्रक्रिया में लगने वाले समय को 55 दिनों से घटाकर 31 कर दिया था, जिससे समय में कुल 40 प्रतिशत की कटौती हुई थी। इस कदम का लक्ष्य 'राइट्स इश्यू' प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना था।

नोट :

- ‘राइट्स इश्यू’ की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिये SEBI ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाने वाली अग्रिम सूचना की अवधि को सात दिनों से घटाकर तीन दिन कर दिया था।
- 22 जनवरी, 2020 को SEBI ने ‘राइट्स इश्यू’ की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और शेयर एंटाइटलमेंट फ्रेमवर्क (Rights Entitlement Framework) को पेपररहित बनाने के लिये एक विस्तृत प्रक्रिया जारी की थी।

‘राइट्स इश्यू’ का उद्देश्य

- कंपनियाँ पूंजी जुटाने के लिये ‘राइट्स इश्यू’ प्रक्रिया का प्रयोग करती हैं।
- साथ ही कंपनियाँ अपने व्यवसाय का विस्तार करने और किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण करने हेतु पैसे जुटाने के लिये भी ‘राइट्स इश्यू’ का प्रयोग करती हैं।
- इसके अतिरिक्त कुछ कंपनियाँ अपने कर्ज को कम करने के लिये भी ‘राइट्स इश्यू’ का प्रयोग करती हैं।

राजस्व गिरावट एवं जीएसटी परिषद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ‘गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स काउंसिल’ (Goods and Services Tax- GST Council) द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य बड़े पैमाने पर आई राजस्व में कमी को लेकर जुलाई में ‘एकल-बिंदु एजेंडा’ (Single-Point Agenda) बैठक को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस बैठक में परिषद द्वारा धन जुटाने तथा गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स के नुकसान की भरपाई करने के तरीकों में से एक, बाज़ार ऋण को लेने पर चर्चा की जाएगी।
- ‘जीएसटी अधिनियम’ में इस बात की गारंटी दी गई है कि जीएसटी कार्यान्वयन (2017-2022) के पहले पाँच वर्षों में राजस्व में किसी भी नुकसान की भरपाई को उपकर (Cess) के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
  - उपकर कर के ऊपर लगाया जाने वाला कर है। सामान्यत: इसे किसी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिये लगाया जाता है।
- जीएसटी अधिनियम के तहत यदि राज्यों का वास्तविक राजस्व अनुमानित राजस्व से कम संग्रहित होता है, तो इस अंतर की भरपाई की जाएगी।
- आधार वर्ष 2015-16 पर राज्यों के लिये अनुमानित राजस्व में हर वर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि होती है।
- चालू वित्त वर्ष (2020-21) के पहले दो माह में, राज्यों तथा केंद्र द्वारा जीएसटी द्वारा कुल राजस्व संग्रह मासिक लक्ष्य का केवल 45 प्रतिशत ही रहा है।
- राज्यों द्वारा संग्रहित राजस्व लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020-21 के लिये, संयुक्त मासिक जीएसटी राजस्व लक्ष्य अनुमानित बजट अनुमान का 1.21 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2017 में आयोजित GST काउंसिल की 8 वीं बैठक में राज्यों द्वारा ऋण लेने के विकल्प पर चर्चा की गई।
- इस बैठक में राज्यों द्वारा बाज़ार से उधार लेने तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के तरीकों को जीएसटी परिषद द्वारा निश्चित किया जाना तय किया गया। जिसकी वापसी छठे वर्ष या उसके बाद के वर्षों में उपकर के संग्रह द्वारा की जा सकती है।
- जीएसटी क्षतिपूर्ति कानून में प्रावधान है कि परिषद द्वारा अनुशंसित अन्य राशियों को उपकर की कमी के लिये प्रदान किया जाएगा।
- राज्यों को मुआवज़ा उस उपकर राशि से प्रदान किया जाना है जो क्षतिपूर्ति कोष में जमा होती है।

वर्तमान परिदृष्य में जीएसटी परिषद का निर्णय:

- जीएसटी परिषद द्वारा 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने से संबंधित राहत प्रदान की गई है।
- छोटे करदाताओं द्वारा फरवरी, मार्च तथा अप्रैल माह में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में हुई देरी के बावजूद 9 प्रतिशत तक कम दर पर किया गया है, बशर्ते रिटर्न सितंबर 2020 तक दाखिल किया जाना चाहिये।
- बिना किसी ब्याज या विलंब शुल्क के मई, जून और जुलाई माह के लिये रिटर्न भरने की समय सीमा को सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।

नोट :

आगे की राह:

वर्तमान समय में राज्यों के राजस्व संग्रह में आई कमी परिस्थितिजन्य अधिक है अत: इस क्षतिपूर्ति के समाधान पर चर्चा जुलाई में होने वाली बैठक का मुख्य मुद्दा होगा।

हालांकि सरकार द्वारा राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए है जिनके चलते सरकार द्वारा जीएसटी के मोर्चे पर कुछ राहत प्रदान की गई है जैसे-.जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में ढील दी, बड़ी कंपनियों को विलंब शुल्क तथा जुर्माने से छूट इत्यादि।

निजी बैंकों की समीक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व, संचालन एवं कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिये एक समिति/आंतरिक कार्य समूह का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस पाँच सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Group -IWG) का गठन सेंट्रल बोर्ड के निदेशक पी के मोहंती की अध्यक्षता में किया है।
- यह कदम वर्ष 2020 की शुरुआत में आरबीआई तथा निजी क्षेत्र के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के बीच मे प्रवर्तकों की हिस्सेदारी की समीक्षा के संबंध में अदालत से बाहर हुए समाधान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
- केंद्रीय बैंक द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक की हिस्सेदारी को 26 प्रतिशत पर सीमित रखने की अनुमति दी गई साथ ही वोटिंग के अधिकार की सीमा 15 प्रतिशत तय की गई।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा नियमों के तहत, निजी क्षेत्र के बैंक के प्रवर्तक को तीन वर्ष में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 40 प्रतिशत, दस वर्ष में 20 प्रतिशत और 15 वर्ष में 15 प्रतिशत पर आवश्यक रूप से लाने का प्रावधान किया गया है।
- यह समिति 30 सितंबर, 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आंतरिक कार्य समूह/समिति के कार्य:

- इस कार्य समूह द्वारा भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिये स्वामित्त्व तथा कॉर्पोरेट ढाँचे पर मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा की जाएगी।
- कार्य समूह/समिति भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों के लाइसेंसिंग से संबंधित दिशा-निर्देशों तथा स्वामित्व और नियंत्रण से जुड़े नियमनों की समीक्षा करने के साथ-साथ उपयुक्त सुझाव भी प्रस्तुत करेगी ।
- अपने सुझाव प्रस्तुत करते समय समिति को स्वामित्त्व और नियंत्रण पर अत्यधिक ध्यान देने वाले मुद्दे तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार एवं घरेलू ज़रूरतों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- समिति द्वारा शुरुआती-लाइसेंसिंग स्तर पर प्रवर्तकों की शेयरधारिता से संबंधित नियमों और शेयरधारिता घटाने की समय-सीमा की भी समीक्षा की जाएगी।
- गठित समूह बैंकिंग लाइसेंस के लिये आवेदन करने तथा सभी संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करने के लिये व्यक्तियों/संस्थाओं के लिये पात्रता एवं मानदंडों की जाँच एवं समीक्षा करेगा।
- यह गैर-सहकारी वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के माध्यम से वित्तीय सहायक कंपनियों के संचालन पर मौजूदा नियमों का अध्ययन करेगी तथा सभी बैंकों को एक समान विनियमन में स्थानांतरित करने हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी ।

गठित समिति का महत्त्व:

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित इस कार्य समूह की समीक्षा द्वारा विभिन्न समयावधि में स्थापित बैंकों के लिये लागू नियमों को तर्कसंगत एवं उचित रूप से लागू किया जा सकेगा।
- बैंकिंग लाइसेंस प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

नोट :

अन्य देशों में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

कई देशों द्वारा अनुरोध किये जाने बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) विदेशों में अपनी भुगतान प्रणाली के विस्तार की संभावनाएँ तलाश रहा है।

प्रमुख बिंदु

भुगतान प्रणाली के लिये अनुरोध:

- RBI को अपनी भुगतान प्रणालियों जैसे- चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (National Electronic Fund Transfer-NEFT), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface-UPI) और संदेशों को प्रसारित करने संबंधी समाधानों को लागू करने के लिये विदेशों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

कारण:

- भारत में कम लागत वाले नवीन डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता के कारण कई देशों ने भारतीय भुगतान प्रणाली में अपनी रुचि व्यक्त की है।

भारत के बाहर भुगतान प्रणाली की उपलब्धता:

- वर्तमान में RBI द्वारा अधिकृत भुगतान प्रणाली का ऐसा कोई भी ऑपरेटर नहीं है जो भारत के बाहर ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करता हो।
- हालाँकि CTS, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) और NEFT के सहयोग से भूटान के साथ एक क्रॉस कंट्री को-ऑपरेशन पर कार्य किया जा रहा है। NEFT की सुविधा भारत से नेपाल में होने वाले एकतरफा अंतरण के लिये भी उपलब्ध है

भारत के बाहर भुगतान प्रणाली के विस्तार की संभावना:

- RBI के अनुसार, भुगतान प्रणाली के मानकों में कुछ बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी एवं आवश्यक सहयोग के माध्यम से भारतीय भुगतान प्रणालियों को वैश्विक मंच पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इसमें प्रेषण को भी शामिल किया जा सकता है।
- गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर RuPay कार्ड योजना और UPI के ब्रांड मूल्य, दायरे, कवरेज़ और उपयोग को बढ़ाने एवं अधिक व्यापक रूप देने के विभिन्न प्रयास भी किये गए हैं।

इसमें निहित अन्य मुद्दे:

- विदेशी फंड्स (डिजिटल भुगतानों के माध्यम से प्राप्त होने वाले फंड्स) पर अत्यधिक निर्भरता भारत में संभावित तरलता जोखिम जैसे मुद्दों को बढ़ावा दे सकती है।
- विभिन्न देशों की अलग-अलग समय प्रणाली डिजिटल भुगतान में जोखिम पैदा कर सकती हैं।

डिजिटल भुगतान और भारत (Digital Payments and India):

- भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान का बढ़ता उपयोग नकदी के इस्तेमाल को प्रभावित करता प्रतीत हो रहा है।
- RBI के अनुसार, देश में डिजिटल भुगतान में मात्रा और मूल्य के मामले में क्रमश: 61% और 19% की वृद्धि देखी गई है।
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लिये डिजिटल भुगतान का मूल्य भी वर्ष 2014-15 के 660% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 862% हो गया है।
- पॉइंट ऑफ सेल (PoS) टर्मिनल 35% की उच्च गति से बढ़ें हैं जबकि इसके विपरीत नए ATMs लगाने की गति कम (4%) हुई है।

नोट :

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)

- यह तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)- कैशलेस भुगतान को तीव्र, आसान और सुगम बनाने के लिये राउंड-द-क्लॉक (अर्थात् 24 घंटे उपलब्ध) सेवा, का एक उन्नत संस्करण है।
- UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भागीदार बैंक) में, कई बैंकिंग सुविधाओं, एक ही फंड में समेकित फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को, सन्निहित कर देती है।
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने वर्ष 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ UPI को लॉन्च किया था।

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer)

- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer-NEFT) देश की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणालियों में से एक है। इसकी शुरुआत नवंबर 2005 में की गई थी।
- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है। इस योजना के तहत व्यक्ति, फर्म और कॉरपोरेट संस्था/संगठन किसी भी बैंक शाखा से देश के किसी भी कोने में स्थापित अन्य बैंक शाखा (योजना के तहत शामिल बैंक) के खाताधारक किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट संस्था/संगठन को धनराशि हस्तांतरित कर सकते हैं।
- NEFT के माध्यम से कितनी भी न्यूनतम अथवा अधिकतम धनराशि हस्तांतरित की जा सकती है, अर्थात् इसकी कोई सीमा नहीं है।
- हालाँकि भारत के भीतर नकद आधारित प्रेषणों और भारत-नेपाल प्रेषण सुविधा योजना के तहत नेपाल के लिये होने वाले प्रेषण के लिये प्रति लेन-देन अधिकतम 50,000 रुपए की सीमा तय की गई है।

RuPay कार्ड योजना

- RuPay भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है।
- यह नाम रुपे (Rupee) और, पेमेंट (Payment) दो शब्दों से मिलकर बना है जो इस बात पर ज़ोर देता है कि यह डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतानों के लिये भारत की स्वयं की पहल है।
- इस कार्ड का उपयोग सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और सऊदी अरब में लेन-देन के लिये भी किया जा सकता है।

चेक ट्रंकेशन सिस्टम Cheque Truncation System (CTS)

- ट्रंकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आहरणकर्त्ता द्वारा जारी किये गए भौतिक (मूल) चेक को चेक के प्रस्तुतीकरण वाले बैंक से अदाकर्त्ता बैंक शाखा तक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। चेक के स्थान पर क्लियरिंग हाउस द्वारा इसकी इलेक्ट्रॉनिक फोटो अदाकर्त्ता शाखा को भेज दी जाती है जिसके साथ इससे संबंधित जानकारी जैसे- प्रस्तुति की तारीख, प्रस्तुत करने वाला बैंक इत्यादि भी भेज दी जाती है। इस तरह से चेक ट्रंकेशन के माध्यम से समाशोधन (Clearing) के प्रयोजनों हेतु कुछ अपवादों को छोड़कर, लिखतों की एक शाखा से दूसरी शाखा में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह प्रभावी ढंग से चेक के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में लगने वाली लागत को समाप्त करता है, उनके संग्रहण में लगने वाले समय को कम करता है और चेक प्रोसेसिंग की समस्त प्रक्रिया को बेहतर बनाता है।

राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह National Automated Clearing House (NACH)

- राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह/नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India-NPCI) द्वारा उपलब्ध कराई गई एक सेवा है। NACH इलेक्ट्रॉनिक अंतरण/ट्रांसफर, हाई वॉल्यूम ट्रांसफर और आवधिक अंतर-बैंक लेन-देन के लये उपयुक्त है।

विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत में 'विदेशी मुद्रा भंडार' (Foreign Exchange Reserves) पहली बार 500 बिलियन डॉलर के आँकड़े को पार कर गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, जून के प्रथम सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.2 बिलियन डॉलर बढ़ गया, जो कि सितंबर 2007 के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक छलांग है।
- विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति (Foreign Currency Assets- FCAs) जो 'विदेशी मुद्रा भंडार' का प्रमुख घटक है, में 8.42 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के कारण अब यह 463.63 बिलियन डॉलर हो गया है।
- 5 जून को समाप्त सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) में 329 मिलियन डॉलर के कमी के कारण अब यह 32.352 बिलियन डॉलर हो गया है।
- विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights) बढ़कर 1.44 बिलियन डॉलर (10 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी) हो गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) में आरक्षित निधि बढ़कर 4.28 बिलियन डॉलर (120 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी) हो गई है।
- ध्यातव्य है कि 6, मार्च 2020 तक विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर 487.23 बिलियन डॉलर पर था।
- 'विदेशी मुद्रा भंडार' में वृद्धि मुख्य रूप से 'विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति' (Foreign Currency Assets- FCAs) में वृद्धि के कारण हुई है।
- मुद्रा व्यापारियों के अनुसार, केंद्रीय बैंक द्वारा हस्तक्षेप तथा मुद्रा पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से लाभ के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में तेज़ वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत के पास लगभग 14 महीनों के आयात को पूरा करने के लिये पर्याप्त भंडार है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में अब तक विदेशी मुद्रा भंडार 40 बिलियन डॉलर बढ़ गया, जबकि रुपए में इसी अवधि के दौरान 6% की गिरावट आई है। यह दर्शाता है कि भारतीय मुद्रा की गिरावट को रोकने हेतु RBI मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करने को लेकर गंभीर नहीं है।

विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves):

- किसी देश/अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी विदेशी मुद्रा संपत्ति/भंडार कहलाती है।
- किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्त्व शामिल होते हैं-
  - विदेशी परिसंपत्तियाँ (विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉण्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा में)
  - स्वर्ण भंडार (Gold Reserves)
  - IMF के पास रिज़र्व कोष (रिज़र्व ट्रैंच)
  - विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights-SDR)

विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights-SDR):

- विशेष आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) की मुद्रा है। IMF ने इसे वर्ष 1969 में अपनाने का निर्णय लिया और वर्ष 1970 से मुद्रा के रूप में अपनाया।
- व्यवहार में SDR के सिक्के या नोट चलन में नहीं होते, IMF इसे केवल अपने हिसाब-किताब के बही खाते में रखता है। इसलिये इसे लेखा मुद्रा, पेपर मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा भी कहते हैं।
- SDR का मूल्य, बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में बास्केट ऑफ करेंसी में 5 मुद्राएँ शामिल हैं-
  - अमेरिकी डॉलर
  - जापानी येन
  - यूरो
  - ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग
  - चीनी रेमिंबी (RMB)

नोट :

भारत का पहला गैस एक्सचेंज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय' (Ministry of Petroleum & Natural Gas) द्वारा एक ई-समारोह के माध्यम से भारत के प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण-आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, 'इंडियन गैस एक्सचेंज' (Indian Gas Exchange- IGX) का शुभारंभ किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'इंडियन गैस एक्सचेंज' प्राकृतिक गैस के लिये एक वितरण-आधारित (Delivery Based) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा।
- यह प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने के लिये पूरी तरह से वेब-आधारित इंटरफ़ेस पर आधारित है।
- इंडियन गैस एक्सचेंज, ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 'इंडियन एनर्जी एक्सचेंज' (Indian Energy Exchange- IEX) की सहायक/अनुषंगी कंपनी के रूप में कार्य करेगा।
- इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राकृतिक गैस का व्यापार रुपये में किया जायेगा जिसमे न्यूनतम आवंटन का आकार 100 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (MBTU) जो कि ऊष्मा की इकाई है, के द्वारा निर्धारित किया गया है।
- 'इंडियन गैस एक्सचेंज' बाजार सहभागियों को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में समर्थ बनाएगा।

'इंडियन गैस एक्सचेंज' की कार्यप्रणाली ?

- यह एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में क्रेता-विक्रेता प्राधिकृत केंद्रों के माध्यम से स्पॉट मार्केट (Spot Market) और वायदा अनुबंध (Forward Market) में आयातित प्राकृतिक गैस का कारोबार कर सकेंगे।
  - इसके लिये तीन केंद्रों (गुजरात के दाहेज, हजीरा और आंध्र प्रदेश का ओडुरु-काकीनाड़ा) का चयन किया गया है।
- बिना किसी खरीददार की खोज के इस डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आयातित 'तरलीकृत प्राकृतिक गैस' (LNG) को बेचा जायेगा अर्थात् खरीदारों को उचित मूल्य पाने के लिये अब कई डीलरों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 'इंडियन गैस एक्सचेंज' में अगले दिन और एक महीने तक की डिलीवरी के लिये अनुबंध की अनुमति है जबकि आमतौर पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिये अनुबंध छह महीने से एक वर्ष तक होता है।
- ध्यातव्य है कि देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है जिसे 'इंडियन गैस एक्सचेंज' पर नहीं बेचा जाएगा।
  - इसके माध्यम से सिर्फ बाहर से आयातित अर्थात अन्य देशों से आयातित प्राकृतिक गैस की ही खरीदी एवं बिक्री की जाएगी।

स्पॉट मार्केट:

- स्पॉट मार्केट/कैश मार्केट एक सार्वजनिक वित्तीय बाजार है जिसमें वित्तीय साधनों /वस्तुओं के तत्काल वितरण के लिये कारोबार किया जाता है।

वायदा बाज़ार:

- वायदा बाज़ार का अभिप्राय उस स्थान से होता है जहाँ वायदा/भविष्य के अनुबंधों को ख़रीदा और बेचा जाता है।
- वायदा/भविष्य के अनुबंध वे वित्तीय अनुबंध होते हैं जिनमें खरीदार किसी व्यक्ति को भविष्य में पूर्व निश्चित मूल्य पर परिसंपत्ति खरीदने का वचन देता है।

भारत के आयात पर प्रभाव:

- देश में प्राकृतिक गैस के वर्तमान स्रोत कम होने के कारण गैस का घरेलू उत्पादन पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम हुआ है।
- घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस वर्तमान में देश की प्राकृतिक गैस की खपत के आधे से भी कम उत्पादित की जाती है।
- सरकार द्वारा LNG आयात द्वारा घरेलू गैस की खपत की पूर्ति हेतु योजना बनाई जा रही हैं।
- क्योंकि भारत सरकार द्वारा अपने समग्र ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस के अनुपात को वर्ष 2018 के 6.2% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नोट :

क्या नियामक परिवर्तन की आवश्यकता है ?

- वर्तमान में, प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिये आवश्यक पाइपलाइन बुनियादी ढाँचे को उन कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो स्वय नेटवर्क की मालिक हैं।
- राज्य के स्वामित्व वाली 'गेल' भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन नेटवर्क का स्वामित्व और संचालन करने वाली कंपनी है, जो 12,000 किमी से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है।
- 'इंडियन गैस एक्सचेंज' द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के उपयोग के लिये एक स्वतंत्र,पारदर्शी ऑपरेटर पाइपलाइन सिस्टम की आवंटन प्रणाली को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- इसके माध्यम से पाइपलाइन के आवंटन में तटस्थता को लेकर खरीदारों एवं विक्रेताओं के मन में विश्वास पैदा किया जा सकता है।

'इंडियन गैस एक्सचेंज' का महत्त्व:

- 'इंडियन गैस एक्सचेंज' के माध्यम से LPG टर्मिनलों, गैस पाइपलाइनों, शहर गैस वितरण (City Gas Distribution- CGD) अवसंरचना पर विशाल निवेश तथा बाजार संचालित मूल्य व्यवस्था के लिये अनुमति प्रदान करने के विचार को भारत द्वारा मूर्त रूप दिया जा सकेगा।
- यह देश को प्राकृतिक गैस के मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की दिशा में बढ़ाने में मदद करेगा।
- बाजार संचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली होने से इंडिया गैस एक्सचेंज, गैस के लिये मुक्त बाजार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- इसके माध्यम से पर्यावरण अनुकूल, स्वच्छ, किफायती, टिकाऊ ऊर्जा तक जनता की सार्वभौमिक पहुँच संभव होगी।
- इस उपलब्धि के साथ, भारत प्रगतिशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के क्लब में शामिल हो सकेगा।

भारतीय परिवारों की शुद्ध वित्तीय संपत्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, भारतीय परिवारों/लोगों की शुद्ध वित्तीय संपत्ति (Net Financial Assets) वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की 7.7% हो गई।

प्रमुख बिंदु:

- शुद्ध वित्तीय संपत्ति में यह वृद्धि एक सकारात्मक परिवर्तन की तरफ इशारा मात्र है वास्तविक नहीं।
- आँकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो यह स्थिति लोगों द्वारा बैंक से कम कर्ज लेने के कारण उत्पन्न हुई है, जो अर्थव्यवस्था में मंदी एवं कमज़ोरी स्थिति को दर्शाती है न कि अर्थव्यस्था में किसी सकारात्मक बदलाव को।

शुद्ध वित्तीय संपत्ति क्या हैं ?

- शुद्ध वित्तीय संपत्ति (Net Financial Asset-NFA), सकल वित्तीय परिसंपत्तियों (जमा और निवेश) कम वित्तीय देनदारियों (उधार) के बीच का अंतर है।
- RBI के आँकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2020 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में शुद्ध वित्तीय संपत्ति 13.73 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 15.62 लाख करोड़ रुपए हो गई है अर्थात जीडीपी के स्तर पर यह वृद्धि 7.2% से बढ़कर 7.7% तक देखी गई है।
  - यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाज़ार मूल्य है।
- वित्त वर्ष 2019-20 में सकल वित्तीय संपत्ति (Gross Financial Assets-GFA) 21.23 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 21.63 लाख करोड़ रुपए पर पहुँच गई थी, जबकि वित्तीय देनदारियों (Financial Liabilities- FL) में 7.5 लाख करोड़ रुपए से 6.01 लाख करोड़ रुपए की तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि देखने की मिली है।
- जीडीपी के प्रतिशत के संदर्भ में, GFA 11.1 प्रतिशत से घटकर 10.6 प्रतिशत रहा तथा वर्ष 2020 में वित्तीय देनदारियों सकल घरेलू उत्पाद की 3.9 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत ही रही

नोट :

वित्तीय देनदारियों में गिरावट/कमी का मतलब है ?

- RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की कुल देनदारियों में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा लोन देने में भारी गिरावट आर्थिक मंदी एवं बैंकों के जोखिम से बचने को भी दर्शाता है।
- विशेषज्ञों का मानना है वर्तमान में आर्थिक मंदी की स्थिति विद्यमान है जिसमे लोगों की आय या तो बढ़ नहीं रही या फिर घट रही है, ऐसे में वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector) लोन देने में अधिक सतर्कता बरतेगा तथा यही कारण है कि आय स्तर या तो नीचे जा रहा है या बढ़ नहीं रहा है।
- इस सब कारणों से वित्तीय क्षेत्र द्वारा ऋण देने में अधिक सावधानी बरती जाएगी यही वजह है कि परिवारों की वित्तीय देनदारियों में गिरावट आई है जो अर्थव्यवस्था में मंदी का सूचक है।

क्या भारतीय परिवार अधिक बचत कर रहे हैं ?

- GDP के प्रतिशत के संदर्भ में GFA 11.1 प्रतिशत से घटकर 10.6 प्रतिशत हो गया है पर डेटा पर करीबी नज़र डालें तो से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों के पैसे जमा करने के उपकरणों में भी बदलाव आया है।
- जैसे- वर्ष 2019 में मार्च समाप्ति पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बैंकों में घरेलू बचत 3.8 प्रतिशत रही, जो मार्च 2020 में घटकर 3.4 प्रतिशत पर आ गई।
- घरेलू बचत में आई इस कमी की बड़ी वजह पिछले 18 महीनों में RBI द्वारा रेपो दर में कटौती के साथ बैंकों द्वारा भी अपनी तरफ से ब्याज दरों में कटौती करना है।
- दूसरी तरफ छोटी बचत योजनाओं में अधिक ब्याज का मिलना जिसके चलते परिवारों की जमा पूंजी जीडीपी के 1.1 फीसदी से बढ़ कर 1.3 फीसदी तक गई है।
- मुद्रा (currency) के रूप में लोगों की संपत्ति इसी अवधि में 1.5 प्रतिशत से घटकर 1.4 प्रतिशत रह गई परंतु लॉकडाउन की घोषणा के बाद से लोगों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ी है।
- 27 मार्च, 2020 के अंतिम सप्ताह में लोगों के पास 23.41 लाख करोड़ रूपए की नकदी थी, जो 22 मई 2020 में बढ़कर 25.12 लाख करोड़ रूपए हो गई।

क्या घरेलू बचत बढ़ने की उम्मीद है ?

- RBI की एक रिपोर्ट 'परिवारों की वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का त्रैमासिक अनुमान' (Quarterly Estimates of Households) के अनुसार लोग मंदी और आय की अनिश्चितता के दौरान अधिक बचत कर रहे हैं।
- RBI द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि मंदी एवं आय की अनिश्चितता के चलते लोगों की बचत में बढ़ोतरी होगी।
- आगे भी लॉकडाउन के कारण खपत में तेज़ी से गिरावट के कारण वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में परिवारों की शुद्ध वित्तीय संपत्ति में बढ़ोतरी की संभावना है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये घरेलू क्षेत्र सबसे स्थायी और आत्मनिर्भर स्रोत है, इसके लिये नीतिगत प्रयास के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है।

अर्थव्यवस्था के संकुचन की संभावना: एशियाई विकास बैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank- ADB) द्वारा जारी एशियाई विकास आउटलुक (Asian Development Outlook) के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल 4 प्रतिशत का संकुचन आ सकता है।

प्रमुख बिंदु

- एशियाई विकास बैंक (ADB) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण काफी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसका प्रभाव जल्द ही भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर देखने को मिल सकता है।

COVID-19 के प्रभावस्वरूप दक्षिण एशिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं में समग्र रूप से मौजूदा वित्तीय वर्ष में 3 प्रतिशत का संकुचन हो सकता है।

नोट :

कारण

- ध्यातव्य है कि सभी उच्च-आवृत्ति वाले संकेतक जैसे क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Manager's Index- PMI) आदि अप्रैल माह में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए हैं।
- बड़े-बड़े शहरों में अपनी नौकरी गँवाने के बाद सभी प्रवासी कामगार अपने गाँव लौट गए हैं, इतनी समस्याओं का सामने करने के बाद उन्हें उत्पादन के लिये वापस शहरों में लाना काफी चुनौती पूर्ण है, ऐसे में वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का उत्पादन काफी धीमा रहने वाला है।
- ADB का अनुमान है कि वर्ष 2020-21 में एशिया का विकास अपेक्षाकृत काफी धीमा रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी को संबोधित करने के लिये अपनाए गए उपायों जैसे लॉकडाउन आदि के कारण आर्थिक गतिविधियों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है और मांग भी कमज़ोर होती है।

अन्य एशियाई क्षेत्रों की स्थिति

- अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में एशिया मुश्किल से 0.1 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ विकास करेगा, जो कि बीते 6 दशकों में सबसे कम विकास दर है।
- इससे पूर्व वर्ष 1961 में इतनी कम वृद्धि दर्ज की गई थी।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्वी एशिया के लिये विकास दर का अनुमान 2.0 प्रतिशत से घटकर 1.3 प्रतिशत हो गया है।
- एशियाई विकास आउटलुक के मुताबिक, मौजूदा वित्तीय वर्ष (2020-21) में चीन में 1.8 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत थी, इस प्रकार स्पष्ट है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण चीन के आर्थिक विकास में काफी कमी आई है।
- दक्षिण पूर्व एशिया में उपभोग, निवेश और व्यापार में व्यापक गिरावट आई है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी देशों की समग्र अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.7 प्रतिशत का संकुचन होने का अनुमान है।

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank- ADB)

- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी।
- ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। 1966 में ADB की शुरुआत 31 सदस्यों के साथ हुई थी, किंतु वर्तमान में ADB में कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हैं।
- इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- ADB विकासशील देशों की उन परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करता है जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास की दिशा में कार्य करती हैं।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा 'एशियाई विकास आउटलुक' नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें एशिया के अधिकांश देशों का आर्थिक विश्लेषण और संबंधित पूर्वानुमान प्रस्तुत किया जाता है।

आगे की राह

- एशिया महाद्वीप में मौजूद अर्थव्यवस्थाओं पर मौजूदा वित्तीय वर्ष में COVID-19 महामारी का प्रकोप इसी प्रकार जारी रहेगा, बावजूद इसके कि समय के साथ लॉकडाउन को शिथिल किया जा रहा है और आर्थिक गतिविधियों को 'नए सामान्य' परिदृश्य में फिर से शुरू किया जा रहा है।
- ADB के अनुसार, आने वाले समय में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी और भी गंभीर रूप धारण कर सकती है, जिसका स्पष्ट प्रभाव विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर देखने को मिलेगा, जिसके कारण वित्तीय संकट से इनकार नहीं किया जा सकता है।
- आवश्यक है कि विभिन्न सरकारों को COVID-19 के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिये नीतिगत उपाय अपनाने चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रभाव कम-से-कम हो।

नोट :

चीनी आयात पर अंकुश लगाने के लिये एक नई ई-कॉमर्स नीति

चर्चा में क्यों ?

चीन से आयातित वस्तुओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, भारत जल्द ही ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये यह स्पष्ट करना अनिवार्य कर सकता है कि उनके मंच पर बेची जा रही वस्तुओं को भारत में उत्पादित किया गया है या नहीं।

प्रमुख बिंदु

- यह क्लॉज़ राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति मसौदे का भी एक हिस्सा हो सकता है।
- 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पहले 11 महीनों में चीन का भारत के साथ लगभग 47 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष था।
- यह एक प्रकार का चेकमार्क (CheckMark) होगा, जिसमें उपभोक्ता भारत में उत्पादित सामान खरीदने का फैसला कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति मसौदे में भी ई-कॉमर्स कंपनियों को सभी उत्पादों के लिये मार्केटप्लेस पर विक्रेता का विवरण उपलब्ध कराने के लिये अनिवार्य कर दिया गया है।
  - नीति में प्रस्ताव था कि इकाई का पूरा नाम, उसका पता और संपर्क विवरण प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति:

- ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा इस नीति को तैयार किया है।
  - ई-कॉमर्स के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता और हितधारकों हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने जैसी समस्याएँ पटल पर आती रही हैं। इन्हीं समस्याओं हेतु उचित समाधान प्रस्तुत करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति एक रणनीति तैयार करती है।
- COVID-19 महामारी के चलते इस नीति को जारी करने में देरी हो रही है।
  - राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का मसौदा वर्ष 2019 में जारी किया गया था।

इस कदम की महत्ता:

- इससे उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को खरीदने के विकल्प प्राप्त होने के अतिरिक्त हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये गए आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी समर्थन मिलेगा।
- यह क्लॉज़ देश की आत्मनिर्भरता के एजेंडे के साथ अच्छी तरह से सुमेलित होगा और लोगों को इस बात के लिये सचेत करेगा कि वे क्या खरीद रहे हैं।
- ई-कॉमर्स मसौदा नीति, नियामकों को उन लोगों को दंडित करने की शक्ति देती है जो गलत सूचना फैलाते हैं।
  - नीति का उद्देश्य ई-कॉमर्स, नौकरियों, ग्रामीण उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देना है।

चीनी के लिये न्यूनतम विक्रय मूल्य

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार किसानों के लगभग 22 हजार करोड़ रुपए के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करने में मदद करने के लिये चीनी के 'न्यूनतम विक्रय मूल्य' (Minimum Selling Price- MSP) को 31 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्र सरकार द्वारा चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य को बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकारों से भी अनुसंशा प्राप्त हुई है तथा नीति आयोग (Niti Aayog) द्वारा भी चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी की सिफारिश प्रस्तुत की गई है।
- न्यूनतम विक्रय मूल्य में बढ़ोत्तरी के संदर्भ में गन्ना एवं चीनी उद्योग पर नीति आयोग द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसने चीनी मूल्य में दो रूपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की सिफारिश की गई है।

नोट :

न्यूनतम विक्रय मूल्य:

- न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) वह दर है जिसके नीचे मिलें खुले बाज़ार में चीनी को थोक व्यापारी एवं थोक उपभोक्ता जैसे पेय और बिस्किट निर्माताओं को नहीं बेच सकती हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य:

- न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है।
- जब बाज़ार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है।
- सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है।
- चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में वृद्धि की संभावना इसलिये भी है क्योंकि 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (Commission for Agricultural Costs and Prices-CACP) द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये गन्ने के 'उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य'(Fair and Remunerative Price-FRP) को 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 285 रूपए करने की सिफारिश प्रस्तुत की गई है।

उचित और पारिश्रमिक मूल्य:

- उचित और पारिश्रमिक मूल्य वह न्यूनतम मूल्य वह है जो मिलों द्वारा किसानों को गन्ने की पेराई के 14 दिनों के भीतर भुगतान करना होता है।
- सामान्यत: इसका निर्धारण उत्पादन की वास्तविक लागत, चीनी की माँग-आपूर्ति, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, चीनी के प्राथमिक उप-उत्पादों की कीमतों तथा संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, चीनी मिलों द्वारा वर्ष 2019-20 के सीज़न में अब तक 27 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया गया है, जो पिछले वर्ष प्राप्त 33.1 मिलियन टन चीनी से कम रहा है।
- पिछले वर्ष, सरकार ने चीनी मीलों द्वारा थोक खरीदारों को बिक्री की जाने वाली चीनी के मूल्य में 2रूपए/किलोग्राम की वृद्धि करके इसे 31 रुपये/किलोग्राम कर दिया गया था।

गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण:

- गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है।
- गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य का निर्धारण:

- चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य का निर्धारण 'उचित और पारिश्रमिक मूल्य' (FRP) के घटकों और सबसे कुशल मिलों की न्यूनतम रूपांतरण लागत को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।
- चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य का निर्धारण गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य अर्थात न्यूनतम बिक्री मूल्य के अनुसार तय किया जाता है।
- यदि कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा गन्ने के 'उचित और पारिश्रमिक मूल्य' में वृद्धि को मंज़ूरी दी जाती है तो चीनी के 'न्यूनतम बिक्री मूल्य' में भी वृद्धि हो जाती है।

भुगतान की वर्तमान स्थिति:

- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, चीनी मिलों द्वारा वर्ष 2019-20 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान किसानों से खरीदे गए गन्ने के लिये कुल 72,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा।
- अधिकतम धनराशि का भुगतान किया जा चुका है तथा बची हुई कुल बकाया राशि लगभग 22,000 करोड़ रूपए है।

नोट :

- बकाया राशि में केंद्र द्वारा निर्धारित FRP तथा राज्यों द्वारा निर्धारित राज्य सलाहकार मूल्य (State Advisory Price- SAP) के आधार पर की जाने वाली भुगतान राशि शामिल है।
- 22,000 करोड़ रुपये के बकाया में से, लगभग 17,683 करोड़ रूपए FRP दर पर आधारित है जबकि शेष SAP दरों पर आधारित हैं।

निष्कर्ष:

सरकार द्वारा किये जा रहे इन उपायों के माध्यम से किसानों को पर्याप्त गन्ने की बकाया राशि का जल्द ही भुगतान हो जाएगा। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद अब होटल, रेस्त्रां और कैंटीन खोलने की इजाज़त मिल चुकी है जिससे चीनी की माँग में थोड़ी वृद्धि होने की उम्मीद की जा रही है, जिससे कीमतों में भी हल्की तेज़ी देखी जा सकती है। अत: कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में चीनी की कीमतों में सुधार होने का अनुमान है।

व्यापार परिदृश्य में सुधार के लिये आवश्यक कदम

चर्चा में क्यों ?

'भारतीय उद्योग परिसंघ' (Confederation of Indian Industry- CII) ने भारत के व्यापार परिदृश्य को आसान बनाने के लिये प्रमुख क्षेत्रों में आवश्यक उपायों की पहचान की है ताकि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सके।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान देश को संबोधित करते हुए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की चर्चा की गई थी।
- भारतीय उद्योग परिसंघ ने 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के लिये व्यापार सुगमता परिदृश्य में आवश्यक सुधारों पर बल दिया है।

'व्यापार सुगमता सूचकांक':

- विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक (Ease Of Doing Business) किसी भी देश के व्यापार परिदृश्य की सुगमता को मापता है।
- व्यापार सुगमता सूचकांक में व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट, विद्युत, संपत्ति का पंजीकरण, ऋण उपलब्धता, अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा, करों का भुगतान करना, सीमा-पार व्यापार, अनुबंध लागू करना, दिवालियापन होने पर समाधान आदि मानक शामिल हैं।

भारत की रैंकिंग में सुधार:

- विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट- 2020 में भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है। सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत पिछले 5 वर्षों (वर्ष 2014-19) में 'व्यापार सुगमता सूचकांक' में अपनी रैंकिंग में 79 पायदानों का उल्लेखनीय सुधार करने में सफल रहा है।
- 'व्यापार सुगमता सूचकांक'-2020 में भारत की रैंकिंग में निम्नलिखित मापदंडों में सुधार देखने को मिला है:

मानक	स्थानों का सुधार
संपत्ति का पंजीकरण	12
निर्माण परमिट	25
सीमा-पार व्यापार करना	12
दिवालियापन का समाधान करना	56

नोट :

नवीन सुधारों की आवश्यकता:

स्व-प्रमाणन मार्ग की आवश्यकता:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, small and medium enterprises- MSMEs) को विशेष मदद की ज़रूरत है। इन उद्यमों को तीन वर्ष के लिये मंज़ूरी तथा निरीक्षण आवश्यकताओं से छूट दी जानी चाहिये।
- अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले MSMEs के लिये स्व-प्रमाणन मार्ग का उपयोग किया जा सकता है।

ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली:

- उत्पादों के आयात-निर्यात प्रक्रिया संबंधी जानकारी के लिये विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइटों पर अनेक अधिसूचनाएँ हैं, परंतु वैश्विक आपूर्तिकर्त्ताओं को इनसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
- इस समस्या को दूर करने के लिये ऑनलाइन एकल विंडो प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिये।

संपत्ति पंजीकरण तथा भूमि अधिग्रहण कानून

- संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने की आवश्यकता है तथा उद्योगों को किसानों से सीधे भूमि खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिये।

व्यावसायिक विवाद समाधान प्रक्रिया:

- भारत में पर्याप्त व्यावसायिक न्यायालयों तथा बुनियादी ढाँचे के अभाव के कारण अनुबंधों को लागू करना एक चुनौती है। अत: न्यायालयों में प्रमुख डिजिटल सुधारों जैसे कि आभासी अदालती कार्यवाही, ई-फाइलिंग, घर से कार्य करना आदि को लागू किया जाना चाहिये।
- 'वैकल्पिक विवाद समाधान संस्थानों' (Alternative Dispute Resolution Institution) को स्थापित करने के साथ ही मध्यस्थता तथा सुलह केंद्रों का विस्तार किया जाना चाहिये।

लॉजिस्टिक सुधारों की आवश्यकता:

- भारत में लॉजिस्टिक लागत अधिक होने के कारण व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा प्रभावित होती है। लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के लिये मध्यम अवधि की कार्रवाई पर बल देने की आवश्यकता है। इसके लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
  - रेलवे एवं जलमार्ग की परिवहन में हिस्सेदारी बढ़ाना;
  - प्रथम-मील तथा अंतिम-मील कनेक्टिविटी (first-mile and last-mile connectivity) में सुधार करना;
  - बंदरगाह पर वाहनों को माल के लोडिंग तथा अनलोडिंग के समय को कम करना;

परिणाम-उन्मुख कार्रवाई:

- परिणाम-उन्मुख कार्रवाई को अपनाने की आवश्यकता है। ज़मीनी स्तर के परिणाम निवेशकों की धारणा में परिवर्तन लाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं।

अन्य आवश्यक कदम:

- श्रम विनियमों के अनुपालन में तेज़ी लाना;
- संयुक्त उपक्रमों को समायोजन।

निष्कर्ष:

- वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान समस्याओं का संधारणीय समाधान निकाला जाना चाहिये। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार से न केवल बाहरी निवेश बढ़ेगा अपितु घरेलू उद्यमों को भी आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

नोट :

सबसे बड़े आईपीओ लॉन्च की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में 'भारतीय जीवन बीमा निगम'(Life Insurance Corporation- LIC) के 'इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग' (Initial Public Offer-IPO) को जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े जीवन बीमाकर्त्ता के आकार और पैमाने को देखते हुए भारतीय पूंजी बाज़ार में भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO सबसे बड़ा होने की उम्मीद है क्योंकि LIC का IPO देश का सबसे बड़ा IPO माना जाता है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में LIC के प्रस्तावित IPO की प्रक्रिया में परामर्श देने के लिये फर्मों, निवेश बैंकरों एवं वित्तीय संस्थानों सहित लेन देन और सलाहकारों से आवदेन प्राप्त किये गए हंय ।
- सरकार द्वारा 'निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग' (Department of Investment and Public Asset Management- DIPAM) की मदद से LIC के IPO को ज़ारी करने से पहले दो सलाहकारों प्री-आईपीओ की नियुक्ति की मांग की गई है। जिन्हें कम से कम 5,000 करोड़ रूपए के आकार के आईपीओ के लेन-देन का सफल प्रबंधन या कम से कम 15,000 करोड़ रूपए के पूंजी बाज़ार के लेन-देन का सफलतापूर्वक प्रबंधन करने का अनुभव हो।

बीमा बाज़ार में LIC का आकार और स्थिति:

- केंद्र सरकार द्वारा IPO के माध्यम से LIC में अपनी इक्विटी/हिस्सेदारी का 5-10 प्रतिशत बेचने पर LIC के शेयर बिक्री सर्वाधिक होने की उम्मीद की जा रही है।
- वर्ष 2018-19 में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ LIC की कुल संपत्ति 31.11 लाख करोड़ रूपए के उच्चतम स्तर पर रही थी।
  - LIC को वर्ष 2018-19 के दौरान अपने इक्विटी निवेश से 23,621 करोड़ रूपए का लाभ प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष के 25,646 करोड़ रूपए से 7.89 प्रतिशत कम रहा था।
- कुल प्रथम वर्ष के प्रीमियम (Total First-Year Premium) में निगम की बाज़ार हिस्सेदारी 66.24 प्रतिशत तथा वर्ष 2018-19 में नई नीतियों में हिस्सेदारी 74.71 प्रतिशत रही।

समग्र विनिवेश रोडमैप में LIC की भूमिका:

- बजट वर्ष 2020-21 में, सरकार द्वारा LIC के IPO को जारी करने के लिये एक योजना की घोषणा की गई थी ।
- इस योजना के तहत स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निजी, खुदरा एवं संस्थागत निवेशकों को आईडीबीआई बैंक में सरकार की इक्विटी बेचने का प्रस्ताव दिया गया।
- भारत सरकार को LIC और आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने से 90,000 करोड़ रुपए और अन्य विनिवेश के माध्यम से 1.2 लाख करोड़ रूपए प्राप्त/जुटाने की उम्मीद है।
- सरकार द्वारा तीन वर्ष पूर्व इससे पहले भी IPO के माध्यम से 'जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन' (General Insurance Corporation) और न्यू इंडिया एश्योरेंस (New India Assurance) के शेयरों को सूचीबद्ध किया गया था।

इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग:

- IPO एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई कंपनी पूंजी जुटाने के लिये पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने शेयरों की बिक्री करती है।
- यह नई या पुरानी कंपनी हो सकती है जो किसी एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का फैसला करती है और इसके साथ ही वह पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। इसके बाद शेयर बाज़ार में उसके शेयरों की खरीद फरोख्त होती है।
- कंपनियाँ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के द्वारा सार्वजनिक रूप से नए शेयर जारी करके पूँजी जुटा सकती हैं या फिर मौजूदा शेयरधारक अपने शेयर जनता को बेच सकते हैं।
- इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के बाद कंपनी के शेयरों का खुले बाज़ार में कारोबार होता है।

नोट :

भारतीय जीवन बीमा निगम:

- यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है तथा देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1956 में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके की गई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- भारतीय जीवन बीमा निगम को बाज़ार में लगातार नवीन और लाभदायक नीतियों को लाने के लिये जाना जाता है।
- सामान्य तौर पर, LIC पॉलिसी को बीमा बाज़ार में एक बेंचमार्क माना जाता है।

IPO के माध्यम से प्राप्त अपेक्षित लाभ:

- IPO निश्चित रूप से LIC के मामलों में पारदर्शिता लाएगा।
- यह स्टॉक एक्सचेंजों को समय पर वित्तीय संख्या(Financial Numbers) और अन्य बाज़ार से संबंधित घटनाओं को सूचित करने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।
- IPO के माध्यम से वे निवेशक जो अंडरराइटिंग लाभ (Underwriting Profit) के साथ-साथ अपने निवेशों पर लाभ कमा रहे है। वे निवेशक बीमा क्षेत्र की इक्विटी लेने से भी लाभ अर्जित कर सकते हैं।
- एक्सचेंजों के सूचीबद्ध होने के बाद विभिन्न इक्विटी एवं बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स में LIC निवेश (LIC's Investment) भी कड़ी जाँच के दायरे में आ जाएगा जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

इस्पात उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क (Anti-Dumping Duty) लगाने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- आयात पर लागू किये जाने वाला यह शुल्क 13.07 डॉलर प्रति टन से लेकर 173.1 डॉलर प्रति टन हो सकता है।
- इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, चीन, वियतमान और कोरिया पर अधिरोपित किया गया एंटी-डंपिंग शुल्क पाँच वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगा।

कारण

- ध्यातव्य है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जाँच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies- DGTR) ने अपनी जाँच में यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त देशों (चीन, वियतनाम और कोरिया) द्वारा भारत में अपने उत्पादों का निर्यात सामान्य मूल्य से भी से कम मूल्य पर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR)

- भारत सरकार ने वर्ष 2018 में 'डंपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय' (Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties-DGAD) के स्थान पर 'व्यापार उपाय महानिदेशालय' (DGTR) का सृजन किया।
- DGTR का सृजन देश में एक व्यापक एवं त्वरित व्यापार सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण के उद्देश्य से किया गया था।

निहितार्थ

- सरकार के इस कदम का उद्देश्य चीन, वियतनाम और कोरिया जैसे देशों से आने वाले सस्ते आयात से घरेलू इस्पात उद्योग और निर्माताओं की रक्षा करना है।

नोट :

- आधिकारिक सूचना के अनुसार, सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना और विदेशी उत्पादकों तथा निर्यातकों के समक्ष घरेलू उत्पादकों को एक समान अवसर प्रदान करना है।
- ध्यातव्य है कि भारत सरकार द्वारा यह एंटी-डंपिंग शुल्क ऐसे समय में अधिरोपित किया गया है, जब भारत-चीन के संबंधों में तनाव काफी अधिक बढ़ गया है, भारत-चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद खास तौर पर भारत में चीन विरोधी स्वर तेज़ हो रहे हैं, ऐसे में भारत के इस निर्णय को चीन के लिये एक संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है।

डंपिंग और एंटी-डंपिंग शुल्क का अर्थ ?

- प्राय: डंपिंग शब्द का प्रयोग सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के संदर्भ में ही किया जाता है, जहाँ डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के एक निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या इसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने करने से होता है।
- उल्लेखनीय है कि डंपिंग, आयात करने वाले देश में उस वस्तु की कीमत को प्रभावित करने के साथ-साथ वहाँ के घरेलू उद्योग के लाभ को कम करती हैं।
- वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुसार, एक देश को अपने घरेलू निर्माताओं की रक्षा करने और उन्हें एक समान अवसर प्रदान करने के लिये इस प्रकार की डंपिंग पर शुल्क लगाने की अनुमति है।
- हालाँकि यह शुल्क किसी अर्द्ध-न्यायिक निकाय जैसे- भारत में व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) द्वारा गहन जाँच के बाद ही अधिरोपित किया जा सकता है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO-World Trade Organisation) की स्वीकृति से, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड General Agreement on Tariff & Trade-GATT) का अनुच्छेद VI देशों को डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का विकल्प चुनने की अनुमति देता है।
- इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई देश अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और उनके नुकसान को कम करने के लिये निर्यातक देश में उत्पाद की लागत और अपने यहाँ उत्पाद के मूल्य के अंतर के बराबर शुल्क लगा दे तो इसे ही डंपिंगरोधी शुल्क यानी एंटी-डंपिंग शुल्क कहा जाता है।

क्रय शक्ति समता एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार

चर्चा में क्यों ?

'विश्व बैंक' ने 'अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम' (International Comparison Program- ICP) के तहत संदर्भ वर्ष 2017 के लिये नई 'क्रय शक्ति समानताएँ' (Purchasing Power Parities-PPPs) जारी की हैं, जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में जीवन की लागत के अंतर को समायोजित करती हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 'अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम' के वर्ष 2017 के इस चक्र में विश्व की 176 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया ।
- अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम, 'संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग' (UN Statistical Commission- UNSC) के दिशा-निर्देशन में विश्व में डेटा संग्रह की सबसे बड़ी पहल है।

क्रय शक्ति समता :

- यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है।
- इसका अर्थ किन्हीं दो देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर से लिया जाता है।
- क्रय शक्ति समता के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है।
- क्रय शक्ति समता के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रयशक्ति में कितना अंतर या फिर समता मौजूद है।
- क्रय शक्ति समता द्वारा मुद्रा विनिमय दर को तय किया जाता है।

नोट :

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग:

- यह राष्ट्रीय आँकड़ों के विकास को प्रोत्साहन देता है तथा उनको तुलना योग्य बनता है।
- 20 अक्तूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी।
- इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा की गई थी। जिसे पाँच वर्ष में एक बार मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य:

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व की अर्थव्यास्थों में क्रय शक्ति समानताओं का उत्पादन करना है जो सभी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना किये जाने के लिये, आर्थिक गतिविधियों के उपायों को रूपांतरित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- क्रय शक्ति समानता के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम, मूल्य स्तर सूचकांकों (Price Level Indices- PLI) एवं जीडीपी व्यय के अन्य क्षेत्रीय तुलना योग्य समुच्चयों का भी उत्पादन करता है।

मूल्य स्तर सूचकांक:

- मूल्य स्तर सूचकांक किसी अन्य देश के सापेक्ष दिये गए देश के मूल्य स्तर को वर्तमान नाम मात्र विनिमय दर से क्रय शक्ति समता (पीपीपी) को विभाजित करके व्यक्त करता है।
- यह संकेतक एक सूचकांक के रूप में मापा जाता है।
- वर्ष 1970 में 'अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम' की शरुआत के बाद से भारत लगभग सभी ICP चक्रों में शामिल हो चुका है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के लिये राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी (NIA) है, जिसे 'राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम' गतिविधियों की योजना, समन्वय और कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी दी गई है।
- भारत को ICP के वर्ष 2017 चक्र के लिये ऑस्ट्रिया के साथ-साथ आईसीपी गवर्निंग बोर्ड का सह-अध्यक्ष बनने का गौरव भी हासिल होता रहा है।

विश्वव्यापी स्थिति:

- सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) के स्तर पर प्रति डॉलर के मुकाबले भारतीय रूपए की क्रय शक्ति समानता वर्ष 2017 में 20.65 है जो वर्ष 2011 में 15.55 रही थी।
- भारतीय रूपए की अमेरिकी डॉलर के साथ विनिमय दर समान वर्ष की इसी अवधि के 46.67 के तुलना में बढ़कर अब 65.12 पर है।
- इसके अनुसार 'बाज़ार विनिमय दर' (Market Exchange Rate) की क्रय शक्ति समानता का अनुपात-मूल्य स्तर सूचकांक (Price Level Index- PLI) का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था की कीमतों के स्तरों की तुलना करने के लिये किया जाता है जो वर्ष 2011 के 42.99 की तुलना में वर्ष 2017 में 47.55 है।

वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति:

- वर्ष 2017 में, भारत द्वारा PPP के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी वैश्विक स्थिति को बनाए रखा गया है जो क्रमश: चीन (16.4 प्रतिशत) एवं अमेरिका (16.3 प्रतिशत) की तुलना में PPP के लिहाज से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 6.7 प्रतिशत (वैश्विक रूप से कुल 119,547 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से 8,051 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा।
- भारत वैश्विक वास्तविक एकल उपभोग एवं वैश्विक सकल पूंजी निर्माण में अपनी क्रय शक्ति समता आधारित हिस्से के लिहाज से भी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थिति:

- वर्ष 2017 में, भारत ने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी क्षेत्रीय स्थिति बनाए रखी जो पीपीपी के लिहाज से क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 20.83 प्रतिशत (एशिया प्रशांत के कुल 232,344 बिलियन हांगकांग डॉलर में से 48,395 हांगकांग डॉलर) था ।
- वही चीन 50.76 प्रतिशत के साथ प्रथम तथा इंडोनेशिया 7.49 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

नोट :

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति:

- भारत क्षेत्रीय वास्तविक एकल उपभोग एवं क्षेत्रीय सकल पूंजी निर्माण में अपने पीपीपी आधारित हिस्से के लिहाज से भी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- भारतीय रुपए से हांगकांग डॉलर की विनिमय दर इसी अवधि की तुलना में 6.00 % से बढ़कर 8.36 % हो गई है।
- वही भारत का मूल्य स्तर सूचकांक (Price Level Index-PLI) वर्ष 2011 के 71.00 की तुलना में घटकर वर्ष 2017 में 64.00 रहा है।
  - अगली ICP तुलना संदर्भ वर्ष 2021 के लिये की जानी है।

आईएमएफ: वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में COVID-19 महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई स्थिरता के कारण 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' (International Monetary Fund- IMF) द्वारा वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% तक की गिरावट आने का अनुमान लगाया है। जो अपने आप में एक ऐतिहासिक गिरावट हो सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' के अनुसार वर्ष 2020 के लिये वैश्विक विकास दर 4.9% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि अप्रैल 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक (World Economic Outlook-WEO) में जारी अनुमान से 1.9 % कम है।
- COVID-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 की पहली छमाही में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अधिक नकारात्मक प्रभाव दिखा है जो सभी क्षेत्रों में देखा गया है।
- चीन में हालांकि पहली तिमाही में आई गिरावट के बाद से अर्थव्यवस्था में सुधार प्रक्रिया जारी है, अत: चीन में वर्ष 2020 में विकास दर 1 प्रतिशत अनुमानित की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक विकास दर 5.4 फीसदी अनुमानित की गई है।

भारत की स्थिति:

- 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' के अनुसार, लंबे समय तक चली लॉकडाउन की स्थिति एवं धीमी आर्थिक गतिविधियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5 प्रतिशत तक की गिरावट आने का अनुमान है।
- अर्थव्यवस्था में यह गिरावट वर्ष 1961 के बाद से अब तक की सबसे निम्न विकास दर को दर्शाती है।
- हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था पुन: वापसी के साथ 6 % की विकास दर हासिल कर लेगी।
- वर्ष 2019 में भारत की वृद्धि दर 4.2 % पर रही थी।
- 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' द्वार भारत की वर्ष 2020 की स्थित का यह अनुमान अप्रैल के अनुमान से बेहतर है. क्योंकि अप्रैल में अनुमान था कि वर्ष 2020 में यह गिरावट 6.4% तक रह सकती है।
- वर्ष 2021 में 6 % वृद्धि का अनुमान अप्रैल में आई रिपोर्ट की तुलना में 1.4 % कम है।

महामारी का वैश्विक अर्थव्यस्था पर प्रभाव:

- वर्ष 2020 में विकसित, उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी।
- विकसित अर्थव्यवस्था में जहाँ वृद्धि दर में 8% की गिरावट देखी जाएगी वहीं उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मामले में वृद्धि दर 3 % तक घटेगी और अगर चीन को हटा दिया जाए तो यह गिरावट 5 प्रतिशत होगी।
- वर्ष 2020 में 95% से अधिक देशों में प्रति व्यक्ति आय में भी नकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी।

नोट :

वर्तमान परिदृश्य:

- 75 % से अधिक देश अब अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ खोल रहे हैं तो दूसरी तरफ कई उभरते बाज़ारों में इस महामारी के तेज़ी से फैलने के कारण तथा चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण रिकवरी की अनिश्चिता की स्थिति बनी हुई है।
- इन अनिश्चिताओं के चलते विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों की अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर इसका प्रभाव अलग-अलग देखा जा रहा है।
- अगर संक्रमण के बढ़ने की दर तीव्र होती है तो खर्च और बढ़ेंगे तथा वित्तीय स्थिति और ख़राब होगी।
- इसके अलावा वर्तमान भू-राजनीतिक एवं व्यापार तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुँचा सकते है जब व्यापार में करीब 12 प्रतिशत की गिरावट आने की आशंका है।

गौधन न्याय योजना

चर्चा में क्यों ?

शीघ्र ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य में पशु मालिकों से गाय के गोबर को खरीदने के लिये 'गौधन न्याय योजना' (Gaudhan Nyay Yojana) की शुरुआत की जाएगी।

प्रमुख बिंदु:

- छत्तीसगढ़ राज्य में 'गौधन न्याय योजना' की शुरुआत 11 जुलाई, 2020 से राज्य के लोकप्रिय 'हरेली त्यौहार' (Hareli Festival) के दिन की जाएगी।
- इस योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिये एक पाँच सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है।
- यह समिति राज्य में किसानों, पशुपालकों, गौ-शाला संचालकों एवं बुद्धिजीवियों के सुझावों के अनुसार गोबर की क्रय दर निर्धारित करेगी।
- गोबर खरीद से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन और वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक की प्रक्रिया के निर्धारण के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव एवं सचिवों की एक कमेटी गठित की गई है।
- राज्य सरकार द्वारा किसानों, पशुपालकों एवं बुद्धिजीवियों से राज्य में गोबर खरीद की दर निर्धारण के संबंध में अपने सुझाव देने का भी आग्रह किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से हज़ारों गाँवों में स्थापित गौशालाओं का उपयोग वर्मी कंपोस्ट के निर्माण स्रोत के रूप में किया जा सकेगा तथा यहाँ निर्मित उर्वरक को किसानों के साथ-साथ अन्य सरकारी विभागों में भी बेचा जा सकेगा अर्थात योजना के माध्यम से तैयार होने वाली वर्मी कम्पोस्ट खाद की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से की जाएगी।
- गोबर की खरीद एवं बिक्री के संबंध में इस प्रकार की योजना की शुरुआत करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा।

हरेली त्यौहार:

- हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं हिंदी वर्ष के अनुसार सबसे पहला त्यौहार है।
- पर्यावरण को समर्पित यह त्यौहार छत्तीसगढ़ी लोगों के प्रकृति के प्रति प्रेम एवं समर्पण भाव को दर्शाता है।
- यह त्यौहार सावन मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है जो पूर्णत: हरियाली का पर्व है।
- यह त्यौहार किसानों द्वारा अपने औज़ारों की पूजा के साथ शुरू होता है, जिसमें किसान खेत के औजार व उपकरण जैसे- नांगर, गैंती, कुदाली, रापा इत्यादि की साफ-सफाई कर पूजा करते हैं, साथ ही साथ बैलों व गायों की भी पूजा की जाती है।
- इस त्यौहार में सुबह-सुबह घरों के प्रवेश द्वार पर नीम की पत्तियाँ व चौखट में कील लगाई जाती है।
- लोगों की ऐसी मान्यता है कि द्वार पर नीम की पत्तियाँ व कील लगाने से घर में रहने वाले लोगों की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है।

योजना का महत्त्व:

- इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- इस पहल के माध्यम से सड़कों पर आवारा पशुओं की आवाजाही को रोका जा सकेगा तथा इनका उपयोग कृषि योग्य भूमि में किया जा सकेगा।

नोट :

- गाय के गोबर को खाद में बदलकर अतिरिक्त लाभ के लिये बेचा जा सकता है।
- वर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा ।
- राज्य में किसानों के साथ-साथ वन विभाग, कृषि, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन विभाग को पौधरोपण एवं उद्यानिकी की खेती के समय बड़ी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। इसकी आपूर्ति इस योजना के माध्यम से उत्पादित खाद से हो सकेगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को उधार देने की समय सीमा का विस्तार

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा लॉकडाउन के कारण उत्पन्न प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों के ध्यान में रखते हुए बैंकों की नकदी की समस्या को दूर करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंकों के कर्ज लेने की सीमा की सुविधा को 30 सितंबर, 2020 तक विस्तारित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अस्थायी उपाय के रूप में 'सीमांत स्थायी सुविधा' (Marginal Standing Facility- MSF) के तहत अधिसूचित बैंकों के लिये कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया गया है।
- 27 मार्च, 2020 से इस निर्णय को क्रियान्वित किया जा रहा है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले इस छूट की समयावधि 30 जून, 2020 तक थी जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दिया गया है।
- सीमांत स्थायी सुविधा के तहत बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक से अपनी शुद्ध मांग (Net Demand) तथा समय देयता (Time Liabilities) का 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक उधार ले सकेंगे।

'सीमांत स्थायी सुविधा' क्या है ?

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2011-12 में मौद्रिक नीति में सुधार करते हुए 'सीमांत स्थायी सुविधा योजना' की शुरूआत की गई थी।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के तहत बैंक अंतर-बैंक तरलता (Inter-Bank Liquidity) की कमी को पूरा करने के लिये आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेते हैं।
- इसमें बैंक तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility-LAF) के तहत रेपो दर (Repo Rate) से अधिक की दर पर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेते हैं।
- 'सीमांत स्थायी सुविधा' के तहत बैंक अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों के1% तक रिज़र्व बैंक से धन उधार ले सकते हैं।
- 'सीमांत स्थायी सुविधा' दर रेपो दर से 100 आधार अंक अधिक होती है।
- यह एक दंडात्मक दर है जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से पैसे उधार ले सकते हैं।
- बैंकों द्वारा रखे जाने वाली आवश्यक न्यूनतम रिज़र्व से कम रखने की स्थिति में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के विरुद्ध दंडात्मक प्रक्रिया संचालित की जाती है जिसके तहत बैंकों को आवश्यक न्यूनतम रिज़र्व से कम रखने की स्थिति में रिज़र्व बैंक को ब्याज देना पड़ता है इसे पैनल रेट कहते है।

रेपो रेट:

- रेपो रेट का प्रयोग रिज़र्व बैंक द्वारा तरलता की स्थिति को समायोजित करके किया जाता है।
- अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिये रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कमी की जाती है तथा मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिये इसकी मात्रा में वृद्धि की जाती है।
- इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा अल्पकालीन तरलता प्रबंधन के लिये प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है।

नोट :

भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत सहकारी बैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश, जिसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) के पर्यवेक्षण के अंतर्गत सभी शहरी एवं बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को लाया जाएगा, को मंज़ूरी दे दी।

प्रमुख बिंदु:

- सभी शहरी एवं बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पर्यवेक्षण के तहत लाने के निम्नलिखित कारण हैं:
  - केंद्र सरकार का यह फैसला धोखाधड़ी एवं गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कई मामलों के बाद आया है, जिसमें वर्ष 2019 का पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (Punjab and Maharashtra Co-operative- PMC) बैंक घोटाला भी शामिल है।
  - अभी तक सभी सहकारी बैंक RBI एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते थे जिसके परिणामस्वरूप इनमें से कई बैंकों में विनियामक एवं पर्यवेक्षी त्रुटियाँ हो जाती थीं।
  - इसके अतिरिक्त RBI के पास सहकारी बैंक के पुनर्निर्माण से संबंधित एक प्रवर्तनीय योजना बनाने का अधिकार नहीं था।
  - हालाँकि अब सभी शहरी एवं बहु-राज्यीय सहकारी बैंक RBI की प्रत्यक्ष निगरानी के अंतर्गत आएंगे।

लाभ:

- केंद्र सरकार का यह निर्णय RBI को वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर सभी शहरी एवं बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को विनियमित करने का अधिकार देगा।
  - इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सहकारी बैंक सरफेसी अधिनियम, 2002 (Sarfaesi Act, 2002) के प्रयोजनों के लिये बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के तहत 'बैंकों' की परिभाषा में आते हैं।
  - सरफेसी अधिनियम गैर-निष्पादित संपत्तियाँ (Non-Performing Assets) की वसूली के लिये एक प्रभावी उपकरण है।
- यह सभी शहरी एवं बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों के जमाकर्त्ताओं को अधिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा।
  - उल्लेखनीय है कि भारत में 1482 शहरी सहकारी बैंक एवं 58 बहु-राज्यीय सहकारी बैंक हैं।
  - इन बैंकों के पास 8.6 करोड़ रुपए का एक जमाकर्त्ता आधार (Depositor Base) है जिससे इन बैंकों में 4.84 लाख करोड़ रुपए के रूप में एक बड़ी राशि की बचत की गई है।

निर्णय से संबंधित चिंता:

- गौरतलब है कि इस निर्णय के बाद ग्रामीण सहकारी बैंक (Rural Co-operative Banks), RBI एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे विनियमन के तहत ही कार्य करते रहेंगे जबकि ग्रामीण सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंकों की तरह ही दुर्व्यवहार एवं धोखाधड़ी के मुद्दे का सामना करते हैं।

सहकारी बैंकिंग (Co-operative Banking):

- सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर-शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं।
- सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ जैसे- ऋण देना, पैसे जमा करना और बैंक खाता आदि प्रदान करते हैं।
- सहकारी बैंक उनके संगठन, उद्देश्यों, मूल्यों और शासन के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होते हैं।
- सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं।
- ये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित किये जाते हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ-साथ बैंकिंग कानून अधिनियम, 1965 के तहत आते हैं।
- ये संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम (Co-operative Societies Act) या बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (Multi-State Co-operative Societies Act, 2002) के तहत पंजीकृत हैं।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध कराना होता है।

पुलिस सुधार: आवश्यकता और प्रयास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (Commonwealth Human Rights Initiative- CHRI) की कार्यकारी समिति (भारत) द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, बीते सप्ताह पुलिस द्वारा तमिलनाडु के दो व्यापारियों की कथित हत्या और यातना भारत की विघटित आपराधिक न्याय प्रणाली की ओर इशारा करती है और देश में पुलिस सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (CHRI) की कार्यकारी समिति के अनुसार, तमिलनाडु के तूतीकोरिन ज़िले में पिता-पुत्र की पुलिस हिरासत में हुई कथित हत्या देश में कानूनी दायित्त्वों की पूर्ति के लिये एक मज़बूत कानून की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- ध्यातव्य है कि दोनों लोगों को तमिलनाडु पुलिस ने कथित तौर पर COVID-19 लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकानों को अनुमति की अवधि से अधिक समय के लिये खोलने हेतु गिरफ्तार किया था।
- CHRI के आधिकारिक बयान के अनुसार, 'भारत उन कुछ विशेष देशों में शामिल है, जिन्होंने अभी तक उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention Against Torture-UNCAT) की पुष्टि नहीं की है।'
- उल्लेखनीय है कि भारत ने वर्ष 1997 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये थे, किंतु अभी तक भारत ने इस कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है।

पुलिस व्यवस्था

- संविधान के तहत, पुलिस राज्य द्वारा अभिशासित विषय है, इसलिये भारत के प्रत्येक राज्य के पास अपना एक पुलिस बल है। राज्यों की सहायता के लिये केंद्र को भी पुलिस बलों के रखरखाव की अनुमति दी गई है ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित की जा सके।
- इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुलिस बल, राज्य द्वारा अधिकार प्रदत्त व्यक्तियों का एक निकाय है, जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने, संपत्ति की रक्षा और नागरिक अव्यवस्था को सीमित रखने का कार्य करता है।

पुलिस सुधार की आवश्यकता

- भारत के अधिकांश राज्यों ने अपने पुलिस संबंधी कानून ब्रिटिश काल के 1861 के अधिनियम के आधार पर बनाए हैं, जिसके कारण ये सभी कानून भारत की मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।
- देश में अधिकांश राज्यों में पुलिस की छवि तानाशाहीपूर्ण, जनता के साथ मित्रवत न होना और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने की रही है। ऐसे में पुलिस सुधार के माध्यम से आम जनता के बीच पुलिस की छवि में सुधार करना काफी महत्त्वपूर्ण है, ताकि आम जनता स्वयं को पुलिस के साथ जोड़ सके।
- विदित है कि मौजूदा दौर में गुणवत्तापूर्ण जाँच के लिये नवीन तकनीकी क्षमताओं की आवश्यकता होती है, किंतु भारतीय पुलिस व्यवस्था में आवश्यक तकनीक के अभाव में सही ढंग से जाँच संभव नहीं हो पाती है और कभी-कभी इसका असर उचित न्याय मिलने की प्रक्रिया पर भी पड़ता है।
- भारत में पुलिस-जनसंख्या अनुपात काफी कम है, जिसके कारण लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और पुलिस को मानव संसाधन की कमी से जूझना पड़ता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय पुलिस व्यवस्था में प्रभावी जवाबदेही तंत्र का भी अभाव है।

पुलिस सुधार हेतु गठित समितियाँ

- धर्मवीर आयोग अथवा राष्ट्रीय पुलिस आयोग
  - पुलिस सुधारों को लेकर वर्ष 1977 में धर्मवीर की अध्यक्षता में गठित आयोग को राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहा जाता है। चार वर्षों में इस आयोग ने केंद्र सरकार को आठ रिपोर्टें सौंपी थीं, लेकिन इसकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया।

नोट :

- इस आयोग की सिफारिशों में प्रत्येक राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन, पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय करना और एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाना आदि शामिल था।

- पद्मनाभैया समिति
  - वर्ष 2000 में पुलिस सुधारों पर पद्मनाभैया समिति का गठन किया गया था, इस समिति का मुख्य कार्य पुलिस बल की भर्ती प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण, कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों, पुलिस अधिकारियों के व्यवहार और पुलिस जाँच आदि विषयों का अध्ययन करना था।
- अन्य समितियाँ
  - देश में आपातकाल के दौरान हुई ज़्यादतियों की जाँच के लिये गठित शाह आयोग ने भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिये पुलिस को राजनैतिक प्रभाव से मुक्त करने की बात कही थी।
  - इसके अलावा राज्य स्तर पर गठित कई पुलिस आयोगों ने भी पुलिस को बाहरी दबावों से बचाने की सिफारिशें की थीं।

प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार

- वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिनमें पुलिस पर यह आरोप लगाया गया था कि पुलिसकर्मी राजनैतिक रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं।
- वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में केंद्र एवं राज्यों को पुलिस के कामकाज के लिये दिशा-निर्देश तय करने, पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, नियुक्ति और हस्तांतरण का निर्णय लेने तथा पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायतें दर्ज करने के लिये प्राधिकरणों के गठन का आदेश दिया था।
- न्यायालय ने मुख्य पुलिस अधिकारियों को मनमाने हस्तांतरण और नियुक्ति से बचाने के लिये उनकी सेवा की न्यूनतम अवधि तय करने को भी अनिवार्य किया था।
- हालाँकि देश के अधिकांश राज्यों ने अभी तक इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है।

आगे की राह

- भारत सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर संसद के समक्ष पुलिस हिरासत में होने वाली यातना से संबंधित एक मसौदा कानून तैयार करने का प्रयास करने चाहिये, साथ ही सरकार को UNCAT के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करनी चाहिये।
- वर्तमान में भारतीय पुलिस व्यवस्था को एक नई दिशा, नई सोच और नए आयाम की आवश्यकता है। समय की मांग है कि पुलिस नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हो और समाज के सताए हुए तथा वंचित वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशील बने।

PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय' (Ministry of Food Processing Industries- MoFPI) ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के एक भाग के रूप में 'PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज' (PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises - PM FME) योजना की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु:

- योजना के तहत कुल 35,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। जिससे 9 लाख कुशल और अर्द्ध-कुशल रोज़गारों के सृजित होने की संभावना है।
- असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की लगभग 25 लाख इकाइयों में लगभग 74% खाद्य [प्रसंस्करण श्रमिक कार्यरत हैं।

PM FME योजना के उद्देश्य:

- मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिये वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना।
- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के क्षमता निर्माण और अनुसंधान पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।

नोट :

योजना की आवश्यकता:

- असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, जिनका समाधान आवश्यक है।
  - आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों तक पहुँच की कमी;
  - संस्थागत प्रशिक्षण का अभाव;
  - संस्थागत ऋण तक पहुँच की कमी;
  - उत्पादों की खराब गुणवत्ता;
  - जागरूकता की कमी;
  - ब्रांडिंग और विपणन कौशल की कमी।

योजना का वित्तपोषण:

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा।
  - परिव्यय को निम्नलिखित तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाएगा:
  - केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में;
  - पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में;
  - विधानमंडल युक्त केंद्र शासित प्रदेशों में 60:40 के अनुपात में;
- अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में 100% व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

योजना की समयावधि:

योजना को वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पाँच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा।

'एक ज़िला एक उत्पाद' (One District One Product- ODDP) का दृष्टिकोण:

- निवेश प्रबंधन, आम सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन को बढ़ाने के लिये योजना के तहत एक ज़िला एक उत्पाद के दृष्टिकोण को अपनाया गया है।
- राज्यों द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक ज़िले के लिये एक खाद्य उत्पाद की पहचान की जाएगी।
- ODOP में जल्दी खराब होने वाला उत्पाद या अनाज आधारित उत्पाद हो सकता है जिसका ज़िले और उनके संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाता है।
- ऐसे उत्पादों की सूची में आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, कीनू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मत्स्यन, मुर्गी पालन आदि शामिल हैं।

योजना के अन्य पहलू:

- योजना के तहत ODOP उत्पादों के अलावा अन्य उत्पादों का उत्पादन करने वाली इकाइयों को भी सहायता दी जाएगी।
- ODOP उत्पादों के लिये बुनियादी ढाँचे के विकास के साथ ही ब्रांडिंग और विपणन हेतु भी सहायता दी जाएगी।
- योजना के तहत 'वेस्ट टू वेल्थ' (Waste to Wealth) उत्पादों, लघु वन उत्पादों को प्रोसाहित किया जाएगा।
- 'आकांक्षी ज़िलों' (Aspirational Districts) पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

योजना के तहत वित्तीय सहायता:

- मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, जो अपनी इकाइयों के उन्नयन की इच्छुक हैं, वे पात्र इकाइयाँ परियोजना लागत का 35% तक ऋण-आधारित पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति इकाई है।
- कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs)/स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/सहकारी समितियों या राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों या निजी उद्यमों को सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम सहित बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
- सीड कैपिटल (आरंभिक वित्त पोषण) के रूप में प्रति स्वयं सहायता समूह सदस्य को कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरण खरीदने के लिये 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

निष्कर्ष:

योजना के माध्यम से असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों यथा संस्थागत ऋण तक पहुँच, बुनियादी ढाँचे, ब्रांडिंग और मार्केटिंग कौशल आदि का समाधान करना संभव हो पाएगा। जिससे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

G-7 समूह और भारत

चर्चा में क्यों ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G-7 को एक 'पुराना समूह' बताते हुए इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को भी शामिल करने की बात कही है।

प्रमुख बिंदु

- डोनाल्ड ट्रंप ने G-7 के 46वें शिखर सम्मेलन को स्थगित करते हुए कहा कि यह अपने वर्तमान प्रारूप में विश्व की विभिन्न घटनाओं का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
  - उल्लेखनीय है कि 46वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के कैंप डेविड (Camp David) में 10-12 जून के मध्य किया जाना था।
- बीते वर्ष 45वाँ G-7 शिखर सम्मेलन 24-26 अगस्त को फ्राँस के बिआरित्ज़ (Biarritz) में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया था।
- डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, इस समूह को G-10 अथवा G-11 कहा जा सकता है।

G-7 समूह का अर्थ

- G-7 अर्थात 'ग्रुप ऑफ सेवन' (Group of Seven) फ्राँस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का एक समूह है।
- यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिये एक अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था।
  - कनाडा वर्ष 1976 में और यूरोपीय संघ (European Union) वर्ष 1977 में इस समूह में शामिल हुआ।
- आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिये अमेरिका तथा उसके सहयोगियों द्वारा एक प्रयास के रूप में गठित G-7 समूह दशकों से वैश्विक समाज के समक्ष मौजूदा विभिन्न चुनौतियों जैसे- वित्तीय संकट, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी आदि पर विमर्श कर रहा है।
- वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G-7 को 'G- 8' के रूप में जाना जाता था, हालाँकि वर्ष 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिये जाने के पश्चात् समूह को एक बार पुन: G-7 कहा जाने लगा।
- G-7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं जिसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं द्वारा एक 'रोटेशनल बेसिस' (Rotational Basis) पर की जाती है।
- उल्लेखनीय है कि G-7 का कोई भी औपचारिक संविधान या एक निर्धारित मुख्यालय नहीं है। इसलिये वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान समूह द्वारा लिये गए निर्णय गैर-बाध्यकारी होते हैं।
- वर्ष 2016 में राष्ट्रपति के तौर पर अपने चुनाव के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप विभिन्न अवसरों पर रूस के वैश्विक रणनीतिक महत्त्व को देखते हुए उसे पुन: समूह में शामिल करने की बात पर ज़ोर दे चुके हैं।

G-7 और G-20 में अंतर

- G-20 समूह देशों का एक बड़ा समूह है, जिसमें G-7 समूह के सदस्य भी शामिल हैं। G-20 समूह का गठन वर्ष 1999 में वैश्विक आर्थिक चिंताओं से निपटने हेतु और अधिक देशों को एक साथ एक मंच पर लाने के उद्देश्य से से किया गया था।

नोट :

- समग्र रूप से G-20 समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था के तकरीबन 80 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- G-7 के विपरीत, जो वैश्विक समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है, G-20 में केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाज़ारों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है।
- भारत वर्ष 2022 में G-20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

G-7 के विस्तार के निहितार्थ

- G-7, जिसमें विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ पहले से ही शामिल हैं, में चार अन्य देशों को शामिल करने के कदम को चीन के लिये एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और चीन के संबंधों में विभिन्न मुद्दों पर तनाव बना हुआ है, जिसमें हॉन्गकॉन्ग की स्वायत्तता, ताइवान, COVID-19 की उत्पत्ति, दक्षिण चीन सागर में तनाव और व्यापार जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं।
- विभिन्न विशेषज्ञ अमेरिका के इस निर्णय को आगामी भविष्य में चीन की नीतियों से निपटने के लिये सभी पारंपरिक सहयोगियों को एक साथ लाने की योजना के रूप में देख रहे हैं।
- आलोचकों का सदैव यह मत रहा है कि G-7 समूह की सदस्यता से भारत और ब्राज़ील जैसी महत्त्वपूर्ण उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को वंचित रखना इसकी एक बड़ी कमी है।
- G-20 (जो भारत, चीन, ब्राज़ील जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है) के उभार ने G-7 जैसे पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले समूह को चुनौती दी है। इस चुनौती से निपटना भी समूह के विस्तार का एक प्रमुख कारण हो सकता है।
  - विदित हो कि बीते कुछ दशकों में भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों के आर्थिक उदय ने वैश्विक स्तर पर G-7 की प्रासंगिकता को कम कर दिया है और वैश्विक GDP में G-7 समूह की हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में समूह के अस्तित्त्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है।

भारत का पक्ष

- वर्ष 2019 में आयोजित 45वें G-7 शिखर सम्मेलन में फ्राँस के राष्ट्रपति ने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले चार भागीदार देशों (ऑस्ट्रेलिया, चिली, भारत और दक्षिण अफ्रीका); पाँच अफ्रीकी भागीदारों [बुर्किना फासो, सेनेगल, रवांडा एवं दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकी संघ आयोग (AUC) के अध्यक्ष] तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया था।
- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान भी भारत ने पाँच बार G-7 (तत्कालीन G-8 समूह) में भाग लिया था।
- उल्लेखनीय है कि भारत लंबे समय से वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिये वैश्विक संस्थानों और समूहों में सुधार करने का आह्वान करता रहा है।
- भारत सदैव ही संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) जैसी संस्थाओं में सुधार का पक्षधर रहा है। ऐसे में यदि भारत G-7 समूह का हिस्सा बनता है तो उसे वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

यूरोपीय संघ का आर्थिक राहत पैकेज

चर्चा में क्यों ?

यूरोपीय संघ (European Union) ने कोरोना वायरस (COVID-19) के संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को संचालित करने के लिये 750 बिलियन यूरो (Euro) की योजना का अनावरण किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रस्ताव के तहत यूरोपीय आयोग (European Commission) बाज़ार से धनराशि उधार लेगा और फिर कोरोना वायरस जनित लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई अभूतपूर्व मंदी को खत्म करने के लिये दो-तिहाई हिस्सा अनुदान (Grants) और शेष ऋण के रूप में वितरित करेगा।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ (European Union-EU) के सभी देश कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं और इस प्रस्ताव का अधिकांश हिस्सा इटली और स्पेन को दिया जाएगा।
- विदित है कि यूरोपीय संघ का यह प्रस्ताव संघ के वर्ष 2021-27 के दीर्घकालिक बजट से अलग है। यूरोपीय संघ (EU) के इस प्रस्ताव को सभी सदस्य देशों और यूरोपीय संसद द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

प्रभाव

- यूरोपीय संघ (EU) द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को पुन: पटरी पर लाने के लिये जो ऋण लिया जा रहा है उसे यूरोपीय संघ द्वारा अंतत: चुकाना पड़ेगा, जिसका अर्थ है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय योगदान में बढ़ोतरी करनी होगी।

महत्त्व

- यूरोपीय संघ (European Union) के विभिन्न देशों जैसे- इटली, स्पेन, ग्रीस, फ्राँस और पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है और महामारी के कारण पूरी तरह से रुक गई है।
- EU के नेतृत्त्वकर्त्ताओं का मानना है कि यदि वे मौजूदा समय में लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने में विफल रहते हैं तो अर्थव्यवस्था की स्थिति और भी खराब हो सकती है।
- ऐसे में यूरोपीय संघ (EU) का यह प्रस्ताव न केवल सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने की क्षमता भी प्रदान करेगा।

यूरोपीय संघ (European Union)

- यूरोपीय संघ (European Union- EU) कुल 27 देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। ये 27 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए हैं, जिससे कि व्यापार को आसान बनाया जा सके और विभिन्न देशों के मध्य विवाद उत्पन्न न हो।
  - सैद्धांतिक रूप से जो देश आपस में जितना अधिक व्यापार करते हैं, उनके मध्य तनाव और युद्ध की संभावना उतनी ही कम हो जाती है।
- गौरतलब है कि यूरोपीय संघ के कुल 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि शेष देशों की अपनी अलग मुद्रा है।
- यूनाइटेड किंगडम (UK) 31 जनवरी, 2020 को यूरोपीय संघ (EU) से अलग होने वाला अंतिम देश था, जिसके बाद सदस्यों की संख्या 27 रह गई।
- यूरोपीय संघ ने कानूनों की मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाज़ार विकसित किया है, जो कि सदस्य देशों के उन सभी मामलों पर लागू होती हैं, जिन सदस्य देशों ने सहमति व्यक्त की है।
  - एकल बाज़ार सिद्धांत (Single Market Principle) अर्थात् किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के कहीं भी आ-जा सकते हैं एवं लोग बिना रोक टोक के नौकरी, व्यवसाय तथा स्थायी तौर पर निवास कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स (Free Movement of People and Goods) यूरोपीय संघ की खासियत है।

यूरोपीय आयोग (European Commission)

- यह यूरोपीय संघ (EU) का एक कार्यकारी निकाय है, जो कानून का प्रस्ताव करने, निर्णयों को लागू करने, यूरोपीय संघ की संधियों को बरकरार रखने और यूरोपीय संघ के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है।

उत्तर और दक्षिण कोरिया द्वारा कोरियाई युद्धविराम समझौते का उल्लंघन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 'गैर-सैन्य क्षेत्र' (Demilitarised Zone- DMZ) में दोनों पक्षों में हुई गोलीबारी की एक घटना के बाद 'यूनाइटेड नेशंस कमांड' (United Nations Command- UNC) ने दोनों देशों को वर्ष 1953 के 'कोरियाई युद्धविराम समझौते' (Korean Armistice Agreement) के उल्लंघन का दोषी पाया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- दक्षिण कोरिया के अनुसार, 3 मई 2020 को उत्तर कोरियाई सैनिकों ने DMZ के पास उसकी सुरक्षा चौकियों पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने चेतावनी के रूप में उत्तर कोरियाई चौकियों की तरफ कुछ गोलियाँ चलाई थीं।
- दक्षिण कोरिया ने इस मामले में उत्तर कोरिया को एक प्रसारण संदेश के द्वारा भी चेतावनी दी है कि गोलीबारी की यह घटना वर्ष 2018 के 'अंतर कोरियाई सैन्य समझौते' (Inter-Korean Military Agreement) का उल्लंघन है।
  - सितंबर, 2018 में उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता 'किम जोंग उन' (Kim Jong Un) और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति 'मून जेई-इन' (Moon Jae-in) के बीच हुई एक बैठक के बाद 'प्योंगयांग संयुक्त घोषणा' (Pyongyang Joint Declaration) नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - इस समझौते की एक शर्त के तहत दोनों पक्षों के बीच सैन्य तनाव कम करने की बात पर सहमति जाहिर की गई थी।
- लगभग ढाई वर्षों (2.5 Years) के बाद दोनों देशों के बीच हुई गोलीबारी की यह घटना उस युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है, जो वर्ष 1953 में कोरियाई युद्ध को रोकने में बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहा था।

गोलीबारी के पूर्व मामले और प्रतिक्रिया:

- दक्षिण कोरिया के अनुसार, गोलीबारी की इस घटना के बाद वह मामले की जाँच कर रहा है और इस पर अधिक जानकारी के लिये उत्तर कोरिया को एक संदेश भी भेजा गया है।
- इस मामले में अभी तक उत्तर कोरिया के द्वारा अलग से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
- इससे पहले दिसंबर, 2017 में इसी सीमा क्षेत्र में गोलीबारी की एक घटना देखी गई थी, जब एक उत्तर कोरियाई सैनिक ने अपने देश से भाग कर दक्षिण कोरिया में प्रवेश करने का प्रयास किया था।
  - गौरतलब है कि उत्तर कोरिया की प्रशासनिक सख्ती और देश में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अक्सर आम लोग (और कई मामलों में सैनिक भी) देश से भाग कर अन्य देशों में शरण लेने का प्रयास करते है, साथ ही कुछ आरोपों के अनुसार, पकड़े जाने पर उत्तर कोरियाई प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को कठोर सजा दी जाती है।
  - नवंबर, 2019 में उत्तर कोरिया से भागे एक सैनिक पर उत्तर कोरियाई सैन्य चौकियों से गोलीबारी की गई, जिसके बाद उस सैनिक को दक्षिण कोरिया में चिकित्सीय सहायता प्रदान की गई।
- जनवरी, 2016 में इसी सीमा पर दक्षिण कोरिया द्वारा उत्तर कोरिया के एक संदिग्ध ड्रोन पर भी गोलीबारी की गई थी।

यूनाइटेड नेशंस कमांड की जाँच:

- यूनाइटेड नेशंस कमांड के अनुसार, इस मामले में दोनों ही देशों ने वर्ष 1953 के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है।
- उत्तर कोरिया को इस मामले में अधिक जानकारी साझा करने के लिये आमंत्रित किया गया था परंतु जाँच दल को उत्तर कोरिया की तरफ से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई।
- हालाँकि जाँच दल यह स्पष्ट करने में सफल नहीं हो सका कि उत्तर कोरिया की तरफ से शुरू हुई गोलीबारी की यह घटना पूर्व नियोजित अथवा जानबूझकर की गई थी या नहीं।
- इस मामले में यूनाइटेड नेशंस कमांड की रिपोर्ट जारी होने के बाद दक्षिण कोरिया ने कहा कि वह इस रिपोर्ट और गोलीबारी में उत्तर कोरिया की भूमिका की समीक्षा के बगैर जाँच को बंद किये जाने से सहमत नहीं है।
- साथ ही दक्षिण कोरिया ने अपनी जवाबी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वह निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत कार्य कर रहा था।

यूनाइटेड नेशंस कमांड:

- यूनाइटेड नेशंस कमांड बहुराष्ट्रीय सैन्य बलों की एकीकृत कमान है।
- इसकी स्थापना जून, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) के आग्रह पर दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया के हमले को रोकने हेतु की गई थी।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council- UNSC) ने इस कमांड के नेतृत्व के लिये अमेरिका का नाम सुझाया था।

नोट :

- 29 अगस्त, 1950 को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की 27वीं ब्रिगेड इस सेना में शामिल हुई।
- अमेरिका, कोरियाई गणतंत्र (दक्षिण कोरिया) और ब्रिटेन के अतिरिक्त इस कमांड में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, इथियोपिया, फ्राँस, ग्रीस, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड तथा तुर्की के सैनिकों ने अपना योगदान दिया था।

कोरियाई युद्धविराम समझौता:

- वर्ष 1953 का 'कोरियाई युद्धविराम समझौता' एक संघर्ष विराम समझौता था, हालाँकि यह दोनों देशों के बीच युद्धविराम की आधिकारिक घोषणा नहीं थी।
- गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रपति 'सिंग्मैन री' (Syngman Rhee) के नेतृत्त्व में आधिकारिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये थे।
- हालाँकि दिसंबर, 1991 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत दोनों देशों ने सीमा पर आक्रामकता न बढ़ाने पर सहमति जाहिर की।

युद्ध विराम समझौते का परिणाम:

- युद्ध विराम समझौता लागू होने के बाद से कई मौकों पर दोनों देशों के द्वारा इस समझौते का उल्लंघन किया गया है, जिसके करण दोनों देशों के बीच सतत् रूप से तनाव की स्थिति बनी हुई है।
- हालाँकि इन घटनाओं के बाद भी हाल के वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में काफी सुधार हुआ है।

आगे की राह:

- उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा पर स्थित गैर-सैन्य क्षेत्र वर्तमान में विश्व के सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बलों वाली सीमाओं में से एक है और कोरियाई युद्ध से लेकर आज तक इस सीमा पर तनाव की यह स्थिति संपूर्ण विश्व के लिये एक गंभीर चिंता का विषय रही है।
- उत्तर कोरिया द्वारा हाल में किये गए मिसाइल परीक्षणों से यह तनाव और भी जटिल हो गया है ऐसे में कोरियाई देशों के बीच संघर्ष में वृद्धि वर्तमान वैश्विक स्थिरता के लिये एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है, अत: संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से विश्व के सभी देशों को कोरियाई संकट के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों को मज़बूत करना चाहिये।

चीन द्वारा 'थाड' का विरोध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की 'थाड' (Thaad) मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुन: आपत्ति दर्ज कराई है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिकी बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के नए संस्करण की तैनाती किये जाने की सूचना के बाद चीन ने यह आपत्ति दर्ज दर्ज कराई है।
- चीन का पक्ष:
  - चीन ने एक बयान जारी कर अमेरिका से आग्रह किया है कि वह चीन और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान न पहुँचाए।
- दक्षिण कोरिया का पक्ष:
  - दक्षिण कोरिया ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि मिसाइलों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है। केवल उन्हें नए संस्करणों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।

पृष्ठभूमि:

- ध्यातव्य है कि दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना द्वारा 'थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली' को संचालित किया जाता है।

नोट :

- उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के मद्देनज़र अमेरिका ने संभावित हमलों के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई के लिये दक्षिण कोरिया में 'थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली' की तैनाती की थी।
- वर्ष 2017 में उत्तर कोरिया द्वारा जापान में स्थित अमेरिकी ठिकानों की दिशा में कुछ मिसाइलों का परीक्षण किये जाने के पश्चात् कोरियाई प्रायद्वीप में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा बढ़ गई थी।
- इस घटना के बाद अमेरिका ने अपनी योजनाओं में संशोधन कर दक्षिण कोरिया के ओसान में अपने सेना बेस को स्थानांतरित कर दिया था।
- तब से चीन अमेरिका की इस तरह की गतिविधियों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है।

चीन द्वारा थाड के विरोध के कारण:

- द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, 'थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली' में उन्नत रडार सिस्टम है जो चीन की सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखने में सक्षम है।
- अमेरिका 'जापान और दक्षिण कोरिया' में अपने कई सैन्य ठिकानों के माध्यम से पूर्वी एशिया क्षेत्र में मौजूद है जिसको लेकर चीन चिंतित है।
- पूर्वी एशिया के कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार, चीन का मानना है कि अमेरिका 'दक्षिण कोरिया और जापान' पर अपना प्रभाव कायम कर रहा है और पूर्वी एशिया में चीन के दीर्घकालिक सैन्य, राजनयिक और आर्थिक हितों पर हस्तक्षेप कर सकता है।

पूर्व में थाड को लेकर चीन की प्रतिक्रिया:

- वर्ष 2017 में चीन ने 'थाड' के मद्देनज़र दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। दक्षिण कोरियाई व्यवसायों और एलजी, लोटे और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों के विविध कार्यों में चीन द्वारा बाधा उत्पन्न की गई थी।
- कई चीनी पर्यटक कोरियाई मनोरंजन के प्रशंसक हैं और दक्षिण कोरिया की यात्रा करते हैं। इस घटनाक्रम के मद्देनज़र दक्षिण कोरिया के पर्यटन क्षेत्र में भारी गिरावट आई थी।
- दक्षिण कोरियाई सौंदर्य उत्पाद की मांग चीन में अत्यधिक है। सोशल मीडिया पर दक्षिण कोरियाई उत्पादों के बहिष्कार के आह्वान के कारण उनकी बिक्री पर भी असर देखा गया था।

थाड (THAAD)

- थाड का पूरा नाम 'टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस' (Terminal High Altitude Area Defence) है, जिसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है।
- थाड अंतरिक्ष-आधारित और जमीन-आधारित निगरानी स्टेशन से जुड़ा होता है। यह स्टेशन अपनी तरफ आने वाली मिसाइलों के बारे में 'थाड इंटरसेप्टर मिसाइल' (Thaad Interceptor Missile) को डेटा ट्रांसफर कर खतरे के प्रकार के बारे में सूचित करता है।
- यह 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊँचाई तक मार करने में सक्षम है।
- इसकी टेक्नोलॉजी 'हिट टू किल' है अर्थात् सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं बल्कि नष्ट कर देती है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) और भारत

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने चीन के संदर्भ में अपनी चिंताओं के कारण आसियान (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) देशों के नेतृत्त्व में बने 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी' (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) समझौते में न शामिल होने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 के अनुभव और चीन या किसी एक ही देश पर आयात हेतु निर्भर देशों के अनुभवों ने भारत के RCEP में न शामिल होने के विचारों को और अधिक मज़बूत किया है।

नोट :

- पिछले महीने RCEP 'व्यापार वार्ता समिति' (Trade Negotiating Committee -TNC) के अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा था कि यदि भारत पुन: RCEP में शामिल होता है तो समूह भारत द्वारा की गई आपत्ति (कुछ ही उत्पादों को बाज़ार की पहुँच' उपलब्ध कराने के संदर्भ में) पर पुन: विचार कर सकता है।
- गौरतलब है कि नवंबर, 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत के कृषि और कुछ अन्य क्षेत्रों के हितों की रक्षा को कारण बताते हुए RCEP से अलग होने की घोषणा की थी।
- RCEP से अलग होने के बाद भारत इस समूह की कम-से-कम दो अलग बैठकों (फरवरी में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित बैठक और अप्रैल में आयोजित वर्चुअल RCEP बैठक) में नहीं शामिल हुआ है।
- अप्रैल में आयोजित RCEP व्यापार वार्ता समिति बैठक में वर्ष 2020 के अंत तक इस समझौते पर हस्ताक्षर करने को प्रतिबद्ध देशों के वार्ताकारों ने समूह के विधिक मामलों की त्रुटियों/आपत्तियों को दूर किया।

क्या है RCEP ?

- 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी' (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) एक मुक्त व्यापर की संधि है।
- इस समझौते का उद्देश्य आसियान और इसके मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होना भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के लिये लाभदायक हो सकता है।
- RCEP वार्ताओं की शुरुआत नवंबर, 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान समूह के 21वें शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- इस समझौते में 10 आसियान देशों के साथ 6 अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया और भारत) को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था।
- भारत सहित RCEP के सदस्य देश विश्व की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही ये देश विश्व के एक चौथाई निर्यात तथा कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देते हैं।

RCEP में भारत को शामिल करने की मांग :

- RCEP द्वारा 30 अप्रैल को जारी एक पत्र के अनुसार, यह समूह COVID-19 के कारण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों को कम करने तथा निवेश में वृद्धि करने हेतु सदस्य देशों को एक स्थिर और पूर्वानुमान योग्य आर्थिक वातावरण उपलब्ध कराएगा।
- समूह के 15 सदस्यों ने भारत के साथ समूह के संदर्भ में असहमतियों को दूर करने की प्रतिबद्धता को दोहराया तथा कहा कि वे RCEP की वार्ता में भारत की वापसी का स्वागत करेंगे।
- ऑस्ट्रेलियाई नामित उच्चायुक्त के अनुसार, यदि भारत समूह में पुन: शामिल होना चाहता है तो यह सबसे बेहतर समय होगा, क्योंकि यह दुनिया को कि न सिर्फ भारत के निवेश का एक आकर्षक स्थान/बाज़ार होने का संदेश देगा बल्कि इससे लोगों को 'मेक इन इंडिया' (Make In India) पहल के तहत उत्पादन केंद्र बनने की भारत की क्षमता के बारे में भी पता चलेगा।
- साथ ही भारत को समूह में चीन की उपस्थिति के बीच एक सकारात्मक संतुलन की तरह देखा जा रहा है।

भारत की चुनौतियाँ:

- नवंबर, 2019 के भारतीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य के अनुसार, वर्तमान RCEP अपनी मूल भावना और इस समझौते के तहत मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- भारत के लिये RCEP मुक्त व्यापार संधि में शामिल होने की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समूह के 15 में से 11 देशों के साथ भारत का व्यापार घाटे में रहा है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के साथ मुक्त व्यापार संधि में शामिल होने से डेयरी उत्पाद से जुड़ी स्थानीय इकाईयों को भारी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही स्टील और कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यवसाईयों ने भी इस संदर्भ में अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं।
- समूह में शामिल होने से पहले भारतीय उद्योग और व्यवसायी चीन जैसे देशों से उत्पादित सस्ते सामानों के आयात में वृद्धि को लेकर भी चिंतित थे।

नोट :

आगे की राह:

- पिछले कुछ वर्षों में RCEP देशों ने तकनीकी और विनिर्माण जैसे में क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, ऐसे में इस समूह की आपूर्ति श्रंखला में शामिल होना भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के लिये लाभदायक हो सकता है।
- हालाँकि वर्तमान परिस्थिति में चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के उत्पादकों को भारतीय बाज़ार की खुली पहुँच प्रदान करना स्थानीय उद्योगों के लिये एक बड़ी चुनौती का कारण बन सकता है।
- परंतु नवीन तकनीकी विकास में भाग लेने और वैश्विक बाज़ार में लाभ प्राप्त करने हेतु अधिक दिनों तक इस संरक्षणवादी नीति को नहीं बनाए रखा जा सकता अत: सरकार को स्थानीय क्षमता के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर नवोन्मेष, आर्थिक सहयोग जैसे माध्यमों से उनके विकास को बढ़ावा देना होगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंसक विरोध प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व भर के कई अन्य देशों में भी देखने को मिले हैं।

प्रमुख बिंदु:

- इस विरोध प्रदर्शन को अलग-थलग करने के लिये अमेरिकी सरकार ने भीड़ के ऊपर आँसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों को 'ठग' कहा एवं उन्हें गोली मारने और उनके खिलाफ सेना के इस्तेमाल करने की धमकी दी।
  - यदि यही विरोध प्रदर्शन किसी गैर-पश्चिमी राष्ट्र में हो रहे होते और वहाँ का राष्ट्रपति ऐसी भाषा का प्रयोग करता तो अमेरिकी विदेश विभाग, ब्रिटिश, फ्राँन्स और जर्मनी के विदेश कार्यालय तुरंत वहाँ की सरकार की निंदा करते और मानवाधिकारों का सम्मान करने का आह्वान करते तथा अमेरिकी कॉन्ग्रेस भी उस राष्ट्र के 'क्रूर' शासन के खिलाफ कानून बना देती या उस पर प्रतिबंध लगा देती।
  - किंतु इस बार हिंसक विरोध प्रदर्शन, पुलिस की बर्बरता और राष्ट्रपति की धमकी का गवाह बनने वाला देश स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका है।
- यह विरोध प्रदर्शन अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहरों में फैल चुका है जो अप्रैल 1968 में डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों की याद दिलाते हैं।
- विश्लेषक बताते है कि अमेरिका में हो रहे ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ अश्वेत नागरिक की हत्या का कारण नहीं है बल्कि 'दंगों' के माध्यम से जो हालात सामने आए हैं वह हज़ारों अमेरिकियों का गुस्सा है जो एक ही समय में कई बाधाओं से लड़ रहे हैं।

अमेरिकी इतिहास का सबसे अशांत वर्ष 1968:

- वर्ष 1968 आधुनिक अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक उतार-चढाव वाले वर्षों में से एक था।
  - उल्लेखनीय है कि वियतनाम युद्ध के खिलाफ अमेरिका में विरोध-प्रदर्शन पहले से ही हो रहा था कि 4 अप्रैल, 1968 को टेनेसी राज्य के मेम्फिस के एक मोटल (एक प्रकार का होटल) में डॉ. मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई। वहीं दो महीने के बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ. केनेडी की लॉस एंजिल्स में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
- डॉ. किंग की हत्या के कारण अमेरिकी शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया जिसे 'पवित्र सप्ताह विद्रोह' (The Holy Week Uprising) कहा जाता है।
- यह हिंसक विद्रोह संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, शिकागो, बाल्टीमोर, कंसास सिटी सहित सभी जगहों पर अधिकतर अश्वेत युवाओं द्वारा किया गया जिसने अमेरिकी गृहयुद्ध की याद को ताज़ा किया था।

नोट :

अमेरिकी इतिहास में वर्ष 1968 और वर्ष 2020 के बीच समानताएँ:

- अमेरिकी इतिहास में वर्ष 1968 और वर्ष 2020 के बीच काफी समानताएँ हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका पहले से ही बड़े पैमाने पर आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संकटों से जूझ रहा था।
- COVID-19 महामारी से अश्वेत समुदाय को काफी दिक्कत हुई जिसमें अब तक 100,000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों की मौत हो चुकी है।
- वर्ष 1929 की महामंदी (Great Depression) के बाद से अमेरिका में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी देखी जा रही है। अश्वेत नागरिक फ्लॉयड की मौत ने अमेरिकी जनता के गुस्से के लिये एक चिंगारी का काम किया तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की भड़काऊ भाषा ने इन प्रदर्शनों को हिंसक रूप दे दिया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने अतीत में कई बार नस्लीय हिंसा देखी है जिनमें अधिकतर विरोध प्रदर्शन स्थानीय स्तर के ही होते थे। किंतु वर्तमान में हो रहे विरोध प्रदर्शन वर्ष 1968 के विरोध प्रदर्शनों जैसे हैं। जिसे न्यू यॉर्कर (New Yorker) के संपादक 'डेविड रेमनिक' ने इसे 'एक अमेरिकी विद्रोह' (An American Uprising) कहा था।
- इस विद्रोह का कारण अमूर्त रूप से विभाजित देश है जो एक घातक संक्रमण (COVID-19), बेरोज़गारी और बिगड़ते नस्ल संबंधों की ट्रिपल चुनौतियों का सामना करने के लिये संघर्ष कर रहा है।

'लॉ एंड ऑर्डर' अभियान ('Law and Order' Campaign):

- वर्ष 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिये नेशनल गार्ड की तैनाती की था किंतु उन्होंने डॉ. लूथर किंग की हत्या के अगले दिन अमेरिकी कॉन्ग्रेस को लिखे एक पत्र में कहा था कि निष्पक्ष नागरिक अधिकारों के हीरो (डॉ. मार्टिन लूथर किंग) की स्थायी माँगों में से एक 'फेयर हाउसिंग एक्ट' पारित करना था।
  - परिणामत: पाँच दिनों के भीतर वर्ष 1968 का नागरिक अधिकार अधिनियम, शीर्षक VIII, जिसे 'फेयर हाउसिंग एक्ट' के रूप में जाना जाता है, को प्रतिनिधि सभा ने एक बड़े अंतर से पारित किया।
- वहीं वर्तमान में जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप स्थिति को संभाल रहे हैं उससे लगता है कि उनकी तीव्र प्रतिक्रिया सैन्यवादी है जिसने अब तक प्रदर्शनकारियों को उकसाया है और अमेरिकी समाज में विभाजन को गहरा किया है।
- जानकर बताते हैं कि आगामी राष्ट्रपति पद के लिये होने वाले चुनाव के कारण राष्ट्रपति ट्रंप स्पष्ट रूप से पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की बनाई रेखा का अनुसरण कर रहे हैं।
- वर्ष 1968 में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद रिचर्ड निक्सन ने अपने चुनावी अभियान में 'लॉ एंड ऑर्डर' का आह्वान किया। यह एक नस्लीय संदेश था जिसने अश्वेत नागरिकों द्वारा की गई हिंसा के समक्ष श्वेत नागरिकों के वोटों के ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया।
- 'लॉ एंड ऑर्डर' अभियान ने निक्सन के राजनीतिक भाग्य में एक नई जान फूंक दी, जिसे लिंडन बी. जॉनसन ने कभी 'जीर्ण प्रचारक' (Chronic Campaigner) कहा था। निक्सन ने उस वर्ष राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था।
- इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आगामी चुनाव में ट्रंप फिर से अर्थव्यवस्था पर दाँव नहीं लगा सकते क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अत्यंत नाज़ुक स्थिति में है।
  - बढ़ती हिंसा और नागरिक अशांति के बीच यह स्पष्ट है कि ट्रंप का चुनावी अभियान निक्सन के चुनावी अभियान की ही एक धुरी है।
  - क्योंकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने 'कानून एवं व्यवस्था' बनाए रखने का आह्वान किया किंतु कुछ ही घंटों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना का उपयोग करने की धमकी देते हुए कहा कि 'मैं आपकी कानून एवं व्यवस्था का राष्ट्रपति हूँ'।
- किंतु वर्तमान एवं अतीत की स्थिति में एक बड़ा अंतर है। जब निक्सन ने प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाते हुए अभियान शुरू किया था तो वह राष्ट्रपति नहीं थे। किंतु वर्तमान में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिकी शहर उनकी निगरानी में हिंसक प्रदर्शनों के गवाह बन रहे हैं।

नोट :

मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने पर विचार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया को 'मालाबार नौसैनिक अभ्यास' में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही एक मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समर्थक रहे हैं।
- गौरतलब है कि वर्ष 2016 से ही ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने की इच्छा ज़ाहिर की है, परंतु भारत अभी तक ऑस्ट्रेलिया को इस नौसैनिक अभ्यास शामिल करने से बचता रहा है।
- इस मुद्दे पर भारतीय पक्ष का यह मत रहा है कि इस नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने से यह चीन के खिलाफ एक 'चतुष्पक्षीय सैन्य गठबंधन' के समान प्रतीत होगा जो क्षेत्र में भारत और चीन के बीच तनाव को और अधिक बढ़ा सकता है।
  - हालाँकि इस बात की भी उम्मीद है कि हाल के दिनों में 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control- LAC) पर चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ने से यह निर्णय बदल भी सकता है।

मालाबार नौसैनिक अभ्यास:

- मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत-अमेरिका-जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
- मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी।
- वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग:

- ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त के अनुसार, मालाबार नौसैनिक अभ्यास के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार समूह के सदस्यों को ही है, परंतु ऑस्ट्रेलिया के लिये इस समूह में शामिल होना प्रसन्नता की बात होगी।
- पिछले 6 वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग में चार गुना वृद्धि हुई है।
- दोनों देशों ने 'भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास' (AUSINDEX) और युद्ध अभ्यास 'पिच ब्लैक' (Pitch Black) के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया है।

म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट:

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट' (Mutual Logistics Support Agreement- MLSA) की घोषणा द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है।
- इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकेंगे।
- यह समझौता दोनों देशों के लिये सैन्य आपूर्ति को आसान बनाने के साथ परिचालन सुधार में सहायक होगा।
- वर्ष 2016 में भारत और अमेरिका के बीच 'लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट' (Logistics Exchange Memorandum of Agreement- LEMOA) पर हस्ताक्षर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना जिसने भारत के समक्ष MLSA का मसौदा प्रस्तुत किया था।
- इस समझौते पर पिछले वर्ष भारतीय रक्षा मंत्री की कैनबरा (Canberra) यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किया जाना प्रस्तावित था परंतु यह यात्रा रद्द होने और इसके बाद जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया की वनाग्नि तथा मई 2020 में COVID-19 के कारण इसे विलंबित कर दिया गया था।

समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness- MDA):

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री क्षेत्र जागरूकता को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक 'समुद्री सहयोग समझौते' (Maritime Cooperation Agreement) पर कार्य किया जा रहा है।

नोट :

- ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय नौसेना के गुरुग्राम स्थित 'सूचना संलयन केंद्र – हिंद महासागर क्षेत्र' (Information Fusion Centre - Indian Ocean Region or IFC-IOR) पर अपने एक संपर्क अधिकारी को तैनात करने पर सहमति ज़ाहिर की है।

आगे की राह:

- समान विचारधारा होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है।
- हाल के वर्षों में दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से क्षेत्र के देशों के साथ विश्व भर में चीन के व्यवहार पर प्रश्न उठने लगे हैं।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही 'क्वाड' (Quad) के माध्यम से एक 'मुक्त, खुले और समावेशी' 'हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र' के लिये अपनी प्रतिबद्धता दिखा चुके हैं ऐसे में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने से क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रति दोनों देशों की विचारधारा को मज़बूती प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी।

भारत-चीन मैराथन बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control-LAC) पर भारत-चीन के मध्य उत्पन्न हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिये दोनों देशों के मध्य 'चुशुल-मोलडो सीमा बिंदु' (Chushul-Moldo Border Point) पर लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय बैठक संपन्न हुई।

प्रमुख बिंदु:

- इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व 14 वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह द्वारा किया गया तथा चीन का प्रतिनिधित्व दक्षिण शिनज़ियांग सैन्य ज़िले के कमांडर मेजर जनरल लिन लियू द्वारा किया गया।

वार्ता में शामिल मुख्य मुद्दे:

- इस वार्ता में शामिल मुख्य मुद्दों में पैंगोंग त्सो क्षेत्र (Pangong Tso Area) तथा गालवान क्षेत्र (Galwan Region) रहे।
- पैंगोंग त्सो क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है । भारत द्वारा चीनी सेना के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर आगे बढ़कर टेंट स्थापित करने तथा सैन्य गतिविधियाँ संचालित करने को लेकर इस बैठक में आपत्ति दर्ज़ की गई ।
- वहीं दूसरी तरफ बैठक में अक्साई चिन (पूर्वी लद्दाख क्षेत्र) में स्थित गालवान क्षेत्र में भारत द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य का विरोध चीन द्वारा किया गया।
  - यहाँ विरोध का मुख्य कारण गलवान घाटी को दारबुक, शयोक, दौलत बेग ओल्डी से जोड़ने वाली 255 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य है।
  - इस सड़क के बन जाने से लेह से दौलत बेग ओल्डी तक पहुँचने में कम समय लगेगा जिसके चलते यह सड़क भारत को सामरिक दृष्टि में मज़बूती प्रदान करेगी।

समाधान:

- दोनों देशों द्वारा मौज़ूदा स्थिति की समीक्षा की गई तथा इस बात पर ज़ोर दिया गया कि एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंधों को कायम करने की आवश्यकता है।
- दोनों पक्षों द्वारा वर्ष2020 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया गया।
- दोनों देश इस बात पर भी सहमत थे कि दोनों को एक-दूसरे की भावनाओं, चिंताओं और महत्त्वाकांक्षाओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को दूर करना होगा।
- दोनों ही पक्षों द्वारा अपनी-अपनी समस्याएँ एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत की गई।

नोट :

- भारत द्वारा चीन से पूर्व स्थिति अर्थात चीनी सेना को 20 अप्रैल 2020 की स्थिति में लौटने को कहा गया है। बैठक की समाप्ति सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई।

आगे की राह:

वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यह भारत और चीन के बीच यह अंतिम सीमा विवाद है। यह कदम चीन के एक कदम पीछे तथा दो कदम आगे चलने की उसकी व्यापक रणनीति का ही हिस्सा है। ऐसे में भारत को इसकी काट के लिये हमेशा तैयार रहना होगा। दोनों देशों के बीच इस तरह की वार्ताएं भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिये आवश्यक है तथा इससे आगे भी बातचीत का रास्ता खुला हुआ रहेगा।

लियोपोल्ड द्वितीय: औपनिवेशिक हिंसा का प्रतीक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नस्लभेद को लेकर अमेरिका में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते बेल्जियम में प्रदर्शनकारियों ने लियोपोल्ड द्वितीय (Leopold II) की प्रतिमा को गिरा दिया है, जिनकी हिंसक और शोषक नीतियों का प्रयोग बेल्जियम को समृद्ध बनाने के लिये किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब यूरोप के विभिन्न देशों में भी फैल गया है। ब्रिटेन और बेल्जियम जैसे देशों में यह आंदोलन आम लोगों को अपने देश में उपनिवेश के हिंसक इतिहास पर बात करने के लिये प्रेरित कर रहा है।

कौन थे लियोपोल्ड द्वितीय ?

- वर्ष 1865 से वर्ष 1909 के बीच शासन करने वाले राजा लियोपोल्ड द्वितीय (Leopold II) को बेल्जियम पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाला शासक माना जाता है।
- उल्लेखनीय है कि कई विशेषज्ञ कांगो पर प्रशासन के दौरान लियोपोल्ड द्वितीय की अत्याचारों और शोषण से भरी नीति की काफी आलोचना करते हैं।
- कांगो पर अपने स्वामित्त्व के दौरान लियोपोल्ड द्वितीय ने लाखों की संख्या में कांगो के मूल निवासियों की क्रूर हत्याएँ कीं। माना जाता है कि लियोपोल्ड द्वितीय की क्रूर नीतियों के कारण तकरीबन 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी।
- वर्ष 1908 में लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो को बेल्जियम सरकार के हाथों बेच दिया और यह क्षेत्र बेल्जियम का उपनिवेश बन गया।
- इसके तकरीबन 52 वर्षों बाद वर्ष 1960 में कांगो ने स्वतंत्रता हासिल की और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।
- उपनिवेश स्थापित करने में शामिल अन्य राज्यों की तरह बेल्जियम में भी कांगो के लोगों से प्राप्त किया गया धन और संसाधन देश भर में सभी सार्वजनिक भवनों और स्थानों में देखे जा सकते हैं।
  - जानकारों का मानना है कि राजधानी ब्रसेल्स (Brussels) समेत कई शहरों और कस्बों को बड़े पैमाने पर लियोपोल्ड द्वितीय द्वारा कांगो से प्राप्त किये गए धन और संसाधन से विकसित किया गया है।

नया नहीं है लियोपोल्ड द्वितीय से संबंधित विवाद

- बेल्जियम राजशाही ने अपने औपनिवेशिक वर्षों के दौरान हुए अत्याचारों के लिये कभी माफी नहीं मांगी।
- बेल्जियम के एक विशिष्ट वर्ग ने सदैव ही यह प्रयास किया है कि लियोपोल्ड द्वितीय समेत देश के औपनिवेशिक इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रतीकों को बेल्जियम के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों से हटा दिया जाए।
- वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने बेल्जियम में भी इस मुद्दे को एक बार पुन: चर्चा में ला दिया है।
- कई शोधकर्त्ता और इतिहासकार मानते हैं कि बेल्जियम सरकार के तहत कांगो की स्थिति बेहतर थी, जबकि कुछ का मत है कि लियोपोल्ड द्वितीय के शासनकाल के दौरान कांगो की स्थिति काफी बेहतर थी। वहीं कुछ आलोचक बेल्जियम की समग्र औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना करते हैं।

नोट :

- जानकारों के अनुसार, आम सहमति का अभाव ही वह कारण है जिसकी वजह से बेल्जियम के हिंसक औपनिवेशिक इतिहास पर देश में अधिक गंभीर और व्यापक रूप से चर्चा नहीं की गई।

लियोपोल्ड द्वितीय की प्रतिमा हटाने का पक्ष

- बेल्जियम में ऐसा एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध की गई हिंसा समेत कांगों के मूल निवासियों की क्रूर हत्या में लियोपोल्ड द्वितीय की भूमिका के कारण उनकी प्रतिमा को सभी सार्वजनिक स्थानों से हटा दिया जाना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार के प्रतीक औपनिवेशिक काल के दौरान हुई हिंसा का प्रतिनिधित्त्व करते हैं।
- बेल्जियम समेत विश्व भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण उपनिवेश और नस्लभेद के हिंसक अतीत का प्रतिनिधित्त्व करने वाले अन्य प्रतीकों को भी हटाया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1960 में कांगो की आज़ादी के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा (Kinshasa) में लियोपोल्ड द्वितीय की प्रतिमा को हटा दिया गया था।

संबंधित घटनाएँ

- एडवर्ड कॉलस्टन (Edward Colston): हाल ही में नस्लभेद की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों द्वारा 17वीं शताब्दी के दास व्यापारी एडवर्ड कॉलस्टन (Edward Colston) की मूर्ति को गिरा दिया गया। एडवर्ड कॉलस्टन रॉयल अफ्रीकन कंपनी (Royal African Company-RAC) के एक शीर्ष अधिकारी थे, जिसने हज़ारों की संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दास/गुलाम के तौर पर कई देशों में पहुँचाया, एक अनुमान के अनुसार, रॉयल अफ्रीकन कंपनी (RAC) में रहते हुए एडवर्ड कॉलस्टन ने लगभग 84000 दासों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया, जिसमें से लगभग 20000 दासों की मृत्यु रास्ते में ही हो गई थी। जहाँ एक ओर कुछ लोग एडवर्ड कॉलस्टन को एक दास व्यापारी के रूप में देखते हैं, वहीं कुछ लोग इन्हें एक लोकोपकारी और समाजसेवी के रूप में भी देखते हैं। दरअसल अफ्रीकी दासों की तस्करी करने वाली ब्रिटिश कंपनियों के लिये ब्रिस्टल, लिवरपूल, ग्लासगो और लंदन प्रमुख बंदरगाह थे। इसीलिये दास व्यापारी और जहाज़ कंपनियों के मालिक इन शहरों की आय का एक प्रमुख स्रोत थे। चूँकि एडवर्ड कॉलस्टन भी इसी प्रकार का एक दास व्यापारी था, इसलिये उसके ब्रिस्टल और लंदन जैसे शहरों के विकास में काफी योगदान दिया और शहर में स्कूल तथा अनाथालय खोले। हालाँकि इन तथ्यों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि एडवर्ड कॉलस्टन एक दास व्यापारी थे और वे मौजूदा दौर में औपनिवेशिक गुलामी का प्रतिनिधित्त्व करते हैं।
- विंस्टन चर्चिल: एक अन्य घटना में लंदन में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल (Winston Churchill) की प्रतिमा के साथ तोड़ फोड़ की गई और उनकी प्रतिमा पर प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर 'नस्लवादी' (Racist) लिखा। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर इतिहासकार और शोधकर्त्ता नस्लवादी तथा साम्राज्यवादी नीतियों का आरोप लगते हैं जिसके कारण ब्रिटिश भारत में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। विदित हो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom-UK) की जीत का श्रेय विंस्टन चर्चिल को ही दिया जाता है। असल में विंस्टन चर्चिल एक पूर्व सैन्य अधिकारी थे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच पहले वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) के साथ कई अन्य महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु:

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 जून, 2020 को एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- इस अवसर पर दोनों देशों की तरफ से 'हिंद-प्रशांत समुद्री सहयोग के लिये साझा दृष्टिकोण' (Shared Vision for Maritime Cooperation in the Indo-Pacific) नामक एक संयुक्त दस्तावेज़ जारी किया गया।

नोट :

- इस सम्मेलन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।
- साथ ही दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री स्तर की बैठकों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई।

समझौते:

- 'म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट' (Mutual Logistics Support Agreement- MLSA):
  - इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिये सैन्य अभ्यास और साझा गतिविधियों में वृद्धि के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में सहयोग को व्यापक तथा मज़बूत बनाने पर सहमति व्यक्त की।
  - इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों की सेनाएँ एक दूसरे के सैन्य अड्डों का परस्पर प्रयोग कर सकेंगी।
  - इससे पहले भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वर्ष 2016 में ऐसे ही एक समझौते 'लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट' (Logistics Exchange Memorandum of Agreement- LEMOA) पर हस्ताक्षर कर चुका है।
  - साथ ही भारत द्वारा कुछ अन्य देशों फ्राँस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के बीच ऐसे ही समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।
- व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership- CSP):
  - इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच वर्ष 2009 की द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में स्थापित किया गया है।
  - इसके तहत दोनों देशों द्वारा '2+2 वार्ताओं' को सचिव स्तर से आगे ले जाते हुए मंत्री स्तर तक बढ़ाया गया है।
  - इसके बाद अब दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्री कम-से-कम हर दूसरे वर्ष मिलकर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
    - वर्तमान में भारत और क्वाड के अन्य दो सदस्यों (USA और जापान) के साथ पहले से ही मंत्रिस्तरीय 2+2 वार्ता की व्यवस्था लागू है।
  - भारत ने अब तक यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ CSP समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया तीन देशों चीन, इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ CSP समझौते का हिस्सा है।
- ऑस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष:
  - दोनों पक्षों ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने और अन्य साझा प्राथमिकताओं पर भी कार्य करने के लिये 'ऑस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष' (Australia-India Strategic Research Fund- AISRF) के तहत सहयोग बढ़ाने पर बल दिया।
    - AISRF की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी, यह कोष भारत और ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों पर सहयोग हेतु सहायता प्रदान करता है।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग:
  - इस सम्मेलन में दोनों पक्षों के बीच 'साइबर और साइबर-सक्षम महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग पर रूपरेखा व्यवस्था' (Framework Arrangement on Cyber and Cyber-enabled Critical Technology Cooperation) समझौते के तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा और अन्य महत्त्वपूर्ण एवं नवीन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।
- महत्त्वपूर्ण और सामरिक खनिजों का खनन और प्रसंस्करण:
  - दोनों पक्षों के बीच महत्त्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
  - इस समझौते के तहत दोनों देशों ने खनिजों के अन्वेषण और निष्कर्षण के लिये आवश्यक नवीन तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग करने की सहमति व्यक्त की है।
- कृषि क्षेत्र में सहयोग:
  - इस सम्मेलन में दोनों पक्षों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व को स्वीकार किया।
  - दोनों पक्षों ने फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान और कृषि लागत को कम करने के लिये अनाज के प्रबंधन जैसे मुद्दों पर संयुक्त कार्यवाही करने की बात कही।

नोट :

- साथ ही इस सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों के बीच 'जल संसाधन प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन' (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किया गया।

- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता:
  - इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2015 से स्थगित भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Comprehensive Economic Cooperation Agreement- CECA) पर वार्ता को पुन: शुरू किये जाने पर सहमति व्यक्त की।
    - ध्यातव्य है कि यह निर्णय तब लिया गया है जब हाल ही में भारत ने आसियान (ASEAN) के नेतृत्त्व में बने 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) मुक्त व्यापार समझौते से अलग होने का निर्णय लिया है

अन्य समझौते:

- लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लाभ:

- COVID-19 महामारी के दौरान भी भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को विलंबित न करने का निर्णय दोनों देशों के मज़बूत संबंधों और परस्पर सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- रक्षा क्षेत्र में हुए महत्त्वपूर्ण समझौते न सिर्फ दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग में वृद्धि करेंगे बल्कि यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में दोनों पक्षों की समान विचारधारा को भी मज़बूती प्रदान करेगा जिससे इस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।
- खनिज पदार्थों से जुड़े समझौते के माध्यम से भारत को ऑस्ट्रेलिया से दुर्लभ मृदा धातुओं (Rare Earth Metals) की आपूर्ति संभव हो सकेगी।
- हालाँकि इस सम्मेलन में हाल के दिनों में चीन की बढ़ती आक्रामकता और 'मालाबार नौसैनिक अभ्यास' में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने पर कोई चर्चा नहीं की गई।

आगे की राह:

- इस सम्मेलन के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा क्षेत्र में हुआ समझौता दोनों देशों के 'एक खुले, स्वतंत्र, समावेशी और क़ानून आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र' की विचारधारा को मज़बूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- वर्तमान में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की मज़बूती का लाभ उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया से आने वाले निवेश में वृद्धि किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'अमेरिकी विदेश विभाग' (U.S. State Department) ने विश्व के विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली 'अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता' (International Religious Freedom- IRF) रिपोर्ट, अमेरिकी संसद को प्रस्तुत की है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट में जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के मामले शामिल किये गए हैं, हालाँकि कुछ मामलों में इस समयावधि के पहले और बाद की घटनाओं को भी शामिल किया गया है।
- यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग' (U. S. Commission on International Religious Freedom- USCIRF) द्वारा जारी की जाती है।

नोट :

'अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग' (USCIRF):

- USCIRF 'अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम' (International Religious Freedom Act-IRFA)- 1998 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र, द्विदलीय अमेरिकी संघीय आयोग है।
- USCIRF अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर वैश्विक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निगरानी करता है तथा अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री एवं अमेरिकी संसद को आवश्यक नीतियाँ बनाने की सिफारिश करता है।
- यह धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर देशों को विशेष चिंता वाले देश (Countries of Particular Concern-CPC) तथा विशेष निगरानी सूची (Special Watch List- SWL) में नामित कटने को अमेरिकी विदेश विभाग के सचिव की सिफारिश करता है।

विशेष चिंता वाले देश (CPC):

- जब किसी देश को 'विशेष चिंता वाले देश' (CPC) के रूप में नामित किया जाता है तो इसका तात्पर्य है उस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्तमान में व्यवस्थित तरीके से व्यापक पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है।
- CPC के रूप में नामित देशों में धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों को संबोधित करने के लिये IRFA अमेरिकी विदेश सचिव को विशिष्ट तथा लचीले नीतिगत निर्णय लेने की शक्तियाँ प्रदान करता है। इसमें प्रतिबंध लगाना, देशों को प्रदान की जाने वाली छूट को समाप्त करना आदि शामिल है।
- USCIRF निम्नलिखित 14 देशों को 2020 के लिये CPC के रूप में नामित किये जाने की सिफारिश की है:
  - म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, भारत, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम।

विशेष निगरानी सूची (Special Watch List- SWL):

- USCIRF किसी भी देश को CPC सूची में जोड़ने से पूर्व अमेरिकी विदेश विभाग की विशेष निगरानी सूची (Special Watch List- SWL) में जोड़ने की भी सिफारिश करता है।
- SWL सूची में उन देशों को शामिल किया जाता है, जिन देशों की सरकारों द्वारा गंभीर रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है या ऐसा करने के आरोप हैं। हालाँकि इन देशों में अभी तक CPC सूची में शामिल देशों के स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।
- SWL में उन देशों को शामिल किया जाता है जिसने धार्मिक स्वतंत्रता के तीन मानदंडों में से दो का उल्लंघन किया हो। हालाँकि पिछली वार्षिक रिपोर्टों में किसी देश द्वारा तीन मे केवल एक मानदंड का उल्लंघन करने पर SWL में शामिल किया गया था।
- USCIRF वर्ष 2020 में SWL के लिये 15 देशों अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अज़रबैजान, बहरीन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, क्यूबा, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, निकारागुआ, सूडान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की सिफारिश करता है।

USCIRF द्वारा भारत से संबंध में की गई अनुशंसाएँ:

- भारत को IRFA के तहत CPC के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की गई है।
- ज़िम्मेदार भारतीय सरकारी एजेंसियों तथा अधिकारियों पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध जैसी कार्यवाही की जाए।

भारत को CPC के रूप में सूचीबद्ध करने का कारण:

- भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को दर्शाने वाली रिपोर्ट में मुख्यत: 'जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति', 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम', (Citizenship (Amendment) Act- CAA), 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' (National Register of Citizens-NRC), 'मॉब लींचिंग', 'धर्मांतरण विरोधी कानून' (Anti-Conversion Laws) तथा संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में धार्मिक रूप से प्रेरित 'मॉब लिंचिंग' के मामलों तथा सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामलों को कानूनविदों द्वारा कई बार अनदेखा किया गया है। हिंदू-बहुसंख्यक दलों के कुछ कार्यकर्त्ताओं द्वारा, अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भड़काऊ सार्वजनिक टिप्पणी या सोशल मीडिया पोस्ट करने का आरोप है।

नोट :

- रिपोर्ट में गौ-रक्षा के नाम पर की जाने वाली भीड़- हिंसा की घटनाओं जैसे- झारखंड में तबरेज़ अंसारी पर हमला आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है।
- रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाबरी मस्जिद के संबंध में दिये गए निर्णय तथा वर्ष 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के मंदिर प्रवेश के संबंध में दिये गए निर्णय आदि का उल्लेख किया गया है।

अमेरिकी सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- USCIRF ने अप्रैल, 2020 में भारत को CPC सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। हालाँकि अमेरिकी विदेश सचिव USCIRF की अनुशंसा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है।
- कानून के अनुसार, IRF रिपोर्ट के प्रकाशन के 90 दिनों के बाद किसी देश CPC तथा SWL में शामिल नहीं किया जा सकता है।
- अमेरिकी विदेश सचिव ने रिपोर्ट के आधार पर देशों को वर्गों में रखा है। देश जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा में सकारात्मक कार्य किया है। दूसरे नकारात्मक रूप से सूचीबद्ध देश।
- निकारागुआ, नाइजीरिया और चीन को नकारात्मक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। भारत को किसी भी सूची में उद्धृत नहीं किया गया है।

USCIRF और विदेश विभाग की कार्यवाही के बीच अंतर:

- USCIRF और अमेरिकी विदेश विभाग दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन प्रत्येक के अलग-अलग उद्देश्य हैं। विदेश विभाग की रिपोर्ट दुनिया के प्रत्येक देश में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का दस्तावेज़ है जबकि USCIRF की वार्षिक रिपोर्ट में क़ानून द्वारा विभिन्न देशों को 'विशेष चिंता वाले देशों' के रूप में नामित करने की सिफारिश की जाती है, जिस पर संबंधित कार्यकारी शाखा विचार करती है।

निष्कर्ष:

- अप्रैल, 2020 में जब USCIRF ने भारत को CPC के रूप में नामित करने की सिफारिश की थी तब भारत सरकार ने रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे 'पक्षपातपूर्ण' करार दिया था, साथ ही इसके अवलोकनों को खारिज कर दिया था। भारत के इसी दबाव के कारण 'अमेरिकी विदेश विभाग' ने भारत को अभी तक किसी भी सूची में उद्धृत नहीं किया गया है।

सऊदी अरब ने की तेल की कीमतों में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सऊदी अरब ने कच्चे तेल (Crude Oil) के निर्यात के लिये कीमतों में कम-से-कम बीते दो दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 'पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन' (Organization of the Petroleum Exporting Countries-OPEC) और रूस समेत इसके अन्य सहयोगी देशों ने जुलाई माह के अंत तक कच्चे तेल के उत्पादन में रिकॉर्ड कटौती जारी रखने का निर्णय लिया था।

तेल की कीमतों में वृद्धि के निहितार्थ

- सऊदी अरब के इस निर्णय का प्रभाव एशिया (Asia) के निर्यात पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सऊदी अरब के प्रमुख उत्पादक सऊदी अरामको (Saudi Aramco) के सबसे बड़े क्षेत्रीय बाज़ारों में से एक है।
- कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि यह बताती है कि सऊदी अरब अप्रैल माह में कच्चे तेल की कीमतों में हुई तेज़ गिरावट के बाद तेल बाज़ार को चालू करने के लिये अपने सभी उपकरणों का उपयोग कर रहा है।
- उल्लेखनीय है कि मध्य पूर्व में एक कीमत निर्धारक के रूप में सऊदी अरब द्वारा की गई आधिकारिक मूल्य वृद्धि क्षेत्र के अन्य उत्पादकों को भी इस ओर प्रेरित करेगी।

नोट :

- हालाँकि कई तेल शोधनकर्त्ताओं (Oil Refiners) ने सऊदी अरब द्वारा बढाई गई कीमतों के कारण ईंधन में कच्चे तेल की प्रोसेसिंग से होने वाले मुनाफे पर प्रभाव पड़ने को लेकर चिंता ज़ाहिर की है।

उत्पादन में कटौती

- सउदी और रूस के नेतृत्त्व में कच्चे तेल के उत्पादन में अभूतपूर्व कटौती ने मई माह में कीमतों को बढ़ाने और कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण प्रभावित तेल बाज़ार को पुन: पटरी पर लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
- इसे देखते हुए ओपेक (OPEC) और रूस समेत अन्य सहयोगी देशों ने जुलाई माह में भी कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती जारी रखने का निर्णय लिया है।
- उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर जारी लॉकडाउन में विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा धीरे-धीरे छूट दी जा रही है, जिससे जुलाई माह में तेल की मांग बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, किंतु ओपेक (OPEC) के समक्ष अभी एक बड़ी चुनौती मार्च माह में जमा हुए अतिरिक्त 1 बिलियन बैरल तेल को समाप्त करना है।
- कई विश्लेषकों का मानना है कि ओपेक (OPEC) और उसके सहयोगी देशों द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती करने का निर्णय ओपेक (OPEC) देशों को अपने अतिरिक्त तेल भंडार को समाप्त करने में मदद करेगा।

'पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन'
(Organization of the Petroleum Exporting Countries-OPEC)

- OPEC एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका गठन 10-14 सितंबर, 1960 को आयोजित बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला ने किया था।
- इन पाँच संस्थापक सदस्यों के बाद इसमें कुछ अन्य सदस्यों को शामिल किया गया, ये देश हैं-
- कतर (1961), इंडोनेशिया (1962), लीबिया (1962), संयुक्त अरब अमीरात (1967), अल्जीरिया (1969), नाइजीरिया (1971), इक्वाडोर (1973), अंगोला (2007), गैबन (1975), इक्वेटोरियल गिनी (2017) और कांगो (2018)
- वर्तमान में इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या 13 है।
- इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये तेल बाज़ारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है।

ई-कूटनीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रथम 'भारत-ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन' (Virtual Leaders' Summit) आयोजित किया गया था, जिसमें महत्त्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिये गए थे।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न खतरों से बचने के लिये विभिन्न देश पारंपरिक शिखर सम्मेलनों के माध्यम से की जाने वाली कूटनीति के स्थान पर डिजिटल तरीकों को अपना रहे हैं।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने COVID-19 महामारी के बाद अनेक द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्मेलनों में आभासी माध्यमों से भाग लेकर ई-कूटनीति को आगे बढ़ाया है।

ई-कूटनीति (e-Diplomacy):

- ई-कूटनीति (e-Diplomacy) अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कूटनीति का तात्पर्य राजनयिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न देशों द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से है।

नोट :

- ई- कूटनीति के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों को संपन्न किया जा सकता है:
  - देश का प्रतिनिधित्व और संवर्द्धन;
  - देशों के द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना;
  - राजनयिक सेवाओं में वृद्धि;
  - सामाजिक जुड़ाव स्थापित करना।

ई-कूटनीति का महत्त्व:

- महामारी के दौरान 'सामाजिक दूरी' के नियमों का पालन करना होता है, अत: 'ई-कूटनीति' नेताओं के लिये शारीरिक रूप से सुरक्षित है क्योंकि इसमें किसी के साथ शारीरिक संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती है।
- प्रक्रिया में समय की बचत होती है क्योंकि नेताओं को शारीरिक रूप से किसी कार्यक्रम स्थल या अन्य देश में पहुँचने की आवश्यकता नहीं होती है तथा वे अपने कार्यालयों से ही शिखर सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं।
- इससे यात्राओं तथा कार्यक्रम प्रबंधन पर होने वाले खर्चों में बचत होती है, अत: इसकी आर्थिक व्यवहारिकता है।

ई-कूटनीति के साथ जुड़ी चुनौतियाँ:

- इस बात को लेकर संशय है कि ई-कूटनीति के माध्यम से उन समझौतों तथा निर्णयों को लागू किया जा सकता है जिन्हें लागू करने के लिये के लिये नेताओं को निश्चित प्रोटोकॉल तथा संवाद प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
- साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दे:
  - ई-कूटनीति में महत्त्वपूर्ण सामग्री की हैकिंग किये जाने की संभावना रहती है।
  - इसमें व्यक्ति की संवाद करने में सहजता तथा खुलापन कम हो सकता है।
  - विदेश नीति से जुड़ी संवेदनशील सामग्री की जासूसी अथवा लीक किया जा सकता है।
- ब्रिटिश विद्वान अर्नेस्ट सैटॉव (Ernest Satow) ने सम्मेलनों को 'राजनयिक स्थलाकृति की एक स्थायी विशेषता' के रूप में उल्लिखित किया है। शिखर वार्ता के दौरान औपचारिक बातचीत, बंद दरवाजे में होने वाले सत्र, फोटो-ऑप्स मोमेंट, मेजबान देशों के दर्शक आदि सभी सम्मेलनों का एक आवश्यक हिस्सा है।
- आभासी सम्मेलन कुछ भागीदार देशों को कृत्रिम तथा असंतोषजनक लग सकते हैं।

बहुपक्षीय ई-कूटनीतिक पहल:

- COVID-19 महामारी के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आभासी शिखर सम्मेलन के अलावा निम्नलिखित बहुपक्षीय ई-कूटनीतिक पहल प्रारंभ की हैं।
- सार्क नेताओं का आभासी सम्मेलन:
  - 15 मार्च, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री के आग्रह पर COVID-19 की चुनौती से निपटने की रणनीति पर विचार-विमर्श के लिये सार्क समूह के सदस्य देशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
  - कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा COVID- 19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिये 'सार्क COVID- 19 आपातकालीन निधि' स्थापित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया।
- G-20 आभासी सम्मेलन:
  - हाल ही में G- 20 समूह के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा COVID-19 महामारी से निपटने की दिशा में एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया।
  - भारतीय प्रधानमंत्री की पहल पर G-20 आभासी नेतृत्त्व शिखर सम्मेलन (Virtual Leadership Summit) किया गया था।

नोट :

- NAM संपर्क समूह शिखर सम्मेलन:
  - हाल में COVID-19 महामारी के प्रबंधन में सहयोग की दिशा में 'गुट निरपेक्ष आंदोलन' (Non-Aligned Movement- NAM) समूह द्वारा 'NAM संपर्क समूह शिखर सम्मेलन' (NAM Contact Group Summit- NAM CGS) का आयोजन किया गया।
  - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद पहली बार 'गुट निरपेक्ष आंदोलन' को संबोधित किया गया।

आगे की राह:

- पारंपरिक व्यक्ति-व्यक्ति शिखर सम्मेलनों (In-Person Summits) का अपना महत्त्व है, अत: COVID-19 महामारी की समाप्ति के बाद इनको पुन: आरंभ किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में महामारी के दौरान कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखने में ई-कूटनीति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी रोड

चर्चा में क्यों ?

'दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी' (Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldie- DSDBO) सड़क का निर्माण कार्य लगभग दो दशकों के बाद वर्ष 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु:

- DSDBO लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी इलाका है, जिसे सेना के बीच सब-सेक्टर नॉर्थ (Sub-Sector North) के नाम से जाना जाता है।
- भारत-चीन के बीच जब भी स्टैंड-ऑफ की रिपोर्टिंग होती है, दरबूक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldie- DSDBO) सड़क प्राय: चर्चा में रहती है।

'दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी' (DSDBO) सड़क:

- यह सड़क दारबुक (Darbuk) से अंतिम भारतीय ग्राम श्योक (Shyok) तक लगभग 255 किमी. लंबी सड़क है।
- यह सड़क भारत-चीन LAC के लगभग समानांतर है जो 13,000 फुट से 16,000 फुट के बीच की विभिन्न बीच ऊँचाई से होकर जाती है।
- यह सड़क लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है तथा चीन के शिनजियांग (Xinjiang) प्रांत से लद्दाख को अलग करती है।
- श्योक तथा काराकोरम दर्रे के बीच दौलत बेग ओल्डी (DBO) 16,000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर स्थित एक पठार है। यह अवस्थिति वायुसेना के लिये बहुत अधिक सामरिक महत्त्व रखती है क्योंकि यह अवस्थिति वायु सेना के लिये आपूर्ति सामग्री गिराने के लिये उन्नत लैंडिंग ग्राउंड (Advanced Landing Ground- ALG) है।

दौलत बेग ओल्डी (DBO):

- DBO दुनिया की सबसे ऊँचाई पर स्थित हवाई पट्टी थी, जिसे मूल रूप से 1962 के युद्ध के दौरान बनाया गया था। लेकिन वर्ष 2008 तक इसका रखरखाव नहीं किया गया। वर्ष 20O8 में भारतीय वायु सेना (Indian Air Force- IAF) द्वारा इसे पुन: प्रारंभ किया गया ताकि LAC के पास इसका उन्नत लैंडिंग ग्राउंड्स (Advanced Landing Grounds-ALGs) के रूप में उपयोग किया जा सके। वर्ष 2008 एंटोनोव एन-32 (Antonov An-32) सैन्य विमान तथा अगस्त 2013 में परिवहन विमान C-130J-30 की की लैंडिंग कराई गई।

सड़क निर्माण की पृष्ठभूमि:

- इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2000 में शुरू किया गया था जिसे वर्ष 2012 तक पूरा किया जाना था। सड़क निर्माण का कार्य 'प्रधान मंत्री कार्यालय' (Prime Minister's Office- PMO) की निगरानी में 320 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाना था।

नोट :

- हालाँकि निर्माण कार्य को समय पर पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि श्योक नदी घाटी में बनाई गई सड़क ग्रीष्मकाल में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती थी। बाद में सड़क के प्रमुख हिस्सों को नदी से दूर रखते हुए पुन: निर्माण किया गया।
- अक्टूबर, 2019 में श्योक नदी के ऊपर 430 मीटर लंबे कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु (Colonel Chewang Rinchen Setu) का उद्घाटन किया गया, जो पूर्वी लद्दाख में दारबुक (Darbuk) से दौलत बेग ओल्डी (DBO) को जोड़ता है।
- इसके साथ ही लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा पर्यटकों के लिये खोल दिया गया।

सड़क का सामरिक महत्त्व:

- भारत-चीन सीमा पर विभिन्न टकरावों तथा आपत्तियों के बावजूद भारत ने 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control-LAC) पर अवसंरचनात्मक कार्यों को लगातार जारी रखने का निर्णय लिया है। DSDBO सड़क निर्माण कार्य इसी दिशा में एक पहल है।
- DBO चीन के साथ LAC से केवल 9 किमी. की दूरी पर अवस्थित है। यह सड़क अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र, अक्साई चिन, चिप चाप नदी (Chip Chap River) और जीवान नाला (Jiwan Nalla) से सटे क्षेत्रों का प्रबंधन करने में मदद करेगी।
- वर्तमान समय में यहाँ पहुंचने का एकमात्र तरीका सैन्य हवाई पट्टी है, अत: सड़क से सैन्य सामान पहुँचाना आसान है।
- चीन ने गैल्वान नदी घाटी क्षेत्र के साथ-साथ निर्माण कार्य किया है अत: DSDBO सड़क को चीन से सीधा खतरा है।
- DBO के पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China-Pakistan Economic Corridor- CPEC) का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

आगे की राह:

- वुहान (2018) तथा महाबलीपुरम (2019) में होने वाले 'भारत-चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन' में दोनों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी।
- 1 अप्रैल, 2020 को 'भारत- चीन राजनयिक संबंधों को 70 वर्ष' पूरे हुए हैं। दोनों देशों ने पिछले चार दशकों में शांति से सीमा मुद्दों को हल किया है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि वर्तमान सीमा-तनाव भी जल्द ही हल कर लिया जाएगा।

भारत-लाओस संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री तथा लाओस के प्रधानमंत्री द्वारा फोन पर COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य तथा आर्थिक चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लाओस में महामारी के प्रसार को रोकने की दिशा में लाओस की 'लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक' (Lao People's Democratic Republic- Lao PDR) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की गई।
- दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता तथा COVID-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में सर्वोत्तम प्रथाओं तथा अनुभवों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की है।
- वार्ता के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं द्वारा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों की भी चर्चा की गई ।

लाओस:

- लाओस, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थलबद्ध (Landlocked) देश है।
- मेकांग नदी यहाँ के कार्गो तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख मार्ग है।
- लाओस वर्ष 1953 में फ्राँसीसी शासन की समाप्ति के बाद स्वतंत्र हुआ। परंतु लंबे समय तक साम्यवाद से प्रभावित रहा।

नोट :

- लाओस वर्ष 1997 में 'दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन' (Association of Southeast Asian Nations- ASEAN) का तथा वर्ष 2013 में 'विश्व व्यापार संगठन' (World Trade Organisation- WTO) का सदस्य बना।
- लाओस एक गरीब देश है जिसकी 80% जनसंख्या कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न हैं। हालाँकि यहाँ जल विद्युत की अपार संभावना होने के कारण लाओस स्वयं को 'दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी' (Battery of Southeast Asia) के रूप में देखता है।

भारत-लाओस संबंध:

- राजनीतिक:
  - फरवरी, 1956 में दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंधों की स्थापना के बाद दोनों देशों के बीच शीर्ष नेताओं द्वारा कई बार उच्च स्तरीय यात्राएँ की गई है।
  - सितंबर 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वियतनाम की यात्रा की गई थी। इसके बाद जनवरी, 2018 में लाओस के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की राजनीतिक यात्रा की गई।
  - 19-20 जुलाई, 2018 से 'दिल्ली संवाद' के 10वें संस्करण में लाओस के उप विदेश मंत्री द्वारा हिस्सा लिया गया।
  - लाओ पीडीआर (Lao PDR) के प्रतिनिधिमंडल द्वारा 'ब्लू इकोनॉमी' पर भारत द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया गया।
- सुरक्षा:
  - वर्ष 1994 से 'भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग' (Indian Technical and Economic Cooperation- ITEC) समझौते के तहत दो सदस्यीय भारतीय सेना प्रशिक्षण दल ने लाओस के रक्षा कर्मियों के लिये प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है।
- आर्थिक:
  - दोनों देशों द्वारा लाओस के लिये कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (Quick Impact Projects- QIP) के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
  - भारत द्वारा वर्तमान में लाओस की अनेक परियोजनाओं के लिये ऋण देकर समर्थन दिया जा रहा है।

व्यापारिक:

व्यापार	वर्ष 2017-2018 (मिलियन डॉलर में)
भारत का निर्यात	25.00
भारत का आयात	168.63
कुल व्यापार	193.63

सांस्कृतिक संबंध:

- भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत प्रतिवर्ष लगभग 120 प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है।
- वर्ष 2007 में दोनों देशों द्वारा लाओस के वट फु (Vat Phu) में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर; जो कि 'यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल' सूची में शामिल है, की पुर्नबहाली करने के लिये भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- दोनों देश प्रचीन बौद्ध सभ्यता को साझा करते हैं। लाओ पीडीआर के राष्ट्रीय प्रतीक, थलंग लुपा स्तूप (That Luang Stupa); जो भगवान बुद्ध से संबंधित है, की पुर्नबहाली करने के लिये भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे।

आगे की राह:

- लाओस भारत के विस्तारित पड़ोस (Extended Neighborhood) का एक हिस्सा है क्योंकि केवल म्यांमार, लाओस को भारत के उत्तर-पूर्व राज्यों से अलग करता है।
  - इसलिये हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि लाओस के लिये हमारी प्रस्तावित परियोजनाएँ समय पर पूरी हो।
- भारतीय कंपनियाँ जो कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण के लिये निवेश करना चाहती हैं, उनके लिये लाओस एक बेहतर देश है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अमेरिका

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court-ICC) के कुछ कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस आदेश से ICC के कर्मचारियों की वित्तीय संपत्ति अवरुद्ध हो जाएगी, साथ ही इन अधिकारियों और इनके निकट रिश्तेदारों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा।

प्रतिबंध का कारण

- ICC के ये अधिकारी इस बात की जाँच कर रहे थे कि क्या अफगानिस्तान तथा अन्य स्थानों पर हुए कथित युद्ध अपराधों में अमेरिकी सेना और इसके सहयोगी शामिल थे।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी-जनरल के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग (US Justice Department) को पर्याप्त विश्वसनीय जानकारी मिली है जो अभियोजन पक्ष के कार्यालय में उच्चतम स्तर पर वित्तीय भ्रष्टाचार और दुर्भावना के लंबे इतिहास के बारे में गंभीर चिंताओं को उजागर करती है।
- उपरोक्त के अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने ICC में अपने पक्ष में हेर-फेर करने के लिये रूस को भी ज़िम्मेदार ठहराया है।
- अमेरिका मानना है कि इसका अधिकार क्षेत्र केवल तभी लागू होता है जब कोई सदस्य राज्य अत्याचारों के खिलाफ मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक हो।

अमेरिका के फैसले की आलोचना

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अमेरिका के इस फैसले की निंदा यह कहते हुए की है कि अमेरिका का फैसला "विधि के शासन और न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अस्वीकार्य प्रयास है"।
- इज़राइल को छोड़कर, कई अन्य देशों ने हेग स्थित न्यायाधिकरण का समर्थन किया है।
- संयुक्त राष्ट्र ने भी अमेरिका द्वारा दिये गए आदेशों की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है।
- अंतर्राष्ट्रीय NGO ह्यूमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch) के अनुसार, संपत्ति ज़ब्त करने और यात्रा प्रतिबंध लगाने जैसे निर्णय मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों के लिये हैं, न कि पीड़ितों के लिये न्याय की मांग करने वाले अभियोजन पक्ष तथा न्यायाधीश के लिये।

अमेरिका तथा ICC संबंधों की पृष्ठभूमि

- क्लिंटन प्रशासन (1993-2001) रोम संविधि (Rome Statute) की वार्ताओं में शामिल था और वर्ष 2000 में उसने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किये। लेकिन अगले राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने वर्ष 2002 में अमेरिका को रोम संविधि से अलग कर दिया और ICC की पहुँच से अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिये अमेरिकन सर्विस-मेंबर्स प्रोटेक्शन एक्ट (American Service-Members' Protection Act) कानून पर हस्ताक्षर किये।
- ICC के साथ मतभेदों के बावजूद, कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें वाशिंगटन ने इस मंच के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया-
  - वर्ष 2005 में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दारफुर संकट (Darfur crisis) के दौरान अपराधों की जाँच करने के लिये ICC को अनुरोध किया उस पर अमेरिका ने वीटो नहीं किया।
  - वर्ष 2011 में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया मामला ICC को स्थानांतरित किया तो अमेरिका ने इसके समर्थन में वोट किया।
- अमेरिका ने मुकदमों के लिये संदिग्धों को अफ्रीका से ICC तक स्थानांतरित करने में भी महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान की।
- डोनाल्ड ट्रम्प के राष्टपति बनने के बाद अमेरिका तथा ICC के संबंधों में फिर से मतभेद उत्पन्न हुए।
  - ट्रम्प ने वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) में घोषणा करते हुए कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ICC को किसी भी प्रकार का समर्थन या मान्यता प्रदान नहीं करेगा। ICC का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, कोई वैधता नहीं है और कोई अधिकार नहीं है।

नोट :

- वर्ष 2019 में ICC की मुख्य अभियोजक फतौ बेन्सौडा (Fatou Bensouda) ने वर्ष 2003 से 2014 के बीच अफगानिस्तान युद्ध के दौरान हुए कथित अत्याचारों की औपचारिक जाँच के लिये कहा, इस जाँच के तहत संभवत: अमेरिकी सेना और CIA अधिकारियों के युद्ध अपराधों में शामिल होने की जाँच की जानी थी। उस समय ट्रम्प प्रशासन ने फतौ बेन्सौडा के अमेरिकी वीज़ा को रद्द कर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मार्च 2020 में, ICC के न्यायाधीशों ने बेन्सौडा के अनुरोध को मंज़ूरी दी थी।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court-ICC)

- ICC, हेग (नीदरलैंड्स) में स्थित एक स्थायी न्यायिक निकाय है, जिसका सृजन वर्ष 1998 के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर रोम संविधि (इसकी स्थापना और संचालन संबंधी दस्तावेज़) द्वारा किया गया था और 1 जुलाई, 2002 इस संविधि के लागू होने के साथ इसने कार्य करना प्रारंभ किया।
- मंच की स्थापना विभिन्न अपराधों के खिलाफ अभियोजन के लिये अंतिम उपाय के रूप में की गई थी ताकि उन अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके जो अन्यथा अदंडित रह जाएंगे। ICC का क्षेत्राधिकार मुख्यत: चार प्रकार के अपराधों पर होगा:
  1. नरसंहार (Genocide)
  2. मानवता के खिलाफ अपराध (Crimes Against Humanity)
  3. युद्ध अपराध (War Crimes)
  4. अतिक्रमण का अपराध (Crime of Aggression)
- 123 राष्ट्र रोम संविधि के पक्षकार हैं तथा ICC के अधिकार को मान्यता देते हैं लेकिन अमेरिका, चीन, रूस और भारत इसके प्रमुख अपवाद हैं।
- उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है जबकि ICC संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है बल्कि UN-ICC संबंध एक अलग समझौते द्वारा शासित है।
- ICJ जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, यह मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों पर सुनवाई करता है। जबकि ICC व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र किसी सदस्य राज्य में हुए अपराध या ऐसे राज्य के किसी नागरिक द्वारा किये गए अपराधों तक विस्तारित है।

नेपाल के नए मानचित्र को लेकर संविधान संशोधन पारित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेपाल की संसद के निचले सदन (Lower House) ने नेपाल के अद्यतित (Updated) राजनीतिक मानचित्र को संवैधानिक मान्यता देने के लिये द्वितीय संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, उल्लेखनीय है कि इस मानचित्र में उत्तराखंड (भारत) के कुछ हिस्सों को नेपाली क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को लिपुलेख दर्रे (Lipulekh Pass) से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था, जिसका विरोध करते हुए नेपाल ने 20 मई को अपने नए नक्शे का अनावरण किया था।
- इससे पूर्व भी जब भारत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश घोषित करने के बाद अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था तो भी नेपाल ने काफी विरोध किया था।
- नेपाल के अनुसार, भारत को 1950 के दशक में इस क्षेत्र में सेना तैनात करने की अनुमति दी गई थी, किंतु बाद में भारत ने इस क्षेत्र से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण नेपाल को यह कदम उठाना पड़ा।

विवाद

- उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के कालापानी (Kalapani) लिंपियाधुरा (Limpiyadhura) और लिपुलेख (Lipulekh) को नेपाल का हिस्सा बताया गया था।

नोट :

- भारत ने नेपाल के नवीन मानचित्र को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि नेपाल के नए मानचित्र में देश के क्षेत्र का अनुचित रूप से विस्तार किया गया है, जो कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है।
- भारत के अनुसार, नेपाल का कृत पूर्णत: एकपक्षीय है और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से शेष सीमा मुद्दों को हल करने के लिये द्विपक्षीय समझौते के विपरीत है।
- नेपाल के अनुसार, सुगौली संधि (वर्ष 1816) के तहत काली नदी के पूर्व में अवस्थित सभी क्षेत्र, जिनमें लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura), कालापानी (Kalapani) और लिपुलेख (Lipulekh) शामिल हैं, नेपाल का अभिन्न अंग हैं, भारत इस क्षेत्र को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले का हिस्सा मानता है।
  - 1 नवंबर, 1814 को अंग्रेज़ों ने नेपाल के विरोध युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध आगामी दो वर्षों तक चला और वर्ष 1815 तक ब्रिटिश सेना ने गढ़वाल और कुमाऊँ से नेपाली सेना को बाहर निकल दिया।
  - एक वर्ष बाद (वर्ष 1816) में सुगौली संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के तहत नेपाल की सीमाओं का निर्धारण किया गया, जो कि आज भी मौजूद है।

कालापानी

- कालापानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के पूर्वी हिस्से में स्थित एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वहीं पूर्व और दक्षिण में इसकी सीमा नेपाल से लगती है।
- इस क्षेत्र का प्रशासन भारत द्वारा किया जाता है, किंतु नेपाल ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है।
- यह क्षेत्र नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद है, जिसमें कम-से-कम 37,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है।

भारत-नेपाल संबंध और मौजूदा संशोधन का प्रभाव

- नेपाल, भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण नेपाल भारत की विदेश नीति में भी विशेष महत्त्व रखता है।
- भारत और नेपाल के बीच सीमा पार लोगों की मुक्त आवाजाही की एक लंबी परंपरा रही है।
- भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं, उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्मस्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में स्थित है।
- दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, जिससे भारत के पाँच राज्य- सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जुड़े हैं।
- भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी सुगम रहे हैं, किंतु हाल के दिनों में पैदा हुए विवादों पर नजर डालें तो ज्ञात होता है कि धीरे-धीरे दोनों देशों के संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है।
- नेपाल की संसद के निचले सदन द्वारा पारित हालिया संशोधन ने दोनों देशों के संबंधों को एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल के नए मानचित्र का नेपाल और भारत के संबंधों पर काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा।
- नेपाल के जानकार मानते हैं कि इस संशोधन के साथ ही भारत-नेपाल सीमा वार्ता अब और अधिक जटिल हो जाएगी, क्योंकि सचिव स्तर के अधिकारियों को संविधान के प्रावधानों पर बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है।

आगे की राह

- नेपाल के साथ भारत के संबंधों के महत्त्व को देखते हुए भारत को इस मामले को निपटाने के लिये पहल करने में देरी नहीं करनी चाहिये।
- सीमा पार लोगों की मुक्त आवाजाही को देखते हुए नेपाल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है, ऐसे में नेपाल के साथ स्थिर और मैत्रीपूर्ण संबंध एक अनिवार्य शर्त है जिसे भारत द्वारा नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
- आवश्यक है कि विभिन्न सीमा विवादों को एक साथ एक मंच पर आकर कूटनीतिक माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि एकपक्षीय कार्यवाही किसी भी विवाद को सुलझाने का एक उपाय नहीं हो सकती है।

नोट :

ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित चिंताएँ

चर्चा में क्यों ?

वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने अपनी दो अप्रकाशित रिपोर्टों में ईरान द्वारा चार महीनों से अधिक समय से दो संदिग्ध स्थानों के निरीक्षणों को रोके जाने के बाद गंभीर चिंता व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु

- हालांकि IAEA ने सार्वजनिक रूप से इन स्थलों का नाम घोषित नहीं किया, लेकिन यह माना जा रहा है कि ईरान के संवर्द्धित यूरेनियम भंडार की सीमा तय सीमा को पार कर चुकी है।
- IAEA के अनुसार, ईरान ने वर्ष 2003 में यूरेनियम अयस्क के रूपांतरण और प्रसंस्करण हेतु इन स्थलों का उपयोग किया होगा।

यूरेनियम संवर्द्धन (Uranium Enrichment)

- यूरेनियम संवर्द्धन एक संवेदनशील प्रक्रिया है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिये ईंधन का उत्पादन करती है।
- सामान्यत: इसमें यूरेनियम-235 और यूरेनियम-238 के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम संवर्द्धन के लिये सेंट्रीफ्यूज (Centrifuges) में गैसीय यूरेनियम को शामिल किया जाता है।
- संवर्द्धन से पहले, पहले यूरेनियम ऑक्साइड को फ्लोराइड में बदलने के लिये कम तापमान पर रखा जाता है।
- परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा का उत्पादन इन आइसोटोपों के विखंडन से होता है।
- ईरान ने इन रिपोर्टों का खंडन करते हुए कहा है कि ये प्रश्न खुफिया सेवाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर उठाए जा रहे हैं।
- ईरान ने अपने कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण बताते हुए हमेशा इस बात से इनकार किया है कि उसने कभी परमाणु हथियार विकसित करने का प्रयास किया है।
- ये रिपोर्टें ऐसे समय में आई हैं जब ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका बढ़ते तनावों के कारण वर्ष 2015 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बाहर निकल चुके हैं।

परमाणु समझौता, 2015

- वर्ष 2015 में बराक ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्राँस और जर्मनी के साथ मिलकर ईरान ने परमाणु समझौता किया था।
- इस समझौते को 'ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन' (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA) नाम दिया गया।
- इस समझौते के अनुसार, ईरान को संबंधित यूरेनियम के भंडार में कमी करते हुए अपने परमाणु संयंत्रों की निगरानी के लिये अनुमति प्रदान करनी थी। इसके बदले ईरान पर आरोपित आर्थिक प्रतिबंधों में रियायत दी गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency- IAEA)

- IAEA परमाणु क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी।
- यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिये परमाणु हथियारों के प्रयोग को रोकने का कार्य करता है।
- IAEA विश्व भर में परमाणु प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग हेतु एक अंतर-सरकारी मंच के रूप में भी कार्य करता है।
- हालाँकि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि (International Treaty) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी लेकिन यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता है।
- IAEA, संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) और सुरक्षा परिषद (Security Council) दोनों को रिपोर्ट करता है।
- इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के विएना (Vienna) में है।

नोट :

आगे की राह

- वर्ष 2015 के समझौते में शामिल सभी देशों को रचनात्मक रूप से संलग्न होना चाहिये और सभी मुद्दों को शांति तथा आपसी वार्ता के माध्यम से हल करना चाहिये।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान दोनों को ही रणनीतिक संयम के साथ कार्य करना चाहिये क्योंकि पश्चिम एशिया में कोई भी संकट न केवल इस क्षेत्र को प्रभावित करेगा बल्कि वैश्विक मामलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालेगा।

परमाणु हथियारों में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रकाशित SIPRI ईयर बुक (SIPRI Yearbook) 2020 के अनुसार, भारत, पाकिस्तान और चीन ने विगत वर्ष में अपने परमाणु हथियार संग्रहण में वृद्धि की है साथ ही जिन देशों के पास पहले से ही परमाणु हथियार उपलब्ध हैं वे उनका आधुनिकीकरण कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- SIPRI ईयर बुक स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) द्वारा जारी की जाती है।
  - SIPRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिये समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी।
  - SIPRI ईयर बुक का प्रथम संस्करण वर्ष 1969 में जारी किया गया था।
  - SIPRI ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर (Trends in World Military Expenditure) नामक वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करता है और वर्ष 2019 में, भारत सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष तीन देशों में शामिल था।
- डेटा विश्लेषण
  - अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इज़राइल तथा उत्तरी अमेरिका विश्व के 9 परमाणु हथियार संपन्न देश हैं।
    - परमाणु हथियारों की 'अत्यधिक अनिश्चित' संख्या के कारण रिपोर्ट में उत्तर कोरिया के पास उपलब्ध परमाणु हथियारों की संख्या को गणना में शामिल नहीं किया गया है।
- इन देशों में परमाणु हथियारों की कुल संख्या वर्ष 2019 के 13,865 से घटकर वर्ष 2020 में 13,400 हो गई है।
  - समग्र संख्या में गिरावट रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा न्यू स्टार्ट (New START) संधि के तहत पुराने परमाणु हथियारों का विघटन किये जाने के कारण हुई है। उल्लेखनीय है कि इन देशों देशों के पास उपलब्ध परमाणु हथियारों की संख्या (संयुक्त रूप से) विश्व भर में उपलब्ध कुल परमाणु हथियारों के 90% से अधिक है।
  - रूस और अमेरिका द्वारा पहले ही अपने परमाणु हथियारों और डिलीवरी सिस्टम को बदलने तथा आधुनिक बनाने के लिये व्यापक योजनाओं की घोषणा भी की गई है।
- भारत, पाकिस्तान और चीन ने अपने परमाणु भंडार में वृद्धि की है तथा अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं।
  - चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियारों का संग्रहण भारत की तुलना में अधिक है।
  - भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु बलों के आकार और विविधता में धीरे-धीरे वृद्धि कर रहे हैं।
  - चीन पहली बार एक तथाकथित परमाणु त्रयी (Neclear Triad) विकसित कर रहा है, जो भूमि और समुद्र-आधारित नई मिसाइलों तथा परमाणु-सक्षम विमानों से मिलकर बना है।
- कम पारदर्शिता:
  - रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि परमाणु-हथियारों की स्थिति और परमाणु-सशस्त्र राज्यों की क्षमताओं पर विश्वसनीय जानकारी की उपलब्धता में व्यापक भिन्नता होती है क्योंकि सरकारें अपने शस्त्रागार से संबंधित जानकारी का पूरी तरह से खुलासा करने में संकोच करती हैं।

नोट :

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने अपने कुछ मिसाइल परीक्षणों के बारे में बताया लेकिन अपने शस्त्रागार की स्थिति या आकार के बारे में बहुत कम जानकारी प्रदान की।
- वर्ष 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी सार्वजनिक रूप से अपने शस्त्र भंडार के आकार का खुलासा करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था।

- न्यू स्टार्ट (New START)
  - संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (Strategic Arms Reduction Treaty-START) 2010 के तहत अपने परमाणु शस्त्रागार में कमी की है लेकिन यह संधि फरवरी 2021 में व्यपगत (Lapse) होगी यदि दोनों पक्ष इसकी अवधि को बढ़ाने के लिये सहमत नहीं होते।
  - लेकिन इसके विस्तार पर चर्चा ने अब तक कोई प्रगति नहीं की है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि चीन को भविष्य में परमाणु हथियार कटौती वार्ता में शामिल होना चाहिये और चीन ने स्पष्ट रूप से इस प्रकार की वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
  - न्यू स्टार्ट पर गतिरोध और वर्ष 2019 में इंटरमीडिएट-रेंज और शॉर्टर-रेंज मिसाइलों के उन्मूलन पर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संधि (INF संधि 1987) की समाप्ति इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में द्विपक्षीय परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते समाप्त हो सकते हैं।
  - दोनों देशों ने अपनी सैन्य योजनाओं और सिद्धांतों में परमाणु हथियारों को नई या विस्तारित भूमिकाएँ प्रदान की हैं, जो कि परमाणु हथियारों के क्रमिक सीमांकन की दिशा में शीत युद्ध के बाद की प्रवृत्ति में एक महत्त्वपूर्ण व्युत्क्रमण को दर्शाता है।

निष्कर्ष

बढ़ते हुए भू-राजनीतिक तनावों के समय में परमाणु शस्त्रों की निगरानी और परमाणु हथियारों एवं सामग्रियों के प्रसार को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक और भारत

चर्चा में क्यों ?

चीन स्थित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB) ने भारत को गरीब एवं कमज़ोर परिवारों पर COVID-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिये 750 मिलियन डॉलर के ऋण को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- भारत द्वारा इस ऋण राशि का प्रयोग अनौपचारिक क्षेत्र समेत देश भर के सभी व्यवसायों की वित्तीय स्थिति को मज़बूत करने, ज़रूरतमंदों के लिये सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करने और देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करने की दिशा में किया जाएगा।
- इसके पूर्व हाल ही में एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने भारत को COVID-19 से मुकबला करने के लिये 500 मिलियन डॉलर का ऋण दिया था। नए ऋण के साथ ही भारत को दिया गया AIIB का कुल ऋण 3.06 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है।

ऋण सहायता का महत्त्व

- एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक के अनुसार, विश्व के कई निम्न और मध्यम आय वाले देश अभी भी स्वास्थ्य संकट के शुरुआती दौर में हैं किंतु उन पर महामारी का काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- COVID-19 महामारी देश भर में उन लाखों लोगों के लिये एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं।
  - विश्व बैंक के अनुसार, भारत में 270 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और लगभग 81 मिलियन लोग घनी आबादी वाली झुगी-बस्तियों में रहते हैं, जिसके कारण ये लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहते हैं।

नोट :

- देश में आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से रुक गई हैं, जिसके कारण देश भर के अधिकांश गरीब परिवार इस महामारी के प्रति काफी संवेदनशील हो गए हैं, खासकर महिलाएँ, जिनमें से कई अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB)

- एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है।
- एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने अपना परिचालन वर्ष 2016 में शुरू किया था और इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है।
- वर्तमान में AIIB के कुल 102 सदस्य हैं।
- एशिया में स्थायी बुनियादी ढाँचे और अन्य संबंधित क्षेत्रों में निवेश करने से एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB) आम लोगों, सेवाओं और बाज़ारों को बेहतर ढंग से जोड़ने का प्रयास करता है।

भारत और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक

- उल्लेखनीय है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि AIIB का वास्तविक लक्ष्य संपूर्ण एशिया में चीन के राजनीतिक कद का विस्तार करना है।
  - बीते कुछ दिनों में क्षेत्रीय और सीमा विवादों के कारण भारत-चीन के संबंधों में काफी तनाव आया है और दोनों देशों के संबंध अब एक नए मोड़ पर पहुँच गए हैं।
  - कश्मीर में विवादित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भी दोनों देशों के संबंधों पर काफी प्रभाव पड़ा था।
  - भारत, चीन की विदेश और विस्तारवादी नीति को लेकर भी चिंता ज़ाहिर करता आया है।
- भारत और चीन के बीच उपरोक्त मुद्दों के बावजूद AIIB एशिया के विकास में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- AIIB मौजूदा परिदृश्य में COVID-19 से मुकाबला करने के लिये भी भारत की काफी मदद कर रहा है।

मेडागास्कर तथा अबू धाबी में नौसैनिक संपर्क पहल

चर्चा में क्यों:

भारत 'हिंद महासागर आयोग' (Indian Ocean Commission- IOC) में पर्यवेक्षक के रूप शामिल होने के बाद मेडागास्कर तथा अबू धाबी में स्थित प्रमुख 'क्षेत्रीय नौसैनिक निगरानी केंद्रों' में भारतीय नौसेना के 'संपर्क अधिकारियों' (Liaison Officers- LOs) की तैनाती करना चाहता है।

प्रमुख बिंदु:

- मार्च, 2020 में भारत, 'हिंद महासागर आयोग' (Indian Ocean Commision) की सेशल्स में होने वाली मंत्रिपरिषदीय बैठक में 'पर्यवेक्षक' के रूप में शामिल हुआ था।
- भारत 'क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र' (Regional Maritime Information Fusion Centre- RMIFC) मेडागास्कर तथा 'होर्मुज़ जलडमरूमध्य में यूरोपीय समुद्री जागरूकता नौसेना'(European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz- EMASOH), अबू धाबी में अपने संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहता है।

क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र' (Regional Maritime Information Fusion Centre- RMIFC):

- भारत सरकार फ्राँस के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि मेडागास्कर स्थित RMIFC में एक नौसेना संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जा सके।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि फ्राँस 'हिंद महासागर आयोग' का बहुत ही प्रभावी सदस्य है।

नोट :

'होर्मुज़ जलडमरूमध्य में यूरोपीय समुद्री जागरूकता नौसेन'
(European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz- EMASOH):

- फ्राँस द्वारा फारस की खाड़ी तथा होर्मुज़ जलडमरूमध्य की निगरानी के उद्देश्य से EMASOH की शुरुआत की गई थी। यह अबू धाबी (UAE) में फ्राँसीसी नौसैनिक अड्डे पर आधारित है। इसे फरवरी 2020 में फ्राँसीसी सशस्त्र बलों द्वारा परिचालन शुरू किया गया था।
- इसी प्रकार भारत अबू धाबी में 'होर्मुज़ जलडमरूमध्य में यूरोपीय समुद्री जागरूकता नौसेना (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz- EMASOH) में नौ-सेना संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहता है।

हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission- IOC):

- IOC एक अंतर-सरकारी संगठन है जो दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय-अभिशासन (Maritime Governance) की दिशा में कार्य करता है तथा यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी।
- इसमें मेडागास्कर, कोमोरोस, ला रियूनियन (फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र), मॉरीशस और सेशल्स शामिल हैं।
- इससे गुरुग्राम स्थित 'हिंद महासागर क्षेत्र के लिये नौसेना सूचना संलयन केंद्र (IFC-IOR) के क्षेत्र के अन्य IFC से संपर्क सुधारने में मदद मिलेगी।

'हिंद महासागर क्षेत्र के लिये सूचना संलयन केंद्र'
(Information Fusion Centre for Indian Ocean Region- IFC-IOR):

- भारतीय नौसेना ने दिसंबर, 2018 में गुरुग्राम में सामुद्रिक नौवहन की निगरानी के लिये 'सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र' (Information Management and Analysis Centre- IMAC) के रूप में 'हिंद महासागर क्षेत्र के लिये सूचना संलयन केंद्र' की स्थापना की है।
- IFC-IOR तटीय निगरानी की दिशा में भारतीय नौसेना का मुख्य केंद्र है। IMAC भारतीय नौसेना, तटरक्षक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एक संयुक्त पहल है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Adviser- NSA) के तहत कार्य करता है।
- IFC-IOR में फ्राँस ने सर्वप्रथम LO को तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों ने भी यहाँ LO को तैनात करने की घोषणा की है।
- यह वैश्विक 'नौवहन सूचना केंद्रों' के साथ समन्वय करने का कार्य करता है, जिसमें निम्नलिखित केंद्र शामिल हैं:
  - आभासी क्षेत्रीय समुद्री यातायात केंद्र (Virtual Regional Maritime Traffic Centre- VRMTC);
  - हॉर्न ऑफ अफ्रीका का समुद्री सुरक्षा केंद्र- (Maritime Security Centre-Horn of Africa- MSCHOA);
  - समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery- ReCAAP);
  - सूचना संलयन केंद्र- सिंगापुर (Information Fusion Centre-Singapore- IFC-SG);
  - अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो-पाइरेसी रिपोर्टिंग केंद्र (International Maritime Bureau-Piracy Reporting Centre- IMB-PRC)।

निष्कर्ष:

- पश्चिमी हिंद महासागर के साथ भारत के जुड़ाव से वहाँ के द्वीपों के साथ सामूहिक संबंधता को बढ़ावा मिलेगा, जिसका भारत के लिये रणनीतिक महत्त्व है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए, हाल ही में उठाए गए कदम भारत को अपनी नौसेना की उपस्थिति बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में समुद्री परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करेगा।

नोट :

द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड

चर्चा में क्यों ?

द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रूस द्वारा मास्को में एक सैन्य परेड का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- रूसी परेड प्रतिवर्ष 9 मई के विजय दिवस पर आयोजित की जाती है, यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि 9 मई, 1945 को नाज़ी जर्मनी सेना का द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने 9 मई, 2020 को रूसी राष्ट्रपति को इस विजय दिवस के अवसर पर बधाई संदेश भेजा है साथ ही भारत इस अवसर पर अपनी त्रि-सेवा दल (Tri-Service Contingent) भेजेगा।
- COVID-19 महामारी के चलते इस बार की परेड 24 जून, 2020 को आयोजित की जाएगी।

द्वितीय विश्व युद्ध:

- द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष 1939 में यूरोप में हुई थी तथा सितंबर, 1945 में युद्ध समाप्त हो गया था।
- यह युद्ध मित्र राष्ट्रों तथा धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। मित्र देशों की शक्तियों का प्रतिनिधित्व ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्राँस आदि ने किया था जबकि जर्मनी, इटली और जापान द्वारा धुरी शक्तियों का नेतृत्व किया गया था।

युद्ध के कारण:

- वर्ष 1920 की वर्साय की संधि।
- फासीवादी शक्तियों (जर्मनी और इटली) द्वारा विस्तारवाद की आक्रामक नीति।
- कम्युनिस्ट सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिये फासीवादी शक्तियों के प्रति पश्चिमी शक्तियों द्वारा तुष्टिकरण की नीति।
- साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जापान का उदय।
- रोम-बर्लिन-टोक्यो धुरी।

युद्ध के परिणाम:

- यहूदियों की हत्या।
- वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के जापानी शहरों पर परमाणु हमले।
- द्विध्रुवीय शक्तियों का उदय।
- शीत युद्ध की शुरुआत जो वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक जारी रहा।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना।

भारत-रूस के रक्षा संबंध:

- भारत के 'मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम' को रूस से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- 'व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन'- 2019 के बाद दोनों देशों ने सशस्त्र बलों के लिये रसद सहायता एवं सेवाओं में पारस्परिक सहयोग को संस्थागत रूप देने पर सहमति व्यक्त की है।
- 5वें 'भारत-रूस सैन्य उद्योग सम्मेलन' के दौरान लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में आयोजित डिफेंस-एक्सपो (DefExpo)- 2020 के दौरान दोनों देशों की कंपनियों द्वारा रक्षा उपकरणों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिये विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए।
- वर्ष 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद भारत ने 5 बिलियन से अधिक मूल्य की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के निर्णय प्रक्रिया को बढ़ाया।
- ब्रह्मोस मिसाइल, SU-30 एयरक्राफ्ट, T-90 टैंकों के भारत में सह-निर्माण के लिये भी पूर्व में सहयोग स्थापित किया गया है।

नोट :

- अभ्यास इंद्र (INDRA):
  - 'अभ्यास इंद्र' श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी। प्रारंभ में इस अभ्यास की शुरुआत 'एकल सेवा अभ्यास' (Single Service Exercise) के रूप में की गई थी। हालाँकि वर्ष 2017 में पहली बार संयुक्त 'त्रिसेवा अभ्यास' (TriServices Exercise) आयोजित किया गया।
  - द्विपक्षीय रूसी-भारतीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी -2018 बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था।
  - इंद्र- 2019 का आयोजन दिसंबर 2019 में बबीना (झाँसी के पास), पुणे और गोवा में एक साथ आयोजित किया गया।

दोनों देशों के मध्य सहयोग के अन्य बहुपक्षीय क्षेत्र :

- BRICS (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका);
- शंघाई सहयोग सम्मेलन;
- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह;
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद;
- वन बेल्ट वन रोड;
- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा;
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल।

निष्कर्ष:

भारत तथा रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक तथा व्यापक सहयोग रहा है। अमेरिका की चुनौतियों के बावजूद भारत-रूस सैन्य तकनीकी सहयोग एक खरीदार-विक्रेता के ढाँचे से बाहर निकल कर वर्तमान में संयुक्त अनुसंधान, विकास तथा रक्षा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के माध्यम से रक्षा प्रणालियों के उत्पादन की ओर विकसित हुआ है।

रूस-भारत-चीन समूह की आभासी बैठक

चर्चा में क्यों ?

'विदेश मंत्रालय' (Ministry of External Affairs- MEA) के अनुसार, भारत 23 जून को रूस-भारत-चीन (Russia-India-China- RIC) समूह की होने वाली 'आभासी बैठक' (Virtual Meeting) में भाग लेगा।

प्रमुख बिंदु:

- RIC की 'आभासी बैठक' पर भारत-चीन 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control- LAC) पर उत्पन्न तनाव के कारण अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी।
- रूस, भारत तथा चीन के मध्य LAC पर उत्पन्न तनाव को कम करने में 'रचनात्मक संवाद' (Constructive Dialogue) स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि 15 जून को गलवान घाटी (Galwan Valley) में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में कम-से-कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे।

पृष्ठभूमि:

- RIC समूह के निर्माण का विचार BRICS समूह से बहुत पहले वर्ष 1998 में तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री द्वारा दिया गया था। हालाँकि RIC समूह को उतना महत्त्व नहीं दिया गया जितना BRICS समूह को दिया गया है।
- यद्यपि तीनों देशों के नेताओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसे बहुपक्षीय सम्मेलनों के दौरान बैठक का आयोजन किया जाता रहा है।

नोट :

भारत-चीन संबंधों के लिये बैठक का महत्त्व:

- RIC त्रिपक्षीय समूह होने के कारण, प्राय: इसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती है। रूस ने भारत को RIC की बैठक में किसी भी द्विपक्षीय मुद्दे को न उठाने की सलाह दी है।
- बैठक में चर्चा किये जाने वाले विषयों का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है। अत: नवीन मुद्दों को बैठक में नहीं उठाया जाएगा।
- भारत भी अपने सीमा विवादों को द्विपक्षीय रूप से हल करने का समर्थन करता है, अत: इस बात की भी पूरी संभावना है कि भारत अपने सीमा विवादों को RIC की बैठक में न उठाए।

RIC का महत्त्व:

- तीनों देश बहुपक्षीय संस्थानों जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार का समर्थन करते हैं।
- तीनों देश अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये सभी स्तरों पर नियमित रूप से वार्ता का समर्थन करते हैं।
- तीनों देश BRICS, शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation- SCO), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit- EAS), एशिया-यूरोप बैठक (Asia-Europe Meeting- ASEM) जैसे साझा समूहों के माध्यम से आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर सहमत हैं।
- तीनों देश यूरेशिया तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक अवस्थिति के आधार पर वैश्विक शक्तियाँ हैं।

भारत के लिये RIC का महत्त्व:

- QUAD (भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया) तथा JAI (जापान-अमेरिका-भारत) जैसे समूह भारत को केवल एक समुद्री शक्ति होने तक ही सीमित कर देंगे, जबकि RIC समूह वास्तव में भारत को महसागरीय शक्ति के साथ-साथ महाद्वीपीय शक्ति के रूप में उबरने में मदद कर सकता है।
- भारत और चीन दोनों देशों के रूस के साथ बेहतर संबंध है ऐसे में रूस इन दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य कर सकता है।

समूह के समक्ष चुनौतियाँ:

- भारत-रूस के राजनीतिक संबंध अच्छे हैं लेकिन द्विपक्षीय व्यापार या निवेश कम है। इसके विपरीत भारत-चीन व्यापार बहुत अधिक है लेकिन द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं हैं।
- रूस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं जबकि भारत नहीं, अत: यह समूह इस दृष्टि से असंतुलित नज़र आता है।
- अमेरिका के संबंध में तीनों देशों की नीतियाँ भी बेमेल नज़र आती हैं। रूस और चीन अमेरिका की एशिया-प्रशांत नीति से खुश नहीं हैं वही भारत इस संबंध में अमेरिका का समर्थन करता है।

निष्कर्ष:

- रूस-भारत-चीन (RIC) समूह एक महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय समूह है, क्योंकि यह तीन सबसे बड़े यूरेशियन देशों को एक साथ लाता है जिनकी भौगोलिक सीमाएँ आपस में जुड़ी हैं। 23 जून को आयोजित की जा रही आभासी बैठक ज़रूरी है क्योंकि इसमें COVID-19 महामारी जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जाएगी।

चीन द्वारा बांग्लादेश को टैरिफ छूट की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा बांग्लादेश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है।

मुख्य बिंदु:

- बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि मत्स्य और चमड़े के उत्पादों को कवर करने वाली 97% वस्तुओं को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी।

नोट :

- चीन का यह कदम 'ढाका-बीजिंग संबंधों' के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- एक महीने पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा COVID-19 महामारी के चलते व्यापार में आई आर्थिक कठिनाई पर चर्चा करने के लिये इस संदर्भ में बात की गई थी। जिसे ध्यान में रखते हुए चीन द्वारा यह कदम उठाया गया है।
- बांग्लादेश पहले ही 'एशिया प्रशांत व्यापार समझौते' (Asia-Pacific Trade Agreement -APTA) के तहत 3095 वस्तुओं के लिये टैरिफ-छूट प्राप्त करता है।
- चीन द्वारा की गई नवीनतम घोषणा के परिणामस्वरूप, बांग्लादेश के अब कुल 8256 सामानों को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी।

बांग्लादेश के लिये इस छूट का महत्त्व:

- बांग्लादेश चीन से लगभग 15 बिलियन डॉलर का आयात करता है। जबकि चीन में बांग्लादेश से निर्यात की जाने वाले वस्तुओं की कीमत आयात के मुकाबले काफी कम है।
- इस छूट के माध्यम से बांग्लादेश के चीन के साथ व्यापार घाटे में कुछ कमी होने की आशा है साथ ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी।

चीन की रणनीति:

- भारत चीन के मध्य 'लाइन ऑफ ऐक्चुअल कंट्रोल' पर जारी तनाव के बीच चीन अपनी आर्थिक कूटनीति (Economic Diplomacy of China) के तहत भारत के पड़ोसी देशों को अपने पक्ष में करने का कार्य कर रहा है।
- इससे पहले चीन द्वारा श्रीलंका, नेपाल तथा पाकिस्तान के साथ भी यही रणनीति अपनाई जा चुकी है।
- अब चीन का रुख बांग्लादेश की तरफ है। इसी कड़ी में चीन ने बांग्लादेश से निर्यात की जाने वाली 97 फीसदी वस्तुओं को टैक्स से छूट देने की घोषणा की है।

भारत की रणनीति:

- एक तरफ जहाँ चीन द्वारा भारत को सामरिक एवं आर्थिक मोर्चे पर घेरने की रणनीति बनाई जा रही है तो भारत भी इसका जबाव दे रहा है।
- भारत द्वारा अब चीन से आयातित वस्तुओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जल्द ही 'ई-कॉमर्स नीति' घोषित करने की तैयारी कर ली गई है।
- इस नीति के तहत कंपनियों के लिये यह स्पष्ट करना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं को भारत में उत्पादित किया गया है या नहीं।
- दूसरी तरफ भारत द्वारा चीन समेत भारत की सीमा से लगे किसी भी देश से 'पेंशन कोष' में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव पेश किया है।
- 'पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण' (Pension Fund Regulatory and Development Authority) PFRDA के नियमन के तहत पेंशन कोष में स्वत: मार्ग से 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है।
- इस प्रस्ताव के तहत चीन समेत भारत की सीमा से लगने वाले किसी भी देश की किसी भी निवेश इकाई या व्यक्ति को निवेश के लिये सरकार की मंज़ूरी की जरूरत होगी।

आगे की राह:

- भारत की विदेश नीति पंचशील सिद्धांत पर आधारित है इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही वर्ष 1954 में नेहरू और झोउ एनलाई (Zhou Enlai) द्वारा 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के नारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किये गए थे, ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिये कार्ययोजना तैयार की जा सके।
- वर्ष 2019 में भारत तथा चीन के बीच होने वाले व्यापार की मात्रा 92.68 बिलियन डॉलर रही। भारत में औद्योगिक पार्कों, ई-कॉमर्स तथा अन्य क्षेत्रों में 1,000 से अधिक चीनी कंपनियों द्वारा निवेश किया हुआ है। भारतीय की भी लगभग दो-तिहाई से अधिक कंपनियाँ चीन के बाज़ार में सक्रिय हैं।
- 2.7 बिलियन से अधिक लोगों के संयुक्त बाज़ार तथा दुनिया के 20% के सकल घरेलू उत्पाद के साथ, भारत और चीन के लिये आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएँ विद्यमान हैं।अत: वर्तमान समय में उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर दोनों ही देशों को एक-दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हुए पंचशील के सिद्धांतों की महत्ता को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

नोट :

वैश्विक शरणार्थी संकट

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 के अंत तक लगभग 79.5 मिलियन लोग विभिन्न कारणों से विस्थापित हुए, जो कि वैश्विक आबादी का लगभग 1 प्रतिशत हैं, इसमें से अधिकांश बच्चे थे।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, 79.5 मिलियन में से, 26 मिलियन क्रॉस-बॉर्डर शरणार्थी थे, 45.7 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित थे, 4.2 मिलियन शरण (Asylum) चाहने वाले थे और 3.6 मिलियन वेनेज़ुएला से अन्य देशों में जाने वाले विस्थापित थे।
- इतनी बड़ी मात्रा में विस्थापन के मुख्य कारणों में उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन आदि को शामिल किया जा सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में प्रत्येक 97 लोगों में 1 व्यक्ति जबरन विस्थापन से प्रभावित हुआ, जबकि वर्ष 2010 में प्रत्येक 159 में से 1 व्यक्ति जबरन विस्थापन से प्रभावित था और वर्ष 2005 में प्रत्येक 174 में से 1 व्यक्ति इससे प्रभावित था।
- UNHCR द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ के अनुसार, सर्वाधिक चिंताजनक यह है कि विस्थापित लोगों में से काफी कम लोग ही वापस अपने घर लौटने में सक्षम थे।
- आँकड़ों के अनुसार, 1990 के दशक में प्रत्येक वर्ष औसतन 1.5 मिलियन शरणार्थी घर लौटने में सक्षम थे, जबकि पिछले एक दशक (2010-2019) में यह संख्या घटकर 385,000 रह गई है।
- वर्ष 2019 के अंत में सीमा पार विस्थापित होने वाले 10 में से 8 लोग केवल 10 देशों से ही थे और इन 10 देशों में से 4 अफ्रीकी देश हैं।
  - अफगानिस्तान, सोमालिया, कांगो, सूडान और इरीट्रिया बीते एक दशक भर (2010-2019) में सीमा पार विस्थापन के लिये स्रोत देशों की शीर्ष 10 सूची में बने रहे।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 से सीरिया शरणार्थियों की उत्पत्ति के लिये एक प्रमुख देश रहा है। वर्ष 2019 के अंत में दुनिया भर के 126 देशों में कुल 6.6 मिलियन सीरियाई शरणार्थी थे।

कौन हैं शरणार्थी ?

- एक शरणार्थी का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण उसके देश से भागने के लिये मज़बूर किया गया है।
- अधिकांश शरणार्थियों में नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक राय या किसी विशिष्ट समूह की सदस्यता के कारण उत्पीड़न का भय होता है, इसी भय के कारण कई शरणार्थी वापस अपने घर नहीं लौट पाते हैं।

वैश्विक शरणार्थी संकट

- जानकारों का मानना है कि तथाकथित 'वैश्विक शरणार्थी संकट' की उत्पत्ति सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के दौरान हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 20वीं शताब्दी में संकट उत्पन्न हुआ और लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा।
- एक अनुमान के अनुसार, इस दौरान यूरोप में लगभग 40 मिलियन लोगों को विस्थापित होना पड़ा था।
- वर्ष 1945 में भले ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, किंतु संघर्ष इसके बाद भी जारी रहा और इसके परिणामस्वरूप विश्व युद्ध के बाद भी लोगों का विस्थापन जारी रहा।
- अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो गया, इसी के साथ भारत का दो हिस्सों में विभाजन भी हो गया, लाखों लोगों को इस दौरान अपना सब कुछ छोड़ कर एक नए स्थान पर जाना पड़ा। आँकड़ों के अनुसार, इस दौरान तकरीबन 14 मिलियन लोगों ने पलायन किया था।
- फिलिस्तीन में युद्ध के बाद यहूदी राज्य के गठन के कारण वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में तकरीबन 750,000 लोगों का पलायन हुआ।

नोट :

- 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की शुरुआत एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलनों के साथ हुई। इस दौरान स्वतंत्रता संबंधी युद्धों और उसके बाद हुए नागरिक संघर्षों ने अल्जीरिया, कांगो, अंगोला, नाइजीरिया और अन्य देशों के लाखों लोगों को पलायन के संकट में ढकेल दिया।
- वर्ष 1981 से वर्ष 1989 के बीच मध्य अमेरिका में गृहयुद्ध का दौर था, जिसमें लगभग 2 मिलियन लोगों को विस्थापित होना पड़ा।
- वर्ष 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया, इस दौरान तत्कालीन पूर्वी बंगाल से तकरीबन 10 मिलियन लोगों ने पलायन किया था।

भारत में शरणार्थी संबंध कानून

- भारत में अधिकारियों द्वारा विभिन्न कानूनों, जैसे–पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; विदेशी कानून, 1946 इत्यादि को ध्यान में रखकर शरणार्थियों और आश्रय याचकों के प्रवेश के संबंध में विचार किया जाता है।
- ये कानून शरणार्थियों को अन्य विदेशियों के समतुल्य मानते हैं और इस बात का विचार नहीं करते कि मानवीय आधार पर उन्हें विशेष दर्जा मिलना चाहिये।
- भारत में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे अधिक शरणार्थी आबादी है लेकिन यहाँ अभी तक आश्रय याचकों के लिये एक समान कानून नहीं बनाया जा सका है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त
(United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR)

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) एक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और एक वैश्विक संगठन है जो शरणार्थियों के जीवन बचाने, उसके अधिकारों की रक्षा करने और उनके लिये बेहतर भविष्य के निर्माण के प्रति समर्पित है।
- संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा (Geneva) में स्थित है।

मुक्त व्यापार समझौता: भारत और यूरोपीय संघ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में निर्यातकों के समूह 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन' (Federation of Indian Export Organisations-FIEO) ने सरकार से यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Area-FTA) के मुद्दे पर विचार करने का आह्वान किया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत और यूरोपीय संघ एक व्यापक मुक्त व्यापार क्षेत्र के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते (Bilateral Trade and Investment Agreement-BTIA) के रूप में जाना जाता है।
- वर्ष 2013 से विभिन्न मुद्दों पर मतभेद के कारण द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते संबंधी वार्ता रुकी हुई है।
- फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन के अनुसार, भारत का निकटतम प्रतिद्वंदी वियतनाम पूर्व में ही यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी समझौता कर चुका है, जिसके अगस्त 2020 तक प्रभावी होने की संभावना है।
- यूरोपीय संघ, भारत के बड़े निर्यात साझेदारों में से एक है। भारत अपने कुल निर्यात का लगभग 18 प्रतिशत यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात करता है।

यूरोपीय संघ

- यूरोपीय संघ (European Union- EU) कुल 27 देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। ये 27 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए हैं, जिससे कि व्यापार को आसान बनाया जा सके और विभिन्न देशों के मध्य विवाद उत्पन्न न हो।
- गौरतलब है कि यूरोपीय संघ के कुल 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि शेष देशों की अपनी अलग मुद्रा है।

नोट :

- यूरोपीय संघ ने कानूनों की मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाज़ार विकसित किया है, जो कि सदस्य देशों के उन सभी मामलों पर लागू होती हैं, जिन सदस्य देशों ने सहमति व्यक्त की है।
- यूनाइटेड किंगडम (UK) 31 जनवरी, 2020 को यूरोपीय संघ (EU) से अलग होने वाला अंतिम देश था, जिसके बाद सदस्यों की संख्या 27 रह गई।
- वर्ष 2019 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का निर्यात लगभग 58.4 बिलियन डॉलर था जबकि भारत के प्रतिद्वंदी वियतनाम का निर्यात 52.2 बिलियन डॉलर था।
- यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार संबंधी समझौते के कारण वियतनाम के उत्पादों का मूल्य भारत के उत्पादों की तुलना में और कम हो जाएगा।
- यूरोपीय संघ-वियतनाम निवेश संरक्षण समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गए हैं और इस कारण वियतनाम, चीन से निकलने वाले कई निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। इन निवेशकों में अधिकांश वे निवेशक हैं, जिनके उत्पाद यूरोपीय संघ के बाज़ारों में लोकप्रिय हैं।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन

- फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज़ेशन वैश्विक बाज़ार में भारतीय उद्यमियों की उद्यमशील भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी।
- यह भारत में निर्यात संवर्द्धन परिषद, विभिन्न सामुदायिक बोर्ड और विकास प्राधिकरणों का एक सर्वोच्च निकाय है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बंदरगाहों, रेलवे और सभी निर्यात व्यापार सुविधा में लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के बीच महत्त्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करता है।
- आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत ने यूरोपीय संघ को 7 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जबकि वियतनाम ने 7.80 बिलियन डॉलर का निर्यात किया। इसी प्रकार, भारत ने इसी वर्ष 4.9 बिलियन डॉलर मूल्य के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्यात किया तो वहीं वियतनाम ने 22 बिलियन डॉलर का निर्यात किया।

शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होगा चीन

चर्चा में क्यों ?

विश्व में शांति और स्थिरता के प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए चीन ने संयुक्त राष्ट्र (UN) की शस्त्र व्यापार संधि (Arms Trade Treaty-ATT) में शामिल होने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्त्व ने संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने के विषय में निर्णय लेने हेतु मतदान किया।
- चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार, संधि में शामिल होना 'बहुपक्षवाद (Multilateralism) का समर्थन करने हेतु चीन का एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल, 2019 में संयुक्त राष्ट्र की इस संधि से बाहर निकलने की घोषणा की थी।
  - ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि भी उन कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों में से एक है, जिन्हें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में पूरा किया गया और अब जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वापस लिया जा रहा है, इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता और ईरान परमाणु समझौता आदि शामिल हैं।

क्यों लिया था अमेरिका ने यह निर्णय ?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, यह संधि अमेरिका के आतंरिक कानून में दखल देती है। इसके अलावा यह संधि दूसरे संशोधन विधेयक में मिले अधिकारों का भी हनन करती है।
- दरअसल, अमेरिका में द्वितीय संशोधन विधेयक के तहत प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने का अधिकार मिला हुआ है।

नोट :

- राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन लंबे समय से इस संधि का विरोध कर रहा था। यह अमेरिका स्थित बंदूक के अधिकार की वकालत करने वाला एक नागरिक संगठन है, जिसके तकरीबन 5 मिलियन से भी अधिक सदस्य हैं ।
- कई जानकार मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यह उनके राजनीतिक हित में नहीं था।

शस्त्र व्यापार संधि- पृष्ठभूमि

- 24 दिसंबर, 2014 को शस्त्र व्यापार संधि (Arms Trade Treaty-ATT) के लागू होने से पूर्व विश्व में हथियारों के व्यापार को विनियमित करने के लिये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं था, इस कमी को महसूस करते हुए कई वर्षों तक विभिन्न नागरिक संगठनों ने वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया।
- वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया कि पारंपरिक हथियारों के हस्तांतरण हेतु एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मानक की अनुपस्थिति दुनिया भर में सशस्त्र संघर्ष, लोगों के विस्थापन, अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देने में योगदान देती है।
  - इसके कारण वैश्विक स्तर पर शांति, सामंजस्य, सुरक्षा, स्थिरता और सतत् सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रयास कमज़ोर होते हैं।
- इन्ही तथ्यों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हथियारों के हस्तांतरण हेतु एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मानक की स्थापना करने वाली एक संधि की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिये एक प्रक्रिया शुरू कर दी।
- विभिन्न सम्मेलनों और बैठकों के बाद इस प्रकार की संधि को अंतिम रूप दिया गया और अंतत: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल, 2013 को इसे अपना लिया गया तथा यह संधि 24 दिसंबर 2014 से लागू हो गई।
- ध्यातव्य है कि अब तक कुल 130 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसमें से 103 देशों ने अपने क्षेत्राधिकार में इसे लागू भी कर दिया है।

शस्त्र व्यापार संधि- प्रमुख प्रावधान

- शस्त्र व्यापार संधि (ATT) एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- इस संधि का उद्देश्य संघर्ष वाले क्षेत्रों में हथियारों के प्रवाह पर नियंत्रण लगाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और घातक हथियारों को समुद्री डाकुओं, गिरोहों तथा अपराधियों के हाथों में पहुँचने से रोकना है।
- इस संधि के तहत छोटे हथियारों से लेकर युद्ध टैंक, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के व्यापार के लिये नियम बनाने का भी प्रावधान है।
- इस संधि के तहत सदस्य देशों पर प्रतिबंध है कि वह ऐसे देशों को हथियार न दें जो नरसंहार, मानवता के प्रति अपराध या आतंकवाद में शामिल होते हैं।
- ध्यातव्य है कि यह संधि घरेलू हथियारों के व्यापार या सदस्य देशों में शस्त्र रखने के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। साथ ही यह संप्रभु देशों को प्राप्त आत्मरक्षा के वैधानिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है।

शस्त्र व्यापार संधि और चीन

- चीन के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चीन विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिये निरंतर प्रयास करेगा।
- चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार, चीन ने सदैव सैन्य उत्पादों के निर्यात को सख्ती से नियंत्रित किया है। चीन इस प्रकार के सैन्य उत्पादों का निर्यात केवल संप्रभु राष्ट्रों को भी करता है न कि गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं को।
- उल्लेखनीय है कि संधि में शामिल होने की घोषणा से पूर्व भी चीन का मानना था कि पारंपरिक हथियारों के कारोबार को नियंत्रित करने की दिशा में इस संधि की सकारात्मक भूमिका है।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute) द्वारा इसी वर्ष जनवरी माह में किये गए एक अध्ययन से ज्ञात हुआ था कि चीन अमेरिका के पश्चात् विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक है।

शस्त्र व्यापार संधि पर भारत का पक्ष

- वर्ष 2014 में संधि के अस्तित्त्व में आते ही भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था, भारत का मत है कि इस तरह की संधि का उद्देश्य हथियारों के गलत प्रयोग और तस्करी को रोकना होना चाहिये। ATT का लाभ पूरी दुनिया को तब होगा जब आतंकवादियों के हाथों में घातक हथियार न पहुँच पाएँ।

नोट :

- वर्ष 2013 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार संधि के प्रस्ताव को कमज़ोर और एकतरफा बताया था और संधि में शामिल नहीं हुआ था। भारत का मानना था कि संधि के प्रस्ताव में संतुलन नहीं है। संधि के अंतर्गत हथियार निर्यात करने वाले देशों और आयात करने वाले देशों की नैतिक ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिये।
- इसके अतिरिक्त भारत का मानना था कि संधि के मसौदे में आतंकवादियों और नॉन-स्टेट एक्टर्स पर नियंत्रण हेतु कोई सख्त नियम नहीं है। साथ ही ऐसे लोगों के हाथ में घातक हथियार न पहुँचे इसके लिये कोई विशेष प्रतिबंध नहीं किया गया है।
- हालाँकि इसके बावजूद भारत ATT वार्ता में एक सक्रिय भागीदार रहा है और भारत ने लगातार इस बात पर ज़ोर दिया है कि ATT निर्यात और आयात करने वाले राष्ट्रों के बीच दायित्त्वों का संतुलन सुनिश्चित करे।

आगे की राह

- गरीबी, अभाव और असमानता की स्थिति का सामना करने वाले अत्यधिक संवेदनशील वर्ग को अकसर स्टेट और नॉन-स्टेट एक्टर्स द्वारा हथियारों के प्रयोग के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दोनों के बीच के संघर्ष में अक्सर आम आदमी और वंचित वर्ग को ही पीड़ा होती है।
- हथियारों के हस्तांतरण पर अपर्याप्त नियंत्रण से उनकी उपलब्धता और दुरुपयोग को बढ़ावा मिलाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और स्थिरता कायम रखने के प्रयास कमज़ोर होते हैं।

अमेरिकी वीज़ा नियमों पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा समेत अन्य सभी विदेशी वर्क-वीज़ा (Work Visas) पर इस वर्ष के अंत तक लिये प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, यह कदम उन लाखों अमेरिकी नागरिकों की मदद करने के लिये काफी आवश्यक है जो कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के चलते बेरोज़गार हो गए हैं।

वीज़ा निलंबन का कारण

- वर्ष 1952 में H-1 वीज़ा योजना की शुरुआत के बाद से ही अमेरिका की आर्थिक स्थिति के आधार पर अन्य देश के कुशल श्रमिकों की कुछ श्रेणियों को अनुमति देने अथवा अस्वीकार करने के उद्देश्य से कई संशोधन और बदलाव हुए हैं।
- भारत और चीन जैसे विकासशील राष्ट्रों में इंटरनेट और कम लागत वाले कंप्यूटरों के आगमन के साथ ही बड़ी संख्या में स्नातक अमेरिका जैसे बड़े देशों में अपेक्षाकृत कम लागत पर कार्य करने के लिये तैयार होने लगे।
- हालाँकि दूसरे देशों से कम लागत पर कर्मचारी आने के कारण अमेरिका के अपने घरेलू कर्मचारियों को काम मिलना बंद हो गया, जिससे अमेरिका के स्थानीय निवासियों के बीच बेरोज़गारी बढ़ने लगी।
- जनवरी 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात् राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अन्य देशों से कम लागत पर आने वाले श्रमिक अमेरिका की अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा बन रहे हैं और इससे अमेरिका के नागरिकों के समक्ष रोज़गार का संकट पैदा हो गया है।
  - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सदैव ही अमेरिका की वीज़ा प्रणाली में सुधार के पक्षधर रहे हैं।
- ध्यातव्य है कि अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, अमेरिका की बेरोज़गारी दर में फरवरी 2020 से मई 2020 के बीच लगभग चौगुनी वृद्धि हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने मौजूदा वर्ष के अंत तक वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है।
  - वर्तमान में COVID-19 महामारी के कारण विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

नोट :

इस निर्णय का प्रभाव

- ध्यातव्य है कि अमेरिकी प्रशासन का यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी नए H-1B, H-2B, J और L श्रेणियों के वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक निलंबित होगी।
- इसका अर्थ है कि जिनके पास 23 जून तक वैध गैर-आप्रवासी वीज़ा नहीं है और वे अमेरिका से बाहर हैं, उन्हें 31 दिसंबर तक अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- हालाँकि अमेरिकी प्रशासन ने खाद्य क्षेत्र में कार्यरत लोगों को कुछ राहत प्रदान की है और उनके प्रवेश संबंधी नियम आव्रजन सेवाओं (Immigration Services) के अधिकारियों द्वारा तय किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि H-1B, H-2B, J और L वीज़ा धारक और उनके पति या पत्नी या अमेरिका में पहले से मौजूद उनके बच्चे नए वीज़ा प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होंगे।

भारत की IT कंपनियों पर वीज़ा निलंबन का प्रभाव

- भारतीय आईटी कंपनियाँ अमेरिका की इस वीज़ा व्यवस्था के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक हैं, आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 1990 के बाद से प्रत्येक वर्ष जारी किये जाने वाले H-1B और अन्य वीज़ा श्रेणियों में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है।
- अमेरिकी प्रशासन द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 तक 'यूएस सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़' (US Citizenship and Immigration Services-USCIS) को लगभग 2.5 लाख H-1B वर्क वीज़ा एप्लिकेशन प्राप्त हुए थे, जिसमें से लगभग 1.84 लाख या 67 प्रतिशत भारतीय आवेदक थे।
- गौरतलब है कि वीज़ा निलंबन के अतिरिक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर H-1B कार्य वीज़ा मानदंडों में व्यापक बदलाव किये हैं।
- नए नियमों के अनुसार, अब H-1B कार्य वीज़ा के लिये लॉटरी प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर अब उच्च कौशल वाले श्रमिकों को ही वीज़ा प्रदान किया जाएगा, जिन्हें संबंधित कंपनी अधिक मज़दूरी का भुगतान करेगी।

H-1B, H-2B और अन्य वर्क वीज़ा

- IT और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल और कम लागत वाले कर्मचारियों का नियुक्ति प्रदान करने के लिये अमेरिकी प्रशासन प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में वर्क वीज़ा (Work Visas) जारी करता है।
- इन सभी वर्क वीज़ा में से H-1B वीज़ा भारतीय IT कंपनियों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय है।
- अमेरिकी सरकार ने प्रत्येक वर्ष कुल 85,000 H-1B वीज़ा की सीमा निर्धारित की है, जिसमें से 65,000 H-1B वीज़ा उच्च कुशल विदेशी श्रमिकों को जारी किये जाते हैं, जबकि शेष 20,000 H-1B वीज़ा उन उच्च कुशल विदेशी श्रमिकों को आवंटित किया जा सकता है, जिन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है।

कोरियाई युद्ध के 70 वर्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर और दक्षिण कोरिया ने कोरियाई युद्ध की शुरुआत की 70 वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया।

प्रमुख बिंदु:

- दरअसल, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दो अलग देश बने। इस विभाजन के बाद से दोनों देशों ने अपनी अलग-अलग राह चुनी।
- एकीकृत कोरिया पर वर्ष 1910 से जापान का तब तक शासन रहा जब तक कि वर्ष 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों ने हथियार नहीं डाल दिये।
- इसके बाद सोवियत संघ की सेना ने कोरिया के उत्तरी भाग को अपने कब्ज़े में ले लिया और दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका का कब्ज़ा हो गया।

नोट :

- इसके बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया में साम्यवाद और 'लोकतंत्र' को लेकर संघर्ष शुरू हुआ।
- जापानी शासन से मुक्ति के बाद वर्ष 1947 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के जरिये कोरिया को एक राष्ट्र बनाने की पहल की।
- संयुक्त राष्ट्र के आयोग की निगरानी में चुनाव कराने का फैसला लिया गया और मई 1948 में कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में चुनाव हुआ।
- इस चुनाव के बाद 15 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ कोरिया (दक्षिण कोरिया) बनाने की घोषणा की गई।
- इस बीच, सोवियत संघ के नियंत्रण वाले उत्तरी हिस्से में सुप्रीम पीपुल्स असेंबली का चुनाव हुआ, जिसके बाद सितंबर 1948 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपुल्स ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) बनाने की घोषणा की गई।
- अलग देश बन जाने के बाद दोनों के बीच सैन्य और राजनीतिक विरोधाभास बना रहा, जो पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के रूप में सामने आया।

कोरियाई युद्ध:

- दोनों देशों के बीच जून 1950 में संघर्ष शुरू हो गया। 25 जून को उत्तर कोरिया के प्रमुख किम इल सुंग ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया।
- इस युद्ध में उत्तर कोरिया को जीत मिली, लेकिन अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित करवा लिया, जिसके बाद अमेरिका के झंडे तले 15 सहयोगी देशों की सेना दक्षिण कोरिया की मदद के लिये पहुँच गई, जिसने युद्ध की स्थिति ही बदल दी।
- अमेरिका के प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के कारण उत्तर कोरिया को पीछे हटना पड़ा और वह जीती हुई बाजी हार गया। उत्तर कोरिया का साथ रूसी तथा चीनी सेना ने दिया। वर्ष 1953 में यह युद्ध खत्म हुआ और दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए।
- अमेरिका ने इस युद्ध को लिमिटेड वॉर कहा था, क्योंकि उसने इसे कोरियाई प्रायद्वीप के आगे नहीं फैलने दिया था, लेकिन दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 28,500 सैनिक कोरियाई युद्ध के बाद तैनात रहे।
- दूसरी ओर, उत्तर कोरिया का सबसे खास सहयोगी चीन है और दोनों देशों के बीच वर्ष 1961 में एक संधि हुई थी, जिसमें कहा गया है कि यदि चीन और उत्तर कोरिया में से किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो दोनों देश तुरंत एक-दूसरे का सहयोग करेंगे।

वर्तमान की गतिविधियाँ:

- हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty- NPT) से हटकर अपने परमाणु भंडार में वृद्धि करके अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज़ किया है और कई बार परमाणु परीक्षण किया है।
- उत्तर कोरिया की बढ़ती मिसाइल साहसिकता का मुकाबला करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस- थाड (Terminal High Altitude Area Defence- THAAD) तैनात किया है।
- हाल ही में उत्तर कोरिया ने कासोंग स्थित अंतर-कोरियाई संपर्क कार्यालय को ध्वस्त कर दिया था, जिसे वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। इस इमारत ने औपचारिक राजनयिक संबंधों की अनुपस्थिति में, एक वास्तविक दूतावास के रूप में कार्य किया और दोनों देशों के लिये एक सीधा संचार चैनल प्रदान किया।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF) की पूर्ण बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- इससे पूर्व FATF के तत्त्वावधान में धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण पर गठित यूरेशियन समूह (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism-EAG) के 32वें पूर्ण अधिवेशन का भी आयोजन किया गया था।

नोट :

- इस अधिवेशन में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के अधिकारियों ने आतंकी वित्त-पोषण के रोकथाम हेतु एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल अवैध वित्तपोषण की रोकथाम के संभावित उपायों पर वैश्विक महामारी के प्रभाव की निगरानी कर रहा है।
- FATF ने COVID-19 से संबंधित अपराधों में वृद्धि देखी, जिनमें धोखाधड़ी, साइबर-अपराध, सरकारी धन या अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता का दुरुपयोग आदि शामिल है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

- FATF की स्थापना वर्ष 1989 में एक अंतर-सरकारी निकाय के रूप में हुई थी।
- FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।
- FATF की सिफारिशों को वर्ष 1990 में पहली बार लागू किया गया था। उसके बाद 1996, 2001, 2003 और 2012 में FATF की सिफारिशों को संशोधित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रासंगिक और अद्यतन रहें, तथा उनका उद्देश्य सार्वभौमिक बना रहे।
- किसी भी देश का FATF की 'ग्रे' लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है।
- किसी भी देश का FATF की 'ब्लैक' लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी।
- वर्तमान में FATF में भारत समेत 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। भारत FATF का 2010 से सदस्य है।
- लश्कर-ए- तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के वित्त के स्रोत को बंद करने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान पूर्व की भांति FATF की 'ग्रे लिस्ट' में बना हुआ है। पाकिस्तान को पहले आतंकी फंडिंग नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट्स के खिलाफ 27-पॉइंट एक्शन प्लान का अनुपालन सुनिश्चित करने या "ब्लैक लिस्टिंग" का सामना करने के लिये जून 2020 तक की समय सीमा दी गई थी।
- हालाँकि वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण यह समयसीमा बढ़ाकर अक्तूबर, 2020 कर दी है।

आसियान देशों की दक्षिण चीन सागर पर चेतावनी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'आसियान देशों' (ASEAN Countries) द्वारा आसियान शिखर सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी गई है।

मुख्य बिंदु

- दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ती असुरक्षा को लेकर ऑनलाइन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सम्मेलन के माध्यम से एकजुटता दिखाते हुए वियतनाम और फिलीपींस ने चीन को कहा कि COVID-19 के संकट के दौरान कोई भी देश दक्षिण चीन सागर में खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा न दे।
- वियतनाम और फिलीपींस विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की एकतरफा कार्यवाही द्वारा द्वीपों पर नियंत्रण की कोशिश को लेकर पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं।
- वियतनाम और फिलीपींस द्वारा भी अप्रैल में चीन की इस कार्यवाही के खिलाफ आपत्ति दर्ज़ की गई थी क्योंकि चीन द्वारा एकतरफा रूप से उन अशांत जलमार्गों में द्वीपों पर नए प्रशासनिक ज़िलों के निर्माण की घोषणा की गई थी, जिन पर वियतनाम और फिलीपींस के भी अपने दावे प्रस्तुत करते हैं।

नोट :

दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक स्थिति:

- दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण-पूर्व में स्थित है।
- यह चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है और इसमें स्पार्टली और पार्सल जैसे द्वीप समूह शामिल हैं।
- इसके आस-पास इंडोनेशिया का करिमाता, मलक्का, फारमोसा जलडमरूमध्य और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप आते हैं। दक्षिण चीन सागर का दक्षिणी भाग चीन की मुख्य भूमि को स्पर्श करता है, तो वहीं इसके दक्षिण–पूर्वी हिस्से पर ताइवान की दावेदारी है।
- दक्षिण चीन सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया से सीमा बनता है। पश्चिम में फिलीपींस है, तो दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका व बैंतुंग द्वीप हैं।

दक्षिण चीन सागर में विवाद के कारण:

- इस क्षेत्र में विवाद का मुख्य कारण समुद्र पर विभिन्न क्षेत्रों का दावा और समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन है।
- चीन दक्षिण-चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मूंगे के विस्तृत भंडार मौजूद हैं।
- मछली व्यापार में शामिल देशों के लिये यह जल क्षेत्र महत्त्वपूर्ण तो है ही साथ ही इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सामरिक महत्त्व भी बढ़ जाता है। जिस कारण भी चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है।

आसियान देशों द्वारा दक्षिण चीन सागर में चीन के विरोध का कारण :

- अप्रैल, 2020 में चीन द्वारा विवादित दक्षिण चीन सागर में पैरासेल आइलैंड के पास वियतनाम के एक मछली पकड़ने वाले पोत को डुबो दिया है।
- पारसेल को वियतनाम और ताइवान दोनों अपना हिस्सा मानते हैं। चीन के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए वियतनाम द्वारा इसे 'अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन' बताया गया।
- इसके आलावा चीन द्वारा फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हिस्से को अपने हैनान प्रांत का ज़िला घोषित कर दिया गया था।

दक्षिण चीन सागर में भारत की भूमिका:

- भारत स्पष्ट रूप से 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी , 1982' (United Nations Convention on the Law of the Sea) के सिद्धांतो के आधार पर दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र व निर्बाध जल परिवहन का समर्थन करता है।
- भारत का यह भी मानना है कि दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल क्षेत्र के सभी देशों को किसी भी प्रकार की धमकी और बल प्रयोग किये बिना आपसी विवादों को हल करना चाहिये, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो न चाहते हुए भी जटिलताएँ पैदा हो जाएंगी और क्षेत्र की शांति व स्थिरता को खतरा पैदा हो जाएगा।
- भारत, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य साज़ो सामान के आयात-निर्यात की गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इस प्रकार भारत पूर्वी एशिया खासतौर पर चीन के साथ विवाद में उलझे हुए देशों के महत्त्वपूर्ण सैन्य भागीदार के रूप में उभर सकता है।
- दक्षिण चीन सागर विवाद को भारत के लिये पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने के महत्त्वपूर्ण मौके के रूप में देखा जा रहा है।
- अमेरिका के साथ मिलकर भारत इस क्षेत्र के लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने में सहायता कर सकता है तथा इस प्रकार इस क्षेत्र में चीन की बढ़ रही आक्रामक भूमिका को संतुलित करने में भारत-अमेरिका का महत्त्वपूर्ण भागीदार बन सकता है।

निष्कर्ष:

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में चीन के इस कार्य को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से आसियान देशों द्वारा गैर ज़िम्मेदार कदम बताकर आलोचना की गई है। पूरा विश्व जब महामारी के खिलाफ एकजुट खड़ा है, ऐसे में दक्षिण चीन सागर में कोई भी कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा और स्थिरता को और अधिक बढ़ा सकती है। ऐसे समय में चीन पर सामरिक एवं आर्थिक कूटनीतिक दवाब बनाकर विवाद को बढ़ने से रोकने की आवश्यकता है । इन सबके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सख्ती से पालन करने की भी आवश्यक है।

नोट :

चीन पर पूर्ण प्रतिबंध: भारत पर प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही देश में चीन विरोधी स्वर तेज़ हो रहे हैं और देश में चीन के सामानों का बहिष्कार करने की मांग भी बढ़ती जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- हालाँकि इस घटनाक्रम से विभिन्न उद्योग निकायों के बीच भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो कि चीन के निर्यात पर प्रतिबंध लग जाने से भारतीय उद्योगों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।
- फार्मास्युटिकल्स से लेकर दूरसंचार और ऑटोमोबाइल से जुड़े उद्योग संघों का विचार है कि चीन के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करना तब तक भारत के हित में नही होगा जब तक भारत के घरेलू उद्योग की क्षमता का सही ढंग से विकास नहीं किया जाता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इससे पूर्व चीन के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही की जाती है तो यह भारत के निर्यात समेत भारत की अर्थव्यवस्था के लिये काफी नुकसानदायक साबित होगा।

चीन के आयात पर भारत की निर्भरता

- उल्लेखनीय है कि भारत के शीर्ष आयातों विशेषकर मध्यवर्ती उत्पादों और कच्चे माल में चीन का काफी बड़ा हिस्सा मौजूद है।
- चीन, भारत में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरण और उनके हिस्सों, परमाणु रिएक्टरों, जैविक एवं अकार्बनिक रसायनों और वाहनों एवं उनके हिस्सों आदि का शीर्ष निर्यातक रहा है।
- आँकड़े बताते हैं कि भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में चीन का कुल 45 प्रतिशत हिस्सा है।
- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अनुसार, भारत द्वारा विश्व से खरीदी जाने वाली लगभग एक-तिहाई मशीनरी और लगभग 40 प्रतिशत कार्बनिक रसायन चीन से ही आता है।
- इनमें से कई उत्पाद भारतीय निर्माताओं द्वारा तैयार माल के उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं, इस प्रकार चीन भारत की विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला में पूरी तरह से एकीकृत है।
  - उदाहरण के लिये भारत में बनने वाले कुछ मोबाइल फोन के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं, जिन्हें लगभग 90 प्रतिशत चीन से आयात किया जाता है।
- इसके अलावा निर्यात बाज़ार के रूप में भी चीन भारत का एक प्रमुख भागीदार है।
- 15.5 बिलियन डॉलर के साथ चीन भारतीय निर्यात का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है, वहीं इसका दूसरा पहलू यह है कि भारत चीन के कुल निर्यात का केवल 2 प्रतिशत का ही भागीदार है।

चीन पर प्रतिबंध का भारत पर प्रभाव

- फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल उद्योगों से संबंधित सभी उद्योग संघों ने चीन के आयात के पूर्ण बहिष्कार पर चिंता ज़ाहिर की है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (FIEO) के के अनुसार, कच्चे माल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण देश में चीन के सामान पर 'पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है।
- उदाहरण के लिये भारतीय दवा निर्माताओं द्वारा कई आवश्यक दवाओं के निर्माण के लिये लगभग 3.6 बिलियन डॉलर की सामग्री का आयात किया जाता है, जिसमें से लगभग 68 प्रतिशत हिस्सा चीन का है।
  - ध्यातव्य है कि यदि भारत सरकार द्वारा फार्मास्यूटिकल्स आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो भारतीय बाज़ारों में दवाओं की काफी कमी आ सकती है।

क्या हैं विकल्प ?

- विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में बने अंतिम उत्पादों का बहिष्कार करने अथवा न करने का निर्णय व्यक्ति विशेष पर छोड़ा दिया जाना चाहिये, जबकि चीन से आयात किये जाने वाले सस्ते कच्चे माल पर शुल्क बढ़ाना स्पष्ट तौर पर एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है।

नोट :

- इससे भारत को अल्पावधि में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इस अवधि में भारत वैकल्पिक व्यापार भागीदार भी खोज सकेगा।
- CII के अनुसार, अमेरिका, वियतनाम, जापान, मैक्सिको और कुछ यूरोपीय देशों को महत्त्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, वाहनों और दवा घटकों के लिये वैकल्पिक आयात के रूप में देखा जा सकता है।
- हालाँकि इन वैकल्पिक स्रोतों से कच्चे माल की लागत अधिक होगी और भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तु के लिये अधिक मूल्य देना पड़ेगा।
- FIEO के अनुसार, भारत को चीन और हॉन्गकॉन्ग के साथ अपने व्यापार की निर्भरता कम करने के लिये एक विस्तृत योजना लागू करनी होगी।
- भारत सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की शुरुआत की है, आवश्यक है कि भारत के घरेलू उद्योगों को भी एक विकल्प के रूप में देखा जाए और उनके विकास के लिये यथासंभव प्रयास किये जाएँ।

खोलोंगछु जलविद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत एवं भूटान ने 600 मेगावाट क्षमता वाली खोलोंगछु जलविद्युत परियोजना (Kholongchhu Hydropower Project) हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु:

- यह भारत एवं भूटान के बीच पहली संयुक्त उद्यम परियोजना होगी।
- इस परियोजना के संयुक्त उद्यम साझेदारों में भारत का सतलुज जल विद्युत निगम (Satluj Jal Vidyut Nigam- SJVN) और भूटान का ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन (Druk Green Power Corporation- DGPC) शामिल होंगे।
- उल्लेखनीय है कि भारत ने वर्ष 2008 में भूटान को वर्ष 2020 तक कुल 10,000 मेगावाट विद्युत क्षमता विकसित करने में सहायता का आश्वासन दिया था। भारत की इस प्रतिबद्धता के तहत भूटान में विकसित की जाने वाली चार परियोजनाओं में खोलोंगछु जलविद्युत परियोजना एक अहम परियोजना है।
- 600 मेगावाट की इस रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना (Run-Of-The-River Project) को पूर्वी भूटान के त्राशियांगत्से (Trashiyangtse) ज़िले में खोलोंगछु नदी (Kholongchhu River) के निचले हिस्से पर स्थापित किया जायेगा।
- इस परियोजना के वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में पूरा होने की संभावना है।
- इस परियोजना का निर्माण दोनों देशों के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम भागीदारी के रूप में किया जाएगा।

महत्त्व:

- रियायत अवधि: भारत सरकार अनुदान के रूप में भूटानी संयुक्त उद्यम कंपनी DGPC को इक्विटी हिस्सेदारी प्रदान करेगी।
  - एक बार परियोजना चालू हो जाने के बाद, संयुक्त उद्यम के सहयोगी इसे 30 वर्षों के लिये संचालित करेंगे जिसे 'रियायत अवधि' कहा जाएगा।
  - इसके बाद इस परियोजना का पूर्ण स्वामित्व भूटान सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा जो रॉयल्टी के रूप में इस परियोजना से विद्युत प्राप्त करेगा।
- द्विपक्षीय सहयोग: भूटान में पनबिजली का दोहन भारत एवं भूटान के बीच सफल द्विपक्षीय सहयोग एवं आपसी जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- रणनीतिक महत्त्व: BIMSTEC का सदस्य होने के कारण भूटान, भारत के लिये भू-सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच इस तरह की विकास परियोजनाओं के संदर्भ में समर्थन एवं सहायता की साझा भावना से भारत अपनी एक्ट ईस्ट-लुक ईस्ट नीति को प्रभावी बना सकता है।
- ऊर्जा व्यापार: यह परियोजना ऊर्जा उत्पादन एवं ऊर्जा व्यापार में एक अहम भूमिका निभायेगी। यह परियोजना भारत के लिये एक स्वच्छ एवं स्थिर ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान देगी।

नोट :

- रोज़गार के अवसर: इस परियोजना की निर्माण गतिविधियों के शुरू होने से भूटान में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
- आर्थिक संवृद्धि: यह परियोजना भूटान के आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी और भूटान में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

चिंताएँ:

- पावर टैरिफ: वर्ष 2014 में शुरू हुई परियोजना दिसंबर 2016 के बाद से भारत के 'क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी' (Cross Border Trade of Electricity- CBTE) के नए बिजली शुल्क दिशा-निर्देशों पर टिकी हुई थी जब तक कि भारत सरकार ने भूटान सरकार के साथ बातचीत के बाद अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन नहीं किया इसलिये पावर टैरिफ संशोधन जिसमें परिचालन एवं रखरखाव शुल्क में वृद्धि शामिल है, विवाद की जड़ बन सकता है।
- संयुक्त उद्यम मॉडल का जोखिम: एक प्रमुख मुद्दा इस परियोजना के लिये संयुक्त उद्यम मॉडल के जोखिम के बारे में है क्योंकि भूटान ने परियोजना में देरी के कारण होने वाले अधिक वित्तीय जोखिम पर चिंता व्यक्त की थी।
  - इस परियोजना में होने वाली देरी से भूटान की आर्थिक वृद्धि के साथ ही इसका निर्यात एवं राजस्व भी प्रभावित हुआ है। उदाहरण के लिये विश्व बैंक ने जलविद्युत परियोजना के निर्माण में देरी एवं बिजली उत्पादन में गिरावट से सीधे-सीधे भूटान की विकास दर में गिरावट का उल्लेख किया है।
  - हालाँकि भारत ने कहा है कि वह वाणिज्यिक मॉडल को प्राथमिकता देता है क्योंकि यह न केवल जोखिम साझा करता है बल्कि भारतीय PSU को समय एवं लागत पर अधिक जवाबदेह बनाता है क्योंकि वे ठेकेदारों के बजाय निवेशक बन जाते हैं।

भारत-भूटान जलविद्युत परियोजनाएँ:

- अब तक भारत सरकार ने भूटान में कुल 1416 मेगावाट की तीन पनबिजली परियोजनाओं- 336 मेगावाट की चुखा (Chukha) परियोजना, 60 मेगावाट की कुरिछू (Kurichhu) परियोजना एवं 1020 मेगावाट की ताला (Tala) परियोजना का निर्माण किया है जो भारत को अधिशेष बिजली का परिचालन एवं निर्यात कर रहे हैं।
- भारत ने हाल ही में 720 मेगावाट की मंगदेछु (Mangdechhu) जलविद्युत परियोजना को पूरा किया है और दोनों पक्ष 1200 मेगावाट की पुनात्सांगछू-1 (Punatsangchhu-1) एवं 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-2 (Punatsangchhu-2) सहित अन्य परियोजनाओं को पूरा करने हेतु प्रयासरत हैं।

आगे की राह:

- भारत एवं भूटान ने पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय सहयोग के सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक 'पनबिजली विकास' के महत्त्व पर ज़ोर दिया है।
- खोलोंगछु परियोजना दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग की एक निरंतरता है जो दोनों देशों की दोस्ती की प्रगाढ़ता को दर्शाता है।
- हालाँकि इस परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण लागत में वृद्धि हुई है और स्थानीय समुदाय के तत्काल लाभ के अवसरों में चूक हुई है इसलिये निर्माण शुरू होने से पहले एक परियोजना के सभी विवरणों पर पूरी तरह से काम किया जाना चाहिये।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

SpaceX का अंतरिक्ष कैप्सूल ISS पहुंचा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन' (National Aeronautical and Space Administration- NASA) ने निजी कंपनी SpaceX के रॉकेट से दो अंतरिक्ष यात्रियों को 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' (International Space Station- ISS) भेजा है। इसी के साथ दुनिया में 'वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा' की शुरुआत हो गई है।

प्रमुख बिंदु:

- अंतरिक्ष यात्री डग हार्ले (Doug Hurley) और बॉब बेनकेन (Bob Behnken) SpaceX के रॉकेट Falcon 9 की मदद से 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' पहुँचे हैं।
- यात्रियों को जिस क्रू कैप्सूल के माध्यम से ले जाया गया है उसे 'क्रू ड्रैगन' (Crew Dragon) नाम दिया गया है।

अंतरिक्ष यान की यात्रा:

- SpaceX का फाल्कन- 9 दो चरणों वाला रॉकेट है जिसने 'फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर' (Florida's Kennedy Space Center) से यात्रा प्रारंभ की।
- SpaceX के कैप्सूल को ISS के साथ 'डॉकिंग प्रक्रिया' को पूरा करने में 28,000 किमी. प्रति घंटे की गति से 19 घंटे का समय लगा।
  - डॉकिंग प्रक्रिया में दो अलग-अलग स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले वाहनों को एक साथ जोड़ा जाता है।
- ISS पहुँचने के साथ ही यात्रा का प्रथम चरण पूरा हो गया है परंतु मिशन को तभी सफल घोषित किया जाएगा जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आएंगे।

अंतरिक्ष यात्रा का शरीर पर प्रभाव:

- पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सीमा के ऊपर विकिरण के कारण कैंसर का खतरा बढ़ जाता है साथ में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और संज्ञानात्मक क्रियाएँ (पहचान संबंधी समस्याएँ) भी प्रभावित हो सकते हैं।
- एक लंबे समय तक एक छोटी सी जगह में लोगों के समूहों को रखा जाता है, तो उनके बीच व्यवहार संबंधी मुद्दे उभर आते हैं चाहे वे कितने भी प्रशिक्षित क्यों न हों।
- एक अंतरिक्ष यात्री को संचार में देरी, उपकरणों की विफलता या चिकित्सा- आपातकाल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- मानक गुरुत्वाकर्षण में कमी या वृद्धि का हड्डियों, मांसपेशियों, हृदय प्रणाली सभी पर प्रभाव पड़ता है।
- रॉकेट में यात्रियों के लिये आवश्यक तापमान, दबाव, प्रकाश, ध्वनि आदि को मानव आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करना होता है

रूस पर अमेरिका की निर्भरता:

- नासा द्वारा वर्ष 2011 में 'अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम' (Space Shuttle Programme) समाप्त होने की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद से रूसी 'सोयुज़' एकमात्र ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को ISS में आवागमन की सुविधा देते हैं। NASA रूस के 'सोयुज़ स्पेस शटल' कार्यक्रम पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है।

निजी क्षेत्र का सहयोग:

- नासा ने अपने 'वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम' (Commercial Crew Programme- CCP) के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों SpaceX और बोइंग (Boeing) के साथ अंतरिक्ष यान निर्माण के लिये समझौते किया था। अमेरिका द्वारा भविष्य में अंतरिक्ष यान का उपयोग करने के लिये लगभग 7 बिलियन डॉलर का अनुबंध किया गया था।

नोट :

- लेकिन बोइंग कंपनी, विगत वर्ष किये गए परीक्षण के असफल रहने के बाद SpaceX कंपनी से अलग हो गई।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अमेरिका 'वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम' के तहत ऐसी कंपनियों को निवेश के लिये आमंत्रित कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तथा पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष परिवहन सेवाएँ प्रदान कर सकें।

मिशन की सफलता का महत्त्व:

- दोनों यात्रियों के प्रवास के दौरान व्यापक परीक्षण किये जाएंगे ताकि भविष्य में ISS की वाणिज्यिक यात्रा की दिशा में अमेरिका की दक्षता को प्रमाणित किया जा सके।
- इससे अमेरिका की 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' आधारित मिशन के लिये रूस पर निर्भरता में कमी आएगी।
- निजी क्षेत्र के प्रवेश से अन्य ग्रहों पर आधारित अमेरिका के अंतरिक्ष मिशनों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

रूस की प्रतिक्रिया:

- रूस का मानना है कि एक बार 'क्रू ड्रैगन' की सेवा प्रारंभ होने के साथ ही अमेरिका-रूस सहयोग समाप्त नहीं होगा।
- नासा अभी भी कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को सोयुज रॉकेट से अंतरिक्ष भेजने की योजना बना रहा है, जिसमें प्रत्येक सीट की कीमत लगभग 80 मिलियन डॉलर है।

नासा के अन्य अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम:

- अमेरिका वर्ष 1950 के दशक से मंगल ग्रह पर एक चालक दल मिशन भेजने की योजना बना रहा है। अनेक अध्ययनों के बावजूद अमेरिका द्वारा इस दिशा में परीक्षण नहीं किये गए। वर्तमान समय में वर्ष 2030 तक मंगल ग्रह पर मानव मिशन को भेजने की योजना है।
- अमेरिका वर्ष 2024 तक आर्टेमिस मिशन (Artimis mission) के माध्यम से चंद्रमा पर पुन: मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है।

मिसाइल पार्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 28 मई, 2020 को भारतीय पूर्वी नौसेना कमान (Eastern Naval Command-ENC) 'आईएनएस कलिंग' में एक मिसाइल पार्क (Missile Park) 'अग्निप्रस्थ' (Aganeeprastha) की आधारशिला रखी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- इस पार्क को उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 1981 में 'पूर्वी नौसेना कमान' की स्थापना के बाद से आईएनएस के 'ऑप-सपोर्ट बेस'(Op-Support Base) में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं।
- वर्ष 2018-19 में आईएनएस कलिंग को प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र का पुरस्कार भी दिया जा चुका है।
- पार्क की स्थापना का उद्देश्य वर्ष 1981 से अब तक INS कलिंगा के मिसाइल इतिहास से लोगों को परिचित कराना है।
- इस मिसाइल पार्क की स्थापना मिसाइलों और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (Ground Support Equipment- GSE) की प्रतिकृति के साथ की जाएगी जो यूनिट द्वारा नियंत्रित मिसाइलों के विकास को प्रदर्शित करता है।
- पार्क का मुख्य आकर्षण पी-70 'अमेटिस्ट'(P-70 Ametist) है, जो पुराने '(चार्ली-1 पनडुब्बी) शस्त्रागार से पानी के नीचे प्रक्षेपित एक एंटी-शिप मिसाइल है। यह एंटी-शिप मिसाइल वर्ष 1988-91 के दौरान भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही थी।
- यह पार्क स्कूली बच्चों से लेकर नौसेना कर्मियों तथा उनके परिवारों को मिसाइलों और संबंधित प्रौद्योगिकियों के बारे में जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रेरित करने के लिये एक स्थान प्रदान करेगा।

आईएनएस कलिंग:

- आईएनएस कलिंग भारतीय नौसेना का पूर्वी नौसेना कमान क्षेत्र है।
- यह स्टेशन 734.1 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।

नोट :

- आईएनएस कलिंग को 21 नवंबर 1985 में कमीशन किया गया था।
- आईएनएस कलिंग विशाखापट्टनम, भीमुनिपटनम बीच रोड पर स्थित है जो विशाखापट्टनम नेवल बेस से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- यह पूर्वी बेड़े के जहाज़ों के लिये उन्नत मिसाइलों को तैयार करने, भंडारण और वितरित करने के लिये ज़िम्मेदार है।

लेज़र लेखन प्रक्रिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science and Technology- DST) के अधीन स्थित स्वायत्त संस्थान 'इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी' (Institute of Nano Science and Technology-INST), मोहाली के शोधकर्त्ताओं द्वारा 'ए रैपिड वन-स्टेप लो पावर लेज़र राइटिंग प्रोसिस'(A Rapid One-Step Low Power Laser Writing Process) के माध्यम से, 2D सामग्री पर उचित ज्यामिति एवं स्थान के साथ नियंत्रित नैनो संरचना को विकसित करने का एक नया तरीका विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- INST के शोधकर्त्ताओं द्वारा एक हाइब्रिड 'सर्फेस-एन्हांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी' (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy- SERS) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया, जिस पर मोलिब्डेनम डाइ सल्फ़ाइड (Molybdenum disulfide-MoS_2) नैनोसंरचना को सोने के नैनोप्रार्टिकल्स (Gold NanoParticles- AuNPs) से सजाया गया।
  - SERS आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक सेंसिंग तकनीक है, जिसमें अणुओं द्वारा बिखरे हुए इनलेस्टिक लाइट (Aelastic Light) की तीव्रता को तब बढ़ाया जाता है, जब तक अणुओं को सिल्वर या गोल्ड नैनोपार्टिकल्स (NPs) जैसी नालीदार धातु की सतहों पर अवशोषित किया जाता है।
  - यह अणुओं में रमन प्रकीर्णन प्रकाश (Raman Scattering Light) की तीव्रता को तेज़ करता है, जिससे अणुओं का प्रभावी विश्लेषण होता है।
- प्रत्यक्ष लेज़र लेखन (माइक्रोस्कोपिक वर्ड के लिये 3 डी प्रिंटिंग) का उपयोग मोलिब्डेनम डाइ सल्फाइड की सतह पर कृत्रिम किनारों को बनाने में किया गया जिन्होंने सटीकता और नियंत्रण के साथ स्थानीयकृत हॉटस्पॉट (Localized Hotspots) का निर्माण किया।
  - इस प्रक्रिया में एक पारंपरिक रमन स्पेक्ट्रोमीटर की कम तीव्रता वाली केंद्रित लेज़र बीम का उपयोग किया गया जो कृत्रिम किनारों के निर्माण के साथ-साथ गोल्ड नैनोपार्टिकल्स के बेहतर चित्रण में भी सक्षम है।
  - इस नैनो संरचना को 2 डी मोलिब्डेनम डाइ सल्फाइड की शीट पर बनाया गया।
- हाइब्रिड सर्फेस-एन्हांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लेटफॉर्म, (Analytes) (ऐसा पदार्थ जिसके रासायनिक घटकों को पहचाना और मापा जा रहा है) को अतिसंवदेनशील और पुनरुत्पादनीय रूप में प्रस्तुत करने के लिये नियंत्रित स्थानीयकृत हॉटस्पॉट प्रदान करता है।

शोध का महत्त्व:

- SERS डिटेक्शन अपनी उच्च संवेदनशीलता और फिंगरप्रिंटिंग पहचान क्षमताओं के कारण विभिन्न प्रकार के एनालिटिक्स का पता लगाने के लिये एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभर रहा है।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग विभिन्न बायोमार्करों के स्पेक्ट्रोस्कोपिक का पता लगाने के लिये एक एंटीबॉडी के साथ संयोजन में किया जा सकता है (एक उद्देश्य माप जो किसी सेल या किसी जीव में एक पल में क्या हो रहा है, उसे पहचान लेता है)।

रमन प्रभाव:

- यह एक स्पेक्ट्रोस्कोपी अवधारणा है, जिसे 28 फरवरी 1928 में प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा खोजा गया।
- रमन प्रभाव अणुओं द्वारा फोटॉन का एक अव्यवस्थित प्रकीर्णन है जिसमे उच्च कंपन या घूर्णी ऊर्जा स्तर विद्यमान होते हैं जिसे रमन स्कैटरिंग प्रभाव भी कहा जाता है।

नोट :

- दूसरे शब्दों में, यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में एक प्रकार का परिवर्तन है जो तब होता है जब प्रकाश की किरणें अणुओं द्वारा विक्षेपित हो जाती है।
- रमन प्रभाव रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिये एक आधार निर्मित करता है, जो सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये दवाई विक्रेत्ताओं तथा भौतिकविदों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण प्रोत्साहन हेतु योजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के व्यापक पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु तीन प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की हैं।

प्रमुख बिंदु

- इन तीन परियोजनाओं में शामिल हैं- (1) उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme-PLI) (2) इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एवं सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्द्धन के लिये योजना (Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors-SPECS) (3) संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना (Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme)
- इन तीनों योजनाओं के लिये लगभग 50,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। ये योजनाएँ घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग के समक्ष मौजूदा चुनौतियों को समाप्त करेंगी और देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र को मज़बूत बनाएंगी।
- उक्त वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर GDP के लक्ष्य में उल्लेखनीय योगदन देंगी।
- अनुमान के अनुसार, इन योजनाओं से लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष और 15 लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme-PLI)

- भारत का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र पर्याप्त बुनियादी ढाँचे और घरेलू आपूर्ति की कमी तथा वित्त की उच्च लागत, सीमित डिज़ाइन क्षमताओं और कौशल विकास में अपर्याप्तता के कारण तनाव का सामना कर रहा है।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति-2019 में सभी महत्त्वपूर्ण घटकों को देश में विकसित करने की क्षमता को प्रोत्साहित कर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने हेतु उद्योग के लिये अनुकूल माहौल बना कर भारत को 'इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (Electronics System Design and Manufacturing-ESDM)' के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
- उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI) के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन निर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में व्यापक निवेश को आकर्षित करने के लिये उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- इस योजना से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान मिल सकेगी।
- इस योजना के तहत भारत में निर्मित और लक्षित क्षेत्रों में शामिल वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष) पर पात्र कंपनियों को 5 वर्ष की अवधि के लिये 4-6 प्रतिशत तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एवं सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्द्धन हेतु योजना (Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors-SPECS)

- उच्च घरेलू मूल्य संवर्द्धन के साथ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिये आपूर्ति श्रृंखला का विकास आवश्यक है।
- इलेक्ट्रानिक घटक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की बुनियादी इकाई होते हैं और इसमें अधिकतम मूल्यवर्द्धन होता है।

नोट :

- इसलिये भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के समग्र दीर्घकालिक और सतत् विकास हेतु एक जीवंत इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र काफी महत्त्वपूर्ण है।
- इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एवं सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्द्धन हेतु यह योजना (SPECS) देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एवं सेमीकंडक्टरों के घरेलू विनिर्माण से संबंधित बाधाओं को कम करने में मदद करेगी।
- इस योजना के तहत कुछ निश्चित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिये पूंजीगत व्यय पर 25 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना नई इकाइयों में निवेश और मौजूदा इकाइयों की क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरण/विविधीकरण पर लागू होगी।

संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना
(Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme)

- गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे को लेकर उद्योग के समक्ष मौजूदा चुनौतियों का सामना करने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब बनाने हेतु देश में एक मज़बूत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य उद्योग की कमियों को संबोधित करना और विश्व स्तर के बुनियादी ढाँचे के निर्माण को समर्थन प्रदान करना है।
- यह योजना आपूर्ति श्रृंखला में जवाबदेही को बढ़ाकर आपूर्तिकर्त्ताओं के समेकन और लॉजिस्टिक्स की लागत कम करके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के मध्य संबंध को मज़बूत करेगी।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का संवर्द्धन 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक रहा है। सरकार द्वारा इस संदर्भ में किये गए विभिन्न प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014 के 29 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019 में 70 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।
  - इस अवधि के दौरान मोबाइल फोन विनिर्माण की बढ़ोतरी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है।
- जहाँ एक ओर वर्ष 2014 में भारत में केवल दो मोबाइल फैक्ट्रियों की तुलना में अब भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन 29 करोड़ इकाइयों तक पहुँच गया जो 1.70 लाख करोड़ रुपए के बराबर है।
- जहाँ वित्तीय वर्ष 2014-15 में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात 38,263 करोड़ रुपए का था, वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 61,908 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में वर्ष 2012 में भारत का हिस्सा केवल 1.3 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2018 में बढ़कर 3 प्रतिशत तक पहुँच गया है।

वरित प्रतिक्रिया नियामक सक्षम तंत्र

चर्चा में क्यों:

हाल ही में 'जैव प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Biotechnology) द्वारा COVID -19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जैव सुरक्षा नियामक को सरल एंव और अधिक कारगर बनाने के लिये तथा इस महामारी में संलग्न शोधकर्त्ताओं और उद्योगों को सुविधा प्रदान करने के लिये कई सक्रिय कदम उठाए गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- जैव सुरक्षा नियामक, जीवों से संबंधित पुनरावर्ती डीएनए प्रौद्योगिकी (Recombinant DNA Technology) तथा खतरनाक सूक्ष्मजीवों पर अनुसंधान और विकास में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

नोट :

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

भारतीय जैव सुरक्षा ज्ञान पोर्टल का संचालन:

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे मई, 2019 में लॉन्च कर पूर्ण रूप से संचालित किया गया है। वर्तमान समय में यह केवल सभी नवीन आवदेनों को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर रहा है।
- इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता आई है।

अनुसंधान और विकास उद्देश्य के लिये आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों और उत्पाद के आयात, निर्यात और विनिमय पर संशोधित सरलीकृत दिशा निर्देशों की अधिसूचना:

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनवरी, 2020 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गए।
- जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संस्थागत जैव सुरक्षा समिति को आयात निर्यात के आवेदनों पर निर्णय लेने और जोखिम समूह-1 (Risk Group-1) और जोखिम समूह-2 (Risk Group-2) में शामिल मदों के लिये अनुसंधान और विकास उद्देश्य के लिये आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीवों और उत्पाद के आदान-प्रदान करने से संबंधित निर्णय करने का अधिकार दिया गया है।

COVID-19 पर अनुसंधान और विकास की सुविधा:

- तेज़ी से फैलती COVID-19 महामारी के लिये अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा COVID-19 पर शोध कर रहे शोधकर्त्ताओं और उद्योगों को शामिल करने के लिये अनेक कदम उठाए गए हैं।
- इसके अलावा डीबीटी द्वारा COVID -19 पर निम्नलिखित दिशा-निर्देश, आदेश और जाँच सूची जारी की है, जो इस प्रकार है-
  - 20 मार्च, 2020 को COVID-19 के लिये टीका, निदान, रोग निरोधी उपाय और रोग चिकित्सा विकसित करने के आवेदन के लिये त्वरित प्रतिक्रिया नियामक ढाँचा (रैपिड रिस्पांस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क) अधिसूचित किया गया।
  - जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 08 अप्रैल, 2020 को 'इंटरेक्टिव गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन लेबोरेटरी बायोसेफ्टी टू हैंडल COVID-19 स्पेसिमन्स'(Interim Guidance Document on Laboratory Biosafety to Handle COVID-19 Specimens) को अधिसूचित किया।
  - 30 जून, 2020 तक भारतीय बायोमेडिकल कौशल प्रमाणन (Indian Biomedical Skill Certification- IBSC) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई है।

पुनरावर्ती डीएनए प्रौद्योगिकी (Recombinant DNA Technology):

- इस तकनीकी में दो या दो से अधिक स्रोतों से DNA को संयोजित करके पुनरावर्ती DNA बनाया जाता है।
- इस प्रक्रिया में, अक्सर विभिन्न जीवों के DNA को जोड़ना पड़ता है।
- यह प्रक्रिया DNA को काटने तथा पुन: जोड़ने की क्षमता पर निर्भर करती है।
- जिस जीन को प्रवेश कराया जाता है उसको रेकॉम्बीनैंट जीन (Recombinant Gene)कहते है तथा इस पूरी तकनीक को रेकॉम्बीनैंट DNA टेक्नोलॉजी (Recombinant DNA Technology) कहा जाता है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology):

- वर्ष 1986 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई।
- यह राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, जो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, के लिये सहायता अनुदान की सहायता प्रदान करने के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है।

अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट

चर्चा में क्यों ?

भारत के 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipments- PPEs), इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों, कपड़े सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणुरहित करने के लिये 'अल्ट्रा स्वच्छ' (Ultra Swachh) नामक एक कीटाणुशोधन यूनिट विकसित किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- इस यूनिट का विकास DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसीन एंड एलाइड साइंसेस (Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences- INMAS) तथा गाज़ियाबाद स्थित मैसर्स जेल क्राफ्ट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड (M/s Gel Craft Healthcare Private Ltd) ने संयुक्त रूप से किया है।
- 'अल्ट्रा स्वच्छ' डिसइंफेक्शन यूनिट के निर्माण में उन्नत ऑक्सीकरणी प्रक्रिया (Advanced Oxidative Process) का प्रयोग किया गया है।
- इस प्रणाली को औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है।
- इस प्रक्रिया में कीटाणुशोधन (Disinfection) के लिये कई अवरोध विघटन पद्धतियों (Multiple Barrier Disruption) को शामिल करते हुए ओज़ोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी (Ozonated Space Technology) का उपयोग किया गया हैं।
- इस यूनिट को कार्य करने के लिये 15 एम्पीयर, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है।

विशेषताएँ

- ओज़ोन सीलेंट तकनीक (Ozone Sealant Technology) के साथ निर्मित यह द्विस्तरीय प्रणाली है जो आवश्यक कीटाणुशोधन के लिये ओज़ोन की ट्रैपिंग सुनिश्चित करती है।
- इस तंत्र में पर्यावरण अनुकूल निकास (केवल ऑक्सीजन और पानी के लिये) सुनिश्चित करने के लिये एक उत्प्रेरक परिवर्तक (Catalytic Converter) भी लगा हुआ है।
- शीघ्र कीटाणुशोधन चक्र के लिये इस प्रणाली को स्वचालन तकनीकी (Automation Technique) के साथ विकसित किया गया है।
- लंबी अवधि के लिये सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने हेतु इस प्रणाली में आपातकालीन शटडाउन, डोर इंटरलॉक, ड्यूल डोर, डिले साइकिल और लीक मॉनिटर आदि जैसी विभिन्न सुरक्षात्मक विशेषताएँ मौजूद हैं।

उपलब्धता

- अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट के रूपों में उपलब्ध है-
  - त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी ओज़ोनेटेड स्पेस और रेडिकल डिस्पेंसर का संयोजन है।
  - ओज़ोनेटेड स्पेस (Ozonated Space)
    - त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी (Trinetra Technology)
- एक समय में बड़ी मात्रा में कीटाणुशोधन करने के लिये इंडस्ट्रियल कैबिनेट का आयाम 7'x4'x3.25' है। उद्योगों के लिये विभिन्न आकार के कैबिनेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

भारत में कोरोना वायरस के अद्वितीय लक्षण (A3i)

चर्चा में क्यों ?

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) के 'इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी' (Institute of Genomics and Integrative Biology) तथा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (Centre for Cellular and Molecular Biology) के शोधकर्त्ताओं ने भारत में एक नए कोरोना वायरस की पहचान की है।

प्रमुख बिंदु:

- कोरोनावायरस का यह क्लेड/प्रकार संभवत: भारत में दूसरा सबसे प्रचलित प्रकार है और इसमें विश्व स्तर के 3.5% जीनोम शामिल हो सकते हैं।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा चिह्नित कोरोना वायरस के इस क्लेड/प्रकार का नाम A3i है। गौरतलब है कि शोधकर्त्ताओं द्वारा विश्लेषित कोरोनावायरस के 361 जीनोम में से 41% जीनोम A3i से संबंधित हैं।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि भारत में कोरोनावायरस का सबसे प्रमुख क्लेड (Clade) A2a है और शोधकर्त्ताओं द्वारा विश्लेषित कोरोनावायरस के 361 जीनोम में से 45% जीनोम A2a से संबंधित हैं।
  - क्लेड (Clade): SARS-CoV-2 का क्लैड/प्रकार वायरस का एक समूह है जिन्हें जीनोम के कुछ हिस्सों में विशेष उत्परिवर्तन या समानता के आधार पर एक साथ समूहीकृत किया गया है।
- A3i के अनुक्रमण में चार स्थानों पर भिन्नता के कारण यह दूसरे वायरस से अलग है।
- वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार, A2a की तुलना में A3i का उत्परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है जो इसके प्रसार को रोकने का संभावित कारण हो सकता है।
- इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि A3i अत्यधिक घातक है या इससे ज्यादा मृत्यु होती है।
- A3i का प्रसार तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और दिल्ली में अत्यधिक है।
- विश्वभर में 11 प्रकार के SARS-CoV-2 की पहचान की गई है जिनमें से भारत में 6 प्रकार के वायरस चिह्नित किये गए हैं।
- उत्परिवर्तित होने के पश्चात् A2a फेफड़ों को अत्यधिक प्रभावित करता है। वर्तमान में दुनिया भर में A2a का प्रसार सबसे अत्यधिक है।
- पिछले अध्ययनों से पता चला है कि टाइप ओ (Type O) वायरस सबसे पुराना था जिसे चीन में चिह्नित किया गया था।
- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research-ICMR) के अनुसार, भारत में SARS-CoV-2 वायरस के तीन प्रमुख क्लेड/प्रकार प्रचलित हैं जिनके स्रोत वुहान, अमेरिका और यूरोप हैं।

वर्गीकरण का महत्त्व:

- इस तरह के वर्गीकरण से यह जानने में आसानी होती हैं कि वायरस कितने खतरनाक हैं और उनके प्रसार की गति क्या है।
- ये वर्गीकरण कुछ विशेष प्रकार के टीकों से जोखिम को कम किये जा सकने की संभावना का भी पता लगाने में सहायक साबित हो सकते हैं।

कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (Centre for Cellular & Molecular Biology- CCMB):

- 'कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र' आधुनिक जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है।
- CCMB की शुरुआत 1 अप्रैल, 1977 को एक अर्द्ध-स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।
- उद्देश्य:
  - आधुनिक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान का संचालन करना।
  - जीव विज्ञान के अंतर-अनुशासनात्मक क्षेत्रों में नई और आधुनिक तकनीकों के लिये केंद्रीकृत राष्ट्रीय सुविधाओं को बढ़ावा देना।

163348(2002 NN4) क्षुद्रग्रह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration-NASA) ने घोषणा की है कि एक विशाल क्षुद्रग्रह के पृथ्वी (सुरक्षित दूरी पर) से गुजरने की उम्मीद है। इस विशाल क्षुद्रग्रह को '163348(2002 NN4)' नाम दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि '163348(2002 NN4)' क्षुद्रग्रह की खोज जुलाई 2002 में की गई थी।
- इस क्षुद्रग्रह को 'संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह' (Potentially Hazardous Asteroid- PHA) और 'नीयर अर्थ ऑब्जेक्ट (Near Earth Object)' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नोट :

- नासा की 'जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी' (Jet Propulsion Laboratory- JPL) के अनुसार, '163348(2002 NN4)' क्षुद्रग्रह का व्यास 250-570 मीटर के बीच हो सकता है।
- वैज्ञानिकों द्वारा '163348(2002 NN4)' क्षुद्रग्रह के घूर्णन का अवलोकन किया गया है। यह प्रत्येक 14.50 दिनों में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है।
- वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह क्षुद्रग्रह 5.2 किमी प्रति सेकंड या 11,200 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरेगा। इसके पृथ्वी से 5.1 मिलियन किलोमीटर दूरी से गुजरने का अनुमान है।

संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह (Potentially Hazardous Asteroid-PHA):

- संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह ऐसे क्षुद्रग्रह होते हैं जिनके पृथ्वी के करीब से गुजरने से पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।
- संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह की श्रेणी में उन क्षुद्रग्रह को रखा जाता है जिनकी 'मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस' (Minimum Orbit Intersection Distance- MOID) 0.05AU या इससे कम हो। साथ ही 'एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड' (Absolute Magnitude-H) 22.0 या इससे कम हो। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को AU से इंगित करते हैं।

नियर अर्थ ऑब्जेक्ट (Near Earth Object):

- 'नियर अर्थ ऑब्जेक्ट' ऐसी पिंड/क्षुद्रग्रह या धूमकेतु होते हैं जो पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न करते हुए उसकी कक्षा के करीब से गुजरते हैं। ये क्षुद्रग्रह ज्यादातर बर्फ और धूल के कण से मिलकर बने होते हैं।
- गौरतलब है कि पृथ्वी पर जीवन के विलुप्त होने के उन सभी कारणों में से एक पृथ्वी से क्षुद्रग्रह का टकराना माना जाता है।
- वैज्ञानिकों ने क्षुद्रग्रह से बचाव हेतु निम्नलिखित तरीके सुझाए हैं-
  - पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ही क्षुद्रग्रह को नष्ट कर देना।
  - एक अंतरिक्ष यान की सहायता से क्षुद्रग्रह को पृथ्वी की कक्षा से अलग कर देना।

क्षुद्रग्रह (Asteroid):

- क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पिंड होते हैं। क्षुद्रग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है।
- हमारे सौरमंडल में बहुत सारे क्षुद्रग्रह हैं। उनमें से ज़्यादातर क्षुद्रग्रह मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट (Main Asteroid Belt) में पाए जाते हैं। यह मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच के क्षेत्र में स्थित है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 100 वर्षों तक 140 मीटर से बड़े किसी भी क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना नहीं है।

लॉकडाउन में पुरातत्त्वविदों द्वारा कार्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में COVID-19 महामारी के चलते जहाँ विश्व स्तर पर पुरातत्त्वविदों को स्थलों/साइट्स की खुदाई करने से रोक दिया गया है, वहीं यूनाइटेड किंगडम के पुरातत्त्वविदों के एक दल द्वारा अपने शोध कार्य को घर से ही 'लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग' (Light Detection and Ranging- LiDAR) तकनीकी के माध्यम से जारी रखा गया।

प्रमुख बिंदु:

- पुरातत्त्वविदों के दल द्वारा हवाई सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा के माध्यम से LiDAR तकनीकी का प्रयोग करते हुए हज़ारों डेटा छवियों का विश्लेषण किया।
- दल द्वारा हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से इन चित्रों को दो स्रोतों से प्राप्त किया गया है, पहला टेलस साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट (Tellus South West Project) नामक एक अनुसंधान परियोजना से तथा दूसरा यू.के. पर्यावरण एजेंसी द्वारा।

नोट :

- डेटा छवियों का विश्लेषण करने के दौरान दल को निम्नलिखित साइटों के बारे में जानकारी मिली-
  - दो रोमन सड़कों के हिस्से प्राप्त हुए।
  - 30 प्रागैतिहासिक काल के बड़े रोमन तटबंधों के बाड़ों का पता लगाया गया।
  - 20 प्रागैतिहासिक काल के मृतक टीले, मध्ययुगीन काल के सैकड़ों खेत तथा कुछ खदानों की पुष्टि की गई।

वर्तमान स्थल:

- पुरातत्त्वविदों के इस दल द्वारा वर्तमान में तामार घाटी (Tamar Valley) का अध्ययन किया जा रहा है, जो एक समृद्ध पुरातात्त्विक स्थल है।
- तामार घाटी में लौह युग और रोमन युग से संबंधित कई स्थल विद्यमान हैं।

LiDAR तकनीकी/पद्धति:

- यह तकनीकी लेज़र प्रकाश के साथ लक्ष्य को रोशन करने तथा एक सेंसर के साथ प्रतिबिंब को मापने के लिये दूरी को मापने की तकनीकी है।
- LiDAR तकनीकी/पद्धति का प्रयोग सामान्यत: भू-वैज्ञानिकों तथा सर्वेक्षणकर्त्ताओं द्वारा उच्च-रिज़ॉल्यूशन क्षमता के नक्शे तैयार करने के अलावा किसी साइट का सर्वेक्षण करने के लिये किया जाता है
- प्राप्त प्रतिबिंब को एक सेंसर से मापा जाता है।

तामार घाटी:

- तामार घाटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है।
- यह घाटी ताम्र नदी के दोनों ओर लाउंसेस्टन से बास स्ट्रेट तक 60 किमी उत्तर में स्थित, तस्मानिया के सबसे सुंदर क्षेत्रों में से एक है।

भारत में LiDAR:

- भारत में LiDAR तकनीकी का प्रयोग कृषि और भू विज्ञान से संबंधित अनुप्रयोगों के लिये ही किया गया है
- भारत में पुरातात्विक कार्यों के लिये इस तकनीकी का प्रयोग अभी संभव नहीं हो पाया है जिसका मुख्य कारण इस तकनीकी में प्रयुक्त डाटा के विश्लेषण एवं प्रयोग के लिये विशेषज्ञों की आवश्यकता का होना है।
- इसके अलावा डाटाओं को प्राप्त कर उनका विश्लेषण एक महँगी प्रक्रिया भी है।

LiDAR तकनीकी का महत्त्व:

- LiDAR तकनीकी का प्रयोग घरेलू वास्तुकला और क्षेत्र में खंदक और किलेबंदी जैसी रक्षात्मक वास्तुकला को समझने में मददगार हो सकता है।
- यह तकनीकी जल विज्ञान और जल प्रबंधन प्रणालियों को ओर अधिक विस्तार से समझाने में मददगार साबित हो सकती है।
- इस तकनीकी के माध्यम से समय की बचत होगी।

एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आईसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चंडीगढ़ स्थित भारतीय वायुसेना के '3 बेस रिपेयर डिपो' (3 Base Repair Depot- BRD) ने 'एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आईसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन' (Airborne Rescue Pod for Isolated Transportation- ARPIT) तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि इस आईसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन पॉड का उपयोग ऊँचाई वाले क्षेत्रों, अलग-थलग स्थानों तथा दूरदराज़ के क्षेत्रों से COVID-19 या अन्य गंभीर संक्रामक रोगों से पीड़ित मरीज़ों को लाने के लिये किया जाएगा।

नोट :

- दरअसल COVID-19 को महामारी घोषित किये जाने के बाद से हवाई यात्रा के दौरान COVID-19 रोगियों से संक्रमण फैलने के खतरे से निपटने के लिये एक अलग प्रकार की निकासी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई जिसके मद्देनज़र इस आईसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन पॉड का विकास किया गया है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare), अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers- NABH) और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र (Centre for Disease Control- CDC) द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों के आधार पर इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है।

विशेषताएँ:

- 'एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आईसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन' को बनाने में केवल स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
- इसे विकसित करने में सिर्फ 60 हज़ार रुपए की लागत आई है, जबकि आयातित प्रणालियों का मूल्य 60 लाख रुपए है। अत: आयातित प्रणालियों की तुलना में यह बहुत सस्ता है।
- 'एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आईसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन' के निर्माण में एविएशन प्रमाणित सामग्री का उपयोग कर हलके वज़न के रूप में विकसित किया गया है।
- इसमें रोगी को देखने के लिये एक पारदर्शी, टिकाऊ तथा उच्च गुणवत्ता वाली प्लास्टिक शीट लगाई गई है, जो मौजूदा मॉडलों की तुलना में ज्यादा बेहतर है।
- यह प्रणाली चिकित्सा निगरानी उपकरणों के साथ रोगी को वेंटिलेशन की सुविधा प्रदान करती है।
- वायु परिवहन में शामिल एयरक्रू, ग्राउंड क्रू और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को संक्रमण के जोखिम से बचाने के लिये इस आइसोलेशन चैंबर में निरंतर उच्च नकारात्मक दबाव उत्पन्न करने की सुविधा उपलब्ध है।
- जीवन रक्षक उपकरण (मल्टीपारा मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्यूज़न पंप्स, इत्यादि) और स्वास्थ्य देखभाल करने वालो के लिये लंबे हाथ के दस्ताने भी उपलब्ध हैं।
- 'एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आईसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन' में हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर (High Efficiency Particulate Air- HEPA) H-13 क्लास का फिल्टर उपयोग किया गया है।

पल्स-ऑक्सीमीटर (Pulse-Oximeter)

- यह एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है।
- इसे उँगलियों, नाक, कान अथवा पैरों की उँगलियों में क्लिप की तरह लगाया जाता है। इसमें लगे सेंसर रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह तथा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाने में सक्षम होता है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों का विरोध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शेतकारी संगठन (Shetkari Sanghatana) नामक किसान संगठन द्वारा उन किसानों के खिलाफ एक आंदोलन चलाने की बात कही गई है जो चालू खरीफ के मौसम में बिना प्रशासनिक अनुमति के आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों (Genetically modified seeds/GM- seeds) का प्रयोग करने जा रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- शेतकारी संगठन का मानना है कि चालू खरीफ ऋतु में, किसान बिना किसी अनुमति के बड़े पैमाने पर मक्का, सोयाबीन, सरसों, बैगन और शाकनाशी सहिष्णु कपास (Herbicide Tolerant Cotton) के लिये जीएम बीजों की बुवाई करेंगे।
  - शाकनाशी सहिष्णु कपास (Herbicide Tolerant Cotton) में खरपतवार के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है।

नोट :

- संगठन का कहना है कि यदि किसान इस तरह के विभिन्न प्रकार के बीज़ अपने खेतों में प्रयोग करना चाहते हैं तो उन्हें फसल की जीएम प्रकृति की घोषणा करते हुए खेतों में बोर्ड लगाना होगा ताकि खेतों में आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के प्रयोग के लिये नवीनतम प्रौद्योगिकीयों को अपनाया जा सके।

आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज़ ?

- ये ऐसे बीज होते है जिनके आनुवंशिक पदार्थ को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया गया है।
- ऐसा इसलिये किया जाता है ताकि फसल की उत्पादकता में वृद्धि हो सके तथा फसल को कीट प्रतिरोधी अथवा सुखा रोधी बनाया जा सके।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिये टिश्यू कल्चर, म्युटेशन अर्थात् उत्परिवर्तन एवं सूक्ष्म जीवों की मदद से पौधों में नए जीनों का प्रवेश कराया जाता है।
- इस तरह की एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया में पौधे को एग्रोबेक्टेरियम ट्यूमेफेशियंस (Agrobacterium Tumefaciens) नामक सूक्ष्मजीव से संकरण कराया जाता है। इस सूक्ष्मजीव को टी-डीएनए (Transfer-DNA) नामक एक विशिष्ट जीन से संकरण कराकर पौधे में डीएनए का प्रवेश कराया जाता है।
- इस एग्रोबेक्टेरियम ट्यूमेफेशियंस के टी-डीएनए को वांछित जीन से सावधानीपूर्वक प्रतिस्थापित किया जाता है, जो कीट प्रतिरोधक होता है। इस प्रकार पौधे के जीनोम में बदलाव लाकर वांछित गुणों वाली फसल प्राप्त की जाती है।
- भारत में बीटी कपास, एकमात्र अनुमति प्राप्त जीएम फसल है, जिसमें मिट्टी में मौज़ूद बेसिलस थुरिंगिनेसिस (बीटी) जीवाणु के साथ दो विदेशी जीन (Alien Genes) के संकरण से प्राप्त किया जाता है।
- ये जीन कपास की फसल को सामान्य पिंक बॉलवॉर्म (Pink Bollworm) नामक कीट से बचाव के लिये एक विषाक्त प्रोटीन के स्रावण में सहायता करते हैं।
- शाकनाशी सहिष्णु कपास एक अतिरिक्त जीन एवं अन्य मिट्टी के जीवाणु को साथ संकरण कराने से प्राप्त की गई है, जो पौधे को सामान्य हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट (Herbicide Glyphosate) जो कि एक कीटनाशक है, के कम प्रयोग करने को बढ़ावा देती है।

भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की कानूनी स्थिति:

- भारत में, 'जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति' (Genetic Engineering Appraisal Committee -GEAC) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निकाय है जो जीएम फसलों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिये अनुमति प्रदान करता है।
- वर्ष 2002 में, GEAC ने बीटी कॉटन के वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति दी थी। तब से अब तक देश का 95% से अधिक कपास क्षेत्र तब से बीटी कपास के अंतर्गत आ गया है।
- गैर कानूनी रूप से जीएम संस्करण फसलों/बीज़ों का उपयोग करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 5 वर्ष की जेल की सज़ा तथा 1 लाख रुपये का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है।

किसानों द्वारा जीएम- फसलों फसलों की बुआई करने का कारण:

- किसानों का ऐसा कहना है कि बीटी कपास का प्रयोग करने से कीटनाशकों एवं इसकी निराई पर आने वाली लागत को कम किया जा सकता है।
- जीएम फसलें सूखा-रोधी और बाढ़-रोधी होने के साथ कीट प्रतिरोधी भी होती हैं।
- शाकनाशी सहिष्णु कपास का प्रयोग करने से इसमें मौज़ूद हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के कारण खरपतवार हटाने पर लगने वाले खर्च में कमी आती है।
- हरियाणा जैसे राज्यों में बीटी बैंगन का क्षेत्र काफी अधिक है जिसका मुख्य कारण इस पर आने वाली लागत तथा कीटनाशकों पर लगने वाले खर्च का कम होना है।
- ये बीज साधारण बीज से अधिक उपज प्रदान करते है।

नोट :

पर्यावरणविदों का तर्क:

- मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर जीएम फसलों के प्रभाव को देखते हुए पर्यावरणविदों का तर्क है कि अभी इन पर और अध्ययन की आवश्यकता है उसके बाद ही इनके व्यावसायिक उत्पादन को मंज़ूरी दी जानी चाहिए।

अमीबायसिस की नई दवा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University -JNU) के शोधकर्त्ताओं की एक टीम द्वारा एंटामोइबा हिस्टोलिटिका प्रोटोज़ोआ (Entamoeba Histolytica Protozoa) के कारण होने वाली अमीबायसिस बीमारी (Amoebiasis Disease) से बचाव के लिये एक नई दवा के अणु को विकसित किया गया हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (World Health Organization- WHO) के अनुसार, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका प्रोटोज़ोआ (Entamoeba Histolytica Protozoa) जो कि एक परजीवी (Parasitic) है, मनुष्यों में रुग्णता (अस्वस्थता) तथा मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है।
  - परजीवी वो जीव होते हैं जो भोजन एवं आवास के लिये किसी दूसरे जीव पर निर्भर/आश्रित होते हैं।
- यह मनुष्यों में अमीबायसिस या अमीबा पेचिश बीमारी का प्रमुख कारण है जोकि विकासशील देशों में एक सामान्य प्रचलित बीमारी है।
- इस प्रोटोज़ोआ को प्रकृति में जीवित रहने के लिये कम हवा या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
- हालांकि, संक्रमण के दौरान इसे मानव शरीर के भीतर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा का सामना करता पड़ता है।
- ऐसी स्थिति में यह जीव ऑक्सीजन की अधिकता से उत्पन्न तनाव का सामना करने के लिये बड़ी मात्रा में सिस्टीन (Cysteine) जो कि एक अमीनो एसिड है, का निर्माण करता है।
- यह प्रोटोजोआ सिस्टीन को ऑक्सीजन के उच्च स्तर के खिलाफ अपने रक्षा तंत्र में आवश्यक अणुओं के रूप में प्रयोग करता है।
- एंटामोइबा द्वारा सिस्टीन को संश्लेषित करने के लिये दो महत्वपूर्ण एंज़ाइमों का प्रयोग किया जाता है।
- जेएनयू के शोधकर्त्ताओं ने इन दोनों एंज़ाइमों की आणविक संरचनाओं की विशेषता बताई तथा उन्हें निर्धारित किया है।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा दोनों एंज़ाइमों में से एक ओ-एसिटाइल एल-सेरीन सल्फहाइड्रिलेज़ (O-acetyl L-serine sulfhydrylase-OASS) से संभावित अवरोधक क्षमता की सफलतापूर्वक जाँच की गई।
- तथा बताया गया कि इस एंज़ाइम में विद्यमान कुछ अवरोधक अपनी पूरी क्षमता के साथ मनुष्यों में इस जीव (एंटामोइबा) के विकास को रोकने में सक्षम हैं।
- सिस्टीन, का जैव संश्लेषण (biosynthesis) ई. हिस्टोलिटिका(E. histolytica) के अस्तित्व के लिये महत्त्वपूर्ण है ।
- इस प्रकार पहचान किये गए अणुओं द्वारा अमीबायसिस की नई दवा को विकसित किया जा सकता हैं।
- इस शोध कार्य को 'यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री' (European Journal of Medicinal Chemistry) पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

अमीबायसिस (Amoebiasis):

- यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है, जो एक सूक्ष्म परजीवी एंटअमीबा हिस्टोलीटिका द्वारा फैलती है।
- इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर दो से चार हफ्तों के भीतर दिखाई देते हैं।
- इसके होने पर पेट में ऐंठन व दर्द होता है तथा रोगी को डायरिया, डिसेंट्री की शिकायत, भूख कम लगना तथा उल्टी इत्यादि होती है।
- संक्रमण के गंभीर रूप धारण करने पर शौच के साथ खून आता है।
- जब अमीबा का जीवाणु या पैरासाइट यकृत में प्रवेश कर जाता है, तब पेट में दाहिनी तरफ ऊपर की ओर पसलियों के अंदर अत्यधिक दर्द होता है और रोगी को तेज़ बुखार भी हो जाता है।

नोट :

ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत 'ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (Global Partnership on Artificial Intelligence-GPAI) में एक संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत के अतिरिक्त इस पहल से जुड़ने वाले अन्य सदस्यों में विश्व की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ, जैसे- अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ (EU), ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर आदि शामिल हैं।

ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI)

- ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) एक अंतर्राष्ट्रीय और बहु-हितधारक पहल है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के ज़िम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करने पर आधारित है।
- उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इस पहल के तहत AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त गतिविधियों की सहायता से AI के संबंध में सिद्धांत (Theory) और व्यवहार (Practice) के बीच मौजूद अंतर को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी।
- यह पहल प्रतिभागी देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके AI से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने का अपने प्रकार का पहला प्रयास है।
- GPAI पहल के अंतर्गत AI के ज़िम्मेदारीपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिये साझेदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षाविदों को एक साथ लाया जाएगा और ऐसी कार्यप्रणाली विकसित की जाएगी, जिनसे यह दर्शाया जा सके कि COVID-19 के मौजूदा वैश्विक संकट से बेहतर ढंग से निपटने के लिये किस प्रकार AI का लाभ उठाया जा सकता है।

ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) और भारत

- ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने से भारत समावेशी विकास के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि भारत ने बीते कुछ वर्षों में अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से मानव के समावेशन और सशक्तीकरण के दृष्टिकोण के साथ शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, ई-कॉमर्स, वित्त, दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में AI का लाभ उठाना शुरू कर दिया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का अर्थ

- आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की शुरुआत या उसके अतीत को दार्शनिकों द्वारा मानव विचार को एक प्रतीकात्मक प्रणाली के रूप में वर्णित करने के प्रयास में खोजा जा सकता है।
- हालाँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की औपचारिक शुरुआत 1950 के दशक से मानी जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तात्पर्य बनावटी अर्थात् कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता होता है।
- इसके ज़रिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कार्य करता है।
- सरल शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का अर्थ एक मशीन में सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने से होता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का महत्त्व

- नीति आयोग (NITI Aayog) के अनुमान के अनुसार, यदि भारत में सही ढंग से AI अपनाया गया तो इसके प्रभावस्वरूप वर्ष 2035 तक अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added- GVA) में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

नोट :

- AI गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुँच और सामर्थ्यता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है।
- कृषि क्षेत्र में यह तकनीक किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और अपव्यय को कम करने में योगदान कर सकती है।
- इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में भी सुधार किया जा सकता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बढ़ती शहरी आबादी के लिये कुशल बुनियादी ढाँचे के निर्माण में मददगार साबित हो सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संबंधी चुनौतियाँ

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में व्यापक बदलाव आएगा। रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों से तो उत्पादन और निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक अकेले अमेरिका में आगामी दो दशकों में डेढ़ लाख रोज़गार खत्म हो जाएंगे।
- विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने और समझने वाले रोबोट यदि किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो यह मानवता के लिये बड़ा खतरा बन सकता है।

आँत के सूक्ष्मजीवों में उपापचय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्त्ताओं के द्वारा आमतौर पर आँत में पाये जाने वाले बैक्टीरिया के 36 उपभेदों (Strains) के उपापचय (Metabolism) का अध्ययन किया गया जो प्रोबायोटिक्स के विकास को और अधिक मज़बूती प्रदान कर सकते है।

प्रमुख बिंदु:

- प्रोबायोटिक्स, आँत में मौजूद बैक्टीरिया के सहायक बैक्टीरिया/कॉकटेल (Cocktails) होते हैं।
  - ये जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं जो अन्य उपयोगों के साथ, पाचन तंत्र में मौजूद बैक्टीरिया के कार्य को संपूरित करते हैं।
- मानव आँत के माइक्रोबायोम में भारी संख्या में लाभकारी बैक्टीरिया विद्यमान होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से सहभोजी (Commensals) कहा जाता है।
  - इनमें बिफीडोबैक्टीरियम जीनस के जीवाणु प्रमुख हैं जो वयस्क मानव एवं शिशुओं की आँत में पाए जाते हैं ।
  - बिफीडोबैक्टीरियम अडोलेसेंटिस (Bifidobacterium adolescentis) वयस्क मानव आँत में तथा बिफीडोबैक्टीरियम लोंगम (Bifidobacterium longum) शिशु आँत में पाए जाते हैं।
- बिफीडोबैक्टीरियम आँत में मौजूद बैक्टीरिया एवं इसकी प्रजातियों के सबसे बड़े संघ (Genera) में से एक है।

शोधकार्य में शामिल बैक्टीरिया:

- मानव आँत में बिफीडोबैक्टीरियम की लगभग 80 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जिनमें से उपापचय नेटवर्क मॉडलिंग (Metabolic Network Modelling) के माध्यम से शोधकर्त्ताओं द्वारा 20 प्रजातियों के 36 उपभेदों का अध्ययन किया गया है।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा उपभेदों के उपापचय में भाग लेने वाले कुछ महत्वपूर्ण एंजाइमों की पहचान की गई। जिसके लिये अवरोध-आधारित मॉडलिंग तकनीक (Constraint-Based Modelling System) का प्रयोग किया गया है।
  - यह तकनीकी अणुओं के कोशिकीय आदान- प्रदान (Cellular Trafficking of Molecules) पर आधारित है अर्थात् इसके माध्यम से इस बात का पता लगाया जाता है कि कौन सी प्रतिक्रियाएँ हैं जो विभिन्न अणुओं का उत्पादन करती हैं तथा विभिन्न परिस्थितियों में क्या करती हैं।
  - ये स्थितियाँ विभिन्न आहारों से माध्यम से उत्पन्न हो सकती हैं जो अंत में आँत में मौजूद सूक्ष्मजीवों को प्रभावित कर सकती हैं।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा इस कार्य के लिये जीवाणुओं के अध्ययन में प्रयोग किये गए उपभेदों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया।
- विशेष रूप से, शोधकर्त्ताओं ने बैक्टीरिया की शॉर्ट-चेन फैटी एसिड (short-chain fatty acids) उत्पादन क्षमता का अनुमान लगाया है जो आँत में अम्लता के स्तर (pH) को बनाए रखने में सहायक है।
- बैक्टीरिया के उपभेदों के अध्ययन में शोधकर्ताओं द्वारा देखा गया कि लैक्टेट के उत्पादन के विपरीत एसीटेट का उत्पादन उपभेद-विशिष्ट (Strain-Specific) होता है।

नोट :

अध्ययन का महत्त्व:

- यह अध्ययन मानव आँत में मौजूद सूक्ष्मजीवों के गुणों को परिभाषित करने के लिये उपापचय क्षमताओं का विश्लेषण करने की क्षमता को बेहतर तरीके से रेखांकित करता है।
- शोध का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये प्रोबायोटिक्स का उत्पादन करने के लिये भी किया जा सकता है।
- पिछले कुछ वर्षों में, प्रोबायोटिक्स की संरचना में उल्लेखनीय सुधार होने के बावजूद फिर भी इनके विकास के लिये किये गए परीक्षणों में त्रुटियाँ होती है,यह शोध इस दिशा में अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है।

डेक्सामेथासोन दवा के प्रयोग से COVID-19 के रोगियों में सुधार

चर्चा में क्यों ?

इंग्लैंड के शोधकर्त्ताओं के अनुसार, COVID-19 मरीज़ों पर 'डेक्सामेथासोन' (Dexamethasone) दवा के उपयोग से गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों की मृत्यु दर में एक तिहाई तक की कमी हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- इसी अध्ययन दल ने कुछ समय पूर्व यह पता लगाया था कि है कि मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (Hydroxychloroquine) COVID-19 महामारी के खिलाफ काम नहीं कर रही है।
- इस अध्ययन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के 11,000 से अधिक रोगियों को शामिल किया गया।
- अध्ययन के लिये 2,104 COVID-19 रोगियों पर डेक्सामेथासोन दवा का परीक्षण किया गया तथा इन रोगियों की 4,321 रोगियों से तुलना की गई जिनकी केवल सामान्य मानक देखभाल की जा रही थी।

डेक्सामेथासोन (Dexamethasone):

- यह एक प्रकार का स्टेरॉयड है जिसका उपयोग गठिया, अस्थमा सहित अन्य स्थितियों में सूजन को कम करने के लिये किया जाता है।
- यह दवा बहुत ही सस्ती है तथा इसकी निर्माण प्रक्रिया बहुत आसान होने से इसका व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- गंभीर रूप से बीमार COVID-19 रोगियों में से वे रोगी जिन्हे उपचार के लिये श्वसन मशीनों की आवश्यकता थी, उनकी मृत्यु दर में 35% तक की कमी देखी है गई जबकि वे रोगी जिन्हें श्वसन के लिये पूरक ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उनकी मृत्यु दर में 20% तक की कमी देखी गई।
- डेक्सामेथासोन उन रोगियों के लिये सबसे अधिक मददगार रही है जिन्हें जीवित रहने के लिये ऑक्सीजन उपचार प्रणाली की आवश्यकता थी।

दवा की कार्यप्रणाली:

- COVID-19 रोगियों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है तथा रक्त वाहिकाओं में सूजन या जाता है। क्योंकि COVID-19 के संक्रमण के दौरान रोगियों की प्रतिरक्षा प्रणाली कभी-कभी अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है। स्टेरॉयड दवाएँ इस सूजन को कम करने का कार्य करती हैं।
- प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरिक्त प्रतिक्रिया कभी-कभी प्राणघातक भी हो सकती है इसलिये डॉक्टर ऐसे रोगियों में स्टेरॉयड और अन्य सूजन कम करने वाली दवाओं का परीक्षण कर रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीमारी के प्रारंभिक चरण में स्टेरॉयड का उपयोग न करने की सलाह दी है, क्योंकि ये रोगी की प्रतिरोधक क्षमता की कार्य प्रणाली को धीमा कर देते हैं।

नोट :

शोधकर्त्ताओं की मांग:

- COVID-19 के गंभीर रोगियों के उपचार के लिये डेक्सामेथासोन को एक मानक दवा का दर्जा दिया जाने चाहिये।
- डेक्सामेथासोन को अब दुनिया भर के हज़ारों गंभीर रूप से बीमार COVID-19 रोगियों के उपचार के लिये उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

भारत की प्रतिक्रिया:

- भारतीय डॉक्टरों ने शोध का स्वागत किया है। इससे पहले, 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद' (Indian Council for Medical Research- ICMR) द्वारा कुछ COVID-19 रोगियों के लिये रेमेडिसविर (Remdesivir) टोकिलिज़ुमाब (Tocilizumab) और कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी (CPT) के उपयोग की अनुमति दी गई थी।

नासा का गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नासा ने अपने गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट (Gateway Lunar Orbiting Outpost) के शुरुआती क्रू-मॉड्यूल के लिये अनुबंध किया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह अनुबंध जिसकी कीमत 187 मिलियन डॉलर है, को वर्जीनिया के ऑर्बिटल साइंस कॉरपोरेशन ऑफ डल्लास (Orbital Science Corporation of Dulles) द्वारा सराहा गया है, जो नार्थरोप ग्रुम्मन स्पेस (Northrop Grumman Space) की पूर्ण स्वामित्त्व वाली सहायक कंपनी है।
- नासा ने इस गेटवे को चंद्रमा की कक्षा में एवं चंद्रमा की सतह पर अन्वेषण के नए युग की कुंजी के रूप में वर्णित किया है।
- इस गेटवे की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक यह है कि इसे और अधिक शोध करने के लिये चंद्रमा के आसपास अन्य कक्षाओं में भी ले जाया जा सकता है।
- इस गेटवे को अंतर्राष्ट्रीय एवं वाणिज्यिक दोनों भागीदारों द्वारा बनाया जा रहा है और यह पहले चंद्रमा पर एवं चंद्रमा के पास तथा बाद में मंगल ग्रह पर अन्वेषण कार्य का समर्थन करेगा।

अनुबंध में क्या है ?

- नासा ने गेटवे के लिये हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स (Habitation and Logistics- HALO) को समर्थन देने हेतु डिज़ाइन करने के लिये यह अनुबंध जारी किया है, जो नासा के अर्टेमिस कार्यक्रम (Artemis Program) का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक पहले महिला और फिर आदमी को चंद्रमा पर भेजना है।
  - HALO, दबाव की दशा में रहने योग्य कमरों को संदर्भित करता है जहाँ अंतरिक्ष यात्री गेटवे का दौरा करते हुए अपना समय बिताएंगे।
- नासा की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये क्वार्टर (कमरे) एक छोटे से अपार्टमेंट के आकार के होंगे और यह नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान के साथ मिलकर अंतरिक्ष यात्रियों के लिये अनुकूल सुविधाएँ प्रदान करेगा।

नासा का गेटवे लूनार ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट:

- अनिवार्य रूप से गेटवे एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा की परिक्रमा लगाएगा जिसे पहले चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिये और बाद में मंगल ग्रह के अभियानों के लिये प्रयोग में लाया जाएगा।
- यह एक अस्थायी कार्यालय तथा अंतरिक्ष यात्रियों के लिये रहने योग्य क्वार्टर (कमरे) के रूप में कार्य करेगा जो पृथ्वी से लगभग 250,000 मील की दूरी पर अवस्थित होगा।
  - इस अंतरिक्ष यान में विज्ञान एवं अनुसंधान के लिये प्रयोगशालाएँ, रहने योग्य क्वार्टर आदि की सुविधाएँ होंगी।
  - इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री प्रति वर्ष कम-से-कम एक बार गेटवे का उपयोग करेंगे।
  - इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) की तुलना में गेटवे बहुत छोटा है (एक स्टूडियो अपार्टमेंट के आकार का) जबकि ISS छह बेडरूम वाले घर के आकार का होता है।

नोट :

- एक बार गेटवे से जाने के बाद अंतरिक्ष यात्री एक समय में तीन महीने तक वहाँ रह सकेंगे तथा विज्ञान के प्रयोगों का संचालन कर सकेंगे और चंद्रमा की सतह पर यात्रा कर सकेंगे।

- नासा की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, गेटवे एक हवाई अड्डे के रूप में कार्य करेगा।
- गौरतलब है कि नासा गेटवे का उपयोग एक विज्ञान मंच के रूप में करना चाहती है ताकि वह पृथ्वी का पुन: अन्वेषण कर सके, सूर्य का निरीक्षण कर सके और विशाल ब्रह्मांड की अबाधित जानकारियों को प्राप्त कर सके।
  - पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल के भू-विज्ञान का अध्ययन करके नासा इनके बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकती है।
- नासा ने वर्ष 2026 तक गेटवे के पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि अंतरिक्ष यान पर काम पहले से ही चल रहा है।
- वर्ष 2022 तक नासा ने अंतरिक्ष यान के लिये पावर एंड प्रोपल्शन (Power and Propulsion) तैयार करने की योजना बनाई है जिसे एक वाणिज्यिक रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा।

क्वांटम उपग्रह आधारित संचार प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

चीनी वैज्ञानिकों के एक अध्ययन दल ने 'मिसियस' (Micius) क्वांटम उपग्रह का प्रयोग कर विश्व में पहली बार 'क्वांटम इंटेंगलमेंट' (Quantum Entanglement) पर आधारित लंबी दूरी के बीच 'क्वांटम क्रिप्टोग्राफी' (Quantum Cryptography) को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है, जो क्वांटम दूरसंचार के व्यावहारिक इस्तेमाल में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- पान जियान-वी (Pan Jian-Wei), जिन्हें चीन में 'क्वांटम तकनीक का पिता' माना जाता है, के नेतृत्त्व वाली ऑपरेटिंग टीम ने क्वांटम तकनीक की दिशा में कई सफलताओं को प्राप्त किया है।
- मिसियस उपग्रह के माध्यम से मूल ग्राउंड स्टेशन जो एक-दूसरे से 1,200 किमी. की दूरी पर स्थित थे, के मध्य इंटैंगलमेंट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।
- इंटैंगलमेंट फोटॉन आपस में संबंधित हल्के कण होते हैं जिनके गुण आपस में संबंधित रहते हैं। यदि किसी एक फोटॉन में हेराफेरी की जाती है, तो इसका प्रभाव दूसरे फोटॉन पर भी होता है।

क्वांटम संचार:

- क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या क्वांटम कुंजी वितरण (Quantum Key Distribution- QKD) सुरक्षित संचार के लिये 'सममित कूटबद्ध कुंजी' (Symmetric Encoded Key) के वितरण को सुरक्षित करने की एक तकनीक है। इसमें संचार के लिये फोटॉन जो कि 'क्वांटम कण है, का प्रयोग किया जाता है।
- विभिन्न QKD प्रोटोकॉल को यह सुनिश्चित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है कि संचार में काम आने वाले फोटॉनों में किसी प्रकार की हेराफेरी संपूर्ण संचार प्रणाली को रोक दे।

क्वांटम संचार उपग्रह मिसियस (Micius):

- मिसियस (Micius) विश्व का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह है, जिसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था।
- उपग्रह का नाम प्राचीन चीनी दार्शनिक मोज़ि (Mozi) के नाम पर रखा गया है।

क्वांटम दूरसंचार में चुनौतियाँ:

- ऑप्टिकल आधारित QKD का उपयोग कर केवल कुछ किलोमीटर की दूरी तक संचार स्थापित किया जा सकता है, अत: इस समस्या का समाधान करने के लिये उपग्रह आधारित क्वांटम संचार प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है।
  - लंबी दूरी के लिये संचार स्थापित करना:
    - अब तक ऑप्टिकल आधारित QKD का उपयोग कर केवल 100 किलोमीटर तक ही सुरक्षित संचार स्थापित किया गया है। हालाँकि रिपीटर (Repeater) के प्रयोग से क्वांटम दूरसंचार की लंबाई बढ़ाई जा सकती है।

नोट :

- उदाहरण के लिये विश्व में पहली क्वांटम गोपनीय दूर संचार लाइन पेइचिंग-शांगहाई की लंबाई 2000 किमी. है, जिसमें 32 रिपीटरों का प्रयोग किया गया है।
- रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो संकेत प्राप्त करता है और इसे आगे पहुँचाता है। ट्रांसमीटरों का विस्तार करने के लिये रिपीटर का उपयोग किया जाता है ताकि सिग्नल लंबी दूरी को कवर कर सके।

- सुरक्षा का मुद्दा:
  - जब रिपीटर का प्रयोग क्वांटम संचार दूरी बढ़ाने में किया जाता है तो इस रिपीटर की सुरक्षा मानव द्वारा सुनिश्चित की जाती है अत: सूचनाओं के लीक होने का खतरा रहेगा।

शोध का महत्त्व:

- क्वांटम उपग्रह आधारित लंबी दूरी की संचार तकनीक 'क्वांटम इंटरनेट' की दिशा में प्रमुख कदम होगा।
- क्वांटम तकनीक के राजनीतिक और सैन्य निहितार्थ हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है।
- वर्ष 2013 में एडवर्ड स्नोडेन द्वारा पश्चिमी सरकारों द्वारा की जाने वाली इंटरनेट निगरानी के खुलासे के बाद संचार को अधिक सुरक्षित बनाने के लिये चीन जैसे देशों ने क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में अनुसंधान बढ़ाने को प्रोत्साहित किया है।

निष्कर्ष:

- एक लंबी दूरी की क्वांटम संचार संपर्क की सफलता यह बताती है कि हम संचार प्रणाली के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। जहाँ प्रारंभ में देशों की क्वांटम संचार के लिये चीन पर निर्भरता बढ़ सकती है परंतु भविष्य में ये देश स्वयं की क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

उमीफेनोविर औषधि

संदर्भ ?

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) के तहत कार्यरत केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (Central Drug Research Institute- CDRI) को COVID-19 के उपचार हेतु उमीफेनोविर (Umifenovir) औषधि के नैदानिक परीक्षण के लिये औषधि महानियंत्रक, भारत सरकार से अनुमति मिल गई है।

प्रमुख बिंदु:

- यह परीक्षण यादृच्छिक (Randomised), डबल ब्लाइंड (Double-blind), प्लेसबो नियंत्रित (Placebo-controlled) होगा तथा इसके द्वारा उमिफेनोविर की प्रभावकारिता, सुरक्षा और सहनशीलता का परीक्षण किया जाएगा।
- उमीफेनोविर मानव कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को रोकने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के द्वारा कार्य करती है।
- इस औषधि की रोगनिरोधक क्षमता अधिक है।
- उमिफेनोविर मुख्य रूप से इन्फ्लूएंज़ा के इलाज के लिये चीन और रूस में उपलब्ध है, और हाल ही में COVID-19 रोगियों के लिये इसके संभावित उपयोग के कारण प्रमुखता में आई है।
- उमीफेनोविर अन्य किसी देश में उपलब्ध नहीं है।
- औषधि के निर्माण और विपणन के लिये मेडिज़ेस्ट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड गोवा (Medizest Pharmaceuticals Private Ltd. Goa) को लाइसेंस दिया गया है।
- CSIR ने रिकॉर्ड समय में उमीफेनोविर के निर्माण के लिये प्रक्रिया प्रौद्योगिकी (Process Technology) विकसित की है।
- दवा के लिये सभी कच्चा माल स्वदेशी रूप से उपलब्ध है।

केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (Central Drug Research Institute- CDRI):

- CDRI जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान है।

नोट :

- इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा 17 फरवरी, 1951 को किया गया था।
- इसका उद्देश्य देश में औषधि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को मज़बूत करना तथा आगे बढ़ाना है।

यादृच्छिक, डबल ब्लाइंड, प्लेसबो नियंत्रित परीक्षण:

- यादृच्छिक-
  - यह एक प्रकार का वैज्ञानिक प्रयोग है जिसके अंतर्गत किसी विषय को यादृच्छिक (Randomly) आधार पर दो समूहों में बाँटा जाता है।
  - इसमें से एक समूह में प्रयोग के तौर पर कुछ हस्तक्षेप किये जाते हैं तथा दूसरे समूह का उपचार पारंपरिक तरीके से ही किया जाता है।
  - उसके बाद दोनों प्रयोगों से प्राप्त परिणामों की तुलना की जाती है। इस प्रयोग के परिणाम का उपयोग हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये किया जाता है।
- डबल ब्लाइंड-
  - इसमें न तो रोगियों को और न ही शोधकर्त्ताओं को पता होता है कि किसे प्लेसबो दिया जा रहा है तथा किस का उपचार किया जा रहा है। यह ये सुनिश्चित करता है कि परीक्षणों के परिणाम शोधकर्त्ताओं और रोगियों के पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होते हैं।
- प्लेसबो नियंत्रित-
  - प्लेसबो-नियंत्रित एक प्लेसबो प्राप्त करने वाले नियंत्रण समूह को संदर्भित करता है। यह इसे उन अध्ययनों से अलग करता है जो केवल उपचार देते हैं और परिणाम रिकॉर्ड करते हैं।
  - यहाँ, एक नियंत्रण समूह को प्लेसबो जबकि दूसरे समूह को औषधि (या अन्य उपचार) देकर अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार, शोधकर्त्ता प्लेसबो और औषधि के प्रभाव की तुलना कर सकते हैं।

आगे की राह:

- यदि उमिफेनोविर का नैदानिक परीक्षण सफल रहा तो यह COVID-19 के खिलाफ एक सुरक्षित, प्रभावकारी, सस्ती औषधि हो सकती है और राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा हो सकती है।

पेपर आधारित माइक्रोस्कोप: फोल्डस्कोप

चर्चा में क्यों ?

'माइक्रोस्कोपी जर्नल' (Journal of Microscopy) में प्रकाशित शोध के अनुसार, भारत के डॉक्टरों की एक टीम के रोगों के नैदानिक परीक्षण में फोल्डस्कोप (Foldscope) नामक वहनीय माइक्रोस्कोप का निर्माण तथा सत्यापन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- एक माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग उन वस्तुओं को देखने के लिये किया जाता है जिन्हें नग्न आँखों से देख पाना संभव नहीं होता है।
- इस शोध का उद्देश्य विकासशील देशों में वैज्ञानिक उपयोग के लिये वहनीय तथा आसान उपकरण उपलब्ध कराना है।

फोल्डस्कोप माइक्रोस्कोप:

- यह एक वहनीय माइक्रोस्कोप है जिसे सरल घटकों यथा कागज की शीट, लेंस, मोबाइल फोन, गोंद आदि से बनाया जाता है।
- फोल्डस्कोप माइक्रोस्कोप को फिर से इसके घटकों में पृथक किया जा सकता है। अत: इसका नाम फोल्डस्कोप रखा गया है।
- फोल्डस्कोप में नमूने की तस्वीरें लेने के लिये मोबाइल फोन का उपयोग किया जाता है जिसे गोंद की बूंदों का उपयोग करके फोल्डस्कोप पर स्थापित किया जा सकता है।
- इसे बनाने की लागत 100 रुपए से भी कम है।

नोट :

फोल्डस्कोप की कार्य प्रणाली:

- नमूने के अवलोकन के लिये फोल्डस्कोप के साथ नमूने की स्लाइड को लगाया जाता है। फोल्डस्कोप के साथ मोबाइल फोन को स्थापित किया जाता है तथा इसकी मदद से नमूने को देखा जा सकता है।
- नमूने की तस्वीरों को मोबाइल के ज़ूम फंक्शन का उपयोग करके बड़ा किया जा सकता है, तथा इसे मोबाइल मेमोरी कार्ड पर संग्रहीत किया जा सकता है।

फोल्डस्कोप माइक्रोस्कोप का महत्त्व:

- यह ले जाने में आसान (Portable) तथा टिकाऊ है, जो पारंपरिक सूक्ष्मदर्शी के समान प्रदर्शन करता है।
- फोल्डस्कोप का उपयोग मुँह संबंधी स्वास्थ्य जाँच, मूत्र पथ के संक्रमण, लीशमैनियासिस (सैंडफ्लाई के कारण प्रसारित होने वाला एक रोग), शिस्टोसोमियासिस (एक प्रकार का रक्त संबंधी विकार), गुर्दे की पथरी आदि के निदान में उपयोग किया जा सकता है।
- इसे प्राथमिक निदान (Primary Diagnosis) के लिये उपयोग किया जा सकता है।
- इसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य निगरानी उपकरणों (Personal Health Monitoring Devices) के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियोजित किया जा सकता है।
- चिकित्सा क्षेत्र के अलावा इसका उपयोग कृषि में किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में फसलों तथा जानवरों को प्रभावित करने वाले विभिन्न सूक्ष्मजीवों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जा सकता है।

विभिन्न आयु के तारों का सह-अस्तित्त्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार के 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science and Technology- DST) के अंतर्गत स्थापित स्वायत्त विज्ञान संस्थान 'आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्ज़र्वेशनल साइंसेस' (Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences- ARIES) के खगोलविदों द्वारा इस बात का पता लगाया गया है कि विभिन्न समूहों के तारे, खुले समूहों या क्लस्टर्स में एक साथ रह सकते हैं। परंतु वैज्ञानिकों के समक्ष पहले यह जानना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है कि एक खुले समूह में सभी तारे की उम्र समान होती है।

प्रमुख बिंदु:

- वैज्ञानिकों द्वारा खुले समूहों में तारों के विकास का अध्ययन करने के लिये हिमालय स्थित देवस्थल से 1.3-M दूरबीन (M,एक खगोलीय दूरबीन की न्यूनतम आवर्धन शक्ति है) के माध्यम से तीन खुले तारों के समूहों/क्लस्टर NGC 381, NGC 2360, तथा बर्कले 68 का अध्ययन करते हुए प्रकाश की माप ली गई ।
- वैज्ञानिकों द्वारा क्लस्टर एनजीसी, 2360 में दो अलग नक्षत्रीय विकास क्रम देखने को मिले, जो अब तक आकाशगंगा में बहुत कम खुले समूहों में देखे गए हैं।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा तीन खुले समूहों NGC 381, NGC2360 और बर्कले 68 में हजारों सितारों का अवलोकन किया गया।
- इन तीनों तारों के क्लस्टर्स/गुच्छे अपेक्षाकृत अधिक आयु के पाए गए, जिनकी आयु 446 मिलियन वर्ष से 1778 मिलियन वर्ष तक हो सकती है।
- नक्षत्रीय विकास के अलावा, शोधकर्त्ताओं द्वारा पहली बार इन समूहों के सक्रिय विकास का भी अध्ययन किया गया।
- क्लस्टर से संबंधित तारों के द्रव्यमान के फैलाव को देखते हुए यह जानकारी मिली कि क्लस्टर्स के भीतरी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में तारों का अधिक फैलाव देखा गया, जबकि बाहरी क्षेत्र की ओर कम द्रव्यमान वाले तारे पाए गएहैं।
- यह माना जाता है कि बहुत कम द्रव्यमान वाले तारों में से कुछ अपने मूल समूहों को छोड़ चुके हैं तथा वे सूर्य की भाँति एक स्वतंत्र तारे के रूप में घूम रहे हैं।

नोट :

- इस शोध कार्य को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा प्रकाशित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी क्षेत्र की एक प्रमुख पत्रिका 'मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी' (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society) में प्रकाशित किया गया है।

तारों की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणा:

- हमारी आकाशगंगा में तारों का निर्माण आकाशगंगा में मौजूद आणविक बादलों द्वारा होता हैं।
- यह माना जाता है कि हमारी आकाशगंगा में अधिकांश तारें क्लस्टर्स/गुच्छों के रूप में विद्यमान हैं।
- यह तारों के गुच्छे तारे की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने के लिये एक महत्त्वपूर्ण सूत्र प्रदान करते हैं।
- तारों का खुला समूह गुरुत्वाकर्षण से बंधे तारों की एक व्यवस्था है जिसमें तारों का उत्पत्ति एक ही तरह के आणविक बादलों से होती है।

आणविक बादल:

- खगोलशास्त्र में आणविक बादल अंतरतारकीय माध्यम/इन्टरस्टॅलर स्पेस में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल/इन्टरस्टॅलर क्लाउड को कहा जाता है जिनका घनत्व एवं आकार अणुओं को बनाने के लिए पार्याप्त होता है।
- ये बादल अधिकतर हाइड्रोजन (H_2) अणुओं के बने होते हैं।
- एक समूह के तारों की उत्पत्ति के समय सभी तारे अपने प्रारंभिक तारों के ही विकासवादी अनुक्रम का पालन करते हैं।
- खुले समूह आकाशगंगा की उत्पत्ति और विकास की खोज के लिये भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह पूरी आकाशगंगा के सीमा क्षेत्र में फैले होते हैं।

शोध का महत्त्व:

- इस शोध में इन समूहों के नक्षत्रीय और गतिशील विकास के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी दी है।
- इस शोध दल के वैज्ञानिक भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों से प्राप्त पूरक आँकड़ों के साथ अपने संस्थान में उपलब्ध अवलोकन संबंधी सुविधाओं का उपयोग करके भविष्य में और अधिक खुले तारों के गुच्छों/क्लस्टर्स का गहन विश्लेषण करने की योजना बना रहे हैं।

समुद्र तल की मैपिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जापान के 'निप्पॉन फाउंडेशन' (Nippon Foundation) तथा 'जनरल बेथमीट्रिक चार्ट ऑफ द ओसियनस' (General Bathymetric Chart of the Oceans-GEBCO) के सहयोग से संचालित 'सीबेड 2030 प्रोजेक्ट' (Seabed 2030 Project) के अंतर्गत संपूर्ण विश्व के समुद्र तल के लगभग पांचवें (⅕) हिस्से की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे (World Hyderography day) के अवसर पर निप्पॉन फाउंडेशन द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि GEBCO सीबेड 2030 प्रोजेक्ट के तहत नवीनतम ग्रिड में 1.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर के बाथिमेट्रिक डेटा (Bathymetric Data) को शामिल किया जा चुका है।

वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे:

- 21 जून, 2020 को विश्व भर में 'वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे' (World Hyderography day) मनाया गया है।
- वर्ष 2020 के लिये वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की थीम- 'ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़ को सक्षम करना' (Enabling Autonomus Technologies) थी।
- इसका उद्देश्य-हाइड्रोग्राफी अर्थात जल विज्ञान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है।
- इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प पारित करके की गई थी।

नोट :

- निप्पॉन फाउंडेशन-GEBCO के सीबेड 2030 प्रोजेक्ट, के अंतर्गत वर्ष 2030 तक संपूर्ण विश्व के समुद्र तल की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जाना है।
- वर्ष 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई तब से लेकर अब तक आधुनिक मानकों के अनुसार समुद्र तल सर्वेक्षण का लगभग 6 प्रतिशत से 19 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है।

सीबेड 2030 प्रोजेक्ट:

- इस परियोजना की घोषणा वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में की गई थी।
- परियोजना की वैश्विक पहल जापान के निप्पॉन फाउंडेशन तथा 'जनरल बेथमीट्रिक चार्ट ऑफ द ओसियनस' (GEBCO) के माध्यम से वर्ष 2017 में की गई।
- GEBCO एकमात्र अंतर-सरकारी संगठन है।
- GEBCO को संपूर्ण विश्व के समुद्र तल के नक्शे तैयार करने का आदेश प्राप्त है।
- इस परियोजना के द्वारा महासागर के विभिन्न हिस्सों से स्थित GEBCO ग्रिड के पाँच केंद्रों की सहायता से प्राप्त बाथमीट्रिक डेटा की सोर्सिंग एवं संकलन का कार्य किया जाता है।

समुद्र तल अध्ययन का महत्त्व:

- बाथिमेट्री (Bathymetry) के माध्यम से महासागर तल के आकार और गहराई की माप की जा सकती है।
  - बाथिमेट्री के माध्यम से झीलों, समुद्रों या महासागरों में मौजूद पानी की गहराई के स्तर को मापा जाता है।
  - बाथिमेट्री डेटा द्वारा गहराई एवं पानी के नीचे की स्थलाकृति के आकार के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है।
- यह अध्ययन समुद्र के संचलन, ज्वार एवं जैविक आकर्षण के केंद्र सहित कई प्राकृतिक घटनाओं को समझने में सहायक है।
- इस अध्ययन के माध्यम से नेविगेशन के लिये महत्त्वपूर्ण जानकारी, सुनामी की पूर्वसूचना, तेल एवं गैस क्षेत्रों की खोज, अपतटीय पवन टर्बाइन के निर्माण, मछली पकड़ने के संसाधन एवं केबल तथा पाइपलाइन बिछाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- आपदा स्थितियों का आकलन करने के लिये भी समुद्र तल का अध्ययन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2011 में जापान के तोहोकू में आए विनाशकारी भूकंप के पीछे के कारणों की पता लगाने में वैज्ञानिकों द्वारा समुद्र अध्ययन से प्राप्त डाटाओं का प्रयोग किया गया था ।
- संपूर्ण वैश्विक महासागरीय तल का एक मानचित्र महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं इनके निरंतर उपयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा।
- ये मानचित्र महत्वपूर्ण रूप से जलवायु परिवर्तन की बेहतर समझ विकसित करेंगे, क्योंकि घाटी और पानी के नीचे के ज्वालामुखी एवं सतह की विशेषताएँ समुद्री जलके ऊर्ध्वाधर मिश्रण (vertical mixing of ocean water)एवं समुद्र की धाराओं जैसे घटना को प्रभावित करती हैं - जो गर्म और ठंडे पानी के कन्वेयर बेल्ट के रूप में कार्य करती हैं, जलवायु परिवर्तन ने इन धाराओं के प्रवाह को भी प्रभावित किया है।
- ये समुद्री धाराएँ मौसम और जलवायु दशाओं को प्रभावित करती हैं। समुद्री धाराओं के बारे में प्राप्त अधिकाधिक जानकारी वैज्ञानिकों को भविष्य में जलवायु के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने वाले मॉडल विकसित करने में सहायक होगी , जिसमें समुद्र-स्तर की वृद्धि भी शामिल है।
- इस परियोजना के माध्यम से विश्व को समुद्री संसाधनों के बारे में नीतिगत निर्णय लेने, महासागर की सही स्थिरता की जानकारी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।

एक्सट्रीम हीलियम तारा

चर्चा में क्यों:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) के स्वायत्त संस्थान, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics-IIA) द्वारा किये गए अध्ययन में गर्म एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स (Extreme Helium Star- EHe) के वायुमंडल में पहली बार एकल आयन फ्लोरीन की उपस्थिति का पता चला है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह अध्ययन एस्ट्रोफिज़िकल जर्नल (Astrophysical Journal) में प्रकाशित हुआ है।
- इस शोध/अध्ययन के लिये हानले, लद्दाख में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला (Indian Astronomical Observatory-IAO) में संचालित 2-मी. हिमालयी चंद्र टेलीस्कोप (Himalayan Chandra Telescope) पर लगे हुए हानले ऐशेल स्पेक्टोग्राफ (Hanle Echelle Spectrograph- HESP) से 10 गर्म EHes के उच्च-रिज़ॉल्यूशन ऐशेल स्पेक्ट्रा प्राप्त किये गए।
  - इस वेधशाला का संचालन दूरस्थ रूप से भारतीय तारा भौतिकी संस्थान (IIA) द्वारा मैकडॉनल्ड्स वेधशाला (McDonald Observatory), अमेरिका और यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला (European Southern Observatory-ESO) के डेटा के साथ किया जाता है।

एक्सट्रीम हीलियम तारा क्या है? Extreme Helium Star (EHe)

- एक एक्सट्रीम हीलियम तारा या EHe कम द्रव्यमान वाला सुपरजायंट (बहुत बड़े व्यास और कम घनत्व का एक अत्यंत चमकीला तारा) है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता है। जबकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे आम रासायनिक तत्त्व है।
- हमारी आकाशगंगा में अब तक ऐसे 21 तारों का पता लगाया गया है। इन हाइड्रोजन रहित पिंडों की उत्पत्ति और विकास एक रहस्य है। इनकी रासायनिक विशिष्टताएँ विकास के स्थापित सिद्धांत को चुनौती देती हैं,क्योंकि इनकी रासायनिक संरचना कम द्रव्यमान वाले विकसित तारों के समान नहीं होती है।

अध्ययन का महत्त्व

- यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि EHe के निर्माण में मुख्य रूप से में कार्बन-ऑक्सीजन (CO) और एक हीलियम (He) श्वेत वामन तारों (White Dwarfs) का विलय शामिल होता है।

श्वेत वामन (White Dwarfs)

- एक श्वेत वामन या सफेद बौने तारे का निर्माण तब होता है जब सूर्य जैसा कोई तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है।
- अपने परमाणु ईंधन के जलने के अंतिम चरण तक, इस प्रकार का तारा अपने बाह्य पदार्थों का सर्वाधिक निष्कासन करता है, जिसके परिणामस्वरूप निहारिका (nebula) का निर्माण होता है।
- तारे का केवल गर्म कोर शेष रहता है। यह कोर एक बहुत गर्म सफेद बौना तारा बन जाता है, जिसका तापमान 100,000 केल्विन से अधिक होता है।
- यद्यपि इनका आकार सूर्य के आकार का लगभग आधा होता है फिर भी ये पृथ्वी से बड़े होते हैं।
- Ehe तारों के विकास के बारे में जानने के लिये उनकी रासायनिक संरचना के सटीक निर्धारण की आवश्यकता होती है और यदि कोई विशिष्टता हो, तो बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- हाइड्रोजन रहित इन पिंडों के विकास को समझने में फ्लोरीन बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्म एक्सट्रीम हीलियम तारों में फ्लोरीन की खोज से उनके विकास के रहस्य के बारे में पता चल सकता है।
- ठंडे EHe तथा ठंडे चिरसम्मत हाइड्रोजन रहित पिंडों (Classical Hydrogen Deficient Stars) में सामान्य तारों (800-8000 के क्रम का) की तुलना में उच्च फ्लोरीन संवर्द्धन पाया गया। RCB परिवर्तक यानी उत्तरकीरीट तारामंडल (Coronae Borealis) में उपस्थित तारे इन दोनों के बीच निकट विकासवादी संबंध को इंगित करते हैं।

निष्कर्ष

- यह अध्ययन गर्म EHe के विकास क्रम में ठंडे Ehe और अन्य हाइड्रोजन-रहित तारों के विकासवादी परिदृश्य- जिसमें दो श्वेत वामन तारों का विलय शामिल है, के बारे में जानकारी प्रदान करता है। गर्म EHe के वायुमंडल में अधिक फ्लोरीन प्रचुरता के बारे में जानकारी प्राप्त होने से उनके निर्माण के बारे में दशकों पुराना रहस्य हल हो सकता है।

नोट :

भारतीय ताराभौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics-IIA)

- यह देश का एक प्रमुख संस्थान है, जो खगोल ताराभौतिकी एवं संबंधित भौतिकी में शोधकार्य को समर्पित है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department Of Science & Technology- DST) के अवलंब से संचालित यह संस्थान आज देश में खगोल एवं भौतिकी में शोध एवं शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है।
- संस्थान की प्रमुख प्रेक्षण सुविधाएँ कोडैकनाल (तमिलनाडु), कावलूर (कर्नाटक), गौरीबिदनूर (कर्नाटक) एवं हानले (लद्दाख) में स्थापित हैं।

पृष्ठभूमि

- इसका उद्गम मद्रास (चेन्नई) में वर्ष 1786 में स्थापित की गई एक निजी वेधशाला से जुड़ा है, जो वर्ष 1792 में नुंगमबक्कम (Nungambakkam) में मद्रास वेधशाला के रूप में कार्यशील हुई। वर्ष 1899 में इस वेधशाला को कोडैकनाल में स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1971 में कोडैकनाल वेधशाला ने एक स्वायत्त संस्था भारतीय ताराभौतिकी संस्थान का रूप ले लिया।
- वर्ष 1975 में संस्थान का मुख्यालय कोरमंगला, बंगलूरू में स्थानांतरित हुआ।

COVID-19 दवा के मानवीय परीक्षण को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'भारत बायोटेक' द्वारा भारत में विकसित की जा रही पहली COVID-19 वैक्सीन 'कोवाक्सिन' (COVAXIN), के मानव क्लीनिकल परीक्षण के लिये 'ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (Drug Controller General of India- DCGI) द्वारा अनुमति दे दी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत बायोटेक कंपनी द्वारा इस वैक्सीन को 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Medical Research-ICMR) तथा 'राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान' (National Institute of Virology- NIV) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' तथा 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' द्वारा इस वैक्सीन के फेज़-1 एवं फेज़-2 के लिये मानव क्लीनिकल परीक्षण की मंज़ूरी प्रदान की है।
- अगले महीने अर्थात जुलाई से इस वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू किया जाएगा।
- इस वैक्सीन को हैदराबाद जीनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक कंपनी की बीएसएल-3 (बायो-सेफ्टी लेवल 3) हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी के माध्यम से कोरोना वायरस स्ट्रेन से अलग किया गया है जिसे बाद में भारत बायोटेक कंपनी को भेजा गया जहाँ इस स्वदेशी वैक्सीन को विकसित किया गया है।

'भारत बायोटेक' का राष्ट्रीय महत्त्व'

- भारत बायोटेक कंपनी देश में महामारियों से निपटने के लिये राष्ट्रीय महत्त्व के विषय के रूप में टीका विकास को आगे बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है।
- भारत बायोटेक अपने सेल कल्चर प्लेटफॉर्म (Cell Culture Platform) प्रौद्योगिकी द्वारा पोलियो, रेबीज़, रोटावायरस, जापानी एन्सेफलाइटिस, चिकनगुनिया और ज़ीका रोगों के लिये भी टीका विकसित करने के लिये भी प्रतिबद्ध है।
- भारत में COVID-19 वैक्सीन का निर्माण करने वाली भारत बायोटेक कंपनी 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद' तथा 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी' के सहयोग से कॉवोफ्लू टीका तैयार करने के प्रयासों में लगी है।

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

बैंड-टेल स्कॉर्पियन फिश

चर्चा में क्यों

हाल ही में सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट (Central Marine Fisheries Research Institute- CMFRI) के शोधकर्त्ताओं द्वारा मन्नार की खाड़ी में स्थित सेतुकराई तट पर एक दुर्लभ प्रजाति की मछली की खोज की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- ऐसा पहली बार है कि जब भारतीय जल क्षेत्र में कोई विशेष जलीय प्रजाति जीवित खोजी गई हो।
- सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इस मछली की खोज़ मन्नार की खाड़ी में समुद्री घास के मैदान (Seagrass Meadows) का सर्वेक्षण करने के दौरान की गई।
- वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि छिपकर रहने वाली यह 'बैंड-टेल स्कॉर्पियन फिश' मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है जो ज़हरीले काँटों से युक्त है।
- इसका जूलॉजिकल नाम स्कोर्पेनोसप्सिस नेगलेक्टा (Scorpaenospsis neglecta) है।
- बैंड-टेल स्कॉर्पियन फिश शिकार करते समय तथा शिकार से बचने के लिये अपना रंग बदलने में भी सक्षम है।
- पानी के अंदर सर्वेक्षण के दौरान यह मछली एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न करती है जोकि एक मूंगा कंकाल (Coral Skeleton) की तरह दिखाई देती है।
- मछली को 'स्कोर्पियन फ़िश' कहे जाने का प्रमुख कारण इसकी रीढ़ में न्यूरोटॉक्सिक विष (Neurotoxic Venom) की उपस्थिति है।

न्यूरोटॉक्सिन (Neurotoxic):

- न्यूरोटॉक्सिन एक विषाक्त पदार्थ हैं जो तंत्रिका ऊतक (Nerve Tissue) के लिये हानिकारक होता हैं।
- न्यूरोटॉक्सिन बहिर्जात रासायनिक न्यूरोलॉजिकल का एक विशाल वर्ग है।
- यह विकासशील और परिपक्व दोनों प्रकार के ऊतकों के कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- जब मछली की रीढ़ किसी कठोर सतह या व्यक्ति के साथ लगती/चुभती है तो इसकी रीढ़ में उपस्थित विष तुरंत सतह में प्रवेश कर जाता है जो बहुत दर्द उत्पन्न कर सकता है।

मन्नार की खड़ी:

- यह इलाका समुद्री जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है।
- यूनेस्को के मुताबिक मन्नार की खाड़ी में 4,223 समुद्री प्रजातियों का वास है तथा यह जैव विविधता के मामले में भारत के सबसे संपन्न तटीय क्षेत्रों में से एक है।

सेतुकराई(Sethukarai):

- सेतुकराई तमिलनाडु का प्रमुख तीर्थस्थल है।
- ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने लंका तक जाने के लिये सेतुकराई से ही पुल का निर्माण किया था।

नोट :

लॉकडाउन के दौरान अवैध शिकार में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (World Wide Fund for Nature-India) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वन्यजीवों के शिकार में वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया के 'ट्रैफिक' (TRAFFIC) प्रभाग द्वारा यह अध्ययन किया गया है। 'ट्रैफिक' एक वन्यजीव तस्करी निगरानी नेटवर्क है जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के कार्यक्रम प्रभाग के रूप में कार्य करता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, लॉकडाउन अवधि के दौरान वन्यजीवों के अवैध शिकार में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वन्यजीवों का अवैध शिकार भोजन और स्थानीय बाज़ारों में बिक्री हेतु किया गया है।
- लॉकडाउन के दौरान (23 मार्च-3 मई) वन्यजीवों के शिकार की संख्या बढ़कर 88 हो गई है, जबकि लॉकडाउन से पूर्व (10 फरवरी-22 मार्च) यह संख्या 35 थी।
- लॉकडाउन के दौरान कुल 9 तेंदुओं का शिकार किया गया है, जबकि लॉकडाउन से पहले यह संख्या 4 थी।
- रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लगातार प्रयासों के बावजूद लॉकडाउन अवधि के दौरान वन्यजीव अत्यधिक खतरे में है।
- लॉकडाउन से पहले अंग्युलेट (Ungulate) के शिकार की संख्या 8 (35 में से) थी, जो लॉकडाउन के बाद बढ़कर 39 (88 में से) हो गई है। दूसरे शब्दों में कहे तो लॉकडाउन से पूर्व इन वन्यजीवों का 22% था, जबकि लॉकडाउन के बाद यह आँकड़ा 44% तक पहुँच गया।
- लॉकडाउन की अवधि के दौरान विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कुल 222 लोगों को अवैध शिकार के मामलों में गिरफ्तार किया गया, जबकि लॉकडाउन के पहले 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
- लॉकडाउन अवधि के दौरान कछुओं की अवैध तस्करी के मामले कम आए है साथ ही इससे संबंधित कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है।
- राजस्थान में विलुप्त होने के कगार पर खड़े चिंकारा जैसे वन्यजीवों के अवैध शिकार की सूचना मिली है। चिंकारा जैसे अन्य वन्यजीव 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' के तहत संरक्षित हैं।

छोटे वन्यजीवों का शिकार:

- छोटे वन्यजीवों जैसे खरगोश, साही, पंगोलीन, बंदर, छोटी जंगली बिल्लियाँ, इत्यादि के भी अवैध शिकार में वृद्धि दर्ज की गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में छोटे वन्यजीवों की उच्च मांग रहती है लेकिन वर्तमान समय (लॉकडाउन के दौरान) में स्थानीय बाज़ारों में इनके मांस की आपूर्ति की गई है।
- लॉकडाउन से पूर्व इनके शिकार का प्रतिशत 17% था, जबकि लॉकडाउन के बाद यह आँकड़ा 25% तक पहुँच गया।
- रिपोर्ट के अनुसार, अगर इसी तरह छोटे वन्यजीवों का शिकार किया जाता रहा तो बाघ, शेर और तेंदुए जैसे वन्यजीवों को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिये उचित नहीं है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [The wildlife (Protection) Act,1972]:

- वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कांफ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सरकार ने देश के वन्यजीवों की प्रभावी ढंग से रक्षा हेतु तस्करी, अवैध शिकार व वन्यजीव और वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को अधिनियमित किया।
- जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 2002 रखा गया इसके अंतर्गत दंड तथा जुर्माने के प्रावधान को कठोर कर दिया गया।
- यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम भारत में लागू है।
- इस कानून में राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड, जंगली पशुओं और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण, वन्यजीवों से समृद्ध अभ्याराणों एवं राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, जंगली पशुओं के व्यापार पर नियंत्रण, पशु उत्पादों पर कानून व कानून के उलंघन पर कानूनी सज़ा का प्रावधान है।

नोट :

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (World Wide Fund for Nature-India)

- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया की स्थापना 27 नवंबर, 1969 को एक चैरीटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी।
- इसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण में ह्रास को रोकते हुए प्रकृति के साथ मानव जीवन को सौहार्दपूर्ण बनाना है।
- वर्ष 1987 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर- इंडिया की संरचना को नया रूप दिया गया।
- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया एक रचनात्मक व विज्ञान आधारित संगठन है।
- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया के उद्देश्य इस प्रकार हैं-
  - विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना।
  - यह सुनिश्चित करना कि गैर-परंपरागत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ही संपोषणीय है।
  - प्रदूषण में कमी एवं अनावश्यक उपभोग में कमी को बढ़ावा देना।

आगे की राह:

- वन्यजीवों के संरक्षण हेतु देश में निर्मित सख्त कानूनों के बावजूद इनके शिकार को रोक पाना अभी भी संभव नहीं हुआ है।
- इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकारी एजेंसियों को जवाबदेह बनाए जाने के साथ ही भारत के प्रत्येक नागरिकों की भी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वे वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान न पहुँचाए। देश में वन्यजीवों के संरक्षण हेतु लागू नियम के बारे में लोगों को जागरूक करने की भी अवश्यकता है।

भारत में प्राकृतिक आपदा से विस्थापन

चर्चा में क्यों ?

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (Centre for Science and Environment-CSE) द्वारा जारी एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 50 लाख लोग विस्थपित हुए हैं, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले कुल आंतरिक विस्थापनों (Internal Displacements) में भारत का पाँचवा स्थान रहा। इन प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, सूखा, इत्यादि शामिल हैं।
- वर्ष 2019 में 19 प्रमुख चरम मौसमी की घटनाओं के कारण 1357 लोगों की मृत्यु हुई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण आई बाढ़ से 26 लाख लोग विस्थापित हुए थे, जबकि सिर्फ चक्रवात फानी (Fani) के कारण 18 लाख लोगों का विस्थापन हुआ था।
- गौरतलब है कि 19 राज्यों में सूखे की स्थिति से उत्पन्न समस्याओं के कारण 63 हज़ार लोग विस्थापित हुए हैं।
- रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि कई लोग रोज़गार की तलाश में भी विस्थापित हुए हैं। वर्तमान में लगभग 45 करोड़ लोगों के विस्थापन में से अधिकांश अपने ही राज्य में विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2011 में 1.7 करोड़ से अधिक नए लोग रोज़गार की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में विस्थापित हुए हैं।

रिपोर्ट के अन्य प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट में वन, जल, अपशिष्ट, वायु, भूमि, वन्य जीवन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर भी कुछ जानकारियाँ साझा की गई हैं।
- वर्ष 2014-18 के बीच बाघों की संख्या में 747 की वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि बाघों के संरक्षण के लिये आवंटित कुल क्षेत्र में 179 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है।
- 38% ज़िलों के वन आच्छादन में भी कमी आई है, जबकि 21 में से 5 नदियाँ खत्म होने की कगार पर हैं।

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (Centre for Science and Environment-CSE)

- यह एक गैर-लाभकारी संस्थान है जो भारत में पर्यावरण, विकास के मुद्दों पर थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी

नोट :

- इस संस्थान ने वायु और जल प्रदूषण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा संबंधी पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता एवं शिक्षा का प्रसार करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।
- पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण की दिशा में इसके योगदान के कारण वर्ष 2018 में इसे शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिये इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट:

- गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund- UNICEF) द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं।
- वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमश: फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है।
- भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश, और चीन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले शीर्ष देश हैं, इन देशों में वैश्विक आपदा-प्रेरित विस्थापन का लगभग 69% योगदान है।
- भारत में वर्ष 2019 में कुल 5,037,000 लोगों का आंतरिक विस्थापन हुआ जिनमें से 5,018,000 लोगों का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है।

आर्कटिक क्षेत्र में तेल रिसाव

चर्चा में क्यों ?

रूस के 'आर्कटिक क्षेत्र' में स्थित अंबरनाया (Ambarnaya) नदी में बड़े पैमाने पर 'तेल रिसाव' (Oil Spill) की दुर्घटना के बाद रूसी राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु:

- अंबरनाया नदी, जिसमें तेल रिसाव हुआ है, पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में बहने वाली एक नदी है। 20,000 टन डीज़ल फैलने के बाद, नदी की सतह गहरी लाल रंग की हो गई।
- नोरिल्स्क (Norilsk) नगर; जो आर्कटिक सर्किल के ऊपर स्थित है, के पास स्थित एक बिजली संयंत्र के ईंधन टैंक के गिर जाने के कारण यह घटना हुई है।
- यह दुर्घटना आधुनिक रूसी इतिहास की दूसरी बड़ी 'तेल रिसाव' घटना है। इससे पूर्व ऐसी ही दुर्घटना वर्ष 1994 में हुई थी जिसमें कच्चे तेल का रिसाव कई महीनों तक चला था।

तेल रिसाव का कारण:

- नॉरिल्स्क में स्थित तापविद्युत गृह 'पर्माफ्रॉस्ट' (Permafrost) पर बनाया गया है। पर्माफ्रॉस्ट सतह जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार कमज़ोर हो रही है।
- पर्माफ्रॉस्ट पिघलने के कारण वह आधार; जिस पर संयंत्र का ईंधन टैंक टिका हुआ था, कमज़ोर हो गया तथा 'तेल रिसाव' की दुर्घटना हो गई। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि ईंधन टैंक 30 वर्षों से इसी पर्माफ्रॉस्ट पर टिका हुआ था।

दुर्घटना का प्रभाव:

- पर्यावरणविदों के अनुसार, नदी की सफाई करना मुश्किल होगा क्योंकि नदी एकाकी निर्जन स्थान पर है तथा नदी की गहराई भी बहुत कम है। तेल रिसाव का आयतन भी बहुत अधिक है।
- आर्कटिक जलमार्ग के अवरुद्ध हो जाने के कारण कम-से-कम 76 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है।
- तेल रिसाव से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि तथा मृदा प्रदूषण होगा।

नोट :

पर्माफ्रॉस्ट तथा सक्रिय परत:

- पर्माफ्रॉस्ट (Permafrost) ऐसे स्थान को कहते हैं जो कम-से-कम लगातार दो वर्षों तक कम तापमान पर होने के कारण जमा हुआ हो।
- उत्तरी गोलार्द्ध में लगभग एक चौथाई भूमि क्षेत्र में पर्माफ्रॉस्ट है। पर्माफ्रॉस्ट पर हमेशा हिमावरण नहीं पाया जाता है।
- पर्माफ्रॉस्ट में मृदा, चट्टान और हिम एक साथ पाए जाते हैं।
- पर्माफ्रॉस्ट की ऊपरी मृदा परत जिसे 'सक्रिय परत' (Active Layer) कहा जाता है। ऊपरी सक्रिय परत में हिम ग्रीष्मकाल में पिघल जाती है जबकि शीतकाल में पिघल जाती है।

जलवायु परिवर्तन का पर्माफ्रॉस्ट पर प्रभाव:

- वैश्विक तापन के कारण पर्माफ्रॉस्ट पिघलना शुरू हो जाता है। जिसके निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिल सकते हैं:
- उत्तरी गोलार्द्ध में कई ग्राम पर्माफ्रॉस्ट पर बसे हुए हैं। पर्माफ्रॉस्ट जमी अवस्था में एक मज़बूत आधार के रूप में कार्य करता है परंतु वैश्विक तापन से इसके पिघलने के कारण घरों, सड़कों तथा अन्य बुनियादी ढाँचे के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है।
- जब परमाफ्रॉस्ट जमी अवस्था में होता है तो मृदा में मौजूद जैविक कार्बन का विघटन नहीं हो पाता है परंतु जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो सूक्ष्म जीवाणु इस सामग्री को विघटित करना शुरू कर देते हैं। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में मुक्त होती हैं।

रूस द्वारा उठाए गए कदम:

- क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई है ताकि नदी की सफाई के लिये अतिरिक्त सुरक्षा बलों तथा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- दुर्घटना के बाद विद्युत संयंत्र के प्रमुख को हिरासत में लिया गया है, तथा उसके खिलाफ तीन आपराधिक मामलों के तहत कार्यवाही शुरू की गई है।

निष्कर्ष:

- यदि वैश्विक तापन को 2°C तक सीमित कर लिया जाता है तो वर्ष 2100 के अंत तक पर्माफ्रॉस्ट का एक चौथाई भाग समाप्त होगा। जिससे समुद्र जल स्तर में लगभग 1.1 मीटर तक वृद्धि हो सकती है।अत: पर्माफ्रॉस्ट के संरक्षण के लिये 'आर्कटिक परिषद' के सदस्यों तथा अन्य देशों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिये।

बाघ संरक्षण: चुनौती और प्रयास

चर्चा में क्यों ?

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण (Clarification) के अनुसार, बीते कुछ वर्षों में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority-NTCA) के प्रयासों के फलस्वरूप देश में बाघ संरक्षण की दिशा में वांछित कार्य किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रालय के अनुसार, यह सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि देश में बीते कुछ वर्षों में बाघों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2006, वर्ष 2010, वर्ष 2014 और वर्ष 2018 में किये गए अखिल भारतीय बाघ अनुमान (All India Tiger Estimation) के निष्कर्षों से स्पष्ट है।
- यह सभी परिणाम बाघों की 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर (Growth Rate) दर्शाते हैं, जो कि भारतीय संदर्भ में विभिन्न कारणों से होने वाले बाघों के नुकसान की कमी को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त है।
- वर्ष 2012 से वर्ष 2019 की अवधि के मध्य आँकड़ों पर गौर किया जाए तो ज्ञात होता है कि देश में प्रतिवर्ष बाघों की औसतन मृत्यु दर लगभग 94 रही है।

नोट :

भारत में बाघों की स्थिति

- अखिल भारतीय बाघ अनुमान, 2018 के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2,967 हो गई थी। यह भारत के लिये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि भारत ने बाघों की संख्या को दोगुना करने के लक्ष्य को चार वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है।
  - सर्वेक्षण के अनुसार, देश में मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। हालाँकि, बाघों की संख्या में हुई वृद्धि उन सभी 18 राज्यों में एक समान नहीं हुई है जहाँ बाघ पाए जाते हैं।
  - आँकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक 526 पाई गई, इसके बाद कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में इनकी संख्या 442 थी।
- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 में देश भर में बाघों की मृत्यु के 85 प्रत्यक्ष मामले सामने आए और 11 मामलों में मरने की पुष्टि उनके अंगों के मिलने के आधार पर की गई, जबकि इससे पहले वर्ष 2018 के दौरान बाघों की मृत्यु के 100 मामले, वर्ष 2017 में 115 मामले और वर्ष 2016 में बाघों की मृत्यु के 122 मामले सामने आए थे।
- अखिल भारतीय बाघ अनुमान, 2018 के अनुसार, तीन टाइगर रिज़र्व बक्सा (पश्चिम बंगाल), डंपा (मिज़ोरम) और पलामू (झारखंड) में बाघों के अनुपस्थिति दर्ज की गई।

भारत में बाघ जनगणना

- देश में प्रत्येक 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा पूरे भारत में बाघों की जनगणना की जाती है।
- इस प्रकार का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 2006 में किया गया था।

बाघ संरक्षण के समक्ष चुनौतियाँ:

- अवैध शिकार: उल्लेखनीय है कि अवैध बाज़ारों में बाघ के शरीर के प्रत्येक हिस्से का कारोबार होता है। बाघों का शिकार मुख्यत: दो कारणों से किया जाता है: सबसे पहला उनके कथित खतरे को देखते हुए और दूसरा मौद्रिक लाभ कमाने के उद्देश्य से। ज्ञातव्य है कि ऐतिहासिक रूप से राजा-महाराजा और धनी लोग अपना बाहुबल प्रकट करने के लिये भी शिकार करते थे। एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 1875 और वर्ष 1925 के मध्य भारत में कुल 80,000 बाघ मारे गए थे।
- प्राकृतिक वास का नुकसान: मौजूदा दौर में बाघों की आबादी के लिये सबसे मुख्य खतरा उनके प्राकृतिक निवास स्थान का नुकसान है। एक अनुमान के अनुसार, विश्व भर के बाघों ने अपने प्राकृतिक निवास स्थान का तकरीबन 93 प्रतिशत हिस्सा खो दिया है। इन निवास स्थानों को अधिकांशत: मानव गतिविधियों द्वारा नष्ट किया गया है। वनों और घास के मैदानों को कृषि ज़रूरतों के लिये परिवर्तित किया जा रहा है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष: बाघों के प्राकृतिक निवास स्थान और शिकार स्थान छोटे होने के कारण अधिकांश बाघ पशुधन को मारने के लिये मज़बूर है और जब वे ऐसा करते हैं तो किसान अक्सर जवाबी कार्रवाई करते हैं और बाघों को मार देते हैं।

सरकार के प्रयास- प्रोजेक्ट टाइगर

- शिकार और प्राकृतिक निवास स्थान के नुकसान के कारण 1970 के दशक में भारत में 2,000 से भी कम बाघ शेष बचे थे। वर्ष 1973 में भारत सरकार ने बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया और प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) नाम से एक संरक्षण योजना शुरू की जिसके तहत बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- 'प्रोजेक्ट टाइगर' पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सतत् केंद्र प्रायोजित योजना है जो बाघ संरक्षण के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।
- वर्तमान में 'प्रोजेक्ट टाइगर' के तहत संरक्षित टाइगर रिज़र्व की संख्या 50 हो गई है, हालाँकि ये टाइगर रिज़र्व आकार में अपेक्षाकृत काफी छोटे हैं।

राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है।

नोट :

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की स्थापना वर्ष 2006 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों में संशोधन करके की गई। प्राधिकरण की पहली बैठक नवंबर 2006 में हुई थी।
- यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के प्रयासों का ही परिणाम है कि देश में विलुप्त होते बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक- 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'येल विश्वविद्यालय' (Yale University) द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किये जाने वाले 'पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' (Environment Performance Index- EPI) में भारत 180 देशों में 168वें स्थान पर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- 'पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' येल विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी' तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क' की संयुक्त पहल है। EPI को 'विश्व आर्थिक मंच' (World Economic Forum- WEF) के सहयोग से तैयार किया जाता है।
- 'पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' विश्व के विभिन्न देशों की सतत् स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शन आँकड़ों के आधार पर करता है।

EPI की श्रेणियाँ तथा प्रतिशत हिस्सा:

- EPI को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है।

EPI श्रेणी	प्रतिशत हिस्सेदारी
जैव विविधता और आवास	15%
पारिस्थितिकी सेवाएँ	6%
वायु गुणवत्ता	20%
स्वच्छता और पेयजल	16%
मत्स्यन	6%
जल संसाधन	3%
जलवायु परिवर्तन	24%
प्रदूषक उत्सर्जन	3%
कृषि	3%
अपशिष्ट प्रबंधन	2%
भारी धातु	2%

भारत का प्रदर्शन:

- EPI- 2018 में भारत का स्थान 177वाँ तथा स्कोर 30.57 के स्कोर (100 में से) रहा था। जबकि EPI- 2020 में भारत का स्थान 168 वाँ तथा स्कोर 27.6 रहा है।
- भारत केवल 11 देशों; बुरुंडी, हैती, चाड, सोलोमन द्वीप, मेडागास्कर, गिनी, कोटे डी आइवर, सिएरा लियोन, अफगानिस्तान, म्यांमार और लाइबेरिया, से बेहतर स्थिति में है।
- अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश EPI रैंकिंग में भारत से आगे हैं।

नोट :

प्रमुख देशों की EPI रैंक:	प्रतिशत हिस्सेदारी
देश	रैंक
डेनमार्क	1
लक्ज़मबर्ग	2
अमेरिका	24
चीन	120
लाइबेरिया	180
दक्षिण एशियाई देशों की EPI रैंक:	
देश	रैंक
भूटान	107
श्रीलंका	109
मालदीव	127
पाकिस्तान	142
नेपाल	145
बांग्लादेश	162
भारत	168
अफगानिस्तान	178

भारत का विभिन्न संकेतकों के अनुसार प्रदर्शन:

- भारत का पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रमुख मापदंडों; जिसमें वायु गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पेयजल, भारी धातु, अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल हैं, में प्रदर्शन अन्य देशों की तुलना में खराब रहा है।
- जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से संबंधित मापदंडों पर भी भारत का स्कोर दक्षिण एशिया के औसत स्कोर से कम रहा है।
- दक्षिण एशियाई देशों में 'जलवायु परिवर्तन' संकेतकों में भारत का स्थान पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान (106 वाँ स्थान) पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, विगत 10 वर्षों में ब्लैक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।
- EPI में 'जलवायु परिवर्तन' संबंधी श्रेणी का मूल्यांकन निम्नलिखित संकेतकों के आधार पर किया गया है।
  - समायोजित उत्सर्जन वृद्धि दर;
  - चार प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों तथा एक प्रदूषक से मिलकर बनी श्रेणी में वृद्धि;
  - भूमि आच्छादन में कमी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि दर;
  - ग्रीनहाउस गैस की तीव्रता वृद्धि दर;
  - प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन।

सुशासन का महत्त्व:

- सुशासन किसी भी देश की पर्यावरणीय स्थिति को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसके लिये नीति निर्माण प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, पारदर्शी विनियमन, लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों पर खुली बहस, स्वतंत्र मीडिया, गैर-लाभकारी संगठनों की उपस्थिति, कानून के शासन आदि की भूमिका को बढ़ावा देना चाहिये।

नोट :

रिपोर्ट का महत्त्व:

- EPI संकेतक, समस्या को निर्धारित करने, लक्ष्य निर्धारित करने, रुझानों को ट्रैक करने, परिणामों को समझने तथा सर्वोत्तम नीतियों के निर्माण में मदद करता है।
- EPI, संयुक्त राष्ट्र 'सतत विकास लक्ष्यों' (Sustainable Development Goals- SDGs) को पूरा करने की दिशा में आवश्यक नीति निर्माण में सहायक होता है।
- EPI रैंकिंग यह समझने में मदद करता है कि कौन-से देश पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अन्य देश EPI में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों की नीतियों के अनुसार अपनी घरेलू नीतियों में आवश्यक परिवर्तन ला सकते हैं।

नगर वन योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day- WED) के अवसर पर पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) द्वारा अगले पाँच वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिये 'नगर वन योजना' के कार्यान्वयन की घोषणा की गई हैI

प्रमुख बिंदु:

- इस वर्ष COVID-19 महामारी के चलते इस वर्ष के थीम- नगर वन (शहरी वन) पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यावरण,जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया ।
- यह योजना नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों तथा स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग पर आधारित होगीI
- इस योजना के क्रियान्वयन के लिये भुगतान राशि की व्यवस्था क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 (Compensatory Afforestation Fund Act, 2016- CAMPA) की निधि द्वारा की जाएगी।
- इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में पुणे में की गई।
- पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह पुणे वासियों की पहल के द्वारा वन विभाग तथा स्थानीय निकाय ने एक साथ मिलकर 16.8 हेक्टेयर में फैले 'वारजे शहरी वन क्षेत्र' (Warje Urban Forest) बंजर पहाड़ी क्षेत्र को हरे-भरे जंगलों में बदल दिया।
- वर्तमान समय में आज इस क्षेत्र में जंगली पौधों की 23 प्रजातियों, 29 पक्षी प्रजातियों, 15 तितली प्रजातियों, 10 सरीसृप प्रजातियों और 3 स्तनपायी प्रजातियों के साथ जैव विविधता से समृद्ध है।
- जहाँ पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019 (The India State of Forests Report, 2019) में बताया गया है कि भारत के कुल वन आवरण में वर्ष 2015 और वर्ष 2019 के बीच 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वही दूसरी तरफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (Centre for Science and Environment's) द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के पाँचवें संस्करण में बताया गया है कि देश के कुल 629 ज़िलों के 34 प्रतिशत जंगलों के क्षेत्रफल में कमी आई हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस:

- विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन हर वर्ष 5 जून को किया जाता है।
- इसका आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (The United Nations Environment Programme-UNEP) द्वारा घोषित थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए किया जाता है।

कार्बन सिंक:

- कार्बन सिंक एक वनस्पतिक क्षेत्र, एक जंगल, या फिर एक फाइटोप्लैंकटन-समृद्ध समुद्र हो सकता है जो जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में सहायक होता है।

नोट :

- कार्बन सिंक के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को निष्कासित करने की प्रक्रिया, कार्बन प्रच्छादन (Carbon Sequestration) के रूप में जानी जाती है।

योजना का महत्त्व:

- भारत पशुओं और पौधों की कई प्रजातियों से समृद्ध जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है जहाँ विश्व में मौजूद जैव-विविधता के 35 वैश्विक हॉटस्पॉट्स में से 4 भारत में विद्यमान है।
- समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, शहरीकरण और औद्योगीकरण ने प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल दिया है, जिससे जैव विविधता की निरंतर हानि हो रही है।
- इन सबके साथ बढ़ते शहरीकरण के साथ शहरी क्षेत्रों में भी जैव विविधता को सुरक्षित रखने और बचाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।
- नगर वन योजना इस अंतर को खत्म करने का एक बेहतर तरीका है। इसलिये मंत्रालय द्वारा भी शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिये 'नगर वन' को विश्व पर्यावरण-2020 की थीम के रूप में अपनाया गया है।
- यह योजना कार्बन सिंक (Carbon Sink) की अतिरिक्त मात्रा का संचयन करने में मददगार साबित होगी।
- पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019 में कहा गया है कि भारत के कुल वन आवरण में 2015 और 2019 के बीच 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- इन सब के अलावा यह योजना शहरों में ग्रामीण वन की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने में मददगार साबित होगी।

जीभ की कैंसर कोशिकाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास (IIT Madras), कैंसर संस्थान- चेन्नई के श्री बालाजी डेंटल कॉलेज अस्पताल तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरु (IISc) के शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने एक विशेष माइक्रोआरएनए (microRNA- miRNAs) की पहचान की है जो जीभ का कैंसर होने पर अत्यधिक सक्रिय रूप से दिखाई देता है।

प्रमुख बिंदु:

- शोधकर्त्ताओं द्वारा इस माइक्रोआरएनए को 'miR-155' नाम दिया गया है।
  - ये ऐसे नॉन कोडिंग RNA हैं जो कैंसर को पनपने में मदद करने के साथ ही विभिन्न जैविक और नैदानिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में भी शामिल होते हैं। ऐसे में जीभ के कैंसर के इलाज के लिये इन RNAs में बदलाव कर उपचार की नई तकनीक विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।
- इस शोध कार्य को मॉलिक्यूलर एंड सेल्युलर बायोलॉजी जर्नल (Molecular and Cellular Biology) में प्रकाशित किया गया है।
- miRNA कुछ प्रोटीन के कार्यों को बाधित या सक्रिय कर कैंसर के प्रसार को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिये प्रोग्राम्ड सेल डेथ 4 (Programmed Cell Death 4'-PDCD4) जो एक प्रकार का प्रोटीन है, कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने और फैलने से रोकने में मदद करता है। इस प्रोटीन में किसी किस्म की रुकावट मुख फेफड़े, स्तन, यकृत, मस्तिष्क और पेट के कैंसर के फैलने का मुख्य कारण बनती है।
- शोधकर्ताओं की टीम ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि किस तरह से miR-155 को निष्क्रिय करने या उसका दमन करने से कैंसर कोशिकाएँ मृत हो जाती हैं और कोशिकाओं के पनपने का चक्र समाप्त हो जाता है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से यह माना जा रहा है कि miR-155, PDCD4 को डाउनरेगुलेट करता है लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है।

माइक्रोआरएनए (miRNAs):

- MicroRNAs जीन अभिव्यक्ति के नियमन में शामिल 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड युक्त छोटे, अत्यधिक संरक्षित नॉन-कोडेड RNAs होते हैं।

नोट :

- MiRNAs का मुख्य कार्य अन्य जीनों की अभिव्यक्ति को शांत करना होता है।
- MicroRNAs को पहले से ही जीभ के कैंसर में एक ओंकोजीन (Oncogene) के रूप में पहचाना जाता है।
  - कैंसर से जुड़े MicroRNAs को ओंकोमीर्स या ओंकोमीआर (Oncomirs) कहा जाता है।
  - ये कैंसर फैलाने वाली कोशिकाओं का दमन कर कैंसर को फैलने से रोकने में मदद करते हैं।
  - कुछ ओंकोमीर्स कैंसर को पनपने से भी रोकते हैं।

खोज़ का महत्त्व:

- MiR-155 में आणविक स्तर पर बदलाव के माध्यम से PDCD4 को बहाल किये जाने से कैंसर और विशेषकर जीभ के कैंसर के उपचार के लिये नई तकनीक विकसित की जा सकती है।
- miRNA के मैनीपुलेशन (Manipulation) को पारंपरिक कैंसर उपचार विधियों जैसे- कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी तथा इम्यूनोथेरेपी के साथ जोड़कर देखा जा सकता है।

एयरोसोल लक्षण तथा विकिरण प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार के 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science and Technology- DST) के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान 'आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्ज़र्वेशनल साइंसेज' (Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences- ARIES), नैनीताल के शोधकर्त्ताओं द्वारा देखा गया है कि ट्रांस हिमालय (Trans-Himalayas) पर स्वच्छ वातावरण होने के बावजूद वैश्विक औसत की तुलना में एयरोसोल विकिरण दबाव अधिक है जिसमें कुछ मात्रा में विकिरण का प्रभाव भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु:

- 'साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट'(Science of the Total Environment) पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र से पता चला है कि एयरोसोल के मासिक औसत वायुमंडलीय विकिरण के कारण प्रति दिन गर्मी की मात्रा 0.04-0.13 सेल्सियस की दर से बढ़ रही है।
- इसके अलावा, लद्दाख क्षेत्र का तापमान पिछले 3 दशकों में प्रति दशक 0.3- 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है।
- वायुमंडलीय एयरोसोल पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण की मात्रा तथा इसे अवशोषित करने के अलावा क्लाउड माइक्रोफिज़िक्स(Cloud Microphysics) को संशोधित करके क्षेत्रीय/वैश्विक जलवायु प्रणाली के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- विकिरणकारी बल पर विभिन्न एरोसोल के प्रभाव को निर्धारित करने में उल्लेखनीय प्रगति होने के बावजूद एरोसोल अभी भी जलवायु परिवर्तन के आकलन की प्रमुख अनिश्चितताओं में से एक है।
- इन अनिश्चितताओं को कम करने के लिये एयरोसोल गुणों के सटीक मापन की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से समुद्रों और हिमालय में अत्यधिक ऊँचाई तथा दूरदराज़ वाले उन स्थानों पर जहाँ पर इनकी स्थिति दुर्लभ हैं।

अध्ययन का आधार:

- वैज्ञानिकों द्वारा अपने अध्ययन में जनवरी, 2008 से दिसंबर, 2018 तक एयरोसोल के ऑप्टिकल, भौतिक और विकिरण संबंधी गुणों की परिवर्तनशीलता का विश्लेषण किया गया।
- इसके अलावा एयरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग (Aerosol Radiative Forcing- ARF) में बारीक और मोटे कणों की भूमिका का भी आकलन किया।
- इस अध्ययन में पता चलता है कि एयरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (Aerosol Optical Depth- AOD) द्वारा मई में एक उच्च (0.07) तथा सर्दियों के महीनों में निम्न (0.03) मान के साथ एक अलग प्रकार के मौसमी बदलाव का प्रदर्शन किया गया है।
- बसंत के मौसम में एंगस्ट्रम घातांक (Ångström Exponent- AE) का मान कम रहा, जो मोटे धूल कण (एयरोसोल) की उपस्थिति का सूचक है।

नोट :

- FMF और SSA पर आधारित एयरोसोल के वर्गीकरण से विशेष रूप से बसंत के मौसम में (53 प्रतिशत) हानले (Hanle) और मर्क (Merak) (लेह से 200 किलोमीटर दूर स्थित) क्षेत्र में मध्यम आकार के मिश्रित एरोसोल के मौजूदगी का पता चला। शुद्ध और प्रदूषित धूल (Pure and Polluted Dust) में 16 प्रतिशत और 23 प्रतिशत के अंतर के साथ एयरोसोल को अवशोषित करने तथा 13 प्रतिशत से कम आवृत्ति के साथ ट्रांस-हिमालय में एंथ्रोपोजेनिक एयरोसोल (Anthropogenic Aerosols) और ब्लैक कार्बन (Black Carbon) के क्षीण प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है।
- इसके अलावा, हानले और मर्क क्षेत्र में वायुमंडल के शीर्ष पर एयरोसोल रेडियोएक्टिव फोर्सिंग का मान (-1.3 Wm-2) कम था।

ट्रांस हिमालय:

- ट्रांस हिमालय के हिमालय के उत्तर में स्थित तीन पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है जिनमें शामिल हैं- काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी तथा जास्कर पर्वत श्रेणी।
- ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं ।
- काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित है

एयरोसोल रेडियोएक्टिव फोर्सिंग:

- वायुमंडल के शीर्ष और सतह पर होने वाले विकिरण प्रवाह और वायुमंडल के भीतर विकिरण के अवशोषण पर पोजेनिक एयरोसोल का प्रभाव है।
- इसके माध्यम से बादलों एवं वर्षा पर एरोसोल के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।

एंथ्रोपोज़ेनिक एरोसोल:

- यह मानवजनित एयरोसोल के उदाहरण है।
- इनका निर्माण धुंध कण, प्रदूषक और धुएँ से होता है।

अध्ययन का महत्त्व:

- इस अध्ययन के द्वारा एयरोसोल ऑप्टिकल और माइक्रोफिज़िकल गुणों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है।
- हिमालय के दूर-दराज़ के क्षेत्रों और इंडो-गैंगेटिक मैदानी इलाकों से प्रकाश द्वारा अवशोषित कार्बोनेसियस एयरोसोल (Carbonaceous Aerosols) तथा धूल का परिवहन एक प्रमुख जलवायु समस्या है जो वायुमंडलीय गर्मी और हिमनद के प्रवाह पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।
- हिमालय पर यह गर्मी 'एलिवेटेड-हैट पंप' (Elevated-Hat Pump) की स्थिति बनाती है अर्थात ऐसी स्थिति जो भूमि तथा महासागर के बीच तापमान ढाल को मज़बूत देती है तथा वायुमंडलीय परिसंचरण और मानसूनी वर्षा में बदलाव के लिये भी ज़िम्मेदार है।
- अत: इस अध्ययन के द्वारा एयरोसोल ऑप्टिकल और माइक्रोफिज़िकल गुणों की बेहतर समझ विकसित की जा सकती है जिसके द्वारा एयरोसोल जलवायु प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वायुमंडलीय गर्मी और ट्रांस हिमालय क्षेत्र में हिम/ हिमनद की सफेदी में आये बदलाव के द्वारा एयरोसोल प्रभाव के मॉडलिंग में सुधार किया जा सकता है।

उत्तराखंड में जैव विविधता उद्यान

चर्चा में क्यों ?

विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day- WED) के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी (Haldwani) में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान (Biodiversity Park) खोला गया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह 'जैव विविधता उद्यान ' उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है।
- पार्क को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने दो वर्षों में तैयार किया है। पार्क में एक अत्याधुनिक 'स्वचलित मौसम स्टेशन' (Automatic Weather Station) भी स्थापित किया गया है।

नोट :

- इस स्टेशन पर आगामी वर्षों में जलवायु परिवर्तन के बारे में अवलोकन हेतु पर्यावरण के नौ अलग-अलग मापदंडों को पर हर मिनट दर्ज किया जाएगा।
- जैव विविधता उद्यान में आध्यात्मिक और धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी पौधों की प्रजातियों को अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है।

विशेषताएँ:

- 'जैव विविधता उद्यान' लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें पौधों की लगभग 500 प्रजातियाँ हैं।
- 'जैव विविधता उद्यान' को दस क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जहाँ जलीय पौधों की 25, कैक्टस की 50, क्लेमर्स की 32, 80 विभिन्न प्रकार के पेड़, झाड़ियों की 43, औषधीय जड़ी-बूटियाँ की 40, ताड़ की 25, बाँस की 60, ऑर्किड की 12, और साइकस की 6 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है।
- नीती माना घाटी (Niti Mana Valley) जैसे विभिन्न इलाके और केदारनाथ के आसपास के कुछ हिमनदों से पौधों की विभिन्न प्रजातियों को पार्क में लाया गया है।
- उद्यान में जुरासिक युग के लाइकेन, काई, शैवाल, फ़र्न और गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े बरगद और अशोक जैसे विशाल वृक्ष को भी संरक्षित किया गया है।
- उद्यान में उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी (अल्पाइन, भाभर, दोमट, तराई, इत्यादि) को भी प्रदर्शित किया गया है।

उद्देश्य:

- खनन, तस्करी, आग, सूखा, बाढ़ और निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण दुनिया भर में जैव विविधता तेजी से घट रही है। अत: विलुप्त होने के कगार पर खड़े पौधों और इनके जर्मप्लास्म को संरक्षित करना।
- लोगों को जैव विविधता को बचाने के लिये जागरूक करना।
- मानव जीवन में प्रत्येक पौधे के महत्त्व को बताना।

जैव विविधता (Biodiversity)

- वर्ष 1992 में रियो डि जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई। इस परिभाषा के अनुसार, जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा-अंतक्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह, जिनके ये भाग हैं, में पाई जाने वाली विविधताएँ हैं। इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित है।

जैव विविधता का महत्त्व

- पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव-जंतुओं में उनके आवास और गुणों के आधार पर अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है जो मनुष्यों के लिये अपना अस्तित्व बनाए रखने में अत्यधिक सहायक।
- जैव विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है।
- मनुष्य को जीव-जंतुओं, वनस्पतियों से भोजन, आवास के लिये ज़रूरी संसाधन, कपड़े, औषधियाँ, रबर, इमारती लकड़ी आदि की प्राप्ति के साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार के लिये आवश्यक संसाधनों की भी प्राप्ति होती है।
- जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जैव विविधता में समृद्धि पारितंत्र को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में सहायक है।

राइन नदी के जल स्तर में कमी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जर्मनी की राइन नदी शुष्क ग्रीष्मकाल के शरुआती दिनों में ही पिछले दो दशकों की तुलना में अपने न्यूनतम जल स्तर पर पहुँच गई है। इसके चलते यूरोप के सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग पर शिपिंग में व्यवधान की आशंका व्यक्त की जा रही है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- जर्मनी की अंतर्देशीय जलमार्ग एजेंसी के अनुसार, बसंत ऋतु में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण फ्रैंकफर्ट के पास काब (Kaub) नामक एक प्रमुख चोकपॉइंट में राइन नदी का जल स्तर 3 जून को लगभग 1 मीटर तक नीचे पहुँच गया है जो पिछले दो दशकों का सबसे निम्नतम स्तर है।
- एजेंसी के आँकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल की शुरुआत में ही राइन नदी में जल स्तर 40% तक गिर गया था।
- वर्ष 2018 में इस आशंका को व्यक्त किया गया था क्योंकि तब भी जल स्तर इतना कम हो गया था कि नदी औद्योगिक जहाज़ों की आवाजाही के लिये सुगम्य नहीं रही थी।
- इसके चलते उत्तरी सागर के बंदरगाहों पर स्थित कारखानों में कच्चे माल की आपूर्ति बाधित हो गई थी ।

राइन नदी:

- खनिज संपदा से भरपूर औद्योगिक क्षेत्र में बहने के कारण इस नदी का महत्त्व व्यापारिक मार्ग के रूप में अधिक है।
- राइन नदी स्विस आल्प्स में उच्च स्रोत से निकलने के साथ, उत्तरी सागर के मुहाने पर स्थित रॉटरडम बंदरगाह तक लगभग 800 मील (1,300 किलोमीटर) से अधिक की दूरी तय करती है।
- उत्तरी सागर में गिरने से पहले यह यूरोप के महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को बंदरगाहों के माध्यम से सामान की आपूर्ति करती है।
- इस नदी में जल की आपूर्ति वर्षा के पानी तथा हिमनदों के पिघलन (ग्लेशियल रन-ऑफ) से होती है।

नदी के जल स्तर में कमी के कारण:

- पिछले कुछ वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों पर बर्फ का निर्माण कम हो रहा है।
- वर्तमान में यूरोप द्वारा अत्यधिक शुष्क गर्मी का सामना किया जा रहा है।
- मध्य यूरोप में सामान्य से कम वर्षा के साथ-साथ, शुष्क बसंत मौसम का होना।
- वर्ष 2019 की हीट वेव के कारण भू-जल स्तर भी कम हो गया है। जल स्तर की इस कमी ने मिट्टी तथा वनस्पति की आर्द्रता को भी प्रभावित किया है।
- जर्मनी की अंतर्देशीय जलमार्ग एजेंसी के अनुसार, इस वर्ष जल के सभी सामान्य स्रोतों में कमी देखी गई है।

आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव:

- राइन नदी में जल स्तर की कमी के चलते डीज़ल ईंधन आधारित नावों को यदि काब से आगे जाना है तो वे अपनी कुल क्षमता का 40% ही लोड कर पा रही हैं।
- यूरोप के कारखानों द्वारा डुइसबर्ग (Duisburg) में वैकल्पिक माल परिवहन को बुक किया गया है, ताकि कारखानों में कच्चे माल की आपूर्ति बाधित न हो।
- अगर पानी का स्तर लगातार इसी प्रकार कम बना रहा तो राइन नदी का उपयोग करने वाली रिफाइनरियों को वर्ष 2018 की तुलना में तेल का कम उत्पादन करना पड़ेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

गहरे महासागरीय भागों में माइक्रोप्लास्टिक

चर्चा में क्यों:

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने एक अध्ययन में सागरीय जैव विविधता के हॉटस्पॉट माने जाने वाले गहरे समुद्री क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण के कारण 'माइक्रोप्लास्टिक हॉटस्पॉट' बनने की संभावना व्यक्त की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- माइक्रोप्लास्टिक को समुद्री सतह के लिये एक प्रमुख प्रदूषक माना जाता है, लेकिन समुद्र के गहरे भागों में इसके विसरण तथा संकेंद्रण को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में सटीक जानकारी का अभाव है।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा माइक्रोप्लास्टिक के स्थानिक वितरण एवं इसके गहरे समुद्र में अवतलन की प्रक्रिया तथा गहरे महासागरों के जैव विविधता हॉटस्पॉट पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया गया है।

माइक्रोप्लास्टिक (Microplastic):

- माइक्रोप्लास्टिक्स पाँच मिलीमीटर से भी छोटे आकर के प्लास्टिक के टुकड़ें होते हैं। इसमें माइक्रोबीड्स भी (एक मिलीमीटर से कम आकार के ठोस प्लास्टिक कण) शामिल हैं जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं।
- सौंदर्य प्रसाधन तथा व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के अलावा अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक्स का निर्माण ऐसे प्लास्टिक, जिनका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, के सूर्य के तापन या अन्य भौतिक क्रियाओं के कारण टूटने से होता है।

शोध के प्रमुख निष्कर्ष:

- ऐसा माना गया है की जिस प्रकार 'थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन' (Thermohaline Circulations) अवसादों के समुद्र तल में जमाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसी प्रकार यह माइक्रोप्लास्टिक के वितरण को नियंत्रित करके माइक्रोप्लास्टिक हॉटस्पॉट का निर्माण कर सकता है।
- थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन से उत्पन्न धाराएँ गहरे सागरीय भागों में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति करती हैं, इसलिये गहरे सागरीय भागों के 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' के 'माइक्रोप्लास्टिक हॉटस्पॉट' में बदलने की संभावना है।
- इन गहरे सागरीय भागों में पाए जाने बेंथोस अर्थात तलीय जीव माइक्रोप्लास्टिक से प्रभावित हो सकते हैं।

थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन (Thermohaline Circulations):

- महासागरीय धाराएँ सामान्यत: समुद्री सतह से 100 मीटर ऊँचाई तक चलने वाली वायु द्वारा उत्पन्न होती हैं। हालाँकि समुद्र के गहरे भागों में भी समुद्री धाराएँ पाई जाती हैं।
- सागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- सतही धाराएँ (Surface Currents):
  - ये धाराएँ महासागरीय सतह से 400 मीटर गहराई तक चलती हैं तथा महासागरों के संपूर्ण जल के लगभग 10% भाग का प्रतिनिधित्त्व करती हैं।
- गहरी महासागरीय धाराएँ (Deep Ocean Currents):
  - ये धाराएँ 90% समुद्री जल का वहन करती हैं। ये धाराएँ पानी के घनत्व में अंतर से उत्पन्न होती हैं, जिसे तापमान (Thermo) और लवणता (Haline) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
  - इस घनत्व में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली सागरीय धाराओं की प्रक्रिया को थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन के रूप में जाना जाता है।
- ध्रुवीय क्षेत्रों में सागरीय जल के शीतित होने पर हिम का निर्माण होता है जिससे इन क्षेत्रों में सागरीय जल की लवणता बढ़ जाती है। यह ध्यातव्य है कि जल के हिम में बदलने पर लवण अवशिष्ट के रूप में रह जाता है।
- सागरीय जल की लवणता बढ़ने पर जल का घनत्व भी बढ़ जाता है तथा सागरीय जल भारी होने के कारण अवतलित होने लगता है इससे ध्रुवीय क्षेत्र की ओर विषुवतीय सतही जल अपवाहित होने लगता है ताकि प्रतिसंतुलन बना रहे। इस प्रकार गहरे सागरीय भागों में समुद्री धाराएँ उत्पन्न हो जाती है।

आगे की राह:

- 'सिंगल यूज प्लास्टिक' (Single Use Plastic) जैसे- प्लास्टिक की थैलियाँ, स्ट्रॉ, सोडा और पानी की बोतलें तथा अधिकांशत: खाद्य पैकेजिंग के लिये प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक के उपयोग में कमी को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है क्योंकि यह प्लास्टिक प्रदूषण का प्रमुख तथा खतरनाक स्रोत है।

नोट :

- प्लास्टिक के पुन: चक्रण को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के लिये कर छूट, अनुसंधान, सार्वजनिक-निजी भागीदारी आदि को समर्थन देने की आवश्यकता है।
- जैव-निम्नीकरणीय प्लास्टिक के निर्माण को, जैसे बैगास (गन्ने से रस निकालने के बाद का अवशेष) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गुजरात राज्य के वन विभाग के अनुसार, राज्य में गिर के जंगलों और सौराष्ट्र के अन्य कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले 'एशियाई शेरों' (Asiatic Lion) संख्या में वृद्धि दर्ज़ की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- गुजरात वन विभाग द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 में की गई गणना की तुलना में राज्य में एशियाई शेरों की संख्या में लगभग 29% वृद्धि हुई है।
- वन विभाग द्वारा नवीन जनगणना के अनुसार, वर्तमान में राज्य में एशियाई शेरों की कुल संख्या 674 बताई गई है, जबकि वर्ष 2015 में यह संख्या मात्र 523 ही थी।
- वर्तमान में राज्य के कुल 674 एशियाई शेरों में 260 मादा, 161 नर, 45 नर उप-वयस्क, 49 मादा उप-वयस्क, 22 (अज्ञात लिंग) और 137 शावक हैं।
- साथ ही इस दौरान राज्य में एशियाई शेरों के प्रवास क्षेत्रफल में भी 36% वृद्धि हुई है, वर्तमान में राज्य में एशियाई शेरों का प्रवास क्षेत्रफल वर्ष 2015 के 22,000 वर्ग किमी. से बढ़कर 30,000 वर्ग किमी. तक पहुँच गया है।
  - हालिया जनगणना में वर्ष 2015 में एशियाई शेरों के प्रवास के रूप में चिह्नित क्षेत्रों के अलावा राज्य के दो अन्य ज़िलों (सुरेंद्रनगर और मोरबी) को भी शामिल किया गया था।

एशियाई शेर (Asiatic lion):

- एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पर्सिका (Panthera Leo Persica) है।
- ये मुख्यत: गिर के जंगलों और जूनागढ़, अमरेली तथा भावनगर ज़िलों में फैले कुछ अन्य संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- एशियाई शेर को 'भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972' के तहत अनुसूची-I में रखा गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) की रेड लिस्ट में एशियाई शेर को संकटग्रस्त (Endangered) श्रेणी में रखा गया है।

जनगणना प्रक्रिया:

- इस वर्ष राज्य में एशियाई शेरों की संख्या का अनुमान जनगणना से नहीं, बल्कि 'पूनम अवलोकन' (Poonam Avlokan) नामक एक निगरानी प्रक्रिया के माध्यम से लगाया गया था।
- पूनम अवलोकन:
  - पूनम अवलोकन, शेरों की गणना के लिये प्रत्येक माह में पूर्णिमा (Full Moon) की तिथि को आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है।
  - इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में वन विभाग द्वारा वर्ष 2015 की 'शेर जनगणना' (Lion Census) की तैयारियों के तहत की गई थी।
  - इसके तहत निर्धारित तिथि को वन विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय कर्मचारी 24 घंटे के दौरान अपने कार्यक्षेत्र में शेरों की संख्या और उनकी अवस्थिति के आँकड़े दर्ज़ करते हैं।

नोट :

सामान्य शेर जनगणना और 'पूनम अवलोकन' में अंतर:

- पूनम अवलोकन की तुलना में सामान्य शेर जनगणना में अधिक कर्मचारी शामिल होते हैं, जो इस प्रक्रिया को ज़्यादा विश्वसनीय बनाती है।
- वर्ष 2015 की जनगणना में लगभग 2000 अधिकारी, विशेषज्ञ और स्वयं सेवकों ने भाग लिया था जबकि इस माह आयोजित पूनम अवलोकन में लगभग 1400 अधिकारियों और कुछ विशेषज्ञों को शामिल किया गया था।
- सामान्यत: शेर जनगणना दो से अधिक दिनों तक चलती है, जिसके तहत एक प्राथमिक जनगणना (Primary Census) और एक मुख्य/अंतिम जनगणना (Final Census) का कार्य पूरा किया जाता है।
- इस प्रक्रिया में 'ब्लॉक गणना विधि' (Block Counting Method) का प्रयोग किया जाता है, जिसके तहत जनगणना प्रगणक किसी दिए गए ब्लॉक में जल स्रोतों पर तैनात किये जाते हैं और ये प्रगणक उस ब्लॉक में 24 घंटे के दौरान जल स्रोतों पर देखे गए शेरों की गणना करते हैं।
- वहीं 'पूनम अवलोकन' की प्रक्रिया में सामान्यत: केवल वन विभाग के अधिकारी ही शामिल होते हैं और इसकी कार्यप्रणाली भी भिन्न है।
- इसके तहत प्रगणक दल जल स्रोत पर स्थिर रहने की बजाय अपने निर्धारित क्षेत्र में चलता रहता है और इस दौरान 'लायन ट्रैकर्स' (Lion Trackers) से प्राप्त इनपुट और देखे गए शेरों के आधार पर उनकी कुल संख्या का आकलन किया जाता है।

शेरों की जनगणना की शुरुआत:

- प्रथम शेर जनगणना वर्ष 1936 में जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब द्वारा कराई गई थी।
- वर्ष 1965 से वन विभाग नियमित रूप से हर पाँच वर्ष पर शेरों की जनगणना करता रहा है।
- इससे पहले 6वीं, 8वीं और 11वीं जनगणना का आयोजन विभिन्न कारणों से एक वर्ष की देरी से हुआ था।

जनगणना रद्द किये जाने का कारण:

- हर पाँचवें वर्ष नियमित रूप से होने वाली यह जनगणना इस वर्ष देश में फैली COVID-19 महामारी के कारण निर्धारित तिथि पर नहीं आयोजित की जा सकी थी।
- 25 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद वन विभाग के लगभग 1500 से अधिक वन रक्षक, रेंज वन अधिकारी और कुछ अन्य कर्मचारियों को लॉकडाउन को सही तरह से लागू कराने के लिये तैनात कर दिया गया था।

वर्ष 2020 की जनगणना का महत्त्व:

- वर्ष 2015 की जनगणना में एशियाई शेरों की संख्या 411 (वर्ष 2010) से बढ़कर 523 तक पहुँच गई थी।
- परंतु इस जनगणना के एक माह बाद ही अमरेली (गुजरात) में अचानक आई तीव्र बाढ़ में 12 शेरों की मृत्यु हो गई थी।
- इसके बाद वर्ष 2018 में 'कैनाइन डिस्टेंपर वायरस' (Canine Distemper Virus-CDV) और 'बबेसिओसिस' (Babesiosis) के प्रकोप के कारण 20 से अधिक शेरों की मृत्यु हो गई थी।
- इस वर्ष के ग्रीष्मकाल में भी गिर के जंगलों में 'बबेसिओसिस' के प्रकोप की सूचनाएँ मिली थी और लगभग 23 एशियाई शेरों की मृत्यु हो गई थी।

एशियाई शेरों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण:

- हाल के कुछ वर्षों में गिर के जंगलों में एशियाई शेरों की आबादी में लगातार वृद्धि देखी गई है।
- वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिये विभाग द्वारा तकनीकी के प्रयोग और अन्य महत्त्वपूर्ण प्रयासों के माध्यम से प्रवास प्रबंधन, शिकार और भोजन की व्यवस्था तथा मानव-पशु संघर्ष को कम किया गया है।
- साथ ही 'कैनाइन डिस्टेंपर वायरस' से निपटने के लिये वैक्सीन का आयात भी किया गया था।
- वर्ष 2018 में 'केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) द्वारा 'एशियाई शेर संरक्षण परियोजना' (Asiatic Lion Conservation Project) की शुरुआअत की गई थी।

नोट :

आगे की राह:

- हाल के वर्षों में प्राकृतिक और मानव-पशु संघर्षों के कारण एशियाई शेरों की असमय मृत्यु की कई घटनाओं के बीच उनकी आबादी में वृद्धि, सरकार द्वारा चलाए जा रहे संरक्षण के प्रयासों के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।
- अधिकांश वन्य जीवों की असमय मृत्यु का प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं, ऐसे में सरकार द्वारा वन्य जीवों के प्रवास के संरक्षण के साथ मानव-पशु संघर्षों को कम करने के लिये आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।
- साथ ही हाल के वर्षों में वन्य जीवों में अज्ञात संक्रामक रोगों के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में इसके उपचार के प्रबंध और शोध पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

प्रथम अनुमानित 'गौर' जनसंख्या अभ्यास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीलगिरि वन प्रभाग (Nilgiris Forest Division) द्वारा भारतीय गौर (Gaur) की जनसंख्या का प्रथम अनुमानित अभ्यास (First Population Estimation Exercise) किया गया जिसे इस वर्ष फरवरी में आयोजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- नीलगिरि वन प्रभाग के अनुमानित आकलन के अनुसार, पूरे मंडल में 2,000 से अधिक भारतीय गौर निवास करते हैं।
- नीलगिरि वन प्रभाग के आँकड़ों के अनुसार, इस अभ्यास की एक सप्ताह की अवधि में विभाग के कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों द्वारा 794 गौरों को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया।
- नीलगिरि वन प्रभाग के आँकड़ों के अनुसार, प्रति वर्ग किलोमीटर में आठ व्यक्तियों के औसत के साथ मंडल में 2,000 से अधिक भारतीय गौरों की मौजूदगी देखी गई।

भारतीय गौर (Indian Gaur):

- स्थानिक नाम- गौर (Gaurus))
- वैज्ञानिक नाम- बोस गोरस (Bos Gaurus)
- मूल रूप से यह दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया मे पाया जाने वाला एक बड़ा, काले लोम (बालों का आवरण) से ढका गोजातीय पशु है।
- वर्तमान समय में इसकी सबसे अधिक आबादी भारत में पाई जाती है।

गौर जनसंख्या अभ्यास की आवश्यकता क्यों ?

- पिछले कुछ वर्षों में नीलगिरि प्रभाग के आसपास के क्षेत्रों जैसे- कुन्नूर, उदगमंडलम, कोटागिरी तथा कुंडाह में अन्य प्रमुख जीवों के साथ-साथ भारतीय गौर तथा मनुष्यों के बीच टकराव की घटनाएँ सामने आई हैं ।
- इसके कारण मानवीय निवासों के पास गौर की बढ़ती आबादी के आकलन की आवश्यकता हुई।
- वर्ष 2019 में, भारतीय गौर द्वारा तीन लोगों को मारे जाने तथा कई को घायल करने की घटनाएँ देखी गईं थीं।

मानव बस्तियों के पास गौर ?

- आकलन के दौरान देखा गया कि भारतीय गौर की अधिकांश संख्या कुंडाह, कोटागिरी, कुन्नूर तथा कट्टाबेटू के आसपास अधिकांश ऐसे हिस्से में हैं जहाँ खाने पीने की दुकानें जैसे- चाय, रेस्टोरेंट इत्यादि है।
- इसका कारण मानव बस्तियों तथा उनके आस पास भोजन की आसान उपलब्धता, जंगल में शिकारियों से सुरक्षा तथा आरक्षित जंगलों में आक्रामक वनस्पतियों का बढ़ता प्रसार हो सकता है।
- कुछ ऐसे भी क्षेत्र देखे गए जहाँ भारतीय गौर की आबादी कम थी, जैसे-पकारा तथा नादुवट्टम क्षेत्र क्योंकि इन जगहों का वन क्षेत्र बड़े पैमाने पर आक्रामक वानस्पतिक प्रजातियों से मुक्त था।

नोट :

भारतीय गौर की मौत:

- पिछले एक दशक में उनकी आबादी में लगातार वृद्धि होने के कारण शहरों के भीतर भारतीय गौर को अधिक देखा जा रहा है।
- नीलगिरि वन प्रभाग में हर साल औसतन 60 गौर मर जाते हैं।
- इनमें से कई मानव आवास के करीब होने वाली दुर्घटनाओं की शिकार हो जाती हैं।

जनसंख्या अभ्यास का महत्त्व:

- इस प्रकार के जनसंख्या आकलन से गौरों की वास्तविक संख्या एवं निवास क्षेत्र का पता किया जा सकता है जिसके चलते मानव-गौर के मध्य हिंसक संघर्ष को रोका जा सकता है।
- गौरों की वास्तविक निवास स्थिति के आधार पर इनका संरक्षण क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता है।

चक्रवात अम्फान का सुंदरबन पर प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आए चक्रवात 'अम्फान' (Amphan) के कारण 'सुंदरबन' (Sunderbans) का 28% से अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है।

प्रमुख बिंदु:

- अम्फान के कारण लगभग 1200 वर्ग किमी. में फैले मैंग्रोव वन क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्य वन संरक्षक के अनुसार, ज्यादातर क्षति दक्षिण 24 परगना के पथारप्रतिमा और कुलतली इलाकों में हुई है। भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन को अत्यधिक क्षति हुई है, जबकि बांग्लादेश की तरफ कम क्षति हुई है।
- गौरतलब है कि विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day- WED) के अवसर पर पश्चिम बंगाल में 'मैंग्रोव' और अन्य पेड़ लगाने हेतु अभियान भी चलाया जा रहा है।
- पश्चिम बंगाल सरकार ने वन विभाग को 14 जुलाई, 2020 तक मैंग्रोव के 3.5 करोड़ पौधे लगाने हेतु तैयारी करने के निर्देश दिये हैं।
- गौरतलब है कि 'डैम्पियर हॉजज़ लाइन' (Dampier Hodges line) के दक्षिण में स्थित भारतीय सुंदरबन 9630 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से मैंग्रोव वन 4263 वर्ग किमी. में फैले हुए हैं।
  - 'डैम्पियर हॉजज़ लाइन' (Dampier-Hodges line)- यह एक काल्पनिक रेखा है जो 24 परगना दक्षिण और उत्तरी ज़िलों से होकर गुजरती है और ज्वार-भाटा से प्रभावित एश्चुअरी ज़ोन की उत्तरी सीमा को इंगित करती है।
- बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के बाद भी क्षतिग्रस्त मैंग्रोव वन की पुनर्स्थापना में वर्षों लग सकते हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि मैंग्रोव न केवल हवा की गति को कम करते हैं बल्कि चक्रवात के दौरान समुद्री लहरों की गति को भी कम करते हैं।

मैंग्रोव परितंत्र (Mangrove Ecosystem):

- मैंग्रोव सामान्यत: वे वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वारनदमुख, ज्वारीय कीक्र, बैकवाटर (Backwater), लैगून एवं पंक जमावों में विकसित होते हैं।
- मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द 'मैग्यू' तथा अंग्रेजी शब्द 'ग्रोव' से मिलकर हुई है।
- ऐसा समझा जाता है कि मैंग्रोव वनों का सर्वप्रथम उद्गम भारत के मलय क्षेत्र में हुआ और आज भी इस क्षेत्र में विश्व के किसी भी स्थान से अधिक मैंग्रोव प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- यह धारणा कि मैंग्रोव केवल खारे पानी में उग सकते हैं सही नहीं है। ये ताज़े पानी वाले स्थानों पर भी उग सकते हैं लेकिन तब इनकी वृद्धि सामान्य से कम होती है।
- किसी मैंग्रोव क्षेत्र में पौधों की प्रजातियों की संख्या तथा उनके घनत्व को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक उस क्षेत्र की वनस्पतियों के खारे पानी को सहन करने की क्षमता तथा तापमान है।

नोट :

मैंग्रोव की विशेषताएँ:

- मैंग्रोव प्रजातियाँ बहुत अधिक सहनशील होती हैं और प्रतिदिन खारे पानी के बहाव को झेलती हैं।
- सभी मैंग्रोव पौधे अपनी जड़ों से पानी का अवशोषण करते समय नमक की कुछ मात्रा को अलग कर देते हैं, साथ ही ये पौधे दूसरे पौधों की अपेक्षा नमक की अधिक मात्रा अपने ऊतकों में सहन कर सकते हैं।
- मैंग्रोव पौधे अस्थिर भूमि में उगते हैं। इनकी विलक्षण जड़ें इन्हें न केवल स्थायित्त्व प्रदान करती हैं बल्कि धाराओं के तेज़ बहाव और तूफानों में भी मज़बूती से खड़ा रखती हैं और श्वसन में सहायता करती हैं।
- मैंग्रोव पौधों में विशेष श्वसन जड़ों का विकास होता है जिनके माध्यम से ये पौधे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान करते हैं। इन जड़ों को 'न्यूमेटोफोर्स' कहते हैं।

भारत में मैंग्रोव वनस्पति:

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट- 2017 (India State of Forest Report-ISFR) के अनुसार, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र 4921 वर्ग किमी. है, जिसमें वर्ष 2015 के आकलन की तुलना में कुल 181 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।
- मैंग्रोव वनस्पति वाले सभी 12 राज्यों में पिछले आकलन की तुलना में सकरात्मक बदलाव देखा गया है।

राज्य/संघ क्षेत्र	कच्छ वनस्पति स्थल
पश्चिम बंगाल	सुंदरबन
ओडिशा	भीतरकनिका, महानदी, स्वर्णरेखा, देवी-कोड़ा ,धामरा,
आंध्रप्रदेश	कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा
तमिलनाडु	पिचवरम, मुथुपेट, पुलीकट, काजुवेली
अंडमान एवं निकोबार	उत्तरी अंडमान, निकोबार
केरल	वेम्बनाड, कन्नूर (उत्तरी केरल)
कर्नाटक	कुंडापुर, दक्षिण कन्नड/होनावर, कारवार, मंगलौर
गोवा	गोवा
महाराष्ट्र	अचरा-रत्नागिरी, देवगढ़ -विजय दुर्ग, वेलदुर
गुजरात	कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी

सुंदरबन (Sunderbans):

- सुंदरबन 'यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल' (UNESCO World Heritage site) है जो कोलकाता से लगभग 110 किलोमीटर दूर 24 परगना ज़िले के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित है।
- यह भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला दलदलीय वन क्षेत्र है तथा यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है।
- सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का एक हिस्सा है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से मिलकर बना है।
- सुंदरबन का जंगल भारत और बांग्लादेश में लगभग 10000 वर्ग किमी. में फैला हुआ है, जिसमें से 40% भाग भारत में स्थित है।
- वर्ष 1973 में इसे टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया तथा वर्ष 1984 में इसे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया।

यूनाइटेड किंगडम की 'जेट ज़ीरो ' योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'यूनाइटेड किंगडम' (United Kingdom) ने उड्डयन क्षेत्र में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से 'जेट ज़ीरो' (Jet Zero) योजना पर कार्य करने की घोषणा की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2050 तक देश को 'शुद्ध-शून्य अर्थव्यवस्था' (Net-Zero Economy) बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान पहल इसी का एक भाग है।
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य अटलांटिक पारगमनीय उड़ानों को कार्बन-मुक्त बनाना है।

जेट ज़ीरो पहल का उद्देश्य:

- जेट ज़ीरो योजना पर कार्य करने के लिये 'जेट ज़ीरो काउंसिल' (Jet Zero Council) का गठन किया गया है। जिसका उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना है:
  - विभिन्न हितधारकों यथा उड्डयन क्षेत्र से जुड़े लोगों, पर्यावरण समूहों तथा सरकार के नेताओं को एक साथ लाना;
  - COVID-19 महामारी के बाद उड्डयन क्षेत्र में हरित पहल को पुन: प्रारंभ करना;
  - उड्डयन क्षेत्र में भविष्य की उड़ानों में 'शुद्ध शून्य उत्सर्जन' (Net Zero Emissions) को संभव बनाना।

GHGs उत्सर्जन में योगदान:

- वर्ष 2018 में उड्डयन क्षेत्र का कुल CO_2 उत्सर्जन में योगदान 2.4 प्रतिशत था। हालाँकि यह उत्सर्जन मात्रा अन्य औद्योगिक क्रियाओं की तुलना में कम प्रतीत होती है परंतु कुल वैश्विक तापन में वाणिज्यिक उड्डयन क्षेत्र का योगदान 5 प्रतिशत है।
- यात्री परिवहन का GHGs उत्सर्जन में 81 प्रतिशत तथा माल परिवहन का शेष 19 प्रतिशत योगदान है।

प्रमुख उत्सर्जक:

- वाणिज्यिक उड्डयन के जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव प्रक्रिया बहुत जटिल हैं। इन उत्सर्जकों की मात्रा तथा प्रभवा सतह से उच्च ऊँचाई से साथ-साथ भिन्न-भिन्न देखने को मिलता है।
- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2):
  - कुल उड्डयन उत्सर्जकों में CO_2 का लगभग 70 प्रतिशत योगदान है तथा 'वैश्विक तापन' पर धनात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है।
- जलवाष्प:
  - जलवाष्प दूसरा प्रमुख उत्सर्जक है जो जेट ईंधन की खपत से उत्पन्न होता है। ये जलवाष्प शीघ्र ही 'हिम क्रिस्टल' के नाभिक का निर्माण करते हैं। जिससे सिरस (Cirrus) बादलों का निर्माण होता है।
  - ये सिरस बादल अवरक्त किरणों को अवशोषित करते हैं जिससे CO_2 की तुलना में 3 गुना अधिक तापन प्रभाव पड़ता है।
- नाइट्रस गैस:
  - नाइट्रस गैसें शीतलन तथा तापन दोनों प्रभाव उत्पन्न करती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड रासायनिक क्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण करते हैं, जो वैश्विक तापन प्रभाव उत्पन्न करती है। दूसरी तरफ यह मीथेन से क्रिया करके उसकी मात्रा को कम करती है जिससे शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। हालाँकि नाइट्रस गैसों का शुद्ध प्रभाव 'वैश्विक तापन' है।

कणकीय पदार्थ:

- कणकीय पदार्थों में हाइड्रोकार्बन, कालिख और सल्फेट्स शामिल हैं। सल्फेट्स सूर्य की किरणों को परावर्तित करके शीतलन प्रभाव दर्शाते हैं। कालिख ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तथा नाभिकीय क्रिस्टल के रूप में कार्य करके वातावरण में हिम का निर्माण करते हैं।

उड्डयन उत्सर्जन का विनियमन:

- इंजनों की प्रमाणीकरण आवश्यकताओं के माध्यम से उड्डयन संचालन से उत्पन्न उत्सर्जन को विनियमित किया जाता है। वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ने दो स्तरीय योजना के माध्यम से नवीन विमानों के लिये CO_2 उत्सर्जन मानकों की स्थापना की है।
  - प्रथम स्तरीय मानक उन विमानों पर लागू किया गया है, जिनका पहले से निर्माण किया जा चुका है या जिनका निर्माण कार्य जारी है।
  - दूसरे स्तर के मानक जो अधिक कठोर होंगे उन्हे वर्ष 2020 तक व्यावसायिक जेट तथा वर्ष 2023 तक बिज़नेस जेट के संबंध में लागू किया जाएगा।

नोट :

जेट ज़ीरो पहल का महत्त्व:

- यू.के. के पास विमानन क्षेत्र में 'सतत् उड्डयन ईंधन' (Sustainable Aviation Fuels) के उत्पादन तथा विद्युत आधारित उड्डयन सेवा में एक अग्रणी सेवा प्रदाता बनने का अवसर है।
- ब्रिटेन में वर्तमान में कुछ कंपनियाँ 'विमानन जैव ईंधन संयंत्र' के निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रही है। अत: ब्रिटेन के समक्ष 'विमानन जैव ईंधन' में प्रमुख प्रौद्योगिकी निर्यातक देश बनने का अवसर है।

संभावित चुनौतियाँ:

- विमानन क्षेत्र का कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 2% योगदान है, तथा वर्ष 2005 के बाद से इस क्षेत्र में GHGs के उत्सर्जन में 70% तक वृद्धि देखी गई है।
- 'अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन' (International Civil Aviation Organization) के अनुसार इस विमानन क्षेत्र में उत्सर्जन गतिविधियों को कम करने की दिशा में आवश्यक उपायों को नहीं अपनाया गया तो वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन वर्तमान स्तर से 300% अधिक हो जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organisation-ICAO):

- यह संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1944 में राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन अभिसमय (शिकागो कन्वेंशन) के संचालन तथा प्रशासन के प्रबंधन हेतु की गई थी।
- इसका एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की सुरक्षित तथा व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

पर्माफ्रॉस्ट व जलवायु परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित विद्युत संयंत्र से हुए लगभग 20,000 टन तेल रिसाव (Oil Spil) का मुख्य कारण पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने को माना जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- मॉस्को से 3,000 किमी उत्तर-पूर्व में स्थित नॉरिल्स्क (Norilsk) शहर में भू-तापीय विद्युत संयंत्र पूरी तरह से पर्माफ्रॉस्ट पर निर्मित किया गया था।
- कई वर्षों में जलवायु परिवर्तन और अन्य मौसमी घटनाओं के कारण पर्माफ्रॉस्ट कमज़ोर हो गया था, परिणामस्वरूप पर्माफ्रॉस्ट पर बने भू-तापीय विद्युत संयंत्र के स्तंभ गिर गए, जिससे संयंत्र से तेल का रिसाव प्रारंभ हो गया।
- इस तेल के रिसाव के कारण आर्कटिक क्षेत्र से बहने वाली अंबरनाया नदी व्यापक रूप से प्रदूषित हो गई जिससे सूक्ष्म जीवों को व्यापक हानि पहुँचने की आशंका व्यक्त की गई है।
- यह दुर्घटना रूस के इतिहास की दूसरी बड़ी तेल रिसाव की घटना है। इससे पूर्व ऐसी दुर्घटना वर्ष 1994 में कच्चे तेल के रिसाव के कारण हुई थी।

क्या है पर्माफ्रॉस्ट ?

- पर्माफ्रॉस्ट अथवा स्थायी तुषार-भूमि वह मिट्टी है जो 2 वर्षों से अधिक अवधि से शून्य डिग्री सेल्सियस (32 डिग्री F) से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में है।
- पर्माफ्रॉस्ट मिट्टी में पत्तियाँ, टूटे हुए वृक्ष आदि के बिना क्षय हुए पड़े रहते है। इस कारण यह जैविक कार्बन से समृद्ध होती है।
- जब मिट्टी जमी हुई होती है, तो कार्बन काफी हद तक निष्क्रिय होता है, लेकिन जब पर्माफ्रॉस्ट का ताप बढ़ता है तो सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों के कारण कार्बनिक पदार्थ का अपघटन तेज़ी से बढ़ने लगता है। फलस्वरूप वातावरण में कार्बन की सांद्रता बढ़ने लगती है।

नोट :

- ऐसा ध्रुवीय क्षेत्रों, अलास्का, कनाडा और साइबेरिया जैसे उच्च अक्षांशीय अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में होता है जहाँ ऊष्मा पूर्णतया मिट्टी की सतह को गर्म नहीं कर पाती है।

पर्माफ्रॉस्ट पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- आर्कटिक में वायु के बढ़ते तापमान से पर्माफ्रॉस्ट का गलन प्रारंभ होने से कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर कार्बन को ग्रीनहाउस गैसों कार्बन-डाइऑक्साइड और मीथेन के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों में वैश्विक तापमान की दर 20वीं सदी के तापमान से 3.5 प्रतिशत अधिक है, जिससे बर्फ पिघलने की गति में वृद्धि हो रही है।
- उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित कई स्थान पर्माफ्रॉस्ट पर बसे हुए हैं। पर्माफ्रॉस्ट जमी अवस्था में एक मज़बूत आधार के रूप में कार्य करता है परंतु वैश्विक तापन से इसके पिघलने के कारण घरों, सड़कों तथा अन्य बुनियादी ढाँचे के नष्ट होने का खतरा बढ़ गया है।
- जब पर्माफ्रॉस्ट जमी अवस्था में होता है तो मृदा में मौजूद जैविक कार्बन का विघटन नहीं हो पाता है परंतु जब पर्माफ्रॉस्ट पिघलता है तो सूक्ष्म जीवाणु इस सामग्री को विघटित करना शुरू कर देते हैं। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में मुक्त होती हैं।

अवसंरचना के लिये हानिकारक

- पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से न केवल प्राकृतिक बल्कि मानव-निर्मित अवसंरचना के भी अस्थिर होने का खतरा बना रहता है।
- सतह के अस्थिर होने से भूस्खलन, भूकंप तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ आ सकती हैं जिससे सड़कें, रेलवे लाइनों, भवनों, विद्युत संयंत्रों और गैस पाइपलाइन जैसे प्रमुख बुनियादी ढाँचों को नुकसान होता है।
- इससे स्थानीय लोगों के घरों के साथ-साथ आर्कटिक जानवरों के निवास स्थल और उनके अस्तित्त्व पर भी खतरा मंडराने लगता है।

भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन का आकलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान' (Indian Institute of Tropical Meteorology- IITM)- पुणे, द्वारा एक जलवायु पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है, जो आने वाली शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर वैश्विक तापन के प्रभाव को समझने में मदद करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- IIT-M द्वारा विकसित जलवायु पूर्वानुमान मॉडल भारतीय उपमहाद्वीप पर वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाने वाला प्रथम 'राष्ट्रीय पूर्वानुमान मॉडल' है।
- यह पूर्वानुमान मॉडल, 'जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल' (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) की अगली रिपोर्ट; जो वर्ष 2022 तक तैयार होने की उम्मीद है, का एक भाग है।
- यह पूर्वानुमान मॉडल इस अवधारणा पर आधारित है कि वैश्विक समुदाय द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किये गए तो जलवायु परिवर्तन की क्या स्थिति होगी।

जलवायु मॉडल के प्रमुख पूर्वानुमान:

- जलवायु पूर्वानुमान मॉडल के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष निकाले गए हैं:
- औसत तापमान में वृद्धि:
  - वर्ष 1986-2015 के बीच की अवधि में सबसे गर्म दिन तथा सबसे ठंडी रातों के तापमान में क्रमश: 0.63°C और 0.4°C की वृद्धि हुई है।
  - 21 वीं सदी के अंत तक दिन तथा रात के तापमान में वर्ष 1976-2005 की अवधि की तुलना में लगभग 4.7 °C और 5.5°C वृद्धि होने का अनुमान है।

नोट :

- वर्ष 2040 तक, वर्ष 1976-2005 की अवधि की तुलना में तापमान में 2.7 °C और इस सदी के अंत तक तापमान में 4.4 °C वृद्धि होने का अनुमान है।
- 'प्रतिनिधि संकेंद्रण मार्ग' (Representative Concentration Pathway 8.5- RCP 8.5) जो प्रति वर्ग मीटर में विकिरण प्रभाव की गणना करता है, के अनुसार, भविष्य के गर्म दिन तथा गर्म रातों की संख्या वर्ष 1976-2005 की संदर्भ अवधि के सापेक्ष क्रमश: 55% और 70% तक बढ़ने का अनुमान है।

प्रतिनिधि संकेंद्रण मार्ग (RCP):

- प्रतिनिधि संकेंद्रण मार्ग (RCP), IPCC द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के संकेंद्रण को दर्शाने वाला प्रक्षेप वक्र है। RCP को IPCC द्वारा 'पाँचवी आकलन रिपोर्ट' (Assessment Report- AR5) में अपनाया गया था।
- भविष्य के ग्रीनहाउस गैस संकेंद्रण को चार प्रक्षेप वक्रों के माध्यम से दर्शाया गया। इन प्रक्षेप वक्रों का निर्धारण भविष्य में संभावित ग्रीनहाउस गैसों के संकेंद्रण के आधार पर किया गया है।
- इसमें RCP- 2.6, RCP- 4.5, RCP- 6 और RCP 8.5 प्रक्षेप वक्र बनाए गए हैं।
- उष्ण लहरों की आवर्ती में वृद्धि:
  - 21वीं सदी के अंत तक भारत में उष्ण-लहरों की बारंबारता (Frequency) तीन से चार गुना अधिक होने का अनुमान है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जलवायु में तेज़ी से परिवर्तन के कारण देश की प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि उत्पादकता और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा।
- एयरोसोल की मात्रा में वृद्धि:
  - रिपोर्ट के अनुसार, वायु मे एयरोसोल अर्थात कणकीय पदार्थों की मात्रा में जीवाश्म ईंधन दहन, उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि तथा कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप काफी वृद्धि हुई है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, 'एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ' Aerosol Optical Depth- AOD) में मौसम के साथ परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। दिसंबर-मार्च के शुष्क महीनों के दौरान AOD में वृद्धि की दर बहुत अधिक होती है।

एयरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (Aerosol optical depth- AOD):

- एयरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ कणकीय पदार्थों तथा धुंध के कारण सौर किरण की कमी को मापने का एक मापक है। वायुमंडल में उपस्थित कणकीय पदार्थ (धूल, धुआँ, प्रदूषण) प्रकाश को अवशोषित, विकर्णित अथवा परावर्तित कर सकते हैं। AOD हमें बताता है कि इन एयरोसोल कणों द्वारा सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश की कितनी मात्रा को पृथ्वी पर पहुँचने से रोका गया है।
- AOD का मान यदि 0.01 का हो तो यह अत्यंत स्वच्छ वातावरण को जबकि 0.4 का मान बहुत धुंधली स्थिति को दर्शाता है।
- वर्षा के प्रतिरूप में बदलाव:
  - वर्षा के पैटर्न में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। वर्षा की तीव्रता में वृद्धि हुई है लेकिन वर्षा-अंतराल में लगातार वृद्धि हुई है। अरब सागर से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक गंभीर चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।
- समुद्र स्तर में वृद्धि:
  - ग्लेशियर पिघलने तथा महासागरीय तापमान में वृद्धि से हिंद महासागर के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है।
  - मुंबई तट के साथ समुद्र स्तर में प्रति दशक में 3 सेमी. की वृद्धि जबकि कोलकाता तट के साथ प्रति दशक में 5 सेमी. की वृद्धि दर्ज की गई है।

निष्कर्ष:

- 'भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान' द्वारा विकसित 'जलवायु पूर्वानुमान मॉडल' 'राष्ट्रीय जलवायु मूल्यांकन' (National Climate Assessment) की दिशा में उठाया गया महत्त्वपूर्ण कदम है। यह मॉडल भारत को वैश्विक तापन, मानसूनी वर्षा, बाढ़, सूखा तथा ग्लेशियरों पर जलवायु के प्रभावों को समझने में मदद करेगा।

नोट :

भूमि उपयोग परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD) के अनुसार, भूमि उपयोग परिवर्तन, जो COVID-19 जैसे पशुजन्य रोगों (Zoonoses) का कारण बनता है, को प्रतिवर्तित कर देना चाहिये।

प्रमुख बिंदु

- भूमि उपयोग परिवर्तन:
  - भूमि उपयोग परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक परिदृश्य को प्रत्यक्ष रूप से बस्तियों, वाणिज्यिक एवं आर्थिक उपयोग तथा वानिकी गतिविधियों जैसे मानव-प्रेरित भूमि उपयोग के लिये परिवर्तित कर दिया जाता है।
  - यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, भूमि क्षरण और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समग्र वातावरण को प्रभावित करता है।
- डेटा विश्लेषण:
  - भूमि उपयोग परिवर्तन वायुमंडल में CO_2 (कार्बन डाइऑक्साइड) के संकेंद्रण का एक कारक हो सकता है, इस प्रकार यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।
    - कुल वैश्विक उत्सर्जन में इसका प्रतिनिधित्व लगभग 25% है।
  - जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी मंच (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services- IPBES) के अनुसार, विश्व में फिलहाल सभी प्राकृतिक, बर्फ रहित भूमि का 70% से अधिक हिस्सा मानव उपयोग से प्रभावित है।
    - वर्ष 2050 तक यह बढ़कर 90% तक पहुँच सकता है।
  - भू-निम्नीकरण (Land Degradation) विश्व भर में लगभग 3.2 बिलियन लोगों को प्रभावित करता है।
  - भू-निम्नीकरण के कारण वार्षिक रूप से 10.6 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की वन, कृषि तथा घास भूमि, पर्यटन आदि जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ नष्ट हो जाती हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization) के अनुसार, वर्ष 2050 तक वैश्विक रूप से खाद्य संबंधी मांग को पूरा करने के लिये 500 मिलियन हेक्टेयर से अधिक नई कृषि भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होगी।
- संभावित कारण:
  - जनसंख्या वृद्धि: तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणामस्वरूप संसाधनों पर उच्च दबाव भूमि क्षेत्र के मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।
  - भूमि का अतिक्रमण: भोजन की मांग में लगातार वृद्धि के कारण वन, झाड़ी और आर्द्रभूमि सहित गैर-कृषि क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर फसल क्षेत्र का विस्तार किया गया है।
  - वन संसाधनों का उपयोग: विशेष रूप से निर्माण, ईंधन के लिये वानिकी संसाधनों के निरंतर उपयोग के कारण वनों की सघनता में व्यापक कमी तथा कृषि उपकरणों के कारण कृषि योग्य भूमि का क्षरण हुआ है।
  - खेतों में चराई: किसान प्राय: मिट्टी की उर्वरता में गिरावट की स्थिति में खेती की भूमि को छोड़ चराई के लिये छोड़ देते हैं।
  - आर्द्रभूमियों का नष्ट होना: आर्द्रभूमि/वेटलैंड को खेती और आवास भूमि में बदलने से आर्द्रभूमियों का विनाश होता है।
- समाधान:
  - जलवायु-स्मार्ट भूमि प्रबंधन पद्धति: भूमि उपयोग पर IPCC की एक रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य उत्पादकता में वृद्धि, फसलभूमि प्रबंधन में सुधार, पशुधन प्रबंधन, कृषि-वानिकी, मृदा के कार्बनिक घटक में वृद्धि और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने से पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण तथा भूमि को पुन: बहाल करने में मदद मिलेगी।
    - प्रबंधन की ये पद्धतियाँ फसल के उत्पादन में 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक का योगदान कर सकती हैं।

नोट :

- वन प्रबंधन: बेहतर अग्नि प्रबंधन और चराई भूमि में सुधार से भूमि बहाली में मदद मिल सकती है।
- पुनर्स्थापन और पुनर्वास: भू-निम्नीकरण तटस्थता (सतत् विकास लक्ष्य लक्ष्य 15.3) को प्राप्त करने के लिये, भूमि उपयोग क्षेत्र में अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं अर्थात् प्रति वर्ष 12 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि के पुनर्स्थापन और पुनर्वास से वर्ष 2030 तक उत्सर्जन अंतराल को 25% तक कम करने में मदद मिल सकती है।
- भविष्य में पशुजन्य संक्रमणों से बचने के लिये बेहतर निर्माण के हिस्से के रूप में इन क्षेत्रों की बहाली से एक अन्य महत्त्वपूर्ण लाभ यह होगा कि इन प्रयासों से जलवायु परिवर्तन में विशेष रूप से कमी होगी।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय
United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)

- वर्ष 1994 में स्थापित, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण तथा विकास को सतत् भूमि प्रबंधन से जोड़ता है।
- यह रियो सम्मेलन (Rio Convention) के एजेंडा-21 की प्रत्यक्ष सिफारिशों पर आधारित एकमात्र अभिसमय है।
- अभिसमय के तहत फोकस वाले क्षेत्र: यह अभिसमय विशेष रूप से शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों के समाधान से संबंधित है, जहाँ कुछ सर्वाधिक सुभेद्य पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- भारत की तरफ से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) इस अभिसमय हेतु नोडल मंत्रालय है।

मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2020
World Day to Combat Desertification and Drought 2020

- 17 जून को पूरे विश्व में मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम "Food, Feed, Fibre" है जो खाद्य उपभोग के प्रभाव को कम करने के लिये व्यक्तियों को शिक्षित करने का आह्वान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2020, उपभोग और भूमि के बीच संबंध पर केंद्रित है।
- इस वर्ष के 'वैश्विक अवलोकन कार्यक्रम' को कोरिया वन सेवा द्वारा वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया गया।

पशुजन्य रोग (Zoonoses)

- यह ऐसा रोग या संक्रमण है जो स्वाभाविक रूप से कशेरुकी (Vertebrate) प्राणियों से मनुष्यों तक पहुँचता है।
- इस प्रकार प्रकृति में पशुजन्य/जूनोटिक संक्रमण को बनाए रखने में पशु एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं।
- पशुजन्य रोग जीवाणुजनित, विषाणुजनित या परजीवी जनित हो सकता है।

आगे की राह

- भूमि उपयोग परिवर्तन को धीमा और प्रतिवर्तित करने की तत्काल आवश्यकता को अत्युक्तिपूर्ण नहीं माना जा सकता है क्योंकि भूमि जैव-विविधता का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- ग्लोबल वार्मिंग को 2°C तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भूमि उपयोग क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है।
- पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जैव-विविधता संरक्षण, भूमि उपयोग आधारित अनुकूलन और कई छोटे पैमाने के किसानों की आजीविका में सुधार के लिये एक सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिये ज़िम्मेदारीपूर्ण भूमि प्रशासन महत्त्वपूर्ण है।
- UNCCD के पक्षकारों के लिये यह भू-निम्नीकरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality) के लिये भूमि जोत पर एक महत्त्वाकांक्षी संकल्प को अपनाने का अवसर है। उन्हें इस अवसर का उपयोग समुदायों को सशक्त करने के लिये करना चाहिये ताकि वे जलवायु आपातकाल के प्रभावों के अनुकूल हो सकें।

नोट :

विश्व मगरमच्छ दिवस

चर्चा में क्यों ?

प्रतिवर्ष 17 जून को 'विश्व मगरमच्छ दिवस' मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- यह दुनिया भर में लुप्तप्राय मगरमच्छों की स्थिति को उजागर करने के लिये एक वैश्विक जागरूकता अभियान है।
- मगरमच्छ-मानव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए 'मगरमच्छ संरक्षण प्रयासों' पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

भारत में मगरमच्छ की प्रजातियाँ:

- भारत में तीन प्रकार की मगरमच्छ प्रजातियाँ (Crocodilian Species) प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं:

मगरमच्छ की प्रजातियाँ	वैज्ञानिक नाम	विवरण
• मगर या मार्श मगरमच्छ	• क्रोकोडायल पेलुस्ट्रिस (Crocodylus palustris)	• मगर सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। • भारत के अलावा मगर अन्य दक्षिण एशियाई देशों में भी पाया जाता है। • IUCN की 'सुभेद्य' सूची में शामिल है।
• एश्चुअरी या लवणीय जल के मगरमच्छ	• क्रोकोडायलस पोरस (Crocodylus porosus)	• एश्चुअरी मगरमच्छ ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। • भारत के अलावा यह दक्षिण पूर्व एशिया तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। • IUCN की कम चिंतनीय Least Concern सूची में शामिल है।
• घड़ियाल	• गैवियलिस गैंगेटिकस (Gavialis \ gangeticus)	• घड़ियाल ज़्यादातर हिमालयी नदियों में पाया जाता है। घड़ियाल अपेक्षाकृत हानिरहित माना जाता है जो मुख्यत: अपने भोजन के लिये मत्स्य प्रजातियों पर निर्भर रहता है। • आनुवांशिक रूप से मगरमच्छ की अन्य प्रजातियों की तुलना में कमज़ोर होता है। • IUCN की 'गंभीर रूप से संकटापन्न' (Critically Endangered) सूची में शामिल है।

भारत में मानव-मगरमच्छ संघर्ष के प्रमुख हॉटस्पॉट:

- गुजरात में वडोदरा:
  - वडोदरा नगर को 'मानव-बहुल परिदृश्य' में मगरमच्छों के एक द्वीप के रूप में वर्णित किया जाता है।
  - शहर के मध्य से बहने वाली विश्वामित्री नदी में 200 से अधिक मगर पाए जाते हैं।
  - मानसून के समय इस क्षेत्र में मगरमच्छों के घरों में घुसने की सूचना प्राय: मीडिया में व्याप्त रहती हैं।
  - वडोदरा की नगरपालिका सीमा में मगरों की संख्या जहाँ वर्ष 1950 में 250 थी वह वर्ष 2020 में बढ़कर 289 हो गई है।
- राजस्थान में कोटा:
  - मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में चंबल नदी पर अवस्थित है। जहाँ मगर तथा घड़ियाल दोनों की बहुसंख्यक रूप में पाए जाते हैं।

नोट :

- वर्ष 2012 में जवाहर सागर अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, दर्रा अभयारण्य के कुछ भागों को मिलाकर मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- चंबल नदी पर बनाए गए कोटा बैराज के आसपास शहरीकरण एवं अतिक्रमण तथा रेत खनन के कारण मानव-मगरमच्छ संघर्ष में वृद्धि हुई है।

- ओडिशा में भीतरकनिका:
  - वर्ष 1975 में भीतरकनिका में केवल 96 मगरमच्छ थे। परंतु प्रजनन और पालन कार्यक्रम (Breeding and Rearing Programme) शुरू करने के बाद वर्ष 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 1,757 से अधिक हो गई हैं।
  - भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के परिधीय क्षेत्र में छह पंचायतें स्थित हैं। जब क्षेत्र में उच्च ज्वार की स्थिति होती है तो अनेक समुद्री मत्स्य प्रजातियाँ यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश कर जाती हैं। जिन्हें एकत्रित करने के लिये लोग मगरमच्छ के संरक्षित जल निकायों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे मानव-मगरमच्छ संघर्ष देखने को मिलता है।

उड़ीसा में घड़ियाल:

- उड़ीसा में भी घड़ियाल पाए जाते हैं परंतु यहाँ पर घड़ियाल चंबल नदी के समान प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं अपितु मुख्यत: प्रजनन केंद्रों में इनका संरक्षण किया जाता है।
- वर्ष 2019 में उड़ीसा अंगुल ज़िले में सतकोसिया घाट पर केवल 14 घड़ियाल तथा भुवनेश्वर के पास नंदनकानन चिड़ियाघर में कम-से-कम 90 घड़ियाल हैं।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह:

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानव-मगरमच्छ संघर्ष देखने को मिलता है। वन विभाग द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुछ वर्ष पहले कुलिंग (Culling) की सिफारिश की गई थी।
  - कुलिंग वांछित या अवांछित विशेषताओं के अनुसार एक समूह से जीवों को अलग करने की प्रक्रिया है।

निष्कर्ष:

- सामान्यत: मानव-मगरमच्छ संघर्ष तब देखने को मिलता है जन मानव मगरमच्छ के प्राकृतिक आवास क्षेत्र में प्रवेश करते हैं या उनके उनके आवास क्षेत्र को क्षति पहुँचाते हैं, अत: इनकी कुलिंग के स्थान पर प्राकृतिक आवास में ही इसके संरक्षण के प्रयास किये जाने चाहिये।

इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे

चर्चा में क्यों ?

चीन के किनझोउ शहर (Qinzhou City) में 'इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर' (The International Union for Conservation of Nature- IUCN) के 'हॉर्सशू क्रैब स्पेशलिस्ट ग्रुप' (Horseshoe Crab Specialist Group) की बैठक में 20 जून, 2020 को प्रथम 'इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे' (International Horseshoe Crab Day) के रूप में घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- हर वर्ष भारत के झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों में हॉर्सशू क्रैब (केकड़ा) के माँस एवं इनके कवच की आपूर्ति के लिये ओडिशा में सैकड़ों केकड़ों को मारा जाता है।
- इनके अलावा ऐसा विश्वास है कि इसके कामोत्तेजक गुण के कारण भी इसे मारा जाता है जिस कारण ओडिशा में केकड़े की यह प्रजाति गंभीर खतरे में है।
- हॉर्सशू क्रैब वैश्विक वातावरण एवं जैव विविधता के मध्य एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपना सांस्कृतिक महत्त्व रखते हैं।
- दुर्भाग्य से, इस पारिस्थितिक लिंक को उन क्षेत्रों में जहां हॉर्सशू केकड़ों का जनसंख्या घनत्व कम है, तोड़ा जा रहा है।

नोट :

- हॉर्सशू पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण है अपने इस पारिस्थितिक कार्य के तहत ये समुद्र तट पर करोड़ों अंडे देते है, जो समुद्र के किनारे, मछली और अन्य वन्यजीवों का भोजन है।
- भारत में हॉर्सशू केकड़ों को केंद्रपाड़ा, बालासोर तथा भद्रक ज़िलों के समुद्र तटीय क्षेत्रों से चुना जाता है और अन्य राज्यों में भेजा जाता है।

हॉर्सशू क्रैब (केकड़ा) डे का महत्त्व:

- ये हॉर्सशू केकड़े डायनासोर के समय से लगभग अपरिवर्तित हैं अर्थात अपने उसी रूप को बनाए हुए है अत: ऐसे में ये पारिस्थितिक तंत्र के महत्त्वपूर्ण इंजीनियर हैं जो आधुनिक अंत:विषय वातावरण में छोटे जीवों का भक्षण करते हैं।
- 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय हॉर्सशू केकड़ा दिवस के रूप में घोषित का उद्देश्य इन प्राचीन प्राणियों के लिये लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता उत्पन्न करना है ताकि इन्हे संरक्षित करने में मदद मिल सके।

हॉर्सशू क्रैब के संरक्षण हेतु प्रयास:

- हॉर्सशू क्रैब (केकड़) के संरक्षण के लिये आवश्यक है कि इनका अवैध शिकार करने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्था पर सख्त कार्रवाई की जाए।
- इसके लिये आवश्यकता है कि ओडिशा, बिहार, झारखंड और अन्य राज्य में जहाँ इसकी आपूर्ति की जाती है वहाँ की पुलिस एवं वन्यजीव अधिकारियों के बीच बेहतर, अंतर-राज्यीय समन्वय हो।

हॉर्सशू क्रैब के बारे में:

- वैज्ञानिक नाम (Scientific Name): लिमुलिडा (Limulidae)
- फाइलम (Phylum): आर्थ्रोपोडा (Arthropoda)
- घोड़े की नाल के सामान दिखाई देने कारण हॉर्सशू क्रैब (केकड़ा) कहा जाता है।
- हॉर्सशू क्रैब को 9 सितंबर, 2009 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में शामिल किया गया था।
- जिसके तहत हॉर्सशू क्रैब को पकड़ना और मारना अपराध है।

वन्यजीव तस्करी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'राजस्व खुफिया निदेशालय' (Directorate of Revenue Intelligence-DRI) द्वारा एक वन्यजीव तस्करी समूह का खुलासा किया गया है जिसके तहत राजस्व खुफिया निदेशालय' द्वारा कोलकाता एयरपोर्ट से दो लोगों को 22 विदेशी तोतों (Exotic Macaws) की विभिन्न प्रजातियों के साथ गिरफ्तार किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'राजस्व खुफिया निदेशालय' के अनुसार, ये पक्षी बांग्लादेश से कोलकाता के रास्ते तस्करी करके लाए जा रहे थे तथा इन्हें बंगलुरु पहुँचाया जाना था।

राजस्व खुफिया निदेशालय:

- राजस्व खुफिया निदेशालय एक भारतीय खुफिया एजेंसी है।
- यह भारत की एक प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया, जाँच एवं संचालन एजेंसी है।
- इसके आलावा इस एजेंसी द्वारा ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य किया जाता है।
- राजस्व खुफिया निदेशालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के तहत कार्य करता है।

नोट :

- इस तस्कर गिरोह को पकड़ने के लिये कोलकाता हवाई अड्डे पर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau- WCCB) तथा सीमा शुल्क विभाग (Customs Department) द्वारा इस सयुक्त अभियान को संचालित किया गया।
- विदेशी पक्षियों को कोलकाता के अलीपुर में स्थित प्राणी उद्यान को सौंप दिया गया है।
- जब्त किये गए इन पक्षियों में दुर्लभ तोते की कई प्रजातियाँ-हकिंच मैकॉउ (Hacinth Macaw), पेस्केट पैरट (Pesquet's Parrot), सीवियर मैकॉउ (Severe Macaw) और हैनस मैकॉउ (Hahn's Macaw) भी शामिल हैं।
- 'राजस्व खुफिया निदेशालय' के अनुसार, मादक पदार्थों की तस्करी, नकली सामान तथा मानव तस्करी के बाद अवैध रूप से वन्यजीवों के व्यापार को वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े संगठित अपराध के रूप में शामिल किया जाता है।
- भारत के पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं तथा थाईलैंड के निकट होने के कारण सीमा पार वन्यजीव तस्करी के लिये सर्वाधिक भेद्य माने जाते हैं।

संरक्षित प्रजातियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधान:

- तस्करी करके लाए गए इन पक्षियों को अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत संरक्षण प्राप्त है।
- अवैध रूप से आयातित इन पक्षियों को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा-111 के तहत जब्त कर लिया गया है जो 'वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन'-साइट्स (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES) के प्रावधानों तथा 'विदेश व्यापार नीति' के तहत संरक्षित हैं।

CITES:

- वर्ष 1973 के वाशिंगटन सम्मेलन में CITES पर सहमति बनी।
- यह समझौता 1 जुलाई, 1975 से लागू है।
- यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है।
- यह जीवों एवं उनके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है।
- यह विभिन्न राष्ट्रों को निर्देश भी देता है कि वे अपने राष्ट्र में अवैध जीव व्यापार को नियंत्रित रखे।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 48 और 49 जंगली जानवरों, जानवरों से निर्मित सामान या इनके किसी अंग के व्यापार या वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाती है।
- ऐसे अपराध करने पर सात साल की जेल की सजा का प्रावधान है।

आर्कटिक सागर में तेज़ी से पिघलती बर्फ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (National Centre of Polar and Ocean Research-NCPOR) के द्वारा किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक सागर की बर्फ में कमी आई है।

प्रमुख बिंदु:

- NCPOR के अनुसार पिछले 41 वर्षों में आर्कटिक सागर की बर्फ में सबसे बड़ी गिरावट जुलाई 2019 में आई।
- पिछले 40 वर्षों (1979-2018) में, इसकी बर्फ में प्रति दशक -4.7 प्रतिशत की दर से कमी आई है, जबकि जुलाई 2019 में इसकी गिरावट की दर -13 प्रतिशत पाई गई।
  - अगर यही रुझान जारी रहा तो वर्ष 2050 तक आर्कटिक सागर में बर्फ नहीं बच पाएगी, जोकि मानवता एवं समस्त पर्यावरण के लिये खतरनाक साबित होगा।

नोट :

राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR)-

- NCPOR भारत का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। जो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों को कार्यान्वित करता है।
- NCPOR, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक स्वायत्त, अनुसंधान और विकासात्मक संस्थान है।
- इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 25 मई, 1998 में की गई थी।

बर्फ पिघलने के कारण:

इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं-

- ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming)- ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है जिससे पृथ्वी का हिमावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। परिणामत: इसके पिघलने से हिमावरण में कमी आ रही है।
- आर्कटिक विस्तरण (Arctic Amplification)- संपूर्ण विश्व के मुकाबले आर्कटिक का तापमान दोगुनी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया को आर्कटिक विस्तरण कहा जाता है।
  - आर्कटिक विस्तरण, एल्बीडो में कमी के कारण होता है।
- महासागरीय जलधाराएँ (Oceanic Currents)- जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप महासागरीय जल धाराओं की दिशा में परिवर्तन के कारण आर्कटिक सागर में ताज़े जल की आपूर्ति ज्यादा होती है। इससे लवणीय जल और ताज़े जल के तापमान में भिन्नता आने के कारण बर्फ के पिघलने की दर बढ़ जाती है।
- पोलर वोर्टेक्स (Polar Vortex)- जेट स्ट्रीम के कमजोर पड़ने के परिणामस्वरूप पोलर वोर्टेक्स का स्थानांतरण होने के कारण मौसम में परिवर्तन।

प्रभाव:

- आर्कटिक सागर की बर्फ जलवायु परिवर्तन का एक संवेदनशील संकेतक है और इसके जलवायु प्रणाली के अन्य घटकों पर मज़बूत प्रतिकारी प्रभाव पड़ते हैं।
- आर्कटिक में बर्फ की कमी होने के कारण स्थानीय रूप से वाष्पीकरण, वायु आर्द्रता, बादलों के आच्छादन तथा वर्षा में बढ़ोतरी हुई है।
- NCPOR द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार, आर्कटिक सागर की बर्फ में गिरावट और ग्रीष्म तथा शरद ऋतुओं की अवधि में बढोतरी ने आर्कटिक सागर के ऊपर स्थानीय मौसम एवं जलवायु को प्रभावित किया है।
- इसके अलावा बर्फ की वजह से कोहरे का निर्माण होता है जिसकी वजह से वनस्पति का विकास नहीं हो पाता है।
- पर्माफ्रोस्ट (Permafrost) के पिघलने के कारण कई प्रकार की गैसें विशेषकर मीथेन एवं कार्बन डाई आक्साईड बाहर आती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करती हैं।
- चिंताजनक तथ्य यह है कि जाड़े के दौरान बर्फ के निर्माण की मात्रा गर्मियों के दौरान बर्फ के नुकसान की मात्रा के साथ कदम मिला कर चलने में अक्षम रही है।

आर्कटिक पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किये जाने के लिये किये जा रहे प्रयास:

- पेरिस जलवायु समझौते के तहत 21वीं सदी के अंत तक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस करना।
- इसके अलावा अंटार्कटिक संधि (1959), आर्कटिक परिषद (1996) का गठन, वर्ष 1982 में अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधन कन्वेंशन को लागू किया गया तथा वर्ष 1991 में मेड्रिड प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गए।
- भारत के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा 'हिममंडल प्रक्रिया और जलवायु परिवर्तन (Cryosphere Process and Climate Change- CryoPACC)' कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- इसके अलावा भारत द्वारा विभिन्न ध्रुवीय अनुसंधान अभियान चलाए जा रहे हैं यथा आर्कटिक में हिमाद्री, अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एवं भारती तथा हिमालय क्षेत्र में हिमांश आदि।

नोट :

ओज़ोन प्रदूषण और लॉकडाउन

चर्चा में क्यों ?

'सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट' (Center for Science and Environment-CSE) नामक पर्यावरण विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा किये गए विश्लेषण के अनुसार, लॉकडाउन की अवधि के दौरान जहाँ पार्टिकुलेट मैटर (Particulate Matter-PM) और नाइट्रस ऑक्साइड (Nitrous Oxide) के स्तर में कमी आई है, वहीं कई शहरों में ओज़ोन (Ozone) के स्तर में बढ़ोतरी हुई है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि CSE द्वारा किया गया यह विश्लेषण 25 मार्च से 31 मई, 2020 तक की लॉकडाउन अवधि के दौरान कुल 15 राज्यों के 22 शहरों के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board-CPCB) द्वारा प्रस्तुत किये गए आँकड़ों पर आधारित है।
- विश्लेषण में यह सामने आया कि दिल्ली-NCR और अहमदाबाद में तकरीबन 65 प्रतिशत लॉकडाउन अवधि में कम-से-कम एक अवलोकन स्टेशन (Observation Station) ऐसा था, जहाँ ओज़ोन का स्तर मानक स्तर से अधिक था।
- विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली में इस अवधि (25 मार्च से 31 मई) के दौरान ओज़ोन प्रदूषण की गंभीरता तुलनात्मक रूप से वर्ष 2019 की गर्मियों की अपेक्षा काफी कम थी, किंतु महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि 25 मार्च से 31 मई के दौरान भी ओज़ोन का प्रदूषण स्तर मानक स्तर से अधिक था।
- लॉकडाउन की अवधि के दौरान पार्टिकुलेट मैटर (PM) के स्तर में काफी कमी आई। विश्लेषण के मुताबिक, लगभग सभी शहरों में लॉकडाउन के दौरान औसत PM 2.5 का स्तर 2019 में इसी अवधि की अपेक्षा काफी कम पाया गया।
- हालाँकि जैसे-जैसे लॉकडाउन में छूट प्रदान की गई, उसी के साथ प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ोतरी होने लगी। विश्लेषण के अनुसार, लॉकडाउन 4.0 के दौरान जैसे ही सड़कों पर अधिक गाड़ियाँ चलना शुरू हुई वैसे ही औसत NO_2 का स्तर तेज़ी से बढ़ने लगा।

क्या है ओज़ोन ?

- ओज़ोन (O_3) ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में काफी कम मात्रा में पाई जाती हैं। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस होती है।
- ओज़ोन गैस की खोज जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक श्योनबाइन ने वर्ष 1839 में की थी।
- इस तीखी विशेष गंध के कारण इसका नाम ग्रीक शब्द 'ओज़िन' से बना है, जिसका अर्थ है सूंघना।
- यह अत्यधिक अस्थायी और प्रतिक्रियाशील गैस है। वायुमंडल में ओज़ोन की मात्रा प्राकृतिक रूप से बदलती रहती है। यह मौसम वायु-प्रवाह तथा अन्य कारकों पर निर्भर है।

ओज़ोन का निर्माण

- ध्यातव्य है कि ओज़ोन गैस किसी भी स्रोत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित नहीं होती है, बल्कि इसका निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी गैसों के तेज़ धूप और ऊष्मा के साथ प्रतिक्रिया करने से होता है। इस प्रकार ओज़ोन गैस को केवल तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब सभी स्रोतों से गैसों को नियंत्रित किया जाए।
- ध्यातव्य है कि जब तापमान में वृद्धि होती है, तो ओज़ोन के उत्पादन की दर भी बढ़ जाती है।
- वाहनों और फैक्टरियों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य गैसों की रासायनिक क्रिया भी ओज़ोन प्रदूषक कणों का निर्माण करती है।

ओज़ोन प्रदूषण

- ओज़ोन गैस समतापमंडल (Stratosphere) में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। यह वायुमंडल में मौजूद समस्त ओज़ोन का कुल 90 प्रतिशत है, इसे अच्छा ओज़ोन (Good Ozone) माना जाता है।
  - समतापमंडल में यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण (Ultraviolet Radiation) से बचाती है।

नोट :

- समतापमंडल के अतिरिक्त ओज़ोन की कुछ मात्रा निचले वायुमंडल (क्षोभमंडल- Troposphere) में भी पाई जाती है। ध्यातव्य है कि समतापमंडल में ओज़ोन हानिकारक संदूषक (Pollutants) के रूप में कार्य करती है।

ओज़ोन प्रदूषण का प्रभाव

- ओज़ोन के अंत:श्वसन पर सीने में दर्द, खाँसी और गले में दर्द सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह ब्रोन्काइटिस (Bronchitis), वातस्फीति (Emphysema) और अस्थमा की स्थिति को और बद्तर सकता है।
- वैज्ञानिक बताते हैं कि यदि श्वसन संबंधी बीमारियों और अस्थमा आदि से पीड़ित लोग इसके संपर्क में आते हैं तो यह उनके लिये काफी जोखिम भरा हो सकता है।
- इसके अलावा जब किसी संवेदनशील पौधे की पत्तियों में ओज़ोन अत्यधिक मात्रा में प्रवेश करती है तो यह उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित कर सकती है तथा पौधे की वृद्धि को धीमा कर सकती है।

कोकोलिथोफोरस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र' (National Centre for Polar and Ocean Research-NCPOR) ने प्राचीन सूक्ष्म समुद्री शैवाल 'कोकोलिथोफोरस' (Coccolithophores) का अध्ययन करने पर पाया कि दक्षिणी हिंद महासागर में कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) की सांद्रता में कमी आई है।

प्रमुख बिंदु:

- कोकोलिथोफोरस (Coccolithophores), विश्व के महासागरों की ऊपरी परतों में निवास करने वाला एकल-कोशिकीय शैवाल है।
- ये समुद्री फाइटोप्लैंकटन (Marine Phytoplankton) को चूने में परिवर्तित करते हैं जो खुले महासागरों में 40% तक कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन करते हैं और वैश्विक निवल समुद्री प्राथमिक उत्पादकता (Global Net Marine Primary Productivity) के 20% के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- ये अलग-अलग चाक (Chalk) एवं सी-शेल (Seashell) वाली कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेटों से एक्सोस्कल्टन (Exoskeleton) बनाते हैं।
- हालाँकि इन प्लेटों के निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है किंतु कोकोलिथोफोरस प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसका अवशोषण करके वातावरण एवं महासागर से इसे हटाने में मदद करते हैं।
- संतुलन की अवस्था में ये उत्पादन करने की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को अवशोषित करते हैं जो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिये लाभदायक है।
- दक्षिणी हिंद महासागर में कोकोलिथोफोरस की प्रचुरता एवं विविधता समय पर निर्भर है और यह विभिन्न पर्यावरणीय कारकों जैसे- सिलिकेट की सांद्रता, कैल्शियम कार्बोनेट की सांद्रता, डायटम (Diatom) की प्रचुरता, प्रकाश की तीव्रता और सूक्ष्म एवं संभवत: सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की उपलब्धता एवं सांद्रता (समुद्री प्रदूषण) से प्रभावित है।

समुद्री प्रदूषण:

- समुद्री प्रदूषण वह प्रदूषण है जिसमें रासायनिक कण, औद्योगिक, कृषि एवं घरेलू कचरा तथा मृत जीव महासागर में प्रवेश करके समुद्र में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
- समुद्री प्रदूषण के स्रोत अधिकांशत: धरातलीय हैं। सामान्यत: यह प्रदूषण कृषि अपवाह या वायु प्रवाह से पैदा हुए अपशिष्ट स्रोतों के कारण होता है।
- डायटम एकल-कोशिकीय शैवाल हैं जो जलवायु परिवर्तन एवं समुद्री अम्लीकरण के साथ समुद्री बर्फ के टूटने के बाद उत्पन्न होते हैं।
- डायटम जल में सिलिकेट की सांद्रता को बढ़ाता है और बदले में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा को कम कर देता है तथा कोकोलिथोफोरस की विविधता को घटा देता है।

नोट :

- विश्व महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के संभावित महत्त्व के साथ यह कोकोलिथोफोरस की वृद्धि एवं उसकी कंकाल संरचना (Skeleton Structure) को प्रभावित करेगा।
- इस प्रकार यह अध्ययन इंगित करता है कि परिवर्तित कोकोलिथोफोरे कैल्सीफिकेशन दर (The Altered Coccolithophore Calcification Rate) का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (Marine Ecosystem) और वैश्विक कार्बन प्रवाह में सकारात्मक बदलाव लाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र'
(National Centre for Polar and Ocean Research- NCPOR):

- 'राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र' (NCPOR) का गठन एक स्वायत्तशासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में किया गया था।
- यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह ध्रुवीय एवं दक्षिणी महासागरीय क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिये ज़िम्मेदार संस्थान है। यह केंद्र गोवा में स्थित है।
- इसको अंटार्कटिका में भारत के स्थायी स्टेशन (मैत्री एवं भारती) के रखरखाव सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिये नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है।

एंथ्रोपॉज़ काल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यू.के में शोधकर्त्ताओं ने COVID-19 से प्रेरित लॉकडाउन अवधि का उल्लेख करने के लिये एक शब्द 'एंथ्रोपॉज़' (Anthropause) गढ़ा है और वे अन्य प्रजातियों पर इस अवधि के प्रभाव का अध्ययन करेंगे।

प्रमुख बिंदु:

- 'एंथ्रोपॉज़' (Anthropause) दो शब्दों [एंथ्रोपो (Anthropo) अर्थात् मनुष्य से संबंधित और पॉज़ (Pause) अर्थात् ठहराव] से मिलकर बना है।
- यह COVID-19 से प्रेरित लॉकडाउन अवधि के लिये अधिक सटीक शब्द है जिसे 'ग्रेट पॉज़' (Great Pause) के रूप में भी संदर्भित किया जा रहा है।
- यह विशेष रूप से आधुनिक मानव गतिविधियों के लिये वैश्विक ठहराव (विशेष रूप से यात्रा) को संदर्भित करता है।

वैश्विक स्तर पर इस अवधि का विभिन्न प्रजातियों पर प्रभाव:

- COVID-19 के मद्देनज़र विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में लॉकडाउन के परिणामस्वरूप प्रकृति विशेष रूप से शहरी वातावरण (Urban Environments) में बदलाव देखा गया।
  - लॉकडाउन के कारण वन्यजीवों का असामान्य व्यवहार एवं अप्रत्याशित वन्यजीवों को कई बार देखा गया है उदाहरण के तौर पर चिली के डाउनटाउन सैंटियागो (Santiago) में प्यूमा (Pumas) को, इटली में ट्राइस्टे (Trieste) बंदरगाह के पास शांत जल में डॉल्फिन को, तेल अवीव (इज़राइल) के शहरी पार्कों में दिन के उजाले में सियार को देखा गया।
  - मानवीय नज़रों से दूर तथा पोत यातायात और ध्वनि प्रदूषण के स्तर में कमी के बाद वन्यजीव दुनिया के महासागरों में अधिक स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं।
- वहीँ दूसरी ओर विभिन्न शहरी आवास वाले जीव-जंतुओं जैसे चूहे और बंदरों के लिये लॉकडाउन अवधि अधिक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हो गया है जो मनुष्यों द्वारा प्रदान किये गए भोजन पर निर्भर हैं।

अध्ययन का महत्त्व:

- 21वीं सदी में इस लॉकडाउन अवधि का अध्ययन मानव-वन्यजीव संबंधों के लिये एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा क्योंकि मानव आबादी का विस्तार अभूतपूर्व दर से हो रहा है जो प्राकृतिक वातावरण में नकारात्मक बदलाव के लिये ज़िम्मेदार है।

नोट :

- मानव एवं वन्यजीवों के व्यवहार से संबंधित यह अंतर्संबंध एक बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकता है। जो निम्नलिखित तरीकों से उपयोगी हो सकता है:-
  - वैश्विक जैव विविधता (Global Biodiversity) के संरक्षण में
  - पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता (Integrity of Ecosystems) बनाए रखने में
  - वैश्विक स्तर पर ज़ूनोसिस रोग एवं पर्यावरणीय परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने में

आगे की राह:

- इस प्रकार COVID-19 महामारी बड़ी मात्रा में डेटा क्लस्टर का निर्माण करके वन्यजीवों की प्रतिक्रियाओं से संबंधित एक वैश्विक परिदृश्य निर्मित करने का अवसर देती है।
- इस तरह की सहयोगी परियोजनाएँ उपर्युक्त उल्लिखित स्थानिक एवं कालिक दृष्टिकोणों को एकीकृत करेंगी जो 'कार्य-कारण संबंधों' को उजागर करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

परागणक सप्ताह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'खाद्य और कृषि संगठन' (Food and Agriculture Organization- FAO) द्वारा इस बात के लिये चेतावनी दी गई है कि विश्व में लगभग 40% 'अकशेरुक परागणक प्रजातियाँ' (invertebrate pollinator species) विलुप्त हो सकती हैं, जिनमें मधुमक्खियाँऔर तितलियाँ प्रमुख रूप से शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 22 से 28 जून, 2020 को परागणक सप्ताह (Pollinator Week) के रूप में आयोजित किया जा रहा है।
- यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसे पोलिनेटर पार्टनरशिप (Pollinator Partnership- P2) द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है।
- संपूर्ण विश्व में 1,200 फसलों की किस्मों सहित 180,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ प्रजनन के लिये परागणकों (Pollinators) पर निर्भर हैं।
- 'खाद्य और कृषि संगठन' (Food and Agriculture Organization- FAO) के अनुसार, विश्व भर में परागणकों की 150,000 प्रजातियाँ विद्यमान हैं जो सिर्फ फूलों पर मडराती हैं इनमें से 25,000 से 30,000 प्रजातियाँ मधुमक्खियों की शामिल है।
- वर्तमान पर्यावरणीय दशाओं के चलते मधुमक्खियों और तितलियों की तरह छोटे जीवों पर तेज़ी से खतरा बढ़ा है।

परागणक सप्ताह:

- परागणक सप्ताह ऐसे ही जीवों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिये 22 से 28 जून तक 'राष्ट्रीय परागणक सप्ताह' (National Pollinator Week)) के रूप में मनाया जाता है।
- पोलिनेटर वीक (22-28 जून) की शुरुआत गैर-लाभकारी पोलिनेटर पार्टनरशिप (non-profit Pollinator Partnership) तथा यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट (United States' Senate) द्वारा वर्ष 2007 में शुरू की गई थी।

परागणकों के बारे में:

- परागणकों की दो श्रेणियाँ हैं- अकशेरुकी (invertebrates) और कशेरुक (Vertebrates)
  - अकशेरूकीय परागणकों में मधुमक्खियाँ, पतंगे, मक्खियाँ, ततैया, भृंग तथा तितलियाँ शामिल हैं।
  - कशेरुक परागणकों में बंदर, कृंतक, गिलहरी तथा पक्षी शामिल हैं।

नोट :

परागणकों की संख्या में कमी:

- 'खाद्य और कृषि संगठन' के अनुसार, विश्व भर में लगभग 40% अकशेरूकीय परागणकर्ता प्रजातियाँ जिनमें विशेष रूप से मधुमक्खियों और तितलियाँ की संख्या में कमी हो रही है।
- भारत में, जंगली मधुमक्खियों की एपिस प्रजाति (Genus) की संख्या में पिछले 30 सालों में काफी गिरावट देखी गई है। इनमें एशियाई मधुमक्खी सेराना (Cerana) और छोटे आकार वाली मधुमक्खी, फ्लोरिया (Florea) भी शामिल है।
- खराब कचरा प्रबंधन के कारण हर दिन लगभग 168 मक्खियों की मृत्यु हो जाती हैं।
- दक्षिण भारत में मधुमक्खी की आबादी में गिरावट देखी गई है ।
- वर्ष 2014 के एक अध्ययन 'रोल ऑफ डिस्पोज़ेबल पेपर कप' (Role of Disposable Paper Cups) को दक्षिण भारत में मधुमक्खियों की संख्या में कमी के कारणों को जानने के लिये किया गया। अध्ययन में बताया गया कि कुल मिलाकर हर महीने 35,211 मक्खियों की मौत हुई है।
- अमेरिका में भी मधुमक्खियों की आबादी में गिरावट देखी गई। में FAO के अनुसार, वर्ष 2017 में अमेरिका में 32 लाख 80 हजार मधुमक्खियों की कालोनी थी जो कि वर्ष 2017 तक पाँच वर्षों में 12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 28 लाख 80 हज़ार ही रह गई है ।
- इस प्रकार FAO के अनुसार, लगभग 16.5 प्रतिशत कशेरुकी परागणकों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है।
- FAO के आकलन के अनुसार, तेज़ी से खत्म हो रहे परागणकों में चमगादड़ों की 45 प्रजातियाँ, ना उड़ पाने वाले स्तनधारियों की 36 प्रजातियाँ, हमिंगबर्ड की 26 प्रजातियाँ, सनबर्ड की सात प्रजातियाँ तथा पर्शियन बर्ड की 70 प्रजातियों पर खतरा बना हुआ हैं ।

परागणकों की प्रजाति में गिरावट के प्रमुख कारण

- परागणकों की संख्या में गिरावट के कई कारण हैं। उनमें से अधिकांश मानव गतिविधियों में बढ़ोत्तरी का परिणाम हैं।
- भूमि-उपयोग परिवर्तन एवं विखंडन।
- रासायनिक कीटनाशकों, फफूंदनाशकों और कीटनाशकों के उपयोग सहित कृषि विधियों में परिवर्तन।
- फसलों और फसल चक्र में परिवर्तन जैसे जेनेटिकली मॉडीफाइड ऑर्गेनिज़्म (Genetically Modified Organisms-GMOs) और मोनोक्रॉपिंग (Monocropping) अर्थात एक ही प्रकार की फसल उगाना को बढ़ावा ।
- भारी धातुओं और नाइट्रोजन से उच्च पर्यावरण प्रदूषण।
- विदेशी फसलों का को उगाना।

ड्रैगनफ्लाई में दुर्लभ जैविक घटना

चर्चा में क्यों ?

'जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा' (Journal of Threatened Taxa) में प्रकाशित शोध के अनुसार, 'सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज़' (Society for Odonate Studies) केरल, के वैज्ञानिकों ने ड्रैगनफ्लाई में जिनैन्ड्रमोर्फिज़्म (Gyanandromorphism) नामक एक बहुत ही दुर्लभ जैविक घटना को दर्ज किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस दुर्लभ परिघटना का अवलोकन त्रिशूर में कोल वेटलैंड्स (Kole wetlands) में किया गया है।
- कोले वेटलैंड्स में प्राप्त ड्रैगनफ्लाई के शरीर का आधा हिस्सा लाल और आधा हिस्सा पीले रंग का पाया गया।

ड्रैगनफ्लाई (Dragonfly):

- एक ड्रैगनफ्लाई, ओडोनाटा (Odonata) गण (order) तथा कीट वर्ग (Class) से संबंधित है।
- ये पारिस्थितिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ये 'जैव संकेतक' (Bioindicators) के रूप में कार्य करते हैं।
- सामान्यत: नर ड्रैगनफ्लाई के सिर, वक्ष, पेट, पैरों सहित शरीर के लगभग सभी हिस्सों के रक्त में लाल रंग का कोलोरैटन (Colouraton) पाया जाता है, जबकि मादा ड्रैगनफ्लाई गहरे भूरे रंग के वक्ष तथा पैरों के साथ हल्के पीले रंग की होती है।

नोट :

जिनैन्ड्रमोर्फिज़्म (Gynandromorphism):

- यह जीवों में पाई जाने वाली विशेषता है, जिसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों के ऊतक तथा अन्य विशेषताएँ पाई जाती हैं। इस तरह के जीवों को स्त्री रोग (Gynandromorphs) भी कहा जाता है।
- यह शब्द ग्रीक शब्दों (Gyne = मादा; Aner = नर और Morphe = रूप) से लिया गया है।
- ऐसा सामान्यत: आनुवंशिक त्रुटि के कारण होता है। आनुवंशिक परिवर्तन गुणसूत्र संबंधी विकार या उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसा गुणसूत्री DNA की कमी, अतिरिक्त गुणसूत्र या अनियमित गुणसूत्र के कारण हो सकता है।

अध्ययन का महत्त्व:

- जीवों पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को समझने में मदद करेगा;
- पारिस्थितिक उद्विकास (Ecological Evolutions) के माध्यम से विशिष्ट प्रजातियों की उत्पति समझने में मदद करेगा;
- प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता को खोजने में मदद करेगा;

कोल आर्द्रभूमि (Kole Wetlands):

- यह केरल के त्रिशूर ज़िले में स्थित है।
- इस क्षेत्र में चावल का अच्छा उत्पादन होता है तथा यह आर्द्रभूमि प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
- यह वेम्बनाड-कोल आर्द्रभूमि (Vembanad-Kole wetlands) का एक हिस्सा है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यहाँ अनेक प्रकार की आक्रामक प्रजातियाँ (Invasive Species) पाई जाती है।

कार्बन उत्सर्जन से चेन्नई में भारी वर्षा की आशंका

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) चेन्नई के शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि से चेन्नई में बहुत अधिक होने की आशंका है।

प्रमुख बिंदु

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, कार्बन उत्सर्जन में हो रही वृद्धि चेन्नई क्षेत्र के लिये बहुत अधिक वर्षा के लिये अनुकूल संभावना को जन्म दे रही है।
- अध्ययन के परिणामों से ज्ञात होता है कि वर्तमान स्तरों की तुलना में भविष्य में चेन्नई के लिये अनुमानित वर्षा में 17.37 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
- उल्लेखनीय है कि चेन्नई भारत के उन नगरों में से एक है, जहाँ प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस (Per Capita Greenhouse Gas) उत्सर्जन उच्चतर श्रेणी में आता है।

प्रभाव

- शोध के मुताबिक बढ़ी हुई तीव्रता और वर्षा की ऐसी घटनाओं के भौगोलिक विस्तार से भारी बाढ़ आ सकती है।
- इसके परिणामस्वरूप खतरा पैदा हो सकता है और स्थानीय समुदायों को नुकसान होने की आशंका पैदा हो सकती है।
- उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत के राज्यों में भारी वर्षा होने की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जिससे वहाँ भयानक बाढ़ आने लगी हैं।

कार्बन उत्सर्जन और उसका प्रभाव

- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का उत्सर्जन या तो प्राकृतिक या मानवजनित होता है, प्राकृतिक उत्सर्जन मुख्य रूप से प्राकृतिक जंगल, पौधों, जलीय सूक्ष्मजीव और ज्वालामुखी आदि के कारण होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का मानवजनित उत्सर्जन हीटिंग, वाहनों, स्वेच्छा से लगाई गई आग, जीवाश्म ईंधन के बिजली उत्पादन स्टेशन आदि के कारण होता है।

नोट :

- कार्बन उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन में काफी महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, जिसके मनुष्यों और पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- गौरतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 50 से 200 वर्षों तक वायुमंडल में बनी रहती है, इस कारण इसका प्रभाव भविष्य में लंबे समय तक रहता है।

जलवायु परिवर्तन: एक चुनौती के रूप में

- सामान्यत: जलवायु का आशय किसी दिये गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। अत: जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन (Climate Change) कहते हैं।
- जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो यह इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है।
- गौरतलब है कि पृथ्वी के समग्र इतिहास में यहाँ की जलवायु कई बार परिवर्तित हुई है एवं जलवायु परिवर्तन की अनेक घटनाएँ सामने आई हैं।

REDD+ कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

युगांडा 'निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती' (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation- REDD+) कार्यक्रम के माध्यम से उत्सर्जन में कमी के परिणाम प्रस्तुत करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है।

प्रमुख बिंदु:

- REDD+ कार्यक्रम का उद्देश्य निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण में कमी के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है।
- 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन' (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) को परिणाम प्रस्तुत करने से देश को REDD+ कार्यक्रम के संभावित परिणाम-आधारित भुगतानों (Results-Based Payments) का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

REDD+ कार्यक्रम:

- REDD+ 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन' के भागीदार देशों द्वारा विकसित एक तंत्र है। यह विकासशील देशों को वनाच्छादित भूमि से उत्सर्जन में कमी कम करने तथा कम कार्बन आधारित निवेश को प्रोत्साहन देकर सतत् विकास को प्रोत्साहित करता है।

REDD+ के चरण:

REDD+ कार्यक्रम के निम्नलिखित तीन चरण हैं:

1. तत्परता (Readiness):
   - राष्ट्रीय REDD+ रणनीति और क्षमता निर्माण का चरण
2. कार्यान्वयन (Implementation):
   - प्रदर्शन गतिविधियों का चरण
3. परिणाम-आधारित भुगतान (Result-Based Payment):
   - परिणाम आधारित भुगतान REDD+ कार्यक्रम का अंतिम चरण है।
   - यह उन विकासशील देशों जिनके द्वारा निश्चित अवधि के दौरान निर्वनीकरण पर रोक लगाई है, को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
   - यह संयुक्त राष्ट्र समर्थित तकनीकी मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। ब्राज़ील परिणाम आधारित भुगतानों के तहत निधि प्राप्त करने वाला प्रथम देश था।

नोट :

संयुक्त राष्ट्र REDD कार्यक्रम:

- UN-REDD कार्यक्रम विकासशील देशों में निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती' (REDD+) की दिशा में संयुक्त राष्ट्र का सहयोग कार्यक्रम है।
- कार्यक्रम की शरुआत वर्ष 2008 में की गई थी।
- कार्यक्रम को 'खाद्य एवं कृषि संगठन' (Food and Agriculture Organization- FAO), 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (United Nations Development Programme-UNDP) और 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (United Nations Environment Programme- UNEP) की निर्धारित भूमिका और तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर बनाया गया है।
- कार्यक्रम अफ्रीका, एशिया-प्रशांत और लैटिन अमेरिका के भागीदार देशों में राष्ट्रीय REDD+ तत्परता (Readiness) चरणों के प्रयासों को समर्थन प्रदान करता है।

REDD+ तथा UN-REDD कार्यक्रम में अंतर:

युगांडा में REDD+ कार्यक्रम:

- युगांडा में REDD + कार्यक्रम को देश की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के एक भाग के रूप में वर्ष 2013 में तथा वर्ष 2017 में REDD+ रणनीति को शुरू किया।
- युगांडा सरकार ने REDD+ रणनीति के तहत वर्ष 2015-17 के दौरान कार्बन उत्सर्जन में कमी को मापने के लिये वन परिवर्तन तथा संबंधित उत्सर्जन कारकों के क्षेत्र में किये गए प्रदर्शन का आकलन करने का निर्णय लिया।
- इस आकलन पर आधारित परिणामों को हाल ही में UNFCCC को प्रस्तुत किया गया है।
- युगांडा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों के अनुसार, उसने वर्ष 2015-2017 की अवधि के दौरान 8,070,694 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया।

प्रस्तुत परिणामों का महत्त्व:

- इससे युगांडा को 'हरित जलवायु कोष' (Green Climate Fund- GCF) के तहत वन संरक्षण योजना के माध्यम से निधि प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- यह अन्य अफ्रीकी देशों को निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण में कमी के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अफ्रीका में शुद्ध वन ह्रास की दर विश्व में सर्वाधिक 3.9 मिलियन हेक्टेयर प्रति दशक है।

REDD+ कार्यक्रम के समक्ष चुनौतियाँ:

- REDD+ कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि देशों द्वारा वनीकरण के स्थान पर अन्य प्राथमिकताओं यथा- कृषि, खनन, ऊर्जा और वानिकी को वरीयता दी जाती है।

निष्कर्ष:

- REDD+ कार्यक्रम के सभी चरणों के क्रियान्वयन के लिये कार्यक्रम के डिज़ाइन, क्रियान्वयन तथा परिणामों का विश्लेषण आवश्यक है। अफ्रीका में REDD+ के सभी चरणों के क्रियान्वयन से इस बात की पूरी संभावना है कि अगले दशक में अफ्रीका वन चैंपियन के रूप में स्थान प्राप्त करेगा।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

अरब सागर में चक्रवात निसर्ग

चर्चा में क्यों:

'भारत मौसम विज्ञान विभाग' (India Meteorological Department- IMD) ने महाराष्ट्र तथा गुजरात में 'चक्रवात निसर्ग'(Nisarga) के कारण खराब मौसम की चेतावनी जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

- हाल ही में अरब सागर में भारत के मध्य-पश्चिम तटीय क्षेत्र में अवदाब (Depression) क्षेत्र का निर्माण हुआ है।
- भारत के मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिये 'रेड अलर्ट' जारी किया है।

चक्रवात की वर्तमान स्थिति:

- IMD ने विक्षोभ को वर्तमान में (Depression) अवदाब के रूप में वर्गीकृत किया है। हालाँकि अवदाब की तीव्रता में लगातार वृद्धि हो रही है तथा यह लगातार उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।
- वर्तमान में अवदाब का केंद्र अरब सागर में मुंबई तट के 630 किमी. दक्षिण-पश्चिम में है।
- अवदाब की तीव्रता में वृद्धि होने पर यह गहन अवदाब (Deep Depression) में तथा आगे इसके चक्रवात में बदलने की संभावना है। चक्रवात में बदलने के बाद इसे 'निसर्ग' नाम दिया जाएगा।
- 'भारत मौसम विज्ञान विभाग' (IMD) द्वारा चक्रवातों को बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनने वाली निम्न दबाव प्रणाली तथा उनकी नुकसान की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

चक्रवातों का तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण:

विक्षोभ का प्रकार	वायु की गति (किमी/घंटा में)
न्यून दाब (Low Pressure)	31 से कम
अवदाब (Depression)	31-49
गहन अवदाब (Deep Depression)	49-61
चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm)	61-88
गंभीर चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm)	88-117
सुपर साइक्लोन (Super Cyclone)	221 से अधिक

चक्रवात का मार्ग:

- चक्रवात वर्तमान में उत्तर तथा उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है तथा 3 जून तक उत्तरी महाराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात के तटों को पार करने की संभावना है।
- चक्रवात के कारण महाराष्ट्र के पूर्वी मुंबई, ठाणे तथा रायगढ़ ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि नासिक, धुले, नंदुरबार ज़िलों में 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है।
- IMD ने इन क्षेत्रों में तेज़ हवाओं; जिन्हे 'गेल विंड' (Gale Wind) भी कहा जाता है, की चेतावनी जारी की है । गेल विंड की गति 34-47 नॉट के बीच होती है। 1 नॉट, 1.85 किमी प्रति घंटे के बराबर होता है।

नोट :

मौसम विभाग की चेतवानी के प्रकार:

- IMD द्वारा मौसम से संबंधित चेतावनी देने के लिये रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट को जारी किया जाता है। इन अलर्ट को मौसम के खराब होने की तीव्रता के आधार पर जारी किया जाता है।
- रेड अलर्ट:
  - जब हवा की गति 130 किमी./घंटा से अधिक होती है तो IMD द्वारा 'रेड अलर्ट' जारी किया जाता है और प्रशासन से ज़रूरी कदम उठाने के लिये कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इस प्रकार की चेतवानी जारी करने का आधार एकमात्र वायु की गति नहीं है।
- ऑरेंज अलर्ट:
  - जब चक्रवात में वायु की गति लगभग 65 से 75 किमी. प्रति घंटा होती है और 15 से 33 मिमी. तक तीव्र बारिश होने की संभावना रहती है।
- येलो अलर्ट:
  - मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट का प्रयोग सामान्यत: लोगों को सचेत करने के लिये किया जाता है। हालाँकि इस क्षेत्र के आपदा से प्रभावित होने की बहुत कम संभावना होती है।
  - 'येलो वॉर्निंग' तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम-से-कम 48 घंटे पूर्व जारी की जाती है।
- ग्रीन अलर्ट:
  - मौसम विभाग द्वारा ग्रीन अलर्ट सामान्यत: तब जारी किया जब संबंधित क्षेत्र को आपदा से कोई खतरा नहीं होता है।

सरकार की प्रतिक्रिया:

- राज्य आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा गया है तथा ज़रूरत पड़ने पर चक्रवात प्रभावित राज्यों में भेजा जाएगा।
- राज्य सरकारों ने संभावित चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है।
- निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की निकासी के लिये 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल' (NDRF) की 10 टीमों को तैनात किया गया है।

उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल

चर्चा में क्यों ?

उष्णकटिबंधीय तूफान 'क्रिस्टोबाल' (Cristobal) मेक्सिको में लैंडफॉल करने के बाद धीरे-धीरे अंतर्देशीय भागों की ओर बढ़ रहा है, जिससे दक्षिणी मेक्सिको तथा अमेरिका के कुछ हिस्सों के प्रभावित होने की संभावना है।

प्रमुख बिंदु:

- यह तूफान पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय तूफान अमांडा (Tropical Storm Amanda) के अधिविष्ट (किसी तूफान की समाप्ति के पूर्व की अवस्था) भाग से बना है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि 'अमांडा' तूफान के कारण हाल ही में अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में कम-से-कम 17 लोग मारे गए थे।
- उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल का निर्माण मेक्सिको की खाड़ी में हुआ है।

उष्ण कटिबंधीय चक्रवात:

- उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं।

क्रिस्टोबाल तूफान की विशेषताएँ:

- तूफान की अवस्थिति: मेक्सिको से 15 मील की दूरी पर;
- वायु की सामान्य गति: 50 मील प्रति घंटे;

नोट :

- वर्षा की संभावना: 25 से 50 सेंटीमीटर तक;

उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निर्माण की अनुकूल स्थितियाँ:

- बृहत् समुद्री सतह;
- समुद्री सतह का तापमान 27° सेल्सियस से अधिक हो;
- कोरिआलिस बल का उपस्थित होना;
- लंबवत पवनों की गति में अंतर कम होना;
- कमज़ोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण होना;
- समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण।

चक्रवातों का निर्माण व समाप्ति:

- चक्रवातों को ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊँचे कपासी स्तरी मेघों से प्राप्त होती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं।
- चक्रवातों के स्थल पर पहुँचने पर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है जिससे ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं।
  - वह स्थान जहाँ से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मार्ग:

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा प्रारंभ में पूर्व से पश्चिम की ओर होती है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। लेकिन लगभग 20° अक्षांश पर ये चक्रवात कोरिओलिस बल के प्रभाव के कारण दाईं ओर विक्षेपित हो जाते हैं तथा लगभग 25° अक्षांश पर इनकी दिशा उत्तर-पूर्वी ही जाती है। 30° अक्षांश के आसपास पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण इनकी दिशा पूर्व की ओर हो जाती है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम:

क्षेत्र	चक्रवात नाम
हिंद महासागर	चक्रवात
पश्चिमी अटलांटिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर	हरीकेन
पश्चिमी प्रशांत महासगर और दक्षिणी चीन सागर	टाइफून
ऑस्ट्रेलिया	विली-विली

बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात (Extra-Tropical Cyclones):

- वे चक्रवातीय वायु प्रणालियाँ, जो उष्ण कटिबंध से दूर, मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं, उन्हें बहिरूष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं।

उष्णकटिबंधीय तथा बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अंतर:

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा संघनन की गुप्त उष्मा से प्राप्त करते हैं जबकि बहिरूष्ण चक्रवात अपनी ऊर्जा दो भिन्न वायुराशियों के क्षैतिज तापीय अंतर से प्राप्त करते हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वायु की अधिकतम गति पृथ्वी की सतह के निकट जबकि बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में क्षोभसीमा के पास सबसे अधिक होती है।
- ऐसा इसलिये होता है क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के 'ऊष्ण कोर' क्षोभमंडल में जबकि अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात में 'ऊष्ण कोर' समताप मंडल में तथा 'शीत कोर' क्षोभमंडल में पाई जाती है।
- 'ऊष्ण कोर' में वायु अपने आसपास की वायु से अधिक गर्म होती है, अत: निम्न दाब केंद्र बनने के कारण वायु तेज़ी से इस केंद्र की ओर प्रवाहित होती है।

नोट :

असम गैस रिसाव की दुर्घटना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में असम के तिनसुकिया ज़िले में 'ऑयल इंडिया लिमिटेड' (Oil India Limited- OIL) के बागान (Baghjan) गैस कुएँ में तेल रिसाव के बाद गैस रिसाव को रोकने के लिये सिंगापुर की एक फर्म को बुलाया गया।

प्रमुख बिंदु:

- दुर्घटना के बाद आसपास के गाँवों के लोगों की निकासी की गई परंतु अनेक प्रकार की मत्स्य प्रजातियों तथा लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन की मृत्यु हो गई है।
- सामान्यत: इस कुएँ से प्रतिदिन 2,700 पाउंड प्रति वर्ग इंच (PSI) दाब के साथ 80,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन (SCMD) गैस का उत्पादन किया जाता है। परंतु वर्तमान में गैस रिसाव दर 4,200 पाउंड प्रति वर्ग इंच (PSI) के दाब के साथ 90,000 मानक घन मीटर (SCMD) गैस प्रतिदिन है।

दुर्घटना का कारण:

- कुएँ में गैस के दबाव को यदि समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो कुएँ में अचानक आघात से विस्फोट हो सकता है।
- दुर्घटना के पीछे कई संभावित कारण जैसे- निरीक्षण की कमी, खराब रखरखाव, तकनीकी कारण आदि हो सकते हैं।

गैस रिसाव के नियंत्रण में समस्या:

- गैस रिसाव को नियंत्रण करना मुश्किल है क्योंकि गैस रिसाव का दबाव बहुत अधिक है। दूसरा गैस भंडार में नियंत्रण कार्य के दौरान किसी भी समय आग लगने की संभावना रहती है।
- इस प्रकार के गैस रिसाव में स्वत: दबाव कम होने में कई महीनों का समय लगता है अत: गैस के कुओं में पानी को पंप करना एक कारगर तरीका हो सकता है ताकि गैस में आग न लगे।

गैस रिसाव का प्रभाव:

- लगभग 2,500 से 3,000 लोगों की निकासी करके राहत शिविरों में भेजा गया है। गैस रिसाव से 'नदी डॉल्फिन' तथा अनेक प्रकार की मछलियों की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने आँखों में जलन, सिरदर्द आदि जैसे लक्षणों की शिकायत की है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पास में मगुरी-मोटापुंग वेटलैंड (Maguri-Motapung Wetland) है, जिसे एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया (Important Bird Area- IBA) गया है। लगभग 900 मीटर की हवाई दूरी पर डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों तथा वन्य जीवों की कुछ दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

प्राकृतिक गैस (Natural Gas):

- प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस में कई अलग-अलग यौगिक होते हैं। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक मीथेन है। मीथेन के अलावा प्राकृतिक गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि भी पाए जाते हैं।
- इसका उपयोग उर्वरक, प्लास्टिक तथा अन्य व्यावसायिक रूप से महत्त्वपूर्ण कार्बनिक रसायनों के निर्माण, ताप विद्युत गृहों में किया जाता है।

परंपरागत प्राकृतिक गैस (Conventional Natural Gas- CNG):

- जब प्राकृतिक गैस बड़े चट्टानीय रिक्त स्थान के बीच पाई जाती है तो इसे परंपरागत प्राकृतिक गैस कहा जाता है।

शेल गैस (Shale Gas):

- जब प्रकृतिक गैस लघु चट्टानीय भागों, शेल, बलुआ पत्थर तथा अन्य प्रकार की अवसादी चट्टान के बीच छोटे छिद्रों (स्थानों) में पाई जाती है तो इसे शेल गैस (Shale Gas) के रूप में जाना जाता है।

नोट :

संबंधित प्राकृतिक गैस (Associated Natural Gas):

- कच्चे तेल के भंडारों के साथ पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस को 'संबंधित प्राकृतिक गैस' कहा जाता है।

कोल-बेड मिथेन (Coal-Bed Methane- CBM)

- जबकि कोयले के भंडार के साथ पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस को कोल-बेड मिथेन कहा जाता है।

असम के तेल उत्पादन क्षेत्र:

- अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। वर्ष 1956 तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। असम में डिगबोई, नहरकटिया तथा मोरान महत्त्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तमिलनाडु का पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र में अन्य महत्त्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं।

अथिरापल्ली जल विद्युत' परियोजना: समग्र विश्लेषण

चर्चा में क्यों ?

भारी जन विरोध के बीच केरल सरकार ने त्रिशूर ज़िले में चालक्कुडी नदी (Chalakudy River) पर प्रस्तावित विवादास्पद 'अथिरापल्ली जल विद्युत' (Athirappally Hydel Power) परियोजना पर फिर से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि 'अथिरापल्ली जल विद्युत' परियोजना के लिये पहले से प्राप्त पर्यावरणीय मंज़ूरी और तकनीकी-आर्थिक मंज़ूरी समेत सभी वैधानिक मंज़ूरियों की अवधि समाप्त हो चुकी थीं।
- ऐसे में केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) ने राज्य सरकार को पत्र लिखते हुए परियोजना पर आगे बढ़ने और केंद्र सरकार से नए सिरे से पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त करने की बात कही थी।
- केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) द्वारा किये गए आग्रह पर विचार करते हुए केरल सरकार ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) को आगामी 7 वर्षों की अवधि के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र (No-Objection Certificate-NOC) जारी किया है।

'अथिरापल्ली जल विद्युत' परियोजना

- 163 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली इस परियोजना को केरल के त्रिशूर ज़िले में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील चलक्कुडी नदी पर स्थापित करने की योजना सर्वप्रथम वर्ष 1979 में बनाई गई थी।
- इस परियोजना के तहत 23 मीटर ऊँचाई और 311 मीटर लंबाई का एक गुरुत्वाकर्षण बांध (Gravity Dam) प्रस्तावित किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि चलक्कुडी नदी पर पहले से ही जल विद्युत से संबंधित छह बाँध और सिंचाई से संबंधित एक बाँध निर्मित किया गया है।

चालक्कुडी नदी (Chalakudy River)

- चालक्कुडी नदी केरल की चौथी सबसे लंबी नदी है।
- इस नदी का कुल बेसिन क्षेत्र तकरीबन 1704 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 1404 किलोमीटर का हिस्सा केरल में पड़ता है और शेष 300 किलोमीटर का हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है।
- यह नदी केरल के पलक्कड़, त्रिशूर और एर्नाकुलम ज़िलों से होकर निकलती है।

काफी समय से रुकी हुई है 'अथिरापल्ली जल विद्युत' परियोजना

- इस परियोजना का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1979 में सामने आया था, जिसके बाद वर्ष 1982 में केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) ने इस संबंध में एक औपचारिक प्रस्ताव पेश किया।
- उस समय इस परियोजना को विभिन्न एजेंसियों से मंज़ूरी प्राप्त करने में सात वर्ष से अधिक समय लगा, किंतु सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनज़र इस परियोजना को रोक दिया गया।

नोट :

- वर्ष 1998 में केरल सरकार ने इस परियोजना को नई लीज़ (Lease) प्रदान कर दी। साथ ही कुछ समय पश्चात् इस परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (Ministry of Environment and Forests- MoEF) से भी मंज़ूरी मिल गई।
- हालाँकि, कुछ ही समय में पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी और न्यायालय ने वर्ष 2001 में केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) को सभी आवश्यक मंज़ूरी प्राप्त करने से संबंधित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया।
- वर्ष 2005 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) ने एक सार्वजनिक उपक्रम द्वारा तैयार की गई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट के आधार पर एक बार पुन: इस परियोजना को अपनी मंज़ूरी दे दी। हालाँकि पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं ने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया और न्यायालय ने मंत्रालय की मंज़ूरी को रद्द कर दिया।
- वर्ष 2007 में केरल सरकार ने इस परियोजना से संबंधित एक नया प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) के समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु परियोजना के कारण क्षेत्र की परिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी नहीं दी।
- इस बीच, माधव गाडगिल के नेतृत्त्व में गठित वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल (Western Ghats Ecology Experts Panel) ने अथिरापल्ली समेत संपूर्ण पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया और इस क्षेत्र में खनन, उत्खनन, थर्मल पावर प्लांट समेत सभी बड़ी परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया।
- हालाँकि, पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट ने इस बिजली परियोजना को शुरू करने के लिये केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) को सशर्त मंज़ूरी प्रदान कर दी।
- कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के साथ केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) के समक्ष एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- इस बार मंत्रालय ने केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) को वर्ष 2017 तक के लिये 'ग्रीन क्लीयरेंस' (Green Clearance) प्रदान कर दिया।

परियोजना का प्रभाव

- एक अनुमान के अनुसार, 19 पंचायतों और दो नगर पालिकाओं के कम-से-कम पाँच लाख लोग आजीविका, सिंचाई और पीने के पानी के लिये नदी पर निर्भर हैं। इस परियोजना के आलोचकों का मानना है कि इस परियोजना के परिणामस्वरूप नदी का प्रवाह अवरुद्ध होगा और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इन लाखों लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित होगा।
- स्थानिक जनजाति 'कादर' (Kadar) से संबंधित तमाम आदिवासी लोगों ने इस नदी के बेसिन में अपना घर बनाया है, जो कि सैकड़ों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। इस परियोजना के कारण इन आदिवासियों का जीवन काफी अधिक प्रभावित होगा और इन्हें विस्थापित होना पड़ेगा।
- इस परियोजना में क्षेत्र विशिष्ट के दो प्रमुख झरने (अथिरापल्ली झरना और वझाचल झरना) शामिल हैं, जहाँ प्रतिवर्ष 6 लाख से अधिक लोग घूमने आते हैं, ऐसे में यह क्षेत्र विशिष्ट की अर्थव्यवस्था के लिये आय का प्रमुख स्रोत हैं, किंतु इस परियोजना के कारण यह क्षेत्र एक पर्यटक स्थल के रूप में बचा नहीं रह पाएगा। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और केरल के पर्यटन उद्योग के लिये काफी नुकसानदायक होगा।
- इस परियोजना के लिये प्रयोग किया जा रहा कुछ क्षेत्र वझाचल वन प्रभाग (Vazhachal Forest Division) का हिस्सा है और यहाँ विलुप्ति की कगार पर खड़े कई जानवर पाए जाते हैं, ऐसे में इस परियोजना के कार्यान्वयन से इस क्षेत्र के जानवरों पर काफी प्रभाव पड़ेगा।
- परियोजना के तहत बाँध निर्माण के लिये लगभग 138.60 हेक्टेयर वन भूमि केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) को हस्तांतरित की जाएगी, जो कि इस क्षेत्र की जैव विविधता के लिये काफी बड़ा नुकसान होगा।

आगे की राह

- इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 1979 में हुई थी और अब तक इसके कार्यान्वयन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, यह स्थिति भारतीय प्रशासनिक तंत्र में होने वाली देरी को इंगित करती है।
- यह मुद्दा पर्यावरण और विकास के मध्य हो रहे संघर्ष का है, ऐसे में आवश्यक है कि इस परियोजना से संबंधित सभी हितधारक एक मंच पर आकर संतुलित उपाय खोजने का प्रयास करें, ताकि राज्य की बिजली संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए क्षेत्र विशिष्ट की जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके।

नोट :

जल जीवन मिशन और प्रवासी श्रमिक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों को पत्र लिखते हुए कहा है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण लागू किये गए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप राज्यों में लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत कार्य प्रदान किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, इस कार्य के लिये विशेष तौर पर उन कुशल, अकुशल एवं अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को नियुक्त किया जा सकता है, जो इससे पूर्व निर्माण क्षेत्र (Construction Sector) में कार्यरत थे।

आवश्यकता

- उल्लेखनीय है कि भारत समेत विश्व की तमाम सरकारों द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन को एक उपाय के रूप में प्रयोग किया गया था, इस व्यवस्था (लॉकडाउन) के कारण देश में सभी प्रकार की आर्थिक तथा गैर-आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से रुक गई थीं, जिसके कारण दैनिक अथवा साप्ताहिक आधार पर मज़दूरी प्राप्त करने वाले प्रवासियों के समक्ष आजीविका की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी।
  - आजीविका की इस समस्या को देखते हुए देश भर के लाखों प्रवासी मज़दूर अपने ग्रह राज्य लौटने लगे जिसके कारण ग्रह राज्य की सरकारों के समक्ष वापस लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को उपयुक्त रोज़गार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन गई है।

महत्त्व

- यदि इस व्यवस्था को कार्यान्वित किया जाता है तो यह वर्तमान में बेरोज़गार श्रमिकों को रोज़गार उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो सकती है।
- विभिन्न राज्यों द्वारा किये गए कौशल सर्वेक्षणों में सामने आया है कि लॉकडाउन के प्रभावस्वरूप वापस अपने ग्रह राज्य लौटने वाले अधिकांश प्रवासी श्रमिक निर्माण क्षेत्र से संबंधित हैं।
- आँकड़ों के अनुसार, अकेले उत्तर प्रदेश में लौटे कुल 18 लाख प्रवासी श्रमिकों में से 16 लाख निर्माण क्षेत्र से संबंधित हैं।

जल जीवन मिशन

- जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति (हर घर जल) सुनिश्चित करना है।
- जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
- इस मिशन के तहत कृषि में पुन: उपयोग के लिये वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिये जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है।
- आँकड़े बताते हैं कि भारत में विश्व की कुल आबादी का तकरीबन 16 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है, जबकि देश में पीने योग्य जल का मात्र 4 प्रतिशत हिस्सा ही उपलब्ध है। वहीं लगातार गिरता भू-जल और जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जल संरक्षण में कुछ अन्य चुनौतियाँ हैं, ऐसे में पीने योग्य पानी की मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करना सरकार के लिये एक बड़ी चुनौती है।

जल जीवन मिशन: मनरेगा के विकल्प के रूप में

- कई विशेषज्ञ जल जीवन मिशन को मनरेगा के एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। साथ ही सरकार भी मौजूदा COVID-19 महामारी के परिदृश्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश करने के लिये जल जीवन मिशन के उपयोग की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है।
- जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 तक राज्यों को लगभग 30,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएँगे, जिसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़े निवेश के रूप में देखा जा सकता है।
- वहीं दूसरी ओर एक पक्ष यह भी है कि मनरेगा मौजूदा परिदृश्य में लोगों को उनकी मांग के अनुरूप कार्य उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है।

नोट :

सूर्य ग्रहण का विज्ञान

चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2020 को भारत के उत्तरी हिस्सों में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जो कि एक महत्त्वपूर्ण खगोलीय घटना है। उल्लेखनीय है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के नैनीताल स्थित स्वायत्त संस्थान 'आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान' (Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences-ARIES) द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इस वलयाकार सूर्य ग्रहण के प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि यह वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है , जो कि सर्वाधिक भारत के उत्तरी हिस्से में दिखाई देगा।
- इससे पूर्व वलयाकार सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर, 2019 को दक्षिण भारत में देखा गया था।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत में 21 मई 2031 को दिखाई देगा, जबकि अगला पूर्व सूर्य ग्रहण 20 मार्च, 2034 को देखा जाएगा।

ग्रहण का अर्थ

- ग्रहण एक प्रकार की महत्त्वपूर्ण खगोलीय घटना है, यह मुख्यत: तब घटित होती है जब एक खगोल-काय जैसे चंद्रमा अथवा ग्रह किसी अन्य खगोल-काय की छाया के बीच में आ जाता है।
- पृथ्वी पर मुख्यत: दो प्रकार के ग्रहण होते हैं- पहला सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) और दूसरा चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse)

सूर्य ग्रहण का अर्थ

- चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है और उसी समय पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा के दौरान कभी-कभी चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। खगोलशास्त्र में इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है।
- इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में अँधेरा छा जाता है।
- सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा अमावस्या को पृथ्वी के कक्षीय समतल के निकट होता है।
- चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात को होता है।
- सूर्य ग्रहण मुख्यत: तीन प्रकार के होते हैं- आंशिक सूर्य ग्रहण (Partial Solar Eclipse), वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse) तथा पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse)।

आंशिक सूर्य ग्रहण (Partial Solar Eclipse)

- जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य के केवल एक छोटे हिस्से पर अंधेरा छा जाता है।

वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse)

- वलयाकार सूर्य ग्रहण की यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है।
- इस दौरान चंद्रमा, सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, और सूर्य एक अग्नि वलय (Ring of Fire) की भाँति प्रतीत होता है।

पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse)

- पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अँधेरा छा जाता है।
- यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा, पृथ्वी के निकट होता है।
- सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में होने के कारण, जो लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख रहे होते हैं वे इस चंद्रमा की छाया क्षेत्र के केंद्र में होते हैं।

नोट :

छाया और उपच्छाया

- सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा की दो परछाइयाँ बनती हैं जिसमें से पहली को छाया (Umbra) और दूसरी को उपच्छाया (Penumbra) कहते हैं।
  - छाया (Umbra): इसका आकार पृथ्वी पर पहुँचते हुए काफी छोटा हो जाता है और इसके क्षेत्र में खड़े लोगों को ही पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है।
  - उपच्छाया (Penumbra): इसका आकार पृथ्वी पर पहुँचते हुए बड़ा होता जाता है और इसके क्षेत्र में खड़े लोगों को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है।

सूर्य ग्रहण का महत्त्व

- सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) सूर्य (Sun) की शीर्ष परत अर्थात कोरोना का अध्ययन करने हेतु काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं ।
- इस प्रकार की खगोलीय घटनाओं को समझना काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ये पृथ्वी समेत सौर प्रणाली के शेष सभी हिस्सों को प्रभावित करते हैं।
- सदियों पूर्व ग्रहण के दौरान चंद्रमा का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने यह पाया था कि पृथ्वी का आकार गोल है।
- वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा की सतह का विस्तार से अध्ययन करने के लिये ग्रहण का उपयोग किया जा रहा है।

सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानियाँ

- पूर्ण सूर्य ग्रहण की अल्पावधि के दौरान जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो इस घटना के दौरान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से देखना हानिकारक नहीं होता है, हालाँकि यह अवधि इतनी अल्प होती है कि यह जानना कि कब सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करना है और कब नहीं, यह काफी महत्त्वपूर्ण होता है।
- इसके विपरीत आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण को बिना उपयुक्त तकनीक तथा यंत्रों के नहीं देखा जाना चाहिये, यह हमारी आँखों के लिये काफी नुकसानदायक होता है।
- सूर्य ग्रहण को आँखों में बिना कोई उपकरण लगाए देखना खतरनाक साबित हो सकता है जिससे स्थायी अंधापन या रेटिना में जलन हो सकती है जिसे सोलर रेटिनोपैथी (Solar Retinopathy) कहते हैं।

जापान तथा चीन के बीच विवादित द्वीप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जापान की एक स्थानीय परिषद में चीन और ताइवान के साथ विवादित सेनकाकू द्वीपीय क्षेत्र में स्थित कुछ द्वीपों की प्रशासनिक स्थिति बदलने वाले विधेयक को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- विधेयक के अनुसार, टोक्यो द्वारा नियंत्रित सेनकाकू द्वीप के पास स्थित एक द्वीप जिसे जापान में 'टोनोशीरो' (Tonoshiro) तथा ताइवान और जापान में दियोयस (Diaoyus) के नाम से जाना जाता है, का नाम बदलकर टोनोशीरो सेनकाकू (Tonoshiro Senkaku) कर दिया गया है ।
- ओकिनावा द्वीप पर 'इशिगाकी' नामक एक नगर स्थित है। इशिगाकी नगर परिषद के एक हिस्से को टोनोशीरो के रूप में भी जाना जाता है, इससे लोगों में क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अत: इस भ्रम की स्थिति से बचने के लिये क्षेत्र के नाम में परिवर्तन किया गया है।

चीन की प्रतिक्रिया:

- चीन, डियाओयू द्वीप तथा उससे संबद्ध क्षेत्र को अपनी सीमा में स्थित मानता है। चीन के अनुसार जापान द्वारा क्षेत्र की प्रशासनिक स्थिति में किया गया बदलाव चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है तथा चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिये दृढ़ है।
- इसके अतिरिक्त चीन ने द्वीपों के आसपास के क्षेत्र में 'जहाजों के बेड़े' को भेज दिया है।

नोट :

ताइवान की प्रतिक्रिया:

- ताइवान का कहना है कि डियाओयू द्वीपीय क्षेत्र उसके क्षेत्र का हिस्सा है तथा इन द्वीपों की प्रशासनिक स्थिति में किया जाने वाला किसी प्रकार का बदलाव ताइवान के लिये अमान्य है।

सेनकाकू द्वीप विवाद:

- अवस्थिति:
  - इस विवाद का कारण पूर्वी चीन सागर में स्थित आठ निर्जन द्वीप हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 7 वर्ग किमी. है.
  - ये ताइवान के उत्तर-पूर्व, चीनी मुख्य भूमि के पूर्व में और जापान के दक्षिण-पूर्व प्रांत, ओकिनावा के दक्षिण-पश्चिम में स्थित हैं।
- पृष्ठभूमि:
  - सेनकाकू/डियाओयू द्वीपों को औपचारिक रूप से वर्ष 1895 से जापान द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक लघु अवधि के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी इस क्षेत्र को नियंत्रित किया गया था।
  - यहाँ के अनेक द्वीपों पर लोगों का निजी नियंत्रण रहा है।
  - चीन ने वर्ष 1970 के दशक में इस क्षेत्र पर ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला देते हुए सेनकाकू/दियाओयू द्वीपों पर दावे करना शुरू कर दिया।
  - सितंबर, 2012 में जापान द्वारा एक निजी मालिक से विवादित द्वीपों को खरीदने पर तनाव फिर से शुरू हो गया।

विवादित क्षेत्र का आर्थिक महत्त्व:

- यहाँ संभावित तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हैं,
- प्रमुख शिपिंग मार्गों के पास स्थित है,
- समृद्ध मत्स्यन क्षेत्र में स्थित है।

विवाद का कारण:

- यह क्षेत्र चीन-जापान-ताइवान के अतिव्यापी 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (Exclusive Economic Zone- EEZ) में स्थित है क्योंकि चीन और जापान को अलग करने वाले पूर्वी चीन सागर की लंबाई केवल 360 समुद्री मील है, जबकि EEZ की लंबाई 200 समुद्री मील मानी जाती है।

अमेरिका की भूमिका:

- वर्ष 2014 में अमेरिका ने यह स्पष्ट किया था जापान की सुरक्षा के लिये की गई 'अमेरिका-जापान सुरक्षा संधि' विवादित द्वीपों को भी कवर करती है। अत: सेनकाकू द्वीप विवाद में अमेरिका भी शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

- बढ़ती राष्ट्रवादी भावना तथा राजनीतिक अविश्वास देशों को बड़े संघर्ष की ओर ले जा सकता है, अत: देशों को चाहिये कि वे विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करें।

नोट :

सामाजिक न्याय

छत्तीसगढ़ और झारखंड में संस्थागत प्रसवों की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ और झारखंड द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, COVID-19 के कारण इन राज्यों में संस्थागत प्रसवों (Institutional Deliveries) की संख्या में कमी आई है।

प्रमुख बिंदु:

- छत्तीसगढ़ में वर्तमान परिदृश्य:
  - मार्च, 2020 के दौरान संस्थागत प्रसवों की संख्या की तुलना में अप्रैल, 2020 के दौरान 15.39% की कमी दर्ज की गई।
  - फरवरी, 2020 में संस्थागत प्रसव की संख्या 37984 दर्ज की गई थी लेकिन देशभर में लागू लॉकडाउन के कारण अप्रैल, 2020 में संस्थागत प्रसव की संख्या घटकर 32,529 हो गई।
  - गौरतलब है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के दौरान कुल संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 44.9 से बढ़कर 70.2 हो गया था।
- झारखंड में वर्तमान परिदृश्य:
  - मई 2020 में संस्थागत प्रसव के लिये 52000 महिलाओं को सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन 21 मई 2020 तक केवल 5.1% प्रसव मेडिकल संस्थानों में हुआ है।
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 4 के बीच संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 40.1 से बढ़कर 61.9 हो गया था।

अन्य बिंदु:

- पिछले दो दशक से भारत में संस्थागत प्रसव की संख्या में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 4 (National Family Health Survey- NFHS) के अनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान कुल प्रसवों में संस्थागत प्रसवों की हिस्सेदारी 79% थी, जबकि यही आँकड़ा वर्ष 2005-06 में 39% था।

संस्थागत प्रसव में हालिया गिरावट के कारण:

- COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिये देशभर में लागू लॉकडाउन के कारण सार्वजनिक परिवहन मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं अर्थात् सार्वजनिक परिवहन के आवागमन पर प्रतिबंध है, अत: गाँवों से अस्पतालों तक पहुँचना मुश्किल हो गया है।
- अस्पतालों में संक्रमण का डर होने के कारण लोग वहाँ जाने से बच रहे हैं।
- COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिये कई प्रसव निजी नर्सिंग होम में हुए हैं।
- पूरी स्वास्थ्य मशीनरी COVID-19 से निपटने में व्यस्त होने की वजह से अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सा कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है।

संस्थागत प्रसव:

- संस्थागत प्रसव का अर्थ है चिकित्सा संस्थान में प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्य कर्मियों की देख-रेख में एक बच्चे को जन्म देना, जहाँ किसी भी स्थिति को संभालने तथा माँ एवं बच्चे के जीवन को बचाने के लिये उत्तम सुविधाएँ उपलब्ध हों।
- यदि बच्चे का जन्म घर पर होता है तो ख़राब वातावरण से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है तथा प्रसव जटिलताओं को संभालना बहुत कठिन और कभी-कभी असंभव भी हो जाता है।

नोट :

आगे की राह:

- COVID-19 महामारी के इस दौर में भी अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से समझौता नहीं किया जाना चाहिये।
- सरकार को मेडिकल स्टाफ, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिये जैसे कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एम्बुलेंस, टीकाकरण, मातृत्त्व देखभाल, आदि।
- वर्तमान में COVID-19 के अलावा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता है साथ ही सरकार को भविष्य में इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labor Force Survey- PLFS) के अनुसार, वर्ष 2018-19 में भारत की बेरोज़गारी दर में कमी आई है, जहाँ एक ओर वर्ष 2017-18 में यह 6.1 प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2018-19 में यह घटकर 5.8 प्रतिशत हो गई।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation MoSPI) द्वारा जारी PLFS 2018-19 के अनुसार, इस अवधि के दौरान श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate) में 37.5 प्रतिशत के साथ मामूली सुधार हुआ है, जो कि 2017-18 में 36.9 प्रतिशत था।
  - विदित हो कि श्रम बल को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो या तो कार्य कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं अथवा काम के लिये उपलब्ध हैं।
  - इस प्रकार श्रम बल भागीदारी दर देश की कुल आबादी में श्रम बल का प्रतिशत है।
  - वहीं बेरोज़गारी दर का अभिप्राय श्रम बल के भीतर कार्य न पाने वाले लोगों के प्रतिशत से होता है।
- ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों में बेरोज़गारी दर 5.6 प्रतिशत थी एवं महिलाओं में 3.5 प्रतिशत, जबकि नगरीय क्षेत्र में यह दर पुरुषों में 7.1 प्रतिशत एवं महिलाओं के बीच 9.9 प्रतिशत थी।
- रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में एक कामगार ने औसतन करीब 45 घंटे कार्य किया, जबकि नगरीय क्षेत्रों में एक सप्ताह में एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक कामगार ने औसतन 50 घंटे कार्य किया।
- बीते वर्ष आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की रिपोर्ट से पता चला था कि देश में बेरोज़गारी दर बीते 45 वर्षों के सबसे उच्चे स्तर पर पहुँच गई थी।
- वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 51.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत स्वनियोजन (Self Employment) था। वहीं 25.1 ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य स्रोत आकस्मिक मज़दूरी (Casual Wages) थी और लगभग 13.1 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य स्रोत नियमित मज़दूरी थी।
- वर्ष 2018-19 के दौरान करीब 31.8 प्रतिशत नगरीय परिवारों की आय का मुख्य स्रोत स्वनियोजन था। वहीं 11.0 प्रतिशत नगरीय परिवारों की आय का मुख्य स्रोत आकस्मिक मज़दूरी (Casual Wages) थी और 42.8 प्रतिशत नगरीय परिवारों की आय का मुख्य स्रोत नियमित मज़दूरी थी।
- भारत में 68.4 प्रतिशत कामगार गैर-कृषि क्षेत्र में अनौपचारिक रूप से कार्य कर रहे थे।
- प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के बीच बेरोज़गारी दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- 15-29 आयु वर्ग के युवाओं और शिक्षित व्यक्तियों में बेरोज़गारी की दर क्रमश: 17.3 प्रतिशत और 11 प्रतिशत रही।
- बेरोज़गारी के कारण शहरी युवा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। आँकड़ों के अनुसार 2018-19 के दौरान नगरीय पुरुषों में बरोज़गारी दर 18.7 प्रतिशत एवं नगरीय महिलाओं में 25.7 प्रतिशत थी।

नोट :

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labor Force Survey- PLFS)

- यह रिपोर्ट राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Organisation- NSSO) द्वारा जारी की जाती है।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labor Force Survey-PLFS) को मुख्य रूप से देश में रोज़गार तथा बेरोज़गारी की स्थिति को मापने के उद्देश्यों से डिज़ाइन किया गया है।

रोज़गार और बेरोज़गारी संबंधी प्रमुख संकेतक

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): श्रम बल भागीदारी दर देश की कुल आबादी में श्रम बल का प्रतिशत है। श्रम बल को का अर्थ उन लोगों से है जो या तो कार्य कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं अथवा काम के लिये उपलब्ध हैं।
- कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR): WPR को कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- बेरोज़गारी दर (UR): बेरोज़गारी दर की गणना श्रम बल से बेरोज़गारों की संख्या को विभाजित करके की जाती है।

आदिवासी छात्रों के लिये 'मेगा शैक्षणिक परिसर'

चर्चा में क्यों ?

ओडिशा सरकार जनजातीय जिलों में 'मेगा शैक्षणिक परिसरों' (Mega Educational Complexes) का निर्माण करने की योजना बना रही है, जहाँ छात्रों को शैक्षणिक (Academi) तथा खेल कौशल (Sporting Skills) दोनों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी।

प्रमुख बिंदु:

- 'मेगा शैक्षणिक परिसरों' की स्थापना उड़ीसा के जनजातीय बहुल ज़िलों जैसे- क्योंझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज में की जाएगी। इन ज़िलों में संथाल और भुइया प्रमुख जनजातीय समूह हैं।
- एक निजी शैक्षिक समूह द्वारा पहले से ही उड़ीसा के विभिन्न ज़िलों में इस प्रकार के शैक्षणिक परिसर स्थापित किये जा चुके हैं।

मेगा शैक्षणिक परिसर (Mega Educational Complex):

- प्रत्येक शैक्षणिक परिसर में 3,000 जनजातीय छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था होगी। परिसर में कक्षा 1 से 12 तक के आदिवासी छात्रों के लिये शैक्षणिक के साथ-साथ खेल-कूदों में कौशल सुधार के लिये भी अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- इन परिसरों में 'कौशल विकास केंद्रों' को भी आवश्यक रूप से स्थापित किया जाएगा।
- इन मेगा शैक्षणिक परिसरों की स्थापना के लिये निधि 'ओडिशा खनिज असर क्षेत्र विकास निगम (Odisha Mineral Bearing Areas Development Corporation OMBADC) प्रदान करेगा।
- OMBADC की स्थापना उड़ीसा के खनिज समृद्ध ज़िलों के विकास के लिये की गई। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अधिकांश खनिज समृद्ध ज़िले, आदिवासी बहुल भी हैं।

उड़ीसा में जनजातीय समुदायों की स्थिति:

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 9.17% उड़ीसा में है। उड़ीसा की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी का प्रतिशत लगभग 22.8 है।
- उड़ीसा में 62 जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं अर्थात भारत में सबसे अधिक जनजातीय विविधता उड़ीसा में है। भारत में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों का विश्लेषण किया जाए तो मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा तीसरे स्थान पर है।
- भारत के 75 'विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों' (Particularly Vulnerable Tribal Groups) में से 13 उड़ीसा में निवास करती हैं।
  - ओडिशा राज्य के घोषित समस्त पी.वी.टी.जी. की सूची में 1. चुकटिया भुंजिया 2. बिरहोर 3. बोंडो 4. दिदायी 5. डोंगरिया कोंध 6. जुआंग 7. खरिया 8. कुटिया कंधा 9. लांजिया सौरा 10. लोढ़ा 11. मनकीडिया 12. पौड़ी भुइया 13. सुरा शामिल हैं।

नोट :

- उड़ीसा के क्योंझर ज़िले में व्यापक लौह खनन का कार्य किया जाता है। क्योंझर ज़िले में, ओडिशा के कुल लौह अयस्क भंडार का 70% से अधिक पाया जाता है। इसके अलावा कोरापुट और मयूरभंज ज़िलों में भी व्यापक खनन कार्य किया जाता हैं।

जनजातीय साक्षरता की स्थिति व कारण:

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल आबादी में जनजातीय समुदाय की आबादी 8.6% हैं तथा जनजातीय समुदाय की साक्षरता दर 58.96% है।
- शिक्षा का माध्यम:
  - जनजातीय समुदायों को शिक्षा प्रदान करने में भाषा सबसे बड़ी बाधा रही है। अधिकतर स्कूली पाठ्यक्रम राज्य या केंद्र की आधिकारिक भाषाओं में डिज़ाइन किये गए हैं जो जनजातीय समुदाय के अनुकूल नहीं हैं।
- माता-पिता का दृष्टिकोण:
  - जनजातीय समुदायों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण लोग अपने बच्चों को श्रमिक कार्यों तथा खनन कार्यों में लगाने को वरीयता देते हैं। चूंकि शिक्षा से कोई तात्कालिक आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, अत: लोग अपने बच्चों को पारिश्रमिक रोज़गार में संलग्न करना पसंद करते हैं।
- अवसंरचना की कमी:
  - जनजातीय क्षेत्रों में स्थित अधिकांश विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक अवसंरचनाओं की भी कमी है। विशेषकर छात्राओं के लिये 'सैनिटरी सुविधाओं' की कमी है।

सरकार द्वारा किये गए प्रयास:

- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential Schools- EMRSs):
  - वर्ष 2018 में 50 प्रतिशत से ज़्यादा जनजातीय आबादी एवं 20,000 जनजातीय जनसंख्या वाले प्रत्येक प्रखंड (block) में 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' अथवा एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल खोलने को सैद्धांतिक मंज़ूरी प्रदान की थी।
  - 163 जनजातीय बहुल ज़िलों में प्रति 5 करोड़ रुपए लागत वाली खेल सुविधाएँ (Sports Facilities) स्थापित की जाएंगी, इसमें से प्रत्येक का निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।
- राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप योजना (Rajiv Gandhi National Fellowship Scheme -RGNF):
  - RNGF को वर्ष 2005-2006 में जनजातीय समुदाय से संबंधित छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।
- जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (Vocational Training Center in Tribal Areas):
  - जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को जनजातीय समुदाय के छात्रों के कौशल को उनकी योग्यता तथा वर्तमान बाज़ार के रुझान के आधार पर विकसित करने के उद्देश्य के आधार पर प्रारंभ किया गया था।

आगे की राह:

- जनजातीय क्षेत्रों सहित कहीं भी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अपने परिवेश और समाज की समझ प्रदान करना होना चाहिये, ताकि उनमें योग्यता का विकास किया जाए, ताकि वे अपने स्थानीय समाज में अथवा जिनके पास इच्छा व क्षमता हो, राष्ट्रीय रोज़गार बाज़ार में आजीविका अर्जित कर सकें।
- पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति, लोक कथाओं और इतिहास को शामिल करने से जनजातीय बच्चों के आत्मविश्वास का निर्माण करने और उनके जीवन में शिक्षा की प्रासंगिकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों में समावेश को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता है।

नोट :

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस- 2020

चर्चा में क्यों ?

'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' (World Day Against Child Labour) प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष के 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' को 'आभासी अभियान' (Virtual Campaign) के रूप में आयोजित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- विश्व बाल श्रम निषेध दिवस-2020, 'COVID-19 महामारी का वैश्विक बाल श्रम पर प्रभाव' विषय पर केंद्रित है।
- बाल श्रम पर 'आभासी अभियान' का आयोजन 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (International Labour Organization- ILO) द्वारा 'ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर' तथा 'इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन इन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर' के साथ मिलकर किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि:

- विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (ILO) द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी।
- इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की वैश्विक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना तथा बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिये आवश्यक प्रयास करना है।
- प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व में बाल श्रमिकों की दुर्दशा को उजागर करने के लिये सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों, नागरिक समाज के साथ-साथ दुनिया भर के लाखों लोगों को एक साथ लाने के लिये इस दिवस का आयोजन किया जाता है।

बाल श्रम की परिभाषा:

- सामान्यत: बाल श्रम को ऐसे पेशे या कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चे के लिये खतरनाक तथा नुकसानदायक हो। जो कार्य बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित करता है या जिस कार्य में बच्चों को स्कूली शिक्षा और काम के दोहरे बोझ को संभालने की आवश्यकता होती है।
  - इसमें वे बच्चे शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित न्यूनतम कानूनी उम्र से पहले किसी व्यावसायिक कार्य में लगाया जाता है।
  - गुलामी (Slavery) या गुलामी के समान प्रथा, वेश्यावृत्ति या अवैध गतिविधियों के लिये बच्चे का उपयोग बाल श्रम के सबसे निकृष्टतम रूप हैं।

कार्य जो बाल श्रम नहीं हैं:

- ऐसे कार्य जो बच्चों या किशोरों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत विकास को प्रभावित नहीं करते हैं या जिन कार्यों का उनकी स्कूली शिक्षा पर कोई कुप्रभाव नही पड़ता हो।
  - स्कूल के समय के अलावा या स्कूल की छुट्टियों के दौरान पारिवारिक व्यवसाय में सहायता करना;
  - ऐसी गतिविधियाँ जो बच्चों के विकास में सहायक होती है तथा उनके वयस्क होने पर उन्हें समाज का उत्पादक सदस्य बनने के लिये तैयार होने में मदद करती हैं, यथा परंपरागत कौशल आधारित पेशा।

'बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UN Convention on the Rights of the Child- UNCRC):

- 20 नवंबर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UNCRC) को अपनाया गया था, जो 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबंध आरोपित करती है।
- यह कन्वेंशन बच्चों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिये उन कार्यों की पहचान करके मान्यता देती है जो बच्चों के लिये खतरनाक हो सकते हैं तथा जिनसे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है।

नोट :

भारत तथा UNCRC:

- भारत द्वारा UNCRC को वर्ष 1992 में अनुमोदित किया गया था। हालाँकि भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। जबकि 14 से 18 वर्ष से किशोरों पर केवल 'खतरनाक व्यवसायों' (Hazardous Occupations) में कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

बाल श्रम की वैश्विक स्थिति:

- बाल श्रम में अनुमानित 152 मिलियन बच्चे कार्यरत हैं, जिनमें से 73 मिलियन बच्चे आजीविका के लिये खतरनाक उद्योगों में काम करते हैं।
- बाल श्रम मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र (71%) में केंद्रित है - इसमें मछली पकड़ना, वानिकी, पशुधन पालन और जलीय कृषि शामिल है। सेवाओं में 17% और खनन सहित औद्योगिक क्षेत्र में 12% बाल श्रमिक संलग्न हैं।

भारत में बाल श्रमिक:

- राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार, 5-14 वर्ष की आयु वर्ग की भारत में कुल जनसंख्या लगभग 260 मिलियन है। इनमें से कुल बाल आबादी का लगभग 10 मिलियन (लगभग 4%) बाल श्रमिक हैं जो मुख्य या सीमांत श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं।
- 15-18 वर्ष की आयु के लगभग 23 मिलियन बच्चे विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं।

भारत सरकार की पहल:

- गुरुपद्स्वामी समिति (Gurupadswamy committee) के निष्कर्षों तथा सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार द्वारा 'बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम' (Child Labour (Prohibition and Regulation) Act)- 1986 बनाया गया।
- हाल ही में, भारत ने 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (International Labour Organization- ILO) के कन्वेंशन संख्या- 138 (रोज़गार के लिये न्यूनतम आयु) और कन्वेंशन संख्या- 182 (बाल श्रम के सबसे बुरे रूप) का अनुसमर्थन किया है।
  - इन दो प्रमुख ILO कन्वेंशनों के अनुसमर्थन के साथ ही भारत ILO के आठ प्रमुख कन्वेंशनों में से 6 का अनुसमर्थन कर चुका है। चार अन्य कन्वेंशन बलात श्रम उन्मूलन, 1930 (कन्वेंशन संख्या- 29), बलात श्रम उन्मूलन, 1957 (कन्वेंशन संख्या- 105), समान कार्य के लिये समान पारिश्रमिक, 1951 (कन्वेंशन संख्या- 100), रोजगार तथा भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) कन्वेंशन, 1958 (कन्वेंशन संख्या- 111) हैं।
- बाल श्रम (निषेध और रोकथाम) संशोधन अधिनियम, (Child labour (Prohibition and Prevention) Amendment Act)- 2016 को लागू किया गया।
  - यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों मे लगाने पर प्रतिबंध तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों पर 'खतरनाक व्यवसायों' (Hazardous Occupations) में कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है।
  - नए कानून में बच्चों के लिये रोज़गार की आयु को 'अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (Right to Education Act- RTE), 2009 के तहत अनिवार्य शिक्षा की उम्र से जोड़ा गया है।

संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-23 मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बंधुआ मज़दूरी की प्रथा का उन्मूलन करता है। जबकि अनुच्छेद-24 किसी फैक्ट्री, खान, अन्य संकटमय गतिविधियों यथा-निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है।

आगे की राह:

- सरकार आम तौर पर बाल श्रमिकों के तत्काल बचाव पर ध्यान केंद्रित करती है न कि दीर्घकालिक स्थिति या रोकथाम के आयाम पर। अत: रोकथाम के आयाम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- बाल श्रम को सामाजिक रूप से बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता है अत: बच्चों का लगातार शोषण जारी रहता है। अत:बाल श्रम के प्रति समाज में 'शून्य सहिष्णुता' (Zero Tolerance) को अपनाने की आवश्यकता है।

नोट :

एडिप योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & Empowerment) द्वारा पंजाब के फिरोजपुर में एडिप योजना (ADIP Scheme) के तहत पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों व उपकरणों का वितरण किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- योजना की शुरुआत-
  - सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना-एपिड (Assistance to Disabled persons for purchasing/fitting of aids/appliances scheme- ADIP) की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई थी तथा इसे 1 अप्रैल, 2017 से लागू किया गया था।
- योजना के उद्देश्य-
  - इस योजना `का उद्देश्य विकलांगों के टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता और उपकरणों को खरीदने में ज़रूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करना है।
  - इससे दिव्यांगजनों की दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने के साथ- साथ उनकी समाजिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाकर उनका आर्थिक विकास किया जा सकता है।
- कार्यान्वयन एजेंसी-
  - इस योजना का कार्यान्वयन गैर-सरकारी संघटनों (NGOs), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थानों तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम- एलिम्को (ALIMCO) जैसी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

ALIMCO:

- एलिम्को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक गैर लाभकारी निगम है।
- इसकी स्थापना दिव्यांगजनों के लाभ के लिये पुनर्वास साधन और कृत्रिम अंग घटकों के निर्माण और आपूर्ति के लिये वर्ष 1972 में की गई थी तथा वर्ष 1976 में उत्पादन शुरु किया गया था।
- लाभार्थियों की पात्रता:
  - ADIP योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले दिव्यांगजन सहायता के पात्र होंगे-
    - वह किसी उम्र का भारतीय नागरिक हो।
    - उसके पास 40 प्रतिशत या अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो।
    - मासिक आय 20000 रुपए से अधिक न हो।
    - आश्रितों के मामले में, माता-पिता / अभिभावकों की आय 20,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    - इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिन्हें पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों से इस तरह की कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये यह सीमा 1 वर्ष होगी।

योजना का महत्त्व:

- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में लगभग 2.68 करोड़ व्यक्ति दिव्यांग हैं इसके अलावा 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 3 प्रतिशत बच्चों का विकास देरी से होता है।
- इनमें से अनेक बच्चे मानसिक मंदता (Intellectual Disability) और प्रमस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy) से पीड़ित हैं जिन्हें स्वयं की देखभाल तथा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की आवश्यकता होती है।
- यह योजना दिव्यांगजनों को न्यूनतम लागत पर सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करके उनका सामाजिक, आर्थिक विकास तथा व्यावसायिक पुनर्वास करने में सहायक सिद्ध होगी।

नोट :

पूर्वोत्तर भारत एवं एक्सोन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मेलबोर्न के मानवविज्ञानी (Melbourne Anthropologist), जो वर्तमान में किण्वन पर अपना शोधकार्य कर रहे हैं, के द्वारा पूर्वोत्तर भारत में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किये जाने वाले एक्सोन (Axone) की प्रासंगिकता के बारे में बताया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- एक्सोन को पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में कई आदिवासी समुदायों द्वारा अलग-अलग नामों से पकाया, खाया और जाना जाता है।
- इसे किण्वित सोयाबीन (Fermented Soyabean) के रूप में भी जाना जाता है।
- नगालैंड के कुछ हिस्सों में इसे एक्सोन के नाम से जाना जाता है।
- इसकी मुख्य विशेषता इसकी विशिष्ट गंध (Distinctive Smell) है, जिसे आदिवासी पहचान एवं संस्कृति के साथ जोड़कर देखा जाता है।

क्या है एक्सोन ?

- यह एक किण्वित भोज्य पदार्थ है, जिसे अकुनि (Akhuni) भी कहा जाता है।
- इसका प्रयोग पूर्वी हिमालय क्षेत्र में किया जाता है।
- यह किण्वन की एक विस्तृत/व्यापक अवधारणा है जो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिये कुछ विशेष पारिस्थितिक संदर्भों में ज़रूरी है।
- किण्वन एक उपापचय प्रक्रिया है यह एंज़ाइमों के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती है।
- एक्सोन का उपयोग अचार और चटनी बनाने के साथ-साथ सूअर का मांस, मछली, चिकन, बीफ इत्यादि की करी को स्वादिष्ट बनाने के लिये किया जाता है।
- इसका प्रयोग माँसाहारी के साथ-साथ शाकाहारी खाद्य पदार्थों में भी एक विशिष्ट स्वाद उत्पन्न करता है।
- इसका प्रयोग मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, मणिपुर के साथ-साथ अन्य दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों में अलग- अलग नामों के साथ किया जाता हैं। जिनमें नेपाल, भूटान, जापान, कोरिया, चीन, म्यांमार, वियतनाम एवं इंडोनेशिया इत्यादि देश शामिल हैं ।
- एक्सोन का स्वाद जापानी मिसो जो कि जापानी रेस्तरां में प्रयोग किये जाना वाला एक खाद्य पदार्थ है, से काफी समानता रखता है।

नगालैंड में यह कितना लोकप्रिय है ?

- एक्सोन नगालैंड में सूमी (Sumi) जनजाति जिसे सेमा (Sema) भी कहा जाता है, के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है।
- इस जनजाति द्वारा इसका प्रयोग सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में किया जाता है।
- नगालैंड की खाद्य संस्कृति चावल पर केंद्रित है है जिसमे नमकीन, मसालेदार, उत्तेजक एवं किण्वित एक्सोन को मुख्य भोजन (चावल) के साथ प्रयोग किया जाता है।

एक्सोन कैसे तैयार किया जाता है ?

- इसे बनाने की दो विधियाँ है-
  - पहली सुखाकर
  - दूसरी पेस्ट बनाकर
- दोनों ही विधियों में समान रूप से तैयारी की जाती हैं।
- रात भर सोयाबीन को पानी में भिगोते हैं इसके बाद इस पानी को तब तक उबालते हैं जब तक कि यह नरम न हो जाए।
- अब सोयाबीन को पानी से निकालकर केले के पत्तों के साथ पंक्तिबंध रूप में बाँस की टोकरी में रखा जाता है।
- इसके बाद इसे किण्वन की प्रक्रिया के लिये रखा जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में किण्वन की प्रक्रिया के लिये इसे रसोईघरों की चिमनी में ऊपर तथा शहरी क्षेत्रों में इसे छत पर सीधे धूप में रखा जाता है।

नोट :

- किण्वित हो जाने के बाद इसे मैश (mashed) करके केक बनाया जाता है तथा केले के पत्तों में लपेटकर फिर से किण्वन के लिये रखा जाता है।

क्या एक्सोन आदिवासी पहचान और संस्कृति में भूमिका निभाते हैं ?

- पूर्वोत्तर भारत की आदिवासी लोककथाओं में भी एक्सोन की उत्पत्ति, इसकी विशिष्ट गंध तथा इससे बनने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन मिलता है।
- पिछले दो दशकों में नगालैंड से लोग दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जा रहे हैं जिसके चलते एक्सोन का विस्तार अन्य महानगरों में भी हो गया है।
- इसके अलावा, देश के अन्य क्षेत्रों में भी पूर्वोत्तर जनजातीय भोजन परोसने वाले रेस्तरां की संख्या देखने को मिलती है अत: एक्सोन की न केवल पूर्वोत्तर भारत में नहीं बल्कि अन्य महानगरों में भी पसंद किया जाने वाला भोज्य पदार्थ है।
- इसकी तीखी गंध के कारण रेस्तरां मेनू आदि में इसे शामिल करने के कारण एक प्रकार की नस्लीय राजनीति को भी बढ़ावा मिला है अर्थात किण्वित भोजन की गंध के आधार पर वर्ग विशेष को बहिष्कार के अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है।
- इस प्रकार की कोई भी घटना आदिवासी पहचान और संस्कृति के लिये भविष्य में संकट उत्पन्न कर सकती है।

निष्कर्ष:

भारत विश्वपटल पर सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ-साथ विश्व के सबसे अधिक विविधतापूर्ण सांस्कृतिक देश का प्रतिनिधित्व भी करता है जिसमे विभिन्न वर्गों के साथ जनजातीय समुदाय द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा संस्कृति एवं खानपान पद्धति को संजोया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार जो जीने के लिये मौलिक एवं अनिवार्य है, जनजातीय समुदाय के इन हितों को संरक्षण प्रदान करते हैं, अत: एक भारतीय होने के साथ-साथ नैतिक स्तर पर भी इस बात की आवश्यकता है कि हम सभी को एक दूसरे के सांस्कृतिक एवं अन्य परम्पराओं का सम्मान करना चाहिये ताकि इस विविधतापूर्ण संस्कृति को संरक्षित किया जा सके एवं एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकारित किया जा सके।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को COVID-19 संबंधी देशव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और लिंग चयन के विरुद्ध मौजूदा संसदीय कानून के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को जून माह के अंत तक निलंबित करने के निर्णय को लेकर व्याख्या प्रस्तुत करने को कहा है।

प्रमुख बिंदु

- जस्टिस यू. यू. ललित के नेतृत्त्व में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर कार्यवाई करते हुए केंद्र सरकार को एक औपचारिक नोटिस जारी किया है।
- ध्यातव्य है कि कुछ ही समय पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 4 अप्रैल को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, उल्लेखनीय है कि इस अधिसूचना में 30 जून, 2020 तक 'गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई थी।
- इस संबंध में दायर याचिका में याचिकाकर्त्ता ने प्रश्न किया कि सरकार किस प्रकार किसी संसदीय कानून के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक अधिसूचना के माध्यम से अस्थायी रोक लगा सकती है।
- अधिसूचना के माध्यम से निलंबित प्रावधानों में 'गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का नियम 8 आनुवांशिक परामर्श केंद्रों, प्रयोगशालाओं और क्लीनिकों के अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित है।

नोट :

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना

- सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के नियम 8, 9(8) और 18A(6) को निलंबित कर दिया था।
  - उक्त सभी नियम कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
- नियम 8 आनुवांशिक परामर्श केंद्रों, प्रयोगशालाओं और क्लीनिकों के अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित है। अधिसूचना के अनुसार, अपने लाइसेंस के नवीनीकरण की मांग करने वाली प्रयोगशालाओं को 30 जून तक ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- नियम 18A(6) सभी उपयुक्त अधिकारियों को सरकार को एक त्रैमासिक रिपोर्ट (Quarterly Report) प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है, साथ ही इस नियम के तहत सभी लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों को अपना रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है।
- इसके अतिरिक्त गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के नियम 9(8) को भी अधिसूचना के माध्यम से कुछ समय के लिये निलंबित कर दिया गया था। यह नियम सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के लिये गर्भावस्था से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं और परीक्षणों की एक विस्तृत रिपोर्ट ज़िला चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है।
  - स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस नियम के निलंबन के बावजूद अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों को संबंधित रिकॉर्ड बनाने होंगे, केवल उनके रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की तारीख को परिवर्तित किया गया है।

प्रावधानों के निलंबन की आलोचना

- केंद्र सरकार के इस निर्णय पर विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने एक ऐसे कानून को कमज़ोर करने का प्रयास किया है, जिसका उद्देश्य लिंग-चयन और लिंग-निर्धारण की खतरनाक गतिविधि पर अंकुश लगाना है, इसके नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत में लैंगिक पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की प्रथा के कारण जन्म के समय से ही गायब लड़कियों की संख्या वर्ष 2001-12 की अवधि में प्रति वर्ष 0.46 मिलियन थी।
- विशेषज्ञों का मत है कि इसके कारण लिंग निर्धारण की निंदनीय प्रथा को बढ़ावा मिलेगा।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

- वर्ष 1994 में लागू हुआ यह कानून देश भर में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण की प्रथा को समाप्त करने का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।
- अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गर्भाधान से पूर्व या पश्चात् लिंग चयन की तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिये प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है।
- इस अधिनियम के तहत अपराधों में अपंजीकृत इकाइयों में प्रसव पूर्व निदान तकनीक का संचालन करना अथवा संचालन में मदद करना शामिल है।

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान

चर्चा में क्यों ?

COVID -19 महामारी के चलते प्रवासी मज़दूरों के समक्ष उत्पन्न रोज़गार की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून, 2020 को 'गरीब कल्याण रोज़गार अभियान' (Garib Kalyan Rojgar Abhiyan- GKRA) की शुरुआत की जाएगी ।

प्रमुख बिंदु:

- इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के खगड़िया ज़िले के ग्राम तेलिहार से की जाएगी।
- 'गरीब कल्याण रोज़गार अभियान' के अंतर्गत सरकार द्वारा लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश किया जायेगा।
- यह 125 दिनों का अभियान होगा, जिसे मिशन मोड रूप में संचालित किया जाएगा।
- इस अभियान में छः राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा ओडिशा को शामिल किया गया है।

नोट :

- छः ज़िलों के 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के साथ कुल 116 ज़िलों को इस अभियान के लिये चुना गया है, जिसमें 27 आकांक्षी ज़िले (aspirational districts) भी शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम में शामिल छः राज्यों के 116 ज़िलों के गाँव कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centres) तथा 'कृषि विज्ञान केंद्रों' (Krishi Vigyan Kendras) के माध्यम से शामिल होंगे, जो कोरोना के कारण लागू शारीरिक दूरी के मानदंडों को भी ध्यान में रखेंगे ।
- इस अभियान में 12 विभिन्न मंत्रालयों को समनवित किया जाएगा, जिसमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सीमा सड़कें, दूरसंचार तथा कृषि मंत्रालय शामिल हैं।

अभियान का महत्त्व:

- इस अभियान को ऐसे समय में शुरू किया जा रहा है जब COVID-19 के प्रकोप के कारण लाखों प्रवासी मज़दूर गाँवों की तरफ लौट रहे हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की समस्या उत्पन्न हो रही है।
- मनरेगा के तहत काम करने वाले परिवारों की संख्या भी मई 2020 में एक स्तर पर पहुँच गई है।
- यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करने के साथ-साथ गाँवों के टिकाऊ बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने में सहायक होगा।
- यह अभियान प्रवासी श्रमिकों तथा ग्रामीण नागरिकों के सशक्तीकरण तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा अर्थात् गाँवों में ही आजीविका के अवसरों को इस अभियान के माध्यम से विकसित किया जाएगा।

विश्व सिकल सेल दिवस

संदर्भ

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease- SCD) के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस (World Sickle Cell Day) के रूप में मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2008 में यह घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
- यह दिवस सिकल सेल रोग, इसके उपचार के उपायों के बारे में जागरूकता बढाने तथा विश्व भर में इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने के लिये मनाया जाता है।
- प्रथम विश्व सिकल सेल दिवस वर्ष 2009 में मनाया गया था।
- सिकल सेल दिवस के अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) , फिक्की (FICCI), अपोलो हॉस्पिटल्स, नोवर्टिस और ग्लोबल अलायंस ऑफ सिकल सेल डिज़ीज़ आर्गेनाईज़ेशन (Global Alliance of Sickle Cell Disease Organizations- GASCDO) द्वारा नेशनल सिकल सेल कॉन्क्लेव (National Sickle Cell Conclave) नामक वेबिनार का आयोजन किया गया।
  - ग्लोबल अलायंस ऑफ सिकल सेल डिज़ीज़ आर्गेनाईज़ेशन की स्थापना 10 जनवरी, 2020 को एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में की गई।
  - यह विश्व में सिकल सेल रोग (SCD) से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये स्थापित पहली इकाई है।
- विश्व सिकल सेल दिवस 2020 के अवसर पर पिरामल फाउंडेशन द्वारा तैयार सिकल सेल सपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit- EIU) तथा नोवर्टिस इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार 'स्टेपिंग आउट ऑफ द शैडोज़- कॉम्बैटिंग सिकल सेल डिज़ीज़ इन इंडिया' (Stepping out of the shadows – Combating Sickle Cell Disease in India) नामक रिपोर्ट भी जारी की गई।

नोट :

सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease- SCD)

- सिकल सेल रोग (SCD) या सिकल सेल एनीमिया (रक्ताल्पता) लाल रक्त कोशिकाओं से जुडी एक प्रमुख वंशानुगत विकार है जिसमें इन लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्द्धचंद्र/हंसिया (Sickle) जैसा हो जाता है।
- ये असामान्य आकार की लाल रक्त कोशिकाएँ (Red Blood Cells- RBCs) कठोर तथा चिपचिपी हो जाती हैं और रक्त वाहिकाओं में फँस जाती हैं, जिससे शरीर के कई हिस्सों में रक्त एवं ऑक्सीजन का प्रवाह या तो कम हो जाता है या रुक जाता है। यह आसामान्य आकार RBCs के जीवनकाल को भी कम करता है तथा एनीमिया (रक्ताल्पता) का कारण बनता है, जिसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है।

भारत में सिकल सेल रोग

- भारत में यह बीमारी मुख्य रूप से पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी ओडिशा और उत्तरी तमिलनाडु और केरल में नीलगिरि पहाड़ी क्षेत्रों में व्याप्त है।
- ओडिशा में, यह रोग आदिवासी समुदायों में अधिक प्रचलित है। उल्लेखनीय है कि ओडिशा सरकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संबलपुर ज़िले के बुरला में स्थित वीर सुरेंद्र साईं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एंड रिसर्च (Veer Surendra Sai Institute of Medical Sciences and Research- VIMSAR) के परिसर में अपना पहला सिकल सेल संस्थान स्थापित किया है। इसके अलावा संस्थान ने पश्चिमी ओडिशा के 12 ज़िलों में सिकल सेल इकाइयाँ भी स्थापित की हैं।
- विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, 1 करोड़ 13 लाख 83 हज़ार 664 लोगों की स्क्रीनिंग में से लगभग 9 लाख 96 हज़ार 368 (8.75%) में यह व्याधि परिलक्षित हुई और 9 लाख 49 हज़ार 57 लोगों में लक्षण और 47 हज़ार 311 लोगों में बीमारी पाई गई ।
- भारत में यह बीमारी जनजाति समूहों में अधिक व्याप्त है और प्रत्येक 86 बच्चों में से एक बच्चे में यह बीमारी पाई जाती है।

SCD के रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु भारत सरकार के प्रयास

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग इस रोग के इलाज का अनुसंधान कर रही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित की गयी है। बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को प्रोटोकॉल जारी किये गए हैं।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK), जिसका उद्देश्य जन्म से लेकर18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों में विशिष्ट रोग सही 4D अर्थात् चार प्रकार की बीमारियों (जन्म दोष, बाल्यावस्था की बीमारियाँ, कमियाँ और विकासात्मक विलम्ब एवं अशक्तता) की शीघ्र पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप करना है, के तहत सिकल सेल एनीमिया को भी शामिल किया गया है।
- वर्ष 2016 में थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से पीड़ित रोगियों के बेहतर भविष्य, उनकी देखभाल में सुधार तथा जाँच एवं जागरूकता रणनीतियों के माध्यम से हीमोग्लोबिन रुग्णता (Hemoglobinopathies) के प्रसारण को कम करने के लिये भारत में हीमोग्लोबिन रुग्णता की रोकथाम और नियंत्रण (Prevention and Control of Hemoglobinopathies in India) दिशा-निर्देश जारी किये गए।
- वर्ष 2018 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में हीमोग्लोबिन रुग्णता- थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग और भिन्न हेमोग्लोबिन की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये मसौदा नीति (Draft Policy For Prevention and Control of Hemoglobinopathies- Thalassemia, Sickle Cell Disease and variant Hemoglobins in India) जारी की थी।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार, सभी रक्त बैंकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे उन रोगियों के लिये नि:शुल्क रक्त/रक्त घटक उपलब्ध कराएँ जिन्हें सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोफिलिया जैसे रोगों के लिये जीवन रक्षक उपायों के रूप में आवर्ती रक्त आधान की आवश्यकता होती है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- वैश्विक जनसंख्या का अनुमानित 5 प्रतिशत हीमोग्लोबिन विकार विशेष रूप से सिकल सेल रोग तथा थैलेसीमिया के जीन का वाहक है।
- हीमोग्लोबिन विकार वंशानुगत रक्त विकार है जो सामान्यत: माता-पिता (आम तौर पर स्वस्थ माता-पिता) दोनों से हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन की आनुवंशिकता के कारण होता है।

नोट :

- प्रत्येक वर्ष 300,000 से अधिक बच्चे गंभीर हीमोग्लोबिन विकारों के साथ जन्म लेते हैं।
- सिकल सेल एनीमिया वंशानुगत है न कि संक्रामक।
- अफ्रीका और एशिया में यह सबसे सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।

आगे की राह:

सिकल सेल रोग के इलाज हेतु विश्व में कोई औषधि विकसित नहीं हुई है। SCD के रोगी को जीवित रखने के लिये आवर्ती रक्त आधान (Blood Transfusion) की आवश्यकता होती है। स्टेम सेल-थेरेपी, जीन-थेरेपी एवं बोनमैरो ट्रांसप्लान्टेशन के ज़रिये इस बीमारी का इलाज किया तो जाता है लेकिन उसमें भी रोगी के ज्यादा समय तक जीवित रहने की गारंटी नहीं होती। साथ ही ये तकनीकें इतनी महंगी हैं कि सभी के लिये सुलभ नहीं हो सकतीं। इसके निराकरण के लिये जन जागरूकता और इलाज आवश्यक है। यद्यपि सरकार इस बीमारी से निजात पाने के लिये कृतसंकल्प है लेकिन कारगर राष्ट्रीय योजना के अभाव में इस बीमारी को नियंत्रित कर पाना कठिन है।

लघु वनोत्पाद (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 16 राज्यों में लघु वनोत्पाद (Minor Forest Produce-MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत चल रही सरकारी खरीद के अंतर्गत 79.42 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीद हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- इसी के साथ वर्तमान वर्ष में लघु वनोत्पाद (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कुल खरीद (सरकारी और निजी व्यापार दोनों) 2000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।
- COVID -19 महामारी के इस संकटपूर्ण समय में, जिसने आदिवासियों के जीवन और आजीविका को बाधित किया है, यह योजना बहुत आवश्यक सिद्ध हुई है।

हाल ही में क्या-क्या उत्पाद किये गए हैं शामिल ?

- 26 मई, 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) ने लघु वनोत्पाद (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत तहत 23 नई वस्तुओं को शामिल करने की भी सिफारिश की थी। इस योजना में शामिल कृषि और बागवानी उत्पाद आदिवासियों द्वारा एकत्रित किये जाते हैं।
- अप्रैल 2020 के बाद पिछले दो महीनों से केंद्र सरकार वन धन योजना के माध्यम से राज्यों को एक उत्प्रेरक और सक्रिय भागीदारी साबित करने के लिये प्रेरित कर रही है।

योजना के अंतर्गत राज्यों की स्थिति:

- लघु वनोत्पाद (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ 52.80 करोड़ रुपए के 20270 मीट्रिक टन लघु वनोत्पाद की खरीद के साथ प्रथम स्थान पर है।
- ओडिशा और गुजरात ने क्रमश: 21.32 करोड़ रुपए की 9908 मीट्रिक टन लघु वनोत्पाद और 1.61 करोड़ रुपए मूल्य की 155 मीट्रिक टन लघु वनोत्पाद की खरीद की है।
- विशेष रूप से, छत्तीसगढ़ अपने सराहनीय प्रयासों के माध्यम से एक चैंपियन राज्य के रूप में उभरा है।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने लघु वनोत्पाद (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के कार्यान्वयन में संपूर्ण प्रयास किये हैं, खरीद की व्यवस्था और प्रक्रिया पूरे ज़िलों में लागू है।
- छत्तीसगढ़ में 866 लघु वनोत्पाद खरीद केंद्र हैं और राज्य ने 139 वन धन केंद्रों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से वन धन स्वयं सहायता समूहों का प्रभावी रूप से उपयोग किया है।

नोट :

योजना से लाभ:

- COVID-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व परिस्थितियों ने चुनौतियों को जन्म दिया , जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय आबादी के बीच एक गंभीर संकट पैदा हो गया। युवाओं में बेरोज़गारी, आदिवासियों के विपरीत प्रवास से पूरी आदिवासी अर्थव्यवस्था पर पटरी से नी चे आने का खतरा उत्पन्न हो गया। ऐसे परिदृश्य में लघु वनोत्पाद (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना ने सभी राज्यों को एक अवसर प्रदान किया।
- वन धन योजना के सफल क्रियान्वयन में 22 राज्यों में 3.6 लाख आदिवासी लाभार्थी शामिल हैं और वन धन के योजना के तहत ट्राइफेड (TRIFED) के साथ राज्यों के निरंतर जुड़ाव और लघु वनोत्पाद (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के कार्यान्वयन ने उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है।
- आदिवासी अर्थव्यवस्था में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद के साथ लघु वनोत्पाद (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना आदिवासी पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन और आदिवासी लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में नेतृत्त्व कर सकती है।
- अप्रैल-जून के महीनों में लघु वन उत्पादों के संग्रह के मामले में अपने शिखर पर स्थित यह योजना, सरकारी हस्तक्षेप और खरीद के बिना, आदिवासियों के लिये लाभदायक नहीं हो पाती।
- जनजातीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिये, लघु वन उत्पादों से संबंधित दिशा-निर्देशों में 1 मई 2020 को संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया था, जिसने कीमतों में 90% तक की वृद्धि की और इस तरह से आदिवासी समुदाय को उच्च आय प्रदान करने में मदद मिली।

पोखरण में कुम्हारों के सशक्तीकरण का प्रयास

चर्चा में क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) ने पोखरण की एक समय सबसे प्रसिद्ध रही बर्तनों की कला की पुन:प्राप्ति तथा कुम्हारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्रयास प्रारंभ किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- पोखरण में कुम्हारों के परिवारों को इलेक्ट्रिक पॉटर चाकों (Electric Potter Wheels) का वितरण किया गया है।
- इलेक्ट्रिक चाकों के अलावा, KVIC ने 10 कुम्हारों के समूह में 8 अनुमिश्रक मशीनों (Blunger Machines) का भी वितरण किया है।
  - अनुमिश्रक मशीनों का इस्तेमाल मिट्टी को मिलाने के लिये किया जाता है।
  - यह मशीन केवल 8 घंटे में 800 किलो मिट्टी को कीचड़ में बदल सकती है जबकि व्यक्तिगत रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिये 800 किलो मिट्टी तैयार करने में लगभग 5 दिन का समय लगता है।
- KVIC ने गाँव में 350 प्रत्यक्ष रोज़गार का भी सृजन किया है।
- KVIC द्वारा किये जा रहे प्रयासों का उद्देश्य कुम्हारों को सशक्त बनाना, स्व-रोज़गार का सृजन करना और मृतप्राय हो रही मिट्टी के बर्तनों की कला को पुनर्जीवित करना है।
- इसके अलावा इस गाँव के कुम्हारों को कुम्हार सशक्तीकरण योजना से भी जोड़ा गया है।
  - उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम से राजस्थान के कई ज़िलों जैसे जयपुर, कोटा, झालावाड़ और श्री गंगानगर सहित एक दर्जन से अधिक ज़िलों को लाभ प्राप्त हुआ है।
- KVIC अध्यक्ष द्वारा राजस्थान में KVIC के राज्य निदेशक को बाड़मेर और जैसलमेर रेलवे स्टेशनों पर मिट्टी के बर्तनों के उत्पादों का विपणन करने और उसकी बिक्री के लिये सुविधा प्रदान करने का निर्देश भी जारी किया गया है, जिससे कुम्हारों को विपणन में सहायता प्रदान की जा सके।
  - 400 रेलवे स्टेशनों पर केवल मिट्टी/टेराकोटा के बर्तनों में खाद्य पदार्थों की बिक्री होती है जिनमें से राजस्थान के दो जैसलमेर और बाड़मेर शामिल हैं, दोनों प्रमुख रेलमार्ग पोखरण के सबसे नज़दीक हैं।

नोट :

- KVIC की राज्य इकाई इन शहरों में पर्यटकों के उच्च स्तर को देखते हुए इन रेलवे स्टेशनों पर अपने मिट्टी के बर्तनों की बिक्री में सुविधा प्रदान करेगी।

कुम्हार सशक्तीकरण योजना (Kumhar Sashaktikaran Yojana)

- KVIC द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना और बिहार जैसे राज्यों के कई दूरदराज़ इलाकों में कुम्हार सशक्तीकरण योजना की शुरुआत की गई है।
- कुम्हार सशक्तीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य कुम्हार समुदाय को मुख्यधारा में वापस लेकर आना है।
- इस योजना के अंतर्गत, KVIC द्वारा बर्तनों के उत्पाद का निर्माण करने के लिये उपयुक्त मिट्टी को मिलाने के लिये अनुमिश्रक मशीनों और पग मिल्स जैसे उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।
  - इन मशीनों ने मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की प्रक्रिया में लगने वाले कठिन परिश्रम को भी समाप्त कर दिया है और इसके कारण कुम्हारों की आय 7 से 8 गुना ज्यादा बढ़ गई है।

कुम्हारों के सशक्तीकरण की आवश्यकता:

- पोखरण में 300 से अधिक कुम्हार परिवार रहते हैं जो कई दशकों से मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन काम में कठिन परिश्रम और बाज़ार का समर्थन नहीं मिलने के कारण कुम्हारों ने अन्य रास्तों को तलाश करना शुरू कर दिया था।

आगे की राह:

- पोखरण (जहाँ पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था) को अब तक केवल परमाणु परीक्षणों के स्थल के रूप में जाना जाता था, लेकिन बहुत जल्द ही उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तनों का निर्माण भी इसकी पहचान बनेगा।
- कुम्हारों को आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करना उन्हें समाज के साथ जोड़ने और उनकी कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission):

- यह 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम (Khadi and Village Industries Commission Act) 1956' के तहत एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
- यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) के अंतर्गत एक मुख्य संस्था है।

उद्देश्य:

- सामाजिक उद्देश्य: रोज़गार देना।
- आर्थिक उद्देश्य: बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना।
- व्यापक उद्देश्य: गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना एवं एक मज़बूत ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करना।

स्पिक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'स्पिक मैके अनुभव' (SPIC MACAY Anubhav) नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। यह पहली बार है जब इस सम्मेलन का आयोजन ऑनलाइन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- सम्मेलन का आयोजन 1-7 जून 2020 तक किया जा रहा है।
- इस वर्ष सम्मेलन की विषय वस्तु इस बात पर केंद्रित है कि COVID-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान युवाओं में उत्पन्न तनाव को किस प्रकार कम किया जाए।

नोट :

'स्पिक मैके' के बारे में:

- स्पिक मैके (Society for the Promotion of Indian Classical Music And Culture Amongst Youth- SPIC MACAY) एक गैर-राजनीतिक, राष्ट्रव्यापी, स्वैच्छिक आंदोलन है जिसकी स्थापना IIT-दिल्ली में प्रोफेसर रह चुके डॉ. किरण सेठ ने वर्ष 1977 में की थी। उल्लेखनीय है कि कला के क्षेत्र में योगदान के लिये डॉ. किरण सेठ को वर्ष 2009 में 'पद्म श्री' से सम्मानित किया गया था।
- स्पिक मैके, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (Societies Registration Act) 1860 के तहत पंजीकृत है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 (जी) के तहत इसे कर से छूट प्राप्त है।
- वर्ष 2011 में, 'स्पिक मैके' को युवा विकास में योगदान के लिये 'राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार' से सम्मानित किया जा चुका है।
  - 'राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार' शांति, सांप्रदायिक सद्भाव के संवर्द्धन और हिंसा के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर दिया जाता है।
- इसके माध्यम से देश के कुशल कलाकारों द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोकनृत्य, कविता, रंगमंच, पारंपरिक चित्रों, शिल्प एवं योग से जुड़े कार्यक्रमों को मुख्य रूप से स्कूलों और कॉलेजों में प्रस्तुत किया जाता हैं।
- SPIC MACAY को राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture), युवा मामले और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) द्वारा समर्थन प्राप्त है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

स्पिक मैके के स्तम्भ

- कलाकार (Artistes), संस्थान (Institutions), समर्थक (Supporters) और स्वयंसेवक (Volunteers) स्पिक मैके के चार स्तम्भ (Pillars) हैं।

उद्देश्य:

- SPIC MACAY का उद्देश्य भारतीय विरासत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और इसमें निहित मूल्यों को आत्मसात करने के लिये युवाओं को प्रेरित कर औपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता को समृद्ध करना है।

नोट :

कला एवं संस्कृति

कोडुमानल महापाषाण कालीन स्थल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'राज्य पुरातत्त्व विभाग'(State Department of Archaeology), चेन्नई ने तमिलनाडु के इरोड ज़िले में कोडुमानल (Kodumanal) खुदाई स्थल से 250 केयर्न-सर्कल (Cairn-Circles) की पहचान की है।

प्रमुख बिंदु:

- केयर्न-सर्कल प्रागैतिहासिक पत्थरों की समानांतर रैखिक व्यवस्था होती है।
- मेगालिथ या 'महापाषाण' एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है जिसका उपयोग या तो अकेले या अन्य पत्थरों के साथ संरचना या स्मारक बनाने के लिये किया गया है।
- महापाषाण या मेगालिथ शब्द का प्रयोग उन बड़ी पत्थर की संरचनाओं का उल्लेख करने के लिये किया जाता है जिनका निर्माण शवों को दफन किये जाने वाले स्थलों या स्मारक स्थलों के रूप में किया जाता था।

कोडुमनाल (Kodumanal):

- यह तमिलनाडु के इरोड ज़िले में स्थित एक गाँव है।
- यह स्थल एक महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है।
- यह कावेरी की सहायक नदी नॉयल नदी (Noyyal River) के उत्तरी तट पर अवस्थित है।

कोडुमनाल से प्राप्त प्रमुख अवशेष:

- पहली बार किसी कब्र स्थल पर 10 से अधिक बर्तन तथा कटोरे की खोज की गई है।
- सामान्य रूप से किसी कब्र स्थल पर तीन या चार बर्तन मिलते हैं।

खोज का महत्त्व:

- पत्थरों की अधिक संख्या तथा पत्थरों के बड़े आकार से यह पता चलता है कि यह कब्र एक ग्राम प्रधान या समुदाय के प्रमुख की हो सकती है।
- इससे मेगालिथिक संस्कृति में दफनाने के बाद अपनाई जाने वाली अनुष्ठान प्रक्रिया तथा मृत्यु के बाद के जीवन संबंधी अवधारणा का पता चलता है।
- ऐसा हो सकता है कि लोगों का ऐसा विश्वास हो कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद एक नया जीवन मिलता है, अत: कक्षों के बाहर अनाज और अनाज से भरे कटोरे रखे गए थे।
- आयताकार कक्षनुमा ताबूत (एक पत्थर से निर्मित छोटे ताबूत जैसा बॉक्स) पत्थर के फलकों से बना होता है तथा पूरी कब्र को पत्थरों से घेरकर बनाया जाता है।
- स्थल से प्राप्त अन्य अवशेष:
  - एक जानवर की खोपड़ी'

नोट :

- मोती;
- ताम्र गलाने वाली इकाइयाँ;
- एक कार्यशाला की मिट्टी की दीवारें;
- कुम्हार के बर्तन;
- तमिल ब्राह्मी लिपि के लेख।

पूर्व में किये गए उत्खनन कार्य:

- कोडुमानल के पूर्व में किये गए उत्खनन कार्यों से पता चला है कि इस ग्राम में बहु-जातीय समूह निवास करते थे।
- यह स्थल 5 वीं शताब्दी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक एक व्यापार-सह-औद्योगिक केंद्र था।

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

खालिस्तान आंदोलन और ऑपरेशन ब्लूस्टार

चर्चा में क्यों ?

ऑपरेशन ब्लूस्टार की 36 वीं वर्षगाँठ पर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि यदि सरकार खालिस्तान प्रदान करती है, सिख समुदाय इसे स्वीकार करेगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन ब्लूस्टार की बरसी पर खालिस्तान समर्थित नारेबाज़ी करना अब एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है।
- वहीं ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद यह पहली बार था जब सिख भक्तों को कार्यक्रम के दौरान स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

खालिस्तान आंदोलन

- खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादी आंदोलन है, जो पंजाब क्षेत्र में 'खालिस्तान' ('खालसा की भूमि') नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिये एक मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है।
- कई विशेषज्ञ खालिस्तान आंदोलन की जड़ों को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में खोजते हैं, उल्लेखनीय है कि वर्ष 1947 में प्राप्त हुई भारतीय स्वतंत्रता पंजाब के सभी सिखों के लिये एक समान नहीं थी, बँटवारे/विभाजन ने पाकिस्तान में अपने पुरखों की ज़मीन छोड़ कर आ रहे सिखों के मन में एक असंतोष पैदा कर दिया था।
- वास्तव में पंजाबी भाषी लोगों के लिये एक अलग राज्य की मांग पंजाबी सूबा आंदोलन (Punjabi Suba Movement) से मानी जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि यह पहला अवसर था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग करने की मांग राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर आई।
  - धीरे-धीरे इस आंदोलन के तहत पंजाब क्षेत्र को भाषीय आधार पर पंजाबी तथा गैर-पंजाबी क्षेत्रों में विभाजित करने की मांग ज़ोर पकड़ने लगी।
- किंतु समय के साथ इस आंदोलन ने सांप्रदायिक रंग लेना शुरू कर दिया और पंजाब के सिखों ने पंजाबी को अपनी मातृभाषा और हिंदुओं ने हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में घोषित कर दिया।
- इसी बीच अकाली दल नाम से एक राजनीतिक समूह का गठन हुआ और इस समूह के नेतृत्त्व में पंजाब के सभी क्षेत्रों में एक अलग पंजाबी राज्य की मांग और भी तेज़ होने लगी।
- वर्ष 1966 में इसी आंदोलन के परिणामस्वरूप भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई।
- कुछ जानकार पूर्ण 'खालिस्तान' आंदोलन की नींव को वर्ष 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गठन के बाद हुए विवादों में भी खोजते हैं।
- 'खालिस्तान' के रूप में एक स्वायत्त राज्य की मांग 1980 के दशक में और भी ज़ोर पड़ने लगी और मांग तेज़ होने के साथ इसका नाम 'खालिस्तान आंदोलन' पड़ा।
  - पंजाब के विरुद्ध भारत सरकार के पक्षपात और रावी तथा ब्यास नदी के पानी के विभाजन को लेकर हुए विवाद को भी इस आंदोलन का एक कारण मानते हैं।
- इसी बीच एक चरमपंथी सिख नेता के रूप में 'दमदमी टकसाल' के जरनैल सिंह भिंडरावाला की लोकप्रियता भी काफी बढ़ने लगी, माना जाता है कि जरनैल सिंह भिंडरावाले ने ही खालिस्तान को चरमपंथी आंदोलन का रूप दिया था।

नोट :

ऑपरेशन ब्लूस्टार

- 'खालिस्तान' आंदोलन के एक हिंसक रूप धारण करने के बाद पंजाब में आतंकी घटनाओं में काफी तेज़ी आने लगी। समय के साथ तेज़ होती इस प्रकार की घटनाएँ और जरनैल सिंह भिंडरावाले की बढ़ती लोकप्रियता तत्कालीन सरकार के लिये एक प्रमुख चुनौती बन गईं।
- स्थिति के मद्देनज़र तत्कालीन सरकार ने 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के कार्यान्वयन का निर्णय लिया और 1-3 जून 1984 के बीच पंजाब में सड़क परिवहन और हवाई सेवाओं को पूरी तरह से रोक दिया गया। साथ ही स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली की सप्लाई को भी रोक दिया गया।
- 6 जून, 1984 को स्वर्ण मंदिर के भीतर भारतीय सेना द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया और जरनैल सिंह भिंडरवाला तथा उसके समर्थकों की मृत्यु हो गई। 7 जून, 1984 को स्वर्ण मंदिर भारतीय सेना के नियंत्रण में था।
- इस ऑपरेशन को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, ऑपरेशन ब्लूस्टार में भारतीय सेना के कुल 83 जवानों की मौत हुई और 249 जवान घायल हुए। वहीं इस बीच 493 से अधिक आतंकी और आम लोग की भी मौत हुई।

ऑपरेशन ब्लूस्टार का परिणाम

- 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' में कई आम नागरिकों की भी मृत्यु हुई जिसके परिणामस्वरूप सिख समुदाय के बड़े हिस्से में भारत विरोधी भावनाएं काफी प्रबल होने लगीं।
- इस ऑपरेशन के कारण उत्पन्न हुई भारत विरोधी भावनाओं का परिणाम था कि इस ऑपरेशन के मात्र 4 महीने बाद ही 31 अक्तूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई।
- तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे भारत में सिखों के विरुद्ध व्यापक दंगे हुए, जिसके कारण भारत समेत विश्व भर में बसे हुए सिखों के मन में भारत विरोधी भावनाएँ और अधिक प्रबल होने लगीं।
- 1980 के दशक से 1990 के दशक के प्रारंभ तक पंजाब व्यापक आतंकवाद के दौर से गुजरा। हालाँकि समय के साथ यह आंदोलन भी धीमा होता गया और पंजाब प्रशासन को पंजाब में हो रहीं आतंकी घटनाएँ रोकने में सफलता मिली।
- हालाँकि 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' की समाप्ति के बाद भी कई अवसरों पर हिंसक घटनाओं के रूप में खालिस्तान की विचारधारा की आवाज़ सुनाई दी है।

खालिस्तान आंदोलन का मौजूदा स्वरूप

- वर्तमान में खालिस्तान आंदोलन भारत में एक निष्क्रिय आंदोलन है और पंजाब के शहरी तथा ग्रामीण आबादी में इसके प्रति कुछ खास आकर्षण दिखाई नहीं देता है।
- हालाँकि भारत के बाहर रहने वाले सिखों में इस आंदोलन का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, और समय-समय पर इस आंदोलन के समर्थन में नारे सुनाई देते हैं।
- कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया जा रहा है, ताकि भारत में अशांति और असंतोष फैलाया जा सके।

क्रिप्टो-जैकिंग

चर्चा में क्यों ?

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग के रूप में 'क्रिप्टो-जैकिंग' (Crypto-Jacking) नामक साइबर हमलों की पहचान की है।

प्रमुख बिंदु:

- 'क्रिप्टोजैकिंग' एक प्रकार का साइबर हमला है, जिनका प्रयोग हैकर्स क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग (Mining) करने के लिये करते हैं।
- माइनिंग बुनियादी तौर पर ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी आभासी मुद्रा के लेन-देन को सत्यापित किया जाता है।

नोट :

क्रिप्टोकरेंसी की कार्यप्रणाली:

- क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, जिसमें लेन-देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध (Encrypt) तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस (Decentrelised Database) में सुरक्षित रखा जाता है।
- बही-खाते (ledgers) के आँकड़ों को स्थानिक रूप से वितरित किया जाता है, और क्रिप्टोकरेंसी के प्रत्येक लेन-देन को ब्लॉक के रूप में कूटबद्ध किया जाता है।
- इस प्रकार एक दूसरे को जोड़ने वाले कई ब्लॉक विकेंद्रीकृत बही-खाता (Distributed Ledger) के माध्यम से ब्लॉकचेन (Blockchain) बनाते हैं।
- बिटक्वाइन (Bitcoin), एथरियम (Ethereum), मोनेरो (Monero), कैश (Zcash) आदि प्रमुख आभासी मुद्राएँ हैं।
- ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर में 47 मिलियन से अधिक क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ता हैं।

क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग (Cryptocurrency Mining):

- क्रिप्टोकरेंसी कोई मुद्रित मुद्रा नहीं होती है अपितु इन्हें माइनिंग की प्रक्रिया द्वारा सत्यापित या निर्मित किया जाता है।
- क्रिप्टोकरेंसी, माइनिंग नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से बनाई जाती हैं।
- माइनिंग की प्रक्रिया में माइनर्स द्वारा हाई-एंड प्रोसेसर्स (High-End Processors) का उपयोग किया जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग में चुनौतियाँ:

- माइनिंग की लागत बहुत अधिक होती है।
- माइनिंग की प्रक्रिया में हाई-एंड प्रोसेसर्स का उपयोग किया जाता है, जो प्रक्रिया बहुत महँगी है।
- संपूर्ण माइनिंग प्रक्रिया में विद्युत की बहुत अधिक खपत होती है।

क्रिप्टो-जैकिंग की प्रक्रिया:

- क्रिप्टोजैकिंग में इंटरनेट सर्वर, निजी कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन में मैलवेयर इंस्टाल कर क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग की जाती है।
- अधिकांश अन्य प्रकार के मैलवेयर के विपरीत, क्रिप्टो-जैकिंग में कंप्यूटर के डेटा का उपयोग नहीं किया जाता है।

'क्रिप्टो-जैकिंग' का प्रभाव:

- कंप्यूटर सिस्टम की कार्य-प्रणाली धीमी हो जाती है।
- विद्युत उपयोग बढ़ जाता है।
- स्मार्टफोन की बैटरी अचानक से खत्म होने लगती है।
- हार्डवेयर को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है।

एंड्रायड फोन पर खतरा ज़्यादा:

- क्रिप्टो-जैकिंग में स्मार्टफोन की हैकिंग की जा सकती है अत: अन्य डिजिटल माइनिंग की तुलना में यह काफी कम खर्चीला है।
- क्रिप्टो-जैकिंग से एंड्रायड स्मार्टफोन को ज्यादा खतरा होता है। एप्पल अपने फोन में इंस्टाल होने वाले एप को ज्यादा नियंत्रित करता है, इसलिए हैकर्स आईफोन को कम निशाना बनाते हैं।

निष्कर्ष:

- क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में बढ़ती चिंताओं का समाधान करना आवश्यक है, ऐसे कई एप उपलब्ध हैं जो कंप्यूटर की क्रिप्टो-जैकिंग के हमलों से सुरक्षा कर सकते हैं। हालाँकि ये एप भी कंप्यूटरों को पूरी तरह से सुरक्षित करने में समर्थ नहीं हैं।

नोट :

चर्चा में

विश्व तंबाकू निषेध दिवस World No Tobacco Day

प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और वैश्विक साझेदारों द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस (World No Tobacco Day-WNTD) मनाया जाता है।

थीम:

- वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम 'युवाओं को तंबाकू आधारित उद्योगों की नकली वस्तुओं से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना' (Protecting Youth From Industry Manipulation and Preventing Them From Tobacco and Nicotine Use) है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक उपयोग एवं प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना तथा किसी भी रूप में तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करना है।

प्रमुख बिंदु:

- तंबाकू गंभीर और अक्सर घातक स्थितियों जैसे कि हृदय रोग और फेफड़ों में कैंसर उत्पन्न करने वाले मुख्य कारणों में से एक है।

तंबाकू में प्रयोग होने वाले रासायनिक यौगिक:

- तंबाकू के धुएँ में हज़ारों रसायन पाए जाते हैं, जिनमें कम-से-कम 70 रसायन कैंसर का कारण बनते हैं।
- तंबाकू के धुएँ में पाए जाने वाले कुछ रसायनों में निकोटीन, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मलडेहाइड, लेड/सीसा, आर्सेनिक, अमोनिया, रेडियोधर्मी तत्त्व जैसे- यूरेनियम, बेंजीन, नाइट्रोसेमिन (Nitrosamine), कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन (Polycyclic aromatic hydrocarbons-PAHs) शामिल हैं।

भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल National AI Portal of India

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय (Union Ministry for Electronics and IT) ने www.ai.gov.in नामक भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पोर्टल लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- यह पोर्टल 'केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय' और 'आईटी उद्योग' द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न और आईटी उद्योग निकाय 'नैसकॉम' (NASSCOM) मिलकर इस पोर्टल को चलायेंगे।
  - नैसकॉम (National Association of Software and Services Companies -NASSCOM) भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। यह एक लाभ-निरपेक्ष (non-profit) संस्था है।
- यह पोर्टल भारत में AI से संबंधित संसाधनों के साझाकरण करने हेतु भारत में AI से संबंधित विकास के लिये एक 'स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म' के रूप में काम करेगा।
- यह पोर्टल दस्तावेज़ों, केस स्टडी, शोध रिपोर्टों आदि को भी साझा करेगा।

नोट :

- इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने युवाओं के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 'युवाओं के लिये ज़िम्मेदार AI' भी लॉन्च किया।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवा छात्रों को एक मंच प्रदान करना है और उन्हें नए युग के तकनीकी दिमाग, प्रासंगिक AI कौशल विकास एवं आवश्यक AI टूल-सेट तक पहुँच प्रदान करना है ताकि उन्हें भविष्य के लिये डिजिटल रूप से तैयार किया जा सके।

कांगड़ा चाय Kangra Tea

COVID-19 के मद्देनज़र राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और हाल ही में आई कोलकाता में बाढ़ के कारण कांगड़ा चाय (Kangra Tea) का उत्पादन करने वाले किसानों को परिवहन लागत बढ़ने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- कांगड़ा चाय (Kangra Tea) का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में किया जाता है।
- इसे अपने अनूठे रंग और स्वाद के लिये खास तौर से जाना जाता है।
- इसे भौगोलिक संकेत (Geographical Indication-GI) टैग प्रदान किया गया है।
- इसमें एंटीऑक्सिडेंट जैसे- कैचिंस (Catechins) और पॉलीफिनोल्स (Polyphenols) की भरपूर मात्रा पाई जाती है।
- इसका उपयोग सेंनेटाइज़र, साबुन, सिरका, वाइन आदि बनाने में भी किया जाता है।

नंबर-18- फ्लाइंग बुलेट्स Number-18- Flying Bullets

भारतीय वायुसेना कोयंबटूर के निकट सुलूर बेस पर 'लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट' (LCA) के बेड़े जिसमें LCA तेज़स जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं, के साथ अपने स्क्वाड्रन को संचालित करने के लिये तैयार है जिसे 'नंबर-18 फ्लाइंग बुलेट्स' (Number-18– Flying Bullets) कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- इसे वायु सेना प्रमुख 'एयर चीफ मार्शल' द्वारा लॉन्च किया गया।
- इस स्क्वाड्रन का आदर्श वाक्य 'तीव्र और निर्भय' है।
- यह आधुनिक बहु-भूमिका वाले हल्के लड़ाकू विमान के साथ संचालन करने वाला दूसरा भारतीय वायु सेना स्क्वाड्रन होगा।
- वर्ष 1965 में नंबर-18-स्क्वाड्रन का गठन किया गया था।
- LCA तेज़स 4 पीढ़ी का एक टेललेस (Tailless), कंपाउंड डेल्टा-विंग एयरक्राफ्ट है जिसे 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' द्वारा विकसित किया गया है।
  - इस सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को सबसे हल्का और अपनी तरह का सबसे छोटा विमान माना जाता है।

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार-2020 Rajiv Gandhi Khel Ratna award-2020

'बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया' (Boxing Federation of India-BFI) द्वारा रजत पदक विजेता अमित पंघाल (Amit Panghal) और अनुभवी विकास कृष्ण (Vikas Krishan) को 'राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार-2020' (Rajiv Gandhi Khel Ratna award-2020) के लिये नामित किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- अमित पंघाल वर्ष 2019 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज़ बने।

नोट :

- राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार:
  - राजीव गांधी खेल रत्न जिसे आधिकारिक तौर पर 'स्पोर्ट्स एंड गेम्स में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार' के रूप में जाना जाता है, भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है।
  - इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991–92 में हुई थी।
  - यह पुरस्कार युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
  - वर्ष 2018 तक इस पुरस्कार के विजेता को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- BFI ने अर्जुन पुरस्कार-2020 (Arjuna Award-2020) के लिये विश्व कांस्य विजेता खिलाड़ी [लोवलिना बोर्गोहैन (69 किग्रा), सिमरनजीत कौर (64 किग्रा) एवं मनीष कौशिक (63 किग्रा)] को नामित किया है।
- अर्जुन पुरस्कार (Arjuna Award):
  - अर्जुन पुरस्कार युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) द्वारा खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिये दिये जाते हैं।
  - इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी।
  - इस पुरस्कार के विजेता को 5,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
- द्रोणाचार्य पुरस्कार-2020 (Dronacharya Award-2020) के लिये अपने नामांकन में BFI ने महिला खिलाड़ियों के राष्ट्रीय कोच मोहम्मद अली कमर और सहायक कोच छोटे लाल यादव को नामित किया है।
- द्रोणाचार्य पुरस्कार (Dronacharya Award):
  - द्रोणाचार्य पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर 'स्पोर्ट्स एंड गेम्स में उत्कृष्ट कोच के लिये द्रोणाचार्य पुरस्कार' के रूप में जाना जाता है, यह भारतीय गणराज्य का स्पोर्ट्स कोचिंग अवार्ड है।
  - इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985 में हुई थी।
  - इसे युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिये वार्षिक तौर पर दिया जाता है।
  - वर्ष 2017 तक, इस पुरस्कार के विजेता को कांस्य की बनी गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 5 लाख रुपए प्रदान किये गए।
- ध्यानचंद पुरस्कार-2020 (आजीवन उपलब्धि) के लिये BFI ने वर्ष 2008 की एशियाई मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता और दो बार की विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता ऊषा नागिसेट्टी (Usha Nagisetty) को नामित किया।
- ध्यानचंद पुरस्कार (Dhyan Chand Award):
  - ध्यानचंद पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर 'स्पोर्ट्स एंड गेम्स में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिये ध्यानचंद पुरस्कार' के रूप में जाना जाता है, यह भारतीय गणराज्य का आजीवन उपलब्धि के लिये प्रमुख खेल सम्मान है।
  - इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी।
  - इस पुरस्कार को भारत सरकार के युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) द्वारा वार्षिक तौर पर प्रदान किया जाता है।
  - वर्ष 2019 तक, इस पुरस्कार के विजेता को एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया।

नोट :

मेरा जीवन मेरा योग My Life My Yoga

31 मई, 2020 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के प्रति 'मन की बात' संबोधन के दौरान 'मेरा जीवन मेरा योग' (My Life My Yoga) (इसे 'जीवन योग' भी कहा गया है) वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की।

सहयोगी संस्थान:

- यह आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council for Cultural Relations-ICCR) का संयुक्त प्रयास है।

उद्देश्य:

- इस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का उद्देश्य योग के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना और आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2020 के अवलोकन में सक्रिय भागीदार बनने के लिये प्रेरित करना है।

प्रमुख बिंदु:

- यह प्रतियोगिता व्यक्ति के जीवन में योग के परिवर्तनकारी प्रभाव पर केंद्रित है और 21 जून, 2020 को आगामी छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Day of Yoga- IDY) के अवलोकन से संबंधित गतिविधियों के रूप में शुरू की गई है।
- इस प्रतियोगिता में विश्व भर से कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये प्रतिभागियों को तीन योगाभ्यासों जैसे- आसन, क्रिया, बंध, प्राणायाम और मुद्रा पर एक 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा और उसमें प्रतिभागियों को यह संदेश भी शामिल करना होगा कि इन योगाभ्यासों ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है।
- यह प्रतियोगिता फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जन भागीदारी का समर्थन करेगी।
- इस प्रतियोगिता में प्रथम तीन विजेताओं को पुरस्कार के रूप में क्रमश: 1 लाख रुपए, 50 हजार रुपए, 25 हजार रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की गई है।

लोकसभा के नियम 266 एवं 267 Rule 266 and 267 of the Lok Sabha

राज्य सभा सचिवालय ने वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैनल की बैठक में शामिल होने के लिये गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्यों को अनुमति देने से इंकार कर दिया।

प्रमुख बिंदु:

- समिति में वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों की अनुमति नहीं दिये जाने का मुख्य कारण बताया गया कि इससे गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है और इस तरह के आयोजनों में अकेले बैठे सदस्य की कोई गारंटी नहीं होती है।

लोकसभा के नियम:

- नियम 267:
  - इस नियम में कहा गया है कि समिति की बैठकें संसद भवन में ही होंगी। हालाँकि अध्यक्ष के पास उन बैठकों का स्थान बदलने की शक्तियाँ हैं।
- नियम 266:
  - इस नियम में बताया गया है कि सभी समिति की बैठकें निजी तौर पर आयोजित की जानी चाहिये, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों का एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराती हैं ।
- यह अनिवार्य है कि समिति की बैठकों में सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी की गोपनीयता की रक्षा हो। इसलिये यह तर्क दिया गया है कि जब समिति के सदस्य विभिन्न संस्थानों में कार्य करते हों तब आभासी बैठकों में गोपनीयता की रक्षा करना मुश्किल हो सकता है।

नोट :

राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना National Career Service Project

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (National Career Service- NCS) परियोजना के तहत केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (Union Ministry of Labour and Employment) ने रोज़गार चाहने वाले पंजीकृत उम्मीदवारों के लिये 'मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण' की शुरूआत की।

प्रमुख बिंदु:

- यह कौशल प्रशिक्षण कोर्स टीसीएस आईओएन (TCS iON) के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है।
- सॉफ्ट स्किल पर आधारित यह कोर्स वर्तमान में उद्योगों की माँग के अनुरूप तथा रोज़गार चाहने वालों को कॉर्पोरेट शिष्टाचार, अंतर-व्यक्तिगत कौशल, प्रस्तुति कौशल आदि में सुधार करने में मदद करेगा।
- कौशल से संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में 'राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) पोर्टल' पर उपलब्ध है।
- केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) के एक ऑन-लाइन पोर्टल के माध्यम से रोज़गार की तलाश, कैरियर परामर्श, कौशल विकास पाठ्यक्रम पर जानकारी, प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप जैसी विभिन्न रोज़गार संबंधी सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय रोज़गार सेवा के परिवर्तन के लिये NCS प्रोजेक्ट को लागू कर रहा है।

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (National Career Service):

- राष्ट्रीय कैरियर सेवा 20 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना है।
- यह परियोजना 'केंद्रीय रोज़गार एवं श्रम मंत्रालय' के महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- यह एक ही स्थान पर विभिन्न समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करता है जो भारत के नागरिकों को रोज़गार एवं कैरियर संबंधी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
- यह नौकरी पेशा एवं नियोक्ताओं, प्रशिक्षण एवं कैरियर मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों तथा प्रशिक्षण एवं कैरियर परामर्श प्रदान करने वाली एजेंसियों के बीच की खाई को पाटने का काम करता है।

केंद्रीय रोज़गार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक
21st Meeting of Central Employment Guarantee Council

02 मई, 2020 को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय रोज़गार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक (21st Meeting of Central Employment Guarantee Council) आयोजित की गई

प्रमुख बिंदु:

- इस बैठक में बताया गया कि मनरेगा (MGNREGA) सबसे बड़ी रोज़गार सृजन योजनाओं में से एक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैकल्पिक रोज़गार के अवसर प्रदान करती है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत 261 स्वीकृत कार्य हैं जिनमें से 164 प्रकार के कार्य कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित हैं।
- इसके तहत केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत परिसंपत्तियों और जल संरक्षण एवं सिंचाई परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी है जिससे कृषि क्षेत्र को मदद मिलेगी।
- COVID-19 के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के दौरान ज़रूरतमंद श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करने हेतु 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत इस कार्यक्रम के लिये 40,000 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अब तक 28,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

केंद्रीय रोज़गार गारंटी परिषद (Central Employment Guarantee Council):

- केंद्रीय रोज़गार गारंटी परिषद, मनरेगा अधिनियम, 2005 (MGNREGA Act, 2005) की धारा 10 (3) (d) के तहत गठित एक फोरम है।

नोट :

- इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें आधिकारिक और गैर-आधिकारिक दोनों सदस्य होते हैं तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री इस परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं।
- यह परिषद मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिये केंद्रीय निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली की भूमिका निभाती है।

नई राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2020
New National Science Technology and Innovation Policy-2020

नई राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2020 [Science Technology and Innovation Policy (STIP)-2020] के लिये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय तथा 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' की ओर से संयुक्त रूप से विकेंद्रीकृत, व्यापक एवं समावेशी प्रक्रिया की शुरूआत की गई।

प्रमुख बिंदु:

- भारत सरकार की ओर से पाँचवीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति एक ऐसे समय में बनाई जा रही है जब पूरी दुनिया COVID-19 महामारी के संकट से जूझ रही है।
- इस नई नीति की निर्माण प्रक्रिया में चार महत्त्वपूर्ण ट्रैक शामिल किये गए हैं:
- ट्रैक 1:-
  - इस ट्रैक के तहत 'विज्ञान नीति फोरम' के माध्यम से एक व्यापक सार्वजनिक एवं विशेषज्ञ परामर्श प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह प्रारूपण प्रक्रिया के दौरान तथा बाद में बड़े सार्वजनिक एवं विशेषज्ञ पूल से इनपुट प्राप्त करने के लिये एक समर्पित मंच है।
- ट्रैक 2:-
  - इस ट्रैक में साक्ष्य आधारित सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये विशेषज्ञों के विषयगत परामर्श शामिल हैं। इसके लिये 21 मुख्य विषयगत समूहों का गठन किया गया है।
- ट्रैक 3:-
  - इस ट्रैक में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया शामिल की गई है।
- ट्रैक 4:-
  - इस ट्रैक में शीर्ष स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श की व्यवस्था की गई है।
- उल्लेखनीय है कि यह नीति नए भारत के लिये COVID-19 से मिले सबक को एकीकृत करने के साथ-साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास, डिज़ाइन आदि के क्षेत्र में जनसांख्यिकीय लाभांश के अवसर का लाभ उठाकर एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य को भी साकार करेगी।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद National Productivity Council

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (Union Commerce and Industry Minister) ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council- NPC) के कामकाज की समीक्षा की है और परिषद को अपनी सलाहकार एवं क्षमता निर्माण सेवाओं के विस्तार के लिये अपनी क्षमता का लाभ उठाने की सलाह दी।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 1958 में स्थापित राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council- NPC) ऊर्जा, पर्यावरण, व्यावसायिक प्रक्रिया एवं उत्पादकता सुधार के क्षेत्र में परामर्श एवं क्षमता निर्माण से संबंधित विशेष सेवाएँ प्रदान करती है।
- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि MSME क्षेत्र में अनुत्पादक विनिर्माण (Lean Manufacturing) [ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन अधिक और बर्बादी कम होती है] के कार्यान्वयन में NPC के सफल अनुभव को अधिक-से-अधिक MSME तक पहुँचाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

नोट :

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council- NPC):

- वर्ष 1958 में स्थापित राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC), उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) के अंतर्गत एक स्वायत्त परिषद है।
- यह परिषद ऊर्जा, पर्यावरण, व्यवसाय प्रक्रिया एवं उत्पादकता सुधार के लिये परामर्श एवं क्षमता निर्माण आधारित विशेषज्ञ सेवाएँ प्रदान कर रही है।
- NPC, टोक्यो (जापान) स्थित 'एशियाई उत्पादकता संगठन' (Asian Productivity Organisation- APO) का एक घटक है जो एक अंतर सरकारी निकाय है जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य है।

तेलंगाना का स्थापना दिवस Statehood Day of Telangana

तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून, 2014 को किया गया था। तेलंगाना के गठन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस (Statehood Day of Telangana) मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- 4 मार्च, 2014 को भारत सरकार ने 2 जून, 2014 को तेलंगाना गठन दिवस के रूप में घोषित किया।
- तेलंगाना भारतीय संघ के अंतर्गत गठित होने वाला 29वाँ राज्य है। इसके गठन के दौरान यह निर्णय लिया गया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य हैदराबाद को 10 वर्षों के लिये अपनी राजधानी के रूप में साझा करेंगे।
- बाद में सीमांध्र (आंध्रप्रदेश) अपनी राजधानी स्थापित करेगा। हालाँकि हैदराबाद के राजस्व पर अधिकार केवल तेलंगाना को ही मिलेगा। साथ ही सीमांध्र (आंध्रप्रदेश) को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया।

तेलंगाना का गठन:

- वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को राज्यों को उनकी भाषाओं के आधार पर गठित करने के लिये नियुक्त किया गया।
- आयोग की सिफारिश के आधार पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने वर्ष 1956 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर एकीकृत आंध्र प्रदेश बनाने का निर्णय किया।
- किंतु तेलंगाना को सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिये वर्ष 1956 में जेंटलमैन समझौता (Gentleman's Agreement) किया गया।
- वर्ष 1969 में तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिये 'जय तेलंगाना' आंदोलन शुरू हुआ किंतु धीरे-धीरे यह आंदोलन मंद पड़ गया।
- वर्ष 2001 में के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्त्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने तेलंगाना आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू किया।

जेंटलमैन समझौता (Gentleman's Agreement):

- वर्ष 1956 में भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के गठन से पहले तेलंगाना और आंध्र के नेताओं के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- इस समझौते ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेलंगाना के खिलाफ भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षा प्रदान की थी।
- गौरतलब है कि तेलंगाना में अधिकांश आबादी आंध्र प्रदेश की तुलना में पिछड़े समुदाय की है। इसलिए एकीकृत आंध्र प्रदेश के रूप में राज्यों के एकीकरण से इन पिछड़े समुदायों को भेदभाव से बचाने के लिये यह समझौता किया गया था।
- इस समझौते के उल्लंघन को आज तक अलग राज्य तेलंगाना के गठन का एक मुख्य कारण बताया जाता है।

नोट :

भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिये औषधिकोश आयोग
Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 'भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिये औषधकोश आयोग' (Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy- PCIM&H) की पुनर्स्थापना को अपनी मंज़ूरी दे दी।

प्रमुख बिंदु:

- इस आयोग में वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में स्थापित दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं [भारतीय औषधि के लिये औषधिकोष प्रयोगशाला (Pharmacopoeia Laboratory for Indian Medicine- PLIM) और होम्योपैथिक औषधिकोष प्रयोगशाला (Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory- HPL)] का विलय किया गया है।
- आयुष मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2010 में स्थापित 'भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिये औषधकोश आयोग' (PCIM&H) एक स्वयत्तशासी संगठन है।

तीनों संस्थानों के विलय का उद्देश्य:

- इस विलय का उद्देश्य प्रभावी विनियमन एवं गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी दवाओं के नतीज़ों के मानकीकरण को बढ़ाने के लिये तीनों संस्थानों की बुनियादी ढाँचा सुविधाओं, तकनीकी जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है।
- इसका एक अन्य उद्देश्य 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945' (Drugs and Cosmetics Rules, 1945) में आवश्यक संशोधन करके PCIM&H एवं इसकी प्रयोगशालाओं के विलय वाले ढाँचे को कानूनी दर्जा देना भी है।

विलय का लाभ:

- यह विलय आयुष दवा मानकों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा औषधिकोष एवं सूत्रीकरण (पंजीकृत किये गए नुस्खे) के प्रकाशन की सुविधा प्रदान करेगा।
- विलय के बाद PCIM&H के पास आयुष मंत्रालय के अंतर्गत पर्याप्त प्रशासनिक ढाँचा होगा जिससे औषधकोष आधारित कार्य की क्षमता एवं परिणामों में वृद्धि तथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के औषधकोश मानकों के परस्पर हितों को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा
- इससे औषधियों के मानकीकरण आधारित कार्य के दुहराव एवं ओवरलेपिंग को रोका जा सकेगा जिससे संसाधनों का प्रभावी तरीके से अधिकतम इस्तेमाल हो सकेगा।

स्वदेस SWADES

COVID-19 के कारण वंदे भारत मिशन के तहत विश्व के विभिन्न देशों से वापस लौटने वाले कुशल कर्मचारियों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु भारत सरकार ने इन नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिये एक नई पहल 'स्वदेस' (SWADES- Skilled Workers Arrival Database for Employment Support) शुरू की।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य भारतीय एवं विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिये उनके कौशल एवं अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है।

प्रमुख बिंदु:

- यह भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।

नोट :

- इस पहल के तहत लौटने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन 'स्वदेस स्किल्स कार्ड' भरना आवश्यक है।
  - एकत्रित जानकारी को देश में नियोजन के उपयुक्त अवसरों के लिये कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा।
  - यह कार्ड राज्य सरकारों, उद्योग संघों एवं नियोक्ताओं सहित प्रमुख हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के ज़रिये लौटने वाले नागरिकों को रोज़गार के उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिये एक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करेगा।

स्वदेस कौशल फॉर्म/कार्ड:

- 'स्वदेस कौशल फॉर्म' को 30 मई, 2020 को ऑनलाइन प्रसारित किया गया था और 3 जून, 2020 तक इसमें लगभग 7000 पंजीकरण किये जा चुके हैं।
- अब तक एकत्र किए गए आँकड़ों में जहाँ से नागरिक वापस लौट रहे हैं उन शीर्ष देशों में संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, कुवैत और सऊदी अरब शामिल हैं।
- कौशल मानचित्रण के अनुसार इन नागरिकों को मुख्य रूप से तेल एवं गैस, विनिर्माण, पर्यटन, मोटर वाहन और विमानन जैसे क्षेत्रों में नियोजित किया गया था।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट Syama Prasad Mookerjee Trust

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट' (Kolkata Port Trust) का नया नाम 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट' (Syama Prasad Mookerjee Trust) रखने की अनुमति दी।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि 'कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट' के 'बोर्ड ऑफ ट्रस्टी' ने 25 फरवरी, 2020 को हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर विधिवेत्ता, शिक्षक, विचारक एवं जन साधारण के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बहुआयामी प्रतिभा का सम्मान करते हुए 'कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट' को नया नाम 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट' करने की मंज़ूरी दी थी।
- कोलकाता बंदरगाह पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ-साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है जो समुद्र से 203 किमी. की दूरी पर स्थित है।
- यह हुगली नदी पर स्थित है। इस नदी में कई तीव्र मोड़ होने के कारण इसे एक कठिन नौवहन मार्ग माना जाता है।
- इस मार्ग को वर्ष भर नौवहन योग्य बनाए रखने के लिये निष्कर्षण (Dredging) संबंधी गतिविधियाँ चलती रहतीं हैं।
- वर्ष 1975 में निर्मित फरक्का बैराज ने इस बंदरगाह की समस्या को तब काफी कम कर दिया जब गंगा के पानी को भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली की तरफ मोड़ दिया गया।

देश के अन्य बंदरगाहों के परिवर्तित नाम:

- वर्ष 1988 में भारत सरकार ने 'न्हावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट' (Nhava Sheva Port Trust) का नाम बदलकर 'जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट' कर दिया।
- वर्ष 2011 में 'तूतीकोरन पोर्ट ट्रस्ट' का नाम बदलकर 'वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट' कर दिया गया।
- 'एन्नौर बंदरगाह लिमिटेड' को जाने माने स्वाधीनता सेनानी एवं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराजार के सम्मान में 'कामराजार बंदरगाह लिमिटेड' नाम दिया गया।
- वर्ष 2017 में गुजरात के 'कांडला बंदरगाह' का नाम बदलकर 'दीन दयाल बंदरगाह' कर दिया गया।

एफएएसटी FAST

चीन का 'पाँच सौ मीटर एपर्चर वाला गोलाकार टेलीस्कोप' (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope- FAST) सितंबर, 2020 में एलियन के संकेतों की खोज शुरू करेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- जनवरी, 2020 में चीन द्वारा इस टेलीस्कोप की पहली तस्वीर विश्व के लिये सार्वजनिक की गई थी।
- ब्रह्माण्ड में पारलौकिक जीवन खोजने में मदद करने के अलावा यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड संबंधी घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन करने के लिये डेटा एकत्र करेगा जिसमें ब्लैक होल, गैस क्लाउड, पल्सर एवं अधिकतम दूरी की आकाशगंगाएँ शामिल हैं।
- इस टेलीस्कोप का व्यास लगभग 500 मीटर का है किंतु यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि यह केवल एक निश्चित समय में रिसीवर पर 300 मीटर व्यास वाले क्षेत्र को ही केंद्रित करता है।
- पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद यह प्यूर्टो रिको (Puerto Rico) में 'अरेसिबो वेधशाला' (Arecibo Observatory) द्वारा कवर किये गए आकाशीय क्षेत्र को दो बार स्कैन करने में सक्षम होगा जो अब तक दुनिया में सबसे बड़े 'सिंगल-एपर्चर रेडियो टेलीस्कोप' के लिये एक रिकॉर्ड है।
- इस टेलीस्कोप का उल्लेख पहली बार वर्ष 1994 में किया गया था किंतु वास्तविक मंज़ूरी वर्ष 2007 में दी गई थी।
  - इस टेलीस्कोप को 36-फुट लंबाई के त्रिकोणीय आकार के 4,500 पैनलों का उपयोग करके बनाया गया है जो एक डिश पैनल जैसी संरचना बनाते हैं। यह एक 33-टन का 'रेटिना' (Retina) उपकरण है जिसे 460-525 फीट की ऊँचाई पर लगाया गया है।
- इस टेलीस्कोप को चीन के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत गुइझोउ (Guizhou) के पिंगटांग काउंटी (Pingtang County) में स्थापित किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है। इसे 'आई ऑफ हेवन' (Eye of Heaven) के रूप में भी जाना जाता है।

मराठी भाषा Marathi Language

हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग (State School Education Department) ने सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी एवं आईजीसीएसई बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों में दसवीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय के रूप में मराठी भाषा को अनिवार्य करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:

- महाराष्ट्र के उन स्कूली छात्रों के लिये जिनके शिक्षण का माध्यम मराठी नहीं है वहाँ केंद्र सरकार का त्रि-भाषा फॉर्मूला लागू होगा।
- कक्षा I से V तक के छात्रों को मराठी में सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने के कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जबकि कक्षा 6 से 10 तक मराठी भाषा में आत्म-अभिव्यक्ति एवं उसकी समझ पर ध्यान दिया जाएगा।
- एक अधिसूचना में कहा गया है कि विदेशी छात्र भाषा से संबंधित कुछ छूटों का लाभ उठा सकते हैं किंतु अन्य राज्यों के छात्रों के लिये भाषा से संबंधित कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि फरवरी, 2020 में 'महाराष्ट्र कंपलसरी टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मराठी लैंग्वेज इन स्कूल बिल, 2020' (Maharashtra Compulsory Teaching and Learning of Marathi Language in Schools Bill, 2020) को राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
  - इस बिल के प्रावधानों के अनुसार, इस नियम का पालन नहीं करने पर स्कूलों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
- वर्तमान में महाराष्ट्र में अधिकांश बोर्डों में मराठी को केवल विषय के रूप में कक्षा 8 तक ही पढ़ाया जाता है।

मराठी भाषा:

- मराठी एक इंडो-आर्यन भाषा है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के मराठी लोगों द्वारा बोली जाती है।
- यह पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक भाषा एवं गोवा की सह-आधिकारिक भाषा है।
- भारतीय संविधान में आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं जिन्हें राज्यों द्वारा आधिकारिक प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। मराठी भारतीय संविधान में उल्लेखित भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है।
- पहली-दूसरी शताब्दी में मराठी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की महाराष्ट्री (Maharashtri) नामक प्राकृत बोली (Prakrit Dialect) से हुई है। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में 'महाराष्ट्री' धीरे-धीरे मराठी भाषा में विकसित हुई।

नोट :

इबोला प्रकोप Ebola outbreak

हाल ही में 'कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य' (Democratic Republic of Congo) के उत्तर-पश्चिमी भाग में दो वर्ष बाद इबोला प्रकोप की जानकारी मिली है।

प्रमुख बिंदु:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) ने भी इस प्रकोप की पुष्टि की है।
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला प्रकोप एक चिंता का विषय है क्योंकि उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित शहर कांगो नदी (Congo River) के किनारे एक परिवहन हब के रूप में विकसित हुआ है जिसका अन्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष जुड़ाव है और इसकी आबादी दस लाख है। अंतिम बार वर्ष 2018 में यहाँ इबोला के कारण 33 मौतें हुई थी।

कांगो नदी (Congo River):

- कांगो नदी, नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा जल की निर्वहन मात्रा (Discharge Volume) के आधार पर अमेज़न नदी के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- इस नदी का अपवाह बेसिन नील नदी से भी बड़ा है। पहले इसे ज़ायरे नदी (Zaire River) के नाम से जाना जाता था।
- यह नदी अफ्रीका उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती है।
- यह भूमध्य रेखा को दो बार काटती हुई स्टैनली और लिविंग स्टोन जल प्रपातों का निर्माण करती है।
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में इबोला के कारण वर्ष 2018 के मध्य से 2,280 लोगों की मौत हुई थी।
- वर्ष 2019 में 28,000 से अधिक इबोला के मामलों और उनमें 11,000 से अधिक मौतों के कारण WHO ने इबोला को 'वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल' (Global Health Emergency) घोषित किया था।

विश्व पर्यावरण दिवस 2020 World Environment Day 2020

विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day- WED) प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है।

थीम:

- इस वर्ष इस दिवस की थीम 'जैव विविधता' (Biodiversity) है। यह थीम जैव विविधता संरक्षण के लिये तत्काल प्रयास किये जाने का आह्वान करती है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिये वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 महामारी के कारण 'पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' (Ministry of Environment, Forest & Climate Change) इस बार विश्व पर्यावरण दिवस समारोह वर्चुअल तरीके से आयोजित कर रहा है जिसमें 'नगर वन' नामक विषय पर विशेष ज़ोर दिया जायेगा।
- विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में शुरुआती चर्चा वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- वर्ष 1974 से प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है।
- हर बार अलग- अलग देश विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी करते हैं। इस वर्ष अर्थात् 2020 में इसकी मेज़बानी कोलंबिया एवं जर्मनी साथ मिलकर कर रहे हैं। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (UNEP) द्वारा किया जाता है।
- इस अवसर पर जैव विविधता संरक्षण के लिये 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (UNEP) एवं इसके सहयोगी 'यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन' (UN Decade On Ecosystem Restoration) नामक पहल की शुरुआत करेंगे।
  - यह मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों को पुनर्स्थापित करने वाली एक वैश्विक पहल है।
  - इस पहल की अवधि वर्ष 2021 -2030 तक होगी।

नोट :

जैव विविधता के संदर्भ में भारत की स्थिति:

- भारत में भूमि क्षेत्र की तुलना में मानव एवं मवेशियों की आबादी ज्यादा होने के बावजूद यहाँ 8% जैव विविधता मौजूद है।
- विश्व के 35 जैव-विविधता वाले हॉटस्पॉटों में से 4 हॉटस्पॉट भारत में स्थित हैं जिसमें कई स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

'वारजे शहरी वन क्षेत्र' (Warje Urban Forest): जैव विविधता की एक प्रयोगशाला

- महाराष्ट्र के पुणे शहर में 40 एकड़ की वन भूमि पर एक जंगल (वारजे शहरी वन क्षेत्र) विकसित किया गया है। इस जंगल में 65000 से अधिक पेड़, 5 तालाब और 2 वॉच टॉवर बनाए गए हैं।
- वर्तमान में यह जंगल 23 पौधों की प्रजातियों, 29 पक्षी प्रजातियों, 15 तितली प्रजातियों, 10 सरीसृप एवं 3 स्तनपायी प्रजातियों के साथ जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ कई पेड़ 25-30 फीट तक लंबे हैं।
- यह शहरी वन परियोजना शहरी पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद कर रही है।
- पुणे का यह 'वारजे शहरी वन क्षेत्र' (Warje Urban Forest) अब देश के बाकी हिस्सों के लिये एक रोल मॉडल है।

भारतीय नौसेना पर्यावरण संरक्षण रोडमैप (Indian Navy Environment Conservation Roadmap- INECR):

- भारतीय नौसेना के लिये पर्यावरण संरक्षण और हरित पहल एक प्रमुख लक्ष्य है।
- एक ज़िम्मेदार बहुआयामी बल के रूप में भारतीय नौसेना ने ऊर्जा संरक्षण, समुद्री प्रदूषण में कमी और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करके अपने पर्यावरणीय फुट प्रिंट में कमी लाने पर ज़ोर दिया है।
- भारतीय नौसेना पर्यावरण संरक्षण रोडमैप (INECR), भारतीय नौसेना के 'ब्लू वॉटर ऑपरेशन' के लिये 'ग्रीन फुट प्रिंट वाले विज़न' की प्राप्ति का मार्गदर्शक दस्तावेज़ एवं प्रमुख प्रवर्तक रहा है।
- नौसैनिक जहाज़ों के इंजन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ईंधन मानकों में सुधार करने के लिये 'इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड' (IOCL) के साथ समझौता किया है।
  - उल्लेखनीय है कि नए मानक अंतरराष्ट्रीय मानदंडों से बेहतर होंगे इसमें सल्फर की मात्रा अत्यंत कम होगी जो लंबे समय में उत्सर्जन के स्तर के साथ-साथ जहाज़ों पर रख-रखाव की आवश्यकताओं को भी कम करेगी।
- भारतीय नौसेना ने स्वैच्छिक रूप से 'जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' (MARPOL 73/78) की सभी छह अनुसूचियों को लागू किया है।

मारपोल 73/78 (MARPOL 73/78):

- मारपोल (MARPOL) जहाज़ों के परिचालन या उनसे आकस्मिक कारणों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम पर आधारित मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा मारपोल कन्वेंशन को 2 नवंबर, 1973 को अपनाया गया था।
- इस कन्वेंशन से संबंधित वर्ष 1978 के प्रोटोकॉल को वर्ष 1976-77 की समुद्री टैंकर दुर्घटनाओं के मद्देनज़र अपनाया गया था।
- गौरतलब है कि 'वर्ष 1973 का मारपोल कन्वेंशन' को वर्ष 1978 तक लागू नहीं किया गया था किंतु जब इस कन्वेंशन से संबंधित 'वर्ष 1978 के मारपोल प्रोटोकॉल' को अपनाया गया तो इसने वर्ष 1973 के कन्वेंशन को अपने में समाहित कर लिया।
- नौसैनिक जहाज़ों से उत्पन्न होने वाले कचरे का निपटान करने के लिये इन पर 'MARPOL 73/78 के अनुरूप' प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों जैसे- ऑयल वॉटर सेपरेटर्स (OWS) और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को लगाया गया है। इसके अलावा बंदरगाह के पानी का रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिये मुंबई स्थित 'नवल मैटीरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी' (Naval Materials Research Laboratory- NMRL) द्वारा त्वरित बायोरेमेडिएशन तकनीक भी विकसित की गई है।

नोट :

एंटिफा Antifa

संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद बड़े पैमाने पर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनकी सरकार द्वारा एंटिफा (Antifa) समूह को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- 'एंटिफा' (Antifa), फासीवाद-विरोधी (Anti-Fascists) का लघु रूप है।
- यह एक एकल संगठन नहीं है बल्कि 'फार-लेफ्ट-लीनिंग मूवमेंट्स' के लिये एक सामूहिक शब्दावली है जो अपने प्रदर्शनों में नव-नाज़ियों एवं श्वेत वर्चस्ववादियों का विरोध करता है।
- आंदोलन से संबंधित फासीवाद विरोधियों को अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में वामपंथी ताकतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि इससे जुड़े कई लोग खुद को समाजवादी, अराजकतावादी, कम्युनिस्ट या पूंजीवाद विरोधी बताते हैं।
- इस आंदोलन की उत्पत्ति का संबंध नाज़ी जर्मनी से बताया जाता है। जबकि इस आंदोलन की कई यूरोपीय देशों में उपस्थिति रही है और हाल के वर्षों में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चर्चा में आया है।
- इसका कोई औपचारिक संगठनात्मक ढाँचा नहीं है। 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार इस आंदोलन की उपस्थिति को दर्ज किया गया था।
- एंटिफा के सदस्य आमतौर पर काले रंग के कपड़े पहनते हैं तथा विरोध प्रदर्शनों पर अक्सर एक मुखौटा पहनते हैं। और ये पूंजीवाद विरोधी जैसी विभिन्न विचारधाराओं का पालन करते हैं।
- वे एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) और देशज अधिकारों (Indigenous Rights) जैसे मुद्दों को उठाते हैं।

ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म Online Waste Management Platform

05 जून, 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार ने तरल अपशिष्ट, खतरनाक एवं गैर-खतरनाक ठोस अपशिष्ट तथा वायु प्रदूषकों के प्रबंधन के लिये एक 'ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म' (Online Waste Management Platform) शुरू किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस प्लेटफॉर्म का संचालन 'आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम (Andhra Pradesh Environment Management Corporation- APEMC) करेगा। जिसके ऊपर राज्य में उत्पन्न सभी औद्योगिक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की ज़िम्मेदारी होगी।
- APEMC उद्योगों से संग्रहित किये गए अपशिष्ट को प्रबंधित करेगा।
  - इस अपशिष्ट को विभिन्न श्रेणियों (लाल एवं नारंगी) के अनुसार खतरनाक, गैर-खतरनाक या ई-अपशिष्ट के रूप में सुव्यवस्थित किया जाएगा तथा विभिन्न अपशिष्ट निपटान केंद्रों पर वैज्ञानिक रूप से इसका निपटान किया जाएगा।
  - ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिन उद्योगों के पास अपनी स्वयं की अपशिष्ट निपटान प्रणाली नहीं है वे APEMC से संपर्क करके अपशिष्ट के संग्रहण एवं सुरक्षित निपटान की व्यवस्था करेंगे।
- अपशिष्ट निपटान के लिये APEMC 'आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (APPCB) के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें उद्योग से लेकर निपटान केंद्र तक अपशिष्ट को प्रबंधित करने के लिये एक मज़बूत नियामक ढाँचा शामिल होगा।
- उल्लेखनीय है कि आंध्रप्रदेश सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय के तहत APEMC की स्थापना के लिये पिछले वर्ष 5 दिसंबर को एक सरकारी आदेश जारी किया था।

#आईकोमिट पहल #iCommit Initiative

केंद्रीय विद्युत मंत्री ने 05 जून, 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर '#आईकोमिट' (#iCommit) पहल की शुरुआत की।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- यह पहल भविष्य में सतत् रूप से एक मज़बूत एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिये सभी हितधारकों एवं व्यक्तियों को ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिये एक स्पष्ट आह्वान है।
- भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत 'एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड' (EESL) द्वारा शुरू की गई '#आईकोमिट' पहल से सरकारों, कंपनियों तथा बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक एवं व्यक्तियों आदि को एक साथ लाया जा रहा है।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (EESL):

- यह भारत सरकार की एक एनर्जी सर्विसेज़ कंपनी (Energy Service Company- ESCO) है ।
- यह 100% सरकारी स्वामित्व वाली, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं पावरग्रिड का एक संयुक्त उद्यम है।
  - यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक एनर्जी सर्विसेज़ कंपनी (ESCO) है।
- इसका गठन वर्ष 2009 में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिये किया गया था।
- इस पहल से भारत सरकार के नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020, फेम (FAME) 1 और 2, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरैंस योजना (Ujwal DISCOM Assurance Yojana- UDAY), अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना (Atal Distribution system Improvement Yojna- ADITYA), सौर पार्क, अटल ज्योति योजना आदि अन्य प्रमुख उपक्रम भी जोड़े जाएंगे।

'हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स' पहल
'Healthy and Energy Efficient Buildings' Initiative

05 जून, 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यस्थलों को स्वच्छ एवं हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से 'एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (EESL) ने 'यू.एस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट' (USAID) के मैत्री (MAITREE) कार्यक्रम की साझेदारी में 'हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स' पहल की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु:

- इस पहल की शुरुआत मैत्री (Market Integration and Transformation Program for Energy Efficiency- MAITREE) के अंतर्गत की गई है।
  - यह (मैत्री) भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय और USAID के बीच अमेरिका-भारत द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है।
  - इसका उद्देश्य इमारतों के भीतर एक मानक अभ्यास के रूप में लागत प्रभावी ऊर्जा दक्षता को अपनाने में तेज़ी लाना तथा विशेष रूप से इमारतों के शीतलन पर ध्यान केंद्रित करना है।

यू.एस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट' (USAID):

- USAID संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो मुख्य रूप से नागरिक विदेशी सहायता एवं विकास सहायता के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी आधिकारिक सहायता एजेंसियों में से एक है।
- अमेरिकी कॉन्ग्रेस ने 4 सितंबर, 1961 को विदेशी सहायता अधिनियम (Foreign Assistance Act) पारित किया जिसने अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया एवं आर्थिक सहायता के लिये एक एजेंसी के निर्माण को अनिवार्य बनाया और 3 नवंबर, 1961 को USAID अस्तित्त्व में आई।
- यह पहला अमेरिकी विदेशी सहायता संगठन है जिसका प्राथमिक लक्ष्य दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान देना था।

नोट :

सालभर60 अभियान SaalBhar60 Campaign

हाल ही में 'सालभर60 अभियान' (SaalBhar60 Campaign) को हरिद्वार की एक 12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्त्ता रिधिमा पांडे द्वारा लॉकडाउन के 60वें दिन आरंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- इस अभियान को एक वेबसाइट Jhatkaa.org द्वारा जारी एक वीडियो के माध्यम से लॉन्च किया गया था।
- इस अभियान में सरकार से शहरों में PM2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर सुनिश्चित करने के उपायों की मांग की जा रही है जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) द्वारा 24 घंटे के लिये निर्धारित सुरक्षित सीमा है।

त्रिपोली Tripoli

लीबिया की संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार ने त्रिपोली शहर को हफ्तार उग्रवादियों से (Militias Of Haftar) से वापस लेने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- त्रिपोली लीबिया की राजधानी तथा यहाँ का सबसे बड़ा शहर है।
  - लीबिया उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जो उत्तर में भू-मध्य सागर, पूर्व में मिस्र, दक्षिण-पूर्व में सूडान, दक्षिण में चाड, दक्षिण-पश्चिम में नाइजर, पश्चिम में अल्जीरिया और उत्तर-पश्चिम में ट्यूनिशिया से घिरा है।
- त्रिपोली शहर लीबिया के उत्तर-पश्चिम में रेगिस्तान के किनारे भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। यहाँ त्रिपोली बंदरगाह तथा देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक एवं विनिर्माण केंद्र स्थित है।

लीबिया से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। संसार के सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों में लीबिया का अल अजीजिया (59 डिग्री सेल्सियस) प्रमुख है।
- अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र, अल्जीरिया शामिल हैं जो इस महाद्वीप का 90% से अधिक तेल का उत्पादन एवं भंडार रखते हैं।
- अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल का विस्तार अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरितानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान एवं ट्यूनिशिया देशों में है।

ऑनलाइन नैमिषा-2020 ONLINE NAIMISHA-2020

हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (National Gallery of Modern Art- NGMA) ने 8 जून से 3 जुलाई, 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम 'ऑनलाइन नैमिषा-2020' (ONLINE NAIMISHA-2020) का आयोजन करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:

- लगभग महीने भर चलने वाला यह ऑनलाइन कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित NGMA की एक पहल है जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों को कलाकारों के साथ अभ्यास करने एवं उनसे सीखने का अवसर प्राप्त होता है।
- इस कार्यक्रम में 8 जून से 3 जुलाई, 2020 तक चार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यशालाओं के निम्नलिखित शीर्षक हैं:
  - चित्रकला कार्यशाला
  - मूर्तिकला कार्यशाला
  - प्रिंटमेकिंग
  - इंद्रजाल- द मैजिक ऑफ आर्ट (स्वतंत्रता को समझने के लिये अंत:विषय रचनात्मक कार्यशाला)

नोट :

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (National Gallery of Modern Art- NGMA):

- राष्ट्रीय कला संग्रहालय बनाने का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1949 में अंकुरित एवं प्रस्फुटित हुआ था, जिसके पश्चात् 29 मार्च, 1954 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गणमान्य कलाकारों एवं कला प्रेमियों की उपस्थिति में देश के उपराष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकष्ण ने औपचारिक रूप से NMGA की स्थापना की।
- राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्यों में वर्ष 1850 से अब तक की आधुनिक कलाकृतियों (आधुनिक कलात्मक वस्तुओं) को प्राप्त करना एवं उनका संरक्षण करना, देश और विदेशों में विशिष्ट प्रदर्शनियों का आयोजन, कला से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना शामिल है।

G-20 देशों द्वारा $21 बिलियन का फंड $ 21 billion Fund by G-20 Countries

हाल ही में G-20 समूह के सदस्य देशों ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिये $21 बिलियन से अधिक फंड जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

प्रमुख बिंदु:

- G-20 समूह ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिये विभिन्न स्तर पर किये जा रहे वैश्विक प्रयासों का समन्वय किया है।
- आवंटित किये गए 21 बिलियन डॉलर फंड का उपयोग COVID-19 से संबंधित अनुसंधान एवं विकास, टीके, चिकित्सा विज्ञान एवं निदान में किया जायेगा।
- इससे पहले G-20 समूह के देशों द्वारा मार्च 2020 के अंत में COVID-19 एवं उसके आर्थिक प्रभाव से निपटने हेतु वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का फंड जारी करने की बात की थी।

G-20 समूह:

- वर्ष 1997 के वित्तीय संकट के पश्चात् वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिये यह निर्णय लिया गया कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिये।
- G-20 समूह का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत् आर्थिक संवृद्धि हासिल करने हेतु सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना तथा वित्तीय विनियमन (Financial Regulations) को बढ़ावा देना जो कि जोखिम (Risk) को कम करते हैं तथा भावी वित्तीय संकट (Financial Crisis) को रोकते हैं।
- G-20 समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत, वैश्विक निवेश का 80% तथा पूरे विश्व की जनसंख्या के दो-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- सदस्य देश: इस समूह में भारत समेत 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल है। जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- G-20 एक मंच के रूप में कार्य करता है न कि एक संगठन के रूप में, अत: इसका कोई स्थायी सचिवालय और प्रशासनिक संरचना नहीं है।

पेट्रापोल एकीकृत चेकपोस्ट Petrapole Integrated Checkpost

पश्चिम बंगाल एक महीने से अधिक समय के बाद रविवार को उत्तर 24 परगना ज़िले में स्थित पेट्रापोल एकीकृत चेकपोस्ट (Petrapole Integrated Checkpost) के माध्यम से पड़ोसी बांग्लादेश के साथ पुन: द्विपक्षीय व्यापार शुरू करेगा।

- गौरतलब है कि COVID-19 के मद्देनज़र लागू किये गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण दोनों देशों के मध्य व्यापार रोक दिया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- यह भारत एवं बांग्लादेश के मध्य पेट्रापोल-बेनापोल सीमा चौकी पर भारत की ओर स्थित एक चेक पोस्ट है।

नोट :

- यह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना ज़िले में बोंगाँव (Bongaon) के निकट बांग्लादेश-भारत सीमा पर अवस्थित है।
- पेट्रापोल पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण में अवस्थित एकमात्र स्थलीय पोर्ट है। यह एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा शुल्क स्टेशन भी है।
- इस स्थलीय पोर्ट के माध्यम से भारत एवं बांग्लादेश के मध्य लगभग 60% द्विपक्षीय व्यापार होता है।

सुंदरबन में सौर माइक्रो-ग्रिड Solar Micro-Grids in Sundarban

सुंदरबन में स्थापित सौर माइक्रो-ग्रिड (Solar Micro-Grids) यहाँ के कई स्थानों को विद्युत की आपूर्ति कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- सौर माइक्रो ग्रिड छोटे एवं स्थानीय ग्रिड होते हैं जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके 10 से 100 किलोवाट क्षमता की बिजली आपूर्ति करते हैं।
- सुंदरबन में स्थापित सौर माइक्रो-ग्रिड मुख्य ग्रिड से जुड़े नहीं हैं और ये केवल स्थानीय आबादी की ज़रूरतों को ही पूरा कर सकते हैं।
- गैर-लाभकारी संस्थान वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (WWF-INDIA) ने सुंदरबन के एक भाग सतजेलिया (Satjelia) द्वीप में 6 माइक्रो-ग्रिड का निर्माण किया है जिनमें से प्रत्येक में 10 किलोवाट विद्युत की आपूर्ति की जाती है जो लगभग 600 परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करती है।
  - इस तरह के एक-एक ग्रिड को शीघ्र ही सुंदरबन के कुमिरमारी (Kumirmari) द्वीप एवं गोसाबा ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि 1990 के दशक के मध्य से सुंदरबन में दुनिया के सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्रतिष्ठान (लगभग 200,000 ऑफ-ग्रिड कनेक्शन) हैं। हालाँकि वर्ष 2012 से इस क्षेत्र में मुख्यधारा के विद्युत ग्रिड की पहुँच होने के बाद सौर ऊर्जा ग्रिडों का प्रभाव कम होता गया।
  - विश्व बैंक (World Bank) द्वारा समर्थित 'एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (Integrated Coastal Zone Management- ICZM) परियोजना' के तहत मुख्य ग्रिड की पहुँच सागर (Sagar) द्वीप तक हो गई है।
  - एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना एक विश्व बैंक समर्थित परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में व्यापक तटीय प्रबंधन दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करना है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस World Food Safety Day

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day-WFSD) प्रत्येक वर्ष 7 जून को दूषित भोजन एवं पानी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिये मनाया जाता है।

थीम:

- वर्ष 2020 के लिये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम 'खाद्य सुरक्षा: सभी का अधिकार' (Food safety, everyone's business) है।

उद्देश्य:

- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिये जागरूकता पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना है।

प्रमुख बिंदु:

- WFSD को पहली बार वर्ष 2019 में 'द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी' नामक विषय के तहत अदीस अबाबा सम्मेलन (Addis Ababa Conference) और जेनेवा फोरम (Geneva Forum) द्वारा वर्ष 2019 में किये गए खाद्य सुरक्षा के पैमाने पर प्रतिबद्धता को मज़बूत करने के लिये मनाया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र ने अपनी दो एजेंसियों - खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की ज़िम्मेदारी सौंपी है।

नोट :

इंटरनेट-नियंत्रित रोबोट Internet-Controlled Robot

महाराष्ट्र में ठाणे के इंजीनियर 'प्रतीक तिरोड़कर' ने COVID-19 रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पहला 'इंटरनेट-नियंत्रित' रोबोट (Internet-Controlled Robot) बनाया है।

प्रमुख बिंदु:

- नर्स, वार्ड स्टाफ या अन्य देखभाल करने वाले लोगों की उपस्थिति के बिना COVID-19 के रोगियों के लिये उपयोगी इस रोबोट को 'कोरो-बॉट' (Coro-bot) नाम दिया गया है। यह स्वतंत्र रूप से भोजन, पानी, पेय पदार्थ, दवाइयाँ और यहाँ तक कि रोगियों को कुछ अच्छी सलाह भी देता है।
- यह रोगी के साथ नर्सों या वार्ड स्टाफ की शारीरिक उपस्थिति या संपर्क की आवश्यकता को समाप्त करता है।
- इसका डिज़ाइन एवं निर्माण, स्टार्ट-अप PNT Solutions, डोंबिवली (मुंबई) के संस्थापक प्रतीक तिरोड़कर ने किया है।
- कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things- IoT) तकनीक का उपयोग करके दुनिया के किसी भी स्थान से कोरो-बॉट को संचालित करने के लिये एक विशेष एप बनाया है। इस प्रकार दुनिया में कहीं भी इस तकनीक को चिकित्सा क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है।
- वर्तमान में पहला कोरो-बॉट कल्याण (मुंबई) के हॉली क्रॉस अस्पताल (Holy Cross Hospital) में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।

स्पंदन अभियान Spandan Campaign

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भ्रातृघात (fratricide) की घटनाओं को कम करने के लिये 'स्पंदन अभियान' (Spandan Campaign) शुरू किया है।

- गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या की है।

प्रमुख बिंदु:

इस अभियान के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़े पुलिस अधीक्षक प्रत्येक शुक्रवार को अपने ज़िलों में परेड शुरू करेंगे। इसके बाद पुलिस कर्मियों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। साथ ही इस अभियान के तहत अवसादग्रस्त अधिकारियों का चिकित्सा उपचार एवं परामर्श अनिवार्य कर दिया है।

यह अभियान सभी ज़िला मुख्यालयों पर पुलिस कर्मियों के लिये योग कक्षाओं की व्यवस्था भी करेगा। इन कक्षाओं के संचालन के लिये स्थानीय योग शिक्षकों का सहयोग मांगा गया है।

साथ ही पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से पुलिस थानों का दौरा करें और मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था करें।

मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री Magnetocaloric Material

पाउडर धातुकर्म एवं नई सामग्री के लिये अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र (International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials- ARCI) के वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज के लिये 'एक रेअर अर्थ आधारित मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री (A Rare-Earth-Based Magnetocaloric Material) विकसित की।

प्रमुख बिंदु:

- मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री वह सामग्री है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग एवं निष्कासन से सामग्री गर्म या ठंडी बन जाती है।
- पाउडर धातुकर्म एवं नई सामग्री के लिये अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र (International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials- ARCI), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।

नोट :

- मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री से संबंधित शोधकार्य पर एक पेपर जर्नल ऑफ अलॉयज़ एंड कम्पाउंड्स (Journal of Alloys and Compounds) में प्रकाशित हुआ है।
- चुंबकीय सामग्री की उन्नत अवस्था ने कीमोथेरेपी जैसे कैंसर उपचार के दुष्प्रभावों को हल करने के लिये चुंबकीय अतिताप (Magnetic Hyperthermia) के विकास को बढ़ावा दिया है।

विश्व महासागरीय दिवस World Oceans Day

संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस (World Oceans Day) मनाता है।

थीम:

- वर्ष 2020 में इस दिवस की थीम 'एक सतत् महासागर के लिये नवाचार' (Innovation for a Sustainable Ocean) है।

उद्देश्य:

- इस दिवस का उद्देश्य समुद्र से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना क्योंकि हमारे व्यक्तिगत एवं सामूहिक कर्त्तव्य इसके संसाधनों का निरंतर उपयोग करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद कई देशों ने वर्ष 1992 से इस विशेष दिन को मनाना शुरू किया।
- वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि वर्ष 2009 से 8 जून को 'विश्व महासागरीय दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।
- वर्ष 2017 में सतत् विकास के लिये 2030 एजेंडा में SDG-14 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिये महासागरीय सम्मेलन बुलाया गया था जिसका मुख्य विषय सतत् विकास के लिये महासागरों, समुद्रों एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण तथा सतत् उपयोग करना था।

चैलेंजर गर्त Challenger Deep

7 जून, 2020 को अंतरिक्ष यात्री एवं समुद्र विज्ञानी काथी सुल्लीवन (Kathy Sullivan) इतिहास में पहली महिला एवं पाँचवीं व्यक्ति बन गईं, जो महासागरों में सबसे गहरे तल तक पहुँची हैं जिसे मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप/गर्त (Challenger Deep) कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- काथी सुल्लीवन वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला थीं।
- 'नेशनल ओशनिक एंड एटमास्फेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन' (NOAA) के अनुसार, महासागर की औसत गहराई लगभग 12,100 फीट है और इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर गर्त कहा जाता है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर की सतह के नीचे स्थित है। यह लगभग 36,200 फीट गहरा है।
- चैलेंजर गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह के पास मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर स्थित है।

'नेशनल ओशनिक एंड एटमास्फेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन' (NOAA):

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग के भीतर एक अमेरिकी वैज्ञानिक एजेंसी है।
- यह महासागरों, प्रमुख जलमार्गों एवं वातावरण की स्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।

डेक्कन क्वीन Deccan Queen

डेक्कन क्वीन (Deccan Queen) दो महत्त्वपूर्ण शहरों (पुणे एवं मुंबई) के लिये शुरू की गई पहली डीलक्स ट्रेन थी और इसका नाम (डेक्कन क्वीन-Deccan Queen) पुणे के नाम पर रखा गया है जिसे 'क्वीन ऑफ डेक्कन' के रूप में भी जाना जाता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- डेक्कन क्वीन का परिचालन 1 जून, 1930 को शुरू किया गया था इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 जून को इसकी सालगिरह मनाई जाती है।
- इस ट्रेन के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं जिसमें भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन, पहली लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ढुलाई ट्रेन, 'पहली महिला-स्पेशल ट्रेन' और 'डाइनिंग की सुविधा प्रदान करने वाली पहली ट्रेन' शामिल है।
- इसे सेंट्रल रेलवे के अग्रदूत 'ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे' (Great Indian Peninsula Railway- GIPR) द्वारा शुरू किया गया था।
- यह मुंबई और पुणे के बीच चलती है।

देहिंग पटकाई एलीफेंट रिज़र्व Dehing Patkai Elephant Reserve

हाल ही में असम के देहिंग पटकाई में कोयला खनन से संबंधित मुद्दे के कारण देहिंग पटकाई एलीफेंट रिज़र्व (Dehing Patkai Elephant Reserve) की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई।

प्रमुख बिंदु:

- यह रिज़र्व तब सुर्खियों में आया जब 'नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ' (NBWL) ने 'नार्थ ईस्ट कोल फील्ड' (NECF) कंपनी द्वारा खनन के लिये 57.20 हेक्टेयर के 'सल्की प्रपोज़्ड रिज़र्व फारेस्ट' के उपयोग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी जो देहिंग पटकाई एलीफेंट रिज़र्व के भीतर है।
- असम के देहिंग पटकाई एलीफेंट रिज़र्व (Dehing Patkai Elephant Reserve) को न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश के सबसे अधिक पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है।
- देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम के डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया ज़िलों में स्थित है और यह 111.19 वर्ग किमी. वर्षावन वाले क्षेत्र को कवर करता है।
- इसे जून 2004 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था। यह देहिंग पटकाई वर्षावन वाले क्षेत्र में स्थित है।
- हाथियों के आवास के महत्त्व को देखते हुए देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य और देहिंग पटकाई वर्षा वनों के एक हिस्से को 'प्रोजेक्ट एलीफेंट' के तहत देहिंग पटकाई हाथी अभ्यारण्य घोषित किया गया।
  - भारत सरकार द्वारा 'प्रोजेक्ट एलीफेंट' की शुरुआत वर्ष 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी।
  - इसका उद्देश्य हाथियों के आवास की रक्षा करना, मानव-पशु संघर्ष की समस्याओं को हल करना तथा पालतू हाथियों का कल्याण करना था।
- इस रिज़र्व में स्तनधारियों की 50 से अधिक प्रजातियाँ और असम के राज्य पक्षी [व्हाइट विंग्ड वुड डक (White-Winged Wood Duck)] सहित पक्षियों की लगभग 359 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  - व्हाइट विंग्ड वुडडक (White-Winged Wood Duck) को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त (Critically Endangered) श्रेणी में रखा गया है।

केमैन द्वीप Cayman Island

उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT) के अनुसार केमैन द्वीप (Cayman Island) भारत में पाँचवें सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है।

प्रमुख बिंदु:

- इस द्वीप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2019-20 में तीन गुना से बढ़कर 3.7 बिलियन डॉलर हो गया है जो वर्ष 2018-19 में $1 बिलियन और वर्ष 2017-18 में $1.23 बिलियन था।

नोट :

- गौरतलब है कि साइप्रस से भारत आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी वर्ष 2018-19 में $296 मिलियन की तुलना में लगभग तीन गुना बढ़कर वर्ष 2019-20 में $879 मिलियन हो गया है। वर्ष 2017-18 में यह निवेश 417 मिलियन डॉलर था।

केमैन द्वीप (Cayman Island):

- केमैन द्वीप (Cayman Island) पश्चिमी कैरेबियन सागर में एक स्वायत्त ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है।
- 264 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस द्वीप में ग्रैंड केमैन, केमैन ब्राक और लिटिल केमैन नामक तीन द्वीप शामिल हैं।
- यहाँ का राजधानी शहर जॉर्ज टाउन है जो ग्रैंड केमैन द्वीप पर स्थित है जो तीन द्वीपों में सबसे अधिक आबादी वाला है।

किसान उत्पादक संगठन Farmer Producer Organisation

भारत सरकार अगले तीन वर्षों में 3,500 किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisation- FPO) का निर्माण करेगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित पारिश्रमिक मूल्य मिल सके।

प्रमुख बिंदु:

- आगामी तीन वर्षों में जो FPOs बनाए जायेंगे उनमें से अधिकांश FPO भारत सरकार के 'एक उत्पाद-एक-ज़िला' पहल पर आधारित होंगे जहाँ FPO मुख्य रूप से कम मात्रा वाली अन्य उपजों के अलावा विशेष कमोडिटी को बढ़ावा देगा एवं इनका व्यापार करेगा।
- इस वर्ष वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आगामी पाँच वर्ष में 10,000 FPOs बनाने में मदद करने की घोषणा की थी।
- वर्तमान में देश में लगभग 5,000 FPOs कार्य कर रहे हैं जिनमें से 910 'लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ' (Small Farmers' Agri-Business Consortium- SFAC) से संबद्ध हैं जबकि लगभग 3000 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत आते हैं। शेष FPOs निजी कंपनियों द्वारा बनाए एवं चलाए जा रहे हैं।

किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organisation- FPO):

- 'किसान उत्पादक संगठनों' का अभिप्राय किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के समूह से होता है।
- इस प्रकार के संगठनों का प्रमुख उद्देश्य कृषि से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी समाधान करना होता है।
- FPOs प्राथमिक उत्पादकों जैसे- किसानों, दूध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों और कारीगरों आदि द्वारा गठित क़ानूनी इकाई होती हैं।
- FPOs को भारत सरकार तथा नाबार्ड जैसे संस्थानों से भी सहायता प्राप्त होती है।

सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ
Empowered Group of Secretaries and Project Development Cell

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'भारत में निवेश आकर्षित करने के लिये मंत्रालयों/विभागों में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries-EGoS) और परियोजना विकास प्रकोष्ठ (Project Development Cell- PDC)' की स्थापना को स्वीकृति दे दी।

प्रमुख बिंदु:

- इस नई व्यवस्था से भारत को वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विज़न को बल मिलेगा।

सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries-EGoS):

- भारत में निवेश के लिये निवेशकों को सहायता एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहन देने के क्रम में निम्नलिखित संयोजन और उद्देश्यों के साथ सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
  - कैबिनेट सचिव (अध्यक्ष)
  - सीईओ, नीति आयोग (सदस्य)
  - सचिव, उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (सदस्य संयोजक)

नोट :

- सचिव, वाणिज्य विभाग (सदस्य)
- सचिव, राजस्व विभाग (सदस्य)
- सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग (सदस्य)
- संबंधित विभाग के सचिव (विकल्प के रूप में)

EGoS के उद्देश्य:

- विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच तालमेल कायम करना तथा समयबद्ध स्वीकृतियाँ सुनिश्चित करना।
- भारत में अधिक निवेश आकर्षित करना और वैश्विक निवेशकों को निवेश समर्थन तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- लक्षित तरीके से शीर्ष निवेशकों से आने वाले निवेश को आसान बनाना और समग्र निवेश परिदृश्य में नीतिगत स्थायित्व तथा सामंजस्य कायम करना।
- विभागों द्वारा परियोजना निर्माण तथा उस पर होने वाले वास्तविक निवेश के आधार पर निवेशों का मूल्यांकन करना।

परियोजना विकास प्रकोष्ठ (Project Development Cell- PDC):

- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय में निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास के लिये एक 'परियोजना विकास प्रकोष्ठ' (PDC) की स्थापना की भी स्वीकृति दी गई।
- इससे भारत में निवेश योग्य परियोजनाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी और FDI प्रवाह भी बढ़ेगा।
- सचिव के दिशा-निर्देशन में संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के एक अधिकारी को निवेश योग्य परियोजनाओं के संबंध में अवधारणा तैयार करने, रणनीति बनाने, कार्यान्वयन और विवरण के प्रसार का काम सौंपा जाएगा।

उद्देश्य:

- सभी स्वीकृतियों, आवंटन के लिये जमीन की उपलब्धता और निवेशकों द्वारा स्वीकार्यता/निवेश के लिये पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ परियोजनाएँ तैयार करना।
- निवेश आकर्षित करने और उसे अंतिम रूप देने के क्रम में ऐसे मुद्दों की पहचान करना जिनका समाधान करने की ज़रूरत है तथा उन्हें अधिकार प्राप्त समूह के सामने रखा जाना चाहिये।

भारत सरकार के इस निर्णय से भारत अधिक निवेश अनुकूल स्थल के रूप में सामने आएगा और देश में निवेश प्रवाह को समर्थन तथा आसान बनाकर 'आत्मनिर्भर भारत मिशन' को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।

विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 World Accreditation Day 2020

विश्व प्रत्यायन दिवस (World Accreditation Day- WAD) प्रत्येक वर्ष 9 जून को व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने एवं बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है।

थीम:

- विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 की थीम 'प्रत्यायन: खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना' (Accreditation: Improving Food Safety) है। जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (International Accreditation Forum- IAF) एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (International Laboratory Accreditation Cooperation- ILAC) द्वारा निर्धारित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India- QCI) के दो प्रत्यायन बोर्डों 'राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड' (National Accreditation Board for Certification Bodies- NABCB) तथा 'राष्ट्रीय परीक्षण एवं अशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड' (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories- NABL) ने इस अवसर पर एक वेबीनार का आयोजन किया जिसमें सभी संबंधित हितधारकों ने भाग लिया।

नोट :

भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India- QCI):

- भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना वर्ष 1997 में उद्योग संवर्द्धन एवं आतंरिक व्यापार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय के तौर पर की थी।
- इस संगठन की स्थापना अनुरूप प्रत्यायन निकायों के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन ढाँचे की स्थापना करने एवं उनके प्रचालन करने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता संवर्द्धन के क्षेत्र में प्रत्यायन उपलब्ध कराने के लिये की गई थी।
- प्रत्यायन ढाँचे के तौर पर भूमिका अदा करने के अलावा यह 'राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड' (National Accreditation Board for Certification Bodies- NABCB) के द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्यायन सेवाओं के जरिये गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों (ISO 14001 श्रृंखला), खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISO 22000 श्रृंखला) तथा उत्पाद प्रमाणन एवं निरीक्षण निकायों के संबंध में गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिये भी प्रोत्साहित करता है।
- QCI में भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व तीन प्रमुख उद्योग संघों एसोचैम, सीआईआई तथा फिक्की के द्वारा किया जाता है।

'राष्ट्रीय परीक्षण एवं अशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड' (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories- NABL):

- NABL अनुरूप प्रत्यायन निकायों (प्रयोगशालाओं) को मान्यता प्रदान करता है।
- NABL भारत की गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है।
- इसका गठन वर्ष 1988 में किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (International Accreditation Forum- IAF):

- अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम उन संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो सामान्य व्यापार सुविधा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये दुनिया भर में एक साथ काम करने के लिये सहमत हुए हैं।
- IAF, अनुरूप प्रत्यायन प्रचलन हेतु सिद्धांतों एवं प्रथाओं को विकसित करने के लिये विश्व में एक प्रमुख मंच हैं जो बाज़ार स्वीकृति के लिये आत्मविश्वास प्रदान करता है।
- यह उन मान्यता प्राप्त निकायों के माध्यम से कार्य करता है जो प्रबंधन प्रणालियों, उत्पादों, कर्मियों या निरीक्षण को प्रमाणित या पंजीकृत करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (International Laboratory Accreditation Cooperation- ILAC):

- ILAC की शुरुआत पहली बार एक सम्मेलन के रूप में हुई थी। यह सम्मेलन 24-28 अक्तूबर, 1977 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य मान्यता प्राप्त परीक्षण एवं अंशांकन परिणामों की स्वीकृति के संवर्द्धन द्वारा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना था।
- वर्ष 1996 में ILAC 'प्रत्यायन निकायों के बीच आपसी समझौतों के नेटवर्क को स्थापित करने वाले एक चार्टर' के तहत एक औपचारिक सहयोग संगठन बन गया।
- वर्ष 2000 में विश्व के 28 देशों के प्रयोगशाला प्रत्यायन निकायों से संबंधित ILAC के 36 पूर्णकालिक सदस्यों ने मिलकर निर्यातित माल के लिये तकनीकी परीक्षण एवं अंशांकन डेटा की स्वीकृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 'ILAC म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट' (ILAC MRA) पर हस्ताक्षर किये।
- अंशांकन एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिये ILAC MRA 31 जनवरी, 2001 को प्रभावी हुआ।

नोट :

तुरंत कस्टम्स Turant Customs

हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC) ने बंगलुरु व चेन्नई में अपना फ्लैगशिप कार्यक्रम 'तुरंत कस्टम्स' (Turant Customs) लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- CBIC ने बताया है कि यह आयातित वस्तुओं के कम समय में सीमा शुल्क निकासी के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से संबंधित कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम के तहत आयातकों द्वारा आयात किये गए सामान का क्लीयरेंस फेसलेस, कांटेक्टलेस एवं पेपरलेस होगा।
  - अर्थात् 'तुरंत कस्टम' के जरिये आयातित सामान अगर चेन्नई में आया है तो उसका क्लीयरेंस बेंगलुरु में बैठा हुआ ऑफिसर दे सकता है और इसी तरह अगर बेंगलुरु में कोई सामान आया है तो उसका क्लीयरेंस चेन्नई में बैठा हुआ ऑफिसर भी दे सकता है।
- तुरंत कस्टम 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के लिये एक प्रमुख सुधार पहल है।
- दिसंबर, 2020 तक इसे देश के सभी बंदरगाहों, हवाई अड्डों, आतंरिक कंटेनर डिपो में शुरू कर दिया जाएगा।
  - पहले चरण में इसके अंतर्गत देश के प्रमुख बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी के आयात को कवर किया जाएगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC):

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक सहायक बोर्ड है।
- यह लेवी एवं सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवा कर और IGST के संग्रह के लिये नीति निर्माण से संबंधित है और यह तस्करी की रोकथाम के लिये भी काम करता है।
- यह बोर्ड अपने अधीनस्थ संगठनों के लिये एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है जिसमें कस्टम हाउस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं केंद्रीय जीएसटी आयुक्त (Central Excise and Central GST Commissionerates) और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (Central Revenues Control Laboratory) शामिल हैं।

आईफ्लोस-मुंबई iFLOWS-Mumbai

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Science) द्वारा मुंबई शहर में बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिये अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली 'आईफ्लोस-मुंबई' (iFLOWS-Mumbai) को विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस चेतावनी प्रणाली में मुंबई शहर की बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिये विशेष रूप से अधिक वर्षा की घटनाओं एवं चक्रवातों के दौरान मुंबई के लिये प्रारंभिक चेतावनी का प्रावधान किया गया है।
- 'आईफ्लोस-मुंबई' (iFLOWS-Mumbai) को एक मॉड्यूलर संरचना पर बनाया गया है। इसमें डेटा एसिमिलेशन (Data Assimilation), बाढ़, जलप्लावन (Inundation), भेद्यता (Vulnerability), जोखिम, प्रसार मॉड्यूल (Dissemination Module) और निर्णय सहायक तंत्र (Decision Support System) जैसे सात मॉड्यूल हैं।
- इस प्रणाली में 'मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिये राष्ट्रीय केंद्र' (National Centre for medium Range Weather Forecasting- NCMRWF) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) से मौसम मॉडल, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology- IITM), ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) और IMD द्वारा स्थापित रेन गेज़ नेटवर्क स्टेशनों से क्षेत्रीय डेटा तथा भूमि उपयोग पर थीमेटिक लेयर एवं बुनियादी ढाँचे से संबंधित जानकारी आदि शामिल की गई है।

नोट :

- मौसम मॉडल के इनपुट के आधार पर, हाइड्रोलॉजिक मॉडल (Hydrologic Model) का उपयोग वर्षा को अपवाह में बदलने के लिये किया जाता है जो नदियों के जल प्रवाह में वृद्धि करता है।
- चूँकि मुंबई एक द्वीपीय शहर है जिसकी कनेक्टिविटी समुद्र के साथ है इसलिये शहर पर ज्वार एवं तूफान के प्रभाव की गणना करने के लिये हाइड्रोडायनामिक मॉडल (Hydrodynamic Model) और तूफान वृद्धि मॉडल (Storm Surge Model) का उपयोग किया जाता है।

- इस प्रणाली में शहर के भीतर 'शहरी जल निकासी' एवं बाढ़ वाले क्षेत्रों में पूर्वानुमान से संबंधित प्रावधानों को अंतिम रूप से मुख्य प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर Reverse Transcription nested PCR

हाल ही में 'सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बॉयोलॉजी' (Centre for Cellular and Molecular Biology- CCMB) के शोधकर्त्ताओं ने COVID-19 के लिये एक नया टेस्ट विकसित किया है। इस टेस्ट को 'रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर (Reverse Transcription nested PCR- RT-nPCR) टेस्ट के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर (Reverse Transcription nested PCR- RT-nPCR) टेस्ट अधिक किफायती है और यह तकनीकी रूप से बहुत आसान है।
- इस परीक्षण के लिये रियल टाइम क्वांटेटिव (Real-Time Quantitative) को 'रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पालीमरेज़ चेन रिएक्शन' (RT-qPCR) की जरूरत नहीं पड़ती है।
  - उल्लेखनीय है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) ने COVID-19 परीक्षण के लिये केवल 'रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन- पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन' (RT-qPCR) परीक्षण की सिफारिश की है।
- दोनों परीक्षणों के परिणामों की तुलना करने पर शोधकर्त्ताओं ने पाया कि मानक RT-qPCR परीक्षण में वास्तविक परीक्षण परिदृश्य के लिये पहचान क्षमता कम (50% से कम) हो सकती है जो कई नमूनों में 'कम वायरल प्रतिनिधित्व' का कारण हो सकता है।

लोनार झील Lonar Lake

महाराष्ट्र के बुलढाणा (Buldhana) ज़िले के ज़िलाधिकारी सुमन चंद्रा ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (National Environmental Engineering Research Institute- NEERI), नागपुर से अनुरोध किया है कि वह पिछले कुछ दिनों में बुलढाणा ज़िले की लोनार झील (Lonar Lake) के पानी के लाल रंग में परिवर्तित होने के कारणों का पता लगाए।

प्रमुख बिंदु:

- लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले के लोनार में स्थित एक क्रेटर झील (Crater-Lake) है और इसका निर्माण प्लीस्टोसिन काल (Pleistocene Epoch) में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था जो 1.85 किमी. के व्यास एवं 500 फीट की गहराई के साथ बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है।
- यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू-विरासत स्मारक (National Geo-heritage Monument) भी है। इस झील का पानी खारा एवं क्षारीय दोनों है।
- इस झील में गैर-सहजीवी नाइट्रोजन-फिक्सिंग रोगाणुओं (Non-Symbiotic Nitrogen-Fixing Microbes) जैसे- स्लैकिया एसपी (Slackia SP), एक्टिनोपॉलीस्पोरा एसपी (Actinopolyspora SP) और प्रवासी पक्षी जैसे- शेल्डक, ग्रेब, रूडी शेल्डक के रूप में समृद्ध जैविक विविधता पाई जाती है।

नोट :

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान
(National Environmental Engineering Research Institute- NEERI):

- NEERI वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित एक वित्तपोषित संस्थान है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की एक घटक प्रयोगशाला है।
- इसकी स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में नवाचार और अनुसंधान करना है।
- इसकी पाँच क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ क्रमश: चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई में स्थित हैं।

ऑपरेशन डेज़र्ट चेज़ Operation Desert Chase

हाल ही में ऑपरेशन डेज़र्ट चेज़ (Operation Desert Chase) के तहत राजस्थान पुलिस ने सैन्य खुफिया (Military Intelligence- MI) इनपुट्स के आधार पर जयपुर में दो रक्षा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई को संवेदनशील जानकारी दे रहे थे।

प्रमुख बिंदु:

- इस ऑपरेशन को भारतीय सेना, यूपी एटीएस और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया और इसे 'ऑपरेशन डेज़र्ट चेज़' नाम दिया गया है।
- दोनों रक्षा कर्मचारियों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 (Official Secrets Act, 1923) की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।
- इस ऑपरेशन की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी जब लखनऊ स्थित सैन्य खुफिया (Military Intelligence- MI) विभाग ने अपने खोजी कुत्तों के माध्यम से, श्री गंगानगर (राजस्थान) के पास एक जासूसी एजेंट के बारे पता लगाया था जो पाकिस्तान में अपने संचालकों को सैन्य जानकारी दे रहा था।

ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 (Official Secrets Act, 1923):

- इस कानून को वर्ष 1923 में अधिनियमित किया गया था और वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद इसे बरकरार रखा गया।
- यह कानून सरकारी कर्मचारियों एवं नागरिकों पर लागू होता है और यह जासूसी, राष्ट्रद्रोह एवं राष्ट्र की अखंडता के लिये अन्य संभावित खतरों से निपटने की रूपरेखा प्रदान करता है।
- यह कानून के तहत जासूसी करना, गुप्त जानकारी साझा करना, वर्दी का अनाधिकृत उपयोग करना, जानकारी रोकना, प्रतिबंधित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के साथ हस्तक्षेप आदि को दंडनीय अपराध घोषित करता है।

वर्ष 1890 का सिक्किम-तिब्बत अभिसमय Sikkim-Tibet Convention of 1890

मई, 2020 में सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) के एक क्षेत्र नाकु-ला में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच झड़पों एवं गतिरोध ने वर्ष 1890 के ऐतिहासिक सिक्किम-तिब्बत अभिसमय (Sikkim-Tibet Convention of 1890) को पुन: चर्चा में ला दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 1890 के सिक्किम-तिब्बत अभिसमय के अनुसार, नाकु-ला क्षेत्र का संबंध भारत से है और वर्ष 1975 में सिक्किम के भारत में विलय से पहले चीन ने आधिकारिक रूप से इस सीमांकन को स्वीकार कर लिया था।

वर्ष 1890 का सिक्किम-तिब्बत अभिसमय:

- वर्ष 1890 के सिक्किम-तिब्बत अभिसमय को 'कलकत्ता अभिसमय' (Convention of Calcutta) के नाम से भी जाना जाता है।

नोट :

- यह यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड तथा तिब्बत से संबंधित किंग (Qing) राजवंश एवं सिक्किम के बीच 19वीं सदी की एक संधि थी।
- इस संधि पर भारत के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन (Lord Lansdowne) और चीनी अम्बान (Chinese Amban) या तिब्बत के निवासी शेंग ताई (Sheng Tai) द्वारा 17 मार्च, 1890 को कलकत्ता में हस्ताक्षर किये गए थे।
- इस संधि में उल्लिखित आठ अनुच्छेदों में अनुच्छेद (1) सबसे महत्त्वपूर्ण है।
  - इस संधि के अनुच्छेद-1 के अनुसार, सिक्किम और तिब्बत की सीमा को पर्वत श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया गया था जो सिक्किम में तीस्ता एवं इसकी सहायक नदियों को तिब्बती मोचू नदी एवं इसके उत्तर में बहने वाली अन्य नदियों से अलग करती थी।
  - इस संधि के तहत गठित सीमा भूटान के माउंट गिपमोची (Mount Gipmochi) से शुरू होकर संबंधित नदियों के जलक्षेत्र से होते हुए नेपाल सीमा तक जाती है।
  - हालाँकि तिब्बत ने वर्ष 1890 के कन्वेंशन की वैधता को मान्यता देने से मना कर दिया और इसके अलावा उक्त कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करने से भी मना कर दिया।

वर्ष 1904 की संधि:

- वर्ष 1904 में ल्हासा में ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच एक समझौते के रूप में एक अन्य संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- इस अभिसमय के अनुसार, तिब्बत ने वर्ष 1890 के अभिसमय का सम्मान करने और सिक्किम एवं तिब्बत के बीच सीमा को मान्यता देने की सहमति ज़ाहिर की जैसा कि उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद (1) में परिभाषित किया गया है।

वर्ष 1906 की संधि:

- 27 अप्रैल, 1906 को पेकिंग (चीन) में ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे जिसने ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच वर्ष 1904 में हुए अभिसमय की पुष्टि की थी।

भारत- तंज़ानिया संबंध India-Tanzania Relation

12 जून, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने तंज़ानिया के राष्ट्रपति जोसफ मगुफूली (Joseph Magufuli) से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की।

- इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और तंज़ानिया के बीच बढ़ती विकास साझेदारी, शैक्षिक संपर्क एवं व्यापार तथा निवेश प्रवाह पर संतोष व्यक्त किया और इस प्रवृत्ति में और तेज़ी लाने की संभावनाओं पर चर्चा की।

प्रमुख बिंदु:

- भारत और तंज़ानिया के मध्य निम्नलिखित मुद्दे अहम हैं जिन पर दोनों देश समग्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं।

(a) समुद्री सुरक्षा:

- भारत और तंज़ानिया के मध्य समुद्री सुरक्षा को लेकर एक समान हित है। समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद जैसे समुद्री क्षेत्र में खतरों से संबंधित मुद्दों को देखते हुए भारत ने समुद्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में घोषित किया है।

(b) ऊर्जा क्षेत्र:

- भारत ने तंज़ानिया के प्राकृतिक गैस क्षेत्र के विकास में सहयोग करने की पेशकश की।
- तंज़ानिया में प्राकृतिक गैस की खोज सबसे पहले वर्ष 1974 में सोंगो सोंगो ऑफशोर ब्लॉक (Songo Songo offshore Block) में की गई थी जबकि वर्ष 2010 में पता लगाया गया कि तंज़ानिया के हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भंडार जमा हैं।
- यह अनुमान लगाया गया कि तंज़ानिया के प्राकृतिक गैस भंडार 46.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से अधिक हैं और इनके वर्ष 2016 तक 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक बढ़ने का अनुमान है।

नोट :

तंज़ानिया: एक तथ्यात्मक अध्ययन

- तंज़ानिया अफ्रीकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र (African Great Lakes Region) के भीतर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है।
- इसके उत्तर में युगांडा, पूर्वोत्तर में केन्या, पूर्व में कोमोरो द्वीप और हिंद महासागर, दक्षिण में मोज़ाम्बिक एवं मलावी, दक्षिण-पश्चिम में ज़ाम्बिया, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी एवं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अवस्थित हैं।
- अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊँचा पर्वत माउंट किलिमंजारो तंज़ानिया के उत्तर-पूर्व में अवस्थित है।
- अफ्रीकी महाद्वीप की तीन महान झीलें आंशिक रूप से तंज़ानिया के भीतर अवस्थित हैं। उत्तरी एवं पश्चिम में विक्टोरिया झील (अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील) और टैंगानिका झील (अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील) मछली की अनोखी प्रजातियों के लिये जानी जाती है और दक्षिण-पश्चिम में न्यासा झील अवस्थित है।
- दार-एस-सलाम (Dar-es-Salaam) तंज़ानिया का सबसे बड़ा शहर एवं बंदरगाह भी है।

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ Small Farmers' Agri-Business Consortium

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (Union Minister of Agriculture & Farmers' Welfare) ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 10000 किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations- FPOs) के गठन की घोषणा के अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम सहित कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किये हैं। जिसे पूरा करने का दायित्व लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Small Farmers' Agri-Business Consortium- SFAC) का है जो वर्तमान परिस्थितियों में ई-नाम प्लेटफॉर्म को सशक्त बनाने के लिये भी उत्तरदायी है।

प्रमुख बिंदु:

- SFAC की स्थापना के बाद से देश में कृषि क्षेत्र से संबंधित संस्थागत व निजी क्षेत्र के निवेश में काफी प्रगति हुई है।
- ई-नाम प्लेटफॉर्म के जरिये अब तक एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। ई-नाम के तहत अब तक 1.66 करोड़ से ज्यादा किसान तथा 1.30 लाख से अधिक व्यापारियों का पंजीयन हो चुका है।

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Small Farmers' Agri-Business Consortium- SFAC):

- यह लघु एवं सीमांत किसानों के लिये किसान हित समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों और किसान उत्पादक कंपनियों को संगठित करने का एक अग्रणी संघ है।
- यह छोटे एवं लघु किसानों तक कृषि निवेशकों की पहुँच और सस्ती दर पर उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये एक मंच उपलब्ध कराता है। इसे दिल्ली किसान मंडी प्रोजेक्ट और राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना जैसी महत्त्वपूर्ण योजनाओं को ई-प्लेटफॉर्म पर लागू करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
  - भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा वर्ष 2014 से 'दिल्ली किसान मंडी प्रोजेक्ट' संचालित किया जा रहा है।
- यह किसानों को मुक्त कृषि व्यापार के साथ-साथ उचित मूल्य प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

एंटी-वायरल विरोब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी
Anti-viral Viroblock textile technology

टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित एक प्रमुख कंपनी अरविंद लिमिटेड (Arvind Limited) ने अपने कपड़े एवं परिधान उत्पादों के लिये एक 'एंटी-वायरल विरोब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी' (Anti-viral Viroblock textile technology) शुरू करने की घोषणा की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- अरविंद कंपनी ने अपने मौजूदा फैब्रिक ब्रांड इंटेलिफैब्रिक (Intellifabrix) के तहत इस तकनीक से युक्त उत्पाद लॉन्च किया है।
  - अरविंद कंपनी ने 30 मिनट के भीतर परिधान की सतह से कोरोनावायरस सहित अन्य वायरसों को समाप्त करने वाली उन्नत चाँदी एवं पुटिका तकनीक (Advanced Silver and Vesicle Technology) के एक विशेष संयोजन के साथ उत्पादों को पेश करने के लिये ताइवान की प्रमुख केमिकल कंपनी जिनटेक्स कॉरपोरेशन (Jintex Corporation) के साथ मिलकर स्विस टेक्सटाइल इनोवेशन प्रमुख 'HeiQ Material AG' के साथ साझेदारी की है।
- HeiQ विरोब्लॉक NPJ03 (HeiQ Viroblock NPJ03), स्विस टेक्सटाइल इनोवेशन प्रमुख 'HeiQ Material AG' द्वारा बनाए गए सबसे उन्नत वैश्विक एंटीवायरल उत्पादों में से एक है जो वायरस संक्रामकता को 99.99% कम करता है।
  - कंपनी का दावा है कि यह COVID-19 पर इस तरह की प्रभावकारिता का दावा करने वाली दुनिया की पहली कपड़ा तकनीकों में से एक है।

HeiQ विरोब्लॉक NPJ03 (HeiQ Viroblock NPJ03):

- 'HeiQ Viroblock NPJ03' एक इंटेलीजेंस स्विस टेक्सटाइल तकनीक है जिसे कपड़ा निर्माण प्रक्रिया के अंतिम चरण के दौरान कपड़े में जोड़ा जाता है।
- यह उन्नत चाँदी एवं पुटिका प्रौद्योगिकी (Advanced Silver and Vesicle Technology) का एक विशेष संयोजन है।

आरोग्य पथ Aarogya Path

12 जून, 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Union Ministry of Science & Technology) ने 'सीएसआईआर नेशनल हेल्थकेयर सप्लाई चेन पोर्टल' आरोग्य पथ (Aarogya Path) लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस पोर्टल का उद्देश्य रियल टाइम आधारित स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- साथ ही यह पोर्टल स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों के निर्माताओं, आपूर्तिकर्त्ताओं को ग्राहकों के व्यापक नेटवर्क तक पहुँचने में मदद करेगा।
- स्वास्थ्य देखभाल संबंधी उत्पादों की एक ही जगह उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला यह एकीकृत सार्वजनिक पोर्टल ग्राहकों को प्रतिदिन महसूस किये जाने वाली कई कठिनाइयों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है।
  - इन कठिनाइयों में सीमित आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की पहचान करने में लगने वाला अधिक समय, वांछित समय-सीमा के भीतर उचित मूल्य पर मानकीकृत उत्पादों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं तक सीमित पहुँच, नवीनतम उत्पादों के बारे में जानकारी का अभाव इत्यादि शामिल हैं।

महत्त्व:

- यह पोर्टल स्वास्थ्य देखभाल संबंधी उत्पादों के निर्माताओं एवं आपूर्तिकर्त्ताओं को पूरी कुशलता से ग्राहकों के एक विस्तृत नेटवर्क तक पहुँचने, उनके एवं आस-पास के चिकित्सा जाँच केंद्रों, मेडिकल दुकानों, अस्पतालों इत्यादि जैसे माँग केंद्रों के बीच संपर्क की कमियों को दूर करने मदद करेगा।
- यह ग्राहकों की विस्तृत सूची एवं उत्पादों के लिये नई ज़रूरतों की वजह से व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर भी उपलब्ध कराएगा।
- यह अपर्याप्त पूर्वानुमान एवं अधिक विनिर्माण के कारण संसाधनों की बर्बादी को कम करने में मदद करेगा और नई प्रौद्योगिकियों की माँग के बारे में जागरूकता भी पैदा करेगा।

नोट :

केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान
Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants

औषधीय एवं सुगंधित पौधों की उपयोगिता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिये 'केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान' (Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants- CIMAP) ने औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा की।

थीम:

- इस प्रतियोगिता की थीम 'अपने औषधीय एवं सुगंधित पौधों को जानें' (Know your Medicinal and Aromatic Plants) है।

प्रमुख बिंदु:

- इस प्रतियोगिता में स्वदेशी पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी जबकि संस्थान ने बागवानी या सजावटी पौधों की तस्वीरों से बचने का अनुरोध किया है।
- इस प्रतियोगिता के माध्यम से CIMAP औषधीय पौधों के संरक्षण का संदेश भी देना चाहता है।

केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants- CIMAP):

- CIMAP, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की एक अग्रणी पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है।
- इसे मूल रूप से वर्ष 1959 में 'केंद्रीय भारतीय औषधीय पादप संगठन' (Central Indian Medicinal Plants Organisation- CIMPO) के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह संस्थान औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विज्ञान एवं व्यवसाय से संबंधित है।
- इसके चार शोध केंद्र बंगलुरु, हैदराबाद, पंतनगर एवं पुरारा (बागेश्वर, उत्तराखंड के पास) में स्थित हैं।
- इसका मुख्यालय लखनऊ (उत्तरप्रदेश) में है।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट
Stockholm International Peace Research Institute

15 जून, 2020 को एक प्रमुख रक्षा थिंक-टैंक 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' (Stockholm International Peace Research Institute- SIPRI) द्वारा जारी की गई ईयर बुक-2020 (Year Book-2020) के अनुसार, चीन एवं पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में अधिक परमाणु हथियार हैं।

प्रमुख बिंदु:

- SIPRI की ईयर बुक-2020 में चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 320 है जबकि पाकिस्तान एवं भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या क्रमश: 160 व 150 होने का अनुमान है।
- SIPRI के अनुसार, रूस के पास 6375 परमाणु हाथियार और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार के साथ इन दोनों देशों की वैश्विक परमाणु हथियारों में 90% से अधिक की भागीदारी है।
- जनवरी 2020 तक नौ परमाणु हथियार संपन्न देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रॉन्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, इज़रायल एवं उत्तर कोरिया के पास एक साथ कुल 13400 परमाणु हथियारों का अनुमान लगाया है। जबकि इन देशों के पास SIPRI द्वारा वर्ष 2019 में 13865 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया था।
- अप्रैल, 2020 में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में अमेरिका एवं चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश है जिसने सबसे अधिक सैन्य ज़रूरतों पर खर्च किया है।

नोट :

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट
(Stockholm International Peace Research Institute- SIPRI):

- SIPRI स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण एवं नि:शस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिये समर्पित है।
- वर्ष 1966 में स्थापित SIPRI नीति निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं, मीडिया एवं जागरूक नागरिकों के लिये पारदर्शी स्रोतों के आधार पर डेटा, डेटा विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करता है।

वारकरी संप्रदाय Varkari Sect

भगवान श्री विट्ठल (भगवान विष्णु का एक रूप) के भक्त को वारकरी (Varkari) कहते हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान वारकरी एक पंथ के रूप में स्थापित हुआ। वारकरी परंपरा 13वीं शताब्दी से महाराष्ट्र में हिंदू संस्कृति का हिस्सा रही है।

प्रमुख बिंदु:

- वारकरी संप्रदाय एक पूर्ण भक्ति संप्रदाय है जो शंकराचार्य के 'अद्वैत '(अद्वैतवाद) दर्शन में विश्वास करता है। ज्ञानदेव या ध्यानेश्वर (Dnyaneshwar) को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है जिन्होंने ज्ञानेश्वरी (Dnyaneshwari) लिखा था जो भागवत गीता का सरलीकृत संस्करण है।
- वारकरी का संबंध हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा से है, यह भक्ति आध्यात्मिक परंपरा के भीतर एक संप्रदाय है जिसका संबंध भौगोलिक रूप से महाराष्ट्र एवं उत्तरी कर्नाटक से है।
- वारकरी परंपरा का विकास दक्षिणी महाराष्ट्र में पंढरपुर के आसपास अधिक हुआ है।
- महाराष्ट्र की मराठी भाषा में 'वारी' का अर्थ है 'तीर्थयात्रा' और एक तीर्थयात्री को 'वारकरी' कहा जाता है।
  - प्रत्येक वर्ष वारकरी हिंदू चंद्र कैलेंडर के आषाढ़ माह में एकादशी के दिन पंढरपुर नामक पवित्र शहर में एकत्रित होते हैं।
  - एक अन्य तीर्थयात्रा कार्तिक महीने की एकादशी को संपन्न होती है।
- इस संप्रदाय में 'पंचदेवों' की पूजा की जाती है। किंतु वारकरी पंढरपुर में अपने इष्टदेव भगवान विठोबा (इन्हें विठ्ठल के रूप में भी जाना जाता है) की पूजा करते हैं। विठोबा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस कारण वारकरी वैष्णववाद संप्रदाय की एक शाखा है।
- वारकरी से जुड़े भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं गुरुओं में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, चोखामेला, गाडगे महाराज शामिल हैं जिन्हें 'संत' की उपाधि दी गई।

अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस International Albinism Awareness Day

प्रत्येक वर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस (International Albinism Awareness Day) मनाया जाता है।

थीम:

- वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम 'मेड टू साइन' (Made To Shine) है।
- इस थीम को दुनिया भर में रंगहीनता से ग्रस्त व्यक्तियों की उपलब्धियों एवं सफलताओं का जश्न मनाने के लिये चुना गया है।

उद्देश्य:

- इस दिवस का उद्देश्य रंगहीनता के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा रंगहीनता से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

प्रमुख बिंदु:

- पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तरह के रंगों के लोग पाए जाते हैं इनमें से कुछ प्राकृतिक रूप से काले या सफेद रंग के होते हैं तो कुछ व्यक्ति शरीर में कुछ विशेष तत्वों की कमी की वजह से रंगहीनता के शिकार हो जाते हैं।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर, 2014 को रंगहीनता के शिकार लोगों के साथ विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की थी।

रंगहीनता (Albinism):

- 'ऐल्बिनिज़म' शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'ऐल्बस' शब्द से हुई है जिसका अर्थ 'सफेद' होता है।
- इसे ऐक्रोमिया, ऐक्रोमेसिया, या ऐक्रोमेटोसिस (वर्णांधता या अवर्णता) भी कहा जाता है।
- यह मानव शरीर में मेलेनिन (Melanin) के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव में त्वचा, बाल एवं आँखों में रंजक या रंग के संपूर्ण या आंशिक अभाव द्वारा चिह्नित किया जाने वाला एक जन्मजात विकार है।

मेलेनिन (Melanin):

- मेलेनिन एक प्रकार का पदार्थ है जो हमारे शरीर में पाया जाता है।
- मेलेनिन की कितनी मात्रा मनुष्य की त्वचा में मौजूद है। इसी आधार पर मानव त्वचा के रंग का निर्धारण होता है।
- जब बच्चे का शरीर उचित मात्रा में मेलेनिन का निर्माण नहीं कर पता है तब बच्चे के बाल और आँखों का रंग हल्का हो जाता है।
- ऐल्बिनिज़म, वंशानुगत तरीके से 'रिसेसिव जीन एलील्स' (Recessive Gene Alleles) को प्राप्त करने के परिणामस्वरूप होता है और यह मानव सहित सभी रीढ़धारी जीवों को प्रभावित करता है।
- ऐल्बिनिज़म से प्रभावित जीवधारियों के लिये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द 'रजकहीन जीव' या एल्बिनो (Albino) है।
- जब माता और पिता दोनों के शरीर में ऐल्बिनिज़म जीन होते हैं तो उनसे पैदा होने वाले बच्चे को रंगहीनता या ऐल्बिनिज़म होने की संभावना अधिक होती है।
- भारत में वर्तमान में ऐल्बिनिज़म से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 1,00,000 है।

कैप्टन अर्जुन Captain Arjun

- भारतीय रेलवे के 'सेंट्रल रेलवे ज़ोन' ने रेल यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों की COVID-19 से संबंधित स्क्रीनिंग एवं निगरानी को तेज़ करने के लिये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित रोबोट 'कैप्टन अर्जुन' (Captain Arjun) लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- अर्जुन (Arjun) का पूर्ण रूप 'Always be Responsible and Just Use to be Nice' है।
- यह रोबोट मोशन सेंसर, एक PTZ कैमरा (Pan–Tilt–Zoom Camera) एवं एक डोम कैमरा (Dome Camera) से युक्त है।
  - ये कैमरे संदिग्ध एवं असामाजिक गतिविधि को ट्रैक करने के लिये 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम' (Artificial Intelligence Algorithms) का उपयोग करते हैं।

लाभ:

- यह नवाचार भारतीय रेलवे को COVID-19 के दौरान अपने सुरक्षा उपायों को आधुनिक बनाने में मदद करेगा।
- यह रोबोट ट्रेनों में सवार होने के दौरान यात्रियों को स्क्रीन करेगा और असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगा।

सेंट्रल रेलवे ज़ोन:

- सेंट्रल रेलवे ज़ोन भारतीय रेलवे के 17 ज़ोन में से एक है। इसका मुख्यालय मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में है।
- इसे भारत में पहली यात्री रेलवे लाइन के संचालन का गौरव प्राप्त है जो 16 अप्रैल, 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य संचालित की गई थी।

जूनटींथ Juneteenth

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 19 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा से मुक्ति रूप में जाना जाता है। इस छुट्टी के दिन को जूनटींथ (Juneteenth) नाम दिया गया है यानि इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जाना जाता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- जूनटींथ को जून महीने के पोर्टमैंटू (Portmanteau) के रूप में जाना जाता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संघीय अवकाश नहीं है इसे 45 से अधिक अमेरिकी राज्यों में राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पोर्टमैंटू (Portmanteau):

- पोर्टमैंटू दो भिन्न-भिन्न शब्दों की ध्वनियों का कुछ भाग ले कर बनाया गया तीसरा शब्द है। जूनटींथ, ऐसा ही एक शब्द है।
- यह दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में दासता की समाप्ति का राष्ट्रीय स्मरणोत्सव है और इसे 19 जून को मनाया जाता है।
- इसे दास्यमुक्ति दिवस (Emancipation Day) या जूनटींथ स्वतंत्रता दिवस (Juneteenth Independence Day) के रूप में भी जाना जाता है।
- 1 जनवरी, 1863 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 'दास्यमुक्ति प्रस्तावना' जारी की जिसमें घोषणा की गई कि अमेरिकी राज्यों के भीतर हो रहे विद्रोह में वे सभी व्यक्ति जिनको गुलाम बना कर रखा गया है वे स्वतंत्र किये जाएंगे।
  - किंतु लिंकन की उद्घोषणा के 2.5 वर्ष बाद भी कई दासों के मालिकों ने दासों से संबंधित जानकारी को छुपाकर रखा तथा दासों को आगामी फसल के लिये खेतों पर काम करने के उद्देश्य से उन्हें गुलाम बना कर रखा।
- 19 जून, 1865 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मेजर जनरल गॉर्डन ग्रेंजर (Major General Gordon Granger) टेक्सास के गैल्वेस्टन पहुँचे और गृह युद्ध एवं दासता दोनों की समाप्ति की घोषणा की थी। तब से जूनटींथ अफ्रीकी-अमेरिकियों के लिये स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्त्व करने वाला एक प्रतीकात्मक तारीख बन गया है।

मंकी पार्क Monkey Park

हाल ही में कर्नाटक के शरावती पश्चजल क्षेत्र (Sharavathi Backwaters Region) के निर्जन द्वीपों पर एक मंकी पार्क (Monkey Park) स्थापित करने की कर्नाटक सरकार की योजना का पर्यावरणविदों ने विरोध किया है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में बंदरों द्वारा कृषि एवं बागानी फसलों के नुकसान के मामलों में वृद्धि हुई है जिसके कारण कई किसान संगठनों ने माँग की थी कि राज्य सरकार इस समस्या का समाधान करे।
- इस समस्या के समाधान के रूप में कर्नाटक सरकार ने मंकी पार्क की स्थापना का निर्णय लेते हुए वर्ष 2020-21 के राज्य सरकार के बजट में 6.25 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

पर्यावरणविदों द्वारा विरोध:

- पर्यावरणविदों का तर्क है कि शरावती पश्चजल क्षेत्र में स्थित द्वीप वानस्पतिक दृष्टि से जैव-विविधता से समृद्ध हैं और यदि बंदरों को वहाँ पुनर्स्थापित किया गया तो वे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश मॉडल:

- हिमाचल प्रदेश में, बंदरों की समस्या से निपटने के लिये राज्य द्वारा संचालित अत्याधुनिक 'बंदर नसबंदी एवं पुनर्वास केंद्र' (Monkey Sterilisation And Rehabilitation Centres) स्थापित किये गए हैं।

फर्स्ट बेल पहल First Bell Initiative

दो सप्ताह के सफल परीक्षण के बाद केरल राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिये 'फर्स्ट बेल' नामक ऑनलाइन कार्यक्रम द्वारा नियमित कक्षाएँ प्रारंभ की गई है।

- COVID-19 महामारी के चलते शुरू की गई इस ऑनलाइन पहल के अंतर्गत केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (Kerala Infrastructure for Technical Education- KITE) द्वारा नए शैक्षणिक सत्र हेतु कक्षाओं का राज्य सरकार के शैक्षणिक टीवी चैनल विक्टर्स पर प्रसारण किया जा रहा है। ये कक्षाएँ अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से भी प्रसारित की जाएंगी।

नोट :

- KITE राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित और संवर्द्धित करने हेतु स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन (एक सेक्शन-8 कंपनी) है।

- परीक्षण हेतु इन कक्षाओं का प्रसारण 1 जून, 2020 से किया जा रहा था। परीक्षण के दौरान इस कार्यक्रम को छात्रों और अभिभावकों से काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ मिली और विक्टर्स वेबसाइट के माध्यम से एक ही दिन में 27 टेराबाइट (TB) डेटा डाउनलोड किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया, अमेरिका और यूरोप में भी सैकड़ों छात्रों द्वारा ये कक्षाएँ देखी गईं और कुछ कक्षाओं को 40 लाख से भी ज़्यादा लोगों से देखा।
- सभी कक्षाओं को वास्तविक समय में KITE विक्टर्स के फेसबुक पेज़ पर और बाद में यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है।

रज-पर्व Raja Parba

पूर्वी तटीय राज्य ओडिशा में तीन दिवसीय रज-पर्व मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन से वर्षा ऋतु का आगमन माना जाता है।

- इसे मिथुन संक्राति के रूप मनाया जाता है और ओडिशा में इसे रज पर्व के नाम से मनाया जाता है जो मुख्यत: धरती माँ और व्यापक स्तर पर स्त्रीत्त्व को समर्पित उत्सव है।
- उड़िया भाषा में रज शब्द का अर्थ है- मासिक धर्म। माना जाता है कि पृथ्वी भगवान जगन्नाथ की पत्नी है और धरती माता इस अवधि के दौरान तीन दिन के मासिक धर्म पर होती हैं।
- इसलिये इस पर्व पर पृथ्वी को नुकसान पहुँचाने वाली कोई भी गतिविधि जैसे- खेत की जुताई, टाइलिंग, निर्माण या कोई अन्य कार्य नहीं किया जाता है।
- पृथ्वी के मासिक धर्म चक्र के तीन दिवसीय रज-पर्व के पहले दिन को पहिली रज, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को बासी-रज कहा जाता है।
  - बसुमती स्नान के साथ इस पर्व का समापन होता है जिसका अर्थ होता है- पृथ्वी माता का स्नान।
  - इस दिन संध्याकाल में लोग धरती माता की प्रतिकृति के रूप में पत्थर के टुकड़ों को स्नान कराकर पूजा करते हैं और एक समृद्ध कृषि वर्ष हेतु प्रार्थना करते हैं।
- रज पर्व में धरती माता के मासिक धर्म को उत्सव की तरह मनाने की यह परंपरा इस तथ्य की स्वीकारोक्ति है कि अतीत में भी महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर समाज में कोई वर्जना नहीं थी और मासिक धर्म को प्रजनन क्षमता का प्रतीक मानकर स्त्रीत्त्व को दूसरे जीवन को जन्म देने की शक्ति माना जाता था।
- यह रज पर्व मानव जीवन में प्रकृति के महत्त्व और प्रकृति के संरक्षण हेतु मानव के कर्त्तव्य को रेखांकित करता है। यह पारस्परिक संबंध प्रकृति के संरक्षण के साथ-साथ सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये बहुत आवश्यक है।
- इसके अतिरिक्त यह पर्व स्त्री मुक्ति, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और लैंगिक न्याय के सतत् विकास लक्ष्य के अनुरूप है।

मैलाथियान Malathion

सार्वजनिक क्षेत्र की कीटनाशक विनिर्माता कंपनी एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड ने टिड्डियों के खतरे को नियंत्रित करने में सहायता करने के लिये ईरान को लगभग 25 टन मैलाथियान (95% अल्ट्रा-लॉ वॉल्यूम- ULV) की आपूर्ति की है।

- मैलाथियान एक रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य उत्पादक पौधों को कीड़ों से बचाने के लिये किया जाता है।
- मैलाथियान कृषि, आवासीय भू-निर्माण, सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कीट नियंत्रण कार्यक्रमों जैसे मच्छर उन्मूलन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला कीटनाशक है।
- मैलाथियान एक ऑर्गनोफॉस्फेट कीटनाशक है जो मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है क्योंकि ये अपरिवर्तनीय रूप से एक एंज़ाइम को अवरुद्ध करने का काम करते हैं जो कि कीड़ों और मनुष्यों दोनों में ही तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिये महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार मानव तंत्रिका तंत्र पर इनका नकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिलता है।

नोट :

टिड्डियों के संकट का सामना करने हेतु समन्वित प्रयास

- हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में व्यापक स्तर पर फसलों को नुकसान पहुँचाने के बाद डेज़र्ट टिड्डों ने मार्च-अप्रैल में भारत में प्रवेश किया और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कृषि फ़सलों, बागवानी फ़सलों और अन्य वृक्षारोपण को प्रभावित किया।
- भारत ने टिड्डियों के प्रजनन स्थल पर ही इन्हे नियंत्रित करने के लिये पहल शुरू की है और समन्वित प्रयासों के तहत ईरान और पाकिस्तान से संपर्क किया था। ईरान ने इस प्रस्ताव पर अपनी इच्छा व्यक्त की थी।
- इसी के अनुपालन में विदेश मंत्रालय ने ईरान को 25 टन मैलाथियान 95% ULV के निर्माण और आपूर्ति के लिये HIL को आर्डर दिया था।
  - खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की रिपोर्टों के अनुसार, टिड्डे के हॉपर चरण की आबादी ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, जो आने वाले महीनों में भारत में फसल के नुकसान का कारण बन सकती है।
- एचआईएल देश में भी टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिये मैलाथियान 95% ULV की आपूर्ति कर रहा है। वर्ष 2019 से अब तक, कंपनी ने इस कार्यक्रम के लिये 600 टन से अधिक मैलाथियान की आपूर्ति की है।

ताल-मद्दले Talamaddale

COVID-19 महामारी के दौरान, 'ताल-मद्दले' जो कि यक्षगान रंगमंच की एक पारंपरिक कला का प्रदर्शन भी वर्चुअल रूप से किया जाने लगा है।

- ताल मद्दले, में कलाकार किसी भी वेशभूषा में मंच पर एक स्थान पर बैठ कर चुने गए कथानक के आधार पर अपनी वाक् कला का प्रदर्शन करता है।
- यह यक्षगान का एक पारंपरिक कला रूप तो है लेकिन इसमें नृत्य या विशेष वेशभूषा के बिना शब्द बोले जाते हैं। जबकि, यक्षगान में प्रदर्शन के दौरान कलाकार को विशेष वेशभूषा धारण करनी होती है तथा नृत्य अभिनय का प्रदर्शन करना होता है।
- कला का यह रूप दक्षिण भारत के कर्नाटक तथा केरल के करावली एवं मलनाड क्षेत्रों में प्रचलित है।

यक्षगान (Yakshagana)

- कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में किया जाने वाला यह प्रसिद्ध लोकनाट्य है।
- यक्षगान का शाब्दिक अर्थ है- यक्ष के गीत। कर्नाटक में यक्षगान की परंपरा लगभग 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है।
- इसमें संगीत की अपनी शैली होती है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत 'कर्नाटक' और 'हिंदुस्तानी' शैली दोनों से अलग है।
- यह संगीत, नृत्य, भाषण और वेशभूषा का एक समृद्ध कलात्मक मिश्रण है, इस कला में संगीत नाटक के साथ-साथ नैतिक शिक्षा और जन मनोरंजन जैसी विशेषताओं को भी महत्त्व दिया जाता है।
- यक्षगान की कई सामानांतर शैलियाँ हैं जिनकी प्रस्तुति आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में की जाती है।
- इसकी सबसे लोकप्रिय प्रस्तुतियाँ महाभारत (अर्थात् द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्रा विवाह, अभिमन्यु वध, कर्ण-अर्जुन पद) और रामायण से (अर्थात् राजयभिषेक, लव-कुश युद्ध, बाली-सुग्रीव पद और पंचवटी) से प्रेरित हैं।
- गोम्बेयेट्टा कठपुतली रंगमच/नाट्य (Gombeyatta Puppet Theatre) यक्षगान का सबसे निकट अनुसरण करता है।

भारत में रंगमंच के अन्य महत्वपूर्ण रूप:

- नौटंकी (उत्तर प्रदेश) जो अक्सर अपने विषयों के लिये फारसी साहित्य पर आधारित होता है।
- तमाशा (महाराष्ट्र)
- भवाई (गुजरात)
- जात्रा (पश्चिम बंगाल)
- कूडियाट्टम, केरल के सबसे पुराने पारंपरिक रंगमंच रूपों में से एक है, जो संस्कृत रंगमंच परंपराओं पर आधारित है

नोट :

- मुदियेट्टू, केरल का पारंपरिक लोक रंगमंच
- भाओना, (असम)
- माच (मध्य प्रदेश)
- भांड पाथेर, कश्मीर का पारंपरिक रंगमंच

मैगल्लानोडॉन बैकाश्केनके Magallanodon Baikashkenke

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने दक्षिण अमेरिकी देश चिली के पैटागोनिया (Patagonia) में मैगल्लानोडॉन बैकाश्केनके (Magallanodon Baikashkenke) नामक स्तनधारी से संबंधित जीव के अवशेषों का पता लगाया है जो लगभग 74 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निवास करते थे।

प्रमुख बिंदु:

- चिली के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम (Natural History Museum of Chile) के बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, ये स्तनपायी छोटे थे और क्रिटेशियस युग (Cretaceous Era) के दौरान दक्षिणी पैटागोनिया में डायनासोर, मगरमच्छ, कछुए एवं पक्षियों के साथ रहते थे।
  - प्राप्त हुए ये अवशेष गोंडवानथेरिया (Gondwanatheria) समूह से संबंधित हैं जो लंबे समय से विलुप्त होने वाले शुरुआती स्तनधारियों का एक समूह है जो डायनासोर के साथ सह-अस्तित्व में रहते थे। माना जाता है कि क्रिटेशियस युग से गोंडवानथेरिया जीवों के अवशेष मिलने अत्यंत कम हो गए हैं।
- ये अवशेष पृथ्वी पर अब तक खोजे गए सबसे पुराने अवशेषों में से एक हैं।
- इन अवशेषों के रूप में शोधकर्त्ताओं ने मैगल्लानोडॉन बैकाश्केनके प्रजाति के जीवों के छोटे दाँतों की खोज 'टॉरस डेल पाइन नेशनल पार्क' (Torres del Paine National Park) के पास की।

टॉरस डेल पैने नेशनल पार्क (Torres del Paine National Park):

- यह दक्षिणी चिली के पैटागोनिया में पहाड़ों, ग्लेशियरों, झीलों एवं नदियों के बीच स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है।
- 'कॉर्डिलेरा डेल पाइन' (Cordillera del Paine) इस पार्क का केंद्र बिंदु है। यह मैगेलैनिक सबपोलर जंगलों (Magellanic Subpolar Forests) और पैटागोनियन स्टेपीज़ (Patagonian Steppes) के बीच एक संक्रमण क्षेत्र में स्थित है।

गोंडवानथेरिया (Gondwanatheria):

- गोंडवानथेरिया स्तनधारियों का एक विलुप्त समूह है जो ऊपरी क्रिटेशियस युग (Upper Cretaceous Era) से लेकर एओसीन (Eocene) के अंत तक पृथ्वी पर रहते थे।
- वे दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित महाद्वीपों में रहते थे जो गोंडवाना लैंड (Gondwana) का हिस्सा था।
- इन स्तनधारियों को केवल पृथक दाँतों एवं कुछ निचले जबड़े से पहचाना जाता है। इन खंडित अवशेषों के कारण इन जीवों की पहचान अत्यंत अस्पष्ट हैं।

बेबी ड्रैगन Baby Dragon

स्लोवेनिया (Slovenia) की प्रसिद्ध पोस्टोज्ना गुफाओं (Postojna Caves) में आने वाले पर्यटक जल्द ही तीन बेहद दुर्लभ जलीय जीवों को देख पाएंगे जिन्हें 'बेबी ड्रैगन' (Baby Dragon) के नाम से जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- आधिकारिक रूप से इन जीवों को ओल्म (Olm) कहा जाता है यह उपनाम इन प्राणियों ने मध्ययुगीन काल के दौरान अर्जित किया जब स्थानीय लोगों का मानना था कि वे छिपकली जैसे दिखने के कारण ड्रैगन के वंशज थे।

नोट :

- इन तीनों ओल्म (Olm) को एक विशेष भूमिगत एक्वेरियम में रखा जाएगा जहाँ आम जनता उन्हें पहली बार वर्ष 2016 में देखने के बाद देख पाएगी।

ओल्म (Olm):

- सामान्य तौर पर ओल्म एक दशक में केवल एक या दो बार अंडे देता है।
- ये गुलाबी ईल जैसे जीव पूरी तरह से अंधे होते हैं और अक्सर अपने लंबे पतले शरीर एवं चार पैरों के कारण उन्हें 'मानव मछली' (Human Fish) कहा जाता है।
- ओलम्स (Olms) विशेष रूप से दक्षिणी यूरोपीय कार्स्ट क्षेत्र में अंधेरी गुफाओं के जल में पाए जाते हैं। ये लंबाई में एक फुट तक बढ़ सकते हैं।
- इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया है।
- शोधकर्त्ताओं का दावा है कि ओल्म्स (Olms) एक मिलियन से अधिक वर्षों से पोस्टोज्ना गुफा में रह रहे हैं।

सिज़ोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस Schizothorax Sikusirumensis

हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति सिज़ोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस (Schizothorax Sikusirumensis) खोजी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- मछली की यह नई प्रजाति सिज़ोथोरैक्स (Schizothorax) वर्ग से संबंधित है।
- इस नई प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग (East Siang) ज़िले में बहने वाली नदियों [सिकु (Siku) एवं सिरुम (Sirum)] के नाम पर रखा गया है जहाँ से इसे खोजा गया था।
  - सिरुम नदी एक ब्राकिश माउंटेन नदी (Brakish Mountain River) है।
  - सिकु (Siku), सिरुम (Sirum), सिबिया (Sibiya), सिलुक (Siluk), न्गोपोक कोरोंग (Ngopok Korong), टारो टमक (Taro Tamak) आदि अरुणाचल प्रदेश के मेबो सब-डिविजन (Mebo Sub-Division) में सियांग नदी की सहायक नदियाँ हैं।
- मछली की यह नई प्रजाति मूसलाधार नदी के जल भराव वाले क्षेत्र में निवास करती है।

विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस
World Day to Combat Desertification and Drought

प्रत्येक वर्ष 17 जून को 'विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस' (World Day to Combat Desertification and Drought) मनाया जाता है।

थीम:

- इस वर्ष इस दिवस की थीम 'फूड-फीड-फाइबर' (Food-Feed-Fibre) है।

उद्देश्य:

- इस दिवस का उद्देश्य मरुस्थलीकरण एवं सूखे की चुनौती से निपटने के लिये किये जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है।
- इस दिवस के अन्य उद्देश्यों में विशेष रूप से अफ्रीका महाद्वीप में गंभीर सूखे या मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देशों में संयुक्त राष्ट्र के मरुस्थलीकरण रोकने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मज़बूत करना है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस (Desertification and Drought Day) को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस' के रूप में घोषित किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस- 2020 मुख्य रूप से 'उपभोग एवं भूमि के बीच संबंधों' पर केंद्रित होगा।
- उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर 23% भूमि अब उत्पादक नहीं है और 75% भूमि को उसकी प्राकृतिक स्थिति से बदल कर कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। भूमि उपयोग के इस परिवर्तन में पिछले 50 वर्षों में अधिक तेज़ी आई है।

मोबाइल आई-लैब Mobile I-LAB

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने COVID-19 के परीक्षण की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिये भारत का पहला मोबाइल आई-लैब (Mobile I-LAB) लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक संक्रामक रोग नैदानिक प्रयोगशाला है जिसे देश के सुदूर, आंतरिक एवं दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।
- इस लैब की क्षमता सीजीएचएस (Central Government Health Scheme) दरों पर प्रतिदिन 25 COVID-19 आरटी-पीसीआर परीक्षण, 300 एलिसा परीक्षण के अतिरिक्त टी.बी. एवं HIV परीक्षण की है।
- संक्रामक रोग नैदानिक प्रयोगशाला (I-LAB), COVID कमांड रणनीति के तहत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Union Ministry of Science & Technology) के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology) द्वारा समर्थित है।
- इस प्रकार सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 699 एवं निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ कर 254 हो गई है।

सलामी-स्लाइसिंग रणनीति Salami-Slicing Tactics

भारत और चीन के मध्य हालिया तनाव के मद्देनज़र एक बार पुन: चीन की सलामी-स्लाइसिंग रणनीति (Salami-Slicing Tactics) चर्चा के केंद्र बिंदु में है।

प्रमुख बिंदु:

- सैन्य बोलचाल की भाषा में 'सलामी-स्लाइसिंग' शब्द ऐसी रणनीति के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें अपने खिलाफ हो रहे विरोध को समाप्त करने एवं नए क्षेत्रों को हासिल करने के लिये खतरों एवं गठबंधनों की प्रक्रिया को विभाजित करना तथा उन पर जीत हासिल करना शामिल है अर्थात् एक संचित प्रक्रिया के माध्यम से एक बहुत बड़ी कार्यवाही को अंजाम देना है।

चीन के संदर्भ में सलामी स्लाइसिंग रणनीति:

- चीन के संदर्भ में सलामी स्लाइसिंग दक्षिण चीन सागर एवं हिमालयी क्षेत्रों में क्षेत्रीय विस्तार की रणनीति को दर्शाता है। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि डोकलाम गतिरोध हिमालयी क्षेत्र में चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति का ही परिणाम था और हाल ही में गलवान घाटी में गतिरोध भी चीन की इसी रणनीति का परिणाम है।
- विश्लेषकों का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों के क्षेत्राधिकार वाले देशों में अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दे रहा है। यह विस्तार क्षेत्रीय एवं समुद्री दोनों क्षेत्रों में हुआ है।
- तिब्बत का अधिग्रहण, अक्साई चिन पर कब्ज़ा और पार्सेल द्वीपों का अधिग्रहण चीनी विस्तारवादी नीति के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।

भारत का वह स्थान जहाँ चीन सलामी स्लाइसिंग रणनीति का प्रयोग कर रहा है:

- पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किमी. क्षेत्र पर चीन इस रणनीति का प्रयोग करता है भारत के इस भाग को वह 'दक्षिण तिब्बत' कहता है।

नोट :

- इसी प्रकार चीन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू-कश्मीर के छोटे क्षेत्रों पर भी अपना दावा करता है।
- उल्लेखनीय है कि चीन डोकलाम पठार पर नज़र गड़ाए हुए है क्योंकि यहाँ से वह भारत के सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर नज़र रख सकता है। गौरतलब है कि सिलिगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।

हॉग बैजर Hog Badger

हाल ही में पहली बार पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य से प्राप्त हुए हॉग बैजर (Hog Badger) के तीन शावकों को पोषण के लिये सेपाहीजला वन्यजीव अभयारण्य (Sepahijala Wildlife Sanctuary) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस प्रजाति में सुअर एवं भालू दोनों की विशेषताएँ पाई जाती हैं। यह छोटे फलों एवं जानवरों को खाता है।
- वर्ष 2019 में इन्हें पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में देखा गया था।
- हॉग बैजर का वैज्ञानिक नाम आर्कटॉनिक्स कॉलरिस (Arctonyx Collaris) है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित प्रजाति (Vulnerable Species) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

सेपाहीजला वन्यजीव अभयारण्य (Sepahijala Wildlife Sanctuary)

- अगरतला शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेपाहीजला वन्यजीव अभयारण्य, त्रिपुरा राज्य के चार अभयारण्यों में सबसे बड़ा है।
- यह अभयारण्य कृत्रिम झील तथा प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणि उद्यान से घिरा हुआ है।
- यह अभयारण्य तेंदुए के बाड़ों के लिये प्रसिद्ध है।

ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट Great Oxidation Event

हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस (Nature Communications) नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि पृथ्वी के आतंरिक भाग में मेंटल का विकास न केवल वायुमंडल के विकास को नियंत्रित कर सकता था बल्कि जीवन के विकास को भी नियंत्रित कर सकता था।

- अध्ययन के अनुसार, 'ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट' (Great Oxidation Event) से पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद थी किंतु यह वायुमंडल में संकेंद्रित नहीं हो सकी।

प्रमुख बिंदु:

- वायुमंडल में ऑक्सीजन के संकेंद्रित न होने का मुख्य कारण ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित गैसों की बड़ी मात्रा के साथ ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया थी।
  - जब ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं तो उनसे बड़ी मात्रा में गैसों का वायुमंडल में उद्गार होता हैं। इन गैसों की प्रकृति पृथ्वी के मेंटल में सामग्रियों की प्रकृति पर निर्भर करती है।
  - ज्वालामुखी उद्गार के लगातार जारी रहने के कारण इससे बाहर आने वाली सामग्री का उत्पादन कम होता गया जिसने आसानी से ऑक्सीजन के साथ संयोजन किया। और पृथ्वी का मेंटल अधिक से अधिक ऑक्सीकृत होता गया।
- समय के साथ विभिन्न जीवन-रूपों द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन वातावरण में जमा होती गई। इससे 'ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट' की शुरुआत हुई जिससे जटिल जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट (Great Oxidation Event):

- माना जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की घटना हुई।
- यह घटना ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले साइनोबैक्टीरिया के कारण संभव हो सकी जो 2.3 अरब वर्ष पहले बहुकोशिकीय रूपों में थे।

नोट :

- साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव माने जाते हैं। ये जीव आज भी महासागरों एवं गर्म क्षेत्रों में मौजूद हैं। इन जीवों ने ऑक्सीजन का उत्पादन करके और बहुकोशिकीय रूपों में विकसित होकर साँस लेने वाले जीवों के उद्भव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, समुद्र एवं वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि से कुछ ही समय पहले बहुकोशिकीयता (Multicellularity) विकसित हुई थी।

सत्यभामा SATYABHAMA

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री (Union Minister of Coal & Mines) ने 15 जून, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिये खान मंत्रालय (Ministry of Mines) की 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोग्राम स्कीम' (Science and Technology Programme Scheme) के तहत सत्यभामा (SATYABHAMA) पोर्टल लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- सत्यभामा (SATYABHAMA) का पूर्ण रूप 'Science And Technology Yojana for Aatmanirbhar Bharat in Mining Advancement' (खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना) है।
- इस पोर्टल का डिज़ाइन, विकास एवं कार्यान्वयन माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिविज़न (Mines Informatics Division) के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre- NIC) द्वारा किया गया है।
- वर्तमान प्रणाली के विपरीत जहाँ खनन कार्यों से संबंधित अनुसंधान प्रस्ताव वैज्ञानिकों/शोधकर्त्ताओं द्वारा भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है वहीं सत्यभामा पोर्टल खनन परियोजनाओं की निगरानी एवं अनुदान के उपयोग के साथ-साथ परियोजना प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्तुति में सक्षम बनाएगा।
- इस पोर्टल में शोधकर्त्ता इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एवं अंतिम तकनीकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
- इसके अलावा इस पोर्टल पर एक यूजर मैनुअल भी उपलब्ध है जहाँ खनन परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति के लिये कदमवार प्रक्रियाओं को रेखांकित किया गया है।
- इस पोर्टल को नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल (NGO Darpan Portal) से समेकित किया गया है।

एनजीओ दर्पण पोर्टल (NGO Darpan Portal):

- एनजीओ दर्पण पोर्टल की शुरुआत पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा की गई थी जिसे 1 जनवरी, 2015 को बदलकर नीति आयोग (NITI Aayog) कर दिया गया था।
- नीति आयोग इस पोर्टल पर साइन-अप करने के लिये सभी स्वैच्छिक संगठनों (VOs)/गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को आमंत्रित करता है।
- यह पोर्टल स्वैच्छिक संगठनों (VOs)/गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को स्पष्ट तरीके से नामांकन करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार स्वैच्छिक संगठनों (VOs)/गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) तथा क्षेत्रों एवं राज्यों के बारे में सूचना संग्रह की सुविधा प्रदान करता है।

उर्जित पटेल Urjit Patel

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल (Urjit Patel) को 19 जून, 2020 को 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी' (National Institute of Public Finance and Policy- NIPFP) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- उर्जित पटेल पूर्व नौकरशाह विजय केलकर की जगह लेंगे जिन्होंने लगभग 6 वर्ष तक NIPFP की अध्यक्षता की है।
- उर्जित पटेल 22 जून, 2020 को NIPFP की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे और इनका कार्यकाल चार वर्ष का होगा।

नोट :

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी
(National Institute of Public Finance and Policy- NIPFP):

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (NIPFP) भारत का एक प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक है।
- NIPFP वित्त मंत्रालय (भारत सरकार), पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं कई राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 1976 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
- यह एक स्वतंत्र गैर-सरकारी संस्था है और यह सरकारों की सार्वजनिक नीति में अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा केंद्र एवं राज्यों सरकार को सलाह देता है।
- NIPFP की गवर्निंग काउंसिल में राजस्व सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा नीति आयोग, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और तीन राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

उल्लेखनीय है कि उर्जित पटेल ने 5 सितंबर, 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया था और कार्यकाल पूरा होने के लगभग 10 महीने पहले ही 10 दिसंबर, 2018 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था।

सिविल सेवा बोर्ड Civil Services Board

हाल ही में पंजाब सरकार ने IAS अधिकारियों को एक निश्चित कार्यकाल प्रदान करने के लिये सिविल सेवा बोर्ड (Civil Services Board- CSB) को सूचित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- सिविल सेवा बोर्ड, प्रवेश स्तर की भर्ती और संयुक्त सचिव स्तर से कम रैंक वाली नौकरी में पदोन्नति के लिये ज़िम्मेदार है।
- 2 जून की पंजाब सरकार की अधिसूचना के अनुसार, CSB की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे और इसके सदस्यों में कार्मिक सचिव के साथ या तो वित्तीय आयुक्त (राजस्व) या गृह सचिव (वरिष्ठता के आधार पर) शामिल होंगे।
- सिविल सेवा बोर्ड राज्य कैडर के अधिकारियों के लिये कम-से-कम दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करने का प्रावधान करता है।
- इस निश्चित कार्यकाल से पहले उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है और यदि कोई उनके स्थानांतरण की सिफारिश करता है तो बोर्ड उसकी जाँच करेगा और इससे संबंधित निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मुख्यमंत्री के पास है।

गौरतलब है कि पंजाब में पिछली सरकार ने आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण पर राज्य के विशेषाधिकार से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करने से इंकार कर दिया था और इसके पीछे तर्क दिया था कि यदि उनका कार्यकाल तय होता है तो यह न केवल कार्यात्मक एवं प्रशासनिक समस्याएँ पैदा करेगा बल्कि राज्य सरकार के प्राधिकारों एवं अधिकार क्षेत्र को भी खत्म कर देगा।

नेर्विलिया सिंगापोरेंसिस Nervilia Singaporensis

सिंगापुर में आर्किड (Orchid) मूल की एक नई प्रजाति नेर्विलिया सिंगापोरेंसिस (Nervilia Singaporensis) को बुकिट तिमाह नेचर रिज़र्व (Bukit Timah Nature Reserve) में खोजा गया।

प्रमुख बिंदु:

- नेर्विलिया वर्ग की प्रजातियों को सिंगापुर में स्थानीय रूप से विलुप्त मान लिया गया था। इस वर्ग की प्रजाति को अंतिम बार वर्ष 1889 में देखा गया था।
- नेर्विलिया सिंगापोरेंसिस (Nervilia Singaporensis) एक अद्वितीय फूल के आकार का होता है जो एक नुकीले सिरे एवं फूलों की तरह तिरछा होता है जो कभी खुलता नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि इसे पुनुरुत्पादन करने के लिये आत्म-परागण (Self-Pollinate) करना पड़ता है।
- यह प्रजाति 9 सेमी. तक बढ़ती है। यह प्रजाति राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर बहुत कम दिखाई देती है क्योंकि यह कम मात्रा में बीज उत्पन्न करता है जिससे इसका प्रसारित होना मुश्किल हो जाता है।

नोट :

- नेर्विलिया सिंगापोरेंसिस (Nervilia Singaporensis) की खोज से पहले सिंगापुर में ज़िन्गिबेर सिंगापुरेंसे (Zingiber Singapurense), हेंगुआना रूबिनेआ (Hanguana Rubinea), हेंगुआना त्रिंगुलता (Hanguana Triangulata) और स्प्लेशनोब्रयुम टेमासेकेंसिस (Splachnobryum Temasekensis) सहित चार स्थानिक पौधे थे।

बुकिट तिमाह नेचर रिज़र्व (Bukit Timah Nature Reserve):

- बुकिट तिमाह नेचर रिज़र्व सिंगापुर में 1.64 वर्ग किलोमीटर में फैला एक प्रकृति रिज़र्व है जो सिंगापुर की सबसे ऊंची पहाड़ी 'बुकिट तिमाह हिल' (Bukit Timah Hill) की ढलान पर स्थित है।

गोल्डन लंगूर Golden Langur

हाल ही में प्राइमेटोलॉजिस्टों (Primatologists) ने पता लगाया है कि बंदर की एक लुप्तप्राय प्रजाति गोल्डन लंगूर (Golden Langur) जो केवल भारत के असम राज्य एवं भूटान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, में इलेक्ट्रिक शॉक के कारण गर्भपात की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

प्रमुख बिंदु:

- गोल्डन लंगूर भारत के असम राज्य एवं भूटान के अर्द्ध-सदाबहार एवं मिश्रित-पर्णपाती वनों में निवास करता है।
- गोल्डन लंगूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये पेड़ों के ऊपरी कैनोपी (Upper Canopy) का उपयोग करते है किंतु इनके रास्ते में 3-फेस इलेक्ट्रिक तार पड़ने के कारण इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा बना रहता है।
- भारत के असम राज्य में गोल्डन लंगूर का क्षेत्र तीन नदियों (दक्षिण में ब्रह्मपुत्र, पूर्व में मानस और पश्चिम में संकोश (Sonkosh) नदी) से घिरा हुआ है। जबकि इनकी उत्तरी सीमा भूटान मं समुद्र तल से 2,400 मीटर ऊँची पहाड़ियाँ है।

संकोश (Sonkosh) नदी:

- संकोश नदी का उद्गम उत्तरी भूटान से होता है और यह भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसे स्वर्णकोशा नदी भी कहा जाता है।
- भूटान में इसे, वांगड्यू फोडरंग (Wangdue Phodrang) शहर के पास कई सहायक नदियों के संगम के बाद पुना त्सांग चु (Puna Tsang Chu) के नाम से जाना जाता है।
- भारत में प्रवेश करने के बाद यह असम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती है।

मानस नदी:

- मानस नदी दक्षिणी भूटान एवं भारत के बीच हिमालय की तलहटी में बहने वाली एक परवर्ती नदी है।
- इस नदी की कुल लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले यह 24 किलोमीटर तिब्बत (चीन), 272 किलोमीटर भूटान में और 104 किलोमीटर भारत के असम राज्य में बहती है।
- यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है।
- वर्ष 2019 में भूटान में हुई गोल्डन लंगूर जनगणना में वर्ष 2009 की तुलना में 62% गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2009 में असम में इनकी आबादी लगभग 5,140 थी किंतु COVID-19 के मद्देनज़र राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इस वर्ष की जनगणना पूरी नहीं हो सकी।

गोल्डन लंगूर (Golden Langur):

- वैज्ञानिक नाम: ट्रेचयपिथेकस जीई (Trachypithecus geei)
- क्षेत्र: पश्चिमी असम (भारत) एवं भूटान के ब्लैक माउंटेन की तलहटी में
- IUCN की रेड लिस्ट में स्थिति: लुप्तप्राय प्रजाति (Endangered Species)

नोट :

छोलुंग सुकफा Chaolung Sukapha

19 जून, 2020 को असम के मुख्यमंत्री ने कोलकाता के एक राजनीतिक टिप्पणीकार गरगा चटर्जी (Garga Chatterjee) को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जिन्होंने छोलुंग सुकफा (Chaolung Sukapha) को 'चीनी आक्रमणकारी' बताया था।

प्रमुख बिंदु:

- छोलुंग सुकफा 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य (Ahom kingdom) के संस्थापक थे जिसने छह शताब्दियों तक असम पर शासन किया था।
- समकालीन विद्वान छोलुंग सुकफा को बर्मा मूल का बताते हैं जो अहोमों का नेता था और लगभग 9,000 अनुयायियों के साथ 13वीं शताब्दी में ऊपरी बर्मा से असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुँचा था।
- 'ए हिस्ट्री ऑफ असम' नामक अपनी किताब में सर एडवर्ड गैट (Sir Edward Gait) ने लिखा है कि वर्ष 1235 में सुकफा एवं उनके लोग वर्षों तक भटकने के बाद ऊपरी असम के चाराइदेव (Charaideo) में आकर बस गए।
  - चाराइदेव ही वह स्थान था जहाँ सुकफा ने अपनी पहली छोटी रियासत की स्थापना की। यहीं से अहोम साम्राज्य के विस्तार का बीज बोया गया।
- अहोम साम्राज्य के संस्थापकों की अपनी भाषा एवं धर्म था। धीरे-धीरे अहोमों ने हिंदू धर्म एवं असमिया भाषा को स्वीकार कर लिया।
- विद्वानों का मानना है कि अहोमों ने यहाँ रहने वालों पर अपना प्रभाव डालने के बजाय यहाँ रहने वाले समुदायों की भाषा, धर्म एवं संस्कारों को अपनाया।
- सुकफा का महत्त्व विशेषकर आज के असम में विभिन्न समुदायों एवं जनजातियों को आत्मसात करने के उसके सफल प्रयासों में निहित है।
  - उन्हें व्यापक रूप से 'बोर असोम' (Bor Asom) या 'ग्रेटर असम' (Greater Assam) के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है।
  - सुकफा एवं उसके शासन की याद में असम में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को 'असोम दिवस' (Asom Divas) मनाया जाता है।

'नेशनल टेस्ट अभ्यास' मोबाइल एप National Test Abhyas Mobile App

केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency- NTA) ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप (National Test Abhyas Mobile App) पर हिंदी भाषा में भी मॉक टेस्ट देने की सुविधा शुरू की।

प्रमुख बिंदु:

- इस एप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है जो उम्मीदवारों को NTA के दायरे में JEE main और NEET जैसी आगामी परीक्षाओं के लिये मॉक टेस्ट देने में सक्षम बनाता है।
- इस एप को उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट हेतु उम्मीदवारों की पहुँच की सुविधा के लिये लॉन्च किया गया है क्योंकि COVID-19 के मद्देनज़र राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिए जाने से प्रतियोगी छात्रों को आगामी परीक्षाओं के लिये मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
- हिंदी माध्यम वाले प्रतियोगी परीक्षा के छात्र अब NTA द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप पर जारी हिंदी भाषा में मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं।

नेशनल पीपल्स पार्टी National People's Party

हाल ही में मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्त्व वाली सरकार से नेशनल पीपुल्स पार्टी (National People's Party-NPP) के उप-मुख्यमंत्री वाई जॉय कुमार समेत नेशनल पीपुल्स पार्टी के चार मंत्री इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- नेशनल पीपुल्स पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है हालाँकि इसका ज्यादातर प्रभाव मेघालय राज्य में केंद्रित है।
- जुलाई 2012 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party- NCP) से निष्कासन के बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना पी. ए. संगमा ने की थी।
- इसे 7 जून, 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल है जिसने यह दर्जा हासिल किया है।
  - नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिह्न 'किताब' है।
    - उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाने के बाद देश में किसी भी अन्य राजनीतिक दल या प्रत्याशी को उस राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया जाता है।
  - राष्ट्रीय राजनीतिक दल को दिल्ली में पार्टी कार्यालय और राजनीतिक गतिविधियों के लिये जमीन आवंटन केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है।

माउंट मेरापी Mount Merapi

21 जून, 2020 को इंडोनेशिया के एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी (Mount Merapi) में दो बार विस्फोट हुआ।

प्रमुख बिंदु:

- माउंट मेरापी मध्य जावा एवं इंडोनेशिया के याग्याकार्टा (Yogyakarta) प्रांतों के एक विशेष क्षेत्र के मध्य की सीमा पर स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी (Active Strato Volcano) है।
  - ज्वालामुखी प्राय: एक छिद्र अथवा खुला भाग होता है, जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भाग से गैस, तरल लावा, जल, चट्टानों के टुकड़ों आदि से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होता है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ उद्गार की प्रवृत्ति तथा निस्सृत पदार्थों के प्रकार पर निर्भर करती हैं।

सक्रिय ज्वालामुखी:

- वे ज्वालामुखी जिनसे समय-समय पर मैग्मा निकलता रहता है या वर्तमान में उद्गार हो रहे हैं जैसे- लिपारी द्वीपसमूह (इटली) का स्ट्राम्बोली (इसे भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है।)

स्ट्रेटो ज्वालामुखी:

- स्ट्रेटो ज्वालामुखी, जिसे समग्र ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है, एक शंक्वाकार ज्वालामुखी है जो कठोर लावा, टेफ्रा, प्यूमिस और राख की कई परतों द्वारा निर्मित होता है।
- इससे पहले वर्ष 2019 में माउंट मेरापी में हुए ज्वालामुखी विस्फोट में 300 से अधिक लोग मारे गए थे।
  - उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर (Ring of Fire) में अवस्थित है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक विशाल क्षेत्र है जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स आकर मिलती हैं।
  - इस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में 17,000 से अधिक द्वीप एवं द्वीप समूह शामिल हैं और इसमें लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं।

कोविफोर Covifor

हाल ही में एक प्रमुख जेनेरिक दवा कंपनी हेटेरो (Hetero) ने COVID-19 के उपचार के लिये 'ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (Drug Controller General of India- DCGI) से जाँच संबंधी एंटीवायरल दवा 'रेमडेसिविर' (Remdesivir) के विनिर्माण एवं विपणन के लिये अनुमोदन प्राप्त किया है।

- उल्लेखनीय है कि रेमडेसिविर के जेनेरिक संस्करण को भारत में ब्रांड नाम 'कोविफोर' (COVIFOR) के तहत बेचा जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि इससे पहले 'ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (DCGI) ने ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स को वैश्विक महामारी COVID-19 से पीड़ित मरीज़ों पर फैवीपिराविर एंटीवायरल टेबलेट्स (Favipiravir Antiviral Tablets) के चिकित्सीय परीक्षण करने की अनुमति दी है।

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drug Controller General of India- DCGI):

- ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारतीय दवा नियामक संस्था केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization-CDSCO) का प्रमुख होता है।
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation- CDSCO) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (NRA) है।
- देश भर में इसके छह ज़ोनल कार्यालय, चार सब-ज़ोनल कार्यालय, तेरह पोर्ट ऑफिस और सात प्रयोगशालाएँ हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

प्रेसेना ग्लेशियर Presena glacier

हाल ही में पर्यावरणीय संरक्षणवादियों के एक दल ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी इटली में प्रेसेना ग्लेशियर (Presena Glacier) को पिघलने से रोकने के लिये इसके 100,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में जियोटेक्सटाइल तिरपाल शीट बिछाने की प्रक्रिया शुरू की।

प्रमुख बिंदु:

- स्की सीज़न (Ski Season) की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत के साथ ही यह 6 सप्ताह की प्रक्रिया (ग्लेशियर संरक्षण की प्रक्रिया) प्रत्येक वर्ष दोहराई जाती है।
  - जबकि प्रेसेना ग्लेशियर पर से तिरपाल शीट हटाने की प्रक्रिया सितंबर महीने से शुरू होती है।

स्की सीज़न (Ski Season):

- यह एक ऐसी अवधि है जब स्कीइंग (Skiing), स्नोबोर्डिंग (Snowboarding) एवं अन्य अल्पाइन स्पोर्ट्स स्की रिसॉर्ट के लिये अनुकूल होते हैं।
  - स्कीइंग, बर्फ पर फिसलने के लिये स्की का उपयोग करके चलने का एक साधन है।
  - एक स्की रिसॉर्ट स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग एवं अन्य शीतकालीन खेलों के लिये विकसित एक रिसॉर्ट है।
- गौरतलब है कि ग्लेशियर को ढकने के लिये जियोटेक्सटाइल तिरपाल (Geotextile Tarpaulins) का प्रयोग किया जा रहा है जो सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है और भीतर के तापमान को बाहर के तापमान से कम बनाए रखता है। इसके जरिये बड़े स्तर पर बर्फ को संरक्षित करने में मदद मिलती है।
- ग्लेशियर संरक्षण परियोजना पहली बार वर्ष 2008 में इटालियन फर्म कारोसेलो-टोनाले (Carosello-Tonale) द्वारा शुरू की गई थी। उस समय प्रेसेना ग्लेशियर के केवल 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर किया गया था।
- वर्ष 1993 से प्रेसेना ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण अपनी मात्रा का एक तिहाई से अधिक भाग खो चुका है।

प्रेसेना ग्लेशियर (Presena Glacier):

- यह उत्तरी इटली में ट्रेंटिनो (Trentino) एवं लोम्बार्डी (Lombardy) के क्षेत्रों के बीच अवस्थित है।
- यह ग्लेशियर प्रेसनेल्ला माउंटेन (Presanella Mountain) समूह का हिस्सा है।

स्वाभिमान अंचल Swabhiman Anchal

हाल ही में ओडिशा के माओवादी गढ़ के रूप में प्रसिद्ध मलकानगिरी ज़िले में कट-ऑफ क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले स्वाभिमान अंचल (Swabhiman Anchal) में सुरक्षा के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करके विकास सुनिश्चित करने में ओडिशा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- ओडिशा के मलकानगिरी ज़िले में कट-ऑफ क्षेत्र (Cut-off Area) के रूप में जाना जाने वाला स्वाभिमान अंचल माओवादियों का गढ़ रहा है।
- यह क्षेत्र तीन तरफ से पानी से तथा दूसरी तरफ एक जटिल दुर्गम क्षेत्र से घिरा हुआ था। जिसके कारण यह लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ रहा था।
- ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अधिकतर माओवादी स्वाभिमान अंचल में शरण लेते थे।
- गौरतलब है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा नेटवर्क मज़बूत होने से विकास से संबंधित गतिविधियाँ शुरू हुई हैं। जिनमें मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण के कारण ऑटो-रिक्शा एवं सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से ओडिशा का यह क्षेत्र विकास की मुख्यधारा में शामिल हो गया है।

यूनिसेफ किड पावर UNICEF Kid Power

6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) के अवसर पर यूनिसेफ किड पावर (UNICEF Kid Power) ने बच्चों के लिये 13 योगासनों को सूचीबद्ध किया है।

प्रमुख बिंदु:

- यूनिसेफ किड पावर (UNICEF Kid Power), यूनिसेफ यूएसए (UNICEF USA) की एक परोपकारी पहल है जो बच्चों को अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों को वास्तविक दुनिया के प्रभावों से जोड़कर जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती है।
- इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। यूनिसेफ किड पावर ने कैलिफोर्निया स्थित प्रौद्योगिकी फर्म 'कैलोरी क्लाउड एवं डिज़ाइन स्टूडियो एम्युनिशन' (Calorie Cloud And Design Studio Ammunition) की मदद से बच्चों के लिये किड पॉवर बैंड (Kid Power Band) विकसित किया है।
- ये बैंड बच्चों के एक फिटनेस ट्रैकर ब्रेसलेट के रूप में काम करते हैं जो स्मार्टफोन में एक एप के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इस एप के द्वारा उपयोगकर्त्ताओं को एक मिशन पूरा करने के लिये दिया जाता है। जहाँ यह एप उपयोगकर्त्ता के कुल चरणों एवं अवार्ड पॉइंट्स को गिनता है।
- इन अवार्ड पॉइंट्स के आधार पर ही यूनिसेफ किड पॉवर अपने सहयोगियों से अनुदान प्राप्त करता है जिसे यूनिसेफ द्वारा दुनिया भर में गंभीर कुपोषित बच्चों के लिये उपचारात्मक भोजन (Ready-to-Use Therapeutic Food- RUTF) के पैकेट वितरित करने हेतु उपयोग किया जाता है।

युक्ति 2.0 YUKTI 2.0

केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री ने 23 जून, 2020 को उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता एवं इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिये युक्ति 2.0 (YUKTI 2.0) पहल की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु:

- इससे पहले केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री ने 12 अप्रैल, 2020 को युक्ति (YUKTI- Young India combating COVID with Knowledge, Technology and Innovation) वेब पोर्टल का शुभारंभ किया था। इस पोर्टल का उद्देश्य बहुत ही समग्र एवं व्यापक तरीके से COVID-19 से संबंधित चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना है।
- युक्ति 2.0 (YUKTI 2.0) पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों एवं शोधकर्त्ताओं को अपनी प्रौद्योगिकियों एवं नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिये उचित सहायता मिल रही है या नहीं।

नोट :

तुरंत कस्टम्स के तहत पेपरलेस एक्सपोर्ट्स
Paperless Exports under Turant Customs

हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC) द्वारा तुरंत कस्टम्स (Turant Customs) कार्यक्रम के तहत पेपरलेस एक्सपोर्ट्स की सुविधा प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु:

- 'तुरंत कस्टम्स' के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक सुरक्षित क्यूआर कोड आधारित शिपिंग बिल का अनावरण किया जिसे सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्यात की अनुमति देने के बाद निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।
- इससे निर्यात के प्रमाण के लिये निर्यातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता समाप्त हो गयी है। इसके माध्यम से शिपिंग बिल को जमा करने से लेकर निर्यात-अनुमति के अंतिम आदेश तक सीमा शुल्क निर्यात प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आधारित भी हो गई है।
- यह पेपरलेस एक्सपोर्ट्स पहल CBIC द्वारा अपने 'तुरंतकस्टम्स' कार्यक्रम के तहत फेसलेस, पेपरलेस एवं कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स (Faceless, Paperless and Contactless Customs) की ओर एक अहम कदम है।
  - यह सुधार आयातकों, निर्यातकों एवं अन्य हितधारकों के लिये समय एवं लागत को कम करने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी के उन्नत उपयोग पर आधारित हैं।
- निर्यात के लिये पेपरलेस दस्तावेज़ का शुभारंभ 15 अप्रैल, 2020 को आयात के लिये शुरू की पहल की ही अगली कड़ी है।
  - शिपिंग बिल को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने से इन दस्तावेज़ों को कागज में प्रस्तुत करने की वर्तमान आवश्यकता दूर हो जाएगी जिससे ग्रीन कस्टम्स को बढ़ावा मिलेगा।
- CBIC ने बताया कि 'तुरंत कस्टम्स' जिसका मुख्य घटक फेसलेस असेसमेंट है, को विभिन्न चरणों में 1 जनवरी, 2021 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा।

उत्पादों से संबंधित मूल देश का सूचीकरण
Country of Origin Listings Related to Products

भारत सरकार ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Union Ministry of Commerce and Industry) के तहत 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (Government e-Marketplace- GeM) पर विक्रेताओं के लिये यह अनिवार्य कर दिया है कि GeM पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करने के समय वे उत्पाद से संबंधित मूल देश के बारे में जानकारी अवश्य दें।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि GeM में किया गया यह परिवर्तन 'मेक-इन-इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की नीतियों के अनुरूप है।
- GeM प्लेटफॉर्म पर खरीदार अब विभिन्न उत्पादों में स्थानीय सामग्री का कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है, को देख सकते हैं।
- वे स्थानीय सामग्री पर अपनी प्राथमिकताओं से मेल खाने वाले उत्पादों को देखने के लिये GeM प्लेटफॉर्म पर एक नए मेक-इन-इंडिया फिल्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं।
- खरीदार केवल उन्हीं उत्पादों को खरीद सकता है जिसने कम-से-कम 50% वाली स्थानीय सामग्री के मानदंड को पूरा किया हो।
  - बोलियों के संदर्भ में खरीदार अब Class-1 स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं (स्थानीय सामग्री > 50%) के लिये किसी भी बोली को आरक्षित कर सकते हैं।
  - 200 करोड़ रुपए से नीचे की बोलियों के लिये केवल Class-1 तथा Class-2 स्थानीय आपूर्तिकर्त्ता (स्थानीय सामग्री क्रमशः > 50% एवं > 20%) ही बोली लगाने के पात्र हैं जिसमें Class-1 आपूर्तिकर्त्ता को खरीद वरीयता दी जाएगी।
- सरकारी उपयोगकर्त्ताओं द्वारा GeM के माध्यम से खरीद को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (General Financial Rules, 2017) में एक नई नियम संख्या 149 को जोड़कर केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकृत एवं अनिवार्य कर दिया गया है।

नोट :

आषाढ़ी बीज Ashadhi Bij

23 जून, 2020 को प्रधानमंत्री ने कच्छी नव वर्ष (Kutchi New Year), 'अषाढ़ी बीज' (Ashadhi Bij) के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएँ दी।

प्रमुख बिंदु:

- हिंदू कैलेंडर के अनुसार, कच्छी नव वर्ष 'अषाढ़ी बीज' को आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है।
- यह हिंदू नव वर्ष गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कच्छी समुदाय द्वारा मनाया जाता है।
- आषाढ़ी बीज एक परंपरागत 'वर्षा आगमन का उत्सव' है।
- आषाढ़ी बीज के दौरान स्थानीय किसान यह अनुमान लगाते हैं कि वातावरण में नमी का स्तर कितना है जिसके आधार पर वे सबसे अनुकूल फसल की बुवाई कर सकें।
  - उल्लेखनीय है कि गुजरात में कच्छ का क्षेत्र अधिकतर एक रेगिस्तानी क्षेत्र है इसलिये यहाँ रहने वाले निवासियों के लिये वर्षा की महत्ता अधिक है।
- आषाढ़ी बीज का यह उत्सव भारत में मुख्य रूप से दो स्थानों (उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में और गुजरात के उमरेठ (Umreth) में मुलेश महादेव (Mulesh Mahadev) मंदिर में) पर मनाया जाता था।

कच्छ का रण (Rann of Kutch):

- कच्छ का रण 'साल्ट मार्शेस' (Salt Marshes) या रेह भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है जो भारत एवं पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है।
- यह अधिकतर गुजरात (मुख्य रूप से कच्छ ज़िले में) और सिंध (पाकिस्तान) के कुछ हिस्सों में अवस्थित है।
- यह महान रण (Great Rann) एवं छोटे रण (Little Rann) में विभाजित है।
- 'कच्छ का रण' भारत-मलायन क्षेत्र (Indo-Malayan Region) का एकमात्र बड़ा बाढ़कृत घास का मैदान है।
- इस क्षेत्र में एक ओर रेगिस्तान है जबकि दूसरी ओर समुद्र विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के अनुकूल है जिसमें मैंग्रोव एवं रेगिस्तानी वनस्पति (Desert Vegetation) शामिल हैं।

फिशिंग कैट Fishing Cat

हाल ही में ओडिशा के वन विभाग ने केंद्रपाड़ा (Kendrapara) ज़िले के भीतरकनिका नेशनल पार्क (Bhitarkanika National Park) में फिशिंग कैट (Fishing Cat) के लिये दो वर्षीय संरक्षण परियोजना (Conservation Project) की शुरूआत की।

प्रमुख बिंदु:

- फिशिंग कैट (Fishing Cat), एक प्रकार की मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ हैं। इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में 'लुप्तप्राय' (Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह प्रजाति विलुप्त होने के एक उच्च खतरे का सामना कर रही है।
- हालाँकि फिशिंग कैट (Fishing Cat) एक प्रसिद्ध प्रजाति नहीं है और इन्हें मगरमच्छों जैसा दर्ज़ा भी नहीं दिया गया है किंतु इसके संरक्षण का एक मुख्य उद्देश्य इस प्रजाति को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना है।
- इस 'संरक्षण परियोजना' को वन विभाग (ओडिशा) द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
- वर्ष 2019 में भीतरकनिका नेशनल पार्क में एक 'स्तनधारी जनगणना' (Mammal Census) के दौरान केवल 20 फिशिंग कैट को देखा गया था किंतु यह जनगणना दिन में की गई थी इसलिये पार्क में फिशिंग कैट की आबादी पर कोई सटीक पारिस्थितिक डेटा उपलब्ध नहीं है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानूनों के तहत संरक्षण स्थिति:

- फिशिंग कैट को 'लुप्तप्राय प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (United Nations Convention on International Trade in Endangered Species- CITES) के अनुच्छेद-IV की परिशिष्ट-II में सूचीबद्ध किया गया है।
- इस प्रजाति को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Indian Wildlife (Protection) Act, 1972) की पहली अनुसूची के तहत भी वर्गीकृत किया गया है।

खाद्य संग्रहण:

- फिशिंग कैट अपने भोजन के लिये भीतरकनिका नेशनल पार्क के जल निकायों में मछली एवं क्रस्टेशियंस (Crustaceans) का शिकार करती हैं। ये अपने झुके हुए पँजों से शिकार को पकड़ने के लिये जल निकायों में गोता लगाती हैं।
  - ये वनों के पास के गाँवों में पशुधन एवं मुर्गियों का शिकार भी करती हैं।

खतरा:

- भीतरकनिका क्षेत्र में झींगा माफियाओं ने आर्द्र भूमि एवं मैंग्रोव वनों को झींगा क्षेत्र में परिवर्तित करके जलीय पारिस्थितिकी को नष्ट कर दिया है। जिससे फिशिंग कैट्स के निवास स्थान के लिये भी संकट उत्पन्न हो रहा है।

रेंगने वाले जीवों की जनगणना (Reptile Census):

- गौरतलब है कि इसी तरह की संरक्षण परियोजना हाल ही में भीतरकनिका नेशनल पार्क में खारे जल के मगरमच्छों के लिये संपन्न की गई थी। जनवरी 2020 की रेंगने वाले जीवों की जनगणना (Reptile Census) के अनुसार, भीतरकनिका (पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र) 1757 खारे पानी के मगरमच्छों का निवास स्थान है।

श्वे तेल एवं गैस परियोजना Shwe Oil & Gas Project

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ONGC Videsh Ltd- OVL) द्वारा म्यांमार में श्वे तेल एवं गैस परियोजना (Shwe Oil & Gas Project) के ब्लाक A-1 एवं A-3 में 121.27 मिलियन डॉलर (लगभग 909 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त निवेश को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु:

- ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ONGC Videsh Ltd- OVL) दक्षिण कोरिया, भारत एवं म्यांमार की तेल एवं गैस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के एक संकाय के रूप में वर्ष 2002 से ही म्यांमार में श्वे तेल एवं गैस परियोजना के उत्खनन एवं विकास से जुड़ी हुई है।

श्वे गैस क्षेत्र:

- श्वे गैस क्षेत्र अंडमान सागर (Andaman Sea) में एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। इसे वर्ष 2004 में दाईवू (Daewoo) जो दक्षिण कोरियाई कंपनी है, द्वारा खोजा एवं विकसित किया गया था।

श्वे तेल एवं गैस परियोजना:

- म्यांमार में श्वे गैस परियोजना बंगाल की खाड़ी के रखाइन अपतटीय क्षेत्र के ब्लॉक A-1 एवं A-3 में अवस्थित है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 'गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड' (GAIL) भी इस परियोजना में एक निवेशक के तौर पर शामिल है। OVL ने 31 मार्च, 2019 तक इस परियोजना में 722 मिलियन डॉलर का निवेश किया है।
- श्वे तेल एवं गैस परियोजना से पहली बार गैस की प्राप्ति जुलाई 2013 में हुई थी। यह परियोजना वित्त वर्ष 2014-15 से ही सकारात्मक नकदी प्रवाह सृजित कर रही है।

गौरतलब है कि पूर्वी एशियाई देशों की तेल एवं गैस उत्खनन तथा विकास परियोजनाओं में भारतीय पीएसयू की भागीदारी भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी/एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है।

नोट :

कालाज़ार Kala-azar

लीशमैनियासिस (Leishmaniasis) एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। यह लीशमैनिया (Leishmania) नामक एक परजीवी के कारण होता है जो रेत मक्खियों (Sand Flies) के काटने से फैलता है।

- मानव शरीर में आंत की लीशमैनियासिस को आमतौर पर भारत में कालाज़ार (Kala-azar) के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- लीशमैनियासिस की चपेट में भारत सहित लगभग 100 देश हैं। लीशमैनियासिस के निम्नलिखित तीन मुख्य रूप हैं:
  1. आंत का (Visceral) लीशमैनियासिस: यह शरीर के कई अंगों को प्रभावित करती है और यह रोग का सबसे गंभीर रूप है।
  2. त्वचीय (Cutaneous) लीशमैनियासिस: यह बीमारी त्वचा के घावों का कारण बनता है और यह बीमारी का आम रूप है।
  3. श्लेष्मत्वचीय (Mucocutaneous) लीशमैनियासिस: इस बीमारी में त्वचा एवं श्लैष्मिक घाव होते हैं।
- लीशमैनियासिस के इलाज के लिये उपलब्ध एकमात्र दवा मिल्टेफोसिन (Miltefosine) इस बीमारी के लिये ज़िम्मेदार परजीवी (लीशमैनिया) के अंदर इसके संचयन में कमी के कारण उभरते औषधि प्रतिरोध की वजह से तेज़ी से अपनी प्रभावशीलता खो रही है जो परजीवी को मारने के लिये आवश्यक है।
- ट्रांसपोर्टर प्रोटीन (Transporter Protein) के रूप में विख्यात विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन अणु इस परजीवी के शरीर में एवं उसके बाहर मिल्टेफोसिन को ले जाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- लीशमैनिया परजीवी एक कोशिकीय होता है। 'P4ATPase-CDC50' नामक प्रोटीन परजीवी द्वारा दवा के सेवन के लिये ज़िम्मेदार है और पी-ग्लाइकोप्रोटीन (P-glycoprotein) नामक एक अन्य प्रोटीन इस दवा को परजीवी के शरीर के भीतर से बाहर फेंकने के लिये ज़िम्मेदार है।
- 'P4ATPase-CDC50' प्रोटीन की गतिविधि में कमी और पी-ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन की गतिविधि में वृद्धि से परजीवी के शरीर में कम मात्रा में मिल्टेफोसिन दवा जमा होती है। ऐसे में इस दवा के लिये औषधि प्रतिरोध की स्थिति बनती है।

गैया परिकल्पना Gaia Hypothesis

गैया परिकल्पना (Gaia Hypothesis) एक वैज्ञानिक परिकल्पना को संदर्भित करती है जो बताती है कि पृथ्वी एक जटिल जीवित इकाई (Complex Living Entity) है जिसमें जीवों एवं उनके भौतिक परिवेश के बीच स्व-विनियमन जुड़ाव के आधार पर एक संतुलन कायम है।

प्रमुख बिंदु:

- इस परिकल्पना को पहली बार ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स लवलॉक (James Lovelock) ने वर्ष 1972 के अपने पत्र 'Gaia As Seen Through The Atmosphere' में प्रस्तुत किया था।
- इस परिकल्पना का नाम पौराणिक ग्रीक देवी 'गैया' (Gaia) के नाम पर रखा गया है जो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है।
- इस परिकल्पना के प्रमुख उदाहरण के तौर पर जलवायु परिवर्तन जैसी स्थितियाँ मनुष्य एवं भौतिक वातावरण के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करती हैं जिसमें सभी एक-दूसरे को लगातार नियंत्रित करते रहते हैं।
- जेम्स लवलॉक की 'गैया परिकल्पना' एक एकीकृत प्रणाली के रूप में पृथ्वी की प्रकृति के बारे में पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। जेम्स लवलॉक ने बताया कि जैसे-जैसे पृथ्वी की भौतिक प्रणाली में परिवर्तन होते हैं वैसे-वैसे जीवित प्रणाली ऐसे परिवर्तनों को कम करने के लिये प्रतिक्रिया देती है।

ई-ब्लड सर्विसेज़ e-Blood Services

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (Union Minister of Health and Family Welfare) ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (Indian Red Cross Society) के मार्गदर्शन में विकसित ई-ब्लड सर्विसेज़ (e-Blood Services) मोबाइल एप लॉन्च किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- यह मोबाइल एप्लिकेशन प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई 'डिजिटल इंडिया योजना' (Digital India scheme) के तहत 'सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग' (Centre for Development of Advanced Computing) की 'ई-रक्तकोष' (E-Raktkosh) टीम द्वारा विकसित किया गया है।
  - केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं।
- इस एप की मदद से लोग 4 यूनिट तक खून की मांग कर सकते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक 12 घंटे तक उनका इंतजार करेंगे। इस दौरान लोग वहाँ जाकर ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं।

उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र
Product Application and Development Centre

25 जून, 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Indian Oil Corporation Limited) द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र (Product Application and Development Centre- PADC) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु:

- इंडियन ऑयल ने पारादीप (ओडिशा) में अपने रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स परिसर के पास ही 43 करोड़ रुपए की लागत से उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र (PADC) की स्थापना की है।
- उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र (PADC) में निम्नलिखित 4 प्रयोगशालाएँ हैं:
  - पॉलिमर प्रोसेसिंग लैब (Polymer Processing Lab)
  - एनालिटिकल टेस्टिंग लैब (Analytical Testing Lab)
  - केमिकल एनालिसिस लैब (Chemical Analysis Lab)
  - कैरेक्टराइज़ेशन लैब (Characterisation Lab)
- यह तकनीकी केंद्र ग्राहकों एवं नए निवेशकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 50 नवीनतम परिष्कृत प्लास्टिक परीक्षण एवं प्रसंस्करण उपकरणों से युक्त है।
- पारादीप स्थित PADC को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (Department of Scientific and Industrial Research- DSIR) द्वारा एक अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता मिली हुई है।

महत्त्व:

- उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र (PADC) प्लास्टिक के क्षेत्र में ओडिशा एवं उसके आसपास नए उद्यमी विकास के लिये उद्भवन केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- यह केंद्र प्लास्टिक से ढाले गए फर्नीचर, घर के सामान, सीमेंट, उर्वरक की पैकेजिंग के लिये जरूरी प्लास्टिक एवं स्वास्थ्य देखरेख की चीजों जैसे- बेबी डायपर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क इत्यादि प्लास्टिक के परिष्कृत सामानों के लिये ग्राहकों एवं निवेशकों को सहायता प्रदान करेगा।
- यह केंद्र पारादीप प्लास्टिक पार्क और बालासोर एवं खुर्दा जैसे अन्य क्लस्टरों के निवेशकों के लिये परीक्षण एवं विकासात्मक गतिविधियों को अंजाम देगा।
- PADC गुणवत्ता आश्वासन, शिकायतों का निवारण, ग्राहक को सहायता, मानदंड अध्ययन, नए एवं उत्तम दर्जे के विकास एवं अनुप्रयोग से संबंधित गतिविधियों को पूरा करेगा।

नोट :

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया:

- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) जिसे आमतौर पर 'इंडियन ऑयल' के रूप में जाना जाता है, भारतीय सरकार के स्वामित्व वाली तेल एवं गैस कंपनी है।
- इसे भारत सरकार ने 'महारत्न कंपनी' का दर्जा दिया है।
- इसका मुख्यालय 'नई दिल्ली' में है।

नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल Navigating The New Normal

25 जून, 2020 को नीति आयोग (NITI Aayog) ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill andMelinda Gates Foundation- BMGF), अशोक यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल एंड बिहैवियरल चेंज (Ashoka University Centre for Social and Behavioural Change- CSBC), भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ भागीदारी में 'नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल' (Navigating The New Normal) नाम के एक अभियान एवं इसकी वेबसाइट का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु:

- यह अभियान COVID-19 महामारी के मद्देनज़र देश में 'अनलॉक चरण' (Unlock Phase) के दौरान COVID- सुरक्षित व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- भारत सरकार द्वारा गठित और नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता वाले अधिकार प्राप्त समूह 6 (Empowered Group 6) के मार्गदर्शन में विकसित इस अभियान के दो भाग हैं।
- इस अभियान का पहला भाग एक वेब पोर्टल http://www.covidthenewnormal.com है, जिसमें व्यवहार विज्ञान द्वारा सुझाए गए तरीकों एवं COVID-19 से संबंधित अनलॉक चरण के दौरान COVID-सुरक्षित व्यवहार के लिये सामाजिक मानदंडों का उपयोग शामिल हैं।
  - केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं अन्य हितधारकों के परामर्श से विकसित इस वेबसाइट का उद्देश्य जनता की भागीदारी को बढ़ाना और सिविल सोसाइटी संगठनों (CSOs) तथा गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को जोड़ना है।
  - यह पोर्टल अनलॉक चरण में चार प्रमुख व्यवहारों के सरल कार्यान्वयन पर ज़ोर देता है- मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथ स्वच्छ करना, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना।
- इस अभियान के दूसरे भाग में 'मास्क पहनने' पर केंद्रित एक मीडिया अभियान है।
  - इस भाग में मीडिया मास्क पहनने के सही तरीके बारे में बताएगा।
  - मास्क पहनने के अभियान को 'बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन' ने 'मैक्केन वर्ल्ड ग्रुप' के साथ भागीदारी में तैयार किया है।

अशोक यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल एंड बिहैवियरल चेंज (CSBC):

- इस केंद्र की स्थापना बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अनुदान द्वारा की गई है।
- इसका लक्ष्य भारत में एक ऐसी संस्था के रूप में स्वयं को स्थापित करना जो गरीब आबादी हेतु 'प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेपों' के लिये विश्व स्तर की उत्कृष्टता रखती हो।

गौरतलब है कि जापान एवं दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने 'मास्क पहनने' को सामाजिक रूप से स्वीकार्य मानदंड बना दिया है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने की 75वीं वर्षगाँठ
75th Anniversary of The Signing of The U.N. Charter

26 जून, 2020 को वैश्विक समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर (U.N. Charter) पर हस्ताक्षर करने की 75वीं वर्षगाँठ मनाई।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्तूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार-पत्र के माध्यम से की गई थी किंतु इसे 26 जून, 1945 में एक घोषणा पत्र पर सदस्य देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर (U.N. Charter) के रूप में स्वीकार किया गया था। इस घोषणा पत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने हस्ताक्षर किये थे।
- पोलैंड बाद में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ था।
- संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के मिशन और कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों एवं सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ विश्व शांति के लिये कार्य करना है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सिद्धांत:

- सभी सदस्य राष्ट्र एक समान एवं संप्रभुता संपन्न है।
- सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपने उत्तरदायित्त्व एवं कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।
- सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा।
- संयुक्त राष्ट्र के प्रति सदस्य राष्ट्रों द्वारा न तो बल प्रयोग की धमकी दी जाएगी और न ही शक्ति का प्रयोग किया जाएगा।
- कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
- प्रति वर्ष 24 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं:
  - महासभा
  - सुरक्षा परिषद
  - आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
  - न्यास परिषद
  - सचिवालय
  - अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

ऑर्डर ऑफ द नाइन एंगल्स Order of The Nine Angles

अमेरिकी सेना के एक सैनिक ईथन मेल्ज़र (Ethan Melzer) ने अपनी ही यूनिट पर हमला करने के लिये एक नव-नाज़ी समूह के साथ गुप्त जानकारी साझा की जिसे 'ऑर्डर ऑफ द नाइन एंगल्स' (Order of The Nine Angles- O9A) कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- O9A को 1970 के दशक में ब्रिटेन में स्थापित एक पैशाचिक, अराजकतावादी समूह माना जाता है जिसके दुनिया भर में सदस्य हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है।
- यह समूह स्वयं को विश्वव्यापी जनजातियों एवं व्यक्तियों के समूह के रूप में वर्णित करता है जो समान रुचियों, उद्देश्यों एवं जीवन-शैलियों को साझा करते हैं और पारस्परिक लाभ हेतु साझा उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सहयोग करते हैं।
- 'द डेविल्स पार्टी: सैटनिज़्म इन मॉडर्निटी' (The Devil's Party: Satanism in Modernity) पुस्तक के अनुसार, डेविड मायट (David Myatt) को इस समूह का मुख्य सृजनकर्त्ता माना जाता है।
- डेविड मयाट ने हिंसक नव-नाज़ी एवं इस्लामी आतंकवादी समूहों में सक्रिय रूप से भाग लिया है जो रूढ़िवादी नियमों को पुन: लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।

नोट :

ड्रग्स के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस-2020
International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking-2020

विश्व भर में 26 जून को 'ड्रग्स के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस-2020 (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking-2020) मनाया गया।

थीम:

- वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम 'बेहतर देखभाल के लिये बेहतर ज्ञान' (Better Knowledge for Better Care) है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं से छुटकारा पाना तथा सामाजिक सशक्तीकरण पर ज़ोर देना है।

प्रमुख बिंदु:

- 7 दिसंबर, 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 'संकल्प 42/112' के तहत प्रति वर्ष 26 जून को 'नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया था।
- 'ड्रग्स एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' (United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC) इस दिवस को चिह्नित करने हेतु अपने सोशल मीडिया अभियान में शामिल होने के लिये व्यक्तियों, गैर-लाभकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और सदस्य राष्ट्रों को प्रोत्साहित करता है।
- इसे 'विश्व ड्रग दिवस'(World Drug Day) के रूप में भी जाना जाता है।

मारीच Maareech

भारतीय नौसेना ने एंटी-सबमरीन युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिये स्वदेश निर्मित 'टॉरपीडो डेकॉय प्रणाली' (Torpedo Decoy System) 'मारीच' (Maareech) को अपने बेड़े में शामिल किया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस एंटी-टॉरपीडो डेकॉय प्रणाली (Anti-Torpedo Decoy System) का डिज़ाइन एवं विकास 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (DRDO) की प्रयोगशालाओं (NSTL व NPOL) में किया गया है।

नौसेना की विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला
(Naval Science & Technological Laboratory- NSTL):

- NSTL, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की एक भारतीय रक्षा प्रयोगशाला है।
- विशाखापत्तनम में स्थित इस प्रयोगशाला का मुख्य कार्य अंडरवाटर हथियारों एवं संबंधित प्रणालियों के लिये अनुसंधान एवं विकास करना है।

नौसेना की भौतिकी एवं महासागरीय प्रयोगशाला
(Naval Physical and Oceanographic Laboratory-NPOL):

- यह केरल के कोच्चि में स्थित है।
- NPOL सोनार प्रणाली, जल के नीचे निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी, समुद्री वातावरण एवं महासागरीय जल के अंदर अध्ययन से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिये ज़िम्मेदार है।

नोट :

- सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' (Bharat Electronics Limited) इस डेकॉय प्रणाली के उत्पादन का कार्य करेगा।
- 'मारीच' को अग्रिम मोर्चे के सभी युद्धपोतों से दाग कर लक्ष्य पर निशाना लगाया जा सकता है।

'आयुध निर्माणी बोर्ड' का निगमीकरण
Corporatisation of 'Ordnance Factory Board'

रक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) के रक्षा उत्पादन विभाग (Department of Defence Production) की एक उच्च स्तरीय आधिकारिक समिति ने आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board- OFB) का निगमीकरण करने से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये कर्मचारी संघों/संगठनों से बातचीत की।

प्रमुख बिंदु:

- आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण करना 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' का एक भाग है जिसकी घोषणा भारत सरकार ने 16 मई, 2020 को की थी।
- इसका निगमीकरण करने से आयुध आपूर्ति की स्वायत्तता, जवाबदेही एवं दक्षता में सुधार होगा।
- रक्षा उत्पादन विभाग के तहत आयुध निर्माणी बोर्ड 41 आयुध कारखानों के साथ देश भर में फैला हुआ है।
  - सामूहिक रूप से 41 आयुध कारखानों का कॉरपोरेट मुख्यालय कोलकाता स्थित आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) है।
- OFB सशस्त्र बलों को हथियार एवं गोला-बारूद तथा अन्य उपकरणों की आपूर्ति करता है।
- उल्लेखनीय है कि पहला आयुध कारखाना वर्ष 1801 में कोलकाता के कोसीपोर में स्थापित किया गया था जिसे अब 'गन एंड शेल फैक्ट्री' के रूप में जाना जाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सचिव ने 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' (Department Of Science And Technology) के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती स्मरणोत्सव वर्ष मनाने के लिये आधिकारिक लोगो लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की स्थापना 3 मई, 1971 को हुई थी।
- DST विभिन्न गतिविधियों जैसे- व्याख्यान श्रृंखला, प्रकाशनों, वृत्तचित्रों को जारी करना, DST के तहत भारतीय सर्वेक्षण के विकिपीडिया पृष्ठ को अपडेट करना आदि के साथ 3 मई, 2020 से 2 मई, 2021 की अवधि के दौरान स्वर्ण जयंती स्मरणोत्सव वर्ष की समीक्षा कर रहा है।
- DST भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) के तहत कार्य करता है।

DST का लक्ष्य:

- भारत सरकार के इस विभाग का लक्ष्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। यह भारत में वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियों को व्यवस्थित, समन्वित करने एवं बढ़ावा देने वाला नोडल विभाग है।

उल्लेखनीय है कि DST भारत में विभिन्न स्वीकृत वैज्ञानिक परियोजनाओं के लिये धन भी प्रदान करता है। यह विदेशों में होने वाले सम्मेलनों में भाग लेने तथा प्रायोगिक कार्यों के लिये भारत में शोधकर्त्ताओं का समर्थन करता है।

नोट :

संकल्प पर्व Sankalp Parva

प्रधानमंत्री के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) पेड़ लगाने के लिये 28 जून से 20 जुलाई, 2020 तक 'संकल्प पर्व' (Sankalp Parva) मनाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- संस्कृति मंत्रालय यह अपेक्षा रखता है कि इस दौरान उसके सभी अधीनस्थ कार्यालय, अकादमी, संलग्न संस्थान, संबद्ध संस्थान अपने-अपने परिसरों में या उसके आसपास ही जहां भी संभव हो वहाँ अवश्य ही पेड़ लगाएंगे।
- संस्कृति मंत्रालय ने उन पाँच पेड़ों को प्राथमिकता दी है जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा रेखांकित किया गया है और जो देश की जड़ी-बूटी संबंधी विरासत का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पेड़ हैं- (i) बरगद (ii) आंवला (iii) पीपल (iv) अशोक (v) बेल।
- संस्कृति मंत्रालय से संबंधित संगठनों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि इन पाँच पेड़ों को लगाने के अलावा प्रत्येक कर्मचारी अपनी पसंद के भी कम-से-कम एक पेड़ अवश्य लगाए। इसके साथ ही संस्थानों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि कर्मचारी पूरे वर्ष अपने द्वारा लगाए गए पौधे की देखभाल करे ताकि वह सदैव सुरक्षित एवं फलता-फूलता रहे।

डॉ. जोसफ मार थोमा मेट्रोपोलिटन Dr. Joseph Mar Thoma Metropolitan

प्रधानमंत्री ने श्रद्धेय डॉ. जोसेफ मार थोमा मेट्रोपोलिटन (Dr. Joseph Mar Thoma Metropolitan) के 90वें जन्मदिन समारोह को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु:

- मलंकरा मार थोमा सीरियन चर्च (Malankara Mar Thoma Syrian Church) जिसे मार थोमा चर्च (Mar Thoma Church) के रूप में भी जाना जाता है, केरल में प्राचीन एवं स्वदेशी चर्चों में से एक है।
  - परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि ईसा मसीह के एक शिष्य सेंट थॉमस ने 52 ईस्वी में भारत आकर इस चर्च की स्थापना की थी।
- वर्तमान में इस चर्च के प्रमुख 21वें मलंकरा मेट्रोपोलिटन परम श्रद्धेय डा. जोसेफ मार थोमा हैं, जिन्होंने पिछले 13 वर्षों से चर्च का नेतृत्त्व किया है।
- मार थोमा चर्च ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों एवं राष्ट्रवाद की भावना को बरकरार रखा है।
- यह चर्च विभिन्न सामाजिक कल्याण संस्थानों, निराश्रित घरों, अस्पतालों, कॉलेजों, स्कूलों एवं तकनीकी संस्थानों का संचालन करता है।
- उल्लेखनीय है कि भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसे संकटों के दौरान चर्च ने विभिन्न राज्यों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों में भाग लिया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस-2020 National Statistics Day-2020

रोज़मर्रा के जीवन में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस (National Statistics Day) मनाती है और लोगों को इस बात के लिये जागरूक करती है कि सांख्यिकी,नीतियों को आकार देने में किस तरह मदद करती है।

थीम:

- इस दिवस की थीम 'SDG-3 (स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना) एवं SDG-5 (लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना)' है।

प्रमुख बिंदु:

- इस वर्ष वैश्विक स्तर पर COVID-19 महामारी के कारण यात्रा एवं सुरक्षा नियमों के मद्देनज़र राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस-2020 को वर्चुअल रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।

नोट :

- इस आयोजन की अध्यक्षता भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Program Implementation) के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) करेंगे।
- यह दिवस 29 जून को प्रो. पी. सी. महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली (National Statistical System) की स्थापना में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए मनाया जाता है।
- प्रो. पी. सी. महालनोबिस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद् थे। सामाजिक-आर्थिक नियोजन व सरकारी क्षेत्र में सांख्यिकी के महत्त्व को लेकर उनके योगदान की याद में उनका जन्मदिन सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- वर्ष 2019 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं संस्थानों में आधिकारिक सांख्यिकीविदों के असाधारण योगदान के सम्मान में प्रो. पी. सी. महालनोबिस राष्ट्रीय आधिकारिक सांख्यिकी पुरस्कार (Prof. P.C. Mahalanobis National Award in Official Statistics) नामक एक नए पुरस्कार की घोषणा की।
  - इस वर्ष आयोजित होने वाले समारोह के दौरान प्रो. पी. सी. महालानोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को सम्मानित किया जाएगा।
- इस समारोह के दौरान सतत् विकास लक्ष्यों-राष्ट्रीय संकेतक संरचना (National Indicator Framework- NIF) रिपोर्ट-2020 (संस्करण 2.1) पर रिपोर्ट का अद्यतन संस्करण जारी किया जाएगा। इस रिपोर्ट के साथ-साथ 29 जून, 2020 को भारतीय सांख्यिकी सेवा संवर्ग प्रबंधन पोर्टल (Indian Statistical Services Cadre Management Portal) भी लॉन्च किया जाएगा।

महत्त्व:

- उल्लेखनीय है कि इस समारोह से सामाजिक-आर्थिक योजना निर्माण एवं नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में आम लोगों विशेष रूप से युवा पीढ़ी में जागरुकता बढ़ेगी।

एचएएम रेडियो HAM Radio

एचएएम रेडियो (HAM Radio) जिसे एमेच्योर रेडियो (Amateur Radio) भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय शौक एवं सेवा है जो लोगों तथा 'इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार' को एक मंच पर साथ लाता है।

प्रमुख बिंदु:

- एचएएम रेडियो रियल टाइम संचार नेटवर्क (Real-Time Communication Network) है।
- यह पुलिस एवं नागरिक अधिकारियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले वायरलेस संचार की तरह है। यह त्वरित रूप से कार्य करने वाली पारदर्शी प्रणाली है।
- इंटरनेट या सेलफोन के बिना इससे संबंधित लोग पूरे शहर में या यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी बात करने के लिये एचएएम रेडियो का उपयोग करते हैं।
- यह सामाजिक, शैक्षिक तथा लोगों के मनोरंजन से संबंधित है और ज़रूरत के समय यह लोगों के जीवन के लिये उपयोगी भी हो सकता है।
- इस रेडियो स्टेशन को कहीं भी (घर, मैदान, क्लब आदि) स्थापित किया जा सकता है।
- एचएएम रेडियो, संयुक्त राज्य अमेरिका की एबीसी टेलीविजन श्रृंखला 'लास्ट मैन स्टैंडिंग' (Last Man Standing) में टिम एलन (Tim Allen) द्वारा अभिनीत कहानी का हिस्सा है।

सांस्कृतिक सद्भाव मंडप Sanskritik Sadbhav Mandap

29 जून, 2020 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (Union Minister of Minority Affairs) ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में बहुउद्देशीय 'सांस्कृतिक सद्भाव मंडप' (Sanskritik Sadbhav Mandap) का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु:

- यह 'सांस्कृतिक सद्भाव मंडप' प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karykram- PMJVK) के तहत 92 करोड़ रूपए की लागत से बनाया जाएगा।

नोट :

- इस 'सांस्कृतिक सद्भाव मंडप' में कौशल विकास के लिये ट्रेनिंग, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कोचिंग, COVID-19 जैसी आपदा में लोगों को राहत देने की व्यवस्था एवं खेल-कूद की गतिविधियाँ आयोजित की जा सकेंगी।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karykram- PMJVK):

अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक सशक्तीकरण एवं रोज़गार उन्मुख कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Multi-sectoral Development Programme-MsDP) का नाम बदलकर प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के रूप में इसका पुनर्गठन किया है।

उद्देश्य:

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, लड़कियों के लिये छात्रावास, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है।
- PMJVK के तहत 80% संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिये रखा गया है। इसके तहत करीब 33 से 40% संसाधन विशेष तौर पर महिला केंद्रित परियोजनाओं को आवंटित किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) को भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008-09 में लॉन्च किया गया था।

गगनयान Gaganyaan

केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्री (Union Minister for Atomic Energy and Space) ने 29 जून, 2020 को बताया कि COVID-19 महामारी के कारण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' (Gaganyaan) का प्रक्षेपण प्रभावित नहीं होगा।

प्रमुख बिंदु:

- गगनयान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त, 2018 में की गई थी।
- इस मिशन को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इस मिशन की लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए है।
- इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को 300-400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में स्थापित किया जाएगा। जहाँ 3-7 क्रू सदस्य अंतरिक्ष में 3-7 दिन बिताएंगे।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (INSPACe):

- केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्री ने बताया कि इसरो (ISRO) की गतिविधियों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये 'भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन एवं प्राधिकरण केंद्र' (Indian National Space Promotion & Authorization Centre- INSPACe) नामक एक नियामक संस्था की स्थापना की जानी है।
- यह नियामक संस्था निजी कंपनियों को एक समान अवसर प्रदान करने एवं उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी।

प्लेसबो Placebo

प्लेसबो (Placebo) एक ऐसा पदार्थ है जो दवाओं से मिलता-जुलता है किंतु उसमें सक्रिय दवा (Active Drug) नहीं होती है।

प्रमुख बिंदु:

- एक प्लेसबो (Placebo) वास्तव में एक वास्तविक दवा की तरह दिखता है किंतु यह एक निष्क्रिय पदार्थ (स्टार्च या चीनी) से बना होता है।

नोट :

प्लेसबो प्रभाव (Placebo Effect):

- कभी-कभी किसी रोगी में प्लेसबो के कारण एक सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। उदाहरण के लिये रोगी के लक्षणों में सुधार हो सकता है या रोगी में उपचार से होने वाले दुष्प्रभाव भी दिखाई दे सकते हैं। इन प्रतिक्रियाओं को 'प्लेसबो प्रभाव' (Placebo Effect) के रूप में जाना जाता है।
- कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें प्लेसबो सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है जबकि व्यक्ति को यह पता भी नहीं होता है कि वह वास्तविक दवा के स्थान पर एक प्लेसबो ले रहा है।
- विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि प्लेसबो मानव की विभिन्न स्थितियों जैसे- डिप्रेशन, दर्द, नींद संबंधी विकार, आंत की संवेदनशील बीमारी, रजोनिवृत्ति (Menopause) आदि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

मिशन सागर Mission Sagar

'मिशन सागर' (Mission Sagar) के अंतर्गत दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किया गया भारतीय नौसेना का एक जहाज़ आईएनएस केसरी (INS Kesari) 55 दिनों के बाद कोच्चि (केरल) पहुँचा।

प्रमुख बिंदु:

आईएनएस केसरी (INS Kesari) को एक विशेष 'COVID राहत मिशन' (Covid Relief Mission) के लिये तैनात किया गया था और इस मिशन के अंतर्गत माले (मालदीव), पोर्ट लुइस (मॉरीशस), एंटसिरानाना (मेडागास्कर), मोरोनी (कोमोरोस आइलैंड्स) एवं पोर्ट विक्टोरिया (सेशल्स) में 580 टन खाद्य सहायता एवं आवश्यक मेडिकल वस्तुएँ भेजी गयी थी।

आईएनएस केसरी (INS Kesari):

- आईएनएस केसरी भारतीय नौसेना का एक शार्दुल-श्रेणी (Shardul-Class) का टैंक लैंडिंग जहाज़ है।
- वर्ष 2009 में INS केसरी को विशाखापट्टनम के पूर्वी नौसेना कमान से पोर्ट ब्लेयर स्थानांतरित किया गया था।
- गौरतलब है कि यह मिशन प्रधानमंत्री की 'सागर' (Security and Growth for All in the Region -SAGAR) पहल के अनुरूप है जो भारत द्वारा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्त्व को रेखांकित करता है एवं मौजूदा संबंधों को और मज़बूत करता है।

नोट :

विविध

स्मार्ट बैंडेज

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology-DST) के अधीन स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Institute of Advanced Study in Science and Technology) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्मार्ट बैंडेज (Smart Bandage) विकसित की है, जो घाव तक दवा की सही डोज़ पहुँचाकर उसे ठीक कर सकती है। यह स्मार्ट बैंडेज घाव में संक्रमण की स्थिति के अनुरूप उसके PH स्तर को देखते हुए दवा की डोज़ जारी करती है। बैंडेज के निर्माण में वैज्ञानिकों ने कपास और जूट जैसी टिकाऊ और सस्ती सामग्रियों का इस्तेमाल किया है। जूट और सूती कपड़े से बनाई गई यह स्मार्ट बैंडेज घाव में बैक्टीरिया के संक्रमण के स्तर को देखते हुए कार्य करती है। इस बैंडेज में संक्रमण जिस स्तर का है, दवा भी बैंडेज से उसी के अनुरूप खुद-ब-खुद निकलती है। यदि घाव में बैक्टीरिया का स्तर बढ़ रहा हो तो बैंडेज से दवा का रिसाव कम PH स्तर पर होता है। उल्लेखनीय है कि किसी भी घाव के आसपास, बैक्टीरिया का संक्रमण होने पर उसके PH अर्थात अम्लीयता या क्षारीयता में बदलाव आ जाता है। इसलिये स्मार्ट बैंडेज में PH की स्थिति के अनुरूप दवा के रिसाव की प्रणाली विकसित की गई है। संक्रमण के अनुकूल दवा के रिसाव की इसकी यह विशेषता इस बैंडेज को अनूठा बनाती है। बैंडेज बनाने के लिये कपास और जूट जैसी सस्ती और टिकाऊ सामग्री का इस्तेमाल इसे जैविक रुप से दुष्प्रभाव रहित, विषाक्तता रहित, कम खर्चीला और टिकाऊ बनाता है।

वाजिद खान

बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार और संगीत निर्देशक (Music Director) वाजिद खान का 01 जून, 2020 को 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वाजिद खान प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद शराफत अली खान के पुत्र थे। वाजिद खान अपने भाई साजिद खान से दो वर्ष छोटे थे। बॉलीवुड में साजिद-वाजिद की जोड़ी काफी प्रसिद्ध थी, दोनों ही लोगों ने बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1998 में प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान की फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' के साथ की थी। इसके पश्चात् उन्होंने वर्ष 1999 में सोनू निगम की एल्बम 'दीवाना' के लिये संगीत दिया। वाजिद खान संगीत निर्देशक के साथ-साथ अच्छे गायक भी थे और उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों को अपनी आवाज़ दी। इसके अतिरिक्त वाजिद खान ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के चौथे सीज़न के थीम सॉंग को भी अपनी आवाज़ दी थी। साजिद-वाजिद की जोड़ी द्वारा जीते गए कुछ पुरस्कारों में 'फिल्मफेयर अवार्ड', 'मिर्ची म्यूज़िक अवाड्र्स', 'ज़ी सिने अवाड्र्स', और 'स्टार स्क्रीन अवार्ड' आदि शामिल हैं।

विश्व दुग्ध दिवस

वैश्विक स्तर पर दुग्ध (Milk) के महत्त्व को उजागर करने के लिये प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day) मनाया जाता है। वर्ष 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation-FAO) द्वारा की गई थी। विश्व दुग्ध दिवस 2020 के लिये 'विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ' (20th Anniversary of World Milk Day) को थीम के रूप में चुना गया है, विश्व दुग्ध दिवस 2019 की थीम- 'ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरीडे' (Drink Milk: Today & Everyday) रखी गई थी। यह दिवस इस तथ्य को उजागर करने के लिये मनाया जाता है कि किस प्रकार डेयरी एक अरब लोगों की आजीविका का एक प्रमुख साधन है। भारत बीते कुछ वर्षों में 150 मिलियन टन से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' (National Milk Day) मनाया जाता है। भारत में यह दिवस श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज़ कुरियन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की स्थापना वर्ष 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करने और पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी।

बॉबी जो मोरो

1956 के मेलबॉर्न (Melbourne) ओलंपिक में तीन स्वर्ण पदक जितने वाले धावक बॉबी जो मोरो (Bobby Joe Morrow) का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मेलबॉर्न ओलंपिक में वर्ष 1956 में मोरो ने 100 मीटर, 200 मीटर और 4×100 मीटर में स्वर्ण पदक

नोट :

जीता था और वे अमेरिका के प्रसिद्ध एथलीट (Athletics) जेसी ओवेन्स (Jesse Owens) के बाद ऐसा करने वाले दूसरे एथलीट बन गए थे। इसके बाद अमेरिका के कार्ल लुईस (Carl Lewis) और जमैका के उसैन बोल्ट (Usain Bolt) ने भी यह उपलब्धि प्राप्त की थी। बॉबी जो मोरो का जन्म 15 अक्तूबर, 1936 को अमेरिका के टेक्सास (Texas) में हुआ था। वर्ष 1956 से वर्ष 1958 के मध्य बॉबी जो मोरो विश्व के शीर्ष धावक रहे। बॉबी जो मोरो ने वर्ष 1958 में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया था, हालाँकि उन्होंने वर्ष 1960 में कुछ समय के लिये वापसी की थी, किंतु अमेरिका के ओलंपिक समूह में स्थान बनाने में विफल रहे। उन्हें वर्ष 1975 में नेशनल ट्रैक एंड फील्ड हॉल ऑफ फेम (National Track and Field Hall of Fame) के लिये चुना गया था।

हिंदी पत्रकारिता दिवस

देश भर में प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस (Hindi Journalism Day) मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि आज ही के दिन 1826 ई. में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' के प्रकाशन का शुभारंभ किया था। 'उदंत मार्तण्ड' का शाब्दिक अर्थ है 'समाचार-सूर्य'। 'उदंत मार्तण्ड' का प्रकाशन प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को किया जाता था। पुस्तकाकार में छपने वाले 'उदंत मार्तण्ड' के केवल 79 अंक ही प्रकाशित हो सके और दिसंबर, 1827 में वित्तीय संसाधनों के अभाव में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इस समाचार पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों भाषाओं के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था जिसे इस पत्र के संचालक 'मध्यदेशीय भाषा' कहते थे। कानपुर के रहने वाले पंडित युगल किशोर शुक्ल पेशे से एक वकील थे और औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में वकील के तौर पर कार्य कर रहे थे। इतिहासकार पंडित युगल किशोर शुक्ल को भारतीय पत्रकारिता का जनक मानते हैं। वहीं बंगाल से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता ने इतिहास में एक लंबा सफर तय किया है। 1826 ई. में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तब यह कल्पना करना मुश्किल था कि भारत में पत्रकारिता भविष्य में इतना लंबा सफर तय करेगी।

तेलंगाना स्थापना दिवस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'राज्य स्थापना दिवस' पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना का गठन आज के ही दिन वर्ष 2014 में किया गया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 112,077 वर्ग किलोमीटर है। तेलंगाना में कुल 33 ज़िले हैं और इसकी जनसंख्या लगभग 350 लाख है। तेलंगाना का गठन एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में 2 जून, 2014 को भारत के 29वें और सबसे युवा राज्य के रूप में किया गया था। हालाँकि एक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक इकाई के रूप में इसका 2500 या उससे अधिक वर्षों का शानदार इतिहास है। तेलंगाना के कई ज़िलों में पाए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तकरीबन हज़ारों वर्ष पूर्व यहाँ के इस हिस्से में मानव निवास करते थे। 1990 के दशक के मध्य से ही तेलंगाना के लोगों ने स्वयं को एक अलग राज्य मांग के साथ विभिन्न संगठनों के तहत संगठित करना शुरू कर दिया था। वर्ष 2008-09 के आस-पास यह आंदोलन और अधिक तेज़ हो गया। 4 वर्ष के विरोध के बाद सरकार ने जुलाई 2013 में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी और फरवरी 2014 में संसद के दोनों सदनों में राज्य निर्माण का विधेयक पारित करके इस प्रक्रिया का समापन किया गया। इसके पश्चात् 2 जून, 2014 को औपचारिक रूप से तेलंगाना का गठन हुआ।

आर. के. चतुर्वेदी

मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी आर. के. चतुर्वेदी को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग (Department of Chemicals and Petrochemicals) के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिव के पद पर नियुक्त किये जाने से पूर्व आर. के. चतुर्वेदी संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवारत थे। वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण में महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आर. के. चतुर्वेदी ने पी. राघवेंद्र राव का स्थान लिया है, जो 31 मई, 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। देश में रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्रों की वृद्धि तथा विकास के लिये नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार एवं कार्यान्वित करना इस विभाग का प्रमुख लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त यह उद्योग के उपर्युक्त क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये सार्वजनिक-निजी साझेदारी की भावना को भी बढ़ावा देता है।

रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट

हाल ही में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (Indian Energy Exchange) ने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट (Real-Time Electricity Market-RTM) लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य डिस्कॉम को अपनी बिजली आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना है। इसका उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को अपनी बिजली संबंधित आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद

नोट :

करना है। यह मार्केट एक दिन में कुल 48 नीलामी सत्र (Auction Sessions) आयोजित करेगा और सत्र बंद होने के एक घंटे के भीतर बिजली वितरित की जाएगी। यह बेहतर तरीके से बिजली आपूर्ति की ज़रूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगा। यह रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट बिजली उत्पादक कंपनियों को भी अपनी गैर-आवश्यक क्षमता की बिजली को बेचने का अवसर प्रदान करेगा जिससे उनकी उत्पादन क्षमता का कुशल उपयोग हो सके। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (Indian Energy Exchange) एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी।

कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम

हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरन रीजीजू (Kiren Rijiju) ने खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम (Community Coach Development Program) का उद्घाटन किया। यह शारीरिक शिक्षा अध्यापकों (Physical Education Teachers) और सामुदायिक प्रशिक्षकों (Community Coaches) से संबंधित 25 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्त्व देना है। यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाएगा और इसे देश भर के सभी विद्यालयों तक पहुँचाया जाएगा। इस अवसर पर खेल मंत्री किरन रीजीजू ने कहा कि विद्यालयों के बच्चों को दैनिक जीवन में खेल तथा फिटनेस को अपनाने हेतु प्रेरित करने में सामुदायिक प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। खेल मंत्री के अनुसार, यदि देश में खेल संस्कृति विकसित की जाती है तो विजेता स्वत: ही तैयार हो जाएंगे। भारत सरकार ने लोगों को अपने जीवन में फिटनेस को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये कई कदम उठाए हैं, जिसमें फिट इंडिया मूवमेंट उल्लेखनीय है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में की गई थी। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को रोज़मर्रा के जीवन में फिट रहने के साधारण और आसान तरीके शामिल करने के लिये प्रेरित करना है। उल्लेखनीय है कि शारीरिक शिक्षा न केवल व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

विश्व साइकिल दिवस

प्रत्येक वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस (World Bicycle Day) मनाया जाता है। बीते दो दशकों से अनवरत प्रयोग की जा रही साइकिल की विशिष्टता को स्वीकार करते हुए, इसे परिवहन के एक सरल, किफायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त साधन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) द्वारा सर्वप्रथम 3 जून, 2018 को विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया गया था। यह दिवस हितधारकों को सतत् विकास को बढ़ावा देने और शारीरिक शिक्षा समेत सामान्य शिक्षा पद्धति को मज़बूत करने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग पर जोर देने के लिये प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मज़बूत करने और समाज में साइकिल चलाने की संस्कृति को विकसित करने के लिये अनेक प्रकार के आयोजन किये जाते हैं। उल्लेखनीय है कि साइकिल परिवहन का एक सस्ता और स्वच्छ माध्यम है, इससे किसी भी किस्म का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है और यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी है। साइकिल टिकाऊ परिवहन का एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक है और यह स्थायी उपभोग को बढ़ावा देने के लिये भी उपयोगी है।

COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) ने जीवन रक्षा तकनीक तक समान पहुँच के लिये 'COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल' (COVID-19 Technology Access Pool-C-TAP) लॉन्च किया है। C-TAP का उद्देश्य अनुसंधान और सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेज़ी लाना और विकसित किये गए किसी भी उत्पाद की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अन्य हितधारकों से भी इस पहल से जुड़ने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि इस पहल की पेशकश कोस्टा रीका (Costa Rica) के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो (Carlos Alvarado) द्वारा मार्च 2020 में की गई थी। 'COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल' के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि COVID-19 के संबंध में सभी नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रगति का लाभ विश्व के सभी देशों को प्राप्त हो सके। 'COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल' स्वैच्छिक और सामाजिक एकजुटता पर आधारित होगा और इसके ज़रिये वैज्ञानिक जानकारी, डेटा और बौद्धिक सम्पदा को वैश्विक समुदाय के साथ समान रूप से साझा करने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) द्वारा समर्थित इस पहल का उद्देश्य निम्न व मध्यम आय वाले देशों में जीवनरक्षक दवाइयों की सुलभता सुनिश्चित करना है।

नोट :

'दिल्ली कोरोना' एप

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के मामले दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में COVID-19 की गंभीर स्थिति के मद्देनज़र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों की सहायता के लिये 'दिल्ली कोरोना' नाम से एक मोबाइल एप लॉन्च किया है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के इस एप की मदद से आम लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त हो सकती है कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में कितने बेड और वेंटीलेटर खाली हैं। इस एप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह एप अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 2 लाख से भी अधिक हो गए हैं और देश के इस घातक वायरस के कारण कुल 5,834 लोगों की मृत्यु हो गई है। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के 20000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।

रवीश कुमार

अनुभवी राजनयिक और विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को फिनलैंड (Finland) में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में रवीश कुमार विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। रवीश कुमार फिनलैंड में भारत की राजदूत वाणी राव का स्थान लेंगे, जिन्हें वर्ष 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। रवीश कुमार 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा (Indian Foreign Service-IFS) अधिकारी हैं। रवीश कुमार को जुलाई 2017 में विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था और वे अप्रैल 2020 तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न घटनाओं जैसे- जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन आदि पर विश्व के समक्ष भारत का पक्ष रखा। इसके अतिरिक्त वे फ्रैंकफर्ट (Frankfurt) में भारतीय महावाणिज्य दूत (Consulate General) और जकार्ता (Jakarta) में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन (Deputy Chief of Mission) के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि भारत और फिनलैंड के मध्य ऐतिहासिक रूप से काफी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। फिनलैंड भारत को अपने उत्पादन के लिये एक बड़े बाज़ार के रूप में देखता है, जबकि भारत फिनलैंड को यूरोपीय संघ के एक महत्त्वपूर्ण सदस्य और आधुनिक तकनीक वाले एक देश के रूप में देखता है। वर्ष 2019 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। फिनलैंड में भारतीय संस्कृति मुख्य तौर पर योग काफी लोकप्रिय है।

भारत की रेटिंग में कमी

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस (Moody's Investors Service) ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को 'Baa2' से कम करके 'Baa3' कर दिया है। साथ ही मूडीज़ ने भारत के प्रति अपने 'नकारात्मक' दृष्टिकोण को भी बरकरार रखा है। मूडीज़ के अनुसार, COVID-19 महामारी और लगातार बढ़ते कर्ज के साथ ही वर्तमान वित्तीय संकट के कारण आगामी भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्य गति से विकास करने में काफी समय लगेगा। मूडीज़ ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नीति निर्माताओं के लिये मौजूदा वित्तीय जोखिमों को कम करने के साथ अपनी नीतियाँ लागू करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। साधारण शब्दों में क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की ऋण लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होती है। मूडीज़ विश्व की तीन बड़ी अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। दो अन्य रेटिंग एजेंसियाँ स्टैण्डर्ड एंड पुअर्स (S & P) तथा फिच हैं। मूडीज़ Aaa से लेकर C तक रेटिंग जारी करती है। AAA को सबसे सर्वश्रेष्ठ रेटिंग माना जाता है, जबकि C सबसे खराब रेटिंग होती है। इन कंपनियों द्वारा रेटिंग देते समय किसी देश पर कर्ज़ की मौजूदा स्थिति और उसे चुकाने की उसकी क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त ये एजेंसियाँ देश में हुए आर्थिक सुधारों, भविष्य के आर्थिक परिदृश्य तथा देश में निवेश के लिये सुरक्षित माहौल को भी ध्यान में रखती हैं।

बिमल जुल्का समिति

हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के तहत संचालित फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण को लेकर गठित बिमल जुल्का समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने अपनी जाँच में पाया कि मंत्रालय के अधीन कई संस्थान एक जैसा ही कार्य कर रहे थे, समिति ने अपनी रिपोर्ट में 4 व्यापक कार्यक्षेत्रों के साथ एक प्रमुख संगठन (अम्ब्रेला ऑर्गनाइज़ेशन-Umbrella Organization) बनाने का सुझाव दिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में व्यावसायिक फिल्मों के निर्माण के लिये स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के वित्तपोषण हेतु फिल्म प्रमोशन फंड (Film Promotion Fund) के निर्माण का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त समिति ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (National Film Development Corporation of India), फिल्म डिवीज़न, चिल्ड्रंस फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया (Children's Film Society), सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान (Satyajit Ray Film & Television Institute), फिल्म महोत्सव निदेशालय (Directorate of Film Festivals) और भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय आदि के विकास के लिये एक विशेष रोडमैप सुझाया है।

नोट :

विदेशी नागरिकों के भारत में आने संबंधी प्रतिबंधों में छूट

भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की इजाज़त देने के लिये वीज़ा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने देने की घोषणा की है। सरकार के निर्णय के तहत विदेशी नागरिकों की निम्नलिखित श्रेणियों को भारत में आने की इजाज़त मिलेगी- (1) विदेशी व्यवसायी जो बिज़नेस वीज़ा पर भारत आ रहे हैं (2) विदेशी हेल्थकेयर पेशेवर, स्वास्थ्य शोधकर्त्ता, इंजीनियर और तकनीशियन जो प्रयोगशालाओं और कारखानों सहित भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायता करने वाले विभिन्न पेशेवर, हालाँकि यह भारत में किसी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, पंजीकृत दवा कंपनी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त निमंत्रण पत्र की स्थिति में ही होगा (3) विदेशी इंजीनियरिंग, प्रबंधकीय, डिज़ाइन या अन्य विशेषज्ञ जो भारत स्थित विदेशी व्यापार संस्थाओं की ओर से भारत की यात्रा करने वाले हैं (4) विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियर, जो एक पंजीकृत भारतीय व्यवसाय कंपनी के निमंत्रण पर भारत में विदेशी मूल की मशीनरी और उपकरण सुविधाओं की स्थापना, मरम्मत और रख-रखाव के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं। विदेशी नागरिकों की उपरोक्त श्रेणियों को विदेशों में भारतीय दूतावासों से एक नया व्यापार वीज़ा या रोज़गार वीज़ा प्राप्त करना होगा।

बासु चटर्जी

04 जून, 2020 को मशहूर फिल्मकार बासु चटर्जी (Basu Chatterjee) का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बासु चटर्जी ने हिंदी के साथ-साथ बंगाली सिनेमा में भी काफी कार्य किया था। यथार्थवादी फिल्मकार के रूप में पहचाने जाने वाले बासु चटर्जी की फिल्में 70 के दशक की फिल्मों के मूल स्वरूप से बिलकुल इतर थीं। बासु चटर्जी का जन्म वर्ष 1930 को अजमेर में हुआ था और एक लेखक तथा निर्देशक के तौर पर उन्हें उनकी अनूठी फिल्मों के लिये जाना जाता था। बासु चटर्जी ने वर्ष 1969 में आई फिल्म 'सारा आकाश' (Sara Akash) के साथ बतौर निर्देशक अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। बासु चटर्जी की कुछ प्रमुख और लोकप्रिय फिल्मों में शामिल हैं- 'छोटी सी बात' (1976), 'रजनीगंधा' (1974), 'मंज़िल' (1979), 'स्वामी' (1977) और 'बातों बातों में' (1979)। इसके अतिरिक्त उन्होंने दूरदर्शन के लिये भी कई लोकप्रिय धारावाहिकों का निर्माण किया, जिसमें 'ब्योमकेश बख्शी' (Byomkesh Bakshi) काफी प्रचलित है। बासु चटर्जी भारतीय सिनेमा में 70 के दशक के एक अग्रणी नाम के रूप में जाने जाते थे, भारतीय सिनेमा और खासकर हिंदी सिनेमा में उनके बहुमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से नवाज़ा गया था, वर्ष 1992 में उन्हें उनकी फिल्म 'दुर्गा' के लिये 'राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया।

सुमेरु पैक्स (SUMERU PACS)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने सुमेरु पैक्स (SUMERU PACS) नाम से एक उपकरण विकसित किया है जो स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment-PPE) के प्रयोग के दौरान आने वाली समस्याओं को समाप्त कर PPE के प्रयोग को और अधिक आरामदायक बनाएगा। उल्लेखनीय है कि कई शोधों में वैज्ञानिकों ने पाया कि PPE किट को 30 मिनट से अधिक समय तक प्रयोग करने से स्वास्थ्यकर्मी काफी अधिक असहज महसूस करते हैं और काफी लंबे समय तक PPE किट के प्रयोग से स्वास्थ्य कर्मियों को अत्यधिक पसीने (Sweating) जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कार्य की स्थितियाँ और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। इसी समस्या के समाधान के रूप में DRDO ने 'सुमेरु पैक्स' (SUMERU PACS) नाम से वायु संचालन प्रणाली (Air Circulation System) विकसित की है, जिसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) के अंदर लगभग 500 ग्राम वजन के छोटे बैग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। DRDO द्वारा विकसित यह प्रणाली उन डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के लिये अत्यधिक लाभदायक है जो अस्पतालों में छह से अधिक घंटों तक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट का प्रयोग करने को मज़बूर है। विदित हो कि DRDO रक्षा प्रणालियों के डिज़ाइन एवं विकास के साथ-साथ तीनों क्षेत्रों की रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार विश्व स्तर की हथियार प्रणाली एवं उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और यह रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के तहत कार्य करता है।

भारतीय उद्योग परिसंघ

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) के मौजूदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) उदय कोटक को वर्ष 2020-21 के लिये भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation Of Indian Industry-CII) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही संजीव बजाज को CII का उपाध्यक्ष चुना गया है। उल्लेखनीय है कि उदय कोटक बीते दो दशकों से CII के साथ जुड़े हुए हैं और उद्योग संगठन को

नोट :

अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) सलाह और परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में कार्य करता है। CII एक गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका नेतृत्व और प्रबंधन स्वयं भारतीय उद्योग से संबंधी लोगों द्वारा किया जाता है, इस संगठन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लगभग 9100 सदस्य हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की स्थापना वर्ष 1895 में हुई थी और तकरीबन 125 वर्षों से यह भारत की विकास यात्रा को आकार देने तथा राष्ट्रीय विकास में भारतीय उद्योग की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

तियानमेन स्क्वायर नरसंहार

04 जून, 2020 को तियानमेन स्क्वायर नरसंहार (Tiananmen Square Massacre) के 31 वर्ष पूरे हो गए हैं। तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत अप्रैल 1989 में कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन शीर्ष नेता और समाज सुधारक हू याओबांग (Hu Yaobang) की मृत्यु के बाद हुई थी, जब हज़ारों छात्र और मज़दूर लोकतंत्र की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने लगे, समय के साथ आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ने लगी और तानाशाही समाप्त करने तथा लोकतंत्र बहाल करने की मांग भी तेज़ होने लगी। धीरे-धीरे विरोध प्रदर्शन इतने तेज़ हो गए कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार को अपने कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े, ये विरोध प्रदर्शन चीन की सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरने लगे और अंततः चीन की सरकार ने सैन्य शक्ति के दम पर प्रदर्शन को कुचलने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य के साथ 4 जून को चीन की सेना ने तियानमेन स्क्वायर में प्रवेश किया और वहाँ मौजूद 'गॉडेस ऑफ डेमोक्रेसी' की प्रतिमा को टैंक से उड़ा दिया गया, जब वहाँ मौजूद छात्रों और मज़दूरों ने इसका विरोध करना चाहा तो सैनिकों द्वारा उन पर गोलियाँ चलाई गईं। एक अनुमान के अनुसार, चीन की सरकार के आदेश पर की गई इस सैन्य कार्यवाही में तकरीबन 10000 लोगों की मृत्यु हुई थी। उल्लेखनीय है कि तियानमेन स्क्वायर में हुए विरोध प्रदर्शन को चीन के आधुनिक राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन कहा जाता है।

रूसी भाषा दिवस

प्रतिवर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। रूसी भाषा दिवस को अलेक्सांद्र पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। फरवरी 2010 में सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को मनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने भाषा दिवस का शुभारंभ किया गया। संयुक्त राष्ट्र, भाषा दिवस संगठन की 6 आधिकारिक भाषाओं को संरक्षित करता है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएँ अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनिश, रूसी और फ्रेंच हैं।

TULIP इंटर्नशिप कार्यक्रम

4 जून, 2020 को आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'TULIP' नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को नए इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, उन्हें भारत में 4,400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ काम करने के अवसर मिलेंगे। इंटर्नशिप एक वर्ष के लिये आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में शामिल हितों के क्षेत्र वित्तपोषण, शहरी नियोजन, पर्यावरण नियोजन, स्वच्छता और बुनियादी ढाँचे, पर्यावरण इंजीनियरिंग हैं। यह कार्यक्रम भारत को कई सरकारी योजनाओं को लागू करने में अपनी जनशक्ति की कमी की समस्या को हल करने में मदद करेगा।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषणा की है कि वह 'द ग्रेट रिसेट' (The Great Reset) थीम के तहत दावोस में अपने अगले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। फोरम ने शिखर सम्मेलन को 'अ यूनिक ट्विन समिट' (A Unique Twin Summit) नाम दिया है। विश्व आर्थिक मंच का 51 वाँ वार्षिक शिखर सम्मेलन विभिन्न वैश्विक नेताओं, नागरिक समाज और बहु-हितधारकों को एकत्रित करेगा। इस शिखर सम्मेलन की योजना दुनिया भर के लाखों युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें नेताओं के साथ चर्चा करने के लिये एक शक्तिशाली वर्चुअल हब उपलब्ध करवाना है। विदित है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में क्लाउस श्वाब (Klaus Schwab) के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है। यह एक गैर-लाभकारी संगठन है, यह संगठन अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है।

रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड

भारत के प्रसिद्ध गीतकार और प्रख्यात लेखक जावेद अख्तर को हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड (Richard Dawkins Award) से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि जावेद अख्तर यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। यह पुरस्कार विज्ञान,

नोट :

शोध, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है, जिसने सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत होकर धर्मनिरपेक्षता के प्रति कार्य किया है। यह पुरस्कार प्रसिद्ध अंग्रेज़ी विकासवादी जीवविज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस (Richard Dawkins) के नाम पर दिया जाता है। रिचर्ड डॉकिंस ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और सृष्टिवाद (Creationism) के मुखर आलोचक थे। जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी 1945 को मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उर्दू लेखक जाँनिसार अख्तर और लेखिका साफिया अख्तर के पुत्र जावेद अख्तर 70 और 80 के दशक के दौरान सबसे प्रसिद्ध पटकथा लेखकों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्मों जैसे- 'शोले' और 'मिस्टर इंडिया' आदि में बतौर लेखक कार्य किया। कुछ ही समय में जावेद अख्तर ने पटकथा लेखन छोड़ दिया और गीतकार तथा सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्त्ता बन गए। जावेद अख्तर को वर्ष 1999 में पद्म श्री से और उसके पश्चात् वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जावेद अख्तर को अपने काव्य संग्रह 'लावा' के लिये उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार और फिल्म उद्योग में योगदान के लिये कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (National Film Awards) भी प्राप्त हुए हैं।

पोषण स्तर में सुधार हेतु कार्यदल

भारत सरकार ने पोषण स्तर बेहतर करने से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ कुछ अन्य संबंधित विषयों पर गौर करने के लिये एक कार्यदल का गठन किया है। जया जेटली को इस कार्यदल का अध्यक्ष नामित किया गया है, साथ ही इस कार्यदल में राज्य के विभिन्न विभागों के सचिवों को भी पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह कार्यदल विवाह एवं मातृत्व की आयु के साथ निम्नलिखित के सह-संबंध पर गौर करना (1) माँ का स्वास्थ्य, चिकित्सीय सेहत एवं पोषण की स्थिति (2) प्रमुख मापदंड जैसे कि शिशु मृत्यु दर (Infant Martality Rate), मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate) और कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate) आदि (3) इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु। इसके अतिरिक्त यह लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय सुझाने का कार्य भी करेगा। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, कार्यदल को नीति आयोग द्वारा सचिवालयी या दफ्तरी सहायता प्रदान की जाएगी और कार्यदल 31 जुलाई, 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

'स्पंदन' अभियान

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिये 'स्पंदन' नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। इस संबंध में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को मनोचिकित्सकों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की जाएगी। योग कक्षाओं के संचालन के लिये स्थानीय योग शिक्षकों का सहयोग मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि बीते दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या की है, जो कि राज्य के पुलिस कर्मियों में मानसिक तनाव की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। कुछ ही समय पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस कर्मियों के मध्य बढ़ती अवसाद और मानसिक तनाव की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस विभाग को इस संबंध में जल्द-से-जल्द कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये थे, ताकि पुलिस कर्मियों में हो रहे मानसिक तनाव को कम किया जा सके और इसके कारण होने वाली आत्महत्या और हिंसक घटनाओं को रोका जा सके।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

प्रत्येक वर्ष 07 जून को विश्व भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के बारे में जागरूकता पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। उल्लेखनीय है कि 7 जून, 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day) मनाया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) के सहयोग से अपनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दूषित खाद्य या बैक्टीरिया युक्त खाद्य से प्रत्येक वर्ष 10 में से एक व्यक्ति बीमार होता है, विश्व भर की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो यह संख्या 60 करोड़ से भी अधिक है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी दो एजेंसियों - खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये नामित किया है।

मनरेगा के तहत एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिये एक लाख एक हज़ार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से 31

नोट :

हज़ार 493 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जो कि वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में इस मद के लिये अनुमान के 50 प्रतिशत से अधिक है। आँकड़ों के अनुसार, मनरेगा के तहत अब तक कुल 60 करोड़ 80 लाख दिवस का रोज़गार सृजित किया गया है और 6 करोड़ 69 लाख कामगारों को कार्य दिया गया है। इस वर्ष मई में जिन लोगों को काम दिया गया था, उनकी औसत संख्या 2 करोड़ 51 लाख प्रतिदिन है। यह बीते वर्ष मई में दिये गए कार्य से 73 प्रतिशत अधिक है। योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कुल 10 लाख कार्य पूरे किये जा चुके हैं। जल संरक्षण तथा सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी और आजीविका संवर्द्धन के लिये व्यक्तिगत लाभकारी कार्यों से संबंधित कार्यों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (NREGA-नरेगा) के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिये 100 दिन का गारंटीयुक्त रोज़गार, दैनिक बेरोज़गारी भत्ता और परिवहन भत्ता (5 किमी. से अधिक दूरी की दशा में) का प्रावधान किया गया है। मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है।

2022 महिला एशियाई कप

हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ (Asian Football Confederation-AFC) ने पुष्टि की है कि भारत वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले महिला एशियाई कप (Women's Asian Cup) की मेजबानी करेगा। उल्लेखनीय है कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) द्वारा गठित महिला फुटबॉल समिति (Women's Football Committee) ने इसी वर्ष फरवरी माह में इस संदर्भ में सिफारिश की थी, जिसकी पुष्टि एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) द्वारा की गई है। संभवत: इसका आयोजन वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप से पूर्व किया जाएगा। भारतीय टीम ने वर्ष 1981 में महिला एशियाई कप में कांस्य पदक जीता था। एशियाई फुटबॉल महासंघ (Asian Football Confederation-AFC) एशिया की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 8 मई, 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) एक राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना वर्ष 1937 में शिमला स्थित सेना मुख्यालय में हुई थी। एक महासंघ के रूप में यह देश भर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। AIFF एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो एशिया में फुटबॉल का प्रबंधन करता है।

GST मुआवज़ा

केंद्र सरकार ने तीन महीने के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को GST मुआवज़े के रूप में 36,400 करोड़ रुपए जारी किये हैं। यह GST मुआवज़ा दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 की अवधि के लिये जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2019 से नवंबर, 2019 की अवधि के लिये केंद्र सरकार द्वारा पहले ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 1,15,096 करोड़ रुपए जारी किये जा चुके हैं। विदित हो कि केंद्र सरकार ने GST के लागू होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक GST कार्यान्वयन के कारण कर राजस्व में आने वाली कमी के लिये राज्यों को क्षतिपूर्ति देने का वादा किया था। केंद्र सरकार के इस वादे के चलते बड़ी संख्या में अनिच्छुक राज्य नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के लिये सहमत हो गए थे। हालाँकि बीते कुछ समय से केंद्र सरकार द्वारा मुआवज़े का भुगतान न करने पर राज्यों के समक्ष राजस्व को लेकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वहीं COVID-19 महामारी ने इस चुनौती को और भी गंभीर कर दिया था, ऐसे में राज्य केंद्र सरकार पर आर्थिक रूप से काफी अधिक निर्भर हो गए थे, कई विशेषज्ञों ने ऐसी स्थिति को सहकारी संघवाद पर एक संकट माना था। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में 69,275 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2017-18 में 41,146 करोड़ रुपए का GST मुआवज़ा जारी किया था। सरकार द्वारा GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिये केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal-CAT) की 18वीं खंडपीठ स्थापित की है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की खंडपीठ से न केवल सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधित मामलों से निपटने में मदद मिलेगी बल्कि इससे विभिन्न न्यायालयों का बोझ भी कम होगा। साथ ही इस खंडपीठ से सरकारी कर्मचारियों को उनकी शिकायतों था सेवा मामलों के संबंध में त्वरित राहत भी मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के न्यायाधिकरण को प्रशासनिक या न्यायिक कार्यों के साथ अदालतों के पदानुक्रम के बाहर एक निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण राज्य के विभिन्न अंगों के मध्य विवाद का निराकरण करता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उद्गव संविधान के अनुच्छेद 323(A) से हुआ है,जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को, केंद्र तथा राज्यों के कार्य संचालन के संबंध में सार्वजनिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के निपटारे हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है।

नोट :

कोल एक्सचेंज

कोयला क्षेत्र (Coal Sector) में सरकारी एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने देश में एक कोयला व्यापार मंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। कोयले के व्यापार के लिये एक्सचेंज स्थापित करने का अर्थ है कि अब ईंधन आपूर्ति समझौता (Fuel Supply Agreement) समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार देश में कमोडिटी एक्सचेंज (Commodity Exchange) की तर्ज़ पर 'कोल एक्सचेंज' (Coal Exchange) के माध्यम से एक नियामक के ज़रिये कोयले की खरीद-बिक्री की जा सकेगी। इस संबंध में तैयार किये गए प्रस्ताव के अनुसार, देश में होने वाले कोयला उत्पादन का पूरा हिस्सा 'कोल एक्सचेंज' में ट्रेडिंग के लिये रखा जाएगा। 'कोल एक्सचेंज' एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ कीमत के संदर्भ में पारदर्शिता होगी। यह कीमत मांग और पूर्ति के अनुसार निर्धारित की जा सकेगी। इस कदम का उद्देश्य भारत में कोयले के उत्पादन को बढ़ाना और आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करना है। कोयला भंडार की उपलब्धता के मामले में विश्व में पाँचवे स्थान पर होने के बावजूद भी भारत को कोयले का आयात करना पड़ता है। वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष स्थानीय कोल उत्पादन लगभग 700-800 मिलियन टन है, जबकि प्रतिवर्ष औसतन लगभग 150-200 मिलियन टन कोयले का आयात किया जाता है। वर्ष 1973 में भारत में कोयले के राष्ट्रीकरण के बाद वर्ष 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited- CIL) की स्थापना की गई थी। वर्तमान में देश के कुल कोयला उत्पादन में CIL की भागीदारी लगभग 82% है।

वंदे उत्कल जननी गीत

हाल ही में ओडिशा सरकार ने कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र (Kantakabi Laxmikanta Mohapatra) द्वारा रचित एक देशभक्ति गीत 'वंदे उत्कल जननी' को राज्यगीत का दर्जा दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 'वंदे उत्कल जननी' गीत को सरकार मान्यता देने संबंधी निर्णय लिया गया है। 'वंदे उत्कल जननी' गीत की रचना कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा वर्ष 1910 में की गई थी। यह गीत सर्वप्रथम वर्ष 1912 में उत्कल सम्मिलनी (Utkal Sammilani) की बैठक में गाया गया था और तभी से यह उत्कल सम्मिलनी की सभी बैठकों में गाया जाता है। उत्कल सम्मिलनी स्वतंत्रता सेनानी मधुसूदन दास द्वारा स्थापित एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1936 में जब ओडिशा एक अलग राज्य बना, तब भी इस गीत को गाया गया था। सर्वप्रथम वर्ष 1994 में ओडिशा विधानसभा ने प्रत्येक सत्र के अंत में 'वंदे उत्कल जननी' गीत गाने का संकल्प किया था। तभी से इसे राज्य गीत बनाने पर कई विचार-विमर्श किया जा रहा है। वर्ष 2000 और और वर्ष 2006 में भी इस गीत को सरकारी मान्यता देने की मांग उठी थी। ओडिया कवि लक्ष्मीकांत महापात्र का जन्म 9 दिसंबर, 1888 को ओडिशा के भद्रक ज़िले में हुआ था।

भारत और डेनमार्क के बीच बिजली क्षेत्र में क्षेत्र के सहयोग के लिये समझौता

हाल ही में भारत और डेनमार्क ने समानता, पारस्पारिक आदान-प्रदान और आपसी लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य मज़बूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत चिह्नित बिंदुओं के कार्यान्वयन के लिये एक संयुक्त कार्य दल (Joint Working Group-JWG) स्थापित किया जाएगा। JWG की अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। समझौता ज्ञापन के माध्यम से पहचाने गए क्षेत्रों में पारस्परिक लाभ के लिये बिजली क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने तथा बढ़ावा देने के लिये सरकार आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेगी। वर्ष 1957 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेनमार्क यात्रा के साथ भारत और डेनमार्क के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत हुई थी।

मोनिका कपिल मोहता

वरिष्ठ राजनयिक मोनिका कपिल मोहता को स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) में भारत की नई राजदूत नियुक्त किया गया है। मोनिका कपिल मोहता वर्ष 1985 बैच की भारतीय विदेश सेवा (IFS) की अधिकारी हैं और वर्तमान में स्वीडन (Sweden) में भारत की राजदूत हैं। इससे पूर्व वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (दक्षिण) के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। भारत और स्विट्ज़रलैंड के मध्य भारतीय स्वतंत्रता के बाद से सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। ऐतिहासिक रूप से ही भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और स्विट्ज़रलैंड की तटस्थता की पारंपरिक नीति दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों का एक कारण रही है। स्विट्ज़रलैंड ने भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिये थे और 14 अगस्त, 1948 को नई दिल्ली में भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच मित्रता संधि (Treaty of Friendship) पर हस्ताक्षर किये गए थे। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत, स्विटज़रलैंड का 8वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।

नोट :

जावेद इकबाल वानी

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कश्मीर के प्रतिष्ठित वकील जावेद इकबाल वानी को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि बीते सात वर्षों में यह पहली बार हुआ है जब कश्मीर के किसी वकील को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व कश्मीर के वकील, न्यायाधीश अली मुहम्मद मागरे को वर्ष 2013 में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ध्यातव्य है कि भारत के न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम व्यवस्था (Collegium System) कहा जाता है। इस व्यवस्था का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के बाद हुआ है। कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्त्व में बनी वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति न्यायाधीश के नाम तथा नियुक्ति का निर्णय करती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण का निर्णय भी कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही किया जाता है। साथ ही उच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश पदोन्नत होकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे यह निर्णय भी कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही लिया जाता है। ज्ञात हो कि कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधित प्रावधान में, जिसके कारण इस प्रणाली की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगते रहे हैं। इस व्यवस्था में अस्पष्टता, पारदर्शिता की कमी के साथ ही परिवारवाद की संभावना भी व्यक्त की जाती रही है।

आयुष्मान भारत के दायरे में प्रवासी श्रमिक

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस (COVID-19) संकट के मद्देनज़र आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) को प्रवासी श्रमिकों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (The National Health Authority- NHA) के अनुसार, नई घोषणा के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिये राज्य सरकारों के साथ समन्वयित रूप से कार्य किया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य मौजूदा महामारी के दौरान वंचितों के लिये स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सरकार ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को मुफ्त COVID-19 परीक्षण की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में शुभारंभ के बाद से ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना बनी हुई है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष दिये जा रहे 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर के माध्यम से गरीब और वंचित भारतीयों को अस्पताल में किफायती स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में 10.74 करोड़ से अधिक गरीबों और संवेदनशील परिवारों के लिये वित्तीय जोखिम से सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रवासी श्रमिकों के लिये आयुष्मान भारत योजना के चयन का एक कारण यह भी है कि इस योजना के कुल लाभार्थियों में तकरीबन 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण हैं।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार

भारत समेत विश्व के तमाम देशों में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी का संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में वैश्विक समाज के समक्ष परिस्थितियाँ और भी गंभीर होती जा रही हैं। ध्यातव्य है कि महामारी के मद्देनज़र एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में पहचाने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (Ramon Magsaysay Awards) को रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह तीसरी बार हुआ है, जब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द किया गया है, इससे पूर्व वर्ष 1970 में आर्थिक संकट के दौर में और वर्ष 1990 में फिलीपींस में आए भयानक भूकंप के कारण यह पुरस्कार रद्द किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इससे पूर्व अरविंद केजरीवाल, अरुणा रॉय और संजीव चतुर्वेदी सहित कई अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। एशिया का नोबेल माना जाने वाला यह पुरस्कार एशिया में साहसिक और परिवर्तनकारी नेतृत्त्व के लिये दिया जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा यह पुरस्कार वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार मुख्यत: 5 श्रेणियों में दिया जाता है।

संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन

संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates-UAE) ने घोषणा की है कि वह 14 जुलाई को अपने 'होप मार्स मिशन' (Hope Mars Mission) को लॉन्च करेगा। ध्यातव्य है कि इस लॉन्च के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मंगल ग्रह पर इस प्रकार का मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन जाएगा। विशेषज्ञों का मत है कि यह मिशन सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लिये ही महत्त्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह संपूर्ण अरब क्षेत्र के लिये भी काफी महत्त्वपूर्ण है। यह मिशन आगामी 14 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू करेगा और संभवत: फरवरी 2021 में मंगल ग्रह तक पहुँच जाएगा। इस कार्यक्रम का वित्तपोषण 'संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी' (UAE

नोट :

Space Agency) द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की इस अंतरिक्ष परियोजना की शुरुआत आधिकारिक तौर पर वर्ष 2014 में हुई थी। UAE के अंतरिक्ष यान (Spacecraft) को जापान से लॉन्च किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अनुसार, इस मिशन से मंगल ग्रह को लेकर जो भी

हींग और केसर उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु समझौता

भारत में केसर और हींग का उत्पादन बढ़ाने के लिये हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित 'हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान' (Institute of Himalayan Bioresource Technology-IHBT) और हिमाचल प्रदेश के 'कृषि विभाग' के मध्य साझेदारी की गई है। इस साझेदारी के तहत 'हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (IHBT) किसानों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराने के साथ-साथ राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों एवं किसानों को प्रशिक्षित भी करेगा। उल्लेखनीय है कि केसर और हींग को विश्व के सबसे मूल्यवान मसालों में गिना जाता है। भारत में सदियों से हींग और केसर का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, किंतु इसके बावजूद देश में इन दोनों ही मसालों का उत्पादन काफी सीमित है। भारत में, केसर की वार्षिक माँग करीब 100 टन है, किंतु हमारे देश में इसका औसत उत्पादन लगभग 6-7 टन ही संभव हो पाता है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में केसर का आयात करना पड़ता है। इसी प्रकार, भारत में हींग उत्पादन भी काफी सीमित है, किंतु इसके बावजूद भारत में प्रत्येक वर्ष विश्व में हींग के कुल उत्पादन के 40 प्रतिशत की खपत होती है, भारत अपनी इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रत्येक वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए मूल्य की तकरीबन 1200 मीट्रिक टन कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से आयात करता है। इस साझेदारी के माध्यम से भारत की आयात निर्भरता में कमी की जा सकेगी। साथ ही यह हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि तथा ग्रामीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस

प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम जैसी क्रूर और बर्बर प्रथा को रेखांकित करने और आम लोगों में इसके विरुद्ध जागरुकता पैदा करने के लिये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (World Day Against Child Labour) का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2020 के लिये इस दिवस का थीम है: 'COVID-19- प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर, नाओ मोर देन एवर!' (Covid-19: Protect Children from Child Labour, Now More Than Ever!)। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) द्वारा वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने के प्रयासों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित के उद्देश्य से की गई थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 के लिये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम बाल श्रम पर मौजूदा महामारी के प्रभाव को रेखांकित करती है। ध्यातव्य है कि कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन बच्चों की कार्य स्थिति काफी चिंताजनक है।

डॉ. रतन लाल

प्रख्यात भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉ. रतन लाल (Dr Rattan Lal) को कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान माने जाने वाले प्रतिष्ठित 'विश्व खाद्य पुरस्कार' के लिये चुना गया है। डॉ. रतन लाल को यह सम्मान मृदा केंद्रित दृष्टिकोण रखते हुए खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उपाय विकसित करने हेतु दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि डॉ. रतन लाल द्वारा विकसित उपायों के माध्यम से न केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संभव हो पाया है, बल्कि इनसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम किया जा सका है। डॉ. रतन लाल द्वारा विकसित तकनीक से विश्व भर के करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है, डॉ. रतन लाल वर्तमान में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी (Ohio State University) में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। गौरतलब है कि डॉ. रतन लाल ने कृषि भूमि को ऊर्वर बनाए रखने की नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिये लगभग चार महाद्वीपों में पचास वर्ष से भी अधिक समय तक कार्य किया है। विश्व खाद्य पुरस्कार (World Food Prize) एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 2, 50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है।

संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology-DST) ने सार्वजनिक क्षेत्र की विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिये एक 'जॉइंट साइंस कम्युनिकेशन

नोट :

फोरम' (Joint Science Communication Forum) का गठन किया है। यह फोरम विभिन्न संस्थानों के विज्ञान संचार प्रयासों को एक साथ लाएगा और व्यापक स्तर पर एक आम नीति तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। इसका लक्ष्य एक राष्ट्रीय विज्ञान संचार की रूपरेखा तैयार करना है। फोरम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अलावा कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और सूचना और प्रसारण समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में विज्ञान संचार के लिये एक मज़बूत संगठनात्मक संरचना मौजूद है। देश में कम-से-कम पाँच राष्ट्रीय संगठन, विज्ञान संचार के विकास के लिये कार्य कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिकारियों पर प्रतिबंध

हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court-ICC) के उन कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की है, जो अमेरिकी सैनिकों और खुफिया अधिकारियों तथा इज़रायल समेत संबद्ध राष्ट्रों की अफगानिस्तान एवं अन्य जगहों पर संभावित युद्ध अपराधों की जाँच कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि हेग (Hague) स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) अमेरिका की प्रभुता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी प्रशासन के इस आदेश के माध्यम से उन लोगों की अमेरिकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी जो ICC की जाँच में सहायता कर रहे हैं। वहीं ऐसे लोगों एवं इनके परिवारजनों को अमेरिका से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि 'संपत्ति जब्त करने और यात्रा पर रोक लगाने जैसे प्रतिबंध मानवाधिकार उल्लंघनकर्त्ताओं के लिये होते हैं, न कि पीड़ितों को न्याय दिलाने वालों के लिये।' हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय विश्व की शीर्ष वैधानिक संस्था है जिसके पास नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों तथा युद्ध अपराधों के मामलों में अभियोग चलाने का स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकार है। इसकी स्थापना 'रोम संविधि' (Rome Statute) के अंतर्गत वर्ष 1998 में हुई थी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India- NHAI) यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस (AI) द्वारा संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साफ्टवेयर के लॉन्च के साथ पूर्ण रूप से डिजिटल संगठन बन गया है। NHAI का समस्त कार्य अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। सभी परियोजना दस्तावेज़ीकरण, अनुबंधात्मक निर्णय एवं मंज़ूरी अब केवल पोर्टल के माध्यम से ही किये जा रहे हैं। NHAI का डिजिटलीकरण निर्माण कार्य को त्वरित करने के अतिरिक्त, यह सटीक एवं सही समय पर निर्णय लिये जाने को भी सुगम बनाएगा। उल्लेखनीय है कि मौजूदा COVID-19 महामारी के परिदृश्य में लगभग सभी संगठनों का कामकाज लगभग पूरी तरह से रुक गया है, ऐसे में पूर्ण रूप से डिजिटल होना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को बिना किसी असुविधा के कार्य करने के लिये प्रेरित करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अन्य छोटी परियोजनाओं सहित, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्य सौंपा गया है।

बिश्वजीत दासगुप्ता

हाल ही में वाइस एडमिरल बिश्वजीत दासगुप्ता (Biswajit Dasgupta) ने पूर्वी नौसेना कमान (Eastern Naval Command-ENC) में चीफ ऑफ स्टाफ (Chief of Staff) के रूप में कार्यभार संभाला है। वह वाइस एडमिरल एस. एन. घोरमाडे (S N Ghormade) का स्थान लेंगे। वाइस एडमिरल बिश्वजीत दासगुप्ता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defence Academy) के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्हें वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना में तैनाती मिली थी और वह नौवहन और डायरेक्शन (Navigation and Direction) में विशेषज्ञ हैं। वाइस एडमिरल बिश्वजीत दासगुप्ता ने मिसाइल वाहक INS निशंक, INS कार्मुक, INS ताबर और विमान वाहक युद्धपोत INS विराट समेत चार अग्रणी जहाज़ों का नेतृत्त्व किया है। वर्ष 2017-18 के दौरान उन्होंने विशाखापट्टनम में प्रतिष्ठित ईस्टर्न फ्लीट (Eastern Fleet) की कमान संभाली थी और उसके बाद उन्हें NCC मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। एडमिरल बिश्वजीत दासगुप्ता को उनकी विशिष्ट सेवा के लिये अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM) और विशिष्ट सेवा पदक (VSM) प्राप्त हो चुका है।

नोट :

गुलज़ार देहलवी

हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू शायर गुलज़ार देहलवी (Gulzar Dehlavi) का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। गुलज़ार देहलवी का असली नाम आनंद मोहन जुत्शी (Anand Mohan Zutshi) था, गुलज़ार देहलवी का जन्म 07 जुलाई, 1926 को पुरानी दिल्ली के गली कश्मीरियां (Gali Kashmirian) में हुआ था। गुलज़ार देहलवी ने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से MA और LLB की पढ़ाई की थी। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात् जब भारत सरकार ने अंग्रेज़ी में साइंस रिपोर्टर (Science Reporter) और हिंदी में विज्ञान प्रगति (Vigyan Pargati) नाम से पत्रिकाएँ शुरू कीं, तो गुलज़ार देहलवी ने ही उर्दू में विज्ञान पत्रिका शुरू करने के पक्ष में आवाज़ उठाई और तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी उनकी इस मांग का समर्थन किया था। वर्ष 1975 में भारत सरकार ने उर्दू में विज्ञान की पहली पत्रिका 'साइंस की दुनिया' (Science ki Duniya) शुरू की और गुलज़ार देहलवी को बाद में उस पत्रिका का संपादक भी नियुक्त किया गया। गुलज़ार देहलवी का संबंध दिल्ली में बसे कश्मीरी पंडितों से हैं।

विश्व रक्तदाता दिवस

प्रत्येक वर्ष 14 जून को संपूर्ण दुनिया में विश्व रक्तदाता दिवस (World Blood Donor Day) मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त एवं रक्त उत्पादों की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदान के लिये रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए अन्य लोगों को भी इस कार्य हेतु प्रोत्साहित करना है। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम 'सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है' (Safe Blood, Saves Lives) रखी गई है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा रक्तदाताओं को धन्यवाद देने और सुरक्षित रक्त की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह दिवस महान जीवविज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर (Karl Landsteiner) की याद में प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है, जिनका जन्म 14 जून, 1868 को हुआ था। उल्लेखनीय है कि उन्होंने मानव रक्त में उपस्थित एग्ल्युटिनिन (Agglutinin) की मौजूदगी के आधार पर रक्तकणों का A, B और O समूह में वर्गीकरण किया था। जटिल चिकित्सा और सर्जरी की स्थिति में रोगी का जीवन बचाने के लिये रक्त की आवश्यकता पड़ती है। प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और सैन्य संघर्ष जैसी आपात स्थितियों में घायलों के इलाज में भी रक्त की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। जीवन रक्षक के रूप में यह बहुत ही अनिवार्य है। इतना महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद सुरक्षित रक्त प्राप्त करना आज भी काफी चुनौतीपूर्ण है। अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देश संबंधित बुनियादी ढाँचे की कमी जैसे विभिन्न कारणों के परिणामस्वरूप अपने नागरिकों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने के लिये संघर्ष करते हैं।

सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करने हेतु AI-आधारित प्रणाली

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- खड़गपुर (IIT-Kharagpur) के अनुसंधानकर्त्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) की निगरानी करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) आधारित प्रणाली विकसित की है। अनुसंधानकर्त्ताओं ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है, जो स्वत: ही दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की दूरी का पता लगा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के उल्लंघन की स्थिति में ध्वनि के माध्यम से चेतावनी दे सकता है। IIT-खड़गपुर के अनुसंधानकर्त्ताओं के अनुसार, इस उपकरण को सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने वाली हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है। अनुसंधानकर्त्ताओं के मुताबिक यह उपकरण बाज़ार और मॉल समेत भीड़-भाड़ वाले सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड को बनाए रखने में मददगार साबित होगा। सोशल डिस्टेंसिंग से तात्पर्य समाजिक स्तर पर उचित दूरी बनाए जाने से है। सभाओं में शामिल होने से बचना, सामजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन से बचना ही 'सोशल डिस्टेंसिंग' है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिये। किसी व्यक्ति से बात करते समय हमें किसी भी प्रकार से शारीरिक स्पर्श से बचना चाहिये। WHO द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति COVID-19 से संक्रमित है, तो उससे कम-से-कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।

वसंत रायजी

भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी के पूर्व क्रिकेटर वसंत रायजी (Vasant Raiji) का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दाएँ हाथ के बल्लेबाज़ वसंत रायजी ने 1940 के दशक में कुल 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने कुल 277 रन स्कोर किये थे। बल्लेबाज वसंत रायजी ने वर्ष 1941 में मुंबई के लिये अपना पहला मैच खेला था, जो कि ड्रॉ रहा था। रायजी ने वर्ष 1939 में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) टीम के लिये प्रथम श्रेणी में अपना पहला मैच खेला था, जो कि नागपुर में खेला गया था। वसंत रायजी का जन्म 26 जनवरी, 1920 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। वसंत रायजी मुंबई में जॉली क्रिकेट क्लब (Jolly Cricket Club) के संस्थापक सदस्य भी थे। वसंत रायजी ने क्रिकेट से संन्यास लेने के पश्चात् लेखन का कार्य शुरू किया और उन्होंने भारतीय क्रिकेट के शुरुआती इतिहास पर कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं।

नोट :

इसरो साइबस्पेस प्रतियोगिता

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) ने स्कूली छात्रों के लिये ऑनलाइन प्रतियोगिताएँ शुरू की हैं। इसरो साइबरस्पेस प्रतियोगिता-2020 (ISRO Cyberspace Competitions–2020) नामक इस पहल के अंतर्गत स्कूली छात्रों के लिये चार वर्गों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं के पहले वर्ग में पहली से तीसरी कक्षा के छात्रों के लिये चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। दूसरे वर्ग में चौथी से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिये विज्ञान मॉडल के निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार नौवीं और दसवीं के छात्रों के लिये निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जबकि, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिये निबंध लेखन के साथ-साथ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिये आवेदकों को सर्वप्रथम ISRO की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।

जर्मीक्लीन (GermiKlean)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणुमुक्त और स्वच्छ करने के लिये जर्मीक्लीन (GermiKlean) नाम से एक सैनिटाइज़िंग कक्ष (Sanitizing Chamber) विकसित किया है। DRDO के अनुसार, 'जर्मीक्लीन' सैनिटाइज़िंग कक्ष मात्र 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़ों को सैनिटाइज़ कर सकता है। DRDO द्वारा विकसित यह सैनिटाइज़िंग कक्ष पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम दिल्ली पुलिस ने पहले अपनी वर्दी और हेलमेट समेत कई अन्य उपकरणों को स्वच्छ और कीटाणुमुक्त करने के लिये अपनी आवश्यकता प्रस्तुत की थी। ध्यातव्य है कि DRDO ने सुरक्षा बलों के पैर की सफाई के लिये एक सैनिटाइज़ेशन टनल (Sanitisation Tunnel) और एक सैनिटाइज़ेशन मैट (Sanitisation Mat) भी तैयार किये हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का R&D विंग है, जो अत्याधुनिक और महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिये भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य कर रहा है। DRDO का गठन वर्ष 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन प्रतिष्ठानों के समामेलन से किया गया था। DRDO रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है।

'घर -घर निगरानी' एप

हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी को समाप्त करने के उद्देश्य से घर-घर निगरानी करने के लिये 'घर घर निगरानी' मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस एप का प्रयोग पंजाब में कोरोना वायरस (COVID-19) के सामुदायिक प्रसारण को रोकने हेतु शुरुआती जाँच एवं परीक्षण के लिये एक उपकरण के रूप में किया जाएगा। इस पहल के तहत पंजाब सरकार राज्य के उन सभी लोगों का सर्वेक्षण करेगी, जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है, साथ ही इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिनकी आयु तो 30 वर्ष से कम है, किंतु एक से अधिक बीमारियाँ अथवा रोग हैं। इससे राज्य को अपनी COVID-19 रोकथाम रणनीति बनाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण डेटाबेस विकसित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही यह सर्वेक्षण राज्य के सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बेहतर दिशा देने में मददगार साबित होगा। उल्लेखनीय है कि यह एप राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वयं तैयार किया गया है। वर्तमान में पंजाब के 518 गाँवों और 48 शहरी वार्डों में सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि लगभग 4.9 प्रतिशत लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, वहीं 0.14 प्रतिशत गुर्दे संबंधी रोग से, 0.64 प्रतिशत हृदय संबंधी रोग से और 0.13 प्रतिशत कैंसर से पीड़ित हैं। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, पंजाब में कोरोना वायरस (COVID-19) के कुल 3,140 मामले सामने आए हैं, हालाँकि इसमें से 2,356 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 67 लोगों की मृत्यु हो गई है।

'ई-ऑफिस' एप्लीकेशन

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs- CBIC) ने हाल ही में देश भर 500 से भी अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों के लिये 'ई-ऑफिस' एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि CBIC के 50,000 से भी अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस एप्लिकेशन का उपयोग करेंगे, जिसके साथ ही CBIC आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्वत: (ऑटोमैटिक) करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन गया है। 'ई-ऑफिस' का शुभारंभ दरअसल आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जहाँ अब तक फाइलों और कागज़ों को कर्मचारियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता था। 'ई-ऑफिस' एप्लिकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है। ई-ऑफिस का उद्देश्य फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने और सरकार के भीतर फैसले लेने की आंतरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्वत: करके

नोट :

शासन (गवर्नेंस) में बेहतरी सुनिश्चित करना है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है। यह बोर्ड सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST (Integrated Goods and Service Tax) का उद्ग्रहण तथा संग्रह का कार्य करता है।

पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने हाल ही में कानपुर स्थित पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक (People's Co-operative Bank) को उसकी कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण आगामी छह माह के लिये नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी। RBI द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस सहकारी बैंक से किसी जमाकर्त्ता की राशि की निकासी भी नहीं की जाएगी। RBI ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर अपनी किसी भी संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या उसका निपटान करने संबंधित प्रतिबंध भी लगा दिया हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश भर में कम-से-कम 44 सहकारी बैंकों को उनकी वित्तीय स्थिति में गिरावट का हवाला देते हुए उन्हें किसी भी प्रकार की गतिविधि करने से रोक दिया है। ध्यातव्य है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा की गई इस प्रकार की कार्रवाई भारत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र (Co-Operative Banking Sector) की स्थिति पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है।

शहीद जवानों की वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने तीनों रक्षा सेनाओं और अर्द्ध-सैनिक बलों के शहीदों के परिवारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में दोगुनी वृद्धि की है, नए नियमों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश से कोई भी सैनिक शहीद होता है तो राज्य सरकार उसके परिजनों को 50 लाख रुपए प्रदान करेगी, जो कि पहले 25 लाख रुपए था। नियमों के अनुसार, यदि शहीद विवाहित है और उसके माता-पिता में से एक या दोनों जीवित हैं, तो शहीद की पत्नी एवं बच्चों को 35 लाख रुपए तथा माता-पिता अथवा उनमें से जो भी जीवित है को 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। वहीं यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो संपूर्ण राशि पत्नी को दी जाएगी, जबकि यदि शहीद अविवाहित है, तो 50 लाख रुपए की संपूर्ण राशि माता-पिता को प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, भले ही यह निर्णय सैनिकों के त्याग के समान नहीं है, किंतु इससे अर्द्ध सैन्यबलों एवं सेना के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मनोबल पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। एक अन्य निर्णय में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मिर्ज़ापुर में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार को भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। केंद्रीय विद्यालय स्थापित होने से अर्द्ध सैन्यबलों एवं सेना के अधिकारियों तथा कर्मचारियों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस प्रस्ताव के तहत कुल 6.50 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जाएगी।

मैट पूरे

हाल ही में न्यूज़ीलैंड के प्रसिद्ध बल्लेबाज मैट पूरे (Matt Poore) का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ध्यातव्य है कि मैट पूरे उस दौर में न्यूज़ीलैंड की टीम का हिस्सा थे, जब टीम ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। मैट पूरे का जन्म 1 जून, 1930 को हुआ था। मैट पूरे ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच 13 मार्च, 1953 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेला था, वहीं उन्होंने अपना अंतिम 06 जनवरी, 1956 को भारत के विरुद्ध खेला था। मैट पूरे न्यूज़ीलैंड के लिये टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 63वें खिलाड़ी थे। उल्लेखनीय है कि मैट पूरे ने अपने 23 वर्षीय लंबे कैरियर में मात्र 14 मैच ही खेले, चूँकि उस समय केवल टेस्ट ही खेला जाता था, इसीलिये खिलाड़ियों को खेलने के लिये काफी कम समय मिलता था। मैट पूरे ने अपने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में कुल 355 रन बनाए थे, वहीं इस दौरान उन्होंने एक गेंदबाज़ के तौर पर कुल 9 विकेट लिये थे। इसके अतिरिक्त मैट पूरे ने वर्ष 1950 से वर्ष 1956 तक कैंटरबरी (Canterbury) के लिये प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेला था।

खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय 'खेलो इंडिया कार्यक्रम' (Khelo India Programme) के तहत 'खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस' (Khelo India State Centres of Excellence) की स्थापना करेगा। इस पहल के तहत संपूर्ण देश में एक मज़बूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने के प्रयास के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में इस प्रकार का एक सेंटर चिन्हित किया जाएगा। पहले चरण में, मंत्रालय ने आठ राज्यों यथा- कर्नाटक, ओडिशा, केरल और तेलंगाना तथा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की है जिन्हें 'खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य राज्यों में खेल सुविधाओं को मज़बूत करना है। उल्लेखनीय है कि इन खेल सुविधा केंद्रों की पहचान एक

नोट :

सरकारी समिति द्वारा गहन विश्लेषण के बाद की गई है। इस प्रकार के केंद्रों में खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें इस तरह से प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा सकेगा जिससे वे सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्द्धाओं विशेष रूप से ओलंपिक खेलों में देश के लिये पदक जीत सकें। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इन केंद्रों संचालन करेंगे और इनकी क्षमता बढ़ाकर इन्हें विश्व स्तरीय खेल सुविधा केंद्रों में बदलने का कार्य करेंगे। इन केंद्रों के प्रबंधन का उत्तरदायित्त्व भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर ही होगा।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) की दक्षिणी पीठ ने केरल के वन विभाग को जंगल की आग को रोकने के लिये उठाए गए कदमों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और राज्य में वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करने के लिये एक माह का समय दिया है। NGT की पीठ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिये उठाए गए कदमों को लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तिरुवनंतपुरम में प्रधान महा वनसंरक्षक और वन रक्षा बल के प्रमुख को निर्देश दिये हुए कुल तीन माह बीत चुके हैं, किंतु अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। ध्यातव्य है कि इस वर्ष फरवरी माह में कोट्टमबथुर (त्रिशूर) में वनाग्नि के कारण तीन वन रक्षकों की मृत्यु हो गई थी जिसके बाद NGT ने यह आदेश पारित किया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र निपटान के लिये हेतु गठित एक विशिष्ट निकाय है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। NGT के लिये किसी भी दाखिल मामले का 6 माह के भीतर निपटान करना अनिवार्य है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) का अस्थायी सदस्य चुना गया है, उल्लेखनीय है कि यह 8वीं बार है जब भारत का UNSC के अस्थायी सदस्य के चयन किया गया है। भारत को इस सर्वोच्च संस्था में अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2021-22 तक के लिये चुना गया है। भारत के अतिरिक्त आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राथमिक दायित्त्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने हेतु अनवरत प्रयास करना है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNCS) के निर्णयों को मानने के लिये बाध्य होते हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र (UN) की अन्य संस्थाएँ सदस्य राज्यों के लिये केवल सिफारिशें करती हैं और सदस्य राष्ट्र उन्हें मानने के लिये काफी हद तक बाध्य नहीं होते हैं, ऐसे में केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पास ही ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो सदस्य राष्ट्रों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) कुल 15 सदस्यों से मिल कर बनी होती है, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य (चीन, फ्राँस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका) और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षीय कार्यकाल के लिये किया जाता है। ध्यातव्य है कि भारत सदैव ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार का पक्षधर रहा है, भारत का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र (UN) विश्व की लगभग संपूर्ण आबादी का प्रतिनिधित्त्व करता है पर विडंबना यह है कि UNSC जैसे संयुक्त राष्ट्र के अति महत्त्वपूर्ण निकाय में केवल 5 ही स्थायी सदस्य मौजूद हैं।

आई. एम. विजयन

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (All India Football Federation-AIFF) ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री के लिये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान आई. एम. विजयन (I. M. Vijayan) के नाम की सिफारिश की है। 90 के दशक में अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत करने वाले भारतीय स्ट्राइकर आई. एम. विजयन ने अपने संपूर्ण कैरियर के दौरान कुल 79 मैचों में 40 गोल किये थे। आई.एम. विजयन को वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें वर्ष 1993, वर्ष 1997 और वर्ष 1999 में 'इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर' के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आई. एम. विजयन ने वर्ष 2000 से वर्ष 2004 के बीच भारतीय फुटबॉल टीम का नेतृत्त्व किया था। पद्म श्री (Padma Shri) पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये प्रदान किया जाता है। वर्ष 1954 में स्थापित यह पुरस्कार, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान

कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण विभिन्न राज्यों से अपने ग्रह राज्य वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गाँव के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना 'गरीब कल्याण

नोट :

रोज़गार अभियान' शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान बिहार के खगड़िया ज़िले के ग्राम-तेलिहार से लॉन्च किया जाएगा। COVID-19 महामारी के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 6 राज्यों के 116 ज़िलों के सभी गांव सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत समेत विश्व की तमाम सरकारों द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन को एक उपाय के रूप में प्रयोग किया गया था, इस व्यवस्था (लॉकडाउन) के कारण देश में सभी प्रकार की आर्थिक तथा गैर-आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से रुक गई थीं, जिसके कारण दैनिक अथवा साप्ताहिक आधार पर मज़दूरी प्राप्त करने वाले प्रवासियों के समक्ष आजीविका की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। आजीविका की इस समस्या को देखते हुए देश भर के लाखों प्रवासी मज़दूर अपने ग्रह राज्य लौटने लगे जिसके कारण ग्रह राज्य की सरकारों के समक्ष वापस लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को उपयुक्त रोज़गार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन गई है।

विश्व का सबसे बड़ा COVID-19 फैसिलिटी सेंटर

अपनी क्षमता में तेजी से वृद्धि करने और राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस (COVID-19) के मामलों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिये दिल्ली सरकार ने दक्षिणी दिल्ली में राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर (Radha Swami Spiritual Center) को 10,000 बेड वाले विश्व के सबसे बड़े अस्थायी COVID-19 फैसिलिटी सेंटर के रूप में निर्मित करने का निर्णय लिया है। इस COVID-19 फैसिलिटी सेंटर में बेड बनाने के लिये कार्डबोर्ड (Cardboard) का प्रयोग किया जाएगा, ध्यातव्य है कि कार्डबोर्ड पर कोरोना वायरस 24 घंटे से अधिक समय के लिये जीवित नहीं रह सकता है, जबकि किसी धातु, प्लास्टिक या लकड़ी पर यह वायरस पाँच दिनों तक जीवित रह सकता है। इस COVID-19 फैसिलिटी सेंटर में लगभग 400 डॉक्टर दो पालियों (Shifts) में कार्य करेंगे, वहीं इसके अतिरिक्त तकरीबन दोगुने सहायक कर्मी भी होंगे। एक अनुमान के अनुसार, यह क्षेत्र तकरीबन 22 फुटबॉल मैदानों के समान है। ध्यातव्य है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रसार काफी तेज़ी से हो रहा है, ऐसे में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है।

नेपाल के नए मानचित्र को राष्ट्रपति की मंज़ूरी

भारत के विरोध के बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी (Bidhya Devi Bhandari) ने नेपाल के नए मानचित्र को अपनी स्वीकृति दे दी है, राष्ट्रपति की इस मंज़ूरी के साथ ही नेपाल का नया मानचित्र अब नेपाल के संविधान का हिस्सा बन गया है। इससे पूर्व नेपाल की संसद के उच्च सदन और निचले सदन ने नेपाल के विवादीय मानचित्र को अपनी मंज़ूरी दी थी। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के कालापानी (Kalapani) लिंपियाधुरा (Limpiyadhura) और लिपुलेख (Lipulekh) को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। नेपाल के अनुसार, सुगौली संधि (वर्ष 1816) के तहत काली नदी के पूर्व में अवस्थित सभी क्षेत्र, जिनमें लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura), कालापानी (Kalapani) और लिपुलेख (Lipulekh) शामिल हैं, नेपाल का अभिन्न अंग हैं, भारत इस क्षेत्र को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले का हिस्सा मानता है। भारत ने नेपाल के नवीन मानचित्र को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि नेपाल के नए मानचित्र में देश के क्षेत्र का अनुचित रूप से विस्तार किया गया है, जो कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। भारत के अनुसार, नेपाल का कृत पूर्णत: एकपक्षीय है और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से शेष सीमा मुद्दों को हल करने के लिये द्विपक्षीय समझौते के विपरीत है।

93वें अकादमी पुरस्कार स्थगित

कोरोना वायरस (COVID-19) के मद्देनज़र वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93वें अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर (Oscars) को दो माह के लिये स्थगित कर दिया गया है। नई घोषणा के अनुसार, अकादमी पुरस्कारों को 25 अप्रैल, 2021 तक के लिये स्थगित कर दिया गया है, इससे पूर्व इन 93वें अकादमी पुरस्कार का आयोजन 28 फरवरी, 2021 को किया जाना था। उल्लेखनीय है कि यह चौथी बार है जब ऑस्कर स्थगित किया गया है। सर्वप्रथम वर्ष 1938 में लॉस एंजिल्स में आई बाढ़ के बाद अकादमी पुरस्कारों को स्थगित किया गया था, जिसके बाद एक बार पुन: वर्ष 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद और वर्ष 1981 में 40वें अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन (Ronald Reagan) की हत्या के प्रयास के बाद ऑस्कर को स्थगित किया गया था। अकादमी पुरस्कार अथवा ऑस्कर, कैलिफोर्निया (California) स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज़ (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार फिल्म उद्योग में तमाम उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिये प्रदान किया जाता है। अकादमी पुरस्कार पहली बार वर्ष 1929 में प्रदान किये गए थे और विजेताओं को सोने की एक प्रतिमा प्रदान की गई थी, जिसे आमतौर पर ऑस्कर कहा जाता है।

नोट :

कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिये 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। यह पहल 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत भारत सरकार द्वारा की गई अनेक घोषणाओं की श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह नीलामी प्रक्रिया कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के सहयोग से की जा रहा है। कोयला खदानों के आवंटन के लिये दो चरणों वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यह कदम कोयला खनन सेक्टर से संबंधित सुधारों और युवाओं के लिये लाखों रोज़गार अवसरों की शुरुआत को भी दर्शाता है। कोयला भंडार की उपलब्धता के मामले में विश्व में पाँचवे स्थान पर होने के बावजूद भी भारत को कोयले का आयात करना पड़ता है। वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष स्थानीय कोयला उत्पादन लगभग 700-800 मिलियन टन है, जबकि प्रतिवर्ष औसतन लगभग 150-200 मिलियन टन कोयले का आयात किया जाता है। वर्ष 1973 में भारत में कोयले के राष्ट्रीकरण के बाद वर्ष 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited- CIL) की स्थापना की गई थी। वर्तमान में देश के कुल कोयला उत्पादन में CIL की भागीदारी लगभग 82 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि

हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India-SIDBI) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के लिये सिडबी (SIDBI) को एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल करना है। समझौते की शर्तों के अनुसार, सिडबी (SIDBI) पीएम स्वनिधि योजना को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में लागू करेगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) की शुरुआत छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु की गई थी। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की ज़मानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाएगा, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे।

खेलो इंडिया केंद्र

एथलीटों को ज़मीनी-स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने में पूर्व खेल चैंपियनों की विशेषज्ञता और अनुभव का दोहन करने के लिये और खेल पारिस्थितिकी तंत्र में उनके लिये आय का एक निरंतर स्रोत सुनिश्चित करने के लिये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पूरे देश में ज़िला-स्तर पर 1,000 खेलो इंडिया सेंटर (Khelo India Centres-KIC) स्थापित करने का फैसला किया है। इन केंद्रों का संचालन या तो किसी एक पूर्व चैंपियन अथवा किसी कोच द्वारा किया जाएगा। यह निर्णय ज़मीनी स्तर के खेलों को मज़बूती प्रदान करते हुए यह भी सुनिश्चित करेगा कि पूर्व चैंपियन (Champions) भारत को खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने मंर अपना योगदान दे सकें और खेलों के माध्यम से अपनी आजीविका भी अर्जित कर सकें। खेलो इंडिया केंद्रों (KIC) के देशव्यापी नेटवर्क का निर्माण करने के लिये भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India-SAI) के मौजूदा केंद्रों को KIC में परिवर्तित करने और योजना के अंतर्गत वित्तीय अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिये एक पूर्व चैंपियन की भर्ती करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। खेलो इंडिया केंद्रों (KIC) में 14 चिन्हित खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाज़ी, बैडमिंटन, साइकिलिंग, तलवारबाजी, हॉकी, जूडो, नौकायन, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती शामिल हैं। नए KIC की पहचान करने की प्रक्रिया को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल विभागों द्वारा ज़िला कलेक्टरों के साथ समन्वय के माध्यम से पूरा किया जाएगा और मूल्यांकन के लिये उस प्रस्ताव को भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के क्षेत्रीय केंद्र में भेजा जाएगा। ध्यातव्य है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 100 खेलो इंडिया केंद्र (KIC) स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

बी.पी.आर. विट्ठल

देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और 1950 बैच के पूर्व IAS अधिकारी बी.पी.आर. विट्ठल का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार संजय बारू के पिता बी.पी.आर. विट्ठल ने अविभाजित आंध्रप्रदेश में वर्ष 1972 से वर्ष 1982 तक सबसे लंबे समय के लिये वित्त एवं योजना सचिव के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान की थीं। इसके अतिरिक्त वे राज्य योजना मंडल (State Planning Board) के उपाध्यक्ष और दसवें वित्त आयोग के सदस्य भी थे। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक करने के बाद बी.पी.आर. विट्ठल वर्ष 1949 में हैदराबाद सिविल सर्विस (Hyderabad Civil Service) में शामिल हो गए। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व उन्होंने गांधी जी के

नोट :

आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। बी.पी.आर. विट्ठल ने अपने संपूर्ण जीवन में कई सारी पुस्तकें लिखीं जिसमें उनकी किताब 'द तेलंगाना सरप्लस: ए केस स्टडी' (The Telangana Surpluses: A Case Study)। माना जाता है कि उस किताब ने अलग तेलंगाना राज्य की मांग को आकार देने में प्रभावशाली भूमिका अदा की थी। वर्ष 1960 में उन्हें उस्मानिया विश्वविद्यालय (Osmania University) के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया था।

150 मिलियन डॉलर के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस

हाल ही में मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी 'रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड' (Reliance Industries Limited-RIL) बाज़ार पूंजीकरण (Market Capitalisation) के मामले में 150 मिलियन डॉलर के मूल्य को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) के बाज़ार का आकार आगामी 3 वर्षों में दोगुना हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) के इस विकास में सबसे बड़ा योगदान जियो (Jio) का माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) ने स्वयं को पूरी तरह से ऋण मुक्त कंपनी घोषित कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर 31 मार्च, 2020 तक 1,61,035 करोड़ रुपए का शुद्ध ऋण था। इससे पूर्व रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) ने मात्र दो माह के भीतर वैश्विक निवेशकों और 'राइट इश्यू' तंत्र के माध्यम से कुल 1.69 लाख करोड़ रुपए प्राप्त किये थे। विश्व की सबसे अधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची में 1.7 लाख करोड़ डॉलर के साथ सऊदी अरामको (Saudi Aramco) शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद एप्पल (Apple), माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और अमेज़न (Amazon) का स्थान आता है।

विश्व शरणार्थी दिवस

विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष 20 जून को 'विश्व शरणार्थी दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के शरणार्थियों की शक्ति, हिम्मत और दृढ़ निश्चय एवं उनके प्रति सम्मान को स्वीकृति देना है। यह दिवस मुख्यत: उन लोगों के प्रति समर्पित है, जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मज़बूर होना पड़ता है। इस दिवस का आयोजन वस्तुत: शरणार्थियों की दुर्दशा और समस्याओं का समाधान करने हेतु किया जाता है। वर्ष 2020 के लिये विश्व शरणार्थी दिवस की थीम 'एवरी एक्शन काउंट्स' (Every Action Counts) चुनी गई है। अफ्रीकी देशों की एकता को अभिव्यक्त करने के लिये 4 दिसंबर, 2000 को संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में वर्ष 2001 को शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित वर्ष 1951 की संधि की 50वीं वर्षगाँठ के रूप में चिह्नित किया गया। ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी (AOU) अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस को अफ्रीकी शरणार्थी दिवस के साथ 20 जून को मनाने के लिये सहमत हो गया। एक शरणार्थी का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण उसके देश से भागने के लिये मज़बूर किया गया है।

GI टैग

मलीहाबादी दशहरी आम की बिक्री में भौगोलिक संकेतक अथवा जीआई (Geographical Indication-GI) टैग के महत्त्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर (Central Institute for Subtropical Horticulture-CISH) ने आम की अन्य किस्मों जैसे गौरजीत, बनारसी लंगड़ा, चौसा तथा रटौल आदि के लिये GI टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ध्यातव्य है कि यदि आम की इन किस्मों को आगामी समय में GI टैग प्राप्त हो जाता है तो इससे इनके लिये एक विशिष्ट बाज़ार के निर्माण में मदद मिलेगी। GI टैग प्राप्त करने के पश्चात् इस प्रकार की किस्मों के आम उत्पादकों को अपनी उपज की अच्छी कीमत मिल सकेगी और अन्य क्षेत्रों के किसान किस्म के नाम का दुरुपयोग कर अपनी फसल का विपणन नहीं कर सकेंगे। ध्यातव्य है कि मलीहाबादी दशहरी आम को सितंबर 2009 में GI टैग प्राप्त हुआ था। एक भौगोलिक संकेतक अथवा जीआई (Geographical Indication-GI) टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएँ एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) पर समझौते के तहत किया जाता है। GI टैग प्राप्त करने का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार अधिकृत उपयोगकर्त्ता के अतिरिक्त इस उत्पाद के प्रसिद्ध नाम का उपयोग नहीं कर सकती है।

नोट :

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना

भारत सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम मनरेगा (MGNREGA) की तर्ज पर झारखंड सरकार भी शहरी अकुशल श्रमिकों के लिये 100-दिवसीय रोज़गार योजना लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जहाँ एक ओर मनरेगा का मुख्य लक्ष्य अकुशल श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण वयस्क सदस्यों को कम-से-कम 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराना है, वहीं इसके विपरीत झारखंड सरकार की इस योजना में मुख्य रूप से शहरी गरीबों को लक्षित किया गया है। शहरी गरीबों के लिये आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक (SHRAMIK- Shahri Rozgar Manjuri For Kamgar) योजना रखा जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के साथ ही शहरी गरीबों के लिये रोज़गार गारंटी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का दूसरा राज्य बन जाएगा, जबकि इससे पूर्व केवल केरल सरकार द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। ध्यातव्य है कि केरल में 'अय्यनकाली शहरी रोज़गार गारंटी योजना' (Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। संबंधित सूचना के अनुसार, मनरेगा के समान ही झारखंड की इस योजना में भी बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। यह योजना शहरी विकास एवं आवास विभाग (Urban Development & Housing Department) द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित की जाएगी। विभिन्न विशेषज्ञों ने झारखंड सरकार की इस योजना को प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण योजना बताया है।

विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस

प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस (World Hydrography Day) का आयोजन किया जाता है, इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्त्व और उसकी प्रासंगिक को रेखांकित करना है। हाइड्रोग्राफी (Hydrography) का अभिप्राय विज्ञान की उस शाखा से है, जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है एवं उसका वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों आदि को मापने के साथ-साथ आगामी समय में इनमें आने वाले विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या की जाती है। ध्यातव्य है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के अभाव में जहाज़ों या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिये नेवीगेशन काफी कठिन हो जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मोनाको (Monaco) स्थित अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (International Hydrographic Organization-IHO) की पहल पर मनाया जाता है। यह दिवस सर्वप्रथम वर्ष 2006 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2020 के लिये इस दिवस का थीम 'स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करती हाइड्रोग्राफी' (Hydrography enabling autonomous technologies) रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) वर्ष 1921 में गठित एक अंतर-सरकारी संगठन है जो विश्व के सभी समुद्रों, महासागरों और नौगम्य जल क्षेत्रों के सर्वेक्षण का कार्य करता है।

विश्व संगीत दिवस

प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस (World Music Day) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। विश्व संगीत दिवस सर्वप्रथम 21 जून, 1982 को फ्राँस में मनाया गया था। इस दिवस के आयोजन की कल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1981 में फ्राँस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री द्वारा की गई थी। तभी से इस दिन को प्रत्येक वर्ष विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत समेत विश्व के तमाम देशों में इस अवसर पर जगह-जगह संगीत प्रतियोगिताओं और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्तमान समय में संगीत एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया है, जिसका प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्ति को मानसिक रोगों व व्याधियों से मुक्ति प्रदान करने के लिये किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि एक कैरियर के रूप में भी संगीत का क्षेत्र असीम संभावनाओं से भरा हुआ है और मौजूदा समय में विभिन्न युवा संगीत को अपना रहे हैं।

डीकार्बोनाइज़िंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया' परियोजना

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (International Transport Forum-ITF) के सहयोग से नीति आयोग 24 जून 2020 को 'डीकार्बोनाइज़िंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया' (Decarbonising Transport in India) परियोजना की शुरुआत करेगा जिसका उद्देश्य भारत के लिये कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। देश में जलवायु और जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये अनिवार्य है कि सरकार ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करे। इस परियोजना के माध्यम से देश में परिवहन उत्सर्जन से संबंधित एक मूल्यांकन ढाँचा तैयार किया जाएगा, जो कि सरकार को वर्तमान और भविष्य की परिवहन चुनौतियों पर विस्तृत इनपुट प्रदान करेगा। इस परियोजना के माध्यम से भारत की विशिष्ट ज़रूरतों और परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। ध्यातव्य है कि भारत की 'डीकार्बोनाइज़िं ट्रांसपोर्ट इन इंडिया' परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (ITF) की 'डीकार्बोनाइज़िंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़'

नोट :

(Decarbonising Transport in Emerging Economies) का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (ITF) की यह परियोजना वैश्विक पटल पर उभरते देशों की सरकारों को उनके परिवहन उत्सर्जन को कम करने और उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के तरीकों की पहचान करने में मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (ITF) कुल 60 सदस्य देशों वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है। यह संगठन देशों के लिये एक परिवहन नीति के निर्माण में थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और साथ ही यह विभिन्न देशों के परिवहन मंत्रियों का वार्षिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित करता है। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 2008 से इस संगठन का सदस्य है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

23 जून, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 06 जुलाई, 1901 को तत्कालीन कलकत्ता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य कर चुके थे। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1921 में कलकत्ता से अंग्रेज़ी में स्नातक किया, जिसके पश्चात् उन्होंने वर्ष 1923 में कलकत्ता से ही बंगाली भाषा और साहित्य में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक महान शिक्षाविद एवं चिंतक के रूप में याद किया जाता है। वर्ष 1934 में डॉ. मुखर्जी को मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति (Vice Chancellor) के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1944 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 'हिंदू महासभा' का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किंतु 4 वर्ष के भीतर ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, डॉ. मुखर्जी का मत था कि 'हिंदू महासभा' को केवल हिंदुओं के दल के रूप में सीमित नहीं रहना चाहिये। पंडित नेहरु ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप शामिल किया, किंतु 6 अप्रैल, 1950 को उन्होंने आंतरिक मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात् 21 अक्तूबर, 1951 को दिल्ली में उन्होंने 'भारतीय जनसंघ' की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। मई 1953 में जम्मू-कश्मीर में डॉ. मुखर्जी को हिरासत में ले लिया गया, जिसके पश्चात 23 जून, 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।

H-1B वीज़ा

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा समेत अन्य सभी विदेशी वर्क-वीज़ा (Work Visas) पर इस वर्ष के अंत तक लिये प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, यह कदम उन लाखों अमेरिकी नागरिकों की मदद करने के लिये काफी आवश्यक है जो कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के चलते बेरोज़गार हो गए हैं। अमेरिकी प्रशासन के इस निर्णय से बड़ी संख्या में भारतीय IT पेशेवरों और कई अमेरिकी तथा भारतीय कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2021 के लिये अमेरिकी सरकार द्वारा H-1B वीज़ा जारी किया गया था। ध्यातव्य है कि अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, अमेरिका में बेरोज़गारी दर फरवरी 2020 और मई 2020 के बीच लगभग चौगुनी हो गई है। यह नया नियम केवल उन लोगों पर लागू होगा जो वर्तमान में अमेरिका से बाहर हैं और उनके पास वैध गैर-अप्रवासी वीज़ा अथवा देश में प्रवेश करने के लिये वीज़ा के अतिरिक्त एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिका में रोज़गार के इच्छुक लोगों को H1-B वीज़ा प्राप्त करना होता है। H1-B वीज़ा मुख्य रूप से ऐसे विदेशी पेशेवरों के लिये जारी किया जाता है जो किसी 'खास' कार्य में कुशल होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस

प्रत्येक वर्ष 23 जून को लोक सेवा (Public service) में कार्यरत लोगों को सम्मान व्यक्त करने के लिये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस (United Nations Public Service Day) मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 20 दिसंबर, 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) ने 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया था। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को रेखांकित करना है, इसके अतिरिक्त इस दिवस पर लोक सेवकों के कार्य को एक नई पहचान देने और युवाओं को लोक सेवक के रूप में अपना कैरियर बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिवस को एक नई मान्यता देने और लोक सेवा के मूल्य को बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार (UN Public Service Awards-UNPSA) कार्यक्रम की स्थापना की थी। भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस (Civil Service Day) मनाया जाता है, इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिये समर्पित एवं वचनबद्ध करना है।

नोट :

पीएम केयर्स फंड के तहत धनराशि का आवंटन

हाल ही में पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट (PM CARES Fund Trust) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे COVID-19 समर्पित अस्पतालों को 50,000 'मेड इन इंडिया' वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिये 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं। इसके अतिरिक्त प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिये 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। उल्लेखनीय है कि अभी तक कुल 2,923 वेंटिलेटर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 1,340 वेंटिलेटरों की आपूर्ति राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को कर दी गई है। वेंटिलेटर प्राप्त करने वाले प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र (275), दिल्ली (275), गुजरात (175), बिहार (100), कर्नाटक (90) और राजस्थान (75) आदि शामिल हैं। जून, 2020 के अंत तक सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को अतिरिक्त 14,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिये राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इस सहायता को प्रवासियों के आश्रय, भोजन, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था आदि में उपयोग किया जाना है। इस धनराशि को प्राप्त करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र (181 करोड़ रुपए), उत्तर प्रदेश (103 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (83 करोड़ रुपए), गुजरात (66 करोड़ रुपए), दिल्ली (55 करोड़ रुपए), पश्चिम बंगाल (53 करोड़ रुपए), बिहार (51 करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश (50 करोड़ रुपए) राजस्थान (50 करोड़ रुपए) और कर्नाटक (34 करोड़ रुपए) आदि प्रमुख हैं।

इंदिरा रसोई योजना

राजस्थान सरकार जल्द ही राजस्थान में गरीबों और ज़रूरतमंदों को रियायती दरों पर दो वक्त का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर एक नई रसोई योजना शुरू करेगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार, राज्य सरकार 'इंदिरा रसोई योजना' पर प्रत्येक वर्ष तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के अनुसार, राज्य सरकार की 'इंदिरा रसोई योजना' राज्य के किसी भी व्यक्ति को भूखा न रहने देने के सरकार के वादे को पूरा करेगी। ध्यातव्य है कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिये गैर-सरकारी संगठनों (Non-Governmental Organisations- NGOs) को चुना जाएगा और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) की मदद से कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी की जाएगी। इस योजना के लिये अभी तक भोजन का शुल्क तय नहीं किया गया है, हालाँकि भोजन राज्य की प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र की आवश्यकताओं और स्वाद को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि तीन वर्ष पूर्व, दिसंबर 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तमिलनाडु की 'अम्मा कैंटीन' (Amma Canteen) की तर्ज पर क्रमश: 5 रुपए और 8 रुपए में नाश्ता और दोपहर का भोजन प्रदान वाली योजना 'अन्नपूर्णा रसोई योजना' (Annapurna Rasoi Yojana) शुरू की थी। हालाँकि इसी वर्ष 31 मार्च को 'अन्नपूर्णा रसोई योजना' का कार्यकाल समाप्त हो गया था।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस

प्रत्येक वर्ष 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस (International Olympic Day) का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मानवीय जीवन में खेल के महत्त्व को चिह्नित करना और दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee) की स्थापना 23 जून, 1894 को पेरिस में की गई थी, इसी को ध्यान में रखते हुए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के स्थापना दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस अवसर पर विश्व के अलग-अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग के लोग और खिलाड़ी शामिल होते हैं। 23 जून, 1894 को IOC की स्थापना की गई थी और यह ओलंपिक का सर्वोच्च प्राधिकरण है। यह एक गैर-लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिये प्रतिबद्ध है। यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है, सभी संबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन करता है और उचित तरीकों से ओलंपिक के मूल्यों को बढ़ावा देता है। वर्ष 1948 से हर चार वर्ष में एक बार ओलंपिक आयोजित होते हैं।

चीन के उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा भारतीय भारोत्तोलन महासंघ

भारत-चीन के संबंधों के बीच तनाव को देखते हुए, देश में चीन विरोधी स्वर काफी तेज़ हो गए हैं। ऐसे में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (Indian Weightlifting Federation-IWF) ने चीन से आने वाले उपकरणों का प्रयोग न करने का निर्णय लिया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) ने भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India-SAI) को पत्र लिखकर इस संबंध में सूचना दी है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) के अनुसार, कुछ समय पूर्व महासंघ ने चीन से कुछ उपकरण मँगाए थे, किंतु वे सभी उपकरण खराब निकले हैं। ध्यातव्य है कि वर्तमान में भारतीय टीम स्वीडन में बने उपकरणों के साथ अभ्यास कर रही है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF)

नोट :

की घोषणा के अनुसार, IWF द्वारा भविष्य में अब केवल भारतीय या अन्य देशों (चीन के अलावा) की कंपनियों द्वारा निर्मित उपकरणों का प्रयोग ही किया जाएगा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) भारत में भारोत्तोलन के लिये नियंत्रित निकाय है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) का गठन वर्ष 1935 में किया गया था।

कुशीनगर हवाई अड्डा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किये जाने को स्वीकृति दे दी है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काफी नज़दीक होने के कारण यह हवाई अड्डा सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से कुशीनगर न केवल आर्थिक, सामरिक और व्यापारिक योगदानों के लिये दुनिया भर में जाना जाएगा बल्कि यह पर्यटन का हब भी बनेगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है और गोरखपुर से 50 किलोमीटर पूर्व में है। साथ ही यह प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक भी है। इसके पास ही लुंबिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु जैसे प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल हैं जबकि थोड़ी दूरी पर सारनाथ और गया जैसे स्थान भी मौजूद हैं। महत्त्वपूर्ण बौद्ध स्थल होने के कारण थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्याँमार जैसे देशों से लगभग प्रति सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में कुशीनगर के हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने से यहाँ से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रतिस्पर्द्धात्मक लागत पर अधिक विकल्प मिल सकेंगे तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा। इसके साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

जम्मू और कश्मीर में देविका और पुनेजा पुल

हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आभासी मंच के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में ऊधमपुर और डोडा ज़िलों में दो अहम सेतु क्रमश: देविका और पुनेजा का शुभारम्भ किया है। तकरीबन 10 मीटर लंबा देविका पुल जम्मू-कश्मीर में ऊधमपुर ज़िले में स्थित है, ध्यातव्य है कि आज़ादी के बाद से ही इस ज़िले में एक पुल की मांग की जा रही थी, यह पुल इस क्षेत्र में यातायात की समस्या के लिये परिवर्तनकारी साबित होगी। इसके अतिरिक्त देविका सेतु के माध्यम से सेना के काफिलों और वाहनों की सुगम आवाजाही में भी सहायता मिलेगी। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation-BRO) द्वारा 75 लाख रुपए की लागत से एक वर्ष की अवधि में किया गया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले में स्थित पुनेजा पुल का निर्माण भी सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसकी लंबाई तकरीबन 50 मीटर है। सीमा सड़क संगठन (BRO) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। इसकी स्थापना 07 मई, 1960 को की गई थी। यह संगठन सीमा क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रखरखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। गौरतलब है कि सीमा सड़क संगठन ने भूटान, म्याँमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है।

पशुपालन बुनियादी ढाँचा विकास फंड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढाँचा विकास फंड (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund-AHIDF) की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। इस फंड का उद्देश्य डेयरी, माँस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों में निजी कारोबारियों और MSMEs के निवेश को प्रोत्साहित करना है। सरकार के अनुमान के अनुसार, इस पहल के कारण तकरीबन 35 लाख रोज़गार सृजित होने की संभावना है। ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा गठित यह फंड COVID-19 वायरस की रोकथाम के लिये लागू किये गये लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद करने के उद्देश्य से मई माह में घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। इस सरकारी फंड के माध्यम से डेयरी, माँस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों की स्थापना के लिये किसान उत्पादक संगठनों, MSMEs और निजी कंपनियों को 3-4 प्रतिशत की ब्याज़ सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organisations-FPO), MSMEs, कंपनी अधिनियम की धारा-8 के तहत आने वाली कंपनियाँ, निजी कंपनियाँ और व्यक्तिगत उद्यमी इस फंड से लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। आधिकारिक सूचना के अनुसार, ऋण चुकाने के लिये दो वर्ष की अवकाश अवधि होगी और उसके बाद छह साल में ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा।

अमर्त्य सेन

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक न्याय के प्रश्न पर उनके द्वारा किये गए कई दशक लंबे कार्य को मान्यता देने के लिये जर्मन बुक ट्रेड (German Book Trade) के शांति पुरस्कार (Peace Prize) से सम्मानित किया गया है। जर्मन बुक ट्रेड द्वारा वर्ष 1950 से लगातार प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। शांति पुरस्कार के माध्यम से, जर्मन बुक ट्रेड का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना

नोट :

है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से शांति के विचार को साकार करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उल्लेखनीय है कि अमर्त्य सेन से पूर्व भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दर्शनशास्त्र के विकास में उनके योगदान के लिये वर्ष 1961 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इस पुरस्कार को पाने वाले वे पहले भारतीय थे। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize) से सम्मानित किया गया है। अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर, 1933 को पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन (Santiniketan) में हुआ था।

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोज़गार अभियान

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोज़गार अभियान' का शुभारंभ किया है। यह अभियान रोज़गार प्रदान करने, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोज़गार के अवसर मुहैया कराने के लिये औद्योगिक संघों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करने पर विशेष रूप से केंद्रित है। ध्यातव्य है कि इस योजना के तहत स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने और औद्योगिक संस्थानों के साथ साझेदारी कर रोज़गार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ध्यातव्य है कि COVID-19 महामारी का सामान्य कामगारों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने-अपने राज्य वापस लौट चुके हैं। अनुमान के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अन्य क्षेत्रों से अब तक कुल 30 लाख प्रवासी श्रमिक वापस लौटे हैं, ऐसे में इन श्रमिकों को रोज़गार उपलब्ध कराना राज्य सरकारों के लिये एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोज़गार अभियान' की परिकल्पना राज्य के उद्योगों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करते हुए एक अनूठी पहल के रूप में की गई थी, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करना भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि 12 मई, 2020 को प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' का आह्वान करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। इस अभियान के तहत 'आत्मनिर्भर भारत' के पाँच स्तंभों यथा अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग को रेखांकित किया गया है।

विवेकानंद योग विश्वविद्यालय

हाल ही में छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका के लॉस एंजेल्स (Los Angeles) में भारत के बाहर 'विवेकानंद योग विश्वविद्यालय' नाम से विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति एवं प्रसिद्ध योग गुरु डॉ. एच. आर. नागेंद्र (H. R. Nagendra) इस विश्विद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। ध्यातव्य है कि 'भारत की संस्कृति और विरासत के प्रतीक के रूप में योग विश्व में एकता और भाईचारे का माध्यम बन गया है। योग के माध्यम से वैश्विक शांति का संदेश आसानी से दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप मनाया जाता है, विश्व स्तर पर सर्वप्रथम वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। इस वर्ष (वर्ष 2020) यह छठा अवसर है जब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस/विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने को मान्यता दी थी।

'हरीथा हरम' कार्यक्रम

हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 'हरीथा हरम' (Haritha Haaram) कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, हरीथा हरम कार्यक्रम के छठे चरण के दौरान लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ध्यातव्य है कि राज्य में यह वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने में भी मदद करेगा, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत पौधे रोपने हेतु गड्ढे खोदने का कार्य दिया जाएगा। तेलंगाना का 'हरीथा हरम' कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसके तहत राज्य में वृक्षों के क्षेत्र को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 3 जुलाई, 2015 को तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। आँकड़ों के अनुसार, राज्य भर में कुल 182 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 112,077 वर्ग किलोमीटर है। तेलंगाना में कुल 33 ज़िले हैं और इसकी जनसंख्या लगभग 350 लाख है। तेलंगाना का गठन एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में 2 जून, 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में किया गया था।

नोट :

संयुक्त राष्ट्र का 'गरीबी उन्मूलन गठबंधन'

भारत, संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन (Alliance for Poverty Eradication) के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। इस गठबंधन का लक्ष्य कोरोना वायरस (COVID-19) वैश्विक महामारी के पश्चात् वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे 30 जून को औपचारिक रूप से 'गरीबी उन्मूलन गठबंधन' की शुरुआत करेंगे। गठबंधन में संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल होते हुए भारत ने स्पष्ट किया कि केवल मौद्रिक मुआवज़े से गरीबी उन्मूलन संभव नहीं है, गरीबों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ जल, स्वच्छता, उचित आवास एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी काफी आवश्यक है। ध्यातव्य है कि गरीबी उन्मूलन के लिये आर्थिक असमानता एक बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद है, एक अनुमान के मुताबिक विश्व की 60 प्रतिशत से अधिक धन-संपत्ति मात्र 2,000 अरबपतियों के पास मौजूद है।

मैरी डब्लयू. जैकसन

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने अमेरिका समेत विश्व के कई अन्य देशों में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध चल रहे अभियानों का समर्थन करते हुए अपने मुख्यालय का नाम 'मैरी डब्लयू. जैकसन' (Mary W. Jackson) के नाम पर रखने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि 'मैरी जैकसन' नासा (NASA) की सबसे पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थीं। मैरी जैकसन का जन्म 09 अप्रैल, 1921 को अमेरिका में ऐसे समय में हुआ था, जब अमेरिका में नस्लीय भेदभाव अपने चरम पर था। मैरी जैकसन ने हैम्पटन इंस्टीट्यूट (वर्तमान में हैम्पटन विश्वविद्यालय) से गणित और भौतिक विज्ञान में दोहरी डिग्री के साथ स्नातक करने के बाद मैरीलैंड राज्य (Maryland State) के एक विद्यालय में गणित की शिक्षिका के रूप में कार्य किया। वर्ष 1951 में वे नेशनल एडवाइज़री कमेटी फॉर एयरोनॉटिक्स (National Advisory Committee for Aeronautics) द्वारा एक गणितज्ञ के रूप में नियुक्त की गईं, इसी संस्था को वर्ष 1958 में नासा के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया। गणितज्ञ के रूप में शामिल होने के बाद और और अधिक अध्ययन किया, जिसके बाद वर्ष 1958 में उन्हें पदोन्नति मिली और वे नासा की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर बन गईं। उन्होंने अपने लगभग दो दशक लंबे इंजीनियरिंग कैरियर में कई रिपोर्टों और शोधों पर कार्य किया। मैरी जैकसन वर्ष 1985 में सेवानिवृत्त हो गईं।

मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना

कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु त्रिपुरा सरकार ने 'मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना' (Mukhyamantri Matru Pushti Uphaar) की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट प्रदान की जाएगी। इस योजना की घोषणा करते हुए राज्य के समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री संताना चकमा (Santana Chakma) ने कहा कि योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही किट से कम-से-कम 40,000 महिलाओं को लाभ होगा, उल्लेखनीय है कि प्रत्येक किट का मूल्य लगभग 500 रुपए प्रति किट होगा। अनुमान के अनुसार, राज्य सरकार की इस पहल में प्रत्येक वर्ष तकरीबन 8 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। गर्भवती महिलाओं को अपने घर के पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में समय-समय पर जाँच करवानी होगी और प्रत्येक जाँच के बाद उन्हें किट प्रदान की जाएगी, इस किट के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिये मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दालें, गुड़ और घी जैसी खाद्य सामग्री शामिल होंगी। सामान्य शब्दों में कहें तो कुपोषण (Malnutrition) वह अवस्था है जिसमें पौष्टिक पदार्थ और भोजन, अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और जिसके कारण गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस

वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस (Micro, Small and Medium-sized Enterprises Day) के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल, 2017 को आयोजित 74वीं पूर्ण बैठक में प्रतिवर्ष 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस के रूप में घोषित किया था, इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और नवाचार को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्त्व को पहचानना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के आँकड़ों के अनुसार, MSME के तहत भारत में लगभग 6.34 उद्यम सक्रिय हैं, इनमें से अधिकांश (लगभग 51%) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। हाल ही में सरकार ने MSMEs की परिभाषा में परिवर्तन किया है, नई परिभाषा के अनुसार, 'सूक्ष्म' उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण में एक करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा जिसका कारोबार पाँच करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। 'लघु' उद्यम वे होते हैं जिनमें संयंत्र और

नोट :

मशीनरी तथा उपकरण में 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं होता है तथा जिसका कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। वहीं मध्यम उद्यम की परिभाषा में वे उद्यम शामिल हैं, जिसमें संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण में 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं होता है तथा जिसका कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है।

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। गरीब कल्याण रोज़गार अभियान भारत सरकार का समग्र रोज़गार सृजन और ग्रामीण बुनियादी ढाँचा निर्माण कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून, 2020 को की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य COVID-19 महामारी के चलते पैदा हुए हालात के कारण अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को आगामी चार माह तक रोज़गार उपलब्ध कराना है। ये पोर्टल आम जनता को 'गरीब कल्याण रोज़गार अभियान' के विभिन्न ज़िला-वार और योजना-वार घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा 6 राज्यों के 116 ज़िलों में 50,000 करोड़ रुपए की व्यय निधि के साथ शुरू किये गए कार्यों को पूरा करने की प्रगति की निगरानी रखने में मदद करेगा। केंद्र सरकार के इस अभियान के अंतर्गत कुल छः राज्यों यथा- बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा ओडिशा को शामिल किया गया है। यह 125 दिनों का अभियान है, जिसे मिशन मोड रूप में संचालित किया जा रहा है।

शिक्षा में सुधार हेतु ऋण को मंज़ूरी

हाल ही में विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने भारत के छह राज्यों के सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्धति में सुधार के लिये 500 मिलियन डॉलर की एक नई परियोजना को मंज़ूरी दी है। ध्यातव्य है कि स्टार्स (STARS-Strengthening Teaching-Learning and Results for States Program) नामक इस परियोजना को देश के कुल 6 राज्यों (हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान) में केंद्रीय योजना, 'समग्र शिक्षा अभियान' के माध्यम से लागू किया जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार, स्टार्स (STARS) परियोजना स्कूलों में मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाने और स्कूलों के शासन तथा विकेंद्रीकृत प्रबंधन को मज़बूत करने में मदद करेगी। ध्यातव्य है कि भारत ने बीते कुछ वर्षों में देश भर में शिक्षा की पहुँच में सुधार करने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इन्ही कदमों का परिणाम है कि देश में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है, आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2004-05 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 219 मिलियन से बढ़कर 248 मिलियन हो गई है। विश्व बैंक की इस परियोजना के माध्यम से लगभग 15 लाख स्कूलों के 6 से 17 वर्ष की आयु के 25 करोड़ छात्रों और एक करोड़ से अधिक शिक्षकों को फायदा पहुँचेगा। गौरतलब है कि अपने एक हालिया रिपोर्ट में यूनेस्को (UNESCO) ने कहा था कि भारत समेत विश्व कई देशों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि किसी भी पृष्ठभूमि का कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से छूट न सके।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अदालतों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों और अन्य संगठनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक समर्पित सुरक्षा बल बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य प्रशासन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज़ पर राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (Uttar Pradesh Special Security Force-UPSSSF) के गठन के निर्देश दिये हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (UPSSSF) का गठन व्यावसायिक दक्षता के साथ राज्य के औद्योगिक संस्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस विशेष सुरक्षा बल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जैसे ही विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह बल आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित होगा। राज्य के विशेष सुरक्षा बल में शामिल लोगों को आधुनिक सुरक्षा तकनीकों और गैजेट्स के बारे में भी बताया जाएगा। इस विशेष बल को राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थलों समेत अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर तैनात किया जाएगा। इस बल का मुख्यालय लखनऊ में स्थित होगा और शुरुआत में इसके केवल पाँच बटालियन ही गठित किये जाएंगे।

विनी महाजन

IAS अधिकारी विनी महाजन को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव (Chief Secretary) नियुक्त किया गया है। विनी महाजन पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव करण अवतार सिंह का स्थान लेंगी। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व कभी भी किसी महिला को इस पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। विनी महाजन पंजाब कैडर की 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं। उल्लेखनीय है कि इंडस्ट्रीज़ ऐंड कॉमर्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी,

नोट :

गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट में अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) के पद पर तैनात थीं। विनी महाजन भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोलकाता की पूर्व स्टूडेंट हैं और उन्होंने वहाँ से मैनेजमेंट (Management) में डिप्लोमा किया है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में स्नातक किया था। IIM में विनी महाजन को 'रोल ऑफ ऑनर' (Roll of Honour) से नवाजा गया था। विनी महाजन को पंजाब का मुख्य सचिव ऐसे समय में नियुक्त किया गया है जब पंजाब समेत संपूर्ण भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रसार काफी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में विनी महाजन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती राज्य में COVID-19 के प्रसार को रोकने की होगी।

एट वन क्लिक

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के तकरीबन 13000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises-MSMEs) की सहायता करने के लिये 'एट वन क्लिक' (At One Click) नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की MSME इकाइयों और उद्योगों से आह्वान किया है कि वे कोरोना महामारी की इस प्रतिकूलता को एक अवसर में परिवर्तित करने का प्रयास करें। 'एट वन क्लिक' नामक इस ऑनलाइन वित्तीय सहायता पहल के तहत गुजरात सरकार द्वारा MSMEs और बड़ी औद्योगिक इकाइयों (कपड़ा उद्योग सहित) को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के MSMEs, व्यापारियों, बड़े उद्योगों और व्यवसायों आदि को प्रेरित करके राज्य की अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने का प्रयास करेगी। इस योजना के लिये राज्य सरकार ने कुल 8,200 करोड़ रुपए की ऋण राशि को मंज़ूरी दी है, जिसमें से 4,175 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किये जा चुके हैं।

आधार आधारित डेटाबेस

केंद्र सरकार अपनी सभी कृषि-उन्मुख योजनाओं को डिजिटल बनाने और किसानों के लिये सीधे खरीद मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये आधार आधारित डेटाबेस (Aadhaar-Based Database) लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके तहत किसानों का डेटाबेस तैयार करने के साथ-साथ उनके भू-भाग का नक्शा भी तैयार किया जाएगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस आधार आधारित डेटाबेस के पहले चरण में देश भर के कुल 9 राज्यों के लगभग 50 मिलियन किसानों का विवरण शामिल होगा। इस डेटाबेस में व्यक्तिगत कृषि भूमि की उपग्रह इमेजिंग (Satellite Imaging) भी शामिल होगी, जिससे किसानों को उनकी भूमि और उनके द्वारा उगायी जाने वाली फसलों के आधार पर सलाह दी जा सकेगी। संभवत: इस आधार आधारित डेटाबेस में मौजूद डेटा को उत्पादकता बढ़ाने हेतु नवीन समाधान विकसित करने के लिये भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ भी साझा किया जा सकता है। यह डेटाबेस सभी किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) सुनिश्चित करने में मदद करेगा। ध्यातव्य है कि इसके माध्यम से सभी योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) अथवा लाभार्थियों के खाते में सीधे धन स्थानांतरित करके लाभार्थियों के चयन में सरकारी मानदंड का पालन न करने, अवैध लाभार्थी और योजना में धन के दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार यह डेटाबेस धन के दुरुपयोग को रोकने और सभी किसानों के लिये योजना का उचित लाभ सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा।

के. के. वेणुगोपाल

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल (K.K. Venugopal) को एक बार पुन: अटॉर्नी जनरल (Attorney General-AG) के पद पर नियुक्त कर दिया है। के. के. वेणुगोपाल की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये की गई है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय 30 जून, 2020 को अटॉर्नी जनरल के रूप में के. के. वेणुगोपाल के 3 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व लिया गया है। 30 जून, 2017 को के.के. वेणुगोपाल को भारत का 15वाँ अटॉर्नी जनरल (AG) नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति पूर्व अटॉर्नी जनरल (AG) मुकुल रोहतगी के स्थान पर की गई थी। वर्ष 1931 में जन्मे के. के. वेणुगोपाल ने वर्ष 1954 में एक अधिवक्ता के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 89 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल को एक अधिवक्ता के तौर पर 50 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है और इन्हें संवैधानिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, भारत का अटॉर्नी जनरल (Attorney General) भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख अधिवक्ता होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त कर कर सकता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश बनने की योग्यता रखता हो।

नोट :

'किल कोरोना अभियान'

मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के प्रसार को रोकने के लिये राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि वे 1 जुलाई, 2020 से राज्य में 'किल कोरोना अभियान' (Kill Corona Campaign) की शुरुआत करेंगे, ताकि राज्य के सभी घरों की स्क्रीनिंग की जा सके। इस अभियान की शुरुआत राज्य की राजधानी भोपाल से की जाएगी। इस अभियान के तहत राज्य में कुल 10000 टीमों का गठन किया जाएगा और प्रत्येक टीम एक दिन में लगभग 100 घर कवर करेगी। डोर-टू-डोर सर्वे के इस अभियान में कोरोना वायरस (COVID-19) के साथ-साथ मलेरिया, डेंगू एवं अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीज़ों को भी चिह्नित किया जाएगा और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। ध्यातव्य है कि 'किल कोरोना' अभियान पूरे राज्य में 15 दिनों तक चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस 15 दिवसीय अवधि के दौरान तकरीबन 2.5 लाख COVID-19 परीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश समेत भारत के सभी राज्यों में कोरोना वायरस का प्रकोप तेज़ी से फैलता जा रहा है। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5 लाख से भी ऊपर पहुँच गई है।

लाजरस चकवेरा

हाल ही में मलावी में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किये गए। इन चुनावों में सर्वाधिक वोट हासिल करने के बाद विपक्षी नेता लाजरस चकवेरा (Lazarus Chakwera) को मलावी का नया राष्ट्रपति चुना गया है, उन्हें इन चुनावों के दौरान कुल 58.57 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। ध्यातव्य है कि बीते वर्ष 21 मई को मलावी में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किये गए थे, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति पीटर मुथारिका (Peter Mutharika) को 38.57 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे और सर्वाधिक मत प्राप्त करने के कारण पीटर मुथारिका को राष्ट्रपति चुन लिया गया था, हालाँकि मलावी के विपक्षी नेताओं ने इन चुनावों की काफी आलोचना की थी और पीटर मुथारिका पर चुनाव के साथ छेड़-छाड़ करने का आरोप लगाया था। मलावी के न्यायालय ने अपनी जाँच के दौरान विपक्षी नेताओं के आरोपों को सही पाया और अपनी जाँच के आधार पर 3 फरवरी, 2020 को वर्ष 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनावों को निरस्त कर दिया, इसके पश्चात् हाल ही में पुन: चुनाव आयोजित किये गए और विपक्षी नेता लाजरस चकवेरा विजयी हुए। मलावी, दक्षिणपूर्वी अफ्रीका में स्थित स्थलबद्ध (Landlocked) देश है। ध्यातव्य है कि मलावी की अधिकांश आबादी जीवन निर्वाह के लिये कृषि पर निर्भर है। यह उत्तर में तंज़ानिया, पूर्व में मलावी झील, दक्षिण में मोज़ाम्बिक (Mozambique) और पश्चिम में ज़ाम्बिया (Zambia) से घिरा हुआ है।

नोट :